18 July, 1986

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

PARLIAMENT LIBRARY
Acc No. 5_8
Date 3/8/87

(आठवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 18, छठा सत्र, 1986/1908 (शक)

अंक 2, शुक्रवार, 18 जुलाई, 1986/27 आषाढ़, 1908 (शक)

विषय		पृष्ठ
नये मंत्रियों का परिचय	... ...	1—2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	... ...	3—26
*तारांकित प्रश्न संख्या : 21 से 23 और 25 से 29		
प्रश्नों के लिखित उत्तर	... ...	27—221
तारांकित प्रश्न संख्या : 1 और 3 से 20 [17-7-86] 24 और 30 से 40 [18-7-86]		
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1 से 15, 17 से 39, 41 से 108, 110 से 148 और 150 से 178 [17-7-86] 179 से 274, 276 से 283, 285 से 309 और 311 से 338 [18-7-86]		
स्थगन प्रस्ताव के संबंध में	... ...	321—328
सभा पटल पर रखे गये पत्र	... ...	329—342
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	... ...	342—346

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय		पृष्ठ
भारतीय क्षेत्र में चीन द्वारा हाल ही में किए गए अतिक्रमण के बारे में वक्तव्य ...		346
	श्री पी० शिव शंकर	346
गोवा में पणजी के निकट मांडोवी नदी पर पुल के ढह जाने के बारे में वक्तव्य ...		347
	श्री राजेश पायलट	347
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण		349—362
	दिल्ली में कपड़ा मिल मजदूरों की लगातार हड़ताल से उत्पन्न स्थिति	
	श्री सी० जंगा रेड्डी	349
	श्री पी० ए० संगमा	349
	श्रीमती गीता मुखर्जी	354
	श्री एम० रघुमा रेड्डी	356
	श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	357
	श्री सुभाष यादव	358
सभा का कार्य		363—368
समिति के लिये निर्वाचन		368—369
	प्राक्कलन समिति	
जांच आयोग (संशोधन) विधेयक, पुरःस्थापित		369—387
	पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव	
	श्री पी० चिदम्बरम	369
	प्रो० मधु दंडवते	369
	डा० चिन्ता मोहन	376
	श्रीमती गीता मुखर्जी	377
	श्री बसुदेव आचार्य	379
	श्री सुरेश कुरूप	380
जांच आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1986 के बारे में विवरण		387
	श्री पी० चिदम्बरम	387

विषय		पृष्ठ
औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक		387
विचार करने के लिये प्रस्ताव		
	श्री प्रिय रंजन दास मुंशी	387
	श्री ई० अय्यपु रेड्डी	391
विधेयक—पुर:स्थापित		391
(एक) संविधान (संशोधन) विधेयक, (नये अनुच्छेद 174क का अंत:स्थापन)		
	प्रो० मधु दंडवते	391
(दो) कनिष्ठ कलाकार (नियोजन का विनियमन) विधेयक,		
	प्रो० मधु दंडवते	392
(तीन) बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक,		
	प्रो० मधु दंडवते	392
(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक, (नये अनुच्छेद 30क का अंत:-स्थापन; आदि)		
	श्री प्रिय रंजन दास मुंशी	393
(पांच) संविधान (संशोधन) विधेयक, (नये अनुच्छेद 31 का अंत:स्थापन)		
	श्री प्रियरंजन दास मुंशी	393
(छ:) औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, (धारा 10 में संशोधन, आदि)		
	श्री शरद दिघे	394
(सात) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, (अनुसूची में संशोधन)		
	श्री शरद दिघे	394
(आठ) मोटरयान (संशोधन) विधेयक, (धारा 2 में संशोधन, आदि)		
	श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति	395
(नौ) केन्द्रीय विक्रय कर, (निरसन) विधेयक,		
	श्री बालासाहेब विखे पाटिल	395

(दस) धान कुट्टन उद्योग विनियमन (संशोधन) विधेयक, (धारा 3 में संशोधन आदि)

श्री के० एस० राव 396

(ग्यारह) बेरोजगारी उन्मूलन विधेयक,

श्री हन्नान मोल्लाह 396

बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) संशोधन विधेयक ... 397—415
धारा 2 में संशोधन, आदि [—जारी]

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री अजित कुमार साहा 397
श्री हरीश रावत 398
श्री सी० सम्बु 399
श्री नित्यानन्द मिश्र 401
श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव 403
श्रीमती जयन्ती पटनायक 404
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही 407
श्री काली प्रसाद पांडेय 409
श्री पी० ए० संगमा 411
श्री अजित कुमार साहा 413

उत्पादकों तथा कर्मकारों की सहकारी समितियों के लिए कृषि पर आधारित आरक्षित उद्योग विधेयक ... ... 415—435

विचार करने के लिये प्रस्ताव

श्री बालासाहेब विखे पाटिल 415
श्री शान्ता राम नायक 420
श्री मूलचन्द डागा 422
श्री एम० रघुमा रेड्डी 424
श्री गिरधारी लाल व्यास 426
श्री आई० रामा राव 430
श्री राम प्यारे पनिका 432
श्री सी० गंगा रेड्डी 433

कार्य-मंत्रणा समिति 435

चौबीसवां प्रतिवेदन

लोक सभा

शुक्रवार, 18 जुलाई, 1986/27 आषाढ़, 1908 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

नये मंत्रियों का परिचय

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सभा का नये मंत्रियों से परिचय कराना चाहूंगा—

श्री जी० एस० ढिल्लों, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, वह सत्तारूढ़ दल की ओर से विनिर्णय दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जब भी अपेक्षित होगा, मैं उनकी सलाह लूंगा।

श्री राजीव गांधी : जब तक विरोधी पक्ष के सदस्य इसका पालन करते रहेंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद; पर्यटन मंत्री।

श्री रामानंद यादव, ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री।

श्री ब्रह्म दत्त; वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री।

श्री के० के० तिवारी, सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मंत्री।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : तिवारी जी से बहुत प्रेम है···

[अनुवाद]

श्री एच० ए० डोरा : शून्य काल के नायक !···(व्यवधान)। उन्हें शून्य काल में अनुमति दी जानी चाहिए···(व्यवधान)।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : वह मंत्री होने के योग्य नहीं हैं, महोदय।

श्री राजीव गांधी : इस प्रकार के कथन पर मैं आपत्ति करता हूं···

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : ऐसा प्रतीत होता है कि इस अन्तराल में विरोधी दल के माननीय सदस्य यह भूल गये हैं कि शून्य काल 12 बजे होता है। शायद वे सोच रहे हैं कि शून्य काल 11 बजे होता है।

श्री एच० ए० डोरा : मैंने यह निवेदन किया था कि वह शून्य काल के नायक हैं।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : वह लोकतंत्र को भूल गये हैं। लोकतन्त्र के मानदण्ड उन्हें याद नहीं हैं और हमें शोर मचाने के लिए विवश होना पड़ता है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बैठिए, बैठिये।

[अनुवाद]

कृपया अब बैठ जाइए।

श्री एच० ए० डोरा : हमने शून्य काल के नायक को खो दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से हमारे मस्तिष्क में सर्वत्र ही गलत धारणाएं बनी हुई हैं। शून्य काल होता ही नहीं है।

श्री राजीव गांधी :

श्री बी० के० गड़वी, व्यय विभाग में राज्य मंत्री।

कुमारी सरोज खापर्डे, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री।

श्रीमती कृष्णा साही, शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो, विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ।

श्री संतोष मोहन देव, पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री ।

श्रीमती शीला दीक्षित, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ।

श्री बीरेन सिंह ऐंगती, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उपमंत्री ।

धन्यवाद, महोदय ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

बम्बई में कपड़ा श्रमिकों की बहाली

*21. श्री मुरलीधर माने†
श्री गुरुदास कामत } : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 1983 में बम्बई मिलों के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप बेरोजगार हुए 14,000 कपड़ा श्रमिकों की बहाली के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या सरकार ने इन श्रमिकों की तत्काल बहाली के लिए कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसकी कार्यान्विति में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्ब ध में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की क्या भूमिका है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

जी हां । तथापि, यह कहना सही नहीं है कि बम्बई में 13 मिलों के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप श्रमिक बेरोजगार हुए। अधिग्रहण के समय उत्पादन कर रहीं 5 मिलों में लगभग 6150

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : तिवारी जी से बहुत प्रेम है···

[अनुवाद]

श्री एच० ए० डोरा : शून्य काल के नायक !···(व्यवधान)। उन्हें शून्य काल में अनुमति दी जानी चाहिए···(व्यवधान)।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : वह मंत्री होने के योग्य नहीं हैं, महोदय।

श्री राजीव गांधी : इस प्रकार के कथन पर मैं आपत्ति करता हूं···

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : ऐसा प्रतीत होता है कि इस अन्तराल में विरोधी दल के माननीय सदस्य यह भूल गये हैं कि शून्य काल 12 बजे होता है। शायद वे सोच रहे हैं कि शून्य काल 11 बजे होता है।

श्री एच० ए० डोरा : मैंने यह निवेदन किया था कि वह शून्य काल के नायक हैं।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : वह लोकतंत्र को भूल गये हैं। लोकतन्त्र के मानदण्ड उन्हें याद नहीं हैं और हमें शोर मचाने के लिए विवश होना पड़ता है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बैठिए, बैठिये।

[अनुवाद]

कृपया अब बैठ जाइए।

श्री एच० ए० डोरा : हमने शून्य काल के नायक को खो दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से हमारे मस्तिष्क में सर्वत्र ही गलत धारणाएं बनी हुई हैं। शून्य काल होता ही नहीं है।

श्री राजीव गांधी :

श्री बी० के० नड़वी, व्यय विभाग में राज्य मंत्री।

कुमारी सरोज खापर्डे, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री।

श्रीमती कृष्णा साही, शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो, विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ।

श्री संतोष मोहन देव, पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री ।

श्रीमती शीला दीक्षित, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ।

श्री बीरेन सिंह ऐंगती, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उपमंत्री ।

धन्यवाद, महोदय ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

बम्बई में कपड़ा श्रमिकों की बहाली

*21. श्री मुरलीधर माने†
श्री गुरुदास कामत } : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 1983 में बम्बई मिलों के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप बेरोजगार हुए 14,000 कपड़ा श्रमिकों की बहाली के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या सरकार ने इन श्रमिकों की तत्काल बहाली के लिए कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसकी कार्यान्विति में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की क्या भूमिका है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

जी हां । तथापि, यह कहना सही नहीं है कि बम्बई में 13 मिलों के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप श्रमिक बेरोजगार हुए। अधिग्रहण के समय उत्पादन कर रहीं 5 मिलों में लगभग 6150

श्रमिक काम में लगे हुए थे। इस समय काम में लगे श्रमिकों की संख्या 23,300 से अधिक है। अभी भी काफी संख्या में श्रमिक बहाली की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रीय वस्त्र निगम को इन 13 मिलों के अभिरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। श्रमिकों की वर्तमान नियुक्ति व्यावहारिक क्षमताओं के वर्तमान उपयोग के अनुरूप है। इसके अलावा, श्रमिकों की बड़ी संख्या की बहाली का मामला न्यायाधीन है।

[हिन्दी]

श्री मुरलीधर माने : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो स्टेटमेंट रखा है उसमें कहा है कि वर्कर्स आर रेडडं जाब लेस। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जब मिलों का राष्ट्रीयकरण किया गया तब उन मिलों में रोल पर कितने मजदूर थे और आज कितने हैं। उन्होंने सही फिगर नहीं दिये, लेकिन उन्होंने बताया है कि जब राष्ट्रीयकरण किया गया उस समय पांच मिलों में 6 हजार 150 मजदूर काम करते थे और आज की स्थिति यह है कि कुल मिलाकर 23 हजार 300 मजदूर काम कर रहे हैं, कुल 13 मिल्स हैं। आप कह रहे हैं कि 14 हजार से ऊपर वहां लोग जाबलेस हैं इसलिए आप बताएं कि जब राष्ट्रीयकरण किया तब रोल पर कितने मजदूर काम करते थे और आज कितने कर रहे हैं।

श्री खुर्शीद आलम खां : मान्यवर, जिस समय यह मिल्स ली थीं तब वहां पार्शियली 5 मिल काम कर रही थीं उसमें 6 हजार 150 मजदूर काम कर रहे थे। लेकिन स्ट्राइक शुरू होने से पहले इन 13 मिलों में कुल एनरोलमैंट 40,039 थी और आज जून, 1986 की स्थिति के अनुसार, जो 13 मिलें हमारे पास चल रही हैं, उनमें से 23,392 आदमी काम कर रहे हैं। बाकी आदमियों को हम इसलिए नहीं ले सके क्योंकि जितनी भी 61 परसेंट या 62 परसेंट वर्केबल कैपेसिटी थी, उसके मुताबिक हमने आदमी ले लिए हैं और वे काम कर रहे हैं।

श्री मुरलीधर माने : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि आपने जिन लोगों को उन मिलों से रिट्रैंच किया है, उनके सामने बहुत सी प्रोबलम्स हैं। इसके अलावा आपने उनको कई सुविधाएं देने की बात कही है, बजट में भी कहा है कि जो लोग रिट्रैंच हुए हैं उनको रिट्रैंचमैंट एलाउंस दिया जाएगा और उसके लिए बजट में आपने प्रावधान भी किया है। उस सबके बावजूद भी आज बहुत से लोग बम्बई की सड़कों पर घूम रहे हैं, उनके घरों में खाने के लिए कुछ नहीं है, उनको प्रोविडेण्ट फण्ड और ग्रेच्युटी आदि का पैसा नहीं मिला है, उनके दूसरे ड्यूज भी अभी तक गवर्नमैंट ने उन्हें नहीं दिए हैं, वे अभी तक जाबलैस घूम रहे हैं। आप कब तक उनके ड्यूज आदि देने का विचार रखते हैं।

श्री खुर्शीद आलम खां : मान्यवर, जैसा मैंने पहले भी कहा, उनमें से 8,698 लोग ऐसे हैं, जिनको अभी तक मजदूरी वगैरह नहीं मिल सकी लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग वे हैं जो अपना केस इंडस्ट्रियल कोर्ट्स में ले गए हैं और जब उनका केस इंडस्ट्रियल कोर्ट्स में जा चुका है तो उसके बाद हमारे लिए यहां पर यूनिलेटरल फैसला करना उचित नहीं है।

श्री मुरलीधर माने : क्या सरकार उनके ड्यूज देने का विचार रखती है, मैं यह जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री गुरुदास कामत : बम्बई के इन कपड़ा मिलों के राष्ट्रीयकरण के मामले को लेकर बहुत उत्तेजना फैली हुई है। राष्ट्रीयकरण किए जाने के बाद बेरोजगार कर्मचारियों का पुनर्वास कराया जाना है, उन्होंने एक बड़ी ही विचित्र समस्या खड़ी कर दी है जिसके परिणामस्वरूप बम्बई की स्थिति बड़ी ही उत्तेजनात्मक हो गई है। मंत्री महोदय ने बड़े ही कपटपूर्ण आंकड़े प्रस्तुत किये हैं। उनको पता है कि सैकड़ों श्रमिक अभी भी बेकार हैं। इन मिलों के राष्ट्रीयकरण करने का मुख्य प्रयोजन यह था कि इन मिलों का कार्यनिष्पादन कारगर सिद्ध हो सके तथा हड़ताल करने वाले श्रमिक का कुछ कल्याण हो जाए। ये श्रमिक अभी भी बेरोजगार हैं। मिल भी अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर रहे हैं। हजारों मामले निर्णयाधीन पड़े हैं। श्रमिकों ने हमसे यह शिकायत की है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम, जो इन मिलों का एकमात्र संरक्षक हैं, राष्ट्रीयकरण किये जाने से पूर्व सेवानिवृत हुए श्रमिकों के मामलों को तय करने के लिए तैयार नहीं हैं। उनका यह कहना है कि राष्ट्रीयकरण किए जाने के बाद इसके प्रति उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है और यदि हां, तो क्या वह इन श्रमिकों की सहायता करेंगे।

श्री खुर्शीद आलम खां : माननीय सदस्य ने अनेक प्रश्न पूछे हैं। सर्वप्रथम मैं उनके अंतिम प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। अधिग्रहण किए जाने से पहले के बहुत समय से अनिर्णीत मामलों का निर्णय इन मिलों के राष्ट्रीयकरण किये जाने के बाद किया जायगा।

श्री भागवत झा आजाद : समय-बद्ध कार्यक्रम होना चाहिये।

श्री खुर्शीद आलम खां : क्या इस प्रश्न का उत्तर मुझे अभी देना होगा ?

यह सच है कि 16647 श्रमिक अभी तक काम पर नहीं लगाये जा सके हैं और जैसाकि मैं पहले ही कह चुका हूं उन मिलों की कार्य करने की क्षमता के अनुसार बहुत सारे श्रमिक लगाये जा चुके है। जब तक इन मिलों की कार्य करने की क्षमता नहीं बढ़ जाती है, तब तक किसी भी और श्रमिक को काम पर लगाना संभव नहीं है।

श्री मुरली देवरा : क्या यह सच है कि क्या सरकार का विचार कपड़ा मिलों के बेरोजगार मजदूरों के लिए एक पुनर्वास निधि प्रतिष्ठापित करने का है ? यदि हां, तो इसके लिए सरकार कितनी राशि का नियतन करेगी ? इससे लाभ प्राप्त करने के लिए एक बेरोजगार श्रमिक की योग्यता निर्धारित करने के क्या-क्या मानदंड होंगे ? राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधीन लिये गये इन तेरह मिलों के तीन वर्ष के अधिक समय तक बेरोजगार रहने वाले श्रमिक इन योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के उपयुक्त माने जाएंगे।

श्री खुर्शीद आलम खां : योजना इस प्रकार है कि इस प्रयोजन के लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं और श्रमिकों ने जो अंतिम वेतन प्राप्त किया है, उसके आधार पर भुगतान किया जायेगा। पहले वर्ष श्रमिक को उसके वेतन का 75 प्रतिशत अंश अदा किया जायेगा दूसरे वर्ष 50 प्रतिशत और तीसरे वर्ष 25 प्रतिशत। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि भुगतान किस तारीख से किया जायेगा, वह 1983 से नहीं होगा।

श्री मुरली देवरा : मैंने 13 मिलों के बारे में पूछा था—क्या इन तेरह मिलों के श्रमिकों को इसका लाभ मिलेगा अथवा नहीं ? आपने इस बात का उत्तर नहीं दिया है।

श्री खुर्शीद आलम खां : इन मिलों में कार्यरत श्रमिकों का भुगतान करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

डा० दत्ता सामंत : (क) वस्त्र नीति का यह नतीजा निकला है। यह स्थिति केवल बम्बई में ही नहीं, बल्कि अहमदाबाद, कानपुर, दिल्ली तथा अन्य स्थानों में भी है। सरकार की वस्त्र नीति के कारण लगभग 1.5 लाख श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं। और इसके संबंध में मेरा स्पष्ट प्रश्न यह है कि मिलों का राष्ट्रीयकरण लगभग $3\frac{1}{2}$ वर्ष पहले किया था और राष्ट्रीयकरण किये जाने से पहले से 4 मिल बंद पड़े थे जिनके बंद होने का कारण हड़ताल नहीं था। यहां तक कि बंद हो जाने के बाद से तीन वर्ष से 18,000 श्रमिक बेरोजगार हैं। इन मिलों की राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा अधिगृहीत किये जाने के बाद भी पिछली अवधि की पूरा उपदान राशि का भुगतान श्रमिकों को नहीं किया गया है। उन्हें वह नहीं मिल पा रहा है। आपने वायदा किया है कि इसका भुगतान किया जाएगा किन्तु जब तक इस राशि का भुगतान किया जाएगा तब तक आधे श्रमिक मर जाएंगे। आपने यह आश्वासन दिया है कि उनकी क्षतिपूर्ति की जायेगी और उन्हें फिर से बसाया जाएगा। (ख) उस आश्वासन का क्या हुआ ? जब लोग मर जाएंगे तब उनकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा ? और अब, महोदय, राष्ट्रीयकृत मिल नई मशीनों से यही कर रहे हैं। और मैं एक विशेष प्रश्न पूछ रहा हूं। अब ठेकेदारी आरम्भ हो गई है। मुझे ऐसे 7 मामलों का पता है जहां ठेकेदारी चल रही है। संघ और सरकार के हाथ के साथ उन्हें ठेके मिल रहे हैं। अतः शहर में कपड़ा श्रमिकों की यह स्थिति है। किस प्रकार शीघ्रातिशीघ्र क्षतिपूर्ति की अदायगी की जायेगी और ठेकेदारी समाप्त की जायेगी ? तीसरा प्रश्न यह है कि उन्हें कब तक पुनः बसाया जाएगा और उनकी क्षतिपूर्ति की जायेगी ?

एक माननीय सदस्य : इस पर आधे घंटे की चर्चा होनी चाहिये।

श्री खुर्शीद आलम खां : जहां तक उपदान का संबंध है, श्रमिकों को उपदान का भुगतान कर दिया गया है और अब तक इस मद में 9 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है तथा अधिग्रहण किये जाने से पूर्व की उनकी कुल सेवा अवधि तक का भुगतान किया जा चुका है।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं। श्री मुरली देवरा के प्रश्न का उत्तर देते समय मंत्री महोदय ने बताया था कि जब मिलों का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा तब उन्हें वे लाभ नहीं मिलेंगे जो उन्हें मिलने चाहिए थे, वे लाभ उन 13 मिलों के श्रमिकों को नहीं

मिल सकेंगे जो अधिगृहीत किये जा चुके हैं। अब, महोदय, क्या यह सच नहीं है कि यदि आप इस प्रकार का रवैया अपनायेंगे, तो दुर्भाग्यवश और व्यर्थ ही में एक राष्ट्रीयकरण-विरोधी दृष्टिकोण विकसित होगा और जो सरकार की सामान्य नीति के लिये हानिकारक होगा? इसलिये, इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्या आप इस दृष्टिकोण पर पुनः विचार करेंगे और राष्ट्रीयकृत मिलों तथा अन्य मिलों के श्रमिकों में अन्तर नहीं समझेंगे।

श्री खुर्शीद आलम खां : महोदय, भेदभाव का प्रश्न ही नहीं है। किन्तु इस क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान करने के संबंध में कोई वर्ष तथा समय निर्धारित किया जाना है।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न, संख्या 22, श्री नारायण चौबे।

श्री नारायण चौबे : महोदय, आप कृपया मेरी मदद करिये।

मेरा प्रश्न पटसन से संबंधित है परन्तु उत्तर···*···नहीं है और नहीं यह सत्य है। (व्यवधान)

श्री राम प्यारे पनिका : यह असंसदीय है। (व्यवधान)

इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल देना चाहिये। यह असंसदीय है। (व्यवधान)

श्री नारायण चौबे : मेरे ख्याल से वह इस बात की आशा लगाये बैठे हैं कि उन्हें मंत्रिमंडल में ले लिया जायेगा। अतः वह बहुत ज्यादा चिंतित हैं : जवाब इस प्रकार है। मुझे एक बंगाली कविता याद है :

"एखान थेके मारलाम तीर,

सामनो कौला गाछे,

झझरिइए रक्तो पड़े,

बोझ गैलो रे बाबा।"

["आई थ्रो एन एरो फ्राम दिस प्लेस;

इट हिट्स ए प्लांटेशन ट्री;

ब्लड स्टार्ट्स फ्लोइंग कांटीन्यूअसली;

ओह, माई फादर, आई लूज माई आई;"]

श्री सोमनाथ रथ : मंत्री जी को जवाब देने दीजिये। प्रश्न तो रखा ही नहीं गया; उन्हें पहले

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

प्रश्न रखना चाहिये।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्वश्चन भी समझ लिया और आंसर भी समझ लिया।

[अनुवाद]

श्री नारायण चौबे : ठीक है, अब मैं प्रश्न रखता हूं। प्रश्न संख्या 22

पी० वी० सी० ग्रेन्यूल का आयात

*22. श्री नारायण चौबे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संश्लिष्ट थैले बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किये जाने वाले 'पी० वी० सी० ग्रेन्यूल' का आयात करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में इसका आयात किया जायेगा; और

(ग) इस आयात का देश के जूट उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त : (क) से (ग) जी, नहीं। पी० वी० सी० ग्रेन्यूल का आयात पहले ही से खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत है। इसका आयात वास्तविक प्रयोक्ता शर्तों के आधार पर वास्तविक प्रयोक्ताओं (औद्योगिक) द्वारा खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत और वास्तविक प्रयोक्ता शर्तों के आधार पर वास्तविक प्रयोक्ता (औद्योगिक) को बिक्री के लिए नीति के अनुसार निर्यात सदनों/व्यापार सदनों द्वारा आर०ई०पी०/अतिरिक्त लाइसेंसों के आधार पर किया जा सकता है।

सामान्य तौर पर हमारे देश में संश्लिष्ट थैलों के विनिर्माण के लिए पी०वी०सी० ग्रेन्यूल का प्रयोग नहीं होता।

श्री नारायण चौबे : महोदय जो कुछ मैंने कहा है मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं चौबे जी से कहना चाहता हूं कि नारायण का सवाल है और ब्रह्म उत्तर देता है, तो ब्रह्म कभी झूठ नहीं बोलता है, यह ध्यान रखें।

[अनुवाद]

श्री नारायण चौबे : मैं कहना चाहता हूं कि ··· (व्यवधान) ···मेरा प्रश्न इस प्रकार है। हमारे पास विदेशी मुद्रा की अत्यधिक कमी है। हमारे देश को विदेशी मुद्रा का लगभग 8000 करोड़ रुपये का घाटा हो चुका है इसके बावजूद भी हम आयात कर रहे हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पी०वी०सी० ग्रेन्यूल की कितनी मात्रा का आयात किया जा रहा है और अगर आप कहते हैं कि आप इसका उपयोग संश्लिष्ट थैले बनाने में नहीं कर रहे हैं तो आप इन थैलों को बनाने के लिए आम तौर पर क्या उपयोग में लाते हैं ? संश्लिष्ट थैलों का निर्माण करने के लिए आप सामान्य रूप में और किस-किस पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं तथा पिछले दो वर्षों में आयात किये गये ग्रेन्यूल की कीमत क्या थी ?

श्री ब्रह्म दत्त : महोदय मेरे पास पी०वी०सी० ग्रेन्यूल उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध हैं। 1983 में इसका उत्पादन 42,211 टन था 1984 में 75,599 टन, 1985 में 98,413 टन। इससे अधिकतर नलियां (पाइप) बनाई जाती हैं न कि बोरियां।

दूसरा प्रश्न उच्च घनत्व पोलिथीन ईथायलीन के बारे में है। इसका उपयोग वास्तव में थैले बनाने में होता है लेकिन इससे बने थैले बहुत कम मात्रा में हमारे देश में उपयोग में लाये जाते हैं।

श्री नारायण चौबे : महोदय, मुझे सही जवाब नहीं दिया गया है।

विदेश तथा वाणिज्य मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : महोदय इन संश्लिष्ट थैलों के लिए ईथीलीन के अलावा प्रोपीलीन भी उपयोग में लाया जाता है।

श्री नारायण चौबे : पश्चिम बंगाल का पटसन उद्योग संकटमय स्थिति में है तथा बहुत सी पटसन की मिलें बंद हो रही हैं। सरकार का कहना है कि वे लोग इन ग्रेन्यूल का आयात कर रहे हैं क्योंकि कच्चे पटसन की कीमत 1984 में काफी ज्यादा हो गई क्योंकि हमारे यहां इसकी ज्यादा बिक्री नहीं होती है इसलिए आपने पटसन के थैले बनाने की बजाय संश्लिष्ट थैले बनाने की शुरुआत की। अब वह समय समाप्त हो गया है। सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि वह अवस्था खत्म हो गई है। हाल ही में हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी पश्चिम बंगाल गये थे उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि पश्चिम बंगाल में जितने भी पटसन का उत्पादन होगा भारतीय पटसन निगम उसकी खरीददारी करेगा। ये भी बातें समाचार-पत्रों में आईं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य, भारतीय कपास निगम के अध्यक्ष का कहना है कि उन्हें अभी तक इस तरह का कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है तथा हमारे कृषि मंत्री, श्री कमल गुहा के अनुसार भारतीय पटसन निगम द्वारा खरीद की जाने वाली पटसन का मूल्य पिछले वर्ष के मुकाबले कम हो सकता है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न कर सकता हूं, क्या प्रधान मंत्री जी द्वारा कहे गये कथन या स्पष्ट रूप में दिए गए आश्वासन को पूरा किया जाएगा कि पश्चिम बंगाल में उत्पन्न हुए सम्पूर्ण पटसन की खरीद भारतीय पटसन निगम करेगा। और यदि हां, तो बाजार में आ रही पटसन को खरीदने के लिए सरकार ने क्या आधारभूत ढांचा अपनाया है ?

श्री ब्रह्म दत्त : महोदय देश में पटसन उत्पादों की खपत बढ़ रही है। 1970-71 में यह 5.20 लाख टन थी तथा 1984-85 में बढ़कर 10.35 लाख टन हो गई। देश में इसकी खपत बढ़ रही है। परन्तु इसका निर्यात संश्लिष्ट थैलों की वजह से कम हुआ है। पटसन उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने वित्तीय, धन सम्बन्धी, प्रशासनिक एवं संवर्धन संबंधी कई कदम उठाये हैं तथा प्रधान मन्त्री जी ने अगर कोई आश्वासन दिया है तो उसे पूरा करने के सभी प्रयास किये जायेंगे।

श्री नारायण चौबे : 'यदि कोई' से आपका तात्पर्य क्या है ? (व्यवधान)

श्री ब्रह्म दत्त : सभी प्रयास किए जाएंगे···(व्यवधान)

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : सबसे पहले मुझे यह बात स्पष्ट करने दीजिए। मैंने यह नहीं कहा था कि पश्चिम बंगाल में पैदा होने वाले सम्पूर्ण पटसन की खरीद हम करेंगे। मैंने कहा था : "जितना भी पटसन भारतीय कपास निगम को खरीद करने के लिए कहा जाएगा हम उसकी खरीद करेंगे।" इसमें फर्क है। हम इसे समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे तथा हम उस वचन पर अटल रहेंगे।

(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : आश्वासन दिया गया है···(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : इसीलिए मैंने कहा है, भारतीय पटसन निगम को खरीद करने के लिए कहा गया।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : आपने भारतीय पटसन निगम···के बारे में नहीं कहा।

श्री राजीव गांधी : मैंने कहा है, 'पटसन निगम'।

श्री वसुदेव आचार्य : आपने कहा था कि भारतीय पटसन निगम पश्चिम बंगाल में उत्पन्न हुई सम्पूर्ण पटसन की खरीद करेगा।

श्री राजीव गांधी : मैंने कहा था जे० सी० आई०, पटसन निगम। (व्यवधान)। कौन इसकी खरीददारी करेगा। मैं तो वहां पर खरीद करने नहीं जाऊंगा। स्वाभाविक ही है कि भारतीय पटसन निगम वहां पर इसकी खरीद करेगा। (व्यवधान)

यह सच है कि पटसन की खरीद के लिए हमने भारतीय पटसन निगम की स्थापना की है खाद्य निगम पटसन की खरीद नहीं करेगा। (व्यवधान)। मैं नहीं समझता इसमें क्या कठिनाई है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शांत हो जाइए।

श्री राजीव गांधी : मैंने स्पष्ट रूप से बता दिया है और मैं इसे फिर से दोहरा देता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह तो साधारण बुद्धि की बात है। इस पर ज्यादा बहस करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न सिर्फ यह है कि पटसन कौन खरीदेगा तथा किस एजेंसी के माध्यम से खरीदा जायेगा। कितनी आसान सी बात है।

श्री नारायण चौबे : भारतीय पटसन निगम।

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है भारतीय पटसन निगम।

श्री राजीव गांधी : मैं अपने कथन पर अटल हूं। भारतीय पटसन निगम को जितना भी पटसन खरीदने के लिये कहा जाएगा वह उसे समर्थन मूल्य पर खरीदेगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई चर्चा नहीं। शांति। बीच-बीच में मत बोलिये।

सैयद शाहबुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है वह बिहार, असम तथा उड़ीसा पर भी उतना ही मान्य है जितना कि पश्चिम बंगाल के लिये। परंतु अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि पटसन उत्पादकों द्वारा भारतीय पटसन निगम को जो कीमत बताई जाती है वह इस बात पर निर्भर करती है कि भारतीय पटसन निगम के पास क्या आधारभूत सुविधाएं हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं···

सैयद शाहबुद्दीन : एक मिनट के लिए मेरी बात सुनिये। अगर बिहार राज्य में भारतीय पटसन निगम के कुल 12 केन्द्र हैं तथा प्रत्येक केन्द्र पटसन उत्पादक किसानों के स्थान से सैकड़ों किलोमीटर दूर है तथा फसल के बाद किसानों को तुरन्त पैसे की आवश्यकता होती है और यदि भारतीय पटसन निगम अपने बुनियादी ढांचे का विस्तार नहीं करती तथा इसकी सुविधाएं किसानों के घर तक नहीं उपलब्ध कराती तो प्रधान मंत्री जी द्वारा दिया गया आश्वासन किस तरह से प्रभावी या कार्यान्वित होगा ? अतः मेरा प्रश्न है क्या भारतीय पटसन निगम अपनी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने के लिए आवश्यक कदम उठाये हैं, क्या उसके पास पर्याप्त कर्मचारी हैं और क्या हमने आवश्यक खरीद केन्द्र खोले हैं तथा किसानों से पटसन की खरीद किये जाने के लिये क्या उनके पास पर्याप्त धन की व्यवस्था है ?

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री राजीव गांधी : मुझे बताया गया है कि इसकी खरीद भारतीय पटसन निगम तथा

स्थानीय राज्य सहकारी समितियों द्वारा मिलकर की जाती है, तथा बंगाल में काफी संख्या में इसके केन्द्र हैं।

सैयद शाहबुद्दीन : बिहार के बारे में आपको क्या कहना है ?

श्री राजीव गांधी : बिहार में भी ये काफी संख्या में उपलब्ध हैं।

सैयद शाहबुद्दीन : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आशा है कि प्रधान मंत्री जी इस बात की जांच करवाएंगे और यह पता लगाएंगे कि प्रत्येक पारम्परिक झोंपड़ी एवं भारतीय पटसन निगम खरीद केन्द्र के बीच कितनी दूरी है। इसमें 40 से 50 किलोमीटर का अन्तर है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बस यही बात है।

श्री शरत देब : महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का ध्यान उड़ीसा राज्य की ओर दिलाना चाहता हूं। भारतीय पटसन निगम राज्य सहकारिता समितियों से पटसन खरीदे यह मुमकिन नहीं है। क्या प्रधान मंत्री जी इस संबंध में आवश्यक कदम उठाएंगे कि भारतीय पटसन निगम राज्य सहकारी समितियों से पटसन की खरीद करे ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : अगर उड़ीसा में किसानों से पटसन खरीदे जाने की बात है तो इस पर विचार किया जा सकता है।

त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर सामान जब्त किया जाना

*23. श्री टी० बशीर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा यात्रियों से जब्त किये गये सामान का मुख्य-मुख्य ब्योरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि में जब्त किये गये सामान की बिक्री से कितनी राशि प्राप्त हुई; और

(ग) निपटाये न गये सामान का मूल्य कितना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) 1983, 1984 तथा 1985 के विगत तीन वर्षों के दौरान त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर

सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा यात्रियों से पकड़े गए माल के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(मूल्य : लाख रुपयों में)

पकड़ी गई जिन्स का नाम	वर्ष		
	1983	1984	1985
सोना	30	71.58	270.50
कपड़े	105	56.05	21.81
घड़ियां	18	7.69	3.39
भारतीय और विदेशी मुद्रा	3	4.47	8.92
असबाब की विविध वस्तुएं	59	46.02	65.43
जोड़ :	215	185.81	370.10

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान, त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर जब्त किये गये माल को बेचकर प्राप्त की गई कुल राशि इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

वर्ष	वसूल की गई राशि
1983	49
1984	47.44
1985	165.80

(इन आंकड़ों में उपर्युक्त अवधि के दौरान टकसाल में जमा कराये गये सोने का मूल्य शामिल नहीं है।)

(ग) 30-6-1986 की स्थिति के अनुसार, त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर स्टाक में पड़े/पकड़े गये/जब्त किए गए माल का मूल मूल्य 3.10 करोड़ रुपये है।*

(*आंकड़े अनन्तिम हैं)

श्री टी० बशीर : महोदय, सदन पटल पर रखे गये वक्तव्य को मैंने पढ़ा है। तथा मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने जो सामान जब्त किया है उसमें वृद्धि हुई है। परन्तु माननीय मंत्री जी का ध्यान यात्रियों को हो रही असुविधा की ओर दिलाना चाहता हूं विशेषरूप में उन लोगों को जो खाड़ी के देशों में काम करते हैं तथा विदेशों में कार्यरत हैं। जब चार या पांच वर्षों के बाद ये लोग अपनी जन्मभूमि पर वापस आते हैं तो सीमा-शुल्क अधिकारी उन्हें बिना वजह परेशान करते हैं तथा सच तो यह है कि इस क्षेत्र में अत्यधिक भ्रष्टाचार है। मैं कहूंगा कि यह अनावश्यक रूप में परेशान करना तथा प्रचलित भ्रष्टाचार दोनों एक-दूसरे से संबंधित हैं। मैं जानना चाहूंगा क्या सरकार इस स्थिति से अवगत है। यदि हां, तो यात्रियों को अनावश्यक रूप में तंग किये जाने विशेष रूप में विदेशों में कार्य कर रहे लोगों को एवं वहां प्रचलित भ्रष्टाचार को रोकने के लिये सरकार क्या प्रभावी कदम उठाने पर विचार कर रही है।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं माननीय सदस्य की चिन्ता से सहमत हूं। जहां अभी भी भ्रष्टाचार है हमें उन भ्रष्टाचार फैलाने वालों को पकड़ना है तथा उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। माननीय सदस्य इस बात से अवगत होंगे कि भारत सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध पहले ही कार्यवाही कर चुकी है तथा भ्रष्ट अधिकारियों के घरों पर छापे मारे जा चुके हैं। जब कभी भी यह देखा जाता है कि ये लोग अपनी हैसियत से ज्यादा अच्छी तरह रह रहे हैं तो उस मामले में भी कार्यवाही की जाती है। हम किसी भी व्यक्ति को माफ नहीं करेंगे। साथ ही विशेषरूप में त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर ऐसा अवश्य होगा। वहां पर यात्रियों को होने वाली परेशानी को कम करने के लिए हमने कदम उठाये हैं।

जन सम्पर्क अधिकारियों को वहां तैनात किया गया है और वे यात्रियों की सहायता करते हैं। सूचना-पटों पर बैगेज नियमों के महत्वपूर्ण उपबन्धों को दर्शाया गया है।

हमने ये सभी उपाय किये हैं। मैं इस बारे में सतर्क हूं कि जब विभाग कार्यवाही कर रहा है, तो अधिकारियों के लिए अपना दायित्व निभा पाना भी कठिन हो जाता है और अधिकारियों का कार्य राजस्व इकट्ठा करना भी होता है। जब नियमों का उल्लंघन हो रहा हो तो उनके द्वारा किसी को भी छोड़ा नहीं जायेगा। अतः हमें सन्तुलन रखना होता है। यहां हमें विश्वासघातियों के विरुद्ध कार्यवाही करनी होती है और इन अधिकारियों को बिना डर और दखल के कार्य करने दिया जाता है।

श्री टी० बशीर : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि पिछले सत्र में, हमारे माननीय मंत्री ने सभा में कहा था कि सरकार बैगेज नियमों को उदार बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। हमारे हजारों लोग विदेशों में विशेषकर खाड़ी के देशों में कार्यरत हैं। उन्हें इनकी सुविधा मिलनी चाहिए। मैं महसूस करता हूं कि विशेषकर जो लोग बाहर से यहां रहने आते हैं उन्हें उदार बैगेज नियमों का लाभ मिलना चाहिए। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि बैगेज नियमों को उदार बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं। अगर आपने उपाय किये हैं तो ये कब तक प्रभावी होंगे ?

श्री जनार्दन पुजारी : ये प्रावधान पहले ही हैं। जो लोग अपनी नौकरी समाप्त होने पर विदेशों से यहां वापस आते हैं उन्हें सुविधाएं दी जाती हैं।

अगर कोई व्यक्ति एक वर्ष से अधिक समय तक विदेश में रहता है और उसके द्वारा कम-से-कम छह माह तक घरेलू वस्तुओं को प्रयोग में लाया गया है तो उसे 5,000 रुपये के मूल्य के घरेलू सामान लाने की उस समय अनुमति दी जाती है जब वे यहां आते हैं।

अगर कोई व्यक्ति दो वर्ष विदेश में रहने के पश्चात् स्थायी रूप से भारत में बसने के लिए आता है तो उसे उन सभी घरेलू वस्तुओं को बिना शुल्क लाने की अनुमति प्रदान की जाती है, जोकि वह पिछले एक वर्ष से प्रयोग कर रहा था।

उन्हें केवल रेफ्रिजरेटर, एयरकंडीशनर, डीप-फ्रीजर, जोकि कोल्ड-स्टोरेज के रूप में प्रयोग किए गए हों, पर थोड़ा सा शुल्क अदा करना होता है।

माननीय सदस्य ने कुछ सुझाव दिये हैं और हम इन सुझावों पर विचार करेंगे।

श्री टी० बशीर : माननीय मन्त्री का क्या आश्वासन है ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं। अगला प्रश्न।

श्री अमिताभ बच्चन : जब ये कर्मकार एक वर्ष की नौकरी के पश्चात विदेशों से वापस आते है तो उन्हें 'फ्री बैगेज छूट' करीब 1200 रु० मिलती है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इसे 5,000रु० तक बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इन मजदूरों को वहां कई मुश्किलों को झेलते हुए कठिन परिश्रम करना होता है। अगर वे अपने रोजमर्रा की प्रत्येक वस्तु को हमारे देश में लाना चाहें तो, क्या मन्त्री उन्हें ऐसी अनुमति देने पर विचार करेंगे ?

श्री जनार्दन पुजारी : यह सही है कि 'फ्री बैगेज छूट' 1250 रु० है। 2,000 रु० तक शुल्क 170% है और 2,000 रु० के पश्चात शुल्क की दर 240% है। हमें अपनी विदेशी मुद्रा की मुश्किलों को भी ध्यान में रखना होता है। अगर माननीय सदस्य अन्य विकसित देशों से 'फ्री बैगेज छूट' से तुलना करें तो वह पायेंगे कि अमेरिका में भी यह मुफ्त छूट मात्र 100 डालर ही है।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : जब्त किये गए कुल 370 लाख रु० के माल में से 270 लाख रु० का सोना ही था। 1984 में यह 71 लाख रु० था। 1985 में 270 लाख रु० और 1983 में 30 लाख रु० था। अनुमानत: देश में प्रतिवर्ष करीब 70 से 90 टन सोने की तस्करी की जाती है। 1985 में इसके बढ़कर 185 टन हो जाने का अनुमान है। वास्तव में कलकत्ता में 5 यात्री सोने को अपने पेट में निगलते हुए पकड़े गए। हाल ही में 'हिन्दू ने यह लिखा है कि सोने के अन्तर्राष्ट्रीय दाम में अन्तर के कारण देश में बड़े पैमाने पर इसकी तस्करी की जा रही है बम्बई में महिलाओं को सोने की तस्करी के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए, सरकार सोने की नीति पर पुनर्विचार करेगी ?

प्रो० मधु दण्डवते : आप बम्बई का नाम क्यों बदनाम करते हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जो इन सभी पहलुओं पर विचार करेगी। सरकार उस समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही है।

श्री बप्पन थामस : जो सामान जब्त किया जाता है, उनके निबटाने के बारे में, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। सीमा शुल्क प्राधिकारी सामान को जब्त कर उसे अपनी खुदरा दुकानों के माध्यम से बेच देते हैं। अत: जो सामान पकड़ता है, वह खुद ही उसका खरीददार बन जाता है। अत: वे जिन्सों के दाम निश्चित करते हैं और उन्हें बेच देते है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार इस बारे में विचार करेगी कि सीमा शुल्क प्राधिकारियों को इन जिन्सों को उनके खुदरा डिपो से बचने से रोका जाए और इन सारी जिन्सों को सुपर बाजार, प्राइमरी स्टोरों आदि को बेचने के लिए दे दिया जाए ताकि उन्हें 20%या 25%की राजसहायता दी जा सके जिससे कि सहकारी संस्थाओं को अपना कारबार चलाने में सहायता दी जा सके।

श्री जनार्दन पुजारी : यह सुझाव अच्छा है। हम इस पर विचार करेंगे ?

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : खाड़ी के देशों में हमारे लोग जो कार्यरत हैं, वे एक या दो वर्षों में देश में आते हैं, वे अपने प्रयोग के लिए कुछ बर्तन आदि लाते हैं। उनके साथ पर्यटकों से भिन्न व्यवहार किया जाना चाहिए। पिछले सत्र में मन्त्री महोदय ने इन मामलों पर अलग से विचार करने का वायदा किया था। क्या सरकार सभी यात्रियों की बजाय इन लोगों के मामले पर अलग से विचार कर इनको मिलने वाली मुफ्त छूट की मात्रा बढ़ाने पर विचार करेगी।

श्री जनार्दन पुजारी : हमने पहले ही कहा है कि जो लोग वहां रह रहे हैं और नौकरी समाप्त होने पर स्थायी रूप से भारत में रहने के लिए वापस आते हैं। उन्हें एक वर्ष से अधिक समय से प्रयोग में लाए गए घरेलू-सामान को लाने की अनुमति दी जाती है। जैसा कि मैंने कहा है, कि कुछ मामलों को छोड़कर सारा सामान लाने की अनुमति दी जाती है।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : मैं उन लोगों के बारे में नहीं पूछ रहा हूं जो स्थायी रूप से रहने के लिए भारत में आते हैं। जो लोग एक या दो वर्षों के पश्चात भारत आते हैं और अपने परिवार के सदस्यों के लिए कुछ सामान लाते हैं, तो उन्हें उन पर्यटकों से अलग क्यों नहीं समझा जाना चाहिए। जो अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं बल्कि सामान बेचने के लिए लाते हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मुझे खेद है। इस सुविधा का सभी दुरुपयोग करेंगे।

—(व्यवधान)—

राष्ट्रीय कपड़ा निगम का पुनर्गठन

25. श्री शरद दिघे : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) जी, इस समय नहीं।

श्री शरद दिघे : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया है कि सरकार का अभी राष्ट्रीय कपड़ा निगम के पुनर्गठन का कोई विचार नहीं है। पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समय राष्ट्रीय कपड़ा निगम का कोई अध्यक्ष ही नहीं है। वर्तमान ढांचे में निगम का एक अंशकालिक अध्यक्ष और एक पूर्णकालिक प्रबन्ध निदेशक है। वर्तमान अंशकालिक अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और उसे सप्ताह के आधार पर रखा हुआ है। जहां तक प्रबन्ध-निदेशक का सम्बन्ध है उन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया है और वस्त्र मन्त्रालय के संयुक्त-सचिव इस निगम का कार्य देख रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जिसमें सभी स्तरों पर कार्य में गिरावट आई है, क्या सरकार शीघ्र ही इस निगम के पुनर्गठन करने पर विचार करेगी ?

श्री खुर्शीद आलम खां : पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम के कार्य-करण में कोई गिरावट नहीं आई है। हाल ही में निगम के प्रबन्ध-निदेशक ने त्यागपत्र दिया है और हमने पहले ही सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड को इस निगम के लिए एक अध्यक्ष प्रबन्ध निदेशक के चयन के लिए लिखा है। इस बारे में निर्णय ले लिया गया है कि अब अंशकालिक अध्यक्ष नहीं रखा जाएगा। निगम का प्रमुख अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक होगा।

श्री शरद दिघे : मंत्री महोदय ने कहा है कि निगम के कार्य में गिरावट नहीं आई है। क्या यह सत्य है कि राष्ट्रीयकृत मिलों को 1982-83 में 78.05 करोड़ रु०, 1983-84 में 137.6 करोड़ रु० और 1984-85 में 168.76 करोड रु० का घाटा हुआ है ? इसके अलावा जिन मिलों का प्रबन्ध सरकार के हाथ में है, उनके इन्हीं वर्षों के आंकड़े 17.87 करोड़ रु०, 27.18 करोड़ रु० और 50.10 करोड़ रु० थे। क्या मन्त्री अब स्वीकार करेंगे कि इस निगम के कार्य में गिरावट आई है ?

श्री खुर्शीद आलम खां : श्रीमन, इसमें कोई शक नहीं है कि माननीय सदस्य ने जो आंकड़े दिए है वे सही हैं, लेकिन उन्हें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमने निजी क्षेत्र के कुप्रबन्ध और अनदेखी करने पर ही इन रुग्ण मिलों का अधिग्रहण किया था। हम इन्हें पुनः अर्थक्षम करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं। 1984-85 में इन राष्ट्रीयकृत मिलों में 172 करोड़ रु० का घाटा हुआ था, जबकि 1985-86 में इनमें मात्र 128 करोड़ रु० का ही घाटा हुआ। अतः कुछ सुधार हुआ है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं माननीय मन्त्री जी से यह कहना चाहता हूं कि टैक्सटाइल मिलों में मिसमैनेजमेंट होने की वजह से आप उनको नेशनेलाइज करते हैं और इसलिए करते हैं कि

उनके मैनेजमेंट में सुधार हो लेकिन एन०टी०सी० के टैक्सटाइल मिल जो नेशनेलाइज किये गए हैं, उन *में वही का वही मिसमैनेजमेंट चल रहा है। मैं आपको उदयपुर कोटन* टेक्सटाइल मिल का उदाहरण देता हूँ। उदयपुर का जो कोटन टैक्सटाइल मिल नेशनेलाइज किया गया, उसमें मैनेजमेंट वही का वही चल रहा है और पुराने तरीके से अभी भी वह काम कर रहा है। हमारी यूनियन का वहां पर बहुमत है लेकिन उसको वह स्वीकृति नहीं देता है, उसको मान्यता नहीं देता है। इस प्रकार का मिसमैनेजमेंट आपके एन० टी० सी० के टैक्सटाइल मिलों में अभी तक चल रहा है। इसको सुधारने की क्या आप कोई व्यवस्था करेंगे और खासतौर से उदयपुर कोटन टैक्सटाइल मिल के बारे में ?

श्री खुर्शीद आलम खां : अगर यूनियन का झगड़ा है, तो इस पर अलग से बात की जा सकती हैं। माननीय सदस्य को यह मालूम होना चाहिए कि टैक्सटाइल इंडस्ट्री में मैनेजमेंट की वाकई बड़ी कमी है पर हमेशा इस इन्डस्ट्री में फैमीली मैनेजमेंट रहा है और अगर कोई अच्छा मैनेजर होता है, तो प्राइवेट सेक्टर में उसको बहुत ज्यादा तनख्वाह मिलती है और पब्लिक सेक्टर में हम उसको उतना नहीं दे सकते और इसलिए उसको एट्रेक्ट नहीं कर सकते लेकिन मैं माननीय सदस्य को यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि हर मुमकिन यह कोशिश की जाएगी कि जो हालात पहले थे, उससे बेहतर उनको बनाया जाए।

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या सरकार देश में बिना बिके कपास के जमा हो जाने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय कपड़ा निगम की गतिविधियों के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने का विचार करेगी, ताकि किसानों के हितों की रक्षा की जा सके ? आज निगम उतनी ही कपास खरीदती है, जितनी राष्ट्रीयकृत कपड़ा मिलो के लिए आवश्यक है, हम चाहते हैं कि निगम निर्यात भी करे, ताकि हमारे किसानों को स्थानीय व्यापारियों की दया पर न रहना पड़े।

श्री खुर्शीद आलम खां : महोदय, मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहूंगा कि सी०सी०आई० न केवल एन०टी०सी० मिलों की जरूरत के लिए बल्कि निर्यात के उद्देश्य से भी खरीद करता है और सी०सी० आई० निर्यात करता रहा है और इस वर्ष भी इसने दो लाख से अधिक गांठों का निर्यात किया है। वास्तव में इसने 10 लाख गांठों का निर्यात करना नियत किया है और लगभग 5 लाख गांठों का पहले ही सौदा हो चुका है। हम और अधिक गांठों का निर्यात करने का प्रयास जारी रखेंगे। इसके अलावा हमने धागे के निर्यात की अपनी दीर्घकालीन नीति की भी घोषणा की है और मुझे आशा है कि इस नीति के परिणामस्वरूप हम अधिक कपास की खपत करने योग्य बन सकेंगे तथा और अधिक धागे का निर्यात कर सकेंगे।

रिलायेंस कम्पनी समूह द्वारा नियंत्रित कंपनियों को बैंकों से ऋण

*26. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही
श्री इन्द्रजीत गुप्त } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 17 बैंकों ने रिलायेंस कम्पनी समूह द्वारा नियंत्रित कम्पनियों को 100 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि के ऋण प्रदान किये थे, जिसका उपयोग इन कम्पनियों द्वारा अपनी ही प्रतिभूतियां और डिबेंचर खरीदने के लिए किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके बारे में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) :

विवरण

(क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि प्राप्त सूचना के अनुसार, 9 बैंकों ने रिलायेंस इंडस्ट्रीज लि० के शेयरों/ऋण पत्रों के बदले 63 कम्पनियों को, जिन्हें रिलायेंस इंडस्ट्रीज लि० से सम्बन्धित कंपनियां बताया जाता है, कुल 59.28 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किए थे। शुरू में की गई जांच के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 36 के साथ पठित धारा 35 और 35-क तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों और भारतीय रिजर्व बैंक में निहित अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक समिति का गठन किया है, जिसके विचारणीय विषय ये हैं :

(i) वर्ष 1985 के दौरान विभिन्न बैंकों द्वारा रिलायेंस इंडस्ट्रीज लि० के शेयरों/ऋण पत्रों की प्रतिभूति के बदले दिए गए उक्त अग्रिमों से सम्बन्धित परिस्थितियों की जांच करना;

(ii) यह तय करना कि क्या उपर्युक्त अग्रिम मंजूर करते समय बैंकों या किसी बैंक ने सामान्य बैंकिंग पद्धति और प्रक्रिया के अनुरूप कार्य किया है या नहीं और विशेष रूप से शेयरों/ऋण पत्रों की प्रतिभूति के बदले दिए गए अग्रिमों को विनियमित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों और मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन किया है या नहीं।

(iii) यह तय करना कि क्या ऋण मंजूर करने वाले सम्बद्ध प्राधिकारियों द्वारा उक्त

अग्रिम उन्हें दी गई शक्तियों के अन्तर्गत मंजूर किए गए थे या नहीं और क्या ऐसे अग्रिमों के मामले में कोई अनियमितताएं अथवा कोई अनौचित्य था या नहीं।

(iv) व्यापार और उद्योग सहित बैंकिंग प्रणाली के हितों को ध्यान में रखते हुए, इस बात पर विचार करना कि क्या शेयरों/ऋण पत्रों के बदले बैंक अग्रिमों को विनियमित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों और मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन या परिवर्तन करने की आवश्यकता है या नहीं।

(v) समिति को सौंपे जाने वाले ऐसे किसी सम्बद्ध मामले पर विचार करना।

समिति से दो महीने के अन्दर-अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : महोदय, क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि क्या वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक को रिलायेंस समूह के उद्योगों के मामलों में जांच करने के निर्देश दिए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले एक अंतरिम प्रतिवेदन दिया था और उस अंतरिम प्रतिवेदन में उसने स्वीकार किया है तथा पुष्टि की है कि रिलायेंस समूह द्वारा डिबेंचरों के बदले में बैंकों से भारी ऋण लिए गए हैं। अंतरिम प्रतिवेदन देने के बाद उनसे अंतिम प्रतिवेदन देने के लिए कहा गया है और उन्होंने अब अंतिम प्रतिवेदन दे दिया है। अंतिम प्रतिवेदन में भी उन्होंने इसकी पुष्टि की है। क्या मैं माननीय मंत्री से पूछ सकता हूं कि रिलायेंस समूह के उद्योगों को क्या और भी अग्रिम राशियां प्रदान की गयी हैं? 1985 में दी गयी राशि 59.28 करोड़ रुपये थी। 1984, 1983 तथा 1982 में इन बैंकों द्वारा और कितनी अग्रिम राशियां दी गयी थीं? महोदय, उन्हें अग्रिम राशियां देने की क्या आवश्यकता थी? मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या दोनों, अंतरिम और अंतिम प्रतिवेदन, सभा-पटल पर रखे जायेंगे ताकि हम ज्ञात कर सकें कि मामले की जांच करने के क्या कारण हैं। इसके अतिरिक्त, मेरे विचार से सरकार इस मामले की जांच के लिए एक और समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है। पहले ही समिति ने दो प्रतिवेदन दे दिये हैं। इस मामले के लिए एक और समिति बनाने का क्या कारण है?

वित्त मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : महोदय, पहला सवाल यह है कि रिलायेंस समूह के उद्योगों को बैंकों द्वारा ऋण दिए जाने के मामले की जांच के लिए एक और समिति क्यों नियुक्त की गयी थी। जैसे ही प्रैस में खबरें आयीं, आर०बी०आई० ने बैंकों के विभिन्न खातों के बारे में प्राथमिक जांच की और उसका जो निष्कर्ष निकला वह यह था कि लगभग 59.28 करोड़ रुपये 19 5 में 9 बैंकों द्वारा इस कम्पनी को अग्रिमों के रूप में दिए गए थे। यद्यपि ऋण खाते की संख्या 187 थी फिर भी जिन कंपनियों को यह दिया गया वह केवल 63 थी। आर०बी०आई प्रतिवेदन में कहा गया है कि अग्रिमों के लिए दिये गये प्रस्तावों का बैंकों द्वारा ठीक से मूल्यांकन नहीं किया गया। कई कम्पनियां तो थोड़ी सी पूंजी से हाल ही में, 1984-85 में, स्थापित की गयी थीं और कतिपय मामलों में मात्र 1000 रुपये या 10000 रुपये से शुरूआत की गयी थी और 95 लाख रुपये की रकम उधार ली हुई थी। कुछ कंपनियों ने जो यद्यपि पहले स्थापित हो चुकी थी, इन बैंकों के पास आर० आई०एल० के शेयरों और डिबेंचरों के बदले में केवल 'वन-टाइम फैसीलिटी' के लिए अनुरोध किया था, लेकिन बैंकों

ने पहले वाले बैंकरों से राय प्राप्त नहीं की जबकि आवेदन पत्रों में कंपनियों के नाम दर्शाये गये थे। कई कंपनियों का पंजीकृत पता 222, मांकन चैंबर, चौथा तल, नारीमन प्वाइंट, बम्बई—400021. दर्शाया गया था। लेकिन यह पता रिलायेंस इंडस्ट्रीज लि० का है। जब आर०बी०आई० के एक जांच अधिकारी ने इस परिसर का दौरा किया तो ऋण लेने वाली कंपनियों के नाम वहां पर नहीं थे। और न ही ऐसी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारी वहां मौजूद थे। कुछ मामलों में यह दर्शाया गया था कि कंपनियों के निदेशक आर० आई० एल० के कर्मचारी थे। कई मामलों में, यद्यपि आर०आई०एल० के साथ कंपनियों के सम्बन्ध नहीं बताये गये थे, लेकिन बैंकों में खाते आर०आई०एल० या अम्बानिस द्वारा कराये गये परिचय से खोले गये थे।

दूसरा निष्कर्ष यह निकला था कि अग्रिमों को सितम्बर-अक्तूबर 1985 में दिया गया था। उस समय तक आर०आई०एल० की एफ सीरीज बन्द हो चुकी थी। केवल बी०सी०सी०आई० के मामले में डिबेंचरों के आवंटन के बदले में ऋण स्वीकृत किये गये थे। बैंकों ने उधार दी गई धन-राशियों का अंतिम उपयोग सुनिश्चित नहीं किया। अधिकांश मामलों में धनराशियों को सैल्फ चैकों द्वारा निकाला गया या सिंडिकेट बैंकों में अन्य सम्बन्धित कंपनियों के खातों में अन्तरित किया गया। इसके अतिरिक्त एक कम्पनी से दूसरी तथा आर० आई० एल० के खाते में बार-बार अन्तरण किया जाना नोटिस में आया।

जहां तक आर०बी०आई० के निर्देश का सम्बन्ध है, उस निर्देश में अन्य बातों के अतिरिक्त दो मुख्य बातें थीं, पहली यह कि शेयरों के बदले में अग्रिम पांच वर्ष से अधिक समय के नहीं होंगे। बैंकों ने इसका अनुसरण किया है, यह पांच वर्ष से कम है। इसके साथ ही आर०बी०आई० का एक निर्देश यह था कि ऋण के बारे में अपनी नीति की व्याख्या करते समय, आर०बी०आई० को इस बात की अधिक चिंता है कि अग्रिम किस उद्देश्य के लिए है बजाय इसके कि अग्रिम किस आधार के बदले में दिये जायें। शेयरों के बदले में अग्रिमों के प्रस्तावों पर विचार करते समय बैंकों को ऋण सुविधाओं की प्रकृति, उद्देश्य तथा अंतिम उपयोग पर प्राथमिक रूप से ध्यान देना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बैंकों से प्राप्त वित्त सुविधा का उपयोग सट्टेबाजी तथा गैर-सामाजिक उद्देश्यों के लिए नहीं हो। आर०बी०आई० का इस बारे में निष्कर्ष था कि जहां तक ऋण किस्तों को वापसी की गारंटी का सवाल है, बैंकों ने अधिकतर ऋण इस शर्त पर दिये थे कि वे $2\frac{1}{2}$ वर्ष में छमाही किस्तों में वापस चुकाये जाएंगे। फिर भी, आर०आई०एल० से सम्बन्धित कंपनियों को आर०आई०एल० के शेयरों के बदले में तथा आर०आई०एल० के शेयरों को खरीदने के उद्देश्य से- शायद नियंत्रण हितों को मजबूत करने के ख्याल से, बड़ी राशियों के अग्रिम मंजूर करके बैंकों ने हमारे निर्देशों की इस भावना को पूरा नहीं किया कि अग्रिम समान्य तौर पर वास्तविक उत्पादकता गतिविधि को बढ़ाने के लिए दिये जायें।

क्योंकि यह एक प्राथमिक प्रतिवेदन तथा एक प्राथमिक जांच थी इसलिए हमने सोचा कि एक पूर्ण समिति इस मामले की विस्तार से जांच करने के लिए बनायी जाये।

इसके बाद के अन्य अग्रिमों के बारे में मेरे पास सही आंकड़े नहीं हैं क्योंकि बैंकिंग कार्यकलाप

संपूर्ण देव में फैला हुआ है।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : हम माननीय मंत्री का धन्यवाद करते हैं कि वे समस्या से अवगत हैं और उन्होंने हमें सारा विवरण दिया है। आर०बी०आई० ने अपना अंतिम प्रतिवेदन भी दे दिया है, और उसने इस प्रश्न पर भी विचार किया है और कहा है कि डिबेंचरों के बदले में अग्रिम देना बैंकों के अधिकार में नहीं था। सरकार ने भी डिबेंचरों के बदले में ऋण देने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबन्ध आदेश जारी हो चुका है। अगर सरकार का पूरी तरह से शंका समाधान हो चुका है कि इन सभी ऋणों को सट्टेबाजी के उद्देश्य के लिए प्रयोग किया—वास्तव में, नाम दिये गये हैं और यह पाया गया है कि यह सब धोखेबाजी थी—, ऐसी स्थिति में, सरकार को इस पर तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए। सरकार इन तथ्यों को अच्छी तरह से जानती है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जो समिति बनाई गयी है वह ऋण राशि के अंतिम उपयोग के प्रश्न पर विचार करेगी तथा वह इस मामले पर भी विचार करेगी कि क्या बैंकों ने आर०बी०आई० के द्वारा जारी निर्देशों के बाहर जाकर कार्य किया है। समिति को सौंपे गये मामलों का यह एक अंग हैं और इस पर गौर किया जायेगा।

श्री भागवत झा आजाद : बैंकों के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से रिलायेंस इंडस्ट्रीज लि० का जो घोटाला हुआ है उसके बारे में मंत्री महोदय ने जो सूचना दी है तथा इससे जो गंदगी फैली है उसको ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय सुनिश्चित करेंगे कि विस्तृत जांच के लिए जो समिति स्थापित की गयी है वह अपराधियों को बचने के लिए समय देने वाले साधन के तौर पर प्रयोग नहीं होगी। क्या यह सत्य नहीं है कि पर्याप्त साक्ष्य रिकार्ड में है, जो मंत्री ने स्वयं दिया है, जिससे इस मामले के अपराधियों के खिलाफ अभियोजन चलाया जाना चाहिए? क्या सरकार अपराधियों के राजा का पता लगा सकी है जिस पर पहले मुकदमा चलाया जाना चाहिए?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : समिति के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम रखा गया है। यह समय दो माह है। क्योंकि आर०बी०आई० ने कहा है कि यह एक प्राथमिक जांच थी, यह उचित समझा गया कि इस मामले पर संपूर्ण रूप से जांच की जानी चाहिए और इस समिति को इस कार्य के लिए दो माह का समय दिया गया है। मेरे विचार से यह माननीय सदस्य की चिंता का समाधान करता है। जहां तक राजा या गरीब, जो भी हो, का सवाल है उनसे कानून के अनुसार निपटा जायेगा।

भारतीय रुपए की समता दर में गिरावट

***27. श्री मुरली देवरा :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अमरीकी डालर, पाउण्ड स्टर्लिंग, जर्मन मार्क और जापानी येन जैसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राओं की तुलना में भारतीय रुपए की समता दर में कितना उतार-चढ़ाव आया है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि समता दर में निरन्तर गिरावट आने के कारण आयातकों, विशेषकर पूंजीगत माल और थोक कच्चे माल के आयातकों को भारी हानि हुई है; और

(ग) इस स्थिति पर नियंत्रण करने व इससे निपटने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के आरंभ में कुछ मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय मद्राओं की तुलना में भारतीय रुपए का मूल्य, जिसे विदेशी मुद्रा के रुपया प्रति इकाई के रूप में दर्शाया गया है, निम्नलिखित है :—

वर्ष	पौंड	अमरीकी डालर	ड्यूश मार्क	जापानी येन	फ्रेंच फ्रांक	स्विस फ्रांक
1983	15.75	9.6432	4.0866	0.0420	1.4371	4.8556
1984	15 20	10.6496	3.8462	0.0456	1.2604	4.7890
1985	14.30	12.4533	3.9200	0.0495	1.2809	4.7441

रुपए का विनिमय मूल्य कुछ चुनी हुई उपयुक्त रूप से भारित प्रमुख मुद्राओं की दैनिक विनिमय दर में होने वाली घट-बढ़ के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है। परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में लाभ और हानि दोनों की ही संभावना रहती है। भुगतान शेष की वर्तमान स्थिति और घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक नहीं समझा जाता है कि आयात को, विनिमय दर में घट-बढ़ के प्रभाव से बचाने के लिए कोई विशेष कदम उठाए जाएं।

श्री मुरली देवरा : मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर के अनुसार विदेशी मुद्रा, चाहे वह डॉलर हो या पाऊंड या येन, उसकी तुलना में भारतीय रुपये का कुछ अवमूल्यन हुआ है। इस अवमूल्यन का वास्तविक कारण हमारे द्वारा किये जाने वाले निर्यात और आयात के बीच बढ़ता हुआ अंतर है। महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि हाल ही की विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत का ऋण पर आने वाले खर्च का अनुपात 1985-86 में करीब 15% से बढ़कर 1989-90 में 20% तक हो जाएगा ? यदि हां, तो सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : विश्व में अब परिवर्तनशील विनिमय दर अपना ली गई है और यह विदित है कि रुपया ऐसी कई मुद्राओं से जुड़ा हुआ है, जिनसे इसके मूल्य में घट-बढ़ होती रहती है।

जहां तक विदेश-व्यापार में बढ़ते हुए अन्तर का सम्बन्ध है, निश्चय ही हमें निर्यात पर ध्यान देने का प्रयास करना होगा और इस अन्तर को समाप्त करने का प्रयत्न करना होगा और कई उपाय करने होंगे। जहां तक ऋण पर आने वाले खर्च का संबंध है। इसका जो मूल्यांकन किया गया है और इसके जो अप्रत्यक्ष कारण हैं उनके अनुसार यह अधिक से अधिक 20% से भी नीचे है। मैं समझता हूं कि यह ऋण खर्च का यह स्तर नियंत्रण से बाहर नहीं है। लेकिन जो भी हो हमें यह देखने की हर कोशिश करनी होगी कि केवल आवश्यक वस्तुओं का ही आयात किया जाए और यदि किसी अनावश्यक वस्तु का आयात किया जाता है तो हमें उसमें सख्ती बरतनी होगी और साथ ही निर्यात को बढ़ावा देना होगा।

श्री मुरली देवरा : महोदय, सभा पटल पर रखी गई रिपोर्ट के अनुसार, डालर की कीमत जनवरी 1985 में हमारे यहां 9 64 रुपये थी, आज आयातकर्त्ता को उसके 12 रुपये 45 पैसे देने पड़ते हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आज नहीं, जनवरी, 1985 में।

श्री मुरली देवरा : जी हां, जनवरी 1985 में। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि रक्षा, कृषि आदि सम्बन्धी विभिन्न परियोजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा किये जाने वाले आयात और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किए जाने वाले आयात पर खर्च आने वाली विदेशी मुद्रा की आवश्यकता को पहले ही पूरा करने के लिए एहतियात बरती जाती है ? यदि हम आयात के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा 1983 में ही प्रत्याभूत कर लेते, तो हमें एक डॉलर पर केवल 9 रुपये 6 पैसे खर्च करने पड़ते और चूंकि आयात के लिए विदेशी मुद्रा प्रत्याभूत नहीं की गई तो 1 डॉलर के लिए हमें 12 रुपये 45 पैसे देने पड़ेंगे। अतः मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जहां तक हमारे आयात और निर्यात का संबंध है क्या वह मुद्राओं के उस समूह से संतुष्ट हैं, जिनका रुपये के साथ संबंध है ? यदि नहीं तो, क्या सरकार इसमें परिवर्तन करने पर विचार कर रही है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जहां तक मुद्राओं के इस समूह का सम्बन्ध है, इससे हमें काफी लाभ हुआ है और हमारा विचार मुद्रा के इस समूह में परिवर्तन करने का नहीं है। जहां तक हमारे आयात पर मुद्रा दर में उतार-चढ़ाव से पड़ने वाले प्रभाव का संबंध है, उन मुद्राओं का जिनके मूल्य बढ़ाए गए हैं, हमारे द्वारा किये जाने वाले आयात पर प्रभाव पड़ा है। लेकिन साथ ही इससे अनावश्यक वस्तुओं का आयात भी रुका है। यह आयात किए जाने वाले माल की मात्रा को रोकने का कार्य भी करता है, इसे वास्तविक रोक अथवा शुल्क रोक के रूप में लिया जाना चाहिए और आज हमारा उद्योग देश में पूंजी के अधिक आने से संरक्षण चाहता है। यदि रुपये का मूल्य बहुत अधिक हो जाता है तो सामान्यतः यह हो जाएगा कि आयातित माल की बाढ़ आ जाएगी, इसलिए हमें संतुलन बनाए रखना होगा। यह बड़ी जटिल स्थिति है। कोई सरल तरीका नहीं है, क्योंकि हमारे 70%

आयात का स्वरूप लचीला नहीं है। हमें बड़ी परियोजनाओं में निवेश करना है। अतः यदि रुपये का मूल्य काफी गिर जाता है तो इसका उस पर प्रभाव पड़ता है। यदि यह मूल्य बहुत अधिक हो जाता है, तो माल का काफी मात्रा में आयात हो जाता है और निर्यात पर काफी प्रभाव पड़ता है। अतः हमें स्वस्थ संतुलन बनाए रखना पड़ता है। जैसे कि रक्तचाप जो सामान्य होना चाहिए — न बहुत कम, न बहुत ज्यादा।

श्री मुरली देवरा : मुद्रा की दरों में गिरावट आने पर आयात को संरक्षण दिये जाने के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं समझता हूं कि हम इस संरक्षण का विस्तार विनिमय दर की जोखिम के लिए नहीं कर सकते। यह संभव नहीं है।

भारतीय और विदेशी राष्ट्रिकों का तस्करी और आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न होना

*28. श्री आनन्द सिंह : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को तस्करी और आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न विदेशियों की गतिविधियों के सम्बन्ध में अमरीकी अधिकारियों द्वारा कनाडा और अन्तर्राष्ट्रीय कानून को लागू करने वाले अन्य प्राधिकारियों की सहायता से गत चार महीनों के दौरान मारे गये छापों की जानकारी है, जिनसे तस्करों और आतंकवादियों के अनेक गिरोहों का पता चला है;

(ख) उनमें से कितने लोग भारत में गड़बड़ी फैलाने के कार्य में संलग्न भारतीय राष्ट्रिक और विदेशी राष्ट्रिक हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार किया गया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) विदेशियों को चोरी-छिपे अमेरिका में लाने के मामले में 58 भारतीय सिख और एक अमरीकी नागरिक को गिरफ्तार किया गया था। कनाडा में आतंकवादी गतिविधियों के सिलसिले में जितने भी अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे वे सभी कनाडा के नागरिक हैं।

(ग) भारत के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधि के अन्तर्राष्ट्रीय आयाम के प्रति सरकार सचेत है और इस सिलसिले में वह अमरीकी और कनाडियाई अधिकारियों के साथ निकट के सम्पर्क बनाए हुए हैं। इन गिरफ्तार व्यक्तियों पर अमरीका और कनाडा के कानूनों के तहत मकदमा चलाया जा रहा है।

श्री आनन्द सिंह : क्या यह सच है कि 13 मई को, समाचार पत्रों में भी ऐसा प्रकाशित हुआ था— कि इनके संबंधों का पता लगाने के लिए यह जानकारी एफ०बी०आई० के कम्प्यूटरों को सौंप दी गई है ? मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार को कम्प्यूटर की इस खोज की पूरी रिपोर्ट दी गई है। यदि नहीं तो सरकार अमेरिका से एफ०बी०आई० के कम्प्यूटरों से ये रिपोर्टें प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

श्री के० आर० नारायणन : हमें इन सब बातों की कुछ संगत जानकारी मिली है। मैं नहीं समझता कि हमें कम्प्यूटर द्वारा दी गई पूरी जानकारी मिलेगी। लेकिन इन मामलों के सभी महत्वपूर्ण तथ्य जो संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारियों द्वारा पता लगाए गए, हमें दिए गए हैं। हम तस्करी तथा आतंकवादियों से निपटने के लिए अमेरिका सरकार तथा उनकी एजेंसियों के साथ निरन्तर संपर्क बनाए हुए हैं।

श्री आनन्द सिंह : बाद में दो घटनाएं हुईं—एक तो पंजाब के एक मंत्री पर हमला किया गया और दूसरी एयर इण्डिया के विमान का अपहरण किया जाना था लेकिन उन्हें पहले ही पकड़ लिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या जिन लोगों को उन अपराधों के लिए पकड़ा गया वह पहले गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में से ही थे जिन्हें जमानत पर या वैसे ही छोड़ दिया गया था ?

श्री के० आर० नारायणन : दोनों मामलों में मुकदमा चल रहा है। उन्हें गिरफ्तार किया गया है और कुछ को जमानत पर छोड़ दिया गया है। लेकिन उनकी सुनवाई की तारीख निश्चित कर दी गई है। जहां तक उनकी पहचान का सम्बन्ध है अर्थात वे पहले ही दो मामलों में पकड़े गए लोग ही हैं, पहले ही कुछ भूल हो चुकी है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये वही लोग हैं।

अमरीकी सरकार द्वारा अमरीका में बसे सिख उग्रवादियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

*29. श्री सी० माधव रेड्डी : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को अमरीकी सरकार द्वारा अमरीका में बसे सिख उग्रवादियों के विरुद्ध की गई किसी कड़ी कार्यवाही की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) जी, हां। अमरीकी प्रशासन ने अपने देश में उग्रवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए अनेक कानूनी उपाय किए हैं। खास तौर पर भारत विरोधी उग्रवादी गतिविधियों को रोकने के लिए भी अमरीकी प्रशासन ने प्रशासनिक तथा कानूनी कदम उठाए हैं।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

जनजातीय और अनुसूचित जातीय क्षेत्रों में समेकित बाल विकास सेवा योजना

*1. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने जनजातीय और अनुसूचित जातीय बहुल खण्डों और शहरी मंदी बस्ती क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत सम्मिलित करने के लिए राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या उन क्षेत्रों में, जहां पर यह योजना कार्यान्वित की जा रही है, बच्चों के द्वारा बीच में ही स्कूल छोड़ दिये जाने की दर कम हुई है; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में इसकी प्रतिशतता क्या है ?

युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) से (घ) समेकित बाल विकास परियोजना के अवस्थापन का प्रशासनिक यूनिट जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय विकास खण्ड/तालुका, ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक विकास खंड/तालुका और शहरों में वार्ड्स/गन्दी बस्तियां होता है।

2. वर्ष 1986-87 के लिए राज्यों को नई परियोजनाएं आवंटित करते समय, जनजातीय विकास खण्डों, अधिसंख्य अनुसूचित जाति वाले ग्रामीण ब्लाकों और 2 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों की गन्दी बस्तियों में समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रमों का प्राथमिक आधार पर विस्तार करने के दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

3. स्कूलों में प्रवेश लेने और बीच में स्कूल छोड़ जाने वाले बच्चों पर समेकित बाल विकास सेवा के प्रभाव के बारे में कोई देश-व्यापी या राज्यवार अध्ययन नहीं किया गया है। सीमित क्षेत्रों के कुछेक अध्ययनों से निश्चायक प्रवृत्तियों का पता चला है।

"आई० ए० ए० आई० इनएफिशिएंसी हिट्स शिपर्ज"
शीर्षक वाला समाचार

*3. श्री राजकुमार राय : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 मई, 1986 को "इण्डियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें बताया गया है कि भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अक्षम सेवाएं उपलब्ध कराई जाने के कारण दो राष्ट्रीय विमान सेवाओं सहित नौवहन सेवाओं और अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं को भारी हानि उठानी पड़ रही है;

(ख) इस समस्या को हल करने और उत्पन्न हुई स्थिति से निपटने के लिए कौन से प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ग) इस प्रकार अनुमानतः कितनी हानि हो रही है और सरकार का इससे किस प्रकार से निपटने का विचार है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) अधिकांश समस्याएं ऐसी थीं जो प्रारम्भिक स्वरूप की थी और जिनमें से अधिकतर पहले ही दूर कर दी गई हैं।

(ग) सरकार को किसी विमान वाहक अथवा "शिपर्स" को हुई हानि की कोई जानकारी नहीं है।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम संशोधन

*4. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य व्यापार तथा उद्योग परिषद ने केन्द्रीय सरकार से वर्तमान खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में संशोधन करने के लिए कहा है और सभी खाद्य उत्पादों पर सरकार का प्रमाणन-चिन्ह अंकित किये जाने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण अभिकरण स्थापित करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में और क्या संशोधन करने का सरकार का विचार है और खाद्य पदार्थों के गुणवत्ता-नियंत्रण को किन सीमा तक जांच की जा सकेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उपभोक्ताओं के हितों की और अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय

सरकार खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 के विभिन्न उपबंधों का संशोधन करने पर विचार कर रही है।

भारतीय बांधों का जीवनकाल

*5. प्रो० के० वी० थामस : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बांधों का जीवनकाल इतना घट रहा है, जो चिन्ता का विषय बन रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) बांधों का जीवनकाल बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) केरल में इडुक्की बांध में पानी का स्तर न्यूनतम स्तर से कम हो जाने को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) केन्द्र सरकार की केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत जल ग्रहण उपाय तथा वनरोपण पर अधिक बल दिया जा रहा है। बांध सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भी उपाय किए जा रहे हैं।

(घ) अवसादन के वास्तविक स्तर का मूल्यांकन करने तथा यदि आवश्यक पाया जाए तो उपचारी उपाय करने के लिए इडुक्की जलाशय पर अवसादन सर्वेक्षण शीघ्र ही हाथ में लिए जाने का प्रस्ताव है।

कालीकट हवाई अड्डे का निर्माण

*6. श्री वक्कम पुरुषोत्तमन
श्री वी० एस० विजय राघवन } : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालीकट में नये हवाई अड्डे का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा; और

(ख) क्या यह कार्य निर्धारित समय पर पूरा हो जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) और (ख) कालीकट में नये हवाई अड्डे का निर्माण दिसम्बर, 1987 तक पूरा किया जाना है। समय-अनुसूची के अनुसार कार्य चल रहा है।

राजस्थान और उत्तर प्रदेश में राष्ट्राय राजमार्गों को सुधारना

*7. श्री बुद्धि चन्द्र जैन : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की शोचनीय दशा का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अध्ययन के क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने भी इसके सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राजस्थान और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की दशा को सुधारने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

परिवहन मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ग) जी, नहीं।

(ख) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की दशा आमतौर पर यातायात योग्य है। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक अनवरत प्रक्रिया है और राष्ट्रीय राजमार्गों की मौजूदा दशा, यातायात की बहुलता, अखिल भारतीय आधार पर इसकी प्राथमिकता और संसाधन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इनमें सुधार करने की मंजूरी दी जाती है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर क्रमश: 120.85 करोड़ रुपए और 303.90 करोड़ रुपए के निमाण कार्यों के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना मे प्रावधान किया गया है।

बंगलौर—मैसूर राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाना

*8. श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय 130 किलोमीटर लम्बे वर्तमान बंगलौर—मैसूर राजमार्ग को चार पथी बनाकर उसे 11,000 किलोमीटर लम्बे अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग सूची के अन्तर्गत लाने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को यह सुझाव भी दिया है कि यदि राज्य सरकार इस परियोजना को शीघ्र पूरा करना चाहती है तो वह उसे या तो स्वयं आरम्भ करे अथवा गैर-सरकारी अभिकरणों के सहयोग को प्रोत्साहित करे;

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना की लागत कितनी है; और

(घ) उक्त प्रस्ताव के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है ?

परिवहन मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। केन्द्र सरकार का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि यह राज्य की सड़क है। तथापि आम नीति के रूप में सभी राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे जहां जरूरी समझें, राज्य की सड़कों में सुधार लाने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र की सहभागिता के लिए उपयुक्त कदम उठायें।

(ग) और (घ) उपरोक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

चिकित्सक रहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालय

*9. श्री अमर सिंह राठवा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिवासी क्षेत्रों में उपलब्ध कराई गई स्वास्थ्य सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या चिकित्सकों के बिना चल रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और औषधालयों के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और औषधालयों में चिकित्सक नहीं हैं और कब से नहीं हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं क्रमश: 3000, 20,000 और एक लाख की आबादी के लिए खोले गए उप-केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नेट वर्क के जरिये उपलब्ध की जाती हैं।

(ख) और (ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और औषधालयों में खाली पड़े पदों की संख्या संबंधी सूचना समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से एकत्र की जाती है। इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार 31-3-1986 को 34777 पदों में से 3620 डाक्टरों के पद प्राथमिक स्वास्थ्य

केन्द्रों और औषधालयों में खाली पड़े हुए थे।

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की सेवाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की है। वैसे, ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्ति स्वीकार करने हेतु चिकित्सा स्नातकों को आकृष्ट करने के वास्ते स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सुझावों पर आठवें वित्त आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे डाक्टरों को निम्नलिखित प्रोत्साहन देने के लिए राज्यों को विशेष धन-राशि की व्यवस्था की है और उन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं दी है :—

(i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्य-कर रहे डाक्टरों के लिए प्रति माह मूल वेतन के 25 प्रतिशत के बराबर ग्रामीण भत्ता जो 250/- रुपये से अधिक नहीं होगा, और (ii) जहां डाक्टरों को आवासीय सुविधा प्रदान नहीं की गई है, वहां उन्हें 100/- रुपये प्रति माह की दर से मकान किराया भत्ता।

इसके अलावा, वित्त आयोग ने डाक्टरों के लिए रिहायशी क्वार्टर बनाने हेतु 53.52 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया है। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए निर्माण लागत 30 प्रतिशत बढ़ाकर उपलब्ध की गई है।

बच्चों पर ऐस्पिरिन का हानिकारक प्रभाव

*10. **श्री अमिताभ बच्चन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बच्चों पर ऐस्पिरिन के हानिकारक प्रभावों के बारे में इंग्लैंड में किए गए अनुसंधान के निश्चित निष्कर्ष और रेयेन सिंड्रोम रोग के साथ इसके संबंध को देखते हुए भारत में बच्चों द्वारा ऐस्पिरिन का इस्तेमाल किए जाने और "रेयेन" रोग के बारे में एक व्यवस्थित अध्ययन करने तथा बच्चों द्वारा ऐस्पिरिन के इस्तेमाल को रोकने के लिए कदम उठाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो, उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) इस मामले पर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और प्रमुख बाल रोग चिकित्सकों की वस्तु राय जानने के लिए उन्हें लिख दिया गया है। उनसे उत्तर मिलने पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।

ऐस्पिरिन और अन्य सेलीसिलेट दवाओं को बेचने वाले निर्माताओं को निदेश दे दिया गया है कि वे डिब्बों और स्ट्रिपों पर "डाक्टरी राय के बगैर 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को न दें" वाक्य

आकार में चेतावनी सम्मिलित करें।

इस आशय की हिदायतें जारी की जा चुकी हैं कि 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के वास्ते ऐस्पिरिन न लिखें।

तेलुगु-गंगा परियोजना

*11. श्री एम० रघुमा रेड्डी
श्री मानिक रेड्डी } : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेलुगु-गंगा परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार किया है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) इस परियोजना को अभी केन्द्र ने स्वीकृति प्रदान नहीं की है। तथापि, यह सूचना मिली है कि राज्य सरकार इस परियोजना पर धन खर्च कर रही है। इस परियोजना का पूरा होना केन्द्र द्वारा इसे आवश्यक स्वीकृति प्रदान किए जाने तथा राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त वित्त व्यवस्था किए जाने पर निर्भर करेगा।

फेफड़ों के कैंसर रोग के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी

*12. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विश्व स्वास्थ्य संगठन की इस चेतावनी की जानकारी है कि यदि निवारक उपाय नहीं किए गए तो वर्ष 2000 ईसवी तक विश्व के सभी विकासशील देशों में फेफड़ों का कैंसर रोग एक महामारी का रूप ग्रहण कर लेगा;

(ख) इसकी रोकथाम करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या आंकड़ों से यह पता चलता है कि देश में फेफड़ों के कैंसर के रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) धूम्रपान से होने वाले कैंसर के खतरों के बारे में विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता की जानकारी सरकार को है। इस संबंध में जो कार्रवाई की गई है उसमें सिगरेट के पैकेटों तथा विज्ञापनों पर सांविधिक चेतावनी देना, अनेक राज्य सरकारों द्वारा सिनेमाओं, बसों, शिक्षा संस्थाओं, अस्पतालों, आदि जैसे भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर धूम्रपान का निषेध करने के लिए कानून बनाना, तथा खेल

मन्त्रालय द्वारा लिया गया यह निर्णय लेना कि एशियाड के स्टेडियमों आदि के लिए सिगरेटों का कोई विज्ञापन स्वीकार न करना शामिल है। इस क्षेत्र में स्वास्थ्य शिक्षा का गहन प्रयास करने तथा तम्बाकू से निर्मित उत्पादों की खपत को कम करने संबंधी एक कार्य योजना को अन्य सम्बद्ध विभागों तथा मन्त्रालयों के परामर्श से तैयार किया जा रहा है। साथ ही कैंसर अनुसंधान एवं उपचार कार्यक्रम के अधीन 10 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र खोले जा चुके हैं। अस्पतालों तथा प्राइवेट संगठनों में कोबाल्ट थेरापी यूनिटें लगाने के लिए केन्द्रीय सहायता भी दी जाती है।

चूंकि फेफड़ों का कैंसर या सभी तरह का कैंसर अधिसूचना अथवा पंजीकरण योग्य रोग नहीं है, इसलिए इन क्षेत्रों में देशव्यापी सम्पूर्ण आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी, अब तक विभिन्न कैंसर रजिस्ट्रियों द्वारा दी गई सीमित सूचना के अनुसार भारत में 1982-83 के वर्षों के दौरान लगभग 64,000 और व्यक्तियों को फेफड़ों का कैंसर हो जाने का अनुमान है।

"एड्स" महारोग के रोगी

*13. श्री पी० कुलनदेईवेलू : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि कितने राज्यों में "एड्स" महारोग के रोगी हैं;

(ख) क्या "एड्स" महारोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अस्पताल स्थापित करने का सरकार का विचार है;

(ग) यदि हां, तो किस-किस राज्य में ऐसे अस्पताल स्थापित किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां। आज तक, एड्स संक्रमण से पीड़ित रोगियों की संख्या निम्नलिखित है :—

तमिलनाडु	—	15
महाराष्ट्र	—	2
आंध्र प्रदेश	—	1

(ख) से (घ) इनके लिए अलग अस्पताल की आवश्यकता नहीं समझी जाती क्योंकि एड्स के रोगियों का नैदानिक इलाज किसी भी सुस्थापित सामान्य अस्पताल या चिकित्सा कालेज अस्पताल में किया जा सकता है।

"एयर टैक्सी" (हवाई वाहन) सेवा आरम्भ करना

*14. श्री मोहन भाई पटेल
श्री प्रिय रंजन दास मुंशी } : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में "एयर टैक्सी" (हवाई वाहन) सेवा आरम्भ करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) देश में एयर टैक्सी (हवाई वाहन) सेवा कब तक आरम्भ हो जाने की सम्भावना है;

(घ) क्या यह सेवा सरकारी क्षेत्र अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र अथवा दोनों क्षेत्रों में प्रारम्भ की जाएगी; और

(ङ) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के किसी भी एकक ने देश में एयर टैक्सी (हवाई वाहन) सेवा आरम्भ करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किए जा रहे हैं। इन्हें शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया जाएगा ताकि सितम्बर, 1986 से हवाई टैक्सी सेवा शुरू की जा सके।

(घ) विमान टैक्सी सेवा का परिचालन गैर-सरकारी क्षेत्र में किया जाएगा। तथापि, भारत सरकार और राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों को भी इस प्रकार की सेवा परिचालित करने की अनुमति दी जाएगी।

(ङ) प्रस्ताव के ब्यौरे जानने के बारे में विभिन्न पक्षों ने सरकार को लिखा है।

परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय अभियान

*15. डा० के० जी० आदियोडी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यापक राष्ट्रीय अभियान फ्रीक्वेंसी एण्ड रीच (बारम्बारता तथा पहुंच) के अन्तर्गत 19 अप्रैल से 31 मई, 1986 तक कितने केन्द्र खोले गये और कितने व्यक्तियों ने परिवार नियोजन के तरीके अपनाये; और

(ख) यदि इस संख्या में कोई कमी रही है तो कितनी और उसके क्या कारण हैं और इस कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) नसबंदी और आई० यू० डी० तरीकों के बारे में 15 अप्रैल से 31 मई, 1986 तक छह सप्ताह का एक राष्ट्र-व्यापी गहन परिवार नियोजन अभियान चलाया गया था। इस अभियान के दौरान जिन व्यक्तियों ने परिवार नियोजन के तरीके (नसबंदी और आई० यू० डी०) अपनाये उनकी संख्या, लक्ष्य और उपलब्धि का प्रतिशत तथा लक्ष्यों की प्रतिशत कमी का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

2. इस अभियान अवधि के दौरान नसबन्दी और आई० यू० डी० अन्तर्वेशन के लक्ष्यों की उपलब्धि में क्रमश: 58.7 प्रतिशत तथा 43.1 प्रतिशत की कमी रही।

3. छह सप्ताह के इस अभियान की अवधि के लक्ष्य नसबन्दी और आई० यू० डी० के वार्षिक लक्ष्यों के अनुपात के आधार पर निर्धारित किए गए थे। वैसे, अप्रैल से जून की अवधि में साधारणतया इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कम काम होता है, इसलिए अधिकांश राज्यों ने, जैसा कि उपाबंध में दर्शाया गया है, इस अभियान के दौरान उतना काम नहीं किया जितने की उनसे आशा की जाती थी।

4. इस अवधि के दौरान अभियान को चलाने के संबंध में कुछ राज्यों ने जो कठिनाइयां बताई हैं वे इस प्रकार हैं :—

—तमिलनाडु राज्य ने बताया है कि अप्रैल से जून तक की अवधि के दौरान शिविर आयोजित करना उपयुक्त नहीं है और इन महीनों के दौरान केवल विभागीय संस्थाओं में ही नसबन्दी की जा सकती है। इस अवधि के दौरान कर्मचारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण देने, अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों आदि की देखभाल करने, उपकरणों को बदलने और पात्र दम्पत्तियों के रजिस्टरों को अद्यतन बनाने का काम किया जाता है।

—गुजरात राज्य ने बताया है कि परिवार कल्याण कार्यकर्ताओं ने पिछले वर्ष मार्च, 1986 तक उल्लेखनीय प्रयास किये हैं और सूखा तथा घोर विपत्ति के कारण इस अभियान को पूरे जोर-शोर से चलाना सम्भव नहीं हो सका था।

—बिहार राज्य ने गर्मी और विवाहों का मौसम होने के कारण गहन अभियान चलाने के संबंध में कठिनाई जाहिर की।

—पंजाब राज्य ने यह महसूस किया कि राज्य में फसल की कटाई का काम होने के कारण इस अभियान के दौरान अधिक प्रगति करना कठिन था।

—मिजोरम राज्य ने पहली मई से 15 जून, 1986 के दौरान अभियान चलाया।

—असम राज्य ने बताया है कि अप्रैल, 1986 में बिहू त्यौहार के कारण यह अभियान केवल 2 मई, 1986 से 16 जून, 1986 तक ही चलाया जा सका।

—जम्मू व कश्मीर राज्य ने यह अभियान नहीं चलाया।

5. यह मंत्रालय इस बात को जानता है कि इनमें से कुछ कठिनाइयां वास्तविक हैं। वैसे, यह अभियान वर्ष की इस अवधि में कार्यक्रम में सुधार लाने के लिए शुरू किया गया था क्योंकि जल-वायु, मौसम और अन्य बातों के कारण साधारणतया इस अवधि में कम काम होता है।

6. 5 जून, 1986 को दिल्ली में हुई सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य सचिवों की बैठक में इस छह सप्ताह के गहन परिवार नियोजन अभियान के कार्यनिष्पादन के बारे में विचार-विमर्श हुआ था। राज्यों को प्रेरित किया गया था कि वे अपने तंत्र में तेजी लाएं और अभियान अवधि में जो कमियां रह गई हैं उन्हें पूरा करें। परिवार कल्याण उप-मन्त्री तथा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राज्यों का नियमित रूप से दौरा किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े तथा उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन भी मिलता रहे। राज्यों के तंत्र में तेजी लाने के सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं। ताकि उनके कार्य में सुधार हो सके।

विवरण

नसबन्दी और आई० यू० डी० निवेशन के सम्बन्ध में परिवार नियोजन के छह सप्ताह (15-4-86 से 31-5-86) के अभियान के दौरान हुआ कार्य

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र/एजेन्सी	नसबन्दी				आई० यू० डी० निवेशन			
		छः सप्ताह का लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य का प्रतिशत उपलब्धि	प्रतिशत कमी	छः सप्ताह का लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य की प्रतिशत उपलब्धि	प्रतिशत कमी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. बड़े राज्य									
1.	आंध्र प्रदेश	69200	43948	63.5	36.5	18500	8142	44.0	56.0
2.	असम	23700	9094×	38.4	61.6	3500	3087×	88.2	11.8
3.	बिहार	69200	11965×	17.3	82.7	31400	13667×	43.5	56.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	गुजरात	33600	11607	33.5	66.5	34600	14136	40.9	59.1
5.	हरियाणा	12100	5483	45.3	54.7	17300	14639	84.6	15.4
6.	कर्नाटक	40400	35972	89.0	11.0	20800	20148	96.9	3.1
7.	केरल	24800	17500	70.6	29.4	8100	7600	93.8	6.2
8.	मध्य प्रदेश	51900	14511	28.0	72.0	25400	16609	65.4	34.6
9.	महाराष्ट्र	65800	30322	46.1	53.9	75000	22437	29.9	70.1
10.	उड़ीसा	26000	3070	11.8	88.2	11500	2920	25.4	74.6
11.	पंजाब	14450	6100	42.2	57.8	28800	22114	76.8	23.2
12.	राजस्थान	34600	8625	24.9	75.1	13800	6334	45.9	54.1
13.	तमिलनाडु	64600	41161	63.7	36.3	23100	15639	67.7	32.3
14.	उत्तर प्रदेश	75000	14183×	18.9	81.1	86500	62639×	72.4	27.6
15.	पश्चिम बंगाल	57700	16946	29.4	70.6	13300	4964	37.3	82.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	छोटे राज्य/संघ राज्य/क्षेत्र								
1.	हिमाचल प्रदेश	4000	952	23.8	76.2	3500	1688	48.2	51.8
2.	जम्मू और कश्मीर	6900	परिवार नियोजन अभियान नहीं चलाया गया			2000	परिवार नियोजन अभियान नहीं चलाया गया		
3.	मणिपुर	800	775×	96.9	3.1	690	709×	102.8	
4.	मेघालय	80	34×	42.5	57.5	150	82×	54.7	45.3
5.	नागालैंड	120	138	115.0		150	140	93.3	6.7
6.	सिक्किम	120	117	97.5	2.5	160	93	58.1	41.9
7.	त्रिपुरा	1150	1971×	171.4	460	139×	30.2	69.8	
8.	अंडमान और निकोबार द्वीप	170	243	142.9		110	100	90.9	9.1
9.	अरुणाचल प्रदेश	60	76×	126.7		170	160×	94.1	5.9
10.	चंडीगढ़	410	279	68.0	32.0	690	451	65.4	34.6
11.	दादर और नगर हवेली	120	234	195.0		20	39	195.0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	दिल्ली	4600	2472	53.7	46.3	8300	3437	41.4	58.6
13.	गोवा, दमन और द्वीव	550	396	72.0	28.0	170	207	121.8	
14.	लक्षद्वीप	10	3×	30.0	70.0	10	4×	40.0	60.0
15.	मिजोरम	350	377×	107.7		220	209×	95.0	5.0
16.	पांडिचेरी	700	815	116.4		400	360	90.0	10.0
III.	दूसरी एजेन्सियां								
1.	रक्षा मन्त्रालय	3460	1399	40.4	59.6	1600	1075	67.2	32.8
2.	रेल विभाग	4650	2475	53.2	46.8	2300	1191	51.8	48.2
3.	अखिल भारत	692300	283243	41.3	58.7	4,32,700	245159	56.9	43.1

नोट:— × आंकड़े अनन्तिम हैं और अप्रैल, 86 और मई, 86 के मासिक आंकड़ों पर आधारित हैं जम्मू व कश्मीर राज्य के लक्ष्यों को छोड़कर निकाले गये हैं।

बिहार में गलगंड रोग में वृद्धि

*16. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह
डा०जी० विजय राघा राव } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान न्यूट्रिशन फाउन्डेशन आफ इण्डिया द्वारा बिहार में किये गये एक सर्वेक्षण से प्राप्त हुए परिणामों की ओर दिलाया गया है जिससे पता लगा है कि बिहार में गलगंड रोग में वृद्धि हो रही है जिसका समाचार 1 जुलाई, 1986 को "टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस बीमारी की रोकथाम के लिये क्या प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्ड) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय गलगण्ड सर्वेक्षण दल और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों को गलगण्ड स्थानिकमारी से ग्रस्त पाया गया है :—

1. पूर्वी चम्पारण
2. पश्चिमी चम्पारण
3. सहरसा
4. माधेपुरा
5. पूर्णिया
6. पालामऊ
7. दुमका
8. गोड्डा
9. देवघर
10. साहिबगंज
11. कटिहार
12. सारण
13. मुजफ्फरपुर

14. दरभंगा

15. मधुबनी

16. सीतामढ़ी

17. रांची

18. गोंडा

19. लोहारडेगा

बिहार सरकार ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत इन 19 जिलों में आयोडीकृत नामक को छोड़कर अन्य नमक की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इन गलगण्ड स्थानिकमारी वाले जिलों को गलगण्ड और आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों पर काबू पाने के लिए आयोडीकृत नमक सप्लाई किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने भी राष्ट्रीय गलगण्ड नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत देश में चरणबद्ध ढंग से सम्पूर्ण खाद्य नमक के आयोडीकरण की एक योजना आरम्भ की है जो 1992 तक पूरी हो जाएंगी।

दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों की मांगें

*17. श्री सी० जंगा रेड्डी
डा० ए० के० पटेल } : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ द्वारा 23 फरवरी, 1986 को अपनी हड़ताल वापस लिये जाने के पश्चात् उनकी प्रत्येक मांग पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई हैं;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दिल्ली विश्वविद्यालय और महाविद्यालय कर्मचारी संघ की ओर से भी कुछ मांगें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उन विभिन्न कालेजों को 71.25 लाख रुपए जारी किए हैं जिन्होंने 6.0 करोड़ रुपए की आवास योजना के अंतर्गत पूरे प्रस्ताव भेजे हैं। इसके अतिरिक्त, आयोग, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अपने भविष्य निधि में जमा राशि में से 4.0 करोड़ रुपए का गृह निर्माण के लिए उपयोग करने पर भी सहमत हो गया है। आयोग यह राशि ब्याज सहित विश्वविद्यालय को वापिस करेगा। विश्व-

विद्यालय और इसके कालेजों के कर्मचारियों को गृह निर्माण के लिए अग्रिम राशि के प्रावधान में वार्षिक एक करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। प्रवरण ग्रेड के प्राध्यापक जो 1900/-रुपए के अपने अधिकतम वेतनमान पर दो वर्षों या इससे अधिक समय से रुके हुए हैं, उन्हें उनके द्वारा ली गई अन्तिम वेतनवृद्धि के दर के बराबर एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि वैयक्तिक वेतन के रूप में मंजूर की गई है। अध्यापन कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की तदनुरूपी श्रेणियों को अनुमत्य नियम और शर्तों के अनुसार बोनस का भुगतान करना भी अनुमोदित किया गया है।

(ख) और (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय और कालेज कर्मचारी संघ ने अप्रैल, 1986 में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों के लिये उच्च वेतनमानों और पिछली तारीख से वेतनमानों के संशोधन को कार्यान्वित करने की मांग की थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग युक्तिसंगत वेतनमान 1-4-1986 से कार्यान्वित करने के लिए सहमत हो गया है। अनुभाग अधिकारियों की 1-1-73 से संशोधित वेतनमान लागू करने की मांग उच्च न्यायालय में निर्णयाधीन है जबकि वरिष्ठ वैयक्तिक सहायकों के मामले में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से परामर्श किया जा रहा है। पुस्तकालय परिचरों, प्रयोगशाला परिचरों की उच्च वेतनमानों के लिए मांग मंजूर नहीं की गई है। कालेजों में कर्मचारी पद्धति के संशोधन के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

नूरानाडु कुष्ठरोग से निटोरियम का कार्यकरण

*18. **श्री थम्पन थामस** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कई अस्पतालों में कुष्ठ रोग के रोगियों के उपचार की स्थिति में काफी सुधार करने की आवश्यकता है; और

(ख) क्या सरकार केरल में नूरानाडु कुष्ठरोग सेनिटोरियम का प्रशासन अपने हाथ में लेने और यदि आवश्यक हुआ तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से उसे स्वयं चलाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) कुष्ठ अस्पतालों का रख-रखाव, जो राज्यों की जिम्मेदारी है, कुल मिलाकर संतोषजनक है। यद्यपि इसमें और सुधार करने की गुंजाइश है।

(ख) नूरानाडु कुष्ठ रोग सेनिटोरियम का रख-रखाव केरल सरकार द्वारा किया जाता है। भारत सरकार द्वारा इस संस्थान को अपने अधिकार मे लिए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के पुनर्गठन का प्रस्ताव

*19. **श्री रेणुपद दास** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साहित्य के क्षेत्र में भाषाओं के पारस्परिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की विफलता को ध्यान में रखते हुए सरकार का इस समूचे संगठन का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) अंतर-क्षेत्रीय सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास आदान-प्रदान शृंखला के अंतर्गत भारतीय भाषाओं की उत्कृष्ट पुस्तकों का अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद प्रकाशित कर रहा है। 31 मार्च, 1986 तक न्यास ने इस शृंखला के अंतर्गत 633 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। साहित्यिक क्षेत्र में अन्तर-भाषाई आदान-प्रदान को बढ़ावा देने में न्यास किसी भी तरह असफल नहीं रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों में खान-पान व्यवस्था

*20. श्री राम भगत पासवान : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी रेल अंचलों में थालियों में भोजन परोसने की पूर्ववर्ती व्यवस्था को बदल कर अल्मोनियम की पन्नियों के पैकटों में भोजन दिये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि यात्रियों को भोजन की अब जितनी कीमत देनी पड़ती है, उसकी अपेक्षा पूर्ववर्ती व्यवस्था में उन्हें कम कीमत देनी पड़ती थी;

(ग) क्या सरकार को यात्रियों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें उन्होंने पूर्ववर्ती थाली व्यवस्था को पुन: आरम्भ करने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो जनता की उक्त मांग को कब तक स्वीकार करने का सरकार का विचार है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) यात्रियों को साफ-सुथरा, गर्म और स्वादिष्ट भोजन की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय पर्यटन विकास निगम के परामर्श से कुछ चुनी हुई जोड़ी गाड़ियों में उपयोग के बाद फेंकने योग्य अल्यूमीनियम के केसेरोल पैकेटों में खाना सप्लाई करना शुरू किया गया है।

(ख) यद्यपि मानक थाली व भोजन और केसेरोल पैकेटों में मानक भोजन की कीमतों में

मामूली अन्तर है फिर भी केसेरोल सेवा के लाभों को देखते हुए, यथा—अधिक साफ सुथरा होना, भोजन के गर्म रखने की क्षमता आदि की तुलना में कीमत में यह मामूली बढ़ोतरी नगण्य है।

(ग) और (घ) कुछ शिकायतें हुई थीं किन्तु केसेरोल सेवा के बारे में यात्रियों की प्रतिक्रिया जानने के लिए की गयी रायशुमारी से पता चला है कि एक बड़े बहुमत ने इस सेवा की प्रशंसा की है।

[अनुवाद]

रुई का बिन बिका भंडार

*24. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रुई निगम के पास आज तक कितनी रुई बिन बिकी पड़ी है; और

(ख) इस भंडार को निपटाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) चालू वर्ष के दौरान भारतीय रुई निगम ने अब तक रुई की 15·36 लाख गांठों की खरीद की है तथा उसके पास 1.79 लाख गांठों का अवशेष था और इस प्रकार उसके पास कुल स्टाक 17.15 लाख गांठों का था। 10-7-86 की स्थिति के अनुसार निगम ने 11.89 लाख गांठों की बिक्री की जिसमें 2.20 लाख गांठों का निर्यात भी शामिल है और इस प्रकार उसके पास 5.26 लाख गांठें शेष रह गईं। निगम निर्यात में वृद्धि तथा घरेलू बिक्री में सुधार करके इस स्टाक को निपटाने के प्रयास कर रहा है।

स्वर्ण आभूषणों पर बैंक से ऋण

*30. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ राष्ट्रीयकृत बैंक जनता को स्वर्ण आभूषण गिरवी रखने पर ऋण नहीं दे रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के इस रवैये के कारण लोग ऋण के लिए गैर-सरकारी वित्तीय संस्थाओं के पास जा रहे हैं, जो बहुत ऊंची दर पर ब्याज लेती हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का सभी बैंकों को स्वर्ण आभूषण गिरवी रखकर ऋण देने के लिए अनुदेश जारी करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान अनुदेशों के अनुसार बैंक गैर उत्पादक प्रयोजनों के लिए आभूषणों के बदले अधिक से अधिक 5,000 रुपये तक के ऋण दे सकते हैं। स्वर्ण आभूषणों की प्रतिभूति पर 1,000 रुपये तक मंजूर किये गये उपभोक्ता ऋणों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम के रूप में माना जाता है।

बैंकों से यह कहा गया है कि वे उत्पादक प्रयोजनों के लिए ऋण उपलब्ध कराएं तथा कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत 5,000 रुपये तक के ऋण सांपार्श्विक प्रतिभूति या अन्य पार्टी की गारंटी के बिना दिये जाते हैं। उत्पादक प्रयोजनों के लिए, स्वर्ण आभूषणों की प्रतिभूति पर उच्च राशियों के लिए भी ऋण दिये जाते हैं। ये ऋण उस प्रयोजन विशेष पर लिए जाने वाले ब्याज की दर पर दिए जाते हैं।

पारादीप पत्तन का विकास

*31. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम ने पारादीप पत्तन के विकास के लिए कुछ प्रयास किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में निगम ने क्या विशिष्ट कदम उठाये हैं ?

विदेश मंत्री तथा वाणिज्य मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) पारादीप पत्तन से लौह अयस्क के निर्यात को 6 मिलियन मे० टन तक बढ़ाने के लिए, एम० एम० टी० सी० ने दक्षिण कोरिया से 170,000 डी० डब्ल्यू० टी० के पोत रखने के लिए पत्तन के विस्तार के लिए वित्त व्यवस्था की सम्भावना के बारे में विचार-विमर्श किया है। सरकार द्वारा इस परियोजना के कार्यान्वयन पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

बैंक डकैतियां

*32. प्रो० रामकृष्ण मोरे
श्री सी० अंगा रेड्डी } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में वर्ष 1986 के प्रारम्भ से लेकर अब तक वर्ष 1985 में इसी अवधि की तुलना में कुल कितनी बैंक डकैतियां हुई हैं और राज्य-वार कितनी राशि लूटी गई है;

(ख) क्या बैंक डकैतियों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बैंकों में सुरक्षा प्रबन्धों को सुदृढ़ करने के लिए अब तक किये गये उपायों की विवेचनात्मक पुनरीक्षा की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि वर्तमान बैंक सुरक्षा प्रबन्धों में कोई कमियां हैं, तो सरकार का उन्हें किस प्रकार दूर करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1 जनवरी, 1985 से 30 जून, 1985 तक की अवधि के तुलना में 1 जनवरी, 1986 से 30 जून, 1986 तक बैंक लूटपाटों/डकैतियों तथा उनमें अन्तर्ग्रस्त राशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) यद्यपि बैंकों की सुरक्षा काफी हद तक सुरक्षा के सामान्य वातावरण पर निर्भर करती है, लेकिन बैंक अपनी सुरक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए स्वयं उपाय करते रहते हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा क्रियान्वित किए गए सुरक्षा उपायों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है तथा जब कभी सुधार की आवश्यकता समझी जाती है, बैंकों को अपेक्षित मार्ग-निर्देश/अनुदेश दिए जाते हैं। शाखाओं में अंतर्ग्रस्त जोखिम को देखते हुए सशस्त्र सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति करने, उचित अलार्म प्रणाली लगाने आदि जैसे कदम उठाए गए हैं। इन सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन पर नियमित रूप से नजर रखना शुरू कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त बैंक कर्मचारियों, साधारण जनता और पुलिस को लूटेरों/डाकुओं का मुकाबला करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से एक पुरस्कार योजना की घोषणा की गई है और इसे कार्यान्वित करने के लिए सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के नाम मार्ग-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1 जनवरी, 1986 से 30 जून, 1985 तक की अवधि की तुलना में 1 जनवरी, 1985 से 30 जून, 1986 तक बैंक लूटपाटों/डकैतियों तथा उनमें अंतर्ग्रस्त राशियां।

	1-1-85 से 30-6-85 तक		1-1-86 से 30-6-86 तक	
				(राशि लाख रुपये)
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	1	12.75	—	—
असम	1	0.28	3	41.88
बिहार	5	7.83	3	14.58
पंजाब	5	0.97	23	29.31
चण्डीगढ़	1	0.33	—	—
दिल्ली	3	4.64	1	10.16*

*0.52 लाख रुपये की मूल्य की विदेशी मुद्रा सहित की राशि

1	2	3	4	5
गुजरात	—	—	4	7.47
हिमाचल प्रदेश	1	1.21	—	—
हरियाणा	1	2.40	—	—
जम्मू और काश्मीर	1	0.32	1	2.30
कर्नाटक	2	0.26	—	—
मध्य प्रदेश	2	2.47	1	3.15
मेघालय	—	—	1	2.81
महाराष्ट्र	2	4.18	9	20.93
मणिपुर	1	0.01 से कम	1	—
नागालैंड	3	26.77	1	13.00
राजस्थान	1	—	—	—
उत्तर प्रदेश	6	18.76	3	3.18
पश्चिम बंगाल	—	—	1	1.08

आभूषण और सोने के मूल्य के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं।
(आंकड़े अनन्तिम)

सातवीं योजना के दौरान राजस्थान में भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों की स्थापना

*33. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राजस्थान में भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा कितने होटल स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में पर्यटकों की सम्भावित संख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पर्यटन मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा राजस्थान

में नई होटल परियोजना स्थापित करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

(ख) जी नहीं।

[हिन्दी]

बिहार में पर्यटन केन्द्रों का विकास

*34. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ महीने पहले मंत्री जी ने बिहार के राजगीर, नालन्दा और बोधगया जैसे प्रमुख पर्यटन केन्द्रों का दौरा किया था; और

(ख) क्या सरकार ने उनके दौरे के बाद इन अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यटन केन्द्रों के विकास के लिए कोई योजना तैयार की है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मन्त्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) जी, हां।

(ख) पर्यटन मन्त्रालय ने बिहार सरकार के साथ परामर्श करते हुए बिहार के प्रमुख बौद्ध केन्द्रों का जिनमें राजगीर नालन्दा और बोधगया शामिल हैं, का विकास करने के लिए एक विस्तृत स्कीम तैयार की है। इस स्कीम में आवास की व्यवस्था, सड़कों का सुधार, उत्कृष्ट सड़क परिवहन प्रारम्भ करना, मार्गस्थ सुख सुविधायें, आदि तथा प्राचीन स्मारकों का उद्धार व नवीकरण शामिल हैं। पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट में पर्याप्त प्रचार का प्रबन्ध करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

बिहार में थावे में पर्यटन केन्द्र

*35. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार के गोपालगंज जिले में थावे में सुप्रसिद्ध दुर्गा मन्दिर देखने के लिए देश-विदेश से बड़ी संख्या में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए एक पर्यटन केन्द्र खोलने का विचार है और क्या इस सम्बन्ध में गोपालगंज के जिलाधिकारी से कोई रिपोर्ट मांगी गई है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह पर्यटन केन्द्र कब तक खोलने का विचार है और उस पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

पर्यटन मन्त्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) पर्यटन विभाग को बिहार राज्य सरकार से बिहार के गोपालगंज जिले के अन्तर्गत थावे में एक पर्यटक कम्पलैक्स का विकास करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

कनाड़ा में बसे उग्रवादियों द्वारा पाकिस्तान में भारतीय राजनयिकों पर हमला

*36. डा० वी० वेंकटेश
श्री कमल नाथ } : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने 'डेरा साहिब" गुरुद्वारे की घटना और लाहौर में गुरुद्वारे में 12 जून, 1986 को चार भारतीय राजनयिकों पर हमला करने वाले उग्रवादियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा निरन्तर की जा रही उपेक्षा के सम्बन्ध में 16 जून, 1986 को पाकिस्तान से अपना विरोध प्रकट किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) 12 जून की इस घटना के तुरन्त बाद पाकिस्तान की सरकार के समक्ष भारत का कड़ा विरोध नई दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों जगह प्रकट कर दिया गया था।

(ख) हमारे विरोध के बाद पाकिस्तान की सरकार ने 15 जून, 1986 को हमें बताया कि उन्होंने हमला करने वाले कनाडियाई सिखों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन 30 जून, 1986 को लाहौर के एक मजिस्ट्रेट ने इन हमलावरों की जमानत मंजूर कर ली।

अलाभकारी कपड़ा मिलों को बन्द करना

*37. श्री मोहनभाई पटेल
श्री अमर सिंह राठवा } : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में, सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में आर्थिक रूप से बहुत सी अलाभकारी कपड़ा मिलों को बन्द करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी मिलों की कुल संख्या राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) "कुप्रभावित कामगारों" के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) उन मिलों का आधुनिकीकरण किए जाने और उन्हें पुन: चालू करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

इलायची बोर्ड के प्रोत्साहक कार्य

*38. प्रो०पी०जे०कुरियन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलायची बोर्ड द्वारा स्वदेशी तथा विदेशी मंडियों के लिए आरम्भ किए गए प्रोत्साहक कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन उपायों के क्या परिणाम निकले हैं ?

विदेश मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) बोर्ड द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर की गई विकासात्मक गतिविधियों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना, बिक्री-सह-अध्ययन प्रतिनिधि मण्डलों का प्रायोजन, प्रचार अभियान और इलायची बोर्ड के बेहतरीन कार्यालय के जरिए निर्यातकों को परामर्शी सहायता आदि। इन संगठित प्रयासों के फलस्वरूप 1985-86 के दौरान 53.46 करोड़ रु० मूल्य की 3272 मे०टन इलायची का निर्यात हुआ जो कि मात्रा की दृष्टि से अब तक का रिकार्ड है।

घरेलू स्तर पर बोर्ड ने दिल्ली, बंगलौर, मद्रास और कोचीन में बिक्री संवर्धन केन्द्र खोल कर घरेलू बाजार विकास, प्रदर्शनियों तथा मेलों में भाग लेने तथा विभिन्न माध्यमों के द्वारा विज्ञापन जारी करने जैसी योजनाएं कार्यान्वित की।

इन उपायों से भारत में इलायची उद्योग भारी उत्पादन के बावजूद अपने अधिशेष भण्डार को बेच सका।

व्यापार घाटे की बिगड़ती हुई स्थिति

*39. श्री के०वी०शंकर गौडा
श्री वी०एस०विजयराघवन } : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल से दिसम्बर, 1985 तक की अवधि के दौरान हमारे निर्यात व्यापार में

और अधिक गिरावट आई है;

(ख) गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस वर्ष के आयात और निर्यात व्यापार के आंकड़े और प्रतिशतता क्या है;

(ग) वर्ष 1985-86 के व्यापार घाटे सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं; और

(घ) इस घाटे को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) और (ख) अप्रैल-दिसम्बर, 1985 के लिए उपलब्ध भारत के निर्यातों तथा आयातों सम्बन्धी अनन्तिम आंकड़े पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में निम्नोक्त प्रकार हैं: -

(मूल्य करोड़ रु०)

	अप्रैल-दिसम्बर		अप्रैल-दिसम्बर 1984 की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर 1985 में % परिवर्तन
	1984	1985	
निर्यात (अपरिष्कृत तेल सहित)	8146.17	7655.57	—6.0
निर्यात (अपरिष्कृत तेल को छोड़ कर)	6951.73	7520.42	+8.2
आयात	11746.14	13866.57	+18.0

स्रोत : डी०जी०सी०आई०एण्ड एस०, कलकत्ता।

(ग) पूरे वित्तीय वर्ष 1985-86 के संबंध के भारत में व्यापार घाटे के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) व्यापार घाटे को कम करने की दृष्टि से हाल ही में जोरदार संवर्धनात्मक उपाय किए गए हैं। इनमें शामिल हैं : हमारे निर्यात बढ़ाना, हमारे उत्पादक आधार में विविधता लाना, हमारे उत्पादक साधन को आधुनिक बनाना, हमारी औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन तथा समय-समय पर संशोधन आदि। सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान हमारा आयात योग्य घरेलू उत्पादन, विशेष रूप से बल्क आयातों के क्षेत्र में, बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्रीलंका सरकार के जातीय समस्या को हल करने के नवीनतम प्रस्ताव

*40. श्री विलास मुत्तेमवार
श्री वक्कम पुरुषोत्तमन } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीलंका में तमिलों की हत्यायें अभी भी निर्बाध रूप से जारी हैं;

(ख) क्या भारत सरकार को हाल ही में श्रीलंका सरकार से इस समस्या के सम्बन्ध में नये समेकित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां। बताया जाता है कि सुरक्षा सेनाओं तथा तमिल उग्रवादियों के बीच लड़ाई तथा असैनिकों के खिलाफ हिंसा अभी चल ही रही है।

(ख) जी, हां।

(ग) श्रीलंका सरकार ने जो प्रस्ताव रखे थे उनमें यह व्यवस्था है कि श्रीलंका के संविधान में संशोधन किया जाए ताकि चुनी हुई क्षेत्रीय परिषदें बनाई जा सकें और उन्हें विधायी तथा कार्यकारी शक्तियां दी जा सकें। कानून और व्यवस्था तथा भूमि बंदोबस्त से सम्बद्ध पर्याप्त शक्तियां उन शक्तियों में से होंगी जो क्षेत्रीय परिषदों को दी जाएंगी। श्रीलंका सरकार क्षेत्रीय परिषदों के लिए उपयुक्त संस्थागत व्यवस्थाएं करने के सवाल पर विचार करने के लिए भी सहमत हो गई है ताकि एक दूसरे के साथ विचार-विमर्श करके परस्पर हित के मामलों में तालमेल के साथ कार्रवाई की जा सके।

श्रीलंका के प्रस्तावों की जांच पड़ताल करने के बाद सरकार ने यह महसूस किया कि अब ऐसी स्थिति आ गई है कि शक्तियों के अन्तरण से सम्बद्ध इन प्रस्तावों को श्रीलंका के तमिलों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है कि वे उन पर सावधानीपूर्वक विचार कर सकें। टुल्फ तथा अन्य तमिल दलों को श्रीलंका के प्रस्ताव जून, 1986 के अन्त में सौंप दिए गए हैं।

[अनुवाद]

मृत्यु के कारणों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय कार्यशाला

1. श्री चिन्तामणि जेना : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मृत्यु के कारणों के आंकड़ों संबंधी राष्ट्रीय कार्यशाला ने यह विचार व्यक्त किया

है कि स्वास्थ्य एजेंसियों और भारत के महापंजीयक द्वारा तैयार किए जा रहे मृत्यु संबंधी आंकड़े अविश्वसनीय और अवैज्ञानिक हैं;

(ख) यदि हां, तो कार्यशाला द्वारा क्या सिफारिश की गई हैं; और

(ग) इन सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) कार्यशाला में यह महसूस किया गया था कि मृत्यु दर के बारे में स्वास्थ्य एजेंसियों और महापंजीयक, भारत द्वारा इस समय तैयार किए जा रहे आंकड़े जनसंख्या की विशिष्ट यूनिटों अथवा क्षेत्र से संबंधित नहीं है और इससे एक वैज्ञानिक समय श्रृंखला बनती है।

(ख) कार्यशाला द्वारा की गई सिफारिशों की एक प्रतिलिपी विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) कार्यशाला की एक रिपोर्ट और इसकी सिफारिशें संबंधित केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों को महापंजीयक, भारत द्वारा इनका कार्यान्वयन करने के लिए भेजी जा रही है।

विवरण

मृत्यु के कारण के आंकड़ों के सम्बन्ध में कार्यशाला की सिफारिशें

महापंजीयक भारत ने कार्यशाला के विभिन्न तकनीकी सत्रों में रखे गए विचारों को सारांश रूप में प्रस्तुत किया; इस सारांश के बाद श्री श्रीनिवासन ने इस कार्यशाला में की गई सिफारिशों का एक सेट प्रस्तुत किया। ये सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

1. सभी शिक्षण, विशिष्ट और जिला अस्पतालों के लिए पर्याप्त स्टाफ क्षमता के साथ मेडिकल रिकार्ड एकक का एक विभाग अनिवार्य है और सभी राज्यों द्वारा उसकी स्थापना का कार्य चरणबद्ध ढंग से वर्ष 1980 तक पूरा कर लिया जाए न्यूनतम स्टाफ अपेक्षा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के तत्वावधान में लखनऊ में हुई मेडिकल रिकार्ड सम्बन्धी कार्यशाला द्वारा संस्तुत पैटर्न पर आधारित होगी। यह स्पष्ट किया गया था कि मेडिकल रिकार्ड विभाग अथवा एकक की अध्यक्षता एक अधिकारी द्वारा की जाए जिसके लिये आवश्यक नहीं है कि वह चिकित्सा क्षेत्र का ही हो। यह भी नोट किया जाता है कि वर्तमान में भी, चिकित्सा अभिलेख अधिकारी सामान्य रूप से सांख्यिकीय सम्बन्धी ज्ञान रखने वाला हो।

2. जहां तक स्नातक पूर्व पाठ्यचर्या का सम्बन्ध है उसमें कोई परिवर्तन किये जाने की जरूरत नहीं है लेकिन चिकित्सा अभिलेख, जिसमें प्रमाणन क्रिया विधि भी शामिल है, के बारे में वस्तुविषयक प्रश्नों पर बल दिया जाना चाहिए। इन्टर्नशिप अवधि के दौरान पुनः चिकित्सा स्नातकों को इस विषय पर 15 दिन से एक महीने की अवधियों के लिए पर्याप्त विषय परिचायक प्रशिक्षण दिया जाये जिसमें वरिष्ठ संकाय सदस्य से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाये।

3. यह भी राय थी कि सभी संस्थाओं में चिकित्सा अभिलेख विभाग स्थापित करने के लिए अपेक्षित संख्या तक चिकित्सा अभिलेख अधिकारी, चिकित्सा अभिलेख तकनीशियनों आदि के चयन हेतु नियमित प्रशिक्षण और चयन प्रक्रियाओं को इस सम्बन्ध में संस्थाओं और प्रक्रियाओं का उपयोग करके जारी रखा जाए। चिकित्सा अभिलेख विभागों में वास्तविक रूप से कार्य कर रहे व्यक्तियों अथवा उनके एवजियों के लिए इसी दौरान कुछ अनौपचारिक लघु अवधि विषयपरिचायक अथवा अभिज्ञा पाठ्यक्रम की आवश्यकता भी है क्योंकि वे विभिन्न संस्थाओं में मौजूद हैं। इस प्रयोजन के लिए यह सुझाव दिया गया था कि प्रत्येक राज्य में इस प्रयोजन के लिए उत्तम चिकित्सा अभिलेख विभागों वाले शिक्षण अस्पतालों जैसी एक अथवा दो संस्थाएं नामित की जाएं और अन्य संस्थाओं में वास्तव में इस कार्य को कर रहे व्यक्तियों को एक पखवाड़े अथवा एक महीने के लिए इन चुनिन्दा संस्थाओं में भेज दिया जाए ताकि उस कार्य को करने के लिए जिसे वे कर रहे उन्हें और भी अच्छी जानकारी मिल जाए।

4. प्रत्येक राज्य और निचले स्तरों पर उन कोडरों का पता लगाएं जिन्हें मृत्यु के कारण की कोडिंग करने के कार्य में प्रशिक्षित किए जाने की जरूरत है और उन्हें ऐसा प्रशिक्षण देकर संस्थाओं में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करके एक चरणबद्ध ढंग से प्रशिक्षित किया जाए। इस सम्बन्ध में यह भी महसूस किया गया कि इस समय दिये जा रहे वजीफे की रकम आकर्षक नहीं है जबकि इसकी अवधि काफी लम्बी है। सम्बन्धित प्राधिकारी इन पहलुओं पर विचार करें और सस्ती रहने और खाने पीने की सुविधाएं भी प्रदान करें ताकि राज्य वर्तमान सुविधाओं का पूरा उपयोग कर सकें।

5. सभी सदस्यों की यह भी राय थी कि जब इस कार्य को कर रहे डाक्टर पहले ही मृत्यु के कारण को अपेक्षाओं के अनुसार प्रमाणन करने में सक्षम है, प्रायः उनमें अपेक्षित लगन का अभाव था और प्राय कार्य की महत्ता को पूरी तरह से नहीं समझा गया। इसलिए यह महसूस किया गया था कि प्रत्येक राज्य सम्बन्धित संस्थाओं के डाक्टरों को प्रमाणन के प्रयोजन और इसके महत्व से अवगत कराने के लिए विषय-परिचायक पाठ्यक्रमों का आयोजन करे चाहे ये पाठ्यक्रम केवल एक दिन अथवा दो दिन के ही क्यों न हों और उनके लिए व्यावहारिक दृष्टांतों से उचित कार्यविधि की समीक्षा भी करें।

6. ग्रुप महसूस करता है कि उप केन्द्र में पैरा चिकित्सा स्टाफ को मृत्यु रजिस्टरों में मृत्यु का कारण भरना होता है और अन्ततः यह आंकड़ों का एक बहुत ही लाभदायक और व्यापक स्रोत बन सकता है। तथापि, इस समय पैरा चिकित्सा स्टाफ को अपने कार्य के इस भाग के बारे में अधिक जानकारी नहीं है और यह महसूस किया गया कि कार्य प्रशिक्षण अथवा पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों आदि में, जो इन श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए है, मृत्यु के कारण रिकार्ड करने के आधारों को शामिल करना उपयुक्त होगा। इसी प्रकार नर्सिंग स्टाफ को जिला और अन्य अस्पतालों में चिकित्सा अभिलेख तथा उससे सम्बन्धित कार्य में शामिल किया जाता है। यह महसूस किया गया कि चिकित्सा अभिलेख के विषय को नर्सिंग स्टाफ के प्रशिक्षण के लिए पाठ्यचर्या में भी शामिल करना उपयुक्त हो सकता है।

7. यह महसूस किया गया कि मृत्यु दर के बारे में स्वास्थ्य एजेंसियों और महापंजीयक,

भारत द्वारा इस समय तैयार किए जा रहे आंकड़े जनसंख्या की विशिष्ट यूनिटों अथवा क्षेत्र से संबंधित नहीं है और इससे एक वैज्ञानिक समय शृंखला नहीं बनती। इसलिए सम्बन्धित मामलों का विस्तारपूर्वक अध्ययन करने के लिए जिनमें रुग्णता दर के आंकड़ों के बारे में स्थिति भी शामिल हैं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के परामर्श से एक वर्किंग ग्रुप स्थापित किया जाए और यह अपनी विशिष्ट सिफारिशें दें।

8. यह महसूस किया गया कि प्रमाणन प्राधिकारी से स्थानीय रजिस्ट्रार तक और स्थानीय रजिस्ट्रार से मुख्य रजिस्ट्रार तक फार्म 8/8-क के संचालन के बारे में प्रेषण और मानिटरिंग निष्पादन निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है।

9. दल ने महसूस किया कि इस समय प्रमाणन और पंजीयन प्राधिकारियों के स्तरों पर मौत के कारण के बारे में चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर आधारित सूचना तैयार करने और उसे प्रेषित करने में काफी विलम्ब हो जाता है जिससे आंकड़ों को प्रकाशित करने में देरी हो जाती है। दल ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे सभी विलम्बों को दूर किया जाए जिससे आंकड़ों को तेजी से प्रकाशित किया जा सके।

10. जहां कहीं आवश्यक हो मुख्य रजिस्ट्रार मेडिकल सर्टिफिकेशन आफ काज आफ डेथ सम्बन्धी फिजिशियन्स मैनुअल का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए कदम उठा सकता है। इसी प्रकार महापंजीयक, भारत हिन्दी अनुवाद उपलब्ध कर सकता है।

11. दल को सूचित किया गया कि कुछ राज्यों में यह समस्या छपे फार्मों की समय-समय पर हुई कमी के कारण पैदा हुई। इस बात पर जोर दिया गया कि इस सम्बन्ध में समय पर आवश्यक कार्रवाई करना मुख्य पंजीयक का काम है।

12. ग्रामीण क्षेत्रों में मृत्यु के कारण का सर्वेक्षण के कार्य में सुधार करने के लिए और इसके कार्य के निगरानी और निरीक्षण भाग को नियमित सुदृढ़ बनाए जाने की जरूरत है।

13. अधिकांश सदस्य क्षेत्रीय एजेंटों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रिकार्डर को भी बेहतर मानदेय दिए जाने के पक्ष में थे इससे नियमित रूप से अर्धवार्षिक सर्वेक्षण करने में मदद भी मिल सकती है। बेहतर कार्य निष्पादन वाले क्षेत्रीय कार्मिकों को पारितोषिक और गुणवत्ता प्रमाण पत्र देने का प्रस्ताव भी रखा गया।

14. आम राय थी कि मौजूदा नमूना आकार अपर्याप्त है और सर्वेक्षण के परिणामों को विश्वसनीय बनाने तथा उपयोगी बनाने के लिए इसमें जब कभी सम्भव हो, विस्तारपूर्वक सुधार किया जाना चाहिए।

15. यह भी जांच की जानी है कि क्या मृत्यु कारण सर्वेक्षण (ग्रामीण) के नमूना डिजाइन में परिवर्तन करना सम्भव है ताकि इसके नमूने को जैसा कि यह इस समय एस०आर०एस० के एक भाग अथवा अन्यथा के रूप में है, ग्रामीण जनसंख्या का एक बेहतर प्रतिनिधि बनाया जा सके।

सदस्यों द्वारा इन सिफारिशों का अनुमोदन किए जाने के बाद महापंजीयक, भारत ने सदस्यों को कार्यशाला में उनके अमूल्य सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। प्रो० टी० आर० आनन्द, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान द्वारा धन्यवाद देने के बाद यह कार्यशाला समाप्त हुई।

केन्द्रीय विद्यालयों में योग शिक्षा अध्यापक

2. श्री बसुदेव आचार्य
श्री अनिल बसु
डा० सुधीर राय
} : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सारे देश में लगभग 400 केन्द्रीय विद्यालयो में कार्यरत योग शिक्षा अध्यापकों की सेवाएं समाप्त की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने अध्यापक प्रभावित होंगे;

(ग) सरकार द्वारा केन्द्रीय विद्यालयों के योग शिक्षा अध्यापकों की सेवायें समाप्त करने का निर्णय लेने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इनमें से कई ऐसे अध्यापक, जिन्होंने 5 वर्ष से अधिक की सेवा कर ली है, अन्य सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए आयु सीमा से अधिक के हो गये होंगे;

(ङ) क्या सरकार ऐसे योग शिक्षा अध्यापकों को जिनके बेरोजगार होने की सम्भावना है, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है;

(च) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में योग शिक्षा के अध्यापन की योजना का मूल्यांकन करने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी; और

(छ) यदि हां, तो इसकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

(च) केन्द्रीय विद्यालयों में योग शिक्षण की योजना का मूल्यांकन करने के लिए एक अध्ययन दल का गठन किया गया था।

(छ) सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं। केन्द्रीय विद्यालय संगठन का शासी बोर्ड मामले में अन्तिम निर्णय लेगा।

विवरण

सिफारिशों का सारांश

1. हम सिफारिश करते हैं कि केन्द्रीय विद्यालयों में योग का शिक्षण जारी रहना चाहिए। इसके लिए पर्याप्त औचित्य है।

2. इन विद्यालय में शिक्षा-V से IX तक उन बच्चों को छोड़कर जो विकलांग, चिकित्सा की दृष्टि से अयोग्य तथा जिन्हें अन्य किसी प्रकार की कठिनाई है, सभी बच्चों के लिए योग का शिक्षण आयोजित किया जाना चाहिए।

3. कक्षा X से XII के छात्रों के लिए योग का शिक्षण ऐसे कार्यकलापों के लिए निर्धारित घंटों के दौरान एक सह पाठ्यचर्या कार्यकलाप के रूप में आयोजित किया जाना चाहिए। कक्षा X—XII के इच्छुक छात्रों तथा योगा के बारे में और अधिक जानकारी चाहने वाले अन्य कक्षाओं के इच्छुक छात्रों को इस कार्यक्रम में भाग लेने की सलाह दी जानी चाहिए।

4. रिपोर्ट में उल्लिखित रूपरेखाओं के अनुरूप संगठन के चुने हुए शिक्षकों, योग में अनुसंधान की पृष्ठभूमि रखने वाले एक चिकित्सा शिक्षक तथा कुछ शिक्षाविदों के सहयोग से सिद्धान्त तथा व्यवहार्य दोनों में एक संशोधित पाठ्यचर्या तैयार की जानी चाहिए। इसमें कक्षा V से IX के लिए एक पाठ्य विवरण और अन्यों के लिए एक उच्च पाठ्यचर्या होनी चाहिए।

5 योग पाठ्यचर्या, योग शिक्षण तथा मूल्यांकन का प्रणाली विज्ञान, विषय सम्बन्धित करो तथा न करो तथा सम्बन्धित सहायता का उपयोग तथा प्रभावी शिक्षण के उदाहरण वाली एक छोटी पुस्तक तैयार की जानी चाहिये तथा योग शिक्षकों को उनके मार्गदर्शन के लिये उपलब्ध कराई जानी चाहिये।

6. योग में अलग से कोई पाठ्य-पुस्तक तैयार करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु योग से सम्बन्धित पहलुओं के रुचिकर पाठों को सामाजिक ज्ञान, भाषाओं तथा विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में शामिल किया जाना चाहिए।

7. भविष्य में योग शिक्षकों को नियुक्त किए जाने के लिए, न्यूनतम अर्हता योग, बाल मनोविज्ञान, मानव शरीर संरचना तथा शरीर विज्ञान तथा संचार और मूल्यांकन के तरीकों में एक वर्ष के प्रशिक्षण सहित स्नातक होना चाहिए।

8. इस प्रकार नियुक्त योग अध्यापक का वेतनमान केन्द्रीय विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक के समान होना चाहिए अर्थात् 440-20-500-द०रो० 25-700-द०रो०-25-750.

9. एक तरफ शिक्षा की जरूरतों और दूसरी ओर इसमें शामिल अध्यापक के मानवीय पक्ष को ध्यान में रखते हुए हम यह सिफारिश करते हैं कि :

(i) संगठन द्वारा 1981 में चयन किये गये और नियुक्त किये गये सभी योग-अध्यापकों का विधिवत् गठित समिति द्वारा पुनर्विचार किया जाना चाहिये। वे जो नये अध्यापकों के लिए निर्धारित अर्हताएं (शैक्षणिक और व्यावसायिक) पूरी करते हैं और अन्यथा उपयुक्त पाए जाते हैं, उनको नए वेतनमान में रखा जाना चाहिये।

(ii) जो अध्यापक निर्धारित योग्यताओं के सम्बन्ध में अयोग्य हैं किन्तु अन्यथा उपयुक्त हों तो उन्हें निर्धारित स्तर तक एक से चार वर्षों तक की अवधि, जैसा कि व्यक्तिगत मामले में अपेक्षित हो, अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए निश्चित समय दिया जाना चाहिए। वे सभी जो विहित योग्यता प्राप्त करते हैं और अन्यथा सन्तोषजनक पाए जाते हैं, जब वे उन अर्हताओं को प्राप्त कर लें, उन्हें भी नये वेतनमान दिये जाने चाहिएं।

(iii) जो अध्यापक निर्धारित योग्यता नहीं रखते किन्तु यदि उनका कार्य और आचरण अन्यथा उस समय तक सन्तोषजनक माना जाता हो, तो उन्हें उस समय तक विद्यमान वेतनमान में जारी रखना चाहिए, जब तक वे निर्धारित योग्यता प्राप्त नहीं कर लेते।

(iv) ऐसे अध्यापक जो न तो निर्धारित योग्यता पूरी करते हों, और न ही उनका कार्य सन्तोषजनक माना जाए तो उन्हें नियमानुसार निकालना चाहिए।

10. जिन विद्यमान योग अध्यापकों को सेवा में रखने का निर्णय किया गया है, उनके निर्धारित स्तर तक प्रशिक्षण की व्यवस्था देश के चुने गए संस्थानों में की जा सकती है जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है।

11. संगठन उन सभी योग-अध्यापकों के लिए अनुस्थापन का एक द्रुतगामी कार्यक्रम भी शुरू करे, जो सेवा में रखे गये हैं लेकिन उनके लिए तत्काल अपनी शैक्षिक या व्यावसायिक अर्हताओं में कमी को पूरा करना जरूरी नहीं है। यथा समय योग अध्यापक के लिए अनुस्थापना कार्यक्रम विद्यालय में कार्यरत अन्यों के समान होना चाहिए।

12. योग शिक्षण के सन्तोषजनक आयोजन के लिए हाल या प्रदर्शन के लिए बड़े प्लेटफार्म के साथ बड़े कमरों के रूप में भौतिक सुविधाएं हों और ग्लास, बास्केट, केनसरनिंग अथवा पोटेबल जल और दरी/टाट पट्टी/चटाई आदि जैसे अन्य उपस्कर विद्यालयों को जहां इन चीजों की कमी हो उपलब्ध कराये जाने चाहिएं। प्रत्येक छात्र के लिए अलग-अलग उपयोग के लिए छोटी दरी/टाटपट्टी/चटाई निर्धारित करना बेहतर है।

13. योग कक्षाएं 40 से 50 के बैचों में या कक्षा के एक अनुभाग के आधार पर आयोजित की जानी चाहिएं और 200 के समूहों में नहीं जैसा कि मूल योजना में प्रावधान किया गया है।

14. योग को उन विषयों में भी शामिल किया जाना चाहिए जिसके लिए संगठन प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित करता है। ऐसी प्रतियोगिताएं योगा के सम्बन्ध में भी

सम्भव है जैसा कि रिपोर्ट में दर्शाया गया है।

15. योग कक्षाओं में बड़ी उम्र की लड़कियों के लिए पोशाक का प्रश्न कोई बड़ी समस्या नहीं है। यह स्वतः ही सुलझ जाएगी यदि महिला योग अध्यापिका नियुक्त की जाए। अन्यथा अनेक विद्यालयों में प्रचलित पद्धति का अनुसरण करते हुए ये लड़कियां योग-दिवस पर सलवार कमीज में आ सकती हैं या योग की अवधि के दौरान ऐसी ही पोशाक अथवा खुली चूड़ीदार वर्दी ला सकती हैं।

16. हम यह सिफारिश करते हैं कि मूल योजना में प्रस्तावित अनुश्रवण समिति की शीघ्र स्थापना की जानी चाहिए। इसकी सदस्यता में योग, औषधि और स्कूल शिक्षा में विशेषज्ञ शामिल होने चाहिएं।

17. योग शिक्षण कार्यक्रम का विस्तार धीरे-धीरे अन्य केन्द्रीय विद्यालयों में संशोधित आधार पर किया जाना चाहिए जो कि अपेक्षित अर्हताओं वाले अध्यापकों की उपलब्धता और हमारे द्वारा सुझाये गये अन्य निवेशों की व्यवस्था के लिए संगठन के संसाधनों पर निर्भर करेगा।

हावड़ा आम्टा लाइन पर जलुआरबेरे में फ्लैग स्टेशन

3. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने हावड़ा-आम्टा लाइन पर जलुआरबेरे में फ्लैग-स्टेशन की योजना स्वीकार कर ली है;

(ख) क्या इस फ्लैग-स्टेशन के लिए कार्य आरम्भ करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं; और

(ग) अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

देशव्यापी सूखे को देखते हुए परिवहन विभाग द्वारा दी गयी राज सहायता/रियायतें

4. **श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के अनेक भागों में व्याप्त सूखे को देखते हुए परिवहन विभाग (विशेषकर रेलवे में) द्वारा वर्तमान योजना के अन्तर्गत सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए कृषि सम्बन्धी आवश्यक सामग्रियों जैसे पशुओं के चारे, प्राकृतिक खाद आदि के परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए क्या नई राजसहायता/रियायतें दी गई हैं; और

(ख) यदि इस प्रकार की कोई सुविधा दी गई है तो उसके प्रचार के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) कमी वाले क्षेत्रों को 200 कि०मी० से अधिक दूरी के लिए रेल द्वारा बुक किए गए चारे के लिए श्रेणी 110 की रियायती दर पर भाड़ा लिया जाता है बशर्ते कि निर्धारित शर्तें पूरी हों।

क्षेत्रीय रेल प्रशासनों से सम्पर्क करके इसका लाभ उठाने के लिए इस रियायत की उपलब्धता के बारे में राज्य सरकारों को सूचित कर दिया गया है।

कर्नाटक में रेलवे प्लेटफार्मों का विद्युतीकरण

5. डा० वी० वेंकटेश : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में इस समय कुल कितने रेलवे प्लेटफार्म ऐसे हैं जहां पर बिजली की व्यवस्था नहीं है; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वहां रेलवे प्लेटफार्मों पर बिजली लगाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) 37 हाल्टों सहित 86 स्टेशन।

(ख) 5 स्टेशनों का विद्युतीकरण करने के लिए पहले से ही कार्यक्रम बनाया गया है और शेष स्टेशनों को परवर्ती वर्षों के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा बशर्ते धन उपलब्ध हो और "यात्री सुविधा समितियों" द्वारा प्राथमिकताएं दी गयी हों।

2000 ई० तक यात्री और माल यातायात में वृद्धि करने की योजना

6. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने वर्ष 1985-86 की अवधि में कोई ऐसी योजना तैयार की है जिसके अनुसार 2000 ई० तक यात्री तथा माल यातायात दोनों में 90 प्रतिशत वृद्धि करने की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) 1985 से सन 2000 तक की 15 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रेलों हेतु तैयार की गई समवेत योजना में यात्री और माल यातायात में क्रमश: लगभग 87 प्रतिशत और 114 प्रतिशत की वृद्धि होने की परिकल्पना की गई है।

(ख) योजना में अपेक्षित चल-स्टाक और लाइन क्षमता के विकास, प्रौद्योगिकी के उन्नयन और प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए लगभग 45,000 करोड़ रुपये के निवेश की परिकल्पना की गई है। यातायात में होने वाली प्रत्याशित वृद्धि को सम्हालने के लिए लम्बी दूरी की यात्री गाड़ियां और भारी माल गाड़ियां चलाना, महत्वपूर्ण/उच्च घनत्व वाले मार्गों का उत्तरोत्तर विद्युतीकरण, माल गाड़ी परिचालन और यात्री आरक्षण का संगणकीकरण, भारी अश्व शक्ति वाले रेल इंजनों और उन्नत अभिकल्प के माल डिब्बों की खरीद जैसी कुशल नीतियां अपनाने का प्रस्ताव है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आयुर्वेदिक उपचार के लिए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति

7. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कर्मचारियों को आयुर्वेदिक औषधियों के लिए चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की अनुमति नहीं है जबकि वे एलोपैथिक औषधियों के लिए इस प्रतिपूर्ति के पात्र हैं;

(ख) यदि हां, तो आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के प्रति इस भेदभाव के क्या कारण हैं जबकि इसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाता है; और

(ग) इस भेदभाव को कब दूर किया जाएगा और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को आयुर्वेदिक चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की अनुमति कब दी जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति के नियम भिन्न-भिन्न हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार इनमें से कई उपक्रम आयुर्वेदिक दवाओं की कीमत की प्रतिपूर्ति करते हैं और इन्होंने अपने कर्मचारियों के उपचार के लिए अंशकालिक आयुर्वेदिक चिकित्सक भी नियुक्त कर रखे हैं।

[हिन्दी]

ट्रकों को राष्ट्रीय परमिट जारी करने सम्बन्धी नीति

8. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्रकों को राष्ट्रीय परमिट जारी करने के लिए सरकार द्वारा क्या नीति अपनाई जा रही है; और

(ख) पुरानी नीति की तुलना में इस नई नीति का आम उपभोक्ताओं के उपयोग में आने वाली आवश्यक वस्तुओं की कीमतों एवं इनकी उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) 28-1-1986 से राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए ट्रकों के अनेक राष्ट्रीय परमिटों पर से कोटा प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। इसलिए अब किसी भी व्यक्ति को जो राज्य/संघ शासित क्षेत्र में सामान्यत: निवासी हैं संबंधित परिवहन प्राधिकरण को आवेदन-पत्र देने पर परमिट प्रदान किया जाएगा। बशर्ते कि मोटर यान अधिनियम 1939 में विहित सामान्य शर्तों को वह पूरा करता हो।

(ख) यह नई नीति सभी ट्रक प्रचालकों को राष्ट्रीय परमिट सुलभ करना सुनिश्चित करती है और इसी प्रकार आवश्यकतानुसार अनिवार्य वस्तुओं सहित उपयोगी वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय संचलन को सुविधाजनक बनाती है। राष्ट्रीय परमिट की अनुपलब्धता के कारण अब परिवहन सम्बन्धी बाधा उत्पन्न नहीं होगी।

[अनुवाद]

खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय निधि समिति

9. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में खिलाड़ियों के लिए एक सामान्य राष्ट्रीय निधि समिति का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं और इसके क्या कार्य हैं तथा खिलाड़ियों के हित की रक्षा करने के लिए सरकार की नीति क्या है ?

युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) और (ख) खिलाड़ियों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार की नीति के अनुसरण में सरकार ने अभावग्रस्त परिस्थितियों में खिलाड़ियों तथा उनके परिवारों को उपयुक्त सहायता प्रदान करने के विचार से खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष स्थापित किया है। सरकार ने कोष के लिए सामान्य समिति गठित की है जिसका कार्य, उसका प्रबन्ध और प्रशासन करना है। युवा कार्यक्रम और खेल तथा महिला और बाल विकास राज्य मंत्री इस समिति की अध्यक्ष हैं और इसमें राज्य खेल परिषदों/राज्य सरकारों, राष्ट्रीय खेल संघों, वेटर्न खेल व्यक्ति, भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग चैम्बर संघ, शारीरिक शिक्षा तथा खेल राष्ट्रीय संस्थान के लिए सोसायटी (स्नाइप्स) के प्रतिनिधि और अधिकारीगण शामिल हैं।

एम० बी० बी० एस० के लिए छात्रों का नामांकन

10. **श्री अमिताभ बच्चन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के भिन्न-भिन्न मेडिकल कालेजों में वर्ष 1983 से एम०बी०बी०एस० की शिक्षा के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष वार और कालेजवार नामित किए गए उम्मीदवारों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उनकी संख्या कितनी है, तथा प्रवेश किए गए कुल उम्मीदवारों में उनकी प्रतिशतता क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) भारत सरकार कुछेक, ऐसी सीटें, जो मेडिकल कालेजों वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा बिना मेडिकल कालेजों वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय पूल में सौंपी जाती हैं, रक्षा कार्मिकों को बच्चों, अन्य अर्ध चिकित्सा संगठनों, सांस्कृतिक आदान-प्रदान शिक्षावृत्तियां प्राप्त करने वाले विदेशी छात्रों, अपने खर्चे पर पढ़ने वाले छात्रों, बर्मा और श्रीलंका आदि से स्वदेश प्रत्यावर्तितों को आवंटित करती है। इन सीटों का आबंटन हर वर्ष भिन्न-भिन्न होता है जो केन्द्रीय पूल में उपलब्ध कुल एम०बी०बी०एस० सीटों पर निर्भर करता है। छात्रों का चयन और नामांकन उन संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/एजेंसियों द्वारा किया जाता है। जिन्हें ये सीटें आबंटित की जाती हैं। बिना मेडिकल कालेजों वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा अन्य संबंधित एजेंसियों को आबंटित की गई सीटों पर दाखिल किए गए छात्रों की वास्तविक संख्या के बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में संयुक्त सलाहकार तंत्र

11. **डा० सुधीर राय** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने अपने कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार तंत्र की एक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या उसके अन्तर्गत कर्मचारी परिषद का गठन कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसा कब तक करने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) संयुक्त परामर्शी तंत्र का उद्देश्य केन्द्रीय विद्यालय संगठन और इसके कर्मचारियों के

बीच सद्भावपूर्ण संबंधों को प्रोत्साहित करना और सहयोग का सबसे बड़ा उपाय प्राप्त करना है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के संयुक्त परामर्शी तंत्र में एक सरकारी पक्ष और एक कर्मचारी पक्ष है। कोई भी व्यक्ति जो केन्द्रीय विद्यालय संगठन का कर्मचारी नहीं है, उसे कर्मचारी पक्ष की ओर से परिषद में सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया गया है। परिषद के कार्य क्षेत्र में सेवा और कार्य की स्थिति से संबंधित सभी मामले, कर्मचारियों का कल्याण और दक्षता तथा कार्य के स्तर आदि में सुधार आदि शामिल हैं। परिषद में दोनों पक्षों के बीच हुए करार तभी लागू होंगे जब केन्द्रीय विद्यालय संगठन का शासी बोर्ड अन्तिम रूप से स्वीकृति दे देगा। अन्तिम रूप में असहमति वाले मामले में, जिसके लिए अनिवार्य मध्यस्थता का प्रावधान योजना में किया गया है, के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) द्वारा नियुक्त किए जाने वाले मध्यस्थ बोर्ड को मामले भेजने का प्रावधान है। अन्य मामले में, अभिशासी मंडल को अपने निर्णय के अनुसार कार्रवाई करनी होती है। परिषद के संविधान के अनुसार, कर्मचारी पक्ष में अधिक से अधिक 7 सदस्यों को निम्नलिखित विवरण के अनुसार मान्यता प्राप्त संघों द्वारा नामजद किया जाता है।

(I)	अध्यापक संघ	—	4
(II)	गैर-शिक्षण कर्मचारी संघ	—	2
(III)	मुख्यालय कर्मचारी संघ	—	1

(ग) और (घ) जी, नहीं। कुछ मामले दिल्ली और कलकत्ता उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े हैं जिसके परिणामस्वरूप संयुक्त परामर्शी तंत्र का बनाया जाना रुक गया है।

स्वैच्छिक रक्तदान

12. **श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्वैच्छिक रूप से किया गया रक्तदान अधिकांशत: अस्वस्थ, निर्धन और नशे के आदी लोगों द्वारा किया जाता है और इस प्रकार के रक्त के चढ़ाने के पश्चात गम्भीर समस्यायें उत्पन्न हो सकती हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आयातित किटों के अल्प-जीवन काल, कस्टम से छुड़ाने में होने वाले विलम्ब आदि जैसी अनेक कठिनाइयों के कारण अधिकांशत: रक्त बैंक आवश्यक परीक्षण नहीं कर पाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा लोगों को यह बताने के लिए कि वह अपने रोगियों के लिए स्वयं रक्तदान करें और पेशेवर दाताओं से रक्त न लें, किये गये प्रयत्नों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क)

पेशेवर रक्त दाताओं द्वारा दान किया गया रक्त, न कि स्वैच्छिक रक्त दाताओं का रक्त, सामान्यतः निम्न कोटि का होता है क्योंकि वे बार-बार रक्तदान करते रहते हैं।

(ख) रक्त बैंकों में अनिवार्य परीक्षणों को करने के लिए उपकरण देश में आसानी से उपलब्ध हैं।

(ग) अब प्रयास यह है कि स्वास्थ्य शिक्षा और प्रचार अभियान के जरिए रक्त के पेशेवर दाताओं का बहिष्कार किया जाए और स्वैच्छिक रक्त दाताओं को प्रोत्साहित किया जाए।

वैगनों के निर्माण के लिए बड़े प्रयोक्ताओं द्वारा वित्त प्रबन्ध

13. **श्री गुरुदास कामत** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे वैगनों का प्रयोग करने वाले बड़े प्रयोक्ताओं को पट्टा आधार पर वैगन निर्माण में पूंजी निवेश की अनुमति देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे वैगनों के इन बड़े प्रयोक्ताओं ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव पर कतिपय उपयोगकर्त्ता उद्योगों और लीजिंग कम्पनियों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।

अस्पतालों में आग से जल जाने के मामले

14. **डा० चिन्ता मोहन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में आग से जल जाने वालों के इलाज के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां। सफदरजंग और डा० राम मनोहर लोहिया अस्पतालों में जले हुए रोगियों के इलाज के लिए सुविधाएं विद्यमान हैं। लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में जले हुए रोगियों के इलाज के लिए कोई अलग विभाग नहीं है क्योंकि यह मुख्यता प्रसूति अस्पताल है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

त्रिवेन्द्रम में एयर इण्डिया को खान-पान सेवा को भारत पर्यटन विकास निगम को दिया जाना

15. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के उन स्थानों से जहां पर भारत पर्यटन विकास निगम के होटल हैं, अपनी उड़ानों के लिए भोजन के लिये भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों पर ही निर्भर करता है;

(ख) क्या त्रिवेन्द्रम में केवल इंडियन एयरलाइन्स के विमान ही भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों से भोजन प्राप्त करते हैं जबकि एयर इंडिया उसकी गैर-सरकारी होटलों से व्यवस्था करती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का एयर इंडिया की खान पान सेवा को भी भारत पर्यटन विकास निगम को देने का विचार है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) खान-पान सम्बन्धी ठेके को अंतिम रूप देने से पूर्व एयर इंडिया और इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा भारत पर्यटन विकास निगम की सुविधाओं को जहां भी उपलब्ध हों, ध्यान में रखा जाता है।

(ख) जी, हां। त्रिवेन्द्रम में इण्डियन एयरलाइन्स, भारत पर्यटन विकास निगम के होटल से भोजन व्यवस्था करती है, जबकि एयर इण्डिया ने अपनी खान-पान की आवश्यकताओं के लिए ठेका एक गैर-सरकारी संस्था को दिया है।

(ग) जी, नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

नई दिल्ली और बरौनी के बीच अतिरिक्त सुपरफास्ट रेल गाड़ी का चलाया जाना

17. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैशाली एक्सप्रेस से नई दिल्ली और बरौनी के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों द्वारा टिकटों की खरीद से प्रतिदिन कुल कितनी राशि प्राप्त होती है;

(ख) क्या वैशाली एक्सप्रेस की टिकटों की बिक्री से प्रतिदिन होने वाली आय समान दूरी तय

करने वाली अन्य रेलगाड़ियों की आय की तुलना में दुगुनी है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इसी रेलगाड़ी में टिकटों का आरक्षण कराने के लिए यात्रियों को दो महीने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है और अन्य असुविधाओं का भी सामना करना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार लोगों की कठिनाइयों और टिकटों की बिक्री से होने वाली दैनिक आय को ध्यान में रखते हुए नई दिल्ली और बरौनी के बीच एक अन्य सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने का है और यदि हां, तो वह रेलगाड़ी कब तक शुरू की जाएगी ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) टिकटों की बिक्री के गाड़ी-वार आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं।

(ग) आमतौर पर गर्मियों की भीड़-भाड़ को छोड़ कर प्रतीक्षा सूची लम्बी नहीं होती है।

(घ) जी नहीं।

[अनुवाद]

दिल्ली जंक्शन पर यात्री प्लेटफार्म की कमी

18. **श्री ए० सी० षण्मुख** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली जंक्शन पर 22 सवारी डिब्बों की क्षमता वाले लंबे प्लेटफार्मों के न होने के कारण कालका मेल/फ्रंटियर मेल/पंजाब मेल रेलगाड़ियां दो प्लेटफार्मों को घेरकर खड़ी होती हैं;

(ख) क्या यात्री-प्लेटफार्मों की कमी होने से रेलवे इस स्थिति में नहीं है कि वह दिल्ली जंक्शन पर और रेलगाड़ियों के आने जाने की व्यवस्था कर सके;

(ग) क्या दिल्ली जंक्शन पर यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो जाने के बावजूद और अधिक यात्री प्लेटफार्मों की व्यवस्था करने के लिए कोई वैकल्पिक प्रबन्ध नहीं किये गये हैं;

(घ) क्या धनराशि मंजूर हो जाने और कश्मीरी गेट की तरफ जगह उपलब्ध होने के बावजूद प्रस्तावित प्लेटफार्म नहीं बनाये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) स्थान की कमी के कारण दिल्ली मेन स्टेशन पर अतिरिक्त प्लेटफार्मों की व्यवस्था करना संभव नहीं है।

(घ) और (ङ) रेलवे बोर्ड ने प्लेटफार्मों आदि के विस्तार कार्य को स्वीकृति दे दी है और उन पर कार्य हो रहा है। कश्मीरी गेट की ओर अतिरिक्त प्लेटफार्मों का निर्माण करने के लिए कोई स्थान नहीं है।

नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए पेयजल की सप्लाई संबंधी पूर्व शर्त

19. **श्री पी० एम० सईद** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि सिंचाई परियोजना स्वीकृत करने के पहले उस क्षेत्र की जनता को पेयजल की सप्लाई करने सम्बन्धी पूर्व शर्त लगायी जायेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या सिंचाई परियोजना की आर्थिक क्षमता तथा तकनीकी सुविधाएं, जो परियोजना विशेष के लिए उपलब्ध होनी चाहिए जैसी अन्य शर्तें तब तक अस्थगित रखी जायेंगी जब तक पेयजल उपलब्ध नहीं किया जाता; और

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त पूर्व-शर्त के पूरा किये जाने तक परियोजना को लंबित रखने का क्या औचित्य है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) सिंचाई तथा बहुप्रयोजनी परियोजनाओं में जल आपूर्ति घटक शामिल किये जाने पर जोर दिया जा रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा चिकित्सा आचार संहिता का उल्लंघन

20. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी चिकित्सा व्यवसायी द्वारा चिकित्सा आचार संहिता का उल्लंघन करने अथवा लापरवाही के कारण किसी संबंधी की मृत्यु होने अथवा रोगियों का अकुशल इलाज करने की स्थिति में शोक सन्तप्त व्यक्ति के पास कोई कानूनी अथवा कोई अन्य उपाय है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि इस संबंध में कोई विशिष्ट विधान नहीं है तो क्या सरकार का विचार ऐसा विधान लाने का है; और

(घ) क्या सरकार ने उन मामले के बारे में जानकारी एकत्र की है जिनमें दोषी चिकित्सा व्यवसायियों को सजा दी गई है अथवा लापरवाही अथवा रोगियों का अकुशल इलाज करने के लिए मुआवजे के रूप में धनराशि देने के निदेश दिए गए हैं और यदि हां, तो ऐसा कितने मामलों में किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) भारतीय दण्ड संहिता के अनेक सामान्य उपबन्धों अर्थात धारा 304 (क), 336 और 338 में किसी आपराधिक लापरवाही से बचने की व्यवस्था है। भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम की धारा 20 (क) में भी व्यावसायिक कदाचार की शिकायतों की जांच करने की व्यवस्था है।

(घ) जी, नहीं।

परिवार नियोजन के लिए सूचना, शिक्षा और संचार प्रशिक्षण योजना

21. कुमारी पुष्पा देवी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कुछ राज्यों में परिवार नियोजन के लिए लागू की जाने वाली एक सूचना, शिक्षा और संचार प्रशिक्षण योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों की संख्या और नाम क्या हैं जहां इस प्रकार की परिवार नियोजन प्रशिक्षण योजना लागू करने का विचार है;

(ग) इस प्रकार के कार्यक्रम को लागू करने के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और यह कितने वर्षों के लिए है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) चार राज्य—बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश।

(ग) पांच वर्षों के लिए 720 लाख रुपये।

(घ) आधारिक स्तर पर कार्य कर रहे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यकर्ताओं के मौजूदा प्रशिक्षण तथा निरीक्षण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक सूचना, शिक्षा और संचार प्रशिक्षण योजना तैयार की गई है। इस प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यकर्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रिया के अंग रूप में ऑन-दि-जॉब ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण संस्थाओं में बुलाने के बजाय प्रशिक्षक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यकर्ताओं के कार्य स्थान पर जाएंगे। प्रशिक्षण की विषय-वस्तु और कार्य विधि परम्परागत प्रकृति की मौजूदा पद्धति से अलग होगी जिसमें कार्यक्रम के तकनीकी पहलुओं की जानकारी देने के बजाय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की पारस्परिक संचार कुशलता सुधारने पर अधिक बल दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत आवश्यक अनुकूलन के साथ कृषि विस्तार में प्रयुक्त की जा रही प्रशिक्षण और दौरा पद्धति अपनाई जाएगी।

यह प्रशिक्षण 60 लाख डालर यू०एस०एड की सहायता से दो चरणों में दिया जाएगा। एक वर्ष के पहले चरण में यह प्रशिक्षण प्रत्येक राज्य के चुने हुए तीन जिलों में चलाया जाएगा। पहले चरण के परिणामों के आधार पर आवश्यक सुधार करने के बाद प्रशिक्षण कायकलाप चार राज्यों के शेष जिलों में चलाए जाएंगे। मौजूदा केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान और राज्यों के प्रशिक्षण केन्द्र कार्यक्रम के कार्यान्वयन में प्रशिक्षण सहायता उपलब्ध करेंगे। इस प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत चार राज्यों में पांच वर्षों की अवधि के दौरान 68,000 से अधिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किये जाने की आशा है।

उड़ीसा में तालचेर-सम्बलपुर रेल-लाइन का निर्माण

22. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्माणाधीन तालचेर-सम्बलपुर रेल लाइन की मूल योजना में कुछ परिवर्तन किये हैं;

(ख) क्या योजना के किन्हीं चरणों में इस रेल लाइन के निर्माण के लिए वैकल्पिक स्थलों का चयन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो मूल योजना, चुने गये स्थलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) निर्माण कार्य में क्या प्रगति हुई है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) इस रेल लाइन के निर्माण कार्य को 1982 में पूरे किए गए प्राथमिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण के अन्तर्गत तैयार प्लान के अनुसार अनुमोदित किया गया है। इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन को अनुमोदित नहीं किया गया है।

(घ) सम्बलपुर से मानेश्वर और तालचेर से अंगल के खंडों में कार्य चल रहा है। वर्तमान प्रगति लगभग 5 प्रतिशत है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के बच्चों का बीच में ही पढ़ाई छोड़ देना

23. **श्री राम धन :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लड़के व लड़कियां भारी संख्या में स्कूलों में दाखिला नहीं लेते और यदि दाखिला लेते भी हैं तो प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पहले ही पढ़ाई छोड़ देते हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत बच्चे दाखिला लेते हैं और कितने प्रतिशत बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं; और

(ग) क्या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सभी बच्चों का स्कूलों में दाखिला सुनिश्चित कराने और बीच में ही पढ़ाई छोड़ने के मामलों को रोकने के लिए अस्वच्छ व्यवसायों में लगे इन जातियों के परिवारों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना लागू करने का कोई प्रस्ताव है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1978-79 के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों से सम्बन्धित दाखिला अनुपात और पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वालों की दरें उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्नलिखित है :—

	प्राथमिक स्तर पर दाखिला अनुपात	प्रथम कक्षा में पढ़ाई छोड़ने वालों की दरें
अनुसूचित जाति	79.9	62.1
अनुसूचित जनजाति	66.4	76.8

(ग) तथापि, कल्याण मंत्रालय, जो पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्तियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है, का इस योजना का विस्तार करने का कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है जैसा कि प्रश्न में अब पूछा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के पैरा 4.5 (11) में पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की जानकारी दी गई है और यह सुझाव दिया गया है कि "सफाई, चमड़े, चरम शोधन जैसे व्यावसायों में लगे परिवारों के बच्चों के लिए पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना" कक्षा-I से लागू की जाये। इस प्रकार के परिवारों के सभी बच्चों को आय पर विचार किये बिना इस योजना में शामिल किया जाएगा और उनके लिए लक्षित समयबद्ध कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।"

बम्बई पत्तन न्यास द्वारा फालतू धन का उपयोग

24. श्री शरद दिघे : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई पत्तन न्यास के 3.54 करोड़ रुपए के फालतू कोष में से 47.50 करोड़ रुपए न्हावा शेवा और 29.25 करोड़ रुपए मद्रास पत्तन न्यास को दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि जब बम्बई पत्तन न्यास का धन अन्य पत्तन को दिया जा रहा है, इसके अपने विकास कार्य रुके पड़े हैं, और बम्बई पत्तन न्यास के फालतू कोष का उपयोग किये जाने के सरकार के प्रस्ताव के विरुद्ध ट्रस्टियों के बोर्ड की भावनाओं के बारे में केंद्रीय सरकार

को बता दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) बम्बई पत्तन न्यास ने अपनी निधियों में से अप्रैल, 1986 तक न्हावा शेवा पत्तन न्यास को 53.00 करोड़ रुपये और मद्रास पत्तन न्यास को 29.25 करोड़ रुपए का ऋण दिया था।

(ख) ऋणों से बम्बई पत्तन न्यास के विकास कार्यक्रमों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि ये ऋण पंचवर्षीय योजना में शामिल पत्तन की विकास परियोजनाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान करने के बाद ही दिए गए थे। बम्बई पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड ने अन्य पत्तनों को निधियां दिए जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है।

(ग) सरकार का यह विचार है कि पत्तनों के विकास के लिए महापत्तनों के संसाधनों का एकत्रीकरण वांछनीय और आवश्यक है।

इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया कार्गो काम्प्लेक्स

25. श्री मोहम्मद महफूज अली खां : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 मई, 1986 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए कार्गो काम्प्लेक्स में व्याप्त व्यवस्था और यात्रियों के सामान की निकासी में हो रहे अत्यधिक विलम्ब पर प्रकाश डाला गया है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने हेतु सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) अधिकांश समस्याएं ऐसी थीं जो प्रारंभिक स्वरूप की थी और जिनमें से अधिकतर पहले ही दूर कर दी गई हैं।

[हिन्दी]

लाहौरी गेट, दिल्ली के पास स्थित रेल गोदाम में आग

26. श्री कमला प्रसाद रावत
श्री बाला साहेब विखे पाटिल
श्री लक्ष्मण मलिक } : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाहोरी गेट, दिल्ली के पास स्थित रेलवे गोदाम में मई के महीने में आग लगने के कारण व्यापारियों का काफी अधिक सामान और अनेक रोड नष्ट हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और आग से कितना सामान नष्ट हुआ तथा उसका अनुमानित मूल्य कितना है;

(ग) क्या सरकार ने आग के कारणों का पता लगाया है;

(घ) क्या आग की दुर्घटना में असामाजिक तत्व संलग्न्स्त हैं और यदि हां, तो क्या कोई गिरफ्तारी की गई है; और

(ङ) क्या सामान के मालिकों को मुआवजा दे दिया गया है, यदि हां, तो अब तक कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया है और कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) 25.5.86 को नई दिल्ली गुड्स शेड के शेड नं०3 में आग लगने की एक घटना हुई थी जिसमें चार माल डिब्बों में रखा माल, जिसमें कागज, काला चना और खली थे, क्षतिग्रस्त हो गया था। नई दिल्ली गुड्स शेड का एक शेड भी क्षतिग्रस्त हो गया था। क्षतिग्रस्त माल की अनुमानित लागत 80,000/—रुपये और शेड को हुई क्षति की लागत 3,66,000/—रुपये है।

(ग) जी हां। जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार आग गुड्स शेड की बाउन्डरी वाल के निकट खुले में पड़े पैकेटों पर भूल से फेंकी गई किसी जलती हुई बीड़ी, सिगरेट के टुकड़े अथवा माचिस की तीली के कारण लगी थी।

(घ) जी नहीं।

(ङ) इस मामले में दावेदारों को अभी तक किसी क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

एयर इंडिया की उड़ानों में रेडियो धर्मिता के संकेत

27. श्री धर्मपाल सिंह मलिक
श्री सुभाष यादव } : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 जून, 1986 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि एयर इंडिया की सोवियत संघ से आने वाली उड़ानों में रेडियो, धर्मिता के संकेत पाये गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या सुरक्षात्मक कदम उठाये गए हैं ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) रेडियो धर्मिता के संकेत पहले 2 मई, 1986 को मास्को से आने वाली उड़ान पर पाए थे और उसके बाद यह न्यूयार्क-बम्बई और तोकियों-बम्बई उड़ानों में भी पाई गई थी। रेडियो धर्मिता का स्तर इतना कम था कि उसके लिए कोई विशेष उपाय करने की आवश्यकता नहीं थी।

परिवार नियोजन के विभिन्न तरीकों की अनभिज्ञता

28. **श्री मुरली धर माने :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रमों के बारे में एक अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अध्ययन से परिवार नियोजन के विभिन्न तरीकों के सम्बन्ध में लोगों की अनभिज्ञता के बारे में पता चला है; और

(ग) इन कार्यक्रमों में सामाजिक कार्यकर्ताओ और स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी के संबंध में क्या टिप्पणियां की गई हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार कुमार) : (क) योजना आयोग ने परिवार नियोजन कार्यक्रम का एक मुल्यांकन अध्ययन किया है।

(ख) परिवार नियोजन के तरीके अपना रहे और तरीके न अपना रहे बहुत से लोगों को स्थाई तरीकों-महिला/पुरुष नसबन्दी की जानकारी थी। वैसे, प्रतिक्रिया व्यक्त करने वालों में से अपेक्षाकृत कम लोगों को दूसरे तरीकों के बारे में जानकारी थी।

(ग) अध्ययन के निष्कर्ष संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर परिवार नियोजन के क्षेत्र में गांव और स्थानीय नेताओं स्कूल अध्यापकों, पंचायतों, महिला मण्डलों/युवक मंडलों और "अन्य स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका इस प्रकार है:—

(i) गांव और स्थानीय नेताओं द्वारा निभाई गई भूमिका में गांवों का 75.8 प्रतिशत था। स्कूल अध्यापकों और पंचायतों के सम्बन्ध में यह प्रतिशतता 64.8 और 74.2 थी।

(ii) नमूना अध्ययन के क्रमश: 73.4 और 79.9 प्रतिशत गांवों में महिला मंडल/युवक मंडल और "अन्य स्वैच्छिक संगठन" नहीं थे। वैसे, लगभग 88 और 80 प्रतिशत जिन गांवों में ये संगठन है, उन्होंने इन संगठनों द्वारा निभाई भूमिका बतलाई।

(iii) जहां तक सहभागीदारी का सम्बन्ध है, इनमें से अधिकांश एजेंसियां जन अभियान/बैठकें आयोजित करने और विस्तार/स्वास्थ्य शिक्षा क्रियाकलाप चलाने में प्रेरणात्मक कार्यों में सहायता की है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि इन क्रियाकलापों में इन एजेन्सियों को सहयोजित करने की प्रक्रिया को योजनाबद्ध प्रयासों के माध्यम से कारगर बनाया जाए।

नौवहन विकास निधि समिति को समाप्त करने का प्रस्ताव

29. **श्री यशवंत राव गड़ाख पाटिल** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नौवहन विकास निधि समिति को समाप्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

जल-भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) नौवहन विकास निधि समिति को बन्द करने और नौवहन उद्योग के महत्व और इसमें निहित विशेष प्रकृति के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए नौवहन उद्योग को चलाने के वास्ते एक ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिसमें वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से उसे अपेक्षित ऋण प्रदान किया जाएगा, नौवहन उद्योग को संस्थागत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नई प्रबन्ध व्यवस्था स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार की व्यवस्था से ऋणों की संस्वीकृति, उनका संवितरण और वसूली का अधिक व्यावसायिक ढंग का प्रबन्ध हो सकेगा। इस प्रकार की संस्थागत प्रबन्ध व्यवस्था से सातवीं योजना में नौवहन विकास निधि समिति को बजटगत सहायता देकर ही सुलभ कराए जाने वाले ऋणों की अपेक्षा नौवहन उद्योग को अधिक मात्रा में कुल ऋण देने में भी सहायता मिलेगी।

[हिन्दी]

नेशनल बुक ट्रस्ट में धोखाधड़ी

30. **श्री दिलीप सिंह भूरिया**
श्री साइमन तिग्गा } : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नेशनल बुक ट्रस्ट के वर्ष 1985-86 के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन में उल्लिखित 45 लाख रुपये की धोखाधड़ी की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की वर्ष 1984-85 की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के पैरा 4.5.1 में यह बताया गया है कि मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले 5 वर्षों के दौरान न्यास को कम कीमत के कारण 45.04 लाख रुपयों का नुकसान हुआ था। जैसा कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास एक व्यापारिक संगठन नहीं है इसलिए इसके प्रकाशन की कीमत--लागत कीमत से साधारणत: कम निर्धारित की जाती है ताकि इन्हें आम जनता को सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध कराया जा सके।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

"सिकल सैल" रोग का फैलना

31. प्रो० रामकृष्ण मोरे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में किए गए अनुसंधान के अनुसार देश में विभिन्न राज्यों में "सिकल सैल रोग" नामक एक रोग फैला है जिसके कारण हजारों लोगों की मृत्यु हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस रोग से प्रभावित प्रत्येक राज्य में अनुमानित कितने लोग मारे गए हैं तथा इस रोग को फैलने से रोकने के सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) सिकल सैल रोग एक जन स्वास्थ्य समस्या है जिससे आमतौर पर आदिवासी लोग प्रभावित हैं। विभिन्न आदिवासी समूहों में किए गए सीमित सर्वेक्षणों से पता चला है कि जिन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया वहां 2 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक मामलों में सिकलिंग की बारम्बारता के लक्षण थे। यह रोग उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उनके पड़ोसी क्षेत्रों को कुछ जातियों में पाया गया है।

इसके नियन्त्रण की कार्य नीति में मूलत: रोगी का शुरू में ही पता लगा लेना और उसका उपयुक्त इलाज करना शामिल है जो कार्य सम्बन्धी राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है।

देश में डाक्टरों और नर्सों का अनुपात

32. श्रीमती बसवराजेश्वरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में डाक्टरों और नर्सों का वर्तमान अनुपात क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि देश में नर्सों की अपेक्षा डाक्टर अधिक हैं;

(ग) क्या यह सच है कि नर्सों का अपेक्षाकृत अधिक शोषण होता है; और

(घ) देश में नर्सों की संख्या बढ़ाने तथा उनके कार्य की परिस्थितियों में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाने का विचार है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार 31.12.84 तक स्टेट रजिस्टर में दर्ज की गई नर्सों की संख्या 1,70,888 थी और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में 3,20,867 (1984) डाक्टर हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि नर्सों की अपेक्षा डाक्टर अधिक हैं। नर्सों को अन्य सरकारी कर्मचारियों को ग्राह्य सभी लाभ मिलते हैं।

अनेक राज्यों ने अपने-अपने नर्सिंग स्कूलों में अपनी-अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पहले ही सीटों की संख्या में वृद्धि कर दी है जिससे नर्सों की संख्या में वृद्धि होगी। इसके अलावा केन्द्रीय सरकार के पास नर्सों को अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सहायता देने की योजनाएं भी हैं जिसके लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए 40 लाख रुपये का परिव्यय मंजूर किया गया है।

सातवीं योजना के दौरान केरल में नई रेल लाइनें

33. श्री के०मोहन दास
श्री के० कुन्जाम्बु
प्रो० पी० जे० कुरियन } : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार द्वारा सातवीं योजनावधि के लिए किन-किन नई रेल लाइनों के नामों के सुझाव दिए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार सातवीं योजना में इन लाइनों का कोई सर्वेक्षण करने का है; और

यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) से (ग) चालू नई लाइन निर्माण कार्यों की प्रगति में तेजी लाने तथा नई रेल लाइनों के निर्माण कार्य शुरू करने के लिए केरल सरकार से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। चालू नई लाइनों और अन्य महत्वपूर्ण नई लाइनों के सम्बन्ध में पूछी गई

स्थिति नीचे दी गई है:—

क्रम सं०	नई लाइन	टिप्पणी
	चालू नई लाइनें	
1.	एर्णाकुलम-अलेप्पी	38.63 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत में से मार्च, 1985 तक 14.66 करोड़ रुपये खर्च हो गए थे। सातवीं योजना में, 1985-86 में 2 करोड़ रुपये और 1986-87 में 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार धन-राशि की व्यवस्था की जाएगी।
2.	अलेप्पी-कायनकुलम	16 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत में से मार्च, 1985 तक 63 लाख रुपये खर्च हो गए थे। 1986-87 के बजट में एक करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है। आंगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार धनराशि की व्यवस्था की जाएगी।
	सर्वेक्षण	
1.	त्रिचूर-गुरूवायुर-कुट्टीपुरम	सर्वेक्षण पूरे हो गए हैं। संसाधनों की अत्य-धिक तंगी और भारी वचनबद्धताओं के हाथ में लेने के कारण इन लाइनों का निर्माण कार्य शुरू करना सम्भव नहीं है।
2.	कोच्चिन-वोडिनायकान्नूर-मदुरै मीटर लाइन का आमान परिवर्तन।	
3.	कट्टराकारा के रास्ते चेंगानूर/कायनकुलम से तिरुवनन्तपुरम तक।	मौजूदा लाइन को दोहरी लाइन में परिवर्तन करने के विकल्प के रूप में शुरू किया गया इसका सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। सर्वेक्षण पूरा हो जाने तथा रिपोर्ट की जांच के बाद इस संबंध में आगे कारंवाई करने का विचार किया जाएगा।

सरकारी अस्पतालों के आपात और बहिरंग रोगी विभागों द्वारा ठीक तरह से कार्य न करना

34. **डा० गौरी शंकर राजहंस :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजधानी के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल जैसे बड़े अस्पतालों के आपातकालीन और बहिरंग रोगी विभागों के कार्य का स्तर बहुत गिर गया है;

(ख) क्या यह सच है कि अस्पतालों के आपातकालीन विभागों में डाक्टर घंटों तक मरीज की तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं और तब तक मरीज की हालत खराब हो जाती है; और

(ग) उपर्युक्त अस्पतालों में आपातकालीन तथा बहिरंग रोगी विभागों में कार्य चालन को व्यवस्थित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ताकि मरीजों की ओर तुरन्त तथा सावधानीपूर्वक ध्यान दिया जा सके ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों के बाह्य रोगी विभागों तथा आपात चिकित्सा खण्डों में उपलब्ध सेवाओं की गुणवत्ता प्रायः अभीष्ट स्तर से कम होती है। इसका एक कारण अधिक भीड़-भाड़ होना है तथा दूसरा कारण यह है कि जो सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए ये अस्पताल बनाये गए थे लोग निरन्तर उनसे उच्च स्तर की चिकित्सा सेवाएं तथा देख-रेख प्राप्त करने की अपेक्षा रखते हैं। सरकार का प्रयास यह रहा है कि मौजूदा अस्पतालों में प्रतिष्ठापित सुविधाओं का अभीष्टतम उपयोग करने के अनेक उपाय शुरू किए जाएं और प्राथमिक तथा माध्यमिक दोनों स्तरों पर परिधीय स्तर की संस्थाएं स्थापित की जाएं ताकि सभी रोगी मौजूदा अस्पतालों की तरफ ही आकर्षित न हों। यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

उड़ीसा में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों की संख्या

35. श्री अनादि चरण दास : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के कितने औषधालय कार्य कर रहें; है; और

(ख) इस योजना के अंतर्गत कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) इस समय उड़ीसा में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना नहीं चल रहा है।

खाद्यान्न वैगन

36. श्री एच० एम० पटेल : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान अनेक खाद्यान्न-वैगन गायब हुए हैं अथवा उनका ठीक से

लेखा-जोखा नहीं रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों, अर्थात 1984-85 और वर्ष 1986 की पहली तिमाही के दौरान गायब हुए वैगनों तथा लेखा वाह्य वैगनों विशेषकर खाद्यान्न ले जाने वाले वैगनों का महीने-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संबंधित रेल अधिकारियों के विरुद्ध जांच सम्बन्धी कोई कार्यवाही शुरू की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

मूल (कोर) पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देना

37. प्रो०पी०जे०कुरियन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्यालय शिक्षा के लिए मूल (कोर) पाठ्यक्रम को जो कि नई शिक्षा नीति का आवश्यक अंग हैं अंतिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख) "प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या-एक ढांचा" राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार किया गया है जिसमें कोर पाठ्यचर्या के क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। नई शिक्षा नीति को अपनाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, अन्य एजेंसियों के सहयोग से चरणबद्ध रूप में विभिन्न ग्रेडों के लिए पाठ्य पुस्तकों सहित पाठ्यचर्या, पाठ्यविवरण, आदर्श सामग्री और बहु संचार पैकेजिस तैयार करने के लिए मार्गदर्शी रूप रेखाएं विकसित करने हेतु आगे कदम उठा रही है।

कुष्ठ रोगी और कुष्ठ रोग के नियन्त्रण के लिए विदेशी सहायता

38 श्रीमती प्रभावती गुप्त : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुष्ठ रोगियों की संख्या कितनी है और उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए विदेशों से कितनी सहायता प्राप्त होगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) देश में लगभग 39.5 लाख कुष्ठ रोगियों के होने का अनुमान है। कुष्ठ रोगियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) वर्ष 1986-87 के दौरान संयुक्त राष्ट्र बाल निधि विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी और डेनिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी जैसी अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से 348.00 लाख रुपये की सहायता मिलने की आशा है।

विवरण

17-7-1986 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 38 के भाग (क) में उल्लिखित उपबन्ध

कुष्ठ रोगियों की राज्यवार अनुमानित संख्या

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1981 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या (लाखों में)	रोगियों की अनुमानित संख्या (लाखों में)	1000 व्यक्तियों पर विद्यमान दर
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	535.50	6.28	11.72
2.	असम	199.00	0.15	0.75
3.	बिहार	699.10	3.80	5.43
4.	गुजरात	340.90	1.00	2.93
5.	हरियाणा	129.20	0.01	0.07
6.	हिमाचल प्रदेश	42.80	0.07	1.64
7.	जम्मू और कश्मीर	59.90	0.05	0.83
8.	कर्नाटक	371.40	2.22	5.98
9.	केरल	254.50	0.75	2.95
10.	मध्य प्रदेश	521.80	1.20	2.30

1	2	3	4	5
11.	महाराष्ट्र	627.80	4.00	6.37
12.	मणिपुर	14.20	0.06	4.23
13.	मेघालय	13.20	0.06	4.55
14.	नागालैण्ड	7.70	0.05	6.49
15.	उड़ीसा	263.70	3.20	12.14
16.	पंजाब	167.90	0.20	1.19
17.	राजस्थान	342.60	0.10	0.29
18.	सिक्किम	3.20	0.016	5.00
19.	तमिलनाडु	484.10	7.33	15.14
20.	त्रिपुरा	20.50	0·10	10.88
21.	उत्तर प्रदेश	1108.00	4.20	3.79
22.	पश्चिम बंगाल	545.80	4.30	7.88
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.90	0.01	5.26
24.	अरुणाचल प्रदेश	6.30	0.01	1.59
25.	चंडीगढ़	4.50	—	—
26.	दादर और नगर हवेली	1.00	0.001	1.00
27.	दिल्ली	62.20	0.01	0.16
28.	गोवा दमन और दीव	10.90	0.05	4.58
29.	लक्षद्वीप	0.40	0.01	25.00
30.	मिजोरम	4.90	0.01	2.04
31.	पाण्डिचेरी	6.00	0.19	31.66
	भारत	6851.80	39.537	5.77

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

39. श्री आर० एस० भोये : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी गांवों को "बैलगाड़ी दूरी के भीतर" परिवार नियोजन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में योजना आयोग द्वारा कोई सिफारिश की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

परिवार कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सामान्यतया 30,000 की ग्रामीण आबादी के लिए और पहाड़ी/आदिवासी क्षेत्रों में प्रति 20,000 की आबादी के लिए चरणबद्ध ढंग से खोले जा रहे हैं। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भी परिवार नियोजन की तेवाएं प्रदान करते हैं।

(ख) और (ग) सातवीं योजना के दौरान, 12390 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है। सातवीं योजना के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिए योजना आयोग द्वारा राज्य-वार निर्धारित किए गए लक्ष्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सातवीं योजना के दौरान खोले जाने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1150
2.	असम	200
3.	बिहार	1500
4.	गुजरात	690
5.	हरियाणा	212
6.	हिमाचल प्रदेश	83

1	2	3
7.	जम्मू और कश्मीर	200
8.	कर्नाटक	805
9.	केरल	833
10.	मध्य प्रदेश	731
11.	महाराष्ट्र	261
12.	मणिपुर	33
13.	मेघालय	22
14.	नागालैंड	12
15.	उड़ीसा	500
16.	पंजाब	330
17.	राजस्थान	702
18.	सिक्किम	2
19.	तमिलनाडु	1057
20.	त्रिपुरा	15
21.	उत्तर प्रदेश	2500
22.	पश्चिम बंगाल	488
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5
24.	अरुणाचल प्रदेश	25
25.	चंडीगढ़	3
26.	दादर और नगर हवेली	—
27.	दिल्ली	—

1	2	3
28.	गोवा, दमन और द्वीप समूह	7
29.	लक्षद्वीप	—
30.	मिजोरम	18
31.	पांडिचेरी	6
	अखिल भारत	12390*

*औषधालयों को परिवर्तित करके स्थापित किए गए सहायक स्वास्थ्य केन्द्र भी शामिल हैं।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम द्वारा आयात की गई मशीनें

41. श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिकों को बचाने और त्वरित उत्पादन के लिए लाई गई कुछ आयातित मशीनें अधिकतर त्रुटिपूर्ण है और गत दो तीन वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम में बेकार पड़ी हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका मूल्य कितना है और ऐसी मशीनों का ब्यौरा क्या है तथा उनके बेकार पड़े रहने के क्या कारण हैं ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार में रेल लाइनों को बदलना और उन्हें दोहरा करना

42. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में 1 अप्रैल, 1986 की स्थिति के अनुसार रेल लाइनों को दोहरा करने और छोटी रेल लाइनों को बड़ी रेल लाइनों में बदलने के सम्बन्ध में विचाराधीन/कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है; और

(ख) कार्यान्वयनाधीन योजनाओं की अनुमोदित लागत और उनके पूरा होने की निर्धारित तारीखें क्या हैं ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) एक विवरण

संलग्न है।

विवरण

बिहार राज्य में आमान परिवर्तन और दोहरी लाइन बिछाना

क्र०सं०	परियोजना का नाम	नवीनतम लागत (आंकड़े करोड़ रुपयों में)	लक्ष्य तिथि
1	2	3	4
	आमान परिवर्तन		
1.	बाराबंकी-समस्तीपुर	134.00	यातायात के लिए खोल दी गई है। केवल अवशिष्ट कार्यों को पूरा किया जा रहा है।
2.	बरौनी-कटिहार	51.50	—वही—
3.	समस्तीपुर-दरभंगा	12.00	आमान परिवर्तन के स्थान पर एक समानान्तर बड़ी लाइन के सर्वेक्षण को अनुमोदित कर दिया गया है।
	दोहरी लाइन बिछाना		
1.	क्यूल-जमालपुर-भागलपुर	16.80	*माल यातायात के लिए 5 कि०मी० मार्ग खोल दिया गया है।
2.	गढ़वा रोड-सोननगर कहीं-कहीं दोहरी लाइन बिछाना	6.13	87-88
3.	साहिबगंज सम्पर्क केबिन— न्यू फरक्का-मालदा टाउन	29.81	*
4.	मूरी-बोकारो (चरण-II)	5.02	1985 में चालू की गई।

1	2	3	4
5.	कादरा-गोमहरिया	6.79	87-88
6.	बोकारो स्टील सिटी स्टेशन और बोकारो स्टील सिटी "ए" केबिन	1.79	*
7.	कुमेदपुर—न्यू जलपाईगुड़ी (कहीं-कहीं)	42.92	*

*इन परियोजनाओं के पूरा होने की तारीख आने वाले वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

दिल्ली के टैक्सी और तिपहिया स्कूटर चालकों के विरुद्ध शिकायतें

43. **श्री मल चन्द डागा** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेडियो, टेलीविजन तथा समाचार-पत्रों के माध्यम से जनता को, टैक्सी तथा तिपहिया स्कूटर चालकों द्वारा यात्रियों को वांछित स्थान तक पहुंचाने के लिए मना करने पर उनके विरुद्ध शिकायतें दर्ज करने सम्बन्धी अनुदेश जारी कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रचार पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) दिल्ली में ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और कितने मामलों में कार्यवाही की गई है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने मामलों में पुलिस ने छद्म वेश में जाकर ऐसे मामलों का पता लगाया और प्रत्येक वर्ष में पंजीकृत ऐसे मामलों की संख्या क्या है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसे यात्रियों की शिकायतों का समाधान ढूंढने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने पिछले तीन वर्षों अर्थात 1983 से 1985 तक टैक्सियों/टी०एस०आर० आदि पर नियन्त्रण करने के लिए प्रचार और सड़क शिक्षा पर 4.74 लाख रुपए खर्च किए।

(ग) वर्षवार प्राप्त शिकायतें और उन पर चलाए गए मुकदमों की संख्या निम्नलिखित

तालिका में दी गई है :—

वर्ष	प्राप्त शिकायतें		चलाए गए
	टैक्सियां	टी०एस०आर०	मुकदमे
1984	62	611	673
1985	84	1237	1321
1986	68	872	940

(30-6-86 तक)

(घ) यातायात पुलिस के पास अलग से ऐसा कोई रिकार्ड नहीं है। तथापि वे समय-समय पर विशेष अभियान चलाते हैं। हाल ही में 10-6-86 से 29-6-86 तक ऐसे अभियान में मना करने वाले 458 टैक्सी/टी०एस०आर० चालकों पर मुकदमा चलाया गया।

(ङ) पुलिस उपायुक्त (यातायात) को ऐसे चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने और उनके वाहनों को जब्त करने तक की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं। यात्रियों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने से मना करने की प्रथा समाप्त करने के क्रम में दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाए जाते हैं।

पालम हवाई अड्डे पर प्रिपेड टैक्सी सेवा 8-2-86 से चलाई गई है। परिवहन निदेशालय में एक नियन्त्रण कक्ष बनाया गया है जिसका टेलीफोन नं० 230782 है जो शिकायतें प्राप्त करता है और आगे की कार्रवाई करने के लिए उसे दर्ज करता है।

चंडीगढ़-श्रीनगर लेह मार्ग पर उड़ानों का रद्द किया जाना

44. **श्री पी० नामग्याल** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1986 के दौरान चंडीगढ़-लेह और श्रीनगर-लेह विमान मार्गों पर रद्द की गई इण्डियन एयरलाइन्स की नियमित उड़ानों की कुल संख्या क्या है, और निर्धारित कुल नौ उड़ानों में से कितनी उड़ानें किस-किस तारीख को रद्द की गईं; और

(ख) उड़ानों के रद्द किये जाने तथा रुके हुए यात्रियों को आगामी तारीखों को उनके गंतव्य स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था न किये जाने के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) चंडीगढ़-लेह-चंडीगढ़ सैक्टर पर, नौ अनुसूचित उड़ानों में से, 12 और 23 जून, 1986 को दो उड़ानों को रद्द

करना पड़ा था। श्रीनगर-लेह-श्रीनगर सैक्टर पर 13 और 25 जून, 1986 को कुल 12 अनुसूचित उड़ानों में से, दो उड़ानों को रद्द करना पड़ा था।

(ख) लेह में खराब मौसम के कारण उड़ानों को रद्द करना पड़ा। उसके बाद के दिनों में भी खराब मौसम होने अथवा चंडीगढ़ और श्रीनगर में परिचालन के सीमित घंटों में विमान उपलब्ध न होने और शनिवार और रविवार को इण्डियन एयरलाइन्स के परिचालनों के लिए लेह विमान क्षेत्र के उपलब्ध न होने के कारण रद्द की गई उड़ानों को परिचालित नहीं किया जा सका था।

मिर्जापुर और इलाहाबाद स्टेशनों पर बेरोजगार स्नातकों को बुक स्टालों का आबंटन

45. डा० एस० जगतरक्षकन : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाचार पत्रों में दिये गये विज्ञापन के उत्तर में मिर्जापुर में रेलवे स्टेशन पर बुक स्टाल के ठेके के आबंटन तथा इलाहाबाद में नवनिर्मित प्लेटफार्म में बुक स्टाल के ठेके के आबंटन के लिए बेरोजगार स्नातकों से करेंसी चैक के माध्यम से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे; और

(ख) उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें गुण-अवगुण के आधार पर ये बुक-स्टाल आबंटित किये जा रहे हैं ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) मिर्जापुर में बुक स्टाल के लिए रेलवे को एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। इलाहाबाद के संबंध में 11-8-86 के बाद ही संख्या मालूम होगी क्योंकि वह आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि है।

(ख) आबंटनों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

खतरनाक दवाइयों की बिक्री

46. श्री आनन्द सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 मई, 1986 को 39वें विश्व स्वास्थ्य संगठन कांग्रेस में जारी की गई रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि गैर-नुस्खा (नान प्रिस्क्रिप्सन) बेकार और यहां तक कि खतरनाक दवाइयों की 23,000 से अधिक किस्में बेची जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो भारत में बेची गई ऐसी कितनी औषधियां रिपोर्ट में सूचीबद्ध की गई हैं; और

(ग) उससे उत्पन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी खतरे को रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाये गये हैं और उठाये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) 39वें विश्व स्वास्थ्य संगठन सम्मेलन के अवसर पर 13-5-1986 को जारी की गई रिपोर्ट की सरकार द्वारा जांच की गई है लेकिन यह पाया गया है कि उसमें इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि गैर-नुस्खा, (नान-प्रेस्क्रिप्शन), बेकार और खतरनाक दवाइयों की 23,000 से अधिक किस्में बेची जा रही हैं।

(ख) और (ग) यह प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

पैलेस आन व्हील्स और ग्रेट इंडियन रोवर रेल गाड़ियां

47. श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "पैलेस आन व्हील्स" और "ग्रेट इण्डियन रोवर" रेल गाड़ियां घाटे में चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में उनके द्वारा वर्षवार कितनी आमदनी प्राप्त की गयी है;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान उन पर खर्च किया गया वर्ष-वार व्यय क्या है; और

(घ) इन रेलगाड़ियों के निर्माण पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) "पैलेस आन व्हील्स" गाड़ी घाटे में चल रही है, जबकि "ग्रेट इण्डियन रोवर" गाड़ी अभी नियमित वाणिज्यिक उपयोग के लिए नहीं चलाई गई है।

(ख) से (घ) "पैलेस आन व्हील्स" गाड़ी से वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 में क्रमश: 43.15 लाख रुपये, 35.73 लाख रुपये और 47.24 लाख रुपये की आमदनी हुई थी। "पैलेस आन व्हील्स" गाड़ी पर वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 में क्रमश: 63.02 लाख रुपये, 60.39 लाख रुपये और 76.72 लाख रुपये प्रत्यक्ष लागत आई थी। "पैलेस आन व्हील्स" गाड़ी की संरचना पर 129.43 लाख रुपये खर्च किये गये थे। "ग्रेट इण्डियन रोवर" गाड़ी के मामले में उपर्युक्त मांग के उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

भ्रूण के लिंग का पता लगाने वाले यन्त्र का प्रयोग और लिंग-चयन प्रौद्योगिकी

48. श्रीमती गीता मुखर्जी
श्री मानिक रेड्डी
डा० चिन्ता मोहन } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान लड़कियों के जन्म को समाप्त करने के उद्देश्य से पूरे देश में सैंकड़ों प्राइवेट क्लीनिकों में भ्रूण के लिंग का पता लगाने वाले यंत्र का प्रयोग और पूर्व-लिंग चयन प्रौद्योगिकियों के समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या सरकार के पास पिछले तीन वर्षों में किए गए परीक्षणों और लड़की भ्रूणों के गर्भ-पात की संख्या का राज्यवार ब्यौरा है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन लिंग-निर्धारण परीक्षणों के तरीकों पर प्रतिबंध लगाने और आनुवंशिक असामान्यताओं का सही ढंग से पता लगाने के लिए ऐसे परीक्षणों को अनुचित आधारभूत ढांचे वाले चुनींदा सरकारी अस्पतालों तक ही सीमित रखने का विचार है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) सरकार को देश के कुछ भागों में प्रसव-पूर्व लिंग निर्धारण परीक्षणों के तथाकथित दुरुपयोग की जानकारी है।

(ख) परिवार कल्याण विभाग में ऐसा कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ग) भारत सरकार समय-समय पर राज्यों के ध्यान में यह बात लाती रही है कि भारत में प्रसव-पूर्व लिंग निर्धारण परीक्षण केवल अनुसंधान प्रयोजनों और सेक्स से सम्बन्धित आनुवंशिक विकारों वाले रोगियों के निदान के लिए ही किया जाए न कि किसी अन्य लक्षण के लिए।

चिकित्सीय गर्भ समापन अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत सामान्यतय कुछेक स्थितियों में ही गर्भ समाप्त करने की व्यवस्था है। इसमें ऐसे गर्भ समापन के अपराध का संरक्षण (भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत) प्रदान नहीं किया गया है जब यह केवल भ्रूण के लिंग के आधार पर किया गया हो।

यह निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है कि ऐसे परीक्षणों के प्रयोग को कुछ चुने हुए सरकारी अस्पतालों तक सीमित रखा जाए।

विभिन्न रोगों का पता लगाने की प्रणाली में सुधार

49. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और शिशुओं के विभिन्न सामान्य रोगों से ग्रस्त होने की घटनाओं का पता लगाने की मौजूदा प्रणाली में सुधार करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) "स्वास्थ्य सूचना और मानीटरिंग पद्धति को सुदृढ़ बनाना" नामक योजना के अन्तर्गत तीन क्षेत्रीय सर्वेक्षण एकक खोले गए हैं जिनका उद्देश्य मौजूदा स्वास्थ्य सूचना पद्धति में पाए जाने वाले अन्तराल को पूरा करने के लिए विशेष क्षेत्रीय सर्वेक्षण (स्वास्थ्य सर्वेक्षण) करना है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसे 12 क्षेत्रीय सर्वेक्षण एकक खोले जाएंगे जिनमें से तीन क्षेत्रीय सर्वेक्षण एकक जयपुर, लखनऊ और भोपाल में पहले ही मंजूर कर दिए गए हैं और स्थापित किए जा रहे हैं।

सर गंगा राम अस्पताल को अनुदान और सहायता

50. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सर गंगाराम अस्पताल, नई दिल्ली को केन्द्रीय सरकार से सहायता और अनुदान प्राप्त होता है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गई ऐसी सहायता का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) इस अस्पताल को विगत काल में केन्द्रीय सरकार से अनुदान मिलता था।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस संस्थान को कोई सहायता अनुदान नहीं दिया गया है।

हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण

51. **श्री रणजीत गायकवाड़** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बम्बई तथा दिल्ली के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) क्या सरकार गुजरात जैसे अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या की आवश्यकताओं

को पूरा करने के लिए अहमदाबाद तथा/अथवा बड़ौदा हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण करने की भी योजना बन रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की जरूरतों के अनुसार अहमदाबाद/बड़ौदा हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण न किए जाने के क्या कारण हैं विशेषतया जब कि त्रिवेन्द्रम, दबलिन, अमृतसर आदि जैसे अन्य हवाई अड्डों को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के स्तर का बनाया जा रहा है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) गुजरात से अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों के बढ़ते हुए यातायात की जरूरतों को पूरा करने के लिए और निधियों की उपलब्धता के आधार पर, अन्तर्राष्ट्रीय परिचालनों को आरम्भ करने के लिए सरकार अहमदाबाद विमानन क्षेत्र पर सुविधाओं का विकास करने के लिए विचार कर रही है।

(ग) उपरोक्त (ख) को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

मार्ग में कहीं न रुकने वाली सुपर फास्ट गाड़ियों द्वारा नई दिल्ली को राज्यों की राजधानियों से जोड़ना

52. **कुमारी डी० के० तारादेवी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नई दिल्ली को प्रत्येक राज्य विशेषकर दूरदराज के राज्यों की राजधानी से जोड़ने के लिए, कम से कम सप्ताह में एक बार अविराम सुपरफास्ट एक्सप्रेस गाड़ियां चलाने पर विचार करेगी;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) राज्यों की अधिकांश राजधानियां दिल्ली/नई दिल्ली से पहले ही सुपर फास्ट गाड़ियों द्वारा जुड़ी हैं 1-8-1986 से 91 ९/916 पुरी—नई दिल्ली एक्सप्रेस गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने तथा उन्हें भुवनेश्वर से जोड़ने वाली सुपर फास्ट गाड़ियां बनाने का प्रस्ताव है। मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम राज्यों की राजधानियों तक रेल सम्पर्क नहीं है।

गोवा, दमण और दीव में प्रस्तावित अन्तर्देशीय जल परिवहन

53. **श्री शांताराम नायक** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमण और दीव में जल मार्गों का अन्तर्देशीय जल परिवहन

के लिए इस्तेमाल किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जी, हां। मांडवी, जुआरी और मापुसा नदियां एवं कम्बर्जुआ नहर ऐसे प्रमुख जल-मार्ग हैं जो शीघ्रतम तथा अधिकतम मित्तव्ययी परिवहन माध्यमों की व्यवस्था करते हैं और ये जल-मार्ग पहले से ही मर्मागाव पोर्ट तक अन्तर्देशीय जल परिवहन के लिए प्रयुक्त किए जा रहे हैं। इस जलमार्ग प्रणाली में 500 टन से 1000 टन की क्षमता वाले बजरे चलाए जा सकते हैं। इन नदियों की सहायक-नदियों में भी 300 टन की क्षमता के बजरे कुछ दूरी तक चलाए जा सकते हैं।

राष्ट्रीय आयुर्वेद अकादमी की स्थापना

54. श्री ई० अय्यपू रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्तर्गत राष्ट्रीय आयुर्वेद अकादमी स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित राष्ट्रीय आयुर्वेद अकादमी के आधारभूत ढांचे के बारे में विभिन्न राज्य सरकारों के विचार सुनिश्चित किये गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तावित अकादमी को स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों के विचार प्राप्त करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए ऐरो ब्रिजों की स्थापना

55. श्री चिन्तामणि जेना : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए ऐरो ब्रिजों की स्थापना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐरो-ब्रिजों की कुल लागत क्या होगी; और

(ग) इससे किस श्रेणी के यात्रियों को फायदा होगा और प्रत्येक उड़ान में ऐसे यात्रियों का

अनुमानित प्रतिशत क्या है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) जी, हां। विशालकाय विमानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, सीमा-शुल्क सहित लगभग 2.17 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पार्किंग स्टैंड पर दूसरे विकल्प के रूप में चार अतिरिक्त एयरोब्रिजों की व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव है।

(ग) क्योंकि इन एयरोब्रिजों का सम्पर्क विमान के पहले दरवाजे से होगा, अत: मुख्य रूप से इसका लाभ प्रथम श्रेणी यात्रियों को होगा। प्रथम श्रेणी सीटों का प्रतिशत एयरलाइनों के आधार पर विमानों की किस्म के अनुसार बदलता रहता है।

रेल गाड़ियां चलाने वाली गैर-सरकारी कम्पनियां

56. श्री चिन्तामणि जेना : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल गाड़ियां चलाने वाली गैर-सरकारी कम्पनियों के नाम क्या हैं और ये किन-किन रेलवे लाइनों पर रेल गाड़ियां चला रही हैं;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड और गैर-सरकारी में परस्पर कोई जबाव-देहो और समन्वय है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) इस समय कोई भी निजी कम्पनी रेल मार्गों को परिचालित नहीं कर रही है। तथापि निजी स्वामित्व वाली निम्नलिखित तीन रेलों को उनकी समीपस्थ भारतीय रेलों द्वारा कम्पनी रेलों तथा केन्द्रीय सरकार के बीच निष्पादित संचालन करारों की शर्तों के अनुसार परिचालित किया जाता है।

कम्पनी रेलवे का नाम	द्वारा संचालित
(1) सेन्ट्रल प्रोविन्सेज रेलवे	मध्य रेलवे
(2) अहमदपुर—कटवा रेलवे	पूर्व रेलवे
(3) बांकुरा—दामोदर रिवर रेलवे	दक्षिण पूर्व रेलवे

इसके अलावा डेहरी रोहतास लाइट रेलवे कम्पनी लिमिटेड (जिसके प्रबन्धक अभिकर्ता मैसर्स साहू जैन हैं), के स्वामित्व वाली डेहरी—रोहतास लाइट रेलवे लाइन का संचालन कम्पनी द्वारा शाहबाद जिला बोर्ड (अब बिहार राज्य सरकार) के साथ किये गए करार के अन्तर्गत किया जाता

था। इस मामले में केन्द्रीय सरकार (रेल विभाग) का कोई संविदागत या वित्तीय दायित्व नहीं है।

(ख) और (ग) ऊपर भाग 'क' के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

सिंचाई परियोजनाओं की कुल लागत और निवल आय

57. डा० ए० के० पटेल
श्री सी० अंगा रेड्डी } : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तैयार की गई प्रत्येक बड़ी सिंचाई परियोजना की कुल लागत और उससे होने वाली औसत वार्षिक निवल आय कितनी है;

(ख) प्रत्येक परियोजना के पूंजी निवेश से हुई निवल आय की औसत प्रतिशतता क्या है;

(ग) कुछ अन्य विकसित/विकासशील देशों की सिंचाई परियोजनाओं की आय की तुलना में इन परियोजनाओं की आय की स्थिति क्या है; और

(घ) उपर्युक्त मद (ख) में उल्लिखित निवल आय को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये और उनका परिणाम क्या रहा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) विभिन्न परियोजनाओं पर हुए निवेश तथा उनसे होने वाली आय के बारे में सूचना केन्द्र में नहीं रखी जाती है। यह पाया गया है कि सिंचाई परियोजनाओं से आय आमतौर पर कम होती रही है और निवेशों के अनुपात में नहीं हुई है।

(ग) ऐसी तुलना परिस्थितियों तथा प्रत्येक देश के विकास के स्तर के भिन्न-भिन्न होने के कारण नहीं की जा सकती।

(घ) सिंचाई कार्यक्रम के लिए सातवीं योजना के प्रलेख में जल दरों की समय-समय पर समीक्षा करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है ताकि प्रचालन लागत और रखरखाव को पूरा किया जा सके तथा निवेश पर उचित आय प्राप्त हो सके।

दिल्ली के संरक्षित स्मारकों का सर्वेक्षण

58. डा० ए० के० पटेल
श्री सी० अंगा रेड्डी } : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग अथवा दिल्ली के पुरातत्व विज्ञान विभाग द्वारा दिल्ली के अरक्षित स्मारकों का कोई व्यवस्थित सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन स्मारकों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) 1916 और 1922 के बीच संकलित और प्रकाशित दिल्ली के स्मारकों की एक सूची पहले ही उपलब्ध है।

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दिल्ली में 164 स्मारकों और स्थलों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। इसने असुरक्षित स्मारकों की वर्तमान स्थिति का सर्वेक्षण नहीं किया है।

कुष्ठ रोग के उन्मूलन में स्वैच्छिक संगठनों को शामिल किया जाना

59. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम में कोई स्वैच्छिक संगठन संलग्न है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और सरकार द्वारा उन एजेंसियों को क्या सहायता दी गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम को चलाने के लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे स्वयंसेवी संगठनों के नामों और उन्हें स्वीकृत की गई रकम का विवरण संलग्न है।

विवरण

1985-86 के दौरान एम० ई० टी० स्कीम के लिए स्वयंसेवी संगठनों को दिए गए सहायता-अनुदान का विवरण

क्र० सं०	संगठन का नाम	1985-86 में स्वीकृत सहायता-अनुदान
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश		
1.	हिन्दी कुष्ठ निवारण संघ, करीम नगर	1,55,172
2.	लेप्रोसी मिशन अस्पताल, विजयानगरम्	1,83,585

1	2	3
	बिहार	
	3. संताल पहाडिया सेवा मंडल, वैद्यनाथ, देवघर	8,35,703
	4. राजेन्द्र कुष्ठ नियंत्रण और अनुसंधान संस्थान, भैरवा (सिवात)	13,98,810
	5. सिंहभूम नवजीवन मंडल, घाट शिला	1,75,000
	6. कुष्ठ सेवा समिति कपासिया	2,80,950
	7. गांधी कुष्ठ निवारण प्रतिष्ठान, रोहतास	4,91,607
	8. भारत सेवाश्रम संघ, जमशेदपुर	3,37,101
	गुजरात	
	9. बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट एण्टी लेप्रोसी एसोसिएशन, बड़ौदा	2,02,382
	महाराष्ट्र	
	10. कोकारा लेप्रोसी अस्पताल, अमरावती	17,833
	11. महाराष्ट्र लोक सेवा मंडल, नविली, नांदेड़	12,220
	12. हैथार्नथावादर मेमोरियल लेप्रोसी सर्विसिज, कागल	1,63,824
	13. रिचर्डसन लेप्रोसी अस्पताल, मिराज	85,610
	केरल	
	14. होली क्रास कानवेंट, कोट्टायाम्	54,894
	15. डेमियन लेप्रोसी संस्थान, त्रिचुर	1,01,196
	16. सेंट फ्रांसिस लेप्रोसी सेंटर, सेरबल्ली	89,314
	17. पूअर लेप्रोसी अस्पताल, सेराबल्ली	2,09,650
	कर्नाटक	
	18. जनता ट्रस्ट, यादगीर	1,55,795
	19. गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन, बलरामपुर	1,00,000

1	2	3
	तमिलनाडु	
20.	क्रिश्चियन फैलोशिप लेप्रोसी अस्पताल	
21.	रावथाक्कुप्पम बेनरी जेक रूरल सेंटर, सुरोवाइल	3,25,826
22.	दयापुरम् लेप्रोसी सेंटर, मना मुदरई	80,600
23.	कुम्बाकनम हिन्दू मिशन अस्पताल, कुम्बाकनम	
24.	लेप्रोसी मिशन अस्पताल, वाडाथोरै, सलूर	50,105
	उत्तर प्रदेश	
25.	पूर्वांचल सेवा संघ, देवरिया	1,00,000

लिलुआ स्टेशन पर उपरि पुल का निर्माण

60. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लिलुआ स्टेशन पर उपरि पुल के निर्माण के लिए कार्य आवंटन को मंजूर कर दिया गया है;

(ख) क्या इस उपरि पुल का निर्माण कार्य आरम्भ करने का आदेश जारी कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) रेलें मौजूदा व्यस्त समपारों के बदले में ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण का काम राज्य सरकारों, सड़क प्राधिकरणों के साथ लागत की संयुक्त भागेदारी के आधार पर करती हैं, इस संबंध में राज्य सरकारों को प्रस्ताव इस वचन के साथ प्रायोजित करने होते हैं कि वे लागत का अपना भाग वहन करेंगी। लिलुआ में ऊपरी सड़क पुल के प्रस्ताव के संबंध में राज्य सरकार को अभी अपना अनुमोदन भेजना है। जैसे ही राज्य सरकार उपर्युक्त कार्य के संबंध में अपना अनुमोदन भेजेगी, इसे रेलों के निर्माण कार्यक्रम में शामिल कर लिया जायेगा।

कर्नाटक में नई रेल लाइनें बिछाना

61. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सातवीं योजना-वधि के दौरान कर्नाटक में नई रेल लाइनें बिछाने के सम्बन्ध में योजना की मुख्य बातें क्या-क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : कर्नाटक में चित्रदुर्ग तथा रायदुर्ग के बीच नयी रेल लाइन (100 कि० मी०) का निर्माण एक अनुमोदित कार्य है और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार इसके निर्माण मे प्रगति की जा रही है।

निम्नलिखित रेल लाइनों के लिए सर्वेक्षण भी प्रगति पर हैं।

(1) कडूर—चिकमंगलूर (48 कि० मी०)

(2) चामराजनगर—पेट्टपालैयम/कोयम्बतूर (180 कि० मी०)
(अंशतः कर्नाटक में)

(3) मेंगलोर—रोहा (825 कि० मी०)
(अंशतः कर्नाटक में)

सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने तथा उनकी जांच कर ली जाने पर आगे कार्रवाई के बारे में विचार किया जायेगा जो परियोजना की वित्तीय लाभप्रदता तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

कर्नाटक में रेल स्टेशनों पर चिकित्सालय

62. डा० वी० वेंकटेश : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में वे कौन-कौन रेलवे स्टेशन हैं जहां पर कर्मचारियों के लिए रेल चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं तथा वहां उपलब्ध सुविधाओं की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार और अधिक चिकित्सालय खोलने का है और यदि हां, तो वे किन-किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) कर्नाटक राज्य में निम्नलिखित रेलवे अस्पताल और स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं :—

अस्पताल

(1) मैसूर

(2) अशोकापुरम

(3) पहिया और धुरा संयंत्र बेंगलूर

(4) हुबली

स्वास्थ्य केन्द्र

(1) अरसी केरे

(2) मैसूर जंक्शन

(3) हरिहर

(4) शिमोगा टाउन

(5) हिन्दूपूर

(6) बंगार पेट्टै

(7) सकलेशपुर

(8) काबकापुथुर

(9) बेंगलूरू सिटी

(10) बेंगलूरू छावनी

(11) बेंगलूरू यशवंतपुर

(12) कैसल राक

(13) बेल्लारी

(14) होसपेट

(15) रायचूर

(16) बेलगाम

(17) गदग

(18) आलनावर

(19) बसावना बागेसवाड़ी रोड

(20) एम० टी० एस० कालोनी, हुबली

रेलवे स्वास्थ्य यूनिटों में बहिरंग उपचार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। पेचीदा मामले जिनमें निदानिक और बहिरंग उपचार की जरूरत होती है, रेलवे अस्पतालों को भेजे जाते हैं जहां पर चिकित्सा-विज्ञान, शल्य-चिकित्सा प्रसूति-विज्ञान और स्त्री रोग-विज्ञान जैसी बुनियादी विशिष्टताओं के उपचार के लिए आवश्यक अवसंरचना उपस्कर उपलब्ध हैं।

(ख) बेंगलूरू सिटी में एक पोली-क्लीनिक का निर्माण किया जा रहा है और यह शीघ्र चालू हो जायेगा। चरण-II में बेंगलूरू सिटी में 50 बिस्तरों वाला एक मंडल अस्पताल की योजना है। इसके 1987 में चालू हो जाने की संभावना है।

भू-तल जल की खोज

63. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में भू-तल जल की खोज को पर्याप्त प्राथमिकता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त योजना में नलकूप लगाने तथा रिग्ज लगाने के लिए पर्याप्त धन का प्रावधान किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय क्षेत्रों तथा राज्य क्षेत्रों के अन्तर्गत सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अलग-अलग कितना धन आवंटित किया गया है और इस योजना के प्रत्येक वर्ष विशेषतया वर्ष 1985-86 और 1986-87 के लिए राशि का आवंटन क्या है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां। केन्द्रीय भू-जल बोर्ड का लगभग 4000 अन्वेषणात्मक बेधक छिद्रों की ड्रिलिंग करने का प्रस्ताव है, जो छठी योजना के दौरान प्राप्त उपलब्धि के तीन गुना से अधिक है।

(ख) और (ग) सातवीं योजना के दौरान भू-जल कार्यक्रमों सहित लघु सिंचाई के लिए योजना परिव्यय के अन्तर्गत लगभग 2,805 करोड़ रुपये तथा संस्थागत वित्त के अन्तर्गत 3,515 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। योजना परिव्ययों में से, केन्द्र और राज्य क्षेत्र के आबंटन क्रमश: 135.00 करोड़ रुपये और 2670 करोड़ रुपये है। वर्ष 1985-86 के लिए लघु सिंचाई पर अनुमानित व्यय और 986-87 के लिए अनुमानित परिव्यय क्रमश: 520.53 करोड़ रुपये तथा 571.35 करोड़ रुपये है।

भूतपूर्व सैनिक परिवहन संगठनों को राष्ट्रीय परमिट

64. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिक परिवहन संगठनों को राष्ट्रीय परमिट जारी करने में कोई प्राथ-

मिकता दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) पब्लिक कैरियर्स के लिए मोटर यान अधिनियम 1939 की धारा 63 (11) के अधीन राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी किये जाने वाले राष्ट्रीय परमिटों की संख्या पर प्रतिबन्ध हटा लिए गए हैं इसलिए अब किसी भी व्यक्ति को जो सामान्यतः राज्य/संघ शासित क्षेत्र का निवासी है, आवेदन-पत्र देने पर ऐसा परमिट प्रदान किया जाएगा। बशर्ते कि वह मोटर यान अधिनियम, 1939 में निर्धारित परमिट की सामान्य शर्तों को पूरा करता हो। इसे दृष्टि में रखते हुए किसी प्रकार की वरीयता-श्रेणी को निर्दिष्ट करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

पर्यटक वाहनों के लिए राष्ट्रीय परमिटों के संदर्भ में इसी प्रकार की छूट पर विचार किया गया है जो प्रस्तावित व्यापक विधेयक के माध्यम से लागू किया जाना है।

सातवीं योजना के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार

65. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में चिकित्सा सुविधाओं का, पूरे देश में सामान्य रूप से और पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में विशेषरूप से, विस्तार करने की व्यवस्था की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सातवीं योजना में पहाड़ी राज्यों/क्षेत्रों में अतिरिक्त अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिए कोई योजना बनाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और सातवीं योजना के प्रत्येक वर्ष का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में बनाये जाने वाले कार्यक्रम में पहाड़ी राज्यों/क्षेत्रों को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या की सुविधाएं न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदान की जा रही हैं। पांच हजार जनसंख्या के लिए एक उप-केन्द्र और 30,000 जनसंख्या के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के राष्ट्रीय मानदण्डों को उदार बना

कर पहाड़ी/आदिवासी क्षेत्रों के लिए क्रमशः 3,000 और 20,000 जनसंख्या कर दिया गया है।

सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खोले जाने वाले प्रस्तावित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

सातवीं योजना के दौरान खोले जाने वाले प्रस्तावित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या का विवरण

	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र		
		1985-86	1986-87	सातवां प्लांट	1985-86	1986-87	सातवां प्लांट
1	2	3	4	5	6	7	
1.	आन्ध्र प्रदेश	100	100	1150	18	20	100
2.	असम	20	35	200	5	7	30
3.	बिहार	200	200	1500	10	15	97
4.	गुजरात	50	100	690	20	15	100
5.	हरियाणा	50	40	212	10	10	50
6.	हिमाचल प्रदेश	15	16	83	1	1	7
7.	जम्मू व कश्मीर	50	50	200	3	3	15
8.	कर्नाटक	50	50	805	15	—	86
9.	केरल	100	144	833	—	25	100
10.	मध्य प्रदेश	—	100	731	10	10	100

	1	2	3	4	5	6	7
11.	महाराष्ट्र	—	50	261	45	50	78
12.	मणिपुर	4	8	33	4	3	10
13.	मेघालय	13	9	22	2	2	8
14.	नागालैंड	2	2	12	1	—	6
15.	उड़ीसा	60	100	500	25	10	92
16.	पंजाब	—	40	330	12	10	56
17.	राजस्थान	10	40	702	5	10	25
18.	सिक्किम	1	1	2	1	—	4
19.	तमिलनाडु	300	100	1057	25	2	120
20.	त्रिपुरा	2	2	15	2	3	7
21.	उत्तर प्रदेश	340	500	2500	52	56	259
22.	पश्चिम बंगाल	75	100	488	30	20	184
23.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	2	2	5	—	1	3
24.	अरूणाचल प्रदेश	5	6	25	1	2	7
25.	चण्डीगढ़	—	—	3	—	—	—
26.	दादर व नगर हवेली	1	1	—	—	—	2
27.	दिल्ली	—	—	—	—	—	
28.	गोवा, दमण व दीव	—	2	7	—	1	2
29.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
30. मिजोरम	3	4	18	—	1	4
31. पांडिचेरी	2	2	6	—	1	1
अखिल भारत :	1455@	1804	12390@	298	278	1553

@ औषधालयों को परिवर्तित करके खोले जाने वाले 13 सहायक स्वास्थ्य केन्द्रों का द्योतक है।

नोट : इन वर्षों के लिए विभिन्न राज्यों के वार्षिक योजना प्रस्तावों पर विचार विमर्शों के दौरान 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के लिए वर्षवार लक्ष्य निर्धारित किये जाएंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कार्यान्वित करने हेतु कार्य-योजना

66 प्रो० नारायण चन्द पराशर
श्रीमती किशोरी सिंह
श्री शान्ता राम नायक } : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कार्यान्वित करने के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो उस कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है और कब तक इसको आरम्भ किए जाने की सम्भावना है;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने अभी इस नीति से अपनी सहमति व्यक्त नहीं की है और यदि उन्होंने कोई आपत्तियां की हैं, तो वे क्या हैं; और

(घ) शेष राज्यों पर इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने दबाव डालने हुए क्या कदम उठाये हैं ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा शाही) : (क) और (ख) बहुत से कार्य बलों द्वारा तैयार की गई कार्रवाई योजना पर 1-2 अगस्त, 1986 को होने वाली केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक में चर्चा की जाएगी।

(ग) और (घ) नई शिक्षा नीति केन्द्र और राज्यों के बीच किए गए परामर्श और सर्वसम्मतियों का परिणाम है।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली में प्रमुख खामियां

67. **श्री रेणुपद दास** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली में, किलोमीटर-वार आवश्यकता और "लेन-वार" खामियों संबंधी प्रमुख खामियां क्या हैं; और

(ख) उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाओं के बावजूद तत्संबंधी कारण क्या है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की खामियां दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) सीमित संसाधनों के कारण पिछली क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान इन खामियों को दूर कर पाना सम्भव नहीं हो पाया है।

विवरण

क्र० सं०	योजनाएं	1-4-1985 तक दूर की जाने वाली खामियां, छठी योजना में रह रही खामियों को छोड़कर	
		भौतिक कि०मी०/सं०	करोड़ रु० में अनुमानित लागत (1985 की कीमत दर पर)
1	2	3	4
क.	**सड़क कार्य**		
1.	मीसिंगलिंक्स का निर्माण	129 कि० मी०	20.00
2.	लोग्रेड सेक्शन में सुधार	596 कि० मी०	30.00
3.	एक लेन को दो लेन में चौड़ा और मजबूत करना, एक लेन को दो लेन में चौड़ा करना (मजबूत किए बिना)	5487 कि० मी०	550·00
4.	पेवमेंट को मजबूत करना		
(क)	जिन पहुंच मार्गों में प्रथम चरण मजबूती प्रदान की गई है वहां दूसरा चरण मजबूती करना	6996 कि० मी०	700.00
(ख)	जिन पहुंच मार्गों पर पुराने दो लेन पेवमेंट में केवल चौड़ाई दी गई है वहां मजबूती प्रदान करना		

1	2	3	4
5.	मौजूदा बड़े मुख्य मार्गों को मजबूत करना	9050 कि० मी०	1100.00
6.	भीड़-भाड़ वाले शहरों के आस-पास बाईपास का निर्माण या (स्थायी उपयुक्त कार्य के रूप में सुधार करना	191	300.00
7.	ऊपरी/अण्डर ब्रिज वाले रेलवे लेवल क्रासिंग को बदलना	379	150.00
8.	पुलियों का पुनर्निर्माण	एल० एस०	50.00
9.	पुलों पर पहुंच मार्गों का निर्माण	एल० एस०	60.00
10.	बाढ़ प्रवृत्त पहुंच मार्गों के लिए स्थायी निवारक उपाय	एल० एस०	60.00
11.	मार्ग के किनारों पर सुविधाएं		
	(i) सड़क के किनारों पर विश्राम क्षेत्र	एल० एस०	15.00
	(ii) ट्रक पार्किंग क्षेत्र	एल० एस०	15.00
	(iii) राजमार्ग सुरक्षा सुधार कार्य	एल० एस०	40.00
12.	राजमार्गों की लैंडस्केपिंग	एल० एस०	30.00
13.	पुल शुल्क संकलन गृहों का निर्माण	एल० एस०	10.00
14.	विविध मदें	एल० एस०	60.00
15.	भारी यातायात वाले खंडों को चार लेन में बदलना	1294 कि० मी०	320.00
16.	एक्सप्रेस वे का निर्माण	500 कि० मी०	500.00
	कुल सड़क :		4010.00

1	2	3	4
(ख) पुल कार्य			
1.	मिसिंग महापुलों का निर्माण	—	—
2.	डिप्स, वेटेंड कांजवे वाले सार्व-जनिकपुलों के स्थान पर ऊंचे पुल बनाना	16	20.00
3.	कमजोर और क्षतिग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण	121	120.00
4.	छोटे पुलों का निर्माण	1587	225.00
5.	रोड ओवर ब्रिज/रोड अंडर ब्रिज का निर्माण	एल० एस०	150.00
6.	चार लेनों के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुल	—	200.00
			715.00
जोड़—अप्रस्थापित कार्यों के लिए पुल-सड़क और पुल कार्य		—	—
			4725.00
	छठी योजना अवधि में राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित 2375 कि० मी० सड़क का सुधार		600.00
		कुल योग :	5325.00

[हिन्दी]

बिहार में जल संसाधनों का समुचित उपयोग

68. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बिहार में जल संसाधनों का अधिकतम और समुचित उपयोग

करने के लिए कोई योजनाएं तैयार की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, वित्त-पोषण तथा क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। 1.49 मिलियन हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंच ई क्षमता सृजित करने के लिए बिहार में बृहद, मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए सातवीं योजना में 1545.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

[अनुवाद]

दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश

69. **श्री लक्ष्मण मलिक**
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह } : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय में विज्ञान वर्ग के विषयों तथा बी०ए० और एम०ए० की कक्षाओं में लगभग 1000 पात्र छात्रों को प्रवेश न मिलने की सम्भावना है;

(ख) क्या इसका कारण यह है कि इस वर्ष प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बढ़ गई है जबकि स्थानों की संख्या उतनी ही है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार उन छात्रों की संख्या जिन्होंने दिल्ली स्थित स्कूलों से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में चालू वर्ष के दौरान विभिन्न विषयों में 60% और अधिक अंक प्राप्त किए थे, इस प्रकार हैं :—

विज्ञान	—	6348
वाणिज्य	—	3169
कला और व्यावसायिक		5530

विभिन्न कालेजों में प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम में स्थानों की कुल संख्या विज्ञान विषयों में 5824, वाणिज्य में 7936 और कला तथा व्यावसायिक विषयों में 16459 है। अनेक छात्र, जिन्होंने विज्ञान में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, सम्भवतः इंजीनियरी, औषधि आदि जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में

दाखिला लेंगे। उनमें से कुछेक मानविकी और वाणिज्य में भी जा सकते हैं। विश्वविद्यालय के अनुसार कुल मिलाकर चालू वर्ष के दौरान प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम में छात्रों के दाखिले में कोई गम्भीर समस्या उत्पन्न होने की सम्भावना नहीं है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिला अभी चल रहा है।

दिल्ली परिवहन निगम के यात्रियों के लिए सुविधायें

70. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यातायात में भारी वृद्धि के बावजूद भी दिल्ली परिवहन निगम की व्यवस्था पहले की तरह बनी हुई है;

(ख) क्या दिल्ली परिवहन निगम के चालक बस स्टापों पर उचित स्थान पर यदाकदा ही बस रोकते हैं;

(ग) क्या पासों के लिए दिल्ली परिवहन निगम का चलता-फिरता वाहन पूर्णतः अपर्याप्त है और सरकारी कर्मचारियों को प्रत्येक महीने पास बनवाने के लिए पूरा दिन बरबाद करना पड़ता है; और

(घ) क्या इस प्रणाली को सरल बनाने का विचार है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) बढ़ती हुई परिवहन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े की क्षमता (संख्या) में लगातार वृद्धि की जा रही है। इसी प्रकार इसके प्रचालनों का लगातार पुनरीक्षण हो रहा है तथा जहां भी आवश्यकता है, संशोधन/सुधार किए जा रहे हैं।

(ख) ड्राइवरों को बस स्टापों पर उचित स्थान पर बस रोकने के अनुदेश दिए जा चुके हैं। इनका पालन न करने के कुछ दृष्टान्त सामने आए हैं। प्रमुख बस स्टापों पर जांच-अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं जो बसों का उनके निर्दिष्ट स्थानों पर रुकवाना सुनिश्चित करेंगे। मोबाइल स्क्वॉड भी इसके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए निगरानी रखती है।

(ग) और (घ) इस समय निगम में पास जारी करने के 24 कार्यालय दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर हैं, इसके अतिरिक्त मोबाइल पास-वैन भी है जो प्रति माह शैक्षिक संस्थानों तथा आफिस काम्पलैक्सों का दौरा लगाती है। निगम ने एक पास कार्यालय केन्द्रीय टर्मिनल पर भी खोला है जो 11.00 बजे प्रातः से 6 बजे सायं तक कार्य करता है और इसमें 17 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। पास जारी करने वाले ये सभी केन्द्र मौजूदा आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझे गए हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय को नया रूप देना

71. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह अपने मंत्रालय में विशेषकर तकनीकी महत्वपूर्ण पदों पर व्यवसायों के डाक्टरों को नियुक्त कर उसको नया रूप देने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) मंत्रालय को नया रूप देने की लगातार समीक्षा की जा रही है और तकनीकी महत्वपूर्ण कार्यों तथा नीति विकास में व्यावसायिक विशेषज्ञों का सहयोग लिया जाता है ।

रेल के डिब्बों और विश्राम गृहों में नशीले पेय के सेवन पर प्रतिबन्ध

72. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल के डिब्बों और विश्राम गृहों में नशीले पेय का सेवन करने पर प्रतिबन्ध है;

(ख) यदि हां, तो इसे सख्ती से लागू करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक रेलवे में रेल के डिब्बों और विश्राम गृहों में नशीले पेय का सेवन करते हुए कितने लोगों को पकड़ा गया है; और

(घ) सरकार ने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) यात्री गाड़ियों के दूसरे दर्जे के सवारी डिब्बों और गैर-कक्षीय किस्म के अन्य सवारी डिब्बों में शराब पीना मना है। कक्षदार डिब्बों में भी यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सहयात्रियों की असुविधा को ध्यान में रखकर शराब न पीयें। तथापि विश्राम कक्षों पर ये अनुदेश लागू नहीं होते हैं ।

(ख) और (घ) शराब पीने के खिलाफ, विशेषकर उन गाड़ियों में, जिनमें शराब पीने की शिकायतें प्राप्त होती हैं, जांच की जाती है। पकड़े गये अपराधियों के विरुद्ध भारतीय रेल अधिनियम 1890 की धारा 120 के अधीन कार्रवाई की जाती है ।

(ग) इस प्रकार की सूचना नहीं रखी जा रही है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अन्तर्गत एसोसिएशनों को कानूनी मान्यता

73. **डा० सुधीर राय** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने 9 जनवरी, 1986 को कोई स्थायी अनुदेश जारी किये हैं जिनमें केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अन्तर्गत विभिन्न एसोसिएशनों को कानूनी मान्यता देने की प्रक्रिया और समयसारिणी स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो उन दिशा-निर्देशों के मुख्य उपबंध क्या हैं;

(ग) क्या इन स्थायी अनुदेशों का उल्लंघन किया गया है और कुछ एसोसिएशनों को 28 फरवरी, 1986 को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है;

(घ) क्या इस प्रकार के भेद-भाव से व्यथित कुछ एसोसिएशनों ने मंत्रालय को कोई अभ्यावेदन भेजा है; और

(ङ) क्या सरकार ने कोई उपचारात्मक कार्यवाही की है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) संघ को मान्यता देने के लिए अनुरोधों पर विचार करने के लिए स्थायी अनुदेश निम्नलिखित हैं :

(1) मान्यता देने के लिए कर्मचारियों की निम्नलिखित विभिन्न श्रेणियां होंगी जिनके प्रतिनिधि निकाय कानूनी मान्यता देने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

(i) केन्द्रीय विद्यालयों का शिक्षण स्टाफ;

(ii) विद्यालयों का गैर-शिक्षण स्टाफ;

(iii) मुख्यालय कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों का स्टाफ;

(iv) प्रिंसिपलों का वर्ग (तथापि, वे जे० सी० एम० योजना में प्रतिनिधित्व नहीं कर सकेंगे)

(2) कानूनी मान्यता के लिए आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ 31 मार्च तक भेजे जा सकते हैं।

(क) प्रत्येक सदस्य के सम्बन्ध में दाखिला प्रपत्र की प्रमाणित प्रतियों सहित सदस्यता की सूची।

(ख) सदस्यों के चन्दे का प्रमाण।

(ग) पदाधिकारियों तथा बैठकों तथा उन तारीखों की सूची जब से वे सदस्य चुने गये थे।

(घ) संघ के पिछले दो वर्षों के लेखों का परीक्षित विवरण।

(ङ) संघ के विधान/संघ ज्ञापन तथा संघ के नियमों की एक प्रति।

(च) इस आशय का एक प्रमाण पत्र कि संघ के० वि० स० (संघ की मान्यता) नियमावली के० स० से (आचरण) नियमावली, 1964 में निर्धारित सभी शर्तों का पालन करेगा तथा विशेषकर यह बात कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो संगठन का नियमित कर्मचारी नहीं है वह संघ के साथ "संरक्षक" के रूप से भी सहयोजित नहीं होगा।

(3) संगठन मुख्यालय में आवेदन पर विचार तथा सम्बन्धित संघ के साथ स्पष्टीकरण के लिए चर्चा, यदि कोई हो तो, 31 मई तक होगी।

(4) कानूनी मान्यता के लिए अन्तिम निर्णय 31 जुलाई तक दिया जाना होगा।

(ग) के०वि० संगठन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार तीन सेवा संघों अर्थात्—

(i) राष्ट्रीय केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक संघ (ii) केन्द्रीय विद्यालय संगठन स्टाफ संघ (iii) केन्द्रीय विद्यालय गैर-शिक्षण स्टाफ संघ जिन्होंने अपने आवेदन पत्र पहले प्रस्तुत किये थे तथा संगठन के दिनांक 9-1-86 के परिपत्र के उत्तर में फिर से आवेदन किया था, उन्हें केन्द्रीय विद्यालय संगठन (संघ को मान्यता) अधिनियम के अनुसार 28 फरवरी, 1986 से कानूनी मान्यता प्रदान की गई थी।

(घ) और (ङ) अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ ने इस बारे में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। उक्त संघ ने अन्य बातों के साथ-साथ इसे कानूनी मान्यता देने तथा अन्य संघों को कानूनी मान्यता देने के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। मामला निर्णयाधीन है।

प्रमुख नदियों में तलछाटन

74. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तलछाटन भारत की नदी घाटी परियोजनाओं को प्रभावित करने वाली प्रमुख समस्या है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में प्रमुख नदियों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) नदी घाटी परियोजनाओं को सामान्यतः प्रभावित करने वाली समस्याओं में से अवसादन एक समस्या है। देश के विभिन्न भागों में बारह जलाशयों के लिए सर्वेक्षण किए गए हैं। अन्य जलाशयों पर ऐसे आवधिक सर्वेक्षण करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह दी गई है।

कोयले की ढुलाई में गिरावट

75. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के पहले दो महीनों के दौरान कोयले की ढुलाई में काफी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गये हैं; और

(ग) क्या यह हानि कोयले के उत्पादन में आई गिरावट के कारण है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) लदान में गिरावट कोयला कम्पनियों द्वारा कम कोयला प्रस्तुत किये जाने के कारण आयी है। अप्रैल तथा मई, 1986 के दौरान लदान का लक्ष्य और वास्तविक लदान इस प्रकार रहा :—

प्रति दिन चौपहिया माल डिब्बों के हिसाब से

महीना	लक्ष्य	वास्तविक	कमी	प्रतिशत
अप्रैल, 1986	14175	13252	923	—6.5
मई, 1986	14175	12730	1445	—10.2

(ग) रेल विभाग इस बारे में कोई टिप्पणी देने की स्थिति में नहीं है।

दक्षिणी राज्यों में समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम

76. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिणी राज्यों को, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में गरीब बच्चों के विकास और कल्याण के लिए समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने कार्यक्रम आवंटित किये गये हैं; और

(ख) उनमें कितनी प्रगति हुई है ?

युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) और (ख) 1986-87 में समेकित बाल विकास परियोजनाओं के आवंटन में उन शहरी गन्दी बस्तियों और खण्डों को प्राथमिकता दी गई है। जहां अधिक संख्या में अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग रहते हैं।

2. 1985-86 तक 237 केन्द्रीय प्रायोजित समेकित बाल विकास परियोजनाएं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तथा लक्षद्वीप और पांडिचेरी के केन्द्र शासित प्रदेशों को आवंटित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य क्षेत्र में, राज्य सरकार ने 63 समेकित बाल विकास परियोजनाएं शुरू की थीं। 1986-87 के लिए इन राज्यों को 37 अतिरिक्त, केन्द्रीय प्रायोजित समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाएं आवंटित की गई हैं।

3. उपरोक्त राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से प्राप्त 31-3-86 को समाप्त अवधि की प्रगति रिपोर्टों के अनुसार, 287 परियोजनाओं के अन्तर्गत 27.18 लाख बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं को पूरक पोषाहार प्रदान किया जा रहा था।

रूपनारायण नदी की नौगम्यता

77. **श्री नारायण चौबे** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में रूपनारायण नदी अपनी नौगम्य क्षमता तेजी से खो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस नदी की नौगम्य क्षमता के समाप्त होने से मिदनापुर तथा हावड़ा जिलों का विनाश होने की सम्भावना को देखते हुए सरकार का इस नदी को पुनः नौगम्य बनाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) रूपनारायण नदी की नौगम्य क्षमता में गिरावट के लिए ज्वार-प्रभाव और शुष्क मौसम से प्रवाह में कमी, वन-कटाई तथा कुछ मानव संबंधी अवरोध संभावित कारण हैं।

(ग) कुछ संचयन जलाशयों से इसकी घाटी में गाद प्रक्षालन के लिए प्रावधान किया जा चुका

है। इस नदी को मानसून के दौरान सतत प्रवाह द्वारा कायम रखने का प्रस्ताव रखा गया है। पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने अभी हाल में कलकत्ता पत्तन न्यास से रूपनारायण नदी के प्रवाह का संकेत देने वाली एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का अनुरोध किया है ताकि इसके सुधार के लिए प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

दक्षिण पूर्व रेलवे में रेल दुर्घटनाएं

78. **श्री नारायण चौबे :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे में जून 1986 के महीने में कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई तथा पटरी से उतरने की कितनी घटनाएं हुई तथा ये किन-किन स्थानों और मंडलों में हुई;

(ख) क्या जून, 1986 के प्रथम सप्ताह में उत्कल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी;

(ग) यदि हां, तो दुर्घटना में कितनी जान माल की हानि हुई;

(घ) उस दुर्घटना के क्या कारण थे;

(ङ) दक्षिणी पूर्वी रेलवे में जून, 1986 में इन दुर्घटनाओं तथा पटरी से उतरने की घटनाओं के कारण यातायात कितना तथा कितनी अवधि तक अव्यवस्थित रहा; और

(च) इन दुर्घटनाओं से रेलवे को कितनी हानि हुई है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जून, 1986 के माह में दक्षिण पूर्व रेलवे के निम्नलिखित स्टेशनों/मंडलों पर 1 टक्कर तथा 5 पटरी से उतर जाने सहित 6 परिणामी गाड़ी दुर्घटनाएं हुई : —

क्रम सं०	दुर्घटना की तारीख	दुर्घटना की कोटि	स्थान	मंडल
1	2	3	4	5
1.	1.6.1986	पटरी से उतरना	गालूडीह और राखा माइन्स स्टेशनों के बीच	खडगपुर
2.	3.6.1986	,,	गोइलकेरा और नुनिया स्टेशनों के बीच	चक्रधरपुर
3.	5.6.1986	पटरी से उतरना	भोगपुर और पांसकुडा स्टेशनों के बीच	खडगपुर

1	2	3	4	5
4.	13.6.1986	टक्कर	टेगनामाड़ा और वेलगहना स्टेशनों के बीच	विलासपुर
5.	21.6.1986	पटरी से उतरना	वासुल्यासा-टहाय स्टेशन पर	खड़गपुर
6.	25.6.1986	,,	वोडावड़ा और शिवा-लिंगापुरम स्टेशनों के बीच	वाल्तेरू

(ख) जी हां।

(ग) रेल सम्पत्ति को क्षति की लागत का भुगतान 28,03,000 रुपये (लगभग) लगाया गया है। दुर्घटना के कारण कोई जन हानि नहीं हुई।

(घ) रेल संरक्षा आयुक्त, जो रेल विभाग के अधीन काम नहीं करते, के अनन्तिम निष्कर्ष के अनुसार पट्टी में दरार पड़ने से दुर्घटना हुई थी।

(ङ) जून, 1986 में दुर्घटना के कारण ग्रू संचार व्यवस्था में कुल 47 घन्टे 39 मिनटों का व्यवधान आया था।

(च) लगभग 37 लाख रुपये।

सियालदह डिवीजन में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों के कारण टिकट धारी यात्रियों को परेशानी

79. **श्री नारायण चौबे** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन में बहुत बड़ी संख्या में यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं;

(ख) क्या इस संबंध में कोई आकलन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कलकत्ता और लालगोला के बीच चलने वाली भागीरथी एक्सप्रेस में रोज काफी संख्या में बिना टिकट यात्री यात्रा करते हैं जिसके कारण टिकटधारी यात्रियों को भारी परेशानी होती है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का टिकटधारी यात्रियों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) फरवरी, 1985 के दौरान सियालदह मंडल में जायजा लिया गया था और यह पता चला था कि बिना टिकट यात्रा की मात्रा लगभग 1.6 प्रतिशत थी ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[हिन्दी]

साबरमती एक्सप्रेस में यात्री किराया

80. श्री राज कुमार राय : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के झांसी तथा बीना शाखा के बीच साबरमती एक्सप्रेस से यात्रा करने वाले यात्रियों से एक्सप्रेस रेलगाड़ी का किराया लिया जाता है जबकि इस रूट पर रेलगाड़ी पैसेंजर गाड़ी बन जाती है;

(ख) क्या यह रेलगाड़ी झांसी और बीना के बीच प्रत्येक स्टेशन पर रुकती है;

(ग) क्या यात्रियों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार पैसेंजर गाड़ी का किराया लेने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक लागू किया जाएगा ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां ।

(ख) यह गाड़ी माताटीला स्टेशन को छोड़कर झांसी और बीना के बीच सभी स्टेशनों पर रुकती है ।

(ग) और (घ) जी नहीं । सवारी गाड़ी का किराया लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि झांसी-बीना खंड साबरमती एक्सप्रेस के समग्र मार्ग का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है ।

एड्स रोग के कारण मृत्यु

81. श्री राज कुमार राय
श्री के० वी० थामस
श्री वक्कम पुरुषोत्तमन
श्री सी० जंगा रेड्डी
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद
डा० ए० के० पटेल
श्री धमपाल सिंह मलिक
डा० गौरी शंकर राजहंस
श्री सुभाष यादव
डा० बी० एन० शैलेश
श्री अमर रायप्रधान
श्री मट्टम श्रीराम मूर्ति
श्री रंजीत सिंह गायकवाड
श्री शान्ताराम नायक
श्री शरद दिघे

: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जून, 1986 तक भारत में कितने व्यक्ति "एड्स" रोग से प्रभावित हुए और उनमें से कितने व्यक्तियों का इलाज किया गया और इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(ख) इस रोग का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य में है और कहां पर सर्वाधिक मौतें हुई हैं;

(ग) इस रोग के लक्षण क्या हैं; और

(घ) इस रोग की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा स्थान-वार क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्ड) : (क) और (ख) वेस्टर्न ब्लाट टेस्ट द्वारा जिन 18 मामलों में एड्स संक्रमण होने की पुष्टि हुई है उनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

तमिलनाडु	—	15
महाराष्ट्र	—	2
आंध्र प्रदेश	—	1

इनमें से दो को यह रोग हो गया है और एक में एड्स संबंधी भावना-ग्रंथि पैदा हो गई है तथा बाकी को अभी कोई क्लीनिकी लक्षण पैदा नहीं हुए हैं। जिन दो को रोग हो गया था उनमें से एक की मृत्यु हो गई है।

(ग) मोटे तौर पर इस रोग के लक्षणों में थकावट होना, बुखार आना, भूख न लगना, वजन घटना, अतिसार, रात को पसीना आना, ग्रंथियों में सूजन आदि शामिल हैं। रोग रोधक शक्ति कम हो जाने के इसके महत्वपूर्ण लक्षण के कारण एड्स से ग्रस्त व्यक्ति को न्युमोनिया-मूगाशयशोथ, कैरिनाई, हर्पीज, साइटोमिगेलो विषाणु जैसी अनेक किस्म की मौका-परस्त घातक बीमारियां लग जाने का भी खतरा हो जाता है।

(घ) एक राष्ट्र-व्यापी नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया है और इस रोग की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

1. एड्स अनापत्ति प्रमाण-पत्र के बिना रक्त और रक्त उत्पादों के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं।

2. सभी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों/अस्पतालों/यौन संचारित रोग क्लीनिकों को एड्स के रोगियों का पता लगाने के लिए चौकस कर दिया गया है।

3. सभी रक्त बैंकों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे पेशेवर रक्त-दाताओं में एड्स का पता लगाने के लिए जांच करें।

4. सभी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अस्पतालों और क्लीनिकों में विसंक्रमण प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन हो रहा है और वे यथासंभव पहले से विसंक्रमित डिस्पोजेबल सिरिंजों और सुइयों का प्रयोग करें।

5. सभी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को स्वास्थ्य परिचर्या कार्मिकों के लिए मार्गनिर्देश भेजे गए हैं।

6. एड्स, उसकी प्रकृति, उसके फैलने और रोकथाम के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए जन प्रचार के सभी माध्यमों को इस काम पर लगाया गया है।

[अनुवाद]

नवोदय विद्यालयों का खोला जाना

82. श्री राज कुमार राय
श्री रेणुपद दास
श्री वी० एस० विजयराघवन
श्री जगन्नाथ पटनायक } : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1986-87 के दौरान कितने आदर्श स्कूल खोले जाने हैं;

(ख) यह स्कूल कहां-कहां खोले जाने हैं;

(ग) प्रत्येक माडल स्कूल पर कितना व्यय किया जाना है; और

(घ) सातवीं योजना के दौरान नवोदय विद्यालयों के लिए कितनी धन-राशि निर्धारित की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों की उपयुक्तता के आधार पर वर्ष 1986-87 के दौरान लगभग 50-60 मॉडल स्कूल (जिन्हें अब नवोदय विद्यालय नाम दिया गया है) स्थापित करने का प्रस्ताव है। स्थान-निर्धारण सम्बन्धित राज्यों/संघ-शासित क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली अवस्थापना पर आधारित होगी।

(ग) प्रथम वर्ष में कक्षा-VI से आरम्भ करके, एक नवोदय विद्यालय में सात वर्षों में कक्षा-XII तक सभी कक्षाएं हो जाएंगी। प्रथम तीन वर्षों में भी, भवनों का निर्माण करने तथा अन्य परिसम्पत्तियों को अर्जित करने की पर्याप्त आवश्यकता होगी। इन सात वर्षों के अन्त में, एक नवोदय विद्यालय पर खर्च की जाने वाली कुल अनुमानित राशि 241.08 लाख रु० होगी।

(घ) सातवीं योजना अवधि के दौरान, नवोदय विद्यालयों के लिए 500.00 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

विवाह के लिये आयु सीमा

83. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन के महत्व को ध्यान में रखते हुए विवाह की आयु बालिकाओं के लिए वर्तमान 18 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष और बालकों के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है; और

(ग) इससे परिवार नियोजन का लक्ष्य कहां तक प्राप्त होगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) यद्यपि ऐसा कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है, फिर भी, विवाह की उम्र, विशेषकर महिलाओं के विवाह की उम्र, में वृद्धि करने की आवश्यकता जनसंख्या स्थिरीकरण के हमारे प्रयत्नों की प्रभावी सफलता के लिए अनुभव की जा रही है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय का महिला और बाल विकास विभाग तथा गृह मंत्रालय बाल विवाह निरोध अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं।

नया परिवार कल्याण कार्यक्रम

84. **श्री बनवारी लाल पुरोहित**
श्री शरद दिघे
श्री के० कुन्जम्बु } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपने परिवार को छोटा रखने के सम्बन्ध में जनता को प्रेरित करने के लिए देश में एक नया परिवार कल्याण कार्यक्रम की घोषणा करने का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो नये कार्यक्रम का ब्योरा क्या है;

(ग) नये कार्यक्रम से देश में जनसंख्या पर नियंत्रण रखने में किस सीमा तक मदद मिलेगी; और

(घ) क्या पिछले तीन वर्षों की तुलना में इस वर्ष अब तक जनसंख्या में कोई वृद्धि या कमी हुई है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम की नई कार्यनीति को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विचाराधीन प्रस्तावित कार्यनीति में अन्य बातों के साथ-साथ ये बातें भी शामिल हैं :— (1) परिवार कल्याण और अन्य सामाजिक-आर्थिक विकासशील कार्यक्रमों के बीच बहु-क्षेत्रीय संबंध विकसित करना (2) सूचना, शिक्षा और संचार संबंधी कार्यकलापों में व्यावसायिकता उत्पन्न करना, (3) लोकप्रिय समितियों का गठन करके पूर्ण सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करना, (4) कार्यक्रम प्रबन्ध में सुधार करना और विशिष्ट क्षेत्र और वर्ग विशेष दृष्टिकोण अपनाना तथा (5) सेवाओं की तकनीकी गुणवत्ता में सुधार करना।

(ग) इन बहुत सारी नई पहलों का उद्देश्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत निर्धारित किये गये दीर्घकालीन जनांकिकीय लक्ष्यों को प्राप्त करना है।

(घ) नमूना पंजीयन पद्धति के आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या की स्वाभाविक वृद्धि दर के नवीनतम आंकड़े उपलब्ध हैं उनके अनुसार वर्ष 1984 की वृद्धि दर 2.13 प्रतिशत है।

लगजरी "स्टैंडर्ड 2000" कारों की खरीद के बारे में जांच

85. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने इंडियन एयरलाइन्स के प्रबन्धकों द्वारा 2.10 लाख रुपए से अधिक लागत की खरीदी गई तीन लगजरी "स्टैंडर्ड 2000" कारों की खरीद के बारे में जांच का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त जांच रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इन लगजरी कारों की खरीद में इण्डियन एयरलाइन्स का कोई कर्मचारी शामिल है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं। इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा स्टैण्डर्ड कार खरीदे जाने के बारे में उन्हें केवल कुछ सूचना भेजने के लिए कहा गया था। किसी जांच का आदेश नहीं दिया गया था।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

विभिन्न राज्यों द्वारा उच्चतर माध्यमिक बोर्डों का गठन

86. **प्रो० के० वी० थामस :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों ने अभी तक उच्चतर माध्यमिक (+2) बोर्डों का गठन नहीं किया है;

(ख) उच्चतर माध्यमिक बोर्डों के क्या लाभ हैं; और

(ग) क्या केरल सरकार में डिग्री पूर्व-बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रशासन संस्थान को सूचित किया है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कोचीन पत्तन में उर्वरक गोदी के मशीनीकरण से उत्पन्न बेरोजगारी

87. **प्रो० के० वी० थामस :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन पत्तन में उर्वरक गोदी पर माल उतारने के लिए यांत्रिक प्रक्रिया आरम्भ

किये जाने के कारण कोचीन गोदी श्रमिक बोर्ड के 200 मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन मजदूरों को रोजगार देने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) कोचीन में यांत्रिक उर्वरक अन लोडर लग जाने से दो सौ पंजीकृत श्रमिकों के लिए कार्य कम हो जाने की सम्भावना है। तथापि वे महीने में 21 दिन की गारंटी शुदा न्यूनतम मजदूरी पाने के हकदार रहेंगे और इसलिए उन्हें नौकरी से हट जाने का कोई खतरा नहीं है।

[हिन्दी]

राजस्थान में प्राथमिक स्कूल खोलने के लिए विशेष सहायता

88. श्री बुद्धि चन्द्र जैन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार द्वारा 1986-87 के दौरान खोले जाने वाले 500 प्राथमिक विद्यालयों की तुलना में राजस्थान की जनता द्वारा उससे कहीं दस गुना अधिक विद्यालय खोलने की मांग की गई है;

(ख) क्या रेगिस्तानी और पहाड़ी क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूलों की भारी कमी और इस संबंध में जनता की प्रबल मांग को देखते हुए, केन्द्रीय सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ राजस्थान सरकार को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो यह सहायता किस रूप में और कितनी मात्रा में प्रदान की जानी है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) यह सच है कि बहुत से क्षेत्रों में स्कूल सुविधाओं की मांग उसकी वर्तमान उपलब्धता की अपेक्षा अधिक है। तथापि, स्कूल शिक्षा की देखभाल करना मुख्यत: राज्य सरकार का काम है। राजस्थान सरकार की वर्ष 1986-87 की वार्षिक योजना में 500 नये प्राइमरी स्कूल खोलने का प्रस्ताव है।

(ख) जी, नहीं। भारत सरकार, किसी भी राज्य को, विशेष रूप से और नए स्कूल खोलने के लिए कोई सहायता नहीं देती है। इस प्रकार की मांगें सम्बन्धित राज्य सरकारें जांचती हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्कूल पाठ्यक्रम में स्वतंत्रता-संघर्ष का इतिहास

89. श्री बुद्धि चन्द्र जैन : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस वर्ष से प्राथमिक विद्यालयों और उच्चतर माध्यमिक

विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में स्वतन्त्रता संघर्ष के इतिहास सम्बन्धी विषय को शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो पाठ्यक्रम का ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि उपर्युक्त विषय को शामिल किये जाने का विचार नहीं है, तो इस पर ध्यान न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) देश के स्वतन्त्रता संग्राम के इतिहास को सामान्यत: देश के भिन्न-भिन्न भागों में स्कूल-शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुसार भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन के इतिहास को, परिकल्पित कोर पाठ्यक्रम में प्रमुख रूप से शामिल किया जायेगा। इसके अनुसरण में, रा० शै० अनु० प्र० परि० राष्ट्रीय स्तर की अन्य एजेंसियों के सहयोग से चरणबद्ध रूप में अध्ययन सामग्री सहित स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्य विवरण तैयार करने के लिए कदम उठा रही है, ताकि इन विषयों का अध्यापन कराया जा सके।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

वायुदूत सेवा के लिए विमानों की खरीद

90. श्री अमर सिंह राठवा
श्री चिन्तामणि जेना } : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या से निपटने के लिए वायुदूत सेवा के लिए और अधिक विमान खरीदने हेतु हाल ही में निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने विमान खरीदने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या किसी फर्म के साथ कोई बातचीत शुरू की गई है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) इन विमानों को कब तक खरीद लिए जाने की सम्भावना है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) वायुदूत सेवाओं के लिए और अधिक विमान प्राप्त करने के बारे में अभी हाल में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

क्षय रोग से पीड़ित रोगी

91. श्री अमर सिंह राठवा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1986 को देश में क्षय रोग से पीड़ित रोगियों की अनुमानित संख्या कितनी थी; और

(ख) देश में क्षय रोगियों का उपचार करने वाले अस्पतालों की राज्यवार संख्या कितनी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) 1.1.1986 की स्थिति के अनुसार कितने व्यक्ति क्षय रोग से पीड़ित हैं यह मालूम करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। वैसे, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा देश के विभिन्न भागों में 1955-58 में किए गए राष्ट्रीय नमूना क्षय रोग सर्वेक्षण और बाद के वर्षों में देश के विभिन्न भागों में किए गए सीमित सर्वेक्षणों के निष्कर्षों के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि 1 करोड़ लोग एक्सरे के आधार पर सक्रिय रोग से ग्रस्त हैं।

(ख) अन्तरंग रोगी के रूप में क्षय रोगियों का इलाज कर रहे अस्पतालों/वार्डों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्षय रोग से पीड़ित रोगियों के इलाज के लिए अस्पतालों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

राज्यवार

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अस्पतालों की संख्या	वार्डों और क्लिनिकों की संख्या	कुल योग
1	2	3	4	5
	राज्य			
1.	आंध्र प्रदेश	11	16	27
2.	असम	5	22	27
3.	बिहार	47	10	57

1	2	3	4	5
4.	गुजरात	22	38	60
5.	हरियाणा	2	9	11
6.	हिमाचल प्रदेश	2	8	10
7.	जम्मू और काश्मीर	3	3	6
8.	कर्नाटक	24	12	36
9.	केरल	5	63	68
10.	मध्य प्रदेश	11	48	59
11.	महाराष्ट्र	32	34	66
12.	मणीपुर	1	3	4
13.	नागालैंड	2	—	2
14.	मैघालय	1	5	6
15.	उड़ीसा	8	31	39
16.	पंजाब	18	3	21
17.	राजस्थान	6	39	45
18.	सिक्किम	1	4	5
19.	तमिलनाडु	11	43	54
20.	त्रिपुरा	—	1	69
21.	उत्तर प्रदेश	25	38	63
22.	वैस्ट बंगाल	22	47	69
	संघ राज्य क्षेत्र			
23.	अरूणाचल प्रदेश	1	14	15
24.	गोवा दमन और द्वीप	3	—	3

1	2	3	4	5
25.	मिजोरम	1	2	3
26.	पांडिचेरी	1	2	3
27.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह		3	3
28.	चंडीगढ़	—	1	1
29.	दादर व नागर हवेली	—	—	—
30.	दिल्ली	2	3	5
31.	लक्षद्वीप	—	—	—

मैसर्ज सिमको से रेलवे वैगनों की खरीद

92. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड रेलवे वैगनों की खरीद के लिए बिरला उद्योग समूह के मैसर्ज सिमको को आर्डर देता रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार ने सिमको से वर्ष-वार कितने रेलवे वैगनों की खरीद की है;

(ग) क्या सरकार का विचार सिमको को दिए गए आर्डरों को रद्द करने और उन्हें इंडियन वैगन मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी को देने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) 1983-84 से 1985-86 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा मैसर्स सिमको से खरीदे गये रेल माल डिब्बों की संख्या नीचे दी गयी है :—

वर्ष	खरीदे गये माल डिब्बों की संख्या (चौपहिया यूनिटों में)
1983-84	2006
1984-85	1530
1985-86	1690

(ग) मैसर्स सिमको को जितने माल डिब्बों का आर्डर दिया गया था उनकी संख्या में (चौपहिया यूनिटों के हिसाब से) कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तथापि इसका युक्तिकरण करने की दृष्टि से फर्म को 27.9.85 को इस आशय के पत्र द्वारा दिये गये 120 यूनिट बी० ओ० बी० किस्म के मालडिब्बों (चौपहिया यूनिटों के हिसाब से) के आर्डर को 27.6.86 को इस आशय के पत्र में मैसर्स बर्न स्टेन्डर्ड कम्पनी लिमिटेड, बर्नपुर (पहले मैसर्स इंडियन स्टेन्डर्ड वैगन कम्पनी के नाम से जाना जाता था) के हिस्से से उतनी ही संख्या में बी० सी० एन० किस्म के माल डिब्बों से अंतर्बदल कर दिया गया था।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पिलाई जाने वाली "पोलियोमायलिटिस वैक्सीन" के कारण शिशुओं की मृत्यु

93. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस वर्ष अप्रैल में बंबई के सरकारी अस्पताल "कामा एंड उल्बलैस हास्पिटल" में "ट्रिपल ऐंटीजन एंड ओरल पोलियोमायलिटिस वैक्सीन" मिलाये जाने के पश्चात चार शिशुओं की मृत्यु हो गई थी;

(ख) भारत के अन्य भागों में भी इस प्रकार के "वैक्सीन" सप्लाई किए गए हैं;

(ग) इस वैक्सीन के सप्लाईकर्ता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। महाराष्ट्र सरकार के एक उपक्रम हाफकिन बायोफार्मास्यूटिकल कार्पोरेशन लिमिटेड, बम्बई (एच० बी० पी० सी० एल०), द्वारा ट्रिपल ऐंटीजन तैयार की गई थी और पोलियो वैक्सीन एम्प्यूल की गई थी।

(घ) जी, हां। महाराष्ट्र सरकार ने जांच की है और जांच निष्कर्षों के आधार पर वैक्सीनों को ठीक ढंग से रखने और देने के अनुदेश जारी कर दिए हैं।

अफ्रीकी देशों के लिए "स्पोर्ट्स एड" कार्यक्रम

94. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफ्रीकी देशों की अभावग्रस्त जनता के प्रति अपना समर्थन प्रकट करने के लिये 'स्पोर्ट्स एड' तथा वक्त से मुकाबला कार्यक्रम के प्रोत्साहन के लिए भारत में कौन से उपाय किए गए; और

(ख) 'स्पोर्ट्स एड' को एक राष्ट्रीय घटना बनाने के लिए प्रधान मंत्री के आह्वान पर क्या प्रतिक्रिया हुई ?

युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) सूखा पीड़ित अफ्रीकी देशों के साथ सहानुभूति प्रकट करने और अफ्रीकी बच्चों की सहायता के लिए धन इकट्ठा करने के लिए यूनीसेफ से आह्वान के अनुसरण में सरकार ने भारत में "खेल सहायता" और "समय के विरुद्ध दौड़" कार्यक्रम आयोजित करने के लिए यूनीसेफ की सहायता हेतु निम्नलिखित कदम उठाए थे :—

(I) प्रधान मंत्री से भारत के लोगों को इस उद्देश्य के लिए अपना पूरा समर्थन देने के लिए अपील जारी करना;

(II) भारतीय खेल प्राधिकरण को शामिल करके 17—25 मई, 1986 के बीच कई खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं, ताकि 25 मई, 1986 को देश में लगभग 70 शहरों में खेल सहायता सप्ताह और सन राइज 10 किलोमीटर दौड़/टार्च लाइट दौड़े मेस हो सकें।

(III) खेल सहायता के संदर्भ में कलकत्ता में फुटबाल मैच और दिल्ली में इन्डुरेन्स तैराकी जैसी खेल प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना।

(ख) प्रधान मंत्री की अपील पर सारे देश से सहज और बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया हुई और इसके, परिणामस्वरूप "खेल सहायता" राष्ट्रीय प्रयास बना। यूनीसेफ की ओर से "खेल सहायता" के जरिए 45 लाख रुपये का अंशदान पहले ही भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किया गया है।

होम्योपैथिक दवाइयों का प्रयोग

95. श्री सोमनाथ रथ : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है कि देश में कितने लोग होम्योपैथिक दवाइयों का प्रयोग करते हैं;

(ख) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि होम्योपैथिक दवाइयों मानकीकृत हों और वे जनता को उचित मूल्य पर उपलब्ध हों;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) देश में कितने लोग होम्योपैथिक दवाइयों का प्रयोग करते हैं इसके बारे में सरकार द्वारा कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) जी हां। होम्योपैथी दवाइयों के मानकीकरण के लिए भारत सरकार ने एक होम्योपैथिक भेषज संहिता समिति नियुक्त की है जिसने अब तक भारतीय होम्योपैथिक भेषज संहिता के 4 वाल्यूम तैयार कर लिए हैं इनमें 492 आम होम्योपैथिक औषधें शामिल की गई हैं। भारत सरकार ने होम्योपैथिक औषधों के परीक्षण के लिए एक होम्योपैथिक भेषज संहिता प्रयोगशाला भी स्थापित की है। अधिकांश निर्माता इकाइयां लघु उद्योग क्षेत्र में हैं और उद्योगों द्वारा अपने उत्पादों के विपणन में प्रतिस्पर्धा द्वारा अप्रत्यक्ष मूल्य स्थिरता कार्यान्वित की जा रही है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

एड्स रोग से ग्रस्त विदेशी पर्यटकों पर रोक

96. श्री सोमनाथ रथ : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एड्स रोग से ग्रस्त विदेशी पर्यटकों को भारत में आने की अनुमति देने में कोई असावधानी हुई है;

(ख) भारत में आने वाले अवांछित पर्यटकों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) एड्स के रोगियों को अलग रखने के लिए दोनों निरोधक और उपचारात्मक अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) एड्स वाइरस संक्रमण के लिए पर्यटकों की जांच करने की एक क्रियाविधि है। इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही का प्रश्न ही नहीं उठता। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी, जो इस समस्या से गम्भीर रूप से संबंध रखता है, इस प्रकार के उपाय की सिफारिश नहीं करता।

(ग) निगरानी तन्त्र का विस्तार किया गया है और उसमें वृद्धि की जा रही है जिसके अंतर्गत एड्स का पता लगाने के लिए 11 नैदानिक केन्द्र खोले गए हैं। इसके अतिरिक्त 4 रैफरल केन्द्र भी खोले गए है जहां एड्स के लिए उच्च स्तर की नैदानिक सुविधाएं उपलब्ध हैं।

अब तक एड्स के रोगियों के लिए कोई भी विशिष्ट उपचार नहीं है। इस समय एड्स के

रोगियों को दिए जा रहे उपचार में प्रत्येक व्यक्ति के मामले में पाई गई विभिन्न तरह की समयानुवर्ती और घातक बीमारियों का विशिष्ट उपचार किया जाता है।

तथापि एड्स नियन्त्रण के अन्तर्गत एड्स पर काबू पाने के लिए और उसे आगे फैलने से रोकने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं जो इस प्रकार हैं :—

(क) एड्स क्लीयरेंस प्रमाण पत्र के बिना रक्त और रक्त उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है।

(ख) सभी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों/अस्पतालों/एस०टी०डी० क्लीनिकों को एड्स का पता लगाने के लिए सतर्क कर दिया गया है।

(ग) सभी ब्लड बैंकों को पेशेवर रक्त दाताओं की जांच करने के लिए हिदायतें दे दी गई हैं।

(घ) सभी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अस्पतालों और क्लिनिकों में नसबन्दी प्रविधियों का कड़ाई से पालन हो रहा है और वे जहां तक सम्भव हो कीटाणु रहित सिरिंजों और सुइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

(ङ) सभी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को स्वास्थ्य परिचर्या कार्मिकों के लिए दिशा निर्देश भेज दिए गए हैं।

(च) एड्स, इसकी प्रकृति, फैलने तथा रोकथाम पर लोगों को शिक्षित करने के कार्य में सभी जनप्रचार के साधनों को लगा दिया गया है।

विद्युत चालित और डीजल चालित इंजिनों का आयात तथा निर्माण

97. श्री मोहन भाई पटेल
श्री चिन्तामणि जेना } : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन एककों की संख्या कितनी है जो देश में विद्युत चालित और डीजल चालित इंजिनों का निर्माण कर रही हैं और प्रत्येक एकक में इन इंजिनों की वार्षिक मांग और उत्पादन कितना है;

(ख) क्या सरकार का विचार चालू वित्त वर्ष में विद्युत इंजिनों और डीजल इंजिनों का आयात करने का है;

(ग) यदि हां, तो कुल कितने विद्युत और डीजल इंजिनों का आयात करने का विचार है;

(घ) इनकी खरीद पर कुल कितनी राशि खर्च की जायेगी; और

(ङ) मांग को पूरा करने के लिए इन इंजिनों का देश में ही निर्माण करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) रेलवे क्षेत्र में बिजली और डीजल रेल इंजिनों का निर्माण चित्तरंजन रेल इंजिन कारखाना, चित्तरंजन (पश्चिम बंगाल) में और डीजल रेल इंजिनों का निर्माण डीजल रेल इंजिन कारखाना, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में किया जा रहा है।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान चित्तरंजन रेल इंजिन कारखाना ने प्रतिवर्ष औसतन 54 बिजली तथा 30 डीजल रेल इंजिनों का निर्माण किया जबकि डीजल रेल इंजिन कारखाना ने प्रतिवर्ष औसतन 132 डीजल रेल इंजिनों का निर्माण किया था। वर्ष 1985-86 के दौरान चित्तरंजन रेल इंजिन कारखाना द्वारा 54 बिजली तथा 27 डीजल रेल इंजिनों का निर्माण किया गया, जबकि डीजल रेल इंजिन कारखाने में 126 डीजल इंजिनों का निर्माण किया गया। सामान्यत: रेल इंजिनों का निर्माण मांग और धनराशि की उपलब्धता के अनुसार हो रहा था।

(ख) और (ग) जी, हां। 6000 अश्वशक्ति वाले 18 प्रोटोटाइप बिजली रेल इंजिनों के आयात करने के आर्डर दिये गये हैं। प्रौद्योगिकी हस्तनान्तरण सहित डीजल रेल इंजिनों के आयात करने की भी योजना बनाई गई है तथापि, चालू वित्त वर्ष के दौरान किसी बिजली अथवा डीजल रेल इंजिन की सुपुर्दगी प्राप्त होने की सम्भावना नहीं है।

(घ) वर्तमान मुद्रा दर के आधार पर सहायक उपकरण और पुर्जों आदि सहित 18 प्रोटोटाइप बिजली रेल इंजिनों का जहाज पर्यन्तक मूल्य लगभग 60 करोड़ रुपये आंका गया है। 50 डीजल रेल इंजिनों का आयात करने के लिए अभी टेंडर आमंत्रित किये जाने हैं, इसलिये उनकी लागत अभी मालूम नहीं है।

(ङ) प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण सहित नवीनतम किस्म के रेल इंजिनों को प्राप्त करने के लिए खरीद की जा रही है ताकि इनका देश में उत्तरोत्तर निर्माण किया जा सके।

रेलों की डीजल रेल इंजिनों की निर्माण क्षमता वर्तमान मांग के अनुरूप है। रेलों की बिजली रेल इंजिनों की निर्माण क्षमता बढ़ाकर प्रतिवर्ष 80 बिजली रेल इंजिन करने के लिए अपेक्षित कार्य को मंजूरी दे दी गई है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को भी पांच बिजली रेल इंजिनों का निर्माण करने के लिए कहा गया है।

तीर्थ स्थलों के लिए हैलीकाप्टर सेवा

98. श्री मोहन भाई पटेल
श्री आर० एम० भोये } : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय हैलीकाप्टर निगम भारत में अनेक तीर्थ स्थलों को हैलीकाप्टर सेवा से जोड़ने का विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन तीर्थ स्थलों को हैलीकाप्टर सेवा से जोड़ा जायेगा; और

(ग) देश में हैलीकाप्टर सेवा कब तक आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग) एक सर्वेक्षण किया गया था जिसमें हैलीकाप्टर सेवाओं से कुछ तीर्थ स्थानों को जोड़ने का प्रस्ताव किया गया था। भारतीय हैलीकाप्टर निगम लिमिटेड द्वारा लिये जाने वाले हैलीकाप्टरों का प्रयोग आरम्भ में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की समुद्रतटीय परिचालनों को विमान सहायता पहुंचाने के लिए किया जायेगा। राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों को भी वेट-लीज के आधार पर हैलीकाप्टर मुहैया कराए जाएंगे। इन प्राथमिकताओं की पूर्ति करने के पश्चात्, भारतीय हैलीकाप्टर निगम लिमिटेड विमान-क्षमता, तथा आवश्यक आधार संरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता और प्रचालनों की आर्थिक साध्यता के आधार पर अनुसूचित सेवाओं के परिचालन पर विचार करेगा।

बाल मृत्यु दर

99. डा० के० जी० अदियोडी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986 में मार्च तक प्रत्येक राज्य में जीवित पैदा हुए 1000 बच्चों में से बाल मृत्यु दर कितनी है;

(ख) वर्ष 1984 और 1985 के दौरान व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाये गये जिलों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या देश में सभी जिलों को व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने के लिए कोई समय निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार): (क) से (घ) सूचना विवरण 1 और 2 में दी गई है।

विवरण-I

1982 से 84 तक की अनुमानित शिशु मृत्यु दरें

क्र०सं०	राज्य	1982	1983	1984*
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	79	77	75
2.	असम	102	94	97
3	बिहार	112	99	96
4.	गुजरात	111	106	106
5.	हरियाणा	93	91	101
6.	हिमाचल प्रदेश	68	80	90
7.	जम्मू व कश्मीर	68	71	75
8.	कर्नाटक	65	71	74
9.	केरल	30	33	29
10.	मध्य प्रदेश	134	125	120
11.	महाराष्ट्र	70	79	76
12.	उड़ीसा	132	126	130
13.	पंजाब	75	80	66
14.	राजस्थान	97	109	122
15.	तमिलनाडु	83	87	78
16.	उत्तर प्रदेश	147	155	154
17.	वैस्ट बंगाल	86	84	82
	भारत	105	105	104

*अनन्तिम

विवरण-2

व्यापक रोग-प्रतिरक्षण कार्यक्रम (1985—90) की सूची

समग्र देश को चरणबद्ध ढंग से व्यापक रोगप्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है जो इस प्रकार है :—

	नये जिले	प्रणाली योग
1985-86	30	30
1986-87	60	90
1987-88	90	180
1988-89	120	300
1989-90	112	412

(शेष जिले)

केरल में कालीकट उपमार्ग

100. डा० के० जो० अबियोडी : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में कालीकट ही एक ऐसा शहर है जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के साथ जोड़ने के लिए उपमार्ग नहीं है तथा चार उपमार्गों की व्यवस्था का प्रस्ताव मंत्रालय में काफी समय से मंजूरी के लिए लम्बित पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कार्य के पूरा होने के लिए निर्धारित समय क्या है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जी, नहीं। केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 17 पर कालीकट ही एकमात्र ऐसा शहर नहीं है जिसके लिए बाईपास की व्यवस्था नहीं की गई है। वित्तीय प्रतिबन्धों के कारण भूमि अधिग्रहण और इस बाईपास के निर्माण कार्य को चरणबद्ध ढंग से शुरू किया जाना है। राज्य लोक निर्माण विभाग ने मार्च, 1985 में बाईपास के चरण-1 (चेनेज 20870 से 28124 मी० तक) के लिए भूमि अधिग्रहण का प्राक्कलन प्रस्तुत किया था। उस समय इस पर विचार नहीं किया जा सका क्योंकि यह वार्षिक योजना 1985-86 में शामिल नहीं हो पाया। अब प्रस्ताव को संस्वीकृति के लिए वार्षिक योजना 1986-87 में सम्मिलित कर लिया गया है। चूंकि इस परियोजना पर बहुत अधिक धनराशि खर्च होगी, इसलिए

इस निर्माण कार्य के पूरा होने की समय-सारणी के बारे में बता पाना सम्भव नहीं है।

[हिन्दी]

पटना-गया रेल लाइन को दोहरा बनाना

101. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना-गया रेल लाइन को दोहरा बनाने के लिए काफी समय से मांग की जाती रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उपर्युक्त रेल लाइन को दोहरा बनाने के लिए कोई कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) पटना क्षेत्र में, पटना-गया खंड सहित, लाइन क्षमता बढ़ाने के लिए सर्वेक्षण करने का अनुमोदन किया गया है।

नसबन्दी कराने वाली महिलाओं की संख्या में वृद्धि

102. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में नसबन्दी कराने वाली महिलाओं की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है और इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) देश में कितनी महिलाओं ने नसबन्दी आपरेशन करवाए हैं इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

परिवार कल्याण कार्य में स्वेच्छा से सहयोग प्राप्त करने के लिए स्थाई समिति

103. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परिवार कल्याण कार्य में स्वेच्छा से सहयोग प्राप्त करने के लिए स्थाई समिति का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी हां। स्वैच्छिक संगठनों की सहायता के लिए अध्यक्ष, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्षता में 17-6-86 को एक स्थायी समिति गठित की गई है जिसमें भारत सरकार के तीन अधिकारी और आठ गैर-सरकारी सदस्य होंगे जो स्वैच्छिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करेंगे। गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य-काल तीन वर्ष होगा और एक तिहाई सदस्य हर वर्ष अपना कार्यभार छोड़ते रहेंगे। यह समिति बच्चा-बच्चा स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, स्वास्थ्य स्तर में सुधार और स्वैच्छिक संगठनों के मौजूदा क्रियाकलापों को परिवार कल्याण के साथ एकीकृत करने के बारे में परिवार कल्याण परियोजनाएं चलाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों और शहरों की गन्दी बस्तियों में आधारिक स्तर की स्वैच्छिक एजेंसियों से प्राप्त आवेदनों पर विचार करेगी और जिन स्वैच्छिक संगठनों के आवेदन व्यवहार्य पाए जाएंगे उन्हें सहायता अनुदान जारी करने के लिए सरकार से सिफारिश करेगी। सहायता अनुदान की राशि प्रति परियोजना एक लाख रुपये तक सीमित होगी और परियोजना की अवधि एक वर्ष से लेकर अधिक से अधिक तीन वर्ष हो सकती है।

[अनुवाद]

राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिश पर अनुवर्ती कार्यवाही

104. **श्री सी० जंगा रेड्डी**
डा० ए० के० पटेल } : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1986 में राज्यों के शिक्षा मन्त्रियों के सम्मेलन में की गई प्रत्येक सिफारिश पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है; और

(ख) इस सम्बन्ध में राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों की प्रतिक्रिया क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) जनवरी, 1986 में हुए, राज्यों के शिक्षा मन्त्रियों के सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशों पर विधिवत् विचार किया गया था और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 को अन्तिम रूप देते समय इनको ध्यान में रखा गया।

केरल में अधिक रेलें चलाना

105. श्री थम्पन थामस : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार तथा केरल की जनता से केरल में अधिक रेलें चलाने के बारे में कोई प्रस्ताव और अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या त्रिवेन्द्रम पहुंचने वाली और वहां से चलने वाली वर्तमान गाड़ियों में डिब्बों की संख्या बढ़ाने का कोई विचार है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) नयी गाड़ियां चलाने और केरल को सेवित वर्तमान गाड़ियों, विशेषकर वे जो बम्बई वी०टी०, वाराणसी, भिलाई, अहमदाबाद और गुवाहाटी से चलती हैं, के फेरे बढ़ाये जाने की मांगें हुई हैं।

(ग) जी नहीं, वर्तमान गाड़ियां पूरे भार के साथ चल रही हैं।

नवोदय स्कूलों के संबंध में पश्चिम बंगाल का अनुरोध

106. श्री रेणुपद दास
श्री जगन्नाथ पटनायक } : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवोदय स्कूल खोलने के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) जिन स्थानों पर नवोदय विद्यालय खोले जाने हैं उनके सम्बन्ध में अंतिम निर्णय लेते समय क्या संसद सदस्यों और राज्य सरकारों के विचारों को भी ध्यान में रखा जायेगा ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) नवोदय विद्यालयों के स्थान-निर्धारण को सम्बन्धित राज्य/संघ शासित क्षेत्र के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

बिहार में गंगा के किनारों पर भू-क्षरण

107. **श्री राम भगत पासवान** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार में गंगा के किनारों पर भूमि के कटाव को रोकने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) बिहार में प्रत्येक वर्ष बाढ़ से फसल और मृदा को कितनी क्षति पहुंची है और सरकार ने ऐसी क्षति से उनकी सुरक्षा के लिए क्या प्रबन्ध किए हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) सिंधु गंगा मैदानों में बाढ़ प्रवण नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में भारत सरकार ने एक केन्द्र प्रायोजित एकीकृत जल विभाजक प्रबन्ध स्कीम आरम्भ की है। जहां तक बिहार का सम्बन्ध है, छठी योजना से तीन परियोजनाएं नामत: सोन, पूनम और अजय प्रचालनाधीन हैं। वर्ष 1985-86 तक 704.69 लाख रुपये के व्यय से लगभग 28171 हेक्टेयर क्षेत्र में ऐसे उपाय किए गए हैं। वर्ष 1986-87 में लगभग 7100 हेक्टेयर क्षेत्र में ऐसे उपाय किए जाने के लिए 185 लाख रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

वर्ष 1953 से 1985 के दौरान बिहार सरकार ने 43.83 करोड़ रुपये की अनुमानित वार्षिक मूल्य की औसत से प्रतिवर्ष औसतन 6 4 लाख हेक्टेयर फसली क्षेत्र की क्षति होने की सूचना दी है।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश की अन्तर्राज्यीय सिंचाई परियोजनायें

108. **श्री पी० मानिक रेड्डी**
श्री एम० रघुमा रेड्डी } : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश की ऐसी अन्तर्राज्यीय सिंचाई परियोजनाओं की संख्या 30 जून, 1986 को कितनी थी, जिन्होंने केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृति दी जानी शेष थी;

(ख) स्वीकृति देने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) कब तक उनको स्वीकृति दिये जाने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) पांच बृहद, एवं एक मध्यम सिंचाई परियोजनाएं।

(ख) और (ग) परियोजनाएं निम्नलिखित कारणों से स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी हैं :—

(1) केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों पर राज्य सरकार द्वारा पूर्ण आंकड़े/सूचना प्रस्तुत करने में विलम्ब;

(2) अन्तर्राज्यीय पहलू सुलझाएं जाने हैं;

(3) पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति तथा वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन-भूमि रिलीज किए जाने सम्बन्धी स्वीकृति।

परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान किया जाना राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त की शीघ्र अनुपालना पर निर्भर करता है।

सुपर सोनिक कार्मशियल जैट कंकार्ड का किराए पर लिया जाना

110. श्री बी० तुलसी राम
डा० बी० एल० शैलेश } : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सुपरसोनिक कार्मशियल जेट "कंकार्ड" को किराये पर ले रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सुपर सोनिक कार्मशियल जेट "कंकार्ड" एक नया विमान है अथवा यह पहले से कार्यरत है, यदि हां, तो इसने कितने घंटे की उड़ान पूरी कर ली है और इसका विमानन प्रमाण-पत्र कब तक पूरा हो जाने की आशा है;

(ग) विमान के प्रभार का भुगतान का ब्यौरा क्या है और कितनी अवधि तक का भुगतान किया गया है;

(घ) यह कौन से हवाई मार्ग पर उड़ेगा;

(ङ) क्या यह विमान विद्यमान हवाई पट्टियों से ही उड़ान भरेगा अथवा नई हवाई पट्टियों का निर्माण करना पड़ेगा; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या हैदराबाद इस विमान के रूट मैप पर पड़ेगा और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (च) इस समय एयर इंडिया की "कंकार्ड" विमान किराए पर लेने की कोई योजना नहीं है।

शैक्षणिक उन्नति में गैर-सरकारी भागेदारी

111. श्री वी० तुलसी राम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के अमीरों तथा उद्योगपतियों को देश में तेजी से शैक्षणिक विकास में योगदान देने के लिये कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में मांगी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नई शिक्षा नीति के अंतर्गत देश में शैक्षणिक उन्नति के लिये इस प्रकार की सहायता प्राप्त करने का प्रावधान है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार की सहायता से पब्लिक स्कूलों को बढ़ावा मिलेगा और नई शिक्षा नीति कार्यक्रम अस्त-व्यस्त हो जायेगा ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) उद्योग को तकनीकी शिक्षा के सम्बन्ध में प्राय: सहायता करने की सलाह दी जाती है तथा आग्रह किया जाता है। निजी संगठनों/न्यासों से प्राप्त प्रस्तावों पर तभी विधिवत विचार किया जाता है, यदि इन्हें राज्य योजना में दर्शाया गया हो और राज्य की सहायता-अनुदान संहिताओं में शामिल हो। नीति के तौर पर संस्था-उद्योग की पारस्परिक कार्रवाई और सहयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। विभिन्न उपायों में जिनके माध्यम से सहयोग को प्रोत्साहित किया जाता है, निम्नलिखित शामिल है :—

(I) कर्मिकों का आदान-प्रदान;

(II) संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं;

(III) उद्योग में व्यावहारिक प्रशिक्षण।

(IV) उद्योग के सहयोग से सान्तराल पाठ्यक्रम।

(V) उद्योगों द्वारा संस्थाओं को अपनाना; और

(VI) संस्थान उद्योग सलाहकार समितियां आदि।

(ग) नई शिक्षा नीति में विभिन्न स्तरों पर संस्थाओं के बीच तथा प्रयोक्ता पद्धति के साथ सहयोग और नैटवर्क सम्बन्ध की व्यवस्था है और सरकार तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं के बीच व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की स्थापना करने, दोनों को जुटाकर संसाधन एकत्र करने, लाभग्राही समुदायों को स्कूल भवनों का अनुरक्षण करने तथा कुछ उपभोक्ता सामग्रियों की आपूर्ति करने के संबंध में पारस्परिक कार्रवाई की भी व्यवस्था है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पूर्वी क्षेत्र के सिंचाई मंत्रियों का क्षेत्रीय सम्मेलन

112. **श्री बी० तुलसी राम :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भुवनेश्वर में, पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के सिंचाई और जल संसाधन मंत्रियों का एक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और बातचीत के क्या निष्कर्ष रहे;

(ग) क्या निकट भविष्य में दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों का ऐसा ही सम्मेलन आयोजित किये जाने की भी सम्भावना है; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो विशेष रूप से आंध्र प्रदेश की सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं, एकीकृत जल संसाधनों, आयोजना और विकास सिंचाई, क्षमता का उपयोग, चक्रवातों, बाढ़ तथा सूखे प्रणाली प्रचालन और रख रखाव जन शक्ति, आयोजना, प्रशिक्षण और अनुसंधान, अनुसूचित जाति घटक योजना तथा जनजाति उप-योजना से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया था।

(ग) और (घ) दक्षिण क्षेत्र के लिए सिंचाई और जल संसाधन मंत्रियों का क्षेत्र स्तरीय सम्मेलन पहले ही आयोजित किया जा चुका है।

[हिन्दी]

छितौनी बाघा रेल लाइन पर गंडक नदी पर पुल का निर्माण

113. **श्री काली प्रसाद पांडेय :** क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बिहार में नेपाल सीमा के समीप छितौनी-बाघा रेल लाइन पर गंडक नदी के ऊपर एक रेल पुल के निर्माण की मांग काफी समय से लम्बित पड़ी है और सरकार ने कतिपय अनुमानित व्यय को पूरा करने के लिए 1982 में कुछ राशि मंजूर की थी;

(ख) पुल के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस स्थान पर, नेपाल-भारत (उत्तर प्रदेश और बिहार) के सामरिक महत्व और

उस क्षेत्र के लोगों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, सरकार का विचार आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान इस रेल पुल का निर्माण प्रारंभ करना है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) यह परियोजना 1974-75 में अनुमोदित की गयी थी। वाधा तथा वाल्मीकि नगर (9 कि० मी०) के बीच रेल लाइन 1978 में पूरी हो गयी थी और यातायात के लिए खोल दी गयी थी। गंडक नदी के ऊार रेलवे पुल सहित वाल्मीकि नगर तथा छितौनी के बीच कार्य शुरू नहीं किया गया है।

(ख) गंडक नदी पर पुल के लिए नदी सुरक्षा निर्माण-कार्यों पर 1982 के मूल्य स्तर पर 38 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान लगाया गया था। यह लागत सिंचाई मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश तथा बिहार की राज्य सरकारों द्वारा बांटी जानी थी। आजकल इसकी लागत बहुत अधिक है। तथापि सिंचाई मंत्रालय ने उनके द्वारा पहले भुगतान किए गए 5 करोड़ से अधिक भुगतान करने से इंकार कर दिया है। बिहार सरकार भी बढ़ी हुई लागत वहन करने के लिए राजी नहीं हुई है और उनके द्वारा पहले जमा किए गए 2 करोड़ रुपये उन्हें लौटाने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश सरकार भी उनके द्वारा आरम्भ में 3 करोड़ रुपये जमा करने के बाद की बढ़ी हुई लागत को वहन करने के लिए सहमत नहीं हुई है।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

विमान पत्तनों का विस्तार

114. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विमानपत्तनों के क्या नाम हैं जिनका इस समय विस्तार किया जा रहा है;

(ख) केरल में इस विस्तार कार्यक्रमों पर कुल कितनी राशि व्यय की जा रही है; और

(ग) इस कार्यक्रम का अन्य ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, गुवाहाटी, जम्मू, जोरहाट, सुलुर, त्रिवेन्द्रम, कोचीन, कालीकट (नया विमान-क्षेत्र), लुधियाना, शिमला (नया विमान-क्षेत्र), तिरूपति, पटना और रांची।

(ख) और (ग) केरल में विमान-क्षेत्र के विस्तार के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में 12.30 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

कालीकट :—नए हवाई अड्डे का निर्माण।

कोचीन :—

(I) अन्तस्थ भवन आगन्तुक गैलरी और रेस्तरां का विस्तार/परिवर्धन।

(II) एप्रन और पश्चिमी टैक्सी पथ का विस्तार।

(III) कार पार्क, एप्रोच रोड सिस्टम और सुरक्षा बैरक का निर्माण।

त्रिवेन्द्रम् :—

(I) नए अन्तर्राष्ट्रीय अन्तस्थ भवन के प्रस्थान क्षेत्र का वातानुकूलन।

(II) आगन्तुक गैलरी का निर्माण।

(III) प्रस्थान क्षेत्र का विस्तार और वातानुकूलन की व्यवस्था (अंतर्देशीय अंतस्थ)।

(IV) एप्रन का विस्तार।

(V) प्रचालन दीवार और सुरक्षा बैरकों का निर्माण।

मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी के एकल बिक्री अधिकार

115. श्री ए० सी० षण्मुख : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग ने सभी बुक-स्टाल ठेका करारों से एकल बिक्री अधिकार सम्बन्धी खंड को समाप्त कर दिया है जो दिनांक 15 नवम्बर, 1975 के पत्र संख्या 75 टी० जी० 111/461 के अनुसार लागू था;

(ख) इन करारों में "एकल बिक्री अधिकार" सम्बन्धी खण्ड को अन्तर्विष्ट/समाप्त किये जाने का क्या प्रयोजन है;

(ग) मैसर्स ए०एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी द्वारा एकल बिक्री अधिकार, जिसे अब चालू करार का अभिन्न अंग समझा जाता है, का उपयोग जारी रखे जाने के क्या विशेष कारण हैं; और

(घ) उक्त खण्ड को अन्य बुक स्टाल ठेका करारों का अभिन्न अंग न समझे जाने का क्या कारण है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं। यह पत्र प्लेटफार्मों पर दो प्रमुख बुक स्टाल ठेकेदारों के एकमात्र विक्रेता अधिकारों को प्रतिबंधित करता है और विनिर्दिष्ट स्टेशनों पर 31-12-1975 से लागू है।

(ख) और (ग) पहले मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी का एक सम्पूर्ण रेलवे या एक रेलवे के अधिकांश भागों में बुक स्टाल चलाने का अनन्य अधिकार था। 1-8-60 से इन अनन्य अधिकारों को कम करके उन विनिर्दिष्ट स्टेशनों, जहां उनके पास पहले से ही बुक स्टाल थे, पर केवल एक मात्र अधिकार कर दिया गया। इस एकमात्र अधिकार की धारा को रेलवे बोर्ड के 15-11-75 और 24/25-11-76 के पत्र संख्या 75-टी० जी० 111/461/19 के अनुसार पुनः संशोधन किया गया था। संशोधित एकमात्र अधिकार धारा के अन्तर्गत रेलें 31-12-75 के बाद उन स्टेशनों पर निर्मित प्लेटफार्मों, जहां मै० ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी के पास एकमात्र विक्रेता अधिकार प्राप्त हैं, पर किसी अन्य पात्र कोटि को आवंटित कर सकती हैं। यह संशोधित एकमात्र विक्रेता अधिकार धारा मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड के साथ चालू करार में समाविष्ट किया गया था।

(घ) केवल दो ठेकेदारों अर्थात् मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी तथा मैसर्स गुलाब सिंह एण्ड सन्स के करारों में एक मात्र विक्रेता अधिकार की धारा थी और दोनों ही जारी थे। तथापि मैसर्स गुलाब सिंह एण्ड सन्स का ठेका 1-1-85 से समाप्त कर दिया था, किन्तु ठेकेदारों ने दिल्ली उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है और मामला न्यायाधीन है।

सड़क निर्माण और रख-रखाव में गैर-सरकारी भागीदारी सम्बन्धी समिति

116. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परिवहन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में सड़क निर्माण और रख-रखाव के कार्य में गैर-सरकारी भागीदारी के मामले की छानबीन के लिये एक समिति स्थापित की है;

(ख) यदि हां, तो समिति के अन्य सदस्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(घ) सड़क निर्माण और रख-रखाव में गैर-सरकारी भागीदारी के प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

कानपुर-कासगंज पैसेंजर गाड़ी में आग लगने की घटना

117. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जत नगर प्रभाग में दिनांक 8 जून, 1986 को कानपुर-कासगंज पैसेंजर गाड़ी के दो डिब्बों में आग लग गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं और जान-माल की हानि का ब्यौरा क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) नागर विमानन विभाग के अधीन कार्यरत पूर्वोत्तर क्षेत्र के रेल संरक्षा आयुक्त ने इस दुर्घटना की जांच की थी। उनकी रिपोर्ट के अनुसार आग लगने की दुर्घटना का सम्भावित कारण गाड़ी में लगे भाप इंजन से निकली कोई जलती हुई चिनगारी प्रभावित सवारी डिब्बे की छत की तरेड़ में गिरना था।

इस दुर्घटना में 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और रेल सम्पत्ति को लगभग 45,000/- रुपये का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग

118. श्री सी० माधव रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के कार्यकरण के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो शिकायतों का स्वरूप क्या है;

(ग) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के मामले की जांच करने के लिये पिछले वर्ष श्री जय दीप सिंह की अध्यक्षता में गठित जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या श्री राम निवास मिर्धा की अध्यक्षता में गठित पुरातत्व सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें कार्यान्वित की गई हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) मुख्य रूप से नौकरी सम्बन्धी मामलों में अलग-अलग व्यक्तियों और संघों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उपयुक्त ध्यान न देने का आरोप लगाया गया है।

(ग) कोई जांच समिति गठित नहीं की गई थी।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) श्री राम निवास मिर्धा की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति ने 81 मुख्य सिफारिशें की थीं जिन पर अधिकार प्राप्त एक समिति ने विचार किया था। 62 सिफारिशों पर पूर्ण कार्रवाई की जा चुकी है। शेष 19 सिफारिशों पर कार्रवाई शुरू की गई है।

कलिंग/उत्कल एक्सप्रेस गाड़ियों में भोजन यान की व्यवस्था कराना

119. कुमारी पुष्पा देवी : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलिंग/उत्कल एक्सप्रेस गाड़ियों के साथ भोजन यान जोड़ने की भारी मांग है और इसकी आवश्यकता भी है;

(ख) यदि हां, तो इस मांग को कब तक पूरा किया जाएगा; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) से (ग) कलिंग/उत्कल एक्सप्रेस गाड़ियों में चालू वर्ष के दौरान पेंट्री कार सेवाएं आरम्भ करने का विनिश्चय किया गया है।

रेलवे के विकास के लिए दीर्घावधि कार्यक्रम हेतु विदेशी सहायता

120. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रेलवे के विकास के लिए 45 करोड़ रुपये का दीर्घावधि कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस दीर्घावधि कार्यक्रम को लागू करने के लिए विश्व बैंक से अथवा विदेशी सहायता मांगी है;

(ग) उक्त परियोजना में शामिल विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रम कौन-कौन से हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) रेलों ने 1985 से 2000 तक के 15 वर्षों की अवधि के लिए एक समवेत योजना तैयार की है जिसमें लगभग 45000 करोड़ रुपये का पूंजी-निवेश करना होगा।

(ख) समवेत योजना के लिए विश्व बैंक से अथवा बाहरी देशों से कोई विशिष्ट सहायता नहीं मांगी गई है।

(ग) और (घ) भारतीय रेलों की समवेत योजना में रेल अवसंरचना के चहुंमुखी विकास की

व्यवस्था है जिसमें यातायात के प्रत्याशित स्तर को सम्हालने के लिए पर्याप्त लाइन क्षमता तथा चल स्टाक क्षमता के विकास के अलावा यात्री तथा माल दोनों सेवाओं की किस्म तथा विश्वसनीयता में सुधार, पुरानी परिसम्पत्तियों का नवीकरण/पुनर्स्थापन, प्रौद्योगिकी की उन्नति, परिसम्पत्तियों की अधिक उत्पादकता तथा पूंजी-निवेश का इष्टतम उपयोग, लागत में कटौती तथा मानक संसाधनों का *विकास आदि शामिल हैं।*

एक्सप्रेस रेल गाड़ियों में खान-पान सेवा

121. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीलांचल एक्सप्रेस में घटिया खान-पान सेवा के कारण दिल्ली से पुरी जाने वाले और पुरी से दिल्ली आने वाले यात्रियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने 175/176 तथा 915/916 नेशनल एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में खान-पान सेवा को सुधारने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि 175/176 और 915/916 जोड़ी गाड़ियों की खान-पान सेवा में सुधार लाने लिए किये गये और किये जाने वाले विभिन्न उपायों में प्रयोज्य अल्यूमिनियम पन्नीबन्द व्यंजनों की संशोधित सूची आरम्भ करना, वरिष्ठ अधिकारी स्तर पर बार-बार निरीक्षण, आधुनिक रसोई उपकरणों की खरीद और स्थापना, आधार रसोईघरों का आधुनिकीकरण, रसोईघरों का प्रशिक्षण आदि शामिल हैं।

एक पृथक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव

122. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और कुछ अन्य पूर्वी राज्यों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और रख-रखाव का कार्य देखेगी; और

(घ) इस प्राधिकरण के प्रमुख कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल तथा कुछ अन्य पूर्वी राज्यों के लिए पृथक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि सरकार देश के सारे राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रबन्ध के लिये एक राष्ट्रीय

राजमार्ग प्राधिकरण स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

प्रमुख पत्तनों में दूरसंचार सुविधा

123. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक प्रमुख पत्तनों में दूरसंचार की पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न प्रमुख पत्तनों में दूरसंचार नेटवर्क तैयार करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में पारादीप पत्तन को उपलब्ध कराई जाने वाली प्रस्तावित दूरसंचार सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) अधिकांश पत्तनों पर दूरसंचार सुविधाएं पर्याप्त समझी गई हैं। तथापि कुछ पत्तन अधिकारियों ने सूचित किया है कि उनके पत्तनों पर मौजूदा दूरसंचार सुविधाओं में सुधार करने की आवश्यकता है। पत्तन अपनी दूरसंचार आवश्यकताओं की लगातार समीक्षा करते हैं और पर्याप्त सुविधाओं के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में पारादीप पोर्ट के बजट में दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार का प्रावधान नहीं है।

संग्रहालयों द्वारा गैर-पंजीकृत कला वस्तुओं की खरीद

124. **श्री राम धन** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कलात्मक वस्तुओं के पंजीकरण संबंधी आवश्यक उपबन्ध का उल्लंघन किये जाने के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उल्लंघन की कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ग) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय संग्रहालय और अन्य संग्रहालय गैर-पंजीकृत कला वस्तुओं की खरीद कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार के उल्लंघन को रोकने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं ?

शिक्षा और संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) 1980 से इस प्रकार के अतिक्रमणों के बाईस उदाहरण सरकार के ध्यान में आये हैं।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

(घ) इस प्रकार के अतिक्रमणों को रोकने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(i) केन्द्रीय जांच ब्यूरो में एक केन्द्रीय जांच एकक (पुरावशेष) 1974 में बनाई गई थी जो दिल्ली में स्थित है, इस प्रकार के अतिक्रमण के मामलों पर सतर्कता रखती है और जब कभी ऐसे मामलों का पता लगता है तो यह पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई करती है।

(ii) इस समय राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के माध्यम से नियुक्त 86 पंजीकरण अधिकारी पूरे देश में पुरावशेषों की अधिसूचित श्रेणियो के पंजीकरण में लगे हुए हैं 22 राज्यों के अधिकारी उनके कार्य का समन्वय कर रहे हैं, इस पूरी योजना की वित्तीय व्यवस्था केन्द्रीय सरकार कर रही है।

(iii) जिन व्यक्तियों के अधिकार में पंजीकरण कराने योग्य पुरावशेष हैं उनको पंजीकरण के संबंध में अपेक्षित छाया चित्रण के लिए भी केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है।

(iv) इस प्रकार के अतिक्रमणों का पता लगाने और पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत तुरन्त कार्रवाई करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और केन्द्रीय जांच ब्यूरो, राज्य पुलिस, खुफिया विभाग, सीमा शुल्क विभाग और इन्टरपोल जैसी कानून को लागू करने वाली अन्य एजेंसियों के बीच घनिष्ट समन्वय रखा जा रहा है।

(v) विभिन्न पोर्टियों/एजेंसियों द्वारा निर्यात के लिए निर्दिष्ट कला वस्तुओं में से पंजीकरण योग्य पुरावशेषों सहित पुरावशेषों का पता लगाने में सीमा शुल्क अधिकारियों की सहायता करने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण बन्दरगाहों और हवाई अड्डों पर पुरातत्व अधिकारी तैनात किये गये हैं।

(vi) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा लोगों को उनके अधिकार में पंजीकरण योग्य पुरावशेषों के निर्धारण के लिए कला वस्तुओं के निर्यात के लिए गैर-पुरावशेष प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन से गठित विभिन्न प्रादेशिक विशेषज्ञ समितियों के माध्यम से, सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ताकि पंजीकरण अधिकारियों के माध्यम से उनका तत्काल पंजीकरण किया जा सके।

विमान चालक दल को मुआवजा

125. **श्री शरद दिघे :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 22 जून, 1985, को कनिष्क विमान दुर्घटना में मारे गये ड्यूटी पर तैनात चालक दल के 22 लोगों के उत्तराधिकारियों को क्या मुआवजा तथा अन्य सुविधायें दिये जाने का प्रस्ताव है या दी गई हैं;

(ख) क्या दिये गये लाभों की अपर्याप्तता और/अथवा न दिये जाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) अभागे "कनिष्क" के कर्मीदल के 22 सदस्यों में से 20 सदस्यों के संबंध में क्षतिपूर्ति का निपटान कर दिया गया है :—

(1) क्षतिपूर्ति	———	13,63,800 रुपए
(2) दुर्घटना बीमा	— — —	26,35,000 रुपए
(3) अनुग्रह-पूर्व अदायगी	———	40,00,000 रुपए
	कुल	79,98,000 रुपए

शेष दो कर्मीदल के सदस्यों के दावे का निपटान इसलिए नहीं किया जा सका क्योंकि उनके परिवार के सदस्यों ने न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों में जेब काटना

126. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 जून, 1986 के इंडियन एक्सप्रेस में "ब्लिप ए गन पिक पाकेट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि दिल्ली परिवहन निगम की चलती बसों और बस स्टापों पर विशेषकर कुछ मार्गों पर, संगठित सशस्त्र गिरोहों के बढ़ते हुए खतरे से यात्रियों को भारी परेशानी है; और

(ख) यदि हां, तो इस खतरे को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली परिवहन निगम की बसों में जेब-तराशी की घटनाओं को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(i) समय-समय पर जेब-तराशी निवारक अभियान चलाए जाते हैं।

(ii) प्रभाग अधिकारियों और बीट-कांसटेबलों को व्यस्त और नाजुक बस स्टापों पर नजर रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

(iii) कुख्यात जेब-तराशों पर नियमित रूप से नजर रखना और उनके विरुद्ध कार्रवाई करना।

(iv) दिल्ली परिवहन निगम की बसों में जेब-तराशों को पकड़ने के लिए सादे लिबास में स्टाफ तैनात करना।

(v) पी० सी० आर० वैनों के स्टाफ को व्यस्त और नाजुक बस स्टापों पर नजर रखने के निर्देश।

अपनी ओर से, दिल्ली परिवहन निगम के चालक-दल को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे जेब-तराशी की कोई घटना होने पर बसों को नजदीकी पुलिस स्टेशन पर ले जाएं। सिटी बसों में अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए दिल्ली परिवहन निगम भी पुलिस के साथ संयुक्त रूप से मोबाइल-चेकिंग अभियान चलाता है।

[हिन्दी]

देहरादून के युवा संयोजक को पद्मश्री पुरस्कार

127. श्री मोहम्मद महफूज अली खां : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरादून, उत्तर प्रदेश के युवा संयोजक को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो देहरादून के युवा संयोजक को पद्मश्री पुरस्कार दिये जाने का औचित्य क्या है जबकि उसकी निष्ठा सन्देहास्पद और उसके विरुद्ध गबन के मामले की जांच चल रही है और

सम्बन्धित मंत्रालय या विभाग द्वारा पद्मश्री पुरस्कार के लिए उसके नाम की सिफारिश भी नहीं की गयी है ?

युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने युवा समन्वयक, नेहरू युवा केन्द्र, देहरादून को उनके द्वारा पर्यावरण जागरूकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्मश्री दिया था। जिलाधीश देहरादून ने स्पष्ट किया कि युवा समन्वयक के विरुद्ध आरोप निराधार थे।

रेलवे गोदामों में आग लगने के कारण हुई हानि

128. **श्री कमला प्रसाद रावत**
श्री बाला साहेब विखे पाटिल
श्री लक्ष्मण मलिक } : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 19 6 के दौरान अब तक भारतीय रेलवे के यार्डों में आग लगने के कुल कितने मामले हुए और उनसे यदि जान और माल की हानि हुई है तो कुल कितनी हानि हुई है;

(ख) कुल कितनी राशि की हानि हुई है और स्टेशन-वार कुल कितनी राशि के मुआवजे का भुगतान किया गया है; और

(ग) क्या रेलवे प्राधिकारियों का विचार अग्नि शमन केन्द्र खोलने के लिए भूमि देने का है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

राज्यों के खेल/मानव संसाधन मंत्रियों का सम्मेलन

129. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1986 के तीसरे सप्ताह के दौरान सभी राज्यों के खेल/मानव संसाधन मन्त्रियों का एक सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में कितने लोगों ने भाग लिया था;

(ग) इस सम्मेलन में चर्चा का स्वरूप क्या था; और

(घ) इसमें लिए गए निर्णयों का ब्योरा क्या है ?

युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) और (ख) राज्यों और संघ शासित प्रशासनों में युवा कार्यक्रम और खेल के प्रभारी मंत्रियों का एक सम्मेलन 20 और 21 जून, 1986 को नई दिल्ली में हुआ था। राज्य/संघ शासित और केन्द्रीय सरकार के लगभग 80 मन्त्रियों और अधिकारीगण ने सम्मेलन में भाग लिया था।

(ग) सम्मेलन में देश में खेल तथा युवा कार्यक्रमों को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई थी।

(घ) राज्यों ने खेल तथा युवा कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई पहल और शुरू की गई नई योजनाओं का स्वागत किया और विभिन्न केन्द्रीय कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। सम्मेलन ने नोट किया कि शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति के अन्तर्गत खेल तथा शारीरिक शिक्षा, शिक्षा के विभिन्न अंग होने हैं। सम्मेलन ने खेलों में बड़े पैमाने पर भाग लेने की आवश्यकता और खेल कार्यक्रमों को ग्रामीण क्षेत्रों तक पूरी तरह बढ़ाने को मान्यता दी। यह महसूस किया गया था कि परम्परागत खेल कूद और युद्धप्रिय कला को यथा विशिष्टता देने की आवश्यकता है और उसके साथ-साथ बढ़ते हुए खेल स्तरों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। खेल तथा युवा कार्यक्रमों के क्षेत्र में महिला तथा आदिवासियों की आवश्यकताओं पर ध्यान देने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया था। सम्मेलन ने इस बात को स्वीकार किया था कि राष्ट्रीय प्रसारण के जरिए खेल प्रतियोगिताओं का प्रसारण जिला स्तर तक बढ़ाना चाहिए और ऐसे प्रसारण के लिए उपयुक्त घंटे आबंटित करने चाहिए। सम्मेलन इस बात से सर्वसम्मत था कि वर्तमान खेल मंदान खेल प्रयोजनार्थ सुरक्षित रखने हैं। यह सामान्य मत था कि राष्ट्रीय खेल संघों और राज्य खेल संघों में अनुशासन, यदि आवश्यकता पड़े तो कानून के जरिए, पैदा करना आवश्यक है और केन्द्र राज्य और संघों द्वारा इस ओर अथक प्रयास अपेक्षित हैं। यह सर्वसम्मत मत था कि खेलों को समवर्ती सूची में लाने से अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में सहायता होगी। अंत में सम्मेलन ने ऐसे सम्मेलनों के जरिए विचारों के आदान-प्रदान को मान्यता दी।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा की नई योजना

130. श्री धर्मपाल सिंह मलिक
श्री सुभाष यादव } : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा के लिए एक विशेष नई योजना

तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत किन-किन क्षेत्रों को शामिल किये जाने की सम्भावना है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (रा० शि० नी०) 1986 में महिलाओं के स्तर में बुनियादी परिवर्तन के एक माध्यम के रूप में शिक्षा की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा की निम्नलिखित भूमिकाओं का उल्लेख किया गया है :—

— राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति महिलाओं को समर्थ बनाने में सकारात्मक मध्यस्थ भूमिका निभाएगी।

— यह पुनः तैयार की गई पाठ्यचर्या के जरिए नए मूल्यों के विकास को बढ़ावा देगी।

— व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में लिंग के आधार पर घिसा-पिटा भेद-भाव समाप्त करने के लिए भेद-भाव निवारण की नीति तथा गैर परम्परागत व्यवसायों में महिलाओं द्वारा भाग लिए जाने को बढ़ावा देने को जोर-शोर से अमल में लाया जाएगा।

— महिला अध्ययन को विभिन्न पाठ्यक्रमों के एक भाग के रूप में प्रोन्नत किया जाएगा।

महिला निरक्षरता तथा प्रारम्भिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा में उनके प्रवेश और शिक्षा पूरी करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने को, विशेष सहायता सेवाओं, समयबद्ध लक्ष्यों के निर्धारण तथा प्रभावी मानीटरिंग के जरिए अधिक प्राथमिकता दी जाएगी।

नई शिक्षा नीति में निर्दिष्ट किए गए नए बलों को कार्यान्वित करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा कार्रवाई का एक कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। योजना के ब्यौरे, संसद द्वारा कार्रवाई का कार्यक्रम अनुमोदित करने के बाद उपलब्ध होंगे।

गैर-परम्परागत तरीकों से प्राथमिक शिक्षा

131. श्री मुरलीधर माने : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने कितने प्रतिशत लोगों को प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराई है; और

(ख) कम सुविधा प्राप्त लोगों और अल्पसंख्यक वर्गों में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु गैर-परम्परागत शिक्षा के एक व्यवस्थित कार्यक्रम के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) वे लड़के और लड़कियां जिन्हें 1985-86 तक सरकार द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा सुलभ कराई जा चुकी है, की प्रक्षिप्त प्रतिशतता 96.3 है।

(ख) शैक्षिक रूप से पिछड़े 9 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू और काश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में उन बस्तियों के स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों जहां स्कूल नहीं है के लिए, कामकाजी बच्चों, लड़कियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य ऐसे बच्चों को पूरे दिन स्कूल नहीं जा सकते, के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्रों को खोलने और चलाने के लिए सहायता देने की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना 1979-80 से चल रही है। इस योजना के अन्तर्गत इन राज्यों को सहायता 50:50 अंशों के आधार पर दी जाती है। लड़कियों के नामांकन की संख्या को बढ़ाने के लिए 1983-84 से इस योजना को उदार बनाया गया था जिसके अंतर्गत केवल लड़कियों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्र खोलने के लिए 90:10 अंश पद्धति पर सहायता दी जा रही है। शैक्षिक रूप से पिछड़े 9 राज्यों में स्वैच्छिक संगठनों को गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्र चलाने के लिए 100% सहायता दी जाती है। नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए गैर-औपचारिक शिक्षा के लिए केन्द्रीय योजना को सुदृढ़ बनाने का प्रस्ताव है। यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायेंगे कि गैर-औपचारिक शिक्षा की कोटि औपचारिक शिक्षा के समतुल्य हों।

ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव

132 श्री मुरलीधर माने
श्री गुरूदास कामत } : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना सम्बन्धी एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और ग्रामीण विश्वविद्यालय किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे;

(ग) इन विश्वविद्यालयों की स्थापना पर कितनी लागत आने का अनुमान है और सरकार का विचार इस खर्च का किस प्रकार पूरा करने का है; और

(घ) प्रस्तावित ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा से सम्बन्धित महात्मा गांधी के क्रान्तिकारी विचारों के आधार पर ग्रामीण विश्वविद्यालयों की नई पद्धति के समेकन और विकास की परिकल्पना की गई है। ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना, उनके स्थान, लागत आदि के ब्यौरे अभी तक तैयार नहीं किये गये हैं।

दिल्ली और रांची के बीच में रेलगाड़ी चलाना

133. श्री साइमन तिग्गा : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निकट भविष्य में दिल्ली और रांची के बीच तेज रफ्तार वाली एक नई रेलगाड़ी चलाने जा रही है;

(ख) यदि हां; तो कब तक, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) जी नहीं। रांची दिल्ली से पहले ही सीधी तेज गाड़ियों से जुड़ा है।

रेलवे के माल परिचालन कार्यों का कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम

134. श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के माल परिचालन कार्यों के कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम की लागत में काफी वृद्धि होने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लागत सम्बन्धी रिपोर्ट तैयार करने के लिए किसी विदेशी परामर्शदात्री फर्म की सेवाएं प्राप्त की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए सरकार का विचार एक स्वायत्तशासी निकाय स्थापित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) संगणकीकृत माल

परिचालन परियोजना के लिए प्रारम्भिक अनुमान दिसम्बर, 1982 में तैयार किया गया था। परियोजना की लागत का अनुमान 1982 के मूल्य स्तर पर 520 करोड़ रुपये लगाया गया था जिसमें 170 करोड़ रुपये संगणक खंड के लिए और 350 करोड़ रुपये दूर-संचार खंड के लिए थे। विस्तृत परियोजना प्रलेख अभी तैयार किया जा रहा है जिसे अक्टूबर, 1986 तक अन्तिम रूप दे दिये जाने की सम्भावना है। संशोधित परियोजना लागत विस्तृत परियोजना प्रलेख को अन्तिम रूप दे दिये जाने के पश्चात ही मालूम होगी। तथापि, लागत में वृद्धि की सम्भावना मुख्यत: 1982 की तुलना में 1986 में विभिन्न उत्पादों के मूल्यों में हुई वृद्धि तथा पहले की योजना में रखी गयी ऐनलॉग संचार प्रौद्योगिकी की बजाय अब अधिक आधुनिक अंकीय सूक्ष्मतरंग प्रौद्योगिकी अपनाने के विचार के कारण है।

(ग) और (घ) टी आर ए सी एस सॉफ्ट वेयर की आपूर्ति करने, भारतीय रेलों के कार्मिकों को प्रशिक्षण देने और विस्तृत परियोजना प्रलेख तैयार करने के लिए तकनीकी सहायता देने, भारतीय रेलों की आवश्यकता के अनुरूप सॉफ्ट वेयर में आशोधन करने और पहले तीन क्षेत्रीय रेलों पर इसके कार्यान्वयन के लिए केनेडियन नेशनल रेलवे के परामर्शी विंग मैसर्स कैनक के साथ एक परामर्श करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं। तथापि, संगणक खंड के लिए लागत अनुमान माल परिचालन सूचना प्रणाली के केन्द्रीय संगठन द्वारा कैनक तथा इस प्रणाली के विकास और कार्यान्वयन से सम्बद्ध अन्य एजेंसियों के परामर्श से तैयार किया जा रहा है।

परियोजना की आवश्यकता के अनुरूप संचार तंत्र को अन्तिम रूप देने में सहायता करने के लिए पश्चिम जर्मनी के मैसर्स डेडेकॉन को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है। वे परियोजना के दूर संचार खंड के विकास और कार्यान्वयन के लिए अनुमानित लागत भी बतायेंगे।

(ङ) और (च) जी हां। सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र (सी०आर०आई०एस०) के नाम से रेल विभाग द्वारा प्रायोजित एक सोसायटी का 1.7.86 को पंजीकरण हो गया है। इस सोसायटी को अनुषंगी दूर संचार अवसंरचना सहित माल परिचालन परियोजना के विकास और कार्यान्वयन का कार्य सौंपा जायेगा।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान व्हील सैटों का आयात

135. श्री यशवंतराव गडाख पाटिल : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष में व्हील सैटों का आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और आयात करने के लिए क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होने का अनुमान है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान मालडिब्बा उत्पादन का स्तर बढ़ाकर 20,000 चोपहिया तक कर देने से हुई महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण पहिया सैटों की बढ़ी हुई जरूरतों तथा उनकी स्वदेशी उपलब्धता के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए 23,000 पहिया सैटों के लिए निविदा आमंत्रित की गयी है।

(ग) इसमें लगभग 32 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा (सी०आई०एफ० मूल्य) व्यय होने का अनुमान है।

मालाबार क्षेत्र के लिए और अधिक रेलगाड़ियां

136. **श्री के० मोहन दास** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के मालाबार क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की तुलना में रेलगाड़ियों की संख्या कम है जबकि यात्रियों की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो मालाबार क्षेत्र में और रेलगाड़ियों की व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल कोई नई गाड़ी चलाना व्यावहारिक नहीं है। बहरहाल, 1-10-1986 से बम्बई और मंगलोर के बीच आ जाने वाली सवारी डिब्बों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है।

दिल्ली में नये अस्पतालों की स्थापना

137. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में कुछ नये अस्पतालों की स्थापना करने सम्बन्धी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो ये अस्पताल कब तक खोले जाएंगे और क्या दिल्ली प्रशासन ने भी राजधानी में एक नया अस्पताल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में अन्तिम निर्णय

कब तक लिये जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार ने पहले ही हरीनगर और शाहदरा में 500-500 पलंगों वाले दो अस्पताल और खिचड़ीपुर, जफरपुर और मंगोलपुरी में 300-300 पलंगों वाले तीन अस्पताल खोलने के लिए दिल्ली प्रशासन के प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया है। दिल्ली प्रशासन ने जहांगीरपुरी में 100 पलंगों वाले एक अस्पताल का निर्माण करने के लिए भी एक प्रस्ताव भेजा है जिस पर विचार किया जा रहा है। इनके अतिरिक्त, दिल्ली प्रशासन का रोहिणी में 500 पलंगों वाला एक अस्पताल और दिल्ली के इर्द-गिर्द के क्षेत्र में सौ-सौ पलंग वाले तीन और अस्पताल खोलने का प्रस्ताव है। दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि रोहिणी के अस्पताल को छोड़कर अन्य सभी अस्पतालों को सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरा किये जाने की सम्भावना है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आरम्भ की गई क्षेत्रीयकरण योजना

138. **डा० सुधीर राय** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा भर्ती वरिष्ठता, चयन ग्रेड, पदोन्नति और स्थानान्तरण के सम्बन्ध में क्षेत्रीयकरण की योजना आरम्भ की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या इससे केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों में वरिष्ठता, चयन ग्रेड और पदोन्नति आदि के सम्बन्ध में भारी भेदभाव होने की सम्भावना है; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कर्मचारी एसोसिएशनों के साथ परामर्श किया गया है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) अध्यापन और गैर-अध्यापन पदों के लिए भर्ती, पदोन्नति वरिष्ठता और चयन ग्रेडों के विकेन्द्रीकरण की एक योजना केन्द्रीय विद्यालय संगठन में आरम्भ की जा चुकी है।

(ख) (i) यह योजना अध्यापन संवर्ग में उत्तर स्नातक अध्यापक और गैर-अध्यापन संवर्ग में हैडक्लर्क स्तर तक के पदों के सभी वर्गों पर लागू होती है।

(ii) अध्यापन संवर्ग में पी०जी०टी० स्तर के और गैर-अध्यापन संवर्ग में हैडक्लर्क तक के सभी वर्गों की भर्ती, पदोन्नति और चयन ग्रेड क्षेत्रीय आधार पर किये जायेंगे।

(iii) पी० जी० टी० स्तर तक के अध्यापन कर्मचारियों और हैड क्लर्क स्तर तक के

गैर-अध्यापन कर्मचारियों को सामान्यतः क्षेत्र के बाहर स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा।

(ग) जी, नहीं। तथापि यह सम्भव है कि पदोन्नति, चयन ग्रेडों इत्यादि के मामले में क्षेत्र-दर-क्षेत्र में विभिन्नता हो सकती है जो विभिन्न संवर्गों में रिक्त पदों की स्थिति पर निर्भर करता है।

(घ) जी नहीं।

"इंजेक्टिंग पेशेन्ट्स विद फेटल फ्लूड" शीर्षक से समाचार

139. श्रीमती प्रभावती गुप्ता : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 जून, 1986 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "इंजेक्टिंग पेशेन्ट्स विद फेटल फ्लूड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) ऐसी दवाओं पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (घ) प्रेस रिपोर्ट आई०वी० फ्लूड्स में फंगस की मौजूदगी के बारे में है। जब कभी औषध नियन्त्रण प्रशासन को शिकायतें प्राप्त होती हैं, निम्नलिखित कदम उठाये जाते हैं :—

1. बैच को वापस लेना।

2. बैच में दोष रहित बोतलें संदिग्ध बोतलों से अलग कर दी जाती हैं।

3. दोष रहित बोतलों से नमूने लिए जाते हैं और उनकी जांच की जाती है।

4. यदि नमूनों में फंगस की मौजूदगी का पता चलता है तो बैच वापस ले लिया जाता है और उसे नष्ट कर दिया जाता है।

5. विनिर्माता के विरुद्ध लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अधीन कार्रवाई की जाती है।

दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्रेस रिपोर्ट में सूचित की गई घटना के बारे में

उनके पास कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी और न ही उन्हें कोई बोतल भेजी गई थी। औषध नियन्त्रण प्रशासन, दिल्ली ने श्री सांघी से सम्पर्क करने का प्रयास किया लेकिन उनका पता नहीं लग सका।

"गांधी दर्शन काम्पलेक्स" पूर्णतया उपेक्षित

140. श्री बालासाहेब विखे पाटिल : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि करोड़ों रुपये की लागत से बनाया हुआ "गांधी दर्शन" पूर्णतया उपेक्षित पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो "गांधी दर्शन" के भवन मंडप कहे जाने वाले हाल, भवन में प्रदर्शित वस्तुओं आदि, लॉन तथा सामान्य रख रखाव, आदि के सम्बन्ध में मौजूदा स्थिति का ब्योरा क्या है;

(ग) "गांधी दर्शन" की वर्तमान स्थिति के कारण क्या हैं; और

(घ) "गांधी दर्शन" को महात्मा गांधी के शताब्दी वर्ष अर्थात 1969 की अवस्था में लाने के लिए सरकार द्वारा कौन-से कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) जी, नहीं। गांधी दर्शन परिसर का प्रबन्ध गांधी स्मृति और दर्शन समिति द्वारा किया जाता है, जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित एक स्वायत्त संगठन है। दर्शन परिसर के रख-रखाव के लिए निधियां और अपेक्षित स्टाफ उपलब्ध करा दिया गया है और इसका उपयुक्त रूप से अनुरक्षण किया जा रहा है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

नदी जल का राष्ट्रीयकरण

141. श्री मट्टम श्रीराम मूर्ति : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने का निर्णय किया है कि नदी जल के लिए वर्तमान समझौते और आयोगों के निर्णय लागू किये गये थे; और

(ख) क्या सरकार का विचार देश में सभी बड़ी नदियों के नदी जल का राष्ट्रीयकरण करने और सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी की जिम्मेदारी उचित समय पर अपने हाथ में लेने की है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) नदी जल के सम्बन्ध में करारों तथा अधि-

निर्णयों का कार्यान्वयन सम्बन्धित राज्यों द्वारा किया जाना है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कैंसर के इलाज के लिए औषधियों का आयात

142. श्री मट्टम श्रीराम मूर्ति : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैंसर के इलाज के लिए अधिकांश आवश्यक औषधियां विदेशों से आयात की जाती हैं और यह उचित मूल्यों पर मरीजों को उपलब्ध नहीं होती हैं क्योंकि वे बेईमान कैमिस्टों द्वारा चोरी छिपे बेची जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो कैंसर के इलाज के लिए कौन-कौन सी औषधियों का आयात किया जाता है और ऐसी औषधियों के आयात के सम्बन्ध में सरकार की आयात नीति क्या है; और

(ग) क्या सरकार कैंसर के इलाज के लिए सभी आवश्यक औषधियों को सुपर बाजार की शाखाओं और अन्य सहकारी औषध भंडारों के माध्यम से मरीजों को उपलब्ध कराने के लिए समुचित उपाय करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) अधिकतर महत्वपूर्ण कैंसर रोधी दवाइयां आयात की जाती हैं। रोगियों को इन दवाइयों के उपयुक्त कीमतों पर न मिलने की कोई घटना सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

आयात और निर्यात नीति के उपबन्धों के अधीन ओ० जी० एल० के अन्तर्गत व्यक्तिगत तौर से रोगियों/डाक्टरों और अस्पतालों को कैंसर रोधी दवाइयां आयात करने की अनुमति है परिशिष्ट-6, सूची 3 आयात की जाने वाली दवाइयों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

औषध मूल्य नियन्त्रण आदेश के अधीन सभी कैंसर रोधी औषधियों के मूल्य नियन्त्रित हैं और ये सुपर बाजार और अन्य खुदरा बाजारों में उपलब्ध हैं।

विवरण

वर्ष 1985-86 के दौरान कैंसर रोधी दवाइयों का आयात

1. बुसुलफेन
2. क्लोरेम्बुसिल
3. ट्राइक्लोफोस्फामाइड (ट्राइट्युरेट्स भी शामिल हैं);

4. फ्लोरोयूरासिल

5. मेरकाप्टोपुरीन

6. मेलफालन

7. एन०एन०एन०—ट्राइएथिलीन, थिओपोस्फामाइड (थिओटापा प्रेपरेशन)

8. विनब्लास्टिन सल्फेट

9. विन क्रिस्टीन सल्फेट

10. डाइनोरूबिसिन

11. एल—एसपाराजिनेस

रोगों की रोकथाम के लिए अनुसंधान और विकास प्रयास

143. **श्री जी० विजय रामाराव :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सा अनुसंधान और विकास के प्रयत्न सर्वविदित बीमारी और "एड्स" जैसी नई बीमारियों की रोकथाम के लिए पूर्णतया अपर्याप्त हैं;

(ख) क्या सरकार कुष्ठ रोग, मस्तिष्क ज्वर, मलेरिया और कैंसर आदि सभी रोगों के लिए टीकों का विकास करने हेतु अनुसंधान और विकास प्रयत्नों को सुदृढ़ करेगी; और

(ग) क्या यह सच है कि जहां एक ओर पश्चिमी देशों में रेबी-रोधी जैसे टीके में काफी सुधार हुआ है हमारे यहां पहले जैसा वही पुराना टीका है और अधिक जोखिम भरा भी है जिसके कारण हमें इसका आयात करना पड़ता है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) जी हां। मेनिनजाइटिस कुष्ठ, खसरा, अलर्क रोग और पोलियो से बचाव की वैक्सीनों के विकास के लिए पहले से ही कार्य किया जा रहा है। विश्व में कहीं भी एड्स से बचवा के लिए कोई भी वैक्सीन अभी तक विकसित नहीं हुई है। इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को आधुनिक बनाना सम्पूर्ण अनुसंधान और विकास सम्बन्धी प्रयासों का एक अभिन्न अंग है।

गलगंड के मामलों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण और आयोडीन युक्त नमक की उपलब्धता

144. डा० जो० विजय रामाराव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा 10 मेडिकल कालेजों में गलगंड के रोगियों की संख्या के बारे में किए जाने वाला राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण पूरा हो गया है यदि हां, तो उनके निष्कर्ष क्या हैं;

(ख) देश में आयोडीन युक्त कितना नमक पैदा किया जाता है और प्रत्येक राज्य में कितनी आवश्यकता है; और

(ग) क्या यह सच है कि आयोडीन युक्त नमक रोग से प्रभावित क्षेत्र में नहीं पहुंच पाता और केवल दिल्ली में सुपर बाजारों और अन्य राज्यों की राजधानियों में उपलब्ध होता है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी हां। आंकड़े एकत्र करने की अवस्था समाप्त हो चुकी है और इन आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण I तथा II में दी गई है।

(ग) राष्ट्रीय घेघा नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत घेघारोग के स्थानिकमारी वाले ऐसे इलाकों में आयोडीकृत नमक सप्लाई किया जाता है, जहां पर सक्षम स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा आयोडीकृत नमक की अपेक्षा दूसरे नमक की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। जैसे, भारत सरकार ने सम्पूर्ण खाद्य नमक को चरणावार ढंग से आयोडीकृत करने की एक योजना अनुमोदित कर दी है जो 1992 में पूरी हो जाएगी। उन सभी क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर आयोडीकृत नमक सुलभ करने के प्रयास किये जा रहे हैं जो घेघा रोग तथा आयोडीन की कमी वाले अन्य रोगों से ग्रस्त हैं।

विवरण-I

वर्ष 1986 (जनवरी से मई) के दौरान सरकारी तथा प्राइवेट क्षेत्र में आयोडीकृत नमक के उत्पादन का विवरण

आयोडीकृत नमक का उत्पादन
(आंकड़े टनों में)

क्र०सं०	राज्य का नाम	सरकारी क्षेत्र	प्राइवेट क्षेत्र	योग
1	2	3	4	5
1.	राजस्थान	21852	26779	48631
2.	गुजरात	53385	107039	160424

1	2	3	4	5
3.	पश्चिम बंगाल	694	—	694
4.	असम	1239	7117	8416
5.	तमिलनाडु	—	5411	5411
6.	जम्मू व कश्मीर	—	2932	2932
7.	हिमाचल प्रदेश	2118	—	2118
8.	उत्तर प्रदेश	669	—	669
9.	बिहार	—	1203	1203
	योग	79957	150541	230498

विवरण-II

मई, 1986 तक आयोडीकृत नमक के कोटा तथा वास्तविक सप्लाई का विवरण

क्र०सं०	राज्य का नाम	वास्तविक कोटा	वास्तविक सप्लाई 31-5-1986 तक
1	2	3	4
1.	हिमाचल प्रदेश	26700	2407
2.	चण्डीगढ़	3000	138
3.	हरियाणा (अम्बाला जिला)	9700	1473
4.	पंजाब (तीन जिले)	24000	2657
5.	उत्तर प्रदेश (20 जिले)	218700	26569
6.	महाराष्ट्र	70500	7194
7.	मणिपुर	12700	6412
8.	नागालैंड	6700	2916

1	2	3	4
9.	अरुणाचल प्रदेश	5300	507
10.	बिहार	207100	46452
11.	जम्मू व कश्मीर	37700	5198
12.	रक्षा	4500	1351
13.	पश्चिम बंगाल (5 जिले)	59800	19393
14.	गुजरात (भरोच)	8900	1918
15.	मध्य प्रदेश	101·00	26772
16	दिल्ली	?000	8432
17.	असम	—	10929
18.	मिजोरम	4000	—
19.	सिक्किम	3600	1224
20.	आंध्र प्रदेश	—	121
21.	केरल	—	968
22.	तमिलनाडु	—	121
23.	कर्नाटक	—	10
	योग	806400	173162

इंदिरा गांधी टर्मिनल काम्पलैक्स की आन्तरिक सज्जा में परिवर्तन

145. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गांधी टर्मिनल काम्पलैक्स की आन्तरिक सज्जा में परिवर्तन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो यह परिवर्तन कब किया गया तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) पहले सज्जाकार को क्या शुल्क दिया गया और दूसरे सज्जाकार को कितना शुल्क दिया जाना स्वीकार किया गया है; और

(घ) सज्जा-शुल्क और फर्नीचर तथा परिसज्जा की लागत सहित आंतरिक सज्जा पर कुल कितना व्यय किया गया ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) आन्तरिक डिजाइनकर्ता को दी गई फीस की राशि 4.00 लाख रुपये थी।

(घ) कुल व्यय लगभग 174.13 लाख रुपये था।

इंदिरा गांधी टर्मिनल काम्पलैक्स में त्रुटियां कहा जाना

146. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली हवाई अड्डे के इंदिरा गांधी टर्मिनल काम्पलेक्स में पाई गई त्रुटियों को पूरा करने हेतु भारत के अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास धनराशि जमा करने के लिए जिन ठेकेदारों से कहा गया है उनके नाम क्या हैं;

(ख) धनराशि जमा करने हेतु उन्हें किन-किन तारीखों को पत्र भेजे गए;

(ग) प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि जमा करने के लिए कहा गया है;

(घ) 31 मार्च, 1986 तक प्रत्येक ठेकेदार ने कितनी-कितनी धनराशि जमा की है;

(ङ) दोषी ठेकेदारों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(च) प्रत्येक ठेकेदार के बिलों से यदि कोई धनराशि काटी गई है तो वह कितनी है और उन्हें धनराशि जमा करने के लिए कहने से पहले किन-किन तारीखों को कटौती की गई है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) से (च) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नई दिल्ली में विभिन्न स्टेडियमों का उपयोग

147. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई खेलों के लिए नई दिल्ली में बने विभिन्न स्टेडियमों से प्रत्येक को वर्ष 1985-86 के दौरान खेलकूद और गैर खेलकूद सम्बन्धी कार्यों के लिए कितने-कितने दिन उपयोग में लाया गया;

(ख) वर्ष के दौरान इन स्टेडियम में प्रत्येक से कितना राजस्व प्राप्त हुआ है; और

(ग) वर्ष 1985-86 के दौरान इनमें से प्रत्येक स्टेडियम में रख-रखाव पर कितना व्यय हुआ ?

युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) से (ग) भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार अपेक्षित सूचना निम्नलिखित है।

(क) 1985-86 के दौरान खेल और गैर-खेल कार्यकलापों के लिए नई दिल्ली में एशियाड के लिए निर्मित किए गए स्टेडियमों का उपयोग

	स्टेडियम	खेल कार्यकलाप	गैर-खेल कार्यकलाप
		(दिनों की संख्या)	
1.	जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम	229	7
2.	तालकटोरा तरणताल	297	8
3.	इंदिरा गांधी स्टेडियम	221	8
4.	यमुना वेलोड्रोम	143	1
5.	तुगलकाबाद शूटिंग रेंज	68	—
6.	हौज खास लान टेनिस स्टेडियम	90	—

स्टेडियम का उपर्युक्त उपयोग प्रतिदिन कोचिंग/अभ्यास कार्यक्रमों के लिए उनके उपयोग के अतिरिक्त था।

(ख) 1985-86 के दौरान एशियाड स्टेडियम से प्राप्त किया गया राजस्व

क्र० सं०	स्टेडियम	1985-86 के दौरान प्राप्त किया गया राजस्व (रुपये लाखों में)
1	2	3
1.	जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम	7.59
2.	तालकटोरा तरणताल	1.74

1	2	3
3.	लान टेनिस स्टेडियम (हौज खास)	0.13
4.	यमुना वेलोड्रोम	0.65
5.	तुगलकाबाद शूटिंग रेंज	0.02
6.	इन्दिरा गांधी स्टेडियम	
	(i) दि०वि०प्रा० द्वारा	5.60
	(ii) भा०खे०प्रा० द्वारा	0.35
		16.08 लाख

(ग) 1985-86 के दौरान एशियाड स्टेडियमों के रख-रखाव पर व्यय

	स्टेडियम	1985-86 के दौरान रख-रखाव पर व्यय (रुपये लाखों में)
1.	जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम	100.64
2.	लान टेनिस स्टेडियम (हौज खास)	2.44
3.	तालकटोरा तरणताल	36.41
4.	तुगलकाबाद शूटिंग रेंज	14.01
5.	यमुना वेलोड्रोम	10.40
6.	इन्दिरा गांधी स्टेडियम	160.14
	कुल:	324.04

मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेजों द्वारा प्रावेशिक शुल्क वसूल किया जाना

148. श्री संयद शाहबुद्दीन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त और विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध मेडिकल कालेजों के नाम क्या हैं जो इस समय प्रावेशिक शुल्क वसूल कर रहे हैं;

(ख) वसूल किए जाने वाले प्रावेशिक शुल्क की दर क्या है और क्या प्रावेशिक शुल्क मूल राज्य अथवा सामाजिक वर्गीकरण के आधार पर अलग-अलग लिया जाता है; और

(ग) क्या सरकार का प्रावेशिक शुल्क को समाप्त करने का विचार है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में एक व्यापक विधान कब पुन: स्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद से मान्यता प्राप्त निम्नलिखित पांच मेडिकल कालेज कैपिटेशन फीस ले रहे हैं। ये कालेज इनके सामने दर्शाए गए विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध हैं :

क्र०सं०	कालेज का नाम	विश्वविद्यालय
1.	जे०जे०एम० मेडिकल कालेज, दावणगेरे	मैसूर
2.	कस्तूरबा मेडिकल कालेज, मनीपाल/मंगलौर	मंगलौर
3.	जे०एल०एन०मेडिकल कालेज, बेलगाम	कर्नाटक
4.	एम०आर०मेडिकल कालेज, गुलबर्गा	गुलबर्गा
5.	दयानन्द मेडिकल कालेज, लुधियाना	पंजाब

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने सूचित किया है कि ये सभी मेडिकल कालेज शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त कैपिटेशन फीस ले रहे हैं जो इनमें से हरेक कालिज में अलग-अलग हैं। भारत सरकार मेडिकल कालेजों में छात्रों के प्रवेश के लिए कैपिटेशन फीस लेने की पद्धति के खिलाफ है और वह केपिटेशन फीस समाप्त करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह देती रही है। भारत सरकार मेडिकल कालेजों के छात्रों से ली जाने वाली फीस को विनियमित करने के लिए आवश्यक विधायी उपायों पर विचार कर रही हैं और उसका इस बारे में विधेयक के प्रारूप को शीघ्र ही अंतिम रूप देने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

यूनेस्को के साथ सहयोग

150. **श्री मूल चन्द डागा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान तथा सांस्कृतिक संगठन के साथ सहयोग करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान तथा सांस्कृतिक संगठन द्वारा कौन-कौन से कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं; तथा भारत में इससे लाभ प्राप्त करने वाले क्षेत्रों के नाम क्या हैं; और

(ख) संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान तथा सांस्कृतिक संगठन के बजट में पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार भारत का अंशदान क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) यूनेस्को ने अपने नियमित कार्यक्रम, सहभागी कार्यक्रम के अन्तर्गत तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की वित्तीय सहायता से कई विकासशील परियोजनाओं में भारत सरकार के साथ सहयोग किया है। यूनेस्को ने कई केंद्रीय संस्थानों की स्थापना में भारत को सहयोग दिया है, ताकि उनकी शैक्षिक प्रणाली को मजबूत बनाया जा सके जैसे कि राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र। भारत, यूनेस्को के मानव तथा जीव मण्डल कार्यक्रम; अंतरर्राष्ट्रीय जीव-विज्ञान सह-सम्बन्ध कार्यक्रम; अन्तरर्राष्ट्रीय जल-विज्ञान कार्यक्रम से भी लाभान्वित हुआ है। इसके अलावा, भारत यूनेस्को के तत्वावधान में आयोजित अन्तरर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, बैठकों, संगोष्ठियों, सेमिनारों, कार्यशालाओं तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग ले रहा है।

दक्षिणी तथा केन्द्रीय एशिया के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली, जो ग्यारह सदस्य राज्यों के लिए कार्य करता है, विभिन्न क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशालाओं तथा पाठ्यक्रमों को आयोजित करने में भारतीय राष्ट्रीय आयोग की सहायता कर रहा है जिसका आतिथेय भारत में विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है।

सहभागी कार्यक्रम के अन्तर्गत तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से यूनेस्को के साथ सहयोग से कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यक्रमों की सूची क्रमशः संलग्न विवरण I और II में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान यूनेस्को के बजट में भारत का योगदान निम्नलिखित है:—

1983-84	—	53,83,425 रु०
1984-85	—	79,40,050 रु०
1985-86	—	61,68,756 रु०

विवरण-I

द्विवर्षीय 1984-1985 के सहभागी कार्यक्रमों के अंतर्गत यूनेस्को से वित्तीय सहायता के लिए अनुमोदित परियोजनाएं

क्र०सं	परियोजना का शीर्षक
1.	सेमिनार ऑन दी थीम ऑफ इन्टरनेशनल अन्डरस्टैंडिंग
2.	फर्स्ट रिजनल कान्फ्रेंस ऑफ एजूकेशन प्लानर्स एण्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स
3.	इन्टरनेशनल कान्फ्रेंस ऑन मैगनेटिक रिसोनेन्स इन बायलॉजी सिस्टम
4.	रिजनल वर्कशाप ऑन प्लानिंग एण्ड मैनेजमेंट ऑफ वीमेन एजूकेशन इन साउथ एशिया
5.	पब्लिकेशन आफ दी इंडियन नेशनल कमिशन्स बुलेटिन।
6.	इन्टरनेशनल ट्रेनिंग कोर्स ऑन डिजाइन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रकचर्स फॉर विन्ड लोड्स।
7.	प्रिपेटेशन ऑफ कैरिकुलम यूनिट्स एण्ड इन्सट्रक्शनल मैटेरियल रिलेटिंग टू इन्टरनेशनल अन्डरस्टैंडिंग।
8.	सेमिनार ऑन न्यू एनर्जी सोर्सेज।
9.	ट्रेनिंग प्रोगाम इन डोक्यूमेंटेशन एण्ड डिसेमिनेशन आफ दी कल्चर हैरिटेज।
10.	प्रिपेरेशन एण्ड सरक्युलेशन ऑन एन एग्जीवीशन आन दी थीम आफ इंटर नेशनल अन्डरस्टैंडिंग।
11.	इन्टरनेशनल सेमिनार आन दी थीम आफ यूथ एण्ड आइडियल आफ ह्यूमन यूनिटी।
12.	सेटिंग अप आफ ए रिजनल इनफारमेशन सेन्टर फार मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स।
13.	वाटरशेड रिसोर्सेज मैनेजमेंट कोर्स एट मास्टर्स लेवल इन हाइड्रोलाजी स्कूल आफ हाइड्रोलाजी, यूनिवर्सिटी आफ रुड़की।
14.	इन्टरनेशनल सेमिनार आन यूनेस्को-इन रेट्रोस्पेक्ट एन्ड प्रोस्पेक्ट।

विवरण-II

यू०एन०डी०पी० द्वारा वित्त-पोषित और भारत में यूनेस्को द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं की सूची

क्र०सं	परियोजना का शीर्षक
1.	स्टडी आफ इफेक्ट्स आफ इनवायरोनमेन्टल पालूशन आफ कल्चरल प्रापर्टी, नेशनल रिसर्च, लैबरोटरी फार कन्जरवेशन आफ कल्चरल प्रापर्टी, लखनऊ।
2.	डवलपमेंट आफ एन०एम०आर०स्पेक्ट्रोमीटर्स आफ आयल सीड्स केरेक्टेटाईजेशन, इंडियन इंस्टिट्यूट आफ टेक्नोलाजी, दिल्ली
3.	पोस्टग्रैजूएट इंजीनियरिंग एजूकेशन एन्ड रिसर्च, बड़ोदा।
4.	कम्प्रेसिबिलिटी एण्ड विस्कोसिटी आफ लिक्विड्स एट हाई टेम्परेचर एण्ड प्रेसर, यूनिवर्सीटी आफ दिल्ली।
5.	इनसेंट फार एजूकेशन-स्कूल डिविजन, डिपार्टमेंट आफ एजूकेशन।
6.	स्टडीज आन डेटिरियोरेशन एण्ड कन्जरवेशन आफ मेटलस नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी फार कन्जरवेशन आफ कल्चरल प्रापर्टी, लखनऊ।
7.	केरिकुल्म डवलपमेंट फार टेक्निशियन एजूकेशन।
8.	एजूकेशन इन इन्टरनेशनल मैनेजमेंट एट इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मेनेजमेंट, बंगलौर एन्ड थ्री अदर इंस्टीटयूशन्स।
9.	एस्टबलिशमेंट आफ ए सेंटर फार एडवान्सड स्टडीज इन बायमास रिफाइनिंग एण्ड बोयो-कन्वरशन एट इंडियन इंस्टीट्यूट आफ ट्रेक्नोलाजी, दिल्ली।

[अनुवाद]

एड्स उपचार के लिए केन्द्र

151. श्री मूल चन्द डागा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "एड्स" के रोगियों का उपचार करने के लिए खोले गए केन्द्रों का ब्योरा क्या है और क्या (एक) मरीजों की संख्या (दो) उपलब्ध इलाज और चिकित्सा सुविधाओ के स्वरूप के कारण इनके

खोले जाने का औचित्य है;

(ख) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए सर्वेक्षण से यह पता लगा है कि देश में 300 रक्त बैंकों में से केवल 10 प्रतिशत बैंक ही हेपटाइटिस बी वाइरस के लिए रक्त की जांच करते हैं, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) लोगों को मार्गदर्शन करने एवं मरीजों का उपचार करने के लिए देश में क्या सकारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(घ) वह वाइरस अचानक हमारे देश में कैसे उत्पन्न हो गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे): (क) एड्स रोग का शुरू में पता लगाने तथा इस रोग को फैलने से रोकने के लिए, 11 नैदानिक केन्द्रों तथा 4 रेफरल केन्द्रों की स्थापना की गई है, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। सारे देश में नैदानिक केन्द्रों के खोलने का विचार है जो शीघ्र ही स्थापित किए जाएंगे। इन केन्द्रों की स्थापना करना उचित है, क्योंकि एड्स का शुरू में पता चलने से ही इस पर नियन्त्रण पाया जा सकता है तथा इसे और आगे फैलने से रोका जा सकता है।

(ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, 307 ब्लड बैंकों में से 52 ब्लड बैंको वाइरल हेपाटाइटिस-बी सर्फेस एंटीजन की जांच पड़ताल कर रहे हैं। सभी ब्लड बैंकों को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं कि हेपाटाइटिस बी सर्फेस एंटीजन के लिए सभी रक्त दाताओं की अवश्य जांच पड़ताल की जाए।

(ग) जन प्रचार के माध्यम से जनता को इस रोग के बारे में जानकारी देने के बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं। एड्स के बारे में पुस्तिकाएं तथा पैम्फलेट छपवाए गए हैं तथा इन्हें विशेषज्ञों तथा अन्य जनता में बांटा गया है। लोगों को राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक समाचारपत्रों, साप्ताहिकों तथा पत्रिकाओं, दूरदर्शन तथा रेडियो में विज्ञापन के माध्यम से भी मार्गदर्शन दिया गया है।

(घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा वर्ष 1985 से शुरू किए गए स्क्रीनिंग तथा निगरानी कार्यक्रम से एड्स संक्रमण का पता चला है। हमारे देश में इस रोग के संक्रमण के मूल के बारे में जानपदिक रोग विज्ञान सम्बन्धी सूचना स्पष्ट नहीं है।

विवरण

एड्स रोग के नैदानिक केन्द्रों की सूची

1 मद्रास मेडिकल कालेज, मद्रास।

2. क्रिश्चयन मेडिकल कालेज, वेंगलौर।

3. नेशनल इंस्टीट्यूट आफ कोलरा एण्ड एण्टीक डिजीज, कलकत्ता।
(राष्ट्रीय हैजा तथा आन्त्र रोग संस्थान, कलकत्ता)

4. स्कूल आफ ट्रापिकल मेडिसिन कलकत्ता।

5. राजेन्द्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पटना।

6. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़।

7. आयुर्विज्ञान संस्थान, श्रीनगर

8. राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे।

9. राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली।

10. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।

11. रीजनल मेडिकल रिसर्च सेन्टर, भुवनेश्वर।

एड्स के रेफरल केन्द्र

1. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।

2. राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली।

3. राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे।

4. क्रिश्चयन मेडिकल कालेज, वैलोर।

हैपाटाइटिस बी और एड्स विषाणु रोग

152. श्री पी० नामग्याल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 7 जून, 1985 को प्रमुख राष्ट्रीय समाचारपत्रों में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार इस देश में लगभग 3 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको "हैपाटाइटिस बी" विषाणु रोग है जिससे एड्स विषाणु रोग हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन लोगों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है जिनको "हेपाटाइटिस "बी" और एड्स विषाणु अथवा रोग है; और

(ग) एड्स और हेपाटाइटिस 'बी' विषाणु के फैलने की भयानक बीमारी की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) भारत में किए गए विभिन्न सर्वेक्षणों से यह पता चलता है कि लोगों में हैपाटाइटिस बी कैरियर दर 2 से 5 प्रतिशत है। वैसे, यह सच नहीं है कि जो व्यक्ति हैपाटाइटिस बी के वाहक हैं उनको एड्स विषाणु अधिक प्रभावित कर सकते हैं।

(ग) एड्स और हेपाटाइटिस-बी, विषाणु की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:—

(क) एड्स अनापत्ति प्रमाण-पत्र के बिना रक्त और रक्त उत्पादों के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिए गए हैं।

(ख) सभी राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों/अस्पतालों/यौन संचारित रोग क्लिनिकों को एड्स के रोगियों का पता लगाने के लिए चौकस कर दिया गया है।

(ग) सभी रक्त बैंकों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे पेशेवर रक्तदाताओं में एड्स का पता लगाने के लिए जांच करें।

(घ) सभी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अस्पतालों और क्लिनिकों में विसंक्रमण प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन हो रहा है और वे यथा सम्भव पहले से विसंक्रामित डिस्पोजेबल सिरिंजों और सुइयों का प्रयोग करें।

(ङ) सभी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को स्वास्थ्य परिचर्या कार्मिकों के लिए मार्ग निर्देश भेजे गए हैं।

(च) एड्स, उनकी प्रकृति, उसके फैलने और रोकथाम के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए जन प्रचार के सभी माध्यमों को इस काम पर लगाया गया है।

(छ) हैपाटाइटिस-बी, विषाणु का पता लगाने के लिए सभी पेशेवर रक्तदाताओं की अनिवार्य जांच करने के लिए सभी रक्त बैंकों को आदेश जारी किए गए हैं।

परिवार नियोजन कार्यक्रमों के सम्बन्ध में किए गए अध्ययनों के निष्कर्ष

153. श्री गुरुदास कामत : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में परिवार नियोजन कार्यक्रम के सम्बन्ध में कोई अध्ययन करा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या इस अध्ययन के अनुसार परिवार नियोजन अपनाने वाले लोगों को सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहन पर्याप्त पाये गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार और अधिक प्रोत्साहन देने का है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री एस०कृष्णकुमार) : (क) और (ख) जी हां। इस अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) परिवार नियोजन तरीके अपनाने वाले जिन व्यक्तियों ने प्रोत्साहन प्राप्त किए हैं, उनमें से लगभग एक-तिहाई प्रोत्साहनों से सन्तुष्ट थे जबकि दूसरे लगभग एक तिहाई इनसे सन्तुष्ट नहीं थे और शेष स्वीकारकर्ताओं ने कोई राय जाहिर नहीं की। वैसे, जिन स्वीकारकर्ताओंने सुझाव दिए, उनमें से 89 प्रतिशत ने कहा कि प्रोत्साहन राशि ज्यादा होनी चाहिए।

(घ) फिलहाल कोई नए प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

योजना आयोग द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम के संबंध में किए गए मूल्यांकन अध्ययन के कुछेक प्रमुख निष्कर्ष दिये गये हैं : —

1. परिवार नियोजन के तरीके न अपनाने वाले लगभग सभी व्यक्तियों को परिवार नियोजन के तरीके अपना रहे व्यक्तियों की भांति परिवार नियोजन के फायदों की जानकारी है और वे इनके कायल हैं।

2. परिवार नियोजन के तरीके अपनाने तथा न अपनाने वाले ज्यादातर लोगों को महिला नसबन्दी और पुरुष नसबन्दी के स्थायी तरीकों की जानकारी है। आई०यू०डी०, कापर टी०, और कंडोम जैसे अस्थायी तरीकों की बहुत कम लोगों को जानकारी है।

3. जिन लोगों ने परिवार नियोजन अपनाया है, उन्होंने मुख्यत: आर्थिक या व्यक्तिगत कारणों और स्वास्थ्य तथा बीमारी के कारणों से ऐसा किया है।

4. प्रतिक्रिया व्यक्त करने वालों में से 97.4 प्रतिशत व्यक्तियों ने स्वेच्छा से परिवार नियोजन को अपनाया।

5. जहां 91.4 प्रतिशत स्वीकारकर्ता विवाहित थे और पत्नी की आयु 25 वर्ष की होने तक उनके पहला बच्चा हो गया था, वहां केवल 21.9 प्रतिशत अर्थात् उनके पांचवें भाग से

कुछ अधिक दम्पत्तियों ने उस समय तक परिवार नियोजन तरीके अपनाना शुरू कर दिया था।

6. परिवार नियोजन अपना रहे विभिन्न आय वर्ग के लोगों तथा इसी आय वर्ग के परिवार नियोजन न अपना रहे लोगों की प्रतिशतता में कोई ज्यादा अन्तर दिखाई नहीं दिया। दूसरे शब्दों में परिवार नियोजन तरीके अपनाने और न अपनाने के मामले में आय स्तर का थोड़ा सा या कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा।

7. प्रचार के विभिन्न तरीकों के प्रयोग की आवृत्ति और उनके अंतर्गत गांवों की कवरेज, दोनों साधारणतया काफी अधिक थी। प्रतिक्रिया व्यक्त करने वालों में से 88.3 प्रतिशत व्यक्ति जन-प्रचार के एक या अन्य माध्यम के सम्पर्क में पाए गये थे। सभी प्रमुख प्रचार माध्यमों में से, रेडियो सबसे महत्वपूर्ण प्रचार माध्यम निकला।

8. 51.7 प्रतिशत स्वीकारकर्ताओं ने परिवार नियोजन के बारे में दूसरों को सलाह दी हुई थी। ऐसे स्वीकारकर्ताओं ने औसतन 5.4 व्यक्तियों को सलाह दी थी और इनमें से लगभग 80 प्रतिशत (4.3 व्यक्तियों) ने सलाह मान ली थी। इससे पता चलता है कि स्वीकारकर्ता परिवार नियोजन के प्रचार में सहायता कर रहे थे और वे परिवार नियोजन कार्यक्रम में अच्छे स्वैच्छिक विस्तार एजेन्टों की भूमिका निभा सकते हैं।

[हिन्दी]

रेलवे भर्ती बोर्डों के कार्यकरण के बारे में शिकायतें

154. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :** क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेलवे भर्ती बोर्डों के दोषपूर्ण कार्यकरण के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) ये शिकायतें मुख्य रूप से उन उम्मीदवारों की होती हैं जिनका चयन नहीं हो पाता है। ये शिकायतें रेलवे भर्ती बोर्डों द्वारा अपनायी गयी चयन प्रक्रिया, पैनल को अंतिम रूप देने में विलम्ब तथा कुछ मामलों में रेलवे भर्ती बोर्डों में अनियमितताओं के बारे में होती हैं।

(ग) प्राप्त होने वाली शिकायतों की निरपवाद रूप से जांच की जाती है और उपयुक्त

निवारक कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का कार्यकरण

155. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए कम धनराशि का प्रावधान किये जाने के परिणामस्वरूप ये केन्द्र योजना के अनुसार कम लाभदायक और उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं; और

(ख) क्या इन केन्द्रों के घटिया कार्यकरण से निजी प्रैक्टिस को प्रोत्साहन मिल रहा है, जिनमें अनेक पूरी तरह पर प्रशिक्षित अथवा प्रभावकारी नहीं है अथवा निर्धन लोगों को काफी मंहगे पड़ते हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां। ग्रामीण लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या की सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सुसज्जित किया गया है तथापि संसाधनों की कमी के परिणामस्वरूप कुछ यूनिट अपेक्षित स्तर की सेवाएं प्रदान करने में कम कारगर रही हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को धनराशि राज्य बजट में से दिया जाता है।

(ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से दूर स्थित गांवों को यदा-कदा प्राइवेट चिकित्सकों पर निर्भर रहना पड़ता है।

पक्षियों के विमान से टकराने की घटनायें रोकने के उपाय

156. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम**
डा० बी० एल० शैलेश } : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमानों के पक्षियों से टकराने का खतरा, जो दूर हो गया था, अब फिर से उत्पन्न हो गया है और इससे दो गंभीर घटनाएं हुईं और विमानों को क्षति हुई है जैसाकि 29 जून, 1986 के "टाइम्स आफ इंडिया", समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या हवाई अड्डों के चारों तरफ लापरवाही बरते जाने के कारण पक्षी वहां फिर से आने लगे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) यह सही है कि बम्बई और दिल्ली विमान क्षेत्रों पर क्रमशः 15 और 20 जून, 1986 को दो घटनाएं पक्षी से टकराने की हुई। जबकि पक्षी से टकराने की घटनाएं समाप्त करना संभव नहीं हो सका है, तथापि इस संबंध में विभिन्न उपायों को अपनाने से इन्हें काफी हद तक रोका गया है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। हवाई पट्टियों के इर्द-गिर्द घाट को काटने, कीटनाशक छिड़कने, मलवे को जलाने के लिए भस्मक यंत्र का प्रयोग करने, विमान क्षेत्रों पर पक्षियों को मारने, परिचालन क्षेत्र पर सोडियम वाष्प युक्त बत्तियां लगाने और वायुयान अधिनियम, 1937 के नियम 81-ख के प्रावधानों को लागू करने जैसे विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। विमान क्षेत्रों के चारों ओर से झोपड़-पट्टियों को हटाने, विभिन्न प्रचार माध्यमों से विमान पट्टियों की चारों ओर के पर्यावरणीय सफाई के लिए जनता में जागरूकता पैदा की जाती है। विमान क्षेत्रों के समीप पक्षियों के जमाव को रोकने के लिए विमान क्षेत्र के 10 किलोमीटर के परिधि के भीतर छिपकर पशुओं के वध करने, मांस और मछली की अनधिकृत दुकानें, बूचड़खाने स्थापित करने पर रोक लगाने के लिए भी लगातार सतर्कता बरती जा रही है।

बम्बई और दिल्ली हवाई अड्डों पर पानी के जमाव को रोकने के लिए हवाई अड्डे के भराव वाले क्षेत्र को समतल करना और जल निकासी की प्रणाली को कारगर बनाना, दूब घास लगाना, भवनों को पक्षी रोधक बनाना तथा हवाई अड्डे के आंतरिक क्षेत्र में भस्मकों के उन्नयन के सम्बन्ध में बम्बई नैच्युरल हिस्ट्री सोसायटी की सिफारिशें चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित की जा रही हैं। इसी प्रकार आधुनिक बूचड़खानों और शव प्रक्रमण केन्द्रों के निर्माण, बड़े होटलों में आधुनिक भस्मक, मांस और मछली बाजार लगाने, मुर्गों की सफाई के बाद बचे पंख साफ करने, सुअरखाने आदि को पक्षी-रोधक बनाने से सम्बन्धित सिफारिशों को चरणबद्ध तौर पर कार्यान्वित किये जाने का विचार है।

जनवरी, 1986 से हुई रेल दुर्घटनायें

157. श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1986 से आज तक जोन-वार हुई रेल दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन दुर्घटनाओं के कारण मृतकों और रेल सम्पत्ति को हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके कारणों का ब्यौरा क्या है;

(घ) मृतक व्यक्तियों के परिवारों और घायल व्यक्तियों को अब तक किस प्रकार का मुआवजा दिया गया है; और

(ङ) इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जनवरी से जून, 1986 के दौरान भारतीय रेलों पर 300 परिणामी गाड़ी दुर्घटनाएं हुईं जिनमें 18 टक्करें, 234 पटरी से उतरने की दुर्घटनाएं, 29 समपार दुर्घटनाएं तथा 19 गाड़ियों में अग्नि दुर्घटनाएं शामिल हैं। ये 1985 की तदनरूपी अवधि के दौरान हुई 439 दुर्घटनाओं की तुलना में 46.3 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी प्रदर्शित करती हैं। इनका जोन-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

जोन का नाम	गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या
मध्य	35
पूर्व	33
उत्तर	48
पूर्वोत्तर	19
पूर्वोत्तर सीमा	49
दक्षिण	19
दक्षिण मध्य	27
दक्षिण पूर्व	39
पश्चिम	31

(ख) इन दुर्घटनाओं 33 व्यक्तियों ने अपनी जानें गवायीं तथा 387 घायल हुए। लगभग 4.43 करोड़ रुपये मूल्य की रेल सम्पत्ति की क्षति होने का अनुमान लगाया गया है।

(ग) इन दुर्घटनाओं के कारण, प्रथम दृष्टया कारणों सहित, निम्नलिखित हैं :—

(1) रेल कर्मचारियों की चूक 119

(2) रेल कर्मचारियों से भिन्न अन्य व्यक्तियों की चूक 33

(3) उपस्कर की खराबी :—

(क) चल स्टाक	76
(ख) रेल पथ	16
(ग) बिजली	1
(4) तोड़-फोड़	4
(5) मिश्रित कारण	16
(6) अकस्मात	6
(7) कारण अंतिम रूप से स्थापित नहीं किए जा सके	3
(8) कारणों की छान-बीन की जा रही है	26

(घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) रेलों पर दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाने के लिए किये गये कुछ महत्वपूर्ण संरक्ष। उपाय निम्नलिखित हैं :—

(1) आधुनिक प्रौद्योगिकी साधनों की शुरूआत जैसे रेल पटरियों और चल स्टाक धुरों का पराश्रव्य परीक्षण, पथ परिपथन, धुरा काउन्टरों, पैनल एवं रूटरिले अंतर्पाशन, सहायक चेतावनी प्रणाली आदि की व्यवस्था।

(2) चल स्टाक, रेल पथ, सिगनल गियरों, पुलों तथा अन्य परिसम्पत्तियों का कार्यक्रम-बद्ध पुनर्स्थापन।

(3) बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदारों की उत्तरोत्तर व्यवस्था तथा समपारों पर सड़क उपयोगकर्त्ताओं द्वारा मोटर वाहन नियमों के अनुपालन के लिए राज्य सरकारों के साथ सम्पर्क तथा ऊपरी सड़क पुलों की कार्यक्रमबद्ध व्यवस्था।

(4) डिब्बों में ज्वलनशील पदार्थों के ले जाने के जोखिम के बारे में इश्तिहारों तथा अन्य माध्यमों के जरिए शिक्षाप्रद प्रचार तथा समपारों को पार करते समय सावधानी बरतना।

(5) रेल पटरियों में दरारों का पता लगाने के लिए रेल पथ पर गश्त लगाना तथा तोड़-फोड़ विरोधी उपाय अपनाना।

(6) रेलों पर गत वर्ष विभिन्न स्तरों पर गहन फील्ड निरीक्षण करने तथा संरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं की विशेष जांच करने के लिए एक 10 सूत्री कार्यवाही योजना चलायी गयी थी।

(7) असुरक्षित कार्य-पद्धतियों तथा प्रणाली की कमजोरियों का पता लगाने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रीय रेलों पर विस्तृत निरीक्षण करने के लिए 4 उच्च स्तरीय बहु-विषयी संरक्षा कृतिक बल दलों का भी गठन किया गया था।

(8) पहचाने गये दुर्घटना-प्रवृत्त क्षेत्रों में संरक्षा में सुधार लाने के लिए विशिष्ट उपाय सुझाने के लिए 1986 के दौरान सभी क्षेत्रीय रेलों पर उच्च स्तरीय संरक्षा दलों का गठन किया गया है।

नई शिक्षा नीति के अनुसार राज्य शिक्षा कानूनों की अनुरूपता

158. **श्री शांताराम नायक** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा सम्बन्धी राज्य के वर्तमान कानून नई शिक्षा नीति के अनरूप हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसे नई शिक्षा नीति के अनुरूप बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या उपयोग किये जा रहे हैं ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) हाल ही में संसद द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986, सभी राज्य सरकारों/संघशासित प्रशासनों को सुलभ करा दी गई है। राज्य सरकारों को अपने अधिनियमों और नियमों की जांच करनी होगी कि क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सम्बन्ध में उनमें किसी प्रकार के परिवर्तन या संशोधन करने की आवश्यकता है।

नवोदय विद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया

159. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवोदय विद्यालयों में छात्रों के प्रवेश के सम्बन्ध में सरकार द्वारा यदि कोई व्यापक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं तो वे क्या हैं;

(ख) क्या इन विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में इसी प्रकार के कोई दिशा-निर्देश

जारी किये गये हैं; और

(ग) क्या उन्हें कोई विशेष प्रशिक्षण देने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) नवोदय विद्यालय योजना के अनुसार नवोदय विद्यालयों में दाखिले का आधार सम्बन्धित जिले में, संचालित की गई एक परीक्षा होगी, जिसमें वे सभी बच्चे, जिन्होंने जिले की किसी भी तहसील/ब्लाक के किसी भी स्कूल में, कक्षा-V में अध्ययन किया हो तथा कक्षा-V उत्तीर्ण की हो, बैठने के पात्र होंगे। इस परीक्षा की रूप-रेखा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार की जाएगी और वे इसके संचालन तथा मूल्यांकन में सहयोजित होगे। परीक्षा का माध्यम मातृ-भाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा होगा। परीक्षाएं मुख्य रूप से गैर-मौखिक प्रकार, कक्षा तटस्थता के होंगे तथा यह ऐसे तैयार किए जा सकेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्रामीण स्कूलों के प्रतिभावान बच्चे बगैर किसी कठिनाई के प्रतियोगिता में भाग ले सकें।

क्योंकि नवोदय विद्यालय मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए होंगे, शहरी क्षेत्रों के बच्चों का दाखिला एक चौथाई सीमा तक सीमित होगा।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के बच्चों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण, संबंधित जिले में उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रदान की जाएंगी, बशर्ते कि किसी भी जिले में, इस प्रकार का आरक्षण, राष्ट्रीय औसत से कम नहीं होगा। इन दो श्रेणियों के बच्चों की पर्याप्त संख्या यदि अर्हक नहीं होती है तो दोनों श्रेणियों के बीच स्थानों का अन्तर-परिवर्तन करना संभव हो सकेगा।

(ख) चालू शैक्षिक सत्र के लिए यह निर्णय लिया गया है कि उन शिक्षकों को नवोदय विद्यालयों में स्थानान्तरण पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर लिया जाएगा जो इस समय केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघशासित प्रशासनों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/स्वायत्त संगठनों/सरकारी सहायता प्राप्त अथवा मान्यता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत है।

(ग) जी, हां। नवोदय विद्यालयों में नियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा चलाए जा रहे क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों में अनुस्थापन तथा सेवारत प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

केरल में आयुर्वेद राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना

160. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की केरल राज्य में एक आयुर्वेद राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इसके किस स्थान पर स्थापित किए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्ड) : (क) केरल में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने के बारे में भारत सरकार किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए धन का आबंटन

161. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि आबंटित की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : सातवीं पंचवर्षीय योजना में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए 20.5 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

एशियाटिक सोसाइटीज इंस्टीट्यूट आफ हायर संस्कृत स्टडीज एंड रिसर्च, कलकत्ता

162. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटीज इंस्टीट्यूट आफ हायर संस्कृत स्टडीज एंड रिसर्च धन की कमी के कारण बंद होने की स्थिति में है; और

(ख) भारत में संस्कृत के अध्ययन को फिर से आरम्भ करने और उसे बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही, यदि कोई हो तो, की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) विवरण संलग्न है।

विवरण

भारत सरकार ने भारत में संस्कृत के अध्ययन की समीक्षा तथा प्रोन्नति के लिए निम्नलिखित उपाय किये हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय पाली तथा प्राकृत सहित संस्कृत के विकास, बढ़ावा तथा

प्रसार के लिए कई कार्यक्रम कार्यान्वित करता रहा है। ये कार्यक्रम या तो सीधे ही कार्यान्वित किये जाते हैं अथवा इनके कार्यान्वयन के लिए स्वैच्छिक संगठनों, संस्थाओं तथा व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विभिन्न संस्कृत, पाली तथा प्राकृत पाठ्यक्रमों में दाखिल छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए राज्यों, स्वैच्छिक संगठनों तथा संस्थानों को वित्तीय सहायता दी जाती है। इस मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले सहायक अनुदानों में निम्नलिखित विषय शामिल हैं :—

(1) संस्कृत के प्रसार तथा विकास में कार्यरत स्वैच्छिक संस्कृत संगठन।

(2) संस्कृत साहित्य तैयार करना।

(3) आदर्श संस्कृत पाठशालाओं की स्थापना।

(4) संस्कृत में उत्तर मैट्रिक छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करना, शास्त्री तथा आचार्य पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले छात्रों को राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां तथा पारम्परिक पाठशालाओं के छात्रों को अनुसंधान छात्रवृत्तियां प्रदान करना।

(5) दुर्लभ संस्कृत पांडुलिपियों के प्रकाशन के लिए स्वैच्छिक निकायों तथा अनुसंधान संस्थानों को सहायक अनुदान देना।

(6) वैदिक पाठों की परम्परा का परिरक्षण।

(7) अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे पंडितों को वित्तीय सहायता।

(8) माध्यमिक स्कूलों में संस्कृत के शिक्षण के लिए सुविधाओं की व्यवस्था तथा संस्कृत पाठशालाओं का आधुनिकीकरण।

(9) उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में संस्कृत अध्ययन कर रहे छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करना तथा संस्कृत भाषा के प्रसार के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त किसी भी प्रकार के प्रस्ताव के लिए वित्तीय सहायता के लिए अनुदान प्रदान करना।

(10) शास्त्रीय विषयों के गहन अध्ययन के परिरक्षण के लिए स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों में विख्यात संस्कृत अध्येताओं की सेवाओं का उपयोग करना।

(11) संस्कृत के उन विख्यात अध्येताओं को सम्मान प्रमाण पत्र देना जिन्होंने संस्कृत के लिए अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया है।

(12) उन पंजीकृत शैक्षिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना जो पारम्परिक संस्कृत पाठशालाओं/संस्थाओं के छात्रों के लिए विशेष अवस्थापना पाठ्यक्रम आयोजित करते हैं।

मंत्रालय ने राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नामक एक स्वायत्त संगठन का भी गठन किया है जो भारत तथा विदेशों में संस्कृत शिक्षा के प्रसार, उसे लोकप्रिय बनाने तथा विकास के कार्यकलापों में कार्यरत है। संस्कृत को लोगों में लोकप्रिय बनाने के लिए मंत्रालय देश के विभिन्न भागों में प्रत्येक वर्ष एक अखिल भारतीय वैदिक सम्मेलन तथा अखिल भारतीय संस्कृत वाद-विवाद प्रतियोगिता भी आयोजित करता है।

धर्मार्थ संगठनों द्वारा चलाये जाने वाले नेत्र शिविर

163. श्री टी० बशीर
प्रो० राम कृष्ण मोरे } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देश में विभिन्न भागों में धर्मार्थ संगठनों द्वारा चलाये जा रहे उन नेत्र शिविरों के बारे में प्रकाशित समाचारों की ओर दिलाया गया है जिनमें लापरवाही और उचित देखभाल के अभाव के कारण बड़ी संख्या में लोगों को अपनी आंखों की ज्योति खोनी पड़ी है;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जानकारी एकत्र की है और यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान आयोजित ऐसे शिविरों, आंखों की ज्योति खोने वाले व्यक्तियों की संख्या और यदि कोई वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं, तो उनके बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे शिविरों के कार्यों को विनियमित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)। (क) जी, हां।

(ख) हाल ही में प्रेस में छपा था कि दो शिविर एक खुर्जा में तथा दूसरा मुरादाबाद में लगाये गये थे। यह आरोप लगाया गया था कि कुछ व्यक्ति खुर्जा शिविर में अंधे हो गये थे तथा कुछ व्यक्तियों को मुरादाबाद शिविर में आपरेशन के बाद जटिलताएं उत्पन्न हो गई थीं। राज्य सरकार से इस मामले की जांच करने का अनुरोध किया गया है। बिहार राज्य के जहानाबाद नामक स्थान पर ऐसे एक पुराने मामले की जांच एक केन्द्रीय दल ने की थी और तीन व्यक्ति अंधे हो गये बतलाये थे और जटिलता दर 23.4 प्रतिशत आंकी गई थी। वित्तीय अनियमितताओं के बारे में केन्द्र से कोई शिकायत नहीं की गई है।

(ग) नेत्र शिविर लगाने सम्बन्धी दिशा-निर्देश निर्धारित कर दिए गये हैं और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए बार-बार हिदायतें जारी की जाती रहती हैं कि इन दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए।

एक्स-रे तथा अन्य मशीनों से सज्जित अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन

164. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विमानपत्तन पर लगाई एक्स-रे तथा अन्य आधुनिक मशीन जैसी मशीनें देश के किन-किन अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर लगाई जानी शेष हैं; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) हाथ के सामान की छानबीन करने के लिए दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास स्थित चारों अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों पर एक्स-रे मशीन लगाई गई हैं। सीमा-शुल्क विभाग से आने वाले सामान की छानबीन करने के लिए दिल्ली पर सात बड़ी एक्स-रे मशीन और बम्बई विमान क्षेत्र पर चार मशीनें लगाई गई हैं। ये मशीनें सीमा-शुल्क विभाग की ओर से प्रतिस्थापित की गई हैं। इसी प्रकार की मशीनों का प्रतिस्थापन कलकत्ता और मद्रास विमानक्षेत्रों पर और दिल्ली और बम्बई विमानक्षेत्रों के माल अंतस्थ पर भी किया जायेगा।

जेट उड़ान यात्रियों के लिए "एक्सप्रेस चैक-इन" काउण्टर शुरू करना

165. **श्री के० वी० शंकर गौडा** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्ष सेवा प्रदान करने की दृष्टि से इंडियन एयरलाइन्स ने सभी जेट उड़ान यात्रियों के लिए "एक्सप्रेस चैक-इन" काउन्टर शुरू किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इंडियन एयरलाइन्स ने दूसरी क्षेत्रीय सलाहकार समिति द्वारा दिये गये सुझावों को कार्यान्वित करने का भी निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो सलाहकार समिति द्वारा दिये गये कितने सुझावों को अब तक कार्यान्वित किया गया है; और

(घ) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने टर्मिनल 2 की ओर जाने वाली सड़कों पर और सुरक्षा टुकड़ियां तैनात करने का भी निर्णय किया है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) इंडियन एयरलाइन्स ने, श्रीनगर को छोड़कर, केबिन/हाथ के सामान के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सभी एयरबस उड़ानों के लिए अलग जांच काउन्टर शुरू कर दिए हैं।

(ख) और (ग) 10 मई, 1986 को हुई अपनी बैठक में द्वितीय क्षेत्रीय सलाहकार समिति की बैठक में लिये गये पांच सुझावों को इंडियन एयरलाइन्स ने स्वीकार कर लिया है और इनका कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(घ) जी, नहीं। तथापि, दिल्ली के अंतस्थ-II को जाने वाली सड़क पर पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के प्रश्न को भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा दिल्ली के पुलिस आयुक्त के साथ उठाया जा रहा है।

नौवहन विकास कोष समिति द्वारा नौवहन कम्पनियों से देय राशियों की वसूली

166. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई नौवहन कम्पनियों ने नौवहन विकास कोष समिति से अत्यधिक अनुदान/ऋण लिए हुए हैं;

(ख) क्या नौवहन कम्पनियों को इन कुल बकाया राशियों को माफ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या कुछ कम्पनियों ने नौवहन विकास कोष समिति को अपनी देय राशियों की अदायगी नहीं की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उनकी वसूली के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) नौवहन विकास निधि समिति द्वारा 31.3.1986 तक संस्वीकृत ऋणों, उनके संवितरण, भुगतान (वापसी) तथा बकाया ऋणों के ब्यौरे तथा विभिन्न नौवहन कम्पनियों से पुरानी बकाया ऋणों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

(करोड़ रुपये)

	ऋण रुपयों में	सैफोन्स	गारंटी	कुल
1	2	3	4	5
संस्वीकृत	1527	494	1479	3500
संवितरित	1252	471	1431	3154
भुगतान (वापसी)	429	93	1000	1522

1	2	3	4	5
बकाया	823	378	431	1632
पुराना बकाया				
(क) सार्वजनिक क्षेत्र	201.38	8.33	शून्य	209.71
(ख) निजी क्षेत्र	176.82	47.58	19.52	243.92
	378.20	55.91	19.52	453.63

भुगतान (वापसी) न करने वाली नौवहन कम्पनियों से बकाया राशि वसूल करने के लिए नौवहन विकास निधि समिति ने जो उपाय किए हैं उनमें भुगतान न करने वाली सभी नौवहन कम्पनियों को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए नोटिस जारी करना और कम्पनियों के बंधक रखे जहाजों को जब्त करना तथा न्यायालयों के माध्यम से उनका विक्रय कराना और विक्रय से प्राप्त राशि को न चुकाए गये ऋण की बकाया राशि में समायोजित करना शामिल है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में जलातक रोधी टीकों की कमी

167. डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश राज्य में विशेषकर बस्ती जिले में जलांतक रोधी टीकों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त राज्य के विभिन्न जिलों में इस टीके की अनुपलब्धता के कारण कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(ग) क्या सरकार का विचार इन टीकों की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए कोई कारगर कार्यवाही करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) देश में तैयार की जा रही अलर्क रोधी वैक्सीन मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारत महोत्सव

168. **श्री एस० जी० घोलप** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1985-86 के दौरान अमरीका और फ्रांस में भारत महोत्सव का आयोजन किया था, यदि हां, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा है और उसकी क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह के उत्सवों का आयोजन करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां। अभी तक दोनों उत्सवों ने दोनो देशों में बहुत लोगों का ध्यान आकर्षित किया है और विदेश में तथा भारत में समाचार पत्रों और इलेक्ट्रानिक संचार माध्यमों द्वारा इनको बहुत महत्व दिया गया है। इन उत्सवों का दीर्घकालीन प्रभाव, इन देशों के लोगों के समक्ष भारत की जो छवि है, उसमें होने वाले परिवर्तन से स्पष्ट होगा।

इन लोगों को न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का अपितु आधुनिक भारत की उपलब्धियों का भी परिचय दे दिया गया है।

(ख) इस समय इस तरह का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोयला, राख की उठाई-धराई, गाड़ी पर लदान तथा पार्सल पुनः पैक करने के कार्य में रत मजदूरों को वैकल्पिक रोजगार देना

169. **श्री अनिल बसु** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग को पूर्व/पूर्वोत्तर/उत्तर सीमांत रेलवे में विभिन्न लोको शेडों में स्थित भारतीय रेल के कोयला, राख गाड़ी पर लदान और उठाई-धराई सम्बन्धी मजदूर संघों से एक जैसे

अनेक अभ्यावेन प्राप्त हुए हैं जिनमें कोयला राख की उठाई-धराई, गाड़ी पर लदान तथा पार्सल पुन: पैक करने के कार्य में रत मजदूरों को वैकल्पिक रोजगार देने हेतु आग्रह किया गया है;

(ख) क्या सरकार इन मजदूरों को वैकल्पिक रोजगार देने हेतु कदम उठा रही है क्योंकि वे भाप के इंजन समाप्त किये जाने के फलस्वरूप बेरोजगार हो रहे हैं; और

(ग) उपर्युक्त रेलों में सभी भाप के इंजनों को डीजल/बिजली के इंजनों में बदलने के समय ऐसे कितने मजदूर फालतू हो जायेंगे ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) वे ठेकेदारों के श्रमिक हैं और रेलें इनके लिए वैकल्पिक नौकरियां ढूंढ़ने की जिम्मेदारी लेने की स्थिति में नहीं है।

(ग) प्रश्नगत कामगार ठेकेदारों के श्रमिक हैं और वे रेलों के खाते में नहीं हैं। परिणामत: सम्बन्धित कामगारों की संख्या बताना सम्भव नहीं है।

कावेरी नदी के जल का बंटवारा

170. **श्री टी० बशीर** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कावेरी नदी के पानी के बंटवारे में तीन दक्षिणी राज्यों, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक तथा संघ राज्य क्षेत्र पाण्डिचेरी के बीच हाल ही में हुई वार्ता विफल हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस विवाद को शीघ्र निपटाने के लिए केन्द्रीय सरकार का आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री द्वारा बंगलौर में 16.6.1986 को कावेरी बेसिन राज्यों को मुख्य मंत्रियों और मंत्रियों के साथ आयोजित बैठक में, राज्य सरकारों ने अपनी अपनी स्थिति को दोहराया और किसी आम सहमति पर नहीं पहुंच सके। तमिलनाडु सरकार ने अब केन्द्र को अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अन्तर्गत एक अधिकरण गठित करने हेतु कहा है और मामले की जांच की जा रही है।

बौद्ध पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम

171. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत होटल निगम के अन्तर्गत राजगिरी (बिहार) में स्थित

होटल जापानी और बौद्ध पर्यटकों की संख्या में भारी कमी होने के कारण उचित रूप से कार्य नहीं कर रहा है;

(ख) क्या देश में अन्य बौद्ध केन्द्रों पर भारत होटल निगम के अन्तर्गत किन्हीं अन्य होटलों को भी इसी प्रकार की पर्यटकों की संख्या में भारी कमी होने का सामना करना पड़ रहा है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अन्य देशों से बौद्ध पर्यटकों को भारत आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय होटल निगम लिमिटेड का किसी अन्य बौद्ध केन्द्र में न तो अपना कोई होटल है अथवा न ही वह किसी होटल का प्रचालन कर रहा है।

(ग) राजगीर में सेन्टोर होक्के होटल, भारतीय होटल निगम और जापान के होक्के क्लब का एक संयुक्त इक्विटी उद्यम है। सहयोग करार में जापान से बौद्ध यातायात को बढ़ाने का उत्तरदायित्व होक्के क्लब को सौंपा गया है। बौद्ध यातायात को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(क) जापान, दक्षिण कोरिया और थाइलैंड में विपणन कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

(ख) एक विशेष ग्रुप शुल्क शुरू किया गया है।

(ग) यात्रा व्यवसाय में वितरण के लिए एक आकर्षक पत्रिका तैयार की गई है।

(घ) विज्ञापनों और होर्डिंग के माध्यम से भारत के भीतर एक विपणन कार्यक्रम शुरू किया गया है।

भारत के बाल उत्तरजीविता कार्यक्रम के लिए अमरीकी सहायता

172. श्री के० वी० शंकर गौडा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार भारत के बाल उत्तरजीविता कार्यक्रम के लिए धनराशि और खाद्य पदार्थों के रूप में 50 करोड़ डालर की सहायता देने के लिए सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में अमरीकी सरकार के साथ कोई करार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो यह सहायता किन परियोजनाओं पर उपयोग में लाई जाएगी और कार्यक्रम

का पहला चरण किस राज्य में आरम्भ किया जायेगा, और

(घ) इसके कार्यान्वयन के पहले वर्ष के दौरान कितने बच्चे लाभान्वित होंगे ?

युवा कार्य और खेल तथा महिला बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) से (घ) बाल उत्तरजीविता कार्यक्रम का संचालन स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

17 मिलियन डालर की अमरीकी "एड्स" सहायता मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित समेकित बाल विकास सेवाओं के चालू कार्यक्रम के छोटे-से अंश के लिए प्रत्याशित है।

लगभग 260 मिलियन डालर मूल्य की "केअर" खाद्य सामग्री सहायता 5 वर्षों से अधिक समय से चल रहे पूरक पोषण कार्यक्रम के लिए प्रत्याशित है।

रेलवे के आधुनिकीकरण तथा विकास के संबंध में असन्तुलन

173. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद रेलवे के आधुनिकीकरण के विकास के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को रेलवे के आधुनिकीकरण तथा विकास के सम्बन्ध में देश के उत्तरी तथा दक्षिणी भागों के बीच असन्तुलन की जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस असन्तुलन को दूर करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) रेलें समय-समय पर रेल परिचालन के विशिष्ट पहलुओं के आधुनिकीकरण के लिए अध्ययन करती हैं और स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद के वर्षों में ऐसे कई अध्ययन किये गये हैं।

(ख) और (ग) रेलों द्वारा विकास परियोजनाएं और कार्यक्रम परिचालनिक तथा विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं के आधार पर शुरू किये जाते हैं, क्षेत्रीय आधार पर नहीं। यह कहना सही नहीं है कि रेलों के आधुनिकीकरण तथा विकास की दृष्टि से देश के उत्तरी तथा दक्षिणी भागों के बीच असन्तुलन है।

रेल परियोजनाओं के विद्युतीकरण के लिए निर्धारित राशि

174. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान भारतीय रेलों की विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई और उसमें से कितनी खर्च की गई;

(ख) क्या उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रयोजन के लिए निर्धारित की गई कोई राशि वापस की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) (I) निर्धारित राशि :—

(क) मूलतः आवंटित	150.00 करोड़ रुपये
(ख) पूरक अनुदान (जनवरी, 86)	60.00 करोड़ रुपये
कुल :	210.00 करोड़ रुपये
(II) व्यय की गई राशि	167·83 करोड़ रुपये

(ख) और (ग) जी, हां। वर्ष 1985-86 के दौरान दीर्घकालीन मदों जैसे लोको शेड के लिए संयंत्र और मशीन, टेलीकॉम केबुल जैसी अन्य नाजुक मदों के प्राप्त न होने के कारण। इसके अतिरिक्त, रेलवे विद्युतीकरण कार्यों के लिए जनवरी, 86 में पूरक मांगों के माध्यम से आवंटित 60 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि अर्थात वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद पूरी तरह खर्च नहीं की जा सकी।

इंटीग्रल कोच फैक्टरी में कोचों का निर्माण

175. श्री ई० अय्यपू रेड्डी : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 में इंटीग्रल कोच फैक्टरी पैराम्बूर में निर्मित कोचों की संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक कोच की कीमत निर्धारित करने के लिए अपनाए गए मानदंड क्या हैं; और

(ग) क्या निर्माण की दर लक्ष्य के अनुसार है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) 1985-86 के दौरान सवारी डिब्बा कारखाने ने 830 सवारी डिब्बों का निर्माण किया था।

(ख) प्रत्येक सवारी डिब्बे का मूल्य वास्तविक लागत के आधार पर, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, निर्धारित किया जाता है :—

1. सीधे लगाये गये श्रमिक;

2. सीधी खरीदी गई सामग्री; और

3. ऊपरी खर्च।

रेलों के अपने उपयोग के लिए निर्मित किये गये सवारी डिब्बों पर कोई लाभ नहीं लिया जाता है।

(ग) उत्पादन की दर लक्ष्य से अधिक थी। 1985-86 में सवारी डिब्बा कारखाने में 830 सवारी डिब्बों का निर्माण किया गया था, जबकि लक्ष्य 825 सवारी डिब्बों का था।

[हिन्दी]

लिंग निर्धारण सम्बन्धी परीक्षणों पर प्रतिबन्ध

176. डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गर्भ में शिशु की लिंग के बारे में पता लगाने के लिए किये जाने वाले परीक्षणों पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार का इस पर किस प्रकार प्रतिबन्ध लगाने का विचार है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) भारत सरकार समय-समय पर राज्यों के ध्यान में यह बात लाती रही है कि भारत में प्रसव-पूर्व लिंग निर्धारण परीक्षण केवल अनुसंधान प्रयोजनों और सेक्स से संबंधित आनुवंशिक विकारों वाले रोगियों के निदान के लिए ही किया जाए न कि किसी अन्य लक्षण के लिए।

चिकित्सीय गर्भ-समापन अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत सामान्यतया कुछेक स्थितियों में ही गर्भ समाप्त करने की व्यवस्था है। इस में ऐसे गर्भ-समापन के अपराध को संरक्षण (भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत) प्रदान नहीं किया गया है जब यह केवल भ्रूण के लिंग के आधार पर किया गया हो।

लम्बी दूरी की सड़कों के विकास के सम्बन्ध में नई नीति

177. श्री विजय कुमार यादव : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लम्बी दूरी की और विभिन्न राज्यों को जोड़ने वाली सड़कों के विकास के लिए एक नई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस नई नीति के अन्तर्गत बिहार में जिन सड़कों को शामिल किया जायेगा उनका ब्यौरा क्या है और उनके विकास सम्बन्धी योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनको पूरा करने के लिए यदि कोई समय सीमा निर्धारित की गई है, तो वह क्या है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

आद्रा रेलवे कालोनी में बिजली का बार-बार जाना

178. श्री बसुदेव आचार्य : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे की आद्रा रेलवे कालोनी में बिजली का बार-बार जाना सामान्य बात है;

(ख) क्या बिजली के इस तरह चले जाने के दौरान अधिकारियों को जनरेटर से बिजली दी जाती है;

(ग) क्या जनरेटर से सप्लाई की जाने वाली बिजली के लिए अधिकारियों पर कोई शुल्क लगाया जाता है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) आद्रा रेलवे कालोनी में बिजली बार-बार जाने को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) अस्पताल, नियन्त्रण कक्ष, स्टेशन यार्ड, टेलीफोन एक्सचेंज आदि की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये एक डीजल जनित्र सेट स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह अनिवार्य अराजपत्रित कर्मचारियों और अधिकारियों की आवश्यकताएं भी पूरी करता है। डीजल जनित्र सेट द्वारा सप्लाई की गई बिजली के लिए मीटर है तथा यथोचित बिल दिये जाते हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

निर्यातोन्मुख इकाइयों की समस्याओं का अध्ययन

179. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख कुछ इकाइयों की योजना में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या निर्यातोन्मुख इकाइयों के समक्ष आने वाली समस्याओं का अध्ययन करने के लिए कोई दल नियुक्त किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान से योजना के कार्यचालन का अध्ययन करने के लिए कहा गया है।

हिमाचल प्रदेश के लिए जीवन बीमा निगम के अलग मण्डल की मांग

180. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम का एक अलग मण्डल खोलने की मांग प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मांग पर सरकार ने क्या कार्रवाई की;

(ग) इस राज्य के लिए अलग मंडल कब तक खोला जायेगा विशेषकर जबकि इस समय इस राज्य के लिए बीमा व्यवस्था दो विभिन्न मंडलों जिनके मुख्यालय क्रमश: जलन्धर तथा चण्डीगढ़ में हैं, के अधीन है; और

(घ) वर्तमान वित्त वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान खोले गये जीवन बीमा निगम के नये मण्डलों के राज्यवार नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय जीवन बीमा निगम के परामर्श से इस मामले की जांच की गई है। राज्य में निगम की शाखाओं द्वारा किये गये जीवन बीमा व्यापार उपार्जित नवीकरण प्रीमियम तथा पालिसियोंकी संख्या को देखते हुए, जीवन बीमा निगम द्वारा हिमाचल प्रदेश में मंडलीय कार्यालय की

स्थापना करना आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। तथापि, यथासमय, इस मामले पर पुनर्विचार किया जायेगा।

(घ) जीवन बीमा निगम ने पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी नये मंडल की स्थापना नहीं की है। 1986-87 के वर्तमान वित्त वर्ष में, निगम का 15 नये मंडलीय कार्यालय आरम्भ करने का प्रस्ताव है। इसका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

जीवन बीमा निगम के 15 मंडलों की सूची जिन्हें 1986-87 में आरम्भ किये जाने का प्रस्ताव है

	राज्य		मंडल
(1)	आन्ध्र प्रदेश	(1)	वारंगल
(2)	असम	(2)	जोरहाट
(3)	गुजरात	(3)	बड़ौदा
(4)	हरियाणा	(4)	करनाल
(5)	जम्मू और काश्मीर	(5)	श्रीनगर
(6)	कर्नाटक	(6)	रायचूर
(7)	केरल	(7)	एर्नाकुलम
(8)	मध्य प्रदेश	(8)	भोपाल
(9)	महाराष्ट्र	(9)	औरंगाबाद
(10)	उड़ीसा	(10)	थाणे
(11)	उत्तर प्रदेश	(11)	सम्बलपुर
(12)	पश्चिमी बंगाल	(12)	बरेली
(13)	संघ राज्य क्षेत्र, गोवा	(13)	हावड़ा
		(14)	कलकत्ता उपनगरीय
		(15)	गोवा

स्वर्णाभूषणों का निर्यात बढ़ाने के लिए नई नीति

181. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वर्णाभूषणों के निर्यात को बढ़ाने के लिए हाल ही में एक नई नीति घोषित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) और (ख) स्वर्ण आभूषण के निर्यात को बढ़ाने के कतिपय प्रस्तावों पर विचार कर लिया गया है जिनके कार्यान्वयन के तरीकों को विभिन्न विभागों एवं एजेंसियों के समन्वय से अन्तिम रूप दिये जाने की जरूरत है।

सोडा ऐश सम्बन्धी स्थायी ग्रुप

182. **श्री आनन्द पाठक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आयात नीति, आयात शुल्क और अन्य सम्बद्ध मामलों की जांच करने हेतु वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में सोडा ऐश सम्बन्धी स्थायी ग्रुप नियुक्त किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्रुप ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस रिपोर्ट को सभा पटल पर रखने का है;

(घ) क्या ग्रुप ने सोडा ऐश के बढ़ते हुए मूल्यों पर रोक लगाने हेतु सिफारिश की है; और

(ङ) क्या सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और उन्हें कार्यान्वित कर लिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में कार्यदल की सिफारिशें

183. **श्री पूर्णचन्द्र मलिक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ढांचे संबंधी योजना और कार्य नीतियों में उपयुक्त परिवर्तन सुझाने के लिए अपर सचिव (बैंकिंग) की अध्यक्षता में सरकार द्वारा स्थापित कार्यदल की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ख) उन पर क्या निर्णय लिए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विभिन्न पहलुओं पर समुचित सिफारिशें करने के लिए अपर सचिव (बैंकिंग) की अध्यक्षता में अगस्त 1984 में एक कार्यकारी दल का गठन किया था। दल ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और उसकी मुख्य सिफारिशें ये हैं।

1. नये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करते समय उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जहां पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की आबादी अधिक हो।

2. उचित प्रबन्ध तथा बेहतर नियंत्रण की दृष्टि से आवश्यकता से अधिक बड़े क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दो हिस्सों में बांट देना चाहिए।

3. प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शेयर पूंजी बढ़ाकर 100 लाख रुपये और इसके अनुरूप उसकी प्राधिकृत शेयर पूंजी 500 लाख रुपए कर दी जानी चाहिए।

4. केवल स्केल-IV और स्केल-V के अधिकारियों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। पुराने और बड़े क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में इससे उच्च स्तर के अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं।

5. "छोटे आदमी का बैंक" के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वर्तमान छवि कायम रखी जानी चाहिए लेकिन इन बैंकों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, निगमों/आवास बोर्डों, ग्रामीण पंचायतों तथा अन्य स्थानीय निकायों जैसे सार्वजनिक निकायों को ऋण देने की अनुमति दी जानी चाहिए।

6. अल्पावधिक पुनर्वित्त के सम्बन्ध में वर्तमान फार्मूले के सम्बन्ध में संशोधन किया जाना चाहिए और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अंश को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत तक कर दिया जाना चाहिए और प्रायोजक बैंक का हिस्सा 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए।

7. प्रायोजक बैंक द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से लिए जाने वाले ब्याज की दर 8.5 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत वार्षिक कर दी जानी चाहिए।

8. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त फार्मूले के आधार पर काम करने दिया जाना चाहिए और नकदी जमा अनुपात के सम्बन्ध में और किन्हीं प्रतिबंधों पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए।

9. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अपेक्षित अनुभव और अर्हताओं वाले अधिकारियों को प्रायोजक बैंकों के अधिकारी ग्रेड में कुछ पद उपलब्ध कराये जा सकते हैं।

सम्राट होटल, नई दिल्ली के तरणताल में तिब्बती लड़की की मृत्यु

184. श्री साइमन तिग्गा : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1986 में 19 वर्ष की एक तिब्बती लड़की सम्राट होटल के तरणताल में डूब गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली में भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के तरणतालों में नियमित रूप से सफाई नहीं की जाती है; और

(घ) दोषी और लापरवाह कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख) 31.5.1986 को श्री इब्राहिम नामक जोरडियन लड़के के साथ तीन तिब्बती लड़कियां अनियमित यात्रियों के रूप में होटल सम्राट के तरणताल पर आईं।

उन्होंने ताल में प्रवेश किया और एक रक्षा-बोया (लाइफ बॉय) के सहारे तैरना प्रारम्भ किया। ताल की ड्यूटी पर तैनात लाइफ गार्ड ने उन्हें ताल की गहराई वाले क्षेत्र में न जाने की चेतावनी दी थी। फिर भी श्री इब्राहिम मिस डिक्की नामक एक लड़की को गहरे पानी में ले गया जहां वह उसके हाथों से फिसल गई और डूब गई। ड्यूटी पर तैनात लाइफ गार्ड ने उसे बचाने के लिए भरसक प्रयास किए लेकिन कामयाबी हासिल न हो सकी। उसे ताल से निकालकर प्राथमिक चिकित्सा दी गई और अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) चूंकि कोई भी अधिकारी लापरवाह नहीं पाया गया था इसलिए उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीयकृत बैंक का उधार-जमा अनुपात

185. श्री सैयद मसूदुल हुसैन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीयकृत बैंकों के उधार-जमा अनुपात को सुधारने के लिए क्या उपाय किए हैं;

(ख) इस मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यदि अभी तक कोई उपाय नहीं किया गया है, तो उसका क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण जमा अनुपात को सुधारने के लिए प्रभावी उपाय करने की दृष्टि से, पश्चिम बंगाल राज्य के प्राधिकारियों के साथ चर्चा की थी। राज्य स्तरीय बैंकर समिति की एक विशेष बैठक बुलायी गयी थी और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को, सभी जिलों के लिए पहले से तैयार की गई वार्षिक कार्रवाई आयोजनाओं की फिर से जांच करने के लिए कहा गया था ताकि ऋण-जमा-अनुपात को बढ़ाने के लिए निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया जा सके। राज्य सरकार से पूर्वी क्षेत्र में कृषि उत्पादकता पर सेन समिति द्वारा की गयी सिफारिशों पर विचार करने और बैंक योग्य उपयुक्त योजनाएं तैयार करने के लिए भी कहा गया है। इन उपायों के परिणामस्वरूप हुई वास्तविक प्रगति केवल 1986 के अंत में ही दिखायी दे सकेगी।

कर अपवंचकों पर छापे

186. श्री सोमनाथ रथ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों के दौरान आयकर विभाग द्वारा कितने छापे मारे गए हैं;

(ख) कितने कर अपवंचकों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ग) कर-अपवंचकों से कर के रूप में कितनी धन राशि वसूल की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 1-1-1986 से 30-6-1986 तक की अवधि के दौरान, आयकर विभाग ने 2594 तलाशियां लीं।

(ख) और (ग) किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है क्योंकि आयकर अधिनियम में तलाशी के दौरान गिरफ्तारी की व्यवस्था नहीं है।

राजस्व को हुए शुद्ध लाभ का पता संगत कर-निर्धारणों के पूरा हो जाने के बाद ही लगेगा जिनके लिए सामान्य सांविधिक समय-सीमा, संगत कर-निर्धारण वर्ष के अन्त से और परिणामी अपीलीय कार्यवाहियों के निपटान से दो वर्ष है।

कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के मामलों की देखभाल के लिए पैनल की स्थापना

187. श्री मानिक रेड्डी
डा० चिन्ता मोहन } : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए०पी०ई०डी०ए०) के मामलों की देखभाल के लिए एक चालीस सदस्यीय पैनल की स्थापना की गई है जैसाकि 24 जून, 1986 के 'इकोना-

मिक टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो पैनल का ब्यौरा क्या है और इसके कार्य तथा कार्यपद्धति क्या है;

(ग) क्या विभिन्न निर्यात विकास प्राधिकरणों के लिए इसी प्रकार के पैनल कार्य कर रहे हैं हैं अथवा बनाये जाएंगे; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि कृषि एवं संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि इस प्राधिकरण में 40 तक सदस्य होंगे। प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है। प्राधिकरण का ब्यौरा एवं कार्य संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) वाणिज्य मन्त्रालय के अन्तर्गत जो एकमात्र अन्य निर्यात विकास प्राधिकरण कार्य कर रहा है वह समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण है जिसमें 30 तक सदस्य हैं।

विवरण

कृषि तथा संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत इस प्राधिकरण में निम्नोक्त शामिल होंगे :—

1. अध्यक्ष

2. भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार।

3. योजना आयोग के प्रतिनिधित्व के लिए एक सदस्य।

4. तीन संसद सदस्य—लोक सभा द्वारा निर्वाचित दो तथा राज्य सभा द्वारा निर्वाचित एक।

5. ग्रामीण विकास, वाणिज्य, वित्त, उद्योग, खाद्य, नागरिक पूर्ति, नागर विमानन तथा नौवहन एवं परिवहन के सम्बन्ध में कार्यवाही करने वाले केन्द्र सरकार के मन्त्रालयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आठ सदस्य।

6. राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्य।

7. निम्नोक्त का प्रतिनिधित्व करने वाले सात सदस्य :—

(1) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद,

(2) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड,

(3) राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ,

(4) केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान,

(5) भारतीय पैकेजिंग संस्थान,

(6) मसाला निर्यात संवर्धन परिषद, तथा

(7) काजू निर्यात संवर्धन परिषद ।

8. निम्नोक्त का प्रतिनिधित्व करने वाले बारह सदस्य :—

(1) फल तथा सब्जी उत्पाद उद्योग,

(2) मांस, कुक्कुछ एवं डेरी उत्पाद उद्योग,

(3) अन्य अनुसूचित उत्पाद उद्योग,

(4) पैकेजिंग उद्योग,

9. कृषि तथा संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की अनुसूची में निर्दिष्ट कृषि, अर्थशास्त्र एवं उत्पादों के विपणन क्षेत्र के विशेषज्ञों तथा वैज्ञानिकों में से दो सदस्य ।

प्राधिकरण इस अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट उत्पादों के विकास एवं संवर्धन के लिए उपाय करेगा। इन उपायों में इन्हें शामिल किया जा सकता है : सर्वेक्षण तथा सम्भाव्यता अध्ययन, संयुक्त उद्यमों में भाग लेना, निर्यात होने वाले उत्पादों के सम्बन्ध में मानक एवं विशिष्टियां निर्धारित करना बूचड़खानों में मांस तथा मांस उत्पादों, संसाधन संयंत्र आदि का निरीक्षण करना, पैकेजिंग विपणन में सुधार लाना एवं निर्यात अभिमुख उत्पादन का संवर्धन ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा एल० डी० पी० ई० (निम्न घनत्व पालिथिलीन) का आयात

188. डा० चिन्ता मोहन : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्लास्टिक संसाधित करने वाली यूनिटें, निम्न-घनत्व पोलिथिलीन (एल०डी० पी०ई०) के आयात को राज्य व्यापार निगम को हस्तांतरित किए जाने से सर्वथा अप्रसन्न है जैसा कि 22 जून, 1986 के 'इकानामिक टाइम्स' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित माल की कीमतें प्रयोक्ताओं द्वारा स्वयं मंगाये गए माल की कीमतों की अपेक्षा अधिक होने की सम्भावना है; और

(ग) क्या देश एल०डी०पी०ई० के मामले में आत्म-निर्भर हो जायेगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) प्लास्टिक संसाधन एककों की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा स्वदेशी उत्पादन तथा मांग के बीच अन्तर को समाप्त करने के लिए अप्रैल, 1986 में एस०टी०सी० को एल०डी०पी०ई० के आयात के लिए प्राधिकृत किया गया। चूंकि एस०टी०सी० पहले 1976 तक एल०डी०पी०ई० के आयात का कार्य देखती रही है तथा उद्योग की आवश्यकताओं को सन्तोषजनक रूप से पूरा करती रही है, अत: आशा है कि एस०टी०सी० को एल०डी०पी०ई० के आयातों का कार्य सौंपने से उद्योग के हित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) निकट भविष्य में देश के एल०डी०पी०ई० में आत्म-निर्भर की सम्भावना नहीं है।

चाय उद्योग में बिजली की कमी

189. श्री पी० आर० कुमार मंगलम : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में चाय उद्योग को बिजली की कमी के कारण भारी नुकसान हुआ है, जैसा कि दिनांक 4 जुलाई, 1986 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या इससे चाय के उत्पादन और निर्यात पर बुरा असर पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) केरल सरकार द्वारा चाय उद्योग सहित हाई टेन्शन वाले सभी उपभोक्ताओं पर लागू की गई कटौतियों के विरुद्ध एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। इस मामले को राज्य सरकार के साथ उठाया गया है।

[हिन्दी]

विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पर्यटक केन्द्रों पर सुरक्षा प्रबन्ध

190. श्री कमला प्रसाद रावत : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उग्रवादियों की गतिविधियों के कारण विदेशी पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए पर्यटक केन्द्रों पर सुरक्षा प्रबन्धों को

सुदृढ़ करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन मन्त्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) 1986 के प्रथम छः महीनों के दौरान गत वर्ष की तत्सम्बन्धी अवधि की तुलना में विदेशी पर्यटक यातायात में लगभग 14.6 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का वाणिज्यिक बैंकों में विलय

191. **श्री अमर राय प्रधान**
श्री रेणुपद दास } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का वाणिज्यिक बैंकों में विलय करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई मांग प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार का मत है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अलग अस्तित्व के रूप में अपना काम करते रहना चाहिए।

कुशी नगर (उत्तर प्रदेश) का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

192. **श्री राम धन** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देवरिया (उत्तर प्रदेश) जिले में कुशीनगर, जहां भगवान बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था और जहां बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आकर्षित होते हैं और जो राष्ट्रीय महत्व का स्थान भी है, पर्यटक केन्द्र के लिए उपयुक्त स्थल है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उसको, जिसमें विश्व भर के बौद्धों की सद्भावना प्राप्त करने के अलावा विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की क्षमता है, एक पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने का है ?

पर्यटन मन्त्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख) कुशीनगर, अन्तर्राष्ट्रीय धार्मिक महत्व का एक स्थान है, और विश्वभर के बौद्धों द्वारा यहां की यात्रा की जाती है। सरकार ने कुशीनगर में 20 कमरों वाले एक यात्री गृह का पहले ही निर्माण करा दिया है।

खली के निर्यात में कमी

193. **डा० के० जो० अदियोडी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खली के निर्यात के क्षेत्र में भारत की स्थिति मई, 1986 तक बहुत खराब हो गई; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और निर्यात-आयात में आई कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार 1985-86 के दौरान तेल रहित खली एवं तेल रहित चावल की भूसी के भारतीय निर्यात में 1984-85 के दौरान हुए निर्यातों की तुलना में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दी। तथापि, अप्रैल-मई, 1986 के दौरान प्रमुख खलियों के निर्यातों में पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में सुधार दिखाई दिया।

(ख) निर्यातों में गिरावट आने सम्बन्धी कारणों में शामिल है : यूरोपीय आर्थिक समुदाय सदस्य देशों द्वारा लागू किए गए कड़े क्वालिटी नियन्त्रण विनियम, प्रमुख आयातक देशों में अन्न तथा प्रतिस्थानापन्न वस्तुओं के घरेलू उत्पादन में वृद्धि एवं तेल रहित खली की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट। सरकार ने निर्यात आय बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इनमें तेल रहित चावल की भूसी सहित विलायक निस्सारित खली के निर्यात पर नकद मुआवजा सहायता देना एवं प्रतियोगिता क्षमता बढ़ाने के लिए विलायक निस्सारण उद्योग को राजकोषीय प्रोत्साहन देना शामिल है।

अपरिष्कृत चीनी का आयात

194. **श्री रेणुपद दास** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपरिष्कृत चीनी का आयात परिष्कृत (तैयार) चीनी के आयात की तुलना में सस्ता है; और

(ख) यदि हां, तो विशेषकर विदेशी मुद्रा की कठिन स्थिति को देखते हुए सरकार द्वारा अपरिष्कृत चीनी के आयात का समर्थन न करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) चूंकि आयातित अपरिष्कृत चीनी को पुन: प्रोसेसिंग करके उसे परिष्कृत चीनी में बदलना अपेक्षाकृत अधिक महंगा है, इसलिए सरकार उस रूप में अपरिष्कृत चीनी का आयात करने के पक्ष में नहीं है।

बैंकूवर (कनाडा) में पंजाब के योजना मंत्री की हत्या करने का प्रयास

195. श्री पी० एम० सईद
डा० डी० एन० रेड्डी } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजनयिक स्रोतों से कनाडा में बैंकुवर में पंजाब के योजना मंत्री पर गोली चलाने के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो घटना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जिन व्यक्तियों ने मंत्री पर हमला किया था उसकी शिनाख्त हो गई है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है; और

(घ) यदि वह भारतीय हैं तो क्या कनाडा सरकार के सहयोग से उन्हें भारत भेजने की व्यवस्था की गई है।

विदेश मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर): (क) पंजाब सरकार के योजना मंत्री श्री मलकियत सिंह सिद्धू के जान से मारने का जो प्रयास बैंकुवर में किया गया था उसके बारे में कनाडा में भारत के हाई कमीशन ने सरकार को सूचित किया।

(ख) 25 मई, 1986 को श्री मलकियत सिंह सिद्धू जब अपनी पत्नी और कुछ सम्बन्धियों के साथ कार में थासिस से बेनकुअर जा रहे थे तो कुछ सिख युवकों ने उन पर हमला किया था। हमलावरों ने कार पर लाठियों से हमला किया, इसकी खिड़कियों के शीशे तोड़ डाले तथा श्री सिद्धू पर गोली चलाई जिससे उन पर दो गोलियां लगीं। श्री सिद्धू को चिकित्सा के लिए बेनकुअर द्वीपसमूह में ले जाया गया।

(ग) जी, हां।

(घ) चूंकि न्यायालय की कार्यवाहियों के दौरान यह पाया गया कि चारों हमलावर कनाडा

के ही नागरिक हैं। अत: उन्हें भारत वापस भेजने का प्रश्न ही नहीं उठता।

मद्रास में हुए हथकरघा और कपड़ा सम्बन्धी सम्मेलन की सिफारिशें

196. डा० जी० विजय रामाराव : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास में हाल ही में हुए हथकरघा और कपड़ा सम्बन्धी सम्मेलन में यह सिफारिश की गई है कि कपड़े की 22 किस्मों का उत्पादन हथकरघा क्षेत्र के लिए आरक्षित किया जाये;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है; और

(ग) क्या इस निर्णय से लाखों मजदूरों को लाभ पहुंचेगा ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत हथकरघा द्वारा उत्पादन के लिए 22 मदों का आरक्षण करते हुए 11 मार्च 1986 को पहले ही एक अधिसूचना जारी कर दी है। तथापि, अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित सलाहकार समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद नई अधिसूचना जारी की जा रही है।

(ग) जी हां।

भारतीय वस्त्रों का निर्यात

197. श्रीमती बसवराजेश्वरी : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1985 में सिले-सिलाये भारतीय वस्त्रों का निर्यात 1000 करोड़ रुपये की सीमा को छू गया है;

(ख) निर्यात की इस स्थिति को बरकरार रखने और मौजूदा क्षमता का पूरा उपयोग करने ताकि 1986 में 1200 करोड़ रुपये के निर्यात लक्ष्य को पार किया जा सके, के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ विदेशी क्रेताओं ने (एक) अन्तिम प्रेक्षण के नमूनों के अनुरूप न होने; (दो) सुपुर्दगी समय-सीमा इत्यादि के बारे में शिकायत की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इन भारी समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(ख) परिधानों के निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम संलग्न विवरण में दये गये हैं।

(ग) और (घ) सरकार निर्यातकों से क्वालिटी तथा सुपुर्दगी कार्यक्रमों को बनाये रखने की आवश्यकता के बारे में आग्रह करती रही है। जब कभी शिकायतें ध्यान में आती हैं तो मामले की जांच की जाती है और उचित कार्यवाही की जाती है।

विवरण

परिधानों के निर्यात बढ़ाने के लिए उठाए गये कदम

परिधानों के निर्यात बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय पहले ही किए जा चुके हैं :—

(1) उन आधुनिक परिधान बनाने की मशीनों के ओ०जी०एल० के अन्तर्गत आयात करने की अनुमति दी गई है, जिनका देश में निर्माण नहीं होता। परिधान विनिर्माण के लिए 114 मशीनों को ओ०जी०एल० के अन्तर्गत रखा गया है, जिनमें से 97 पर आयात-शुल्क की छूट है।

(2) नकद मुआवजा सहायता की दरों को 1-7-86 से बढ़ा दिया गया है इन दरों को 31-12-88 तक के लिए बढ़ाया गया है। कोटा के अन्तर्गत धीमी गति वाली मदों को, जो पहले सी०सी०एस० की पात्र नहीं थीं, भी पात्र बनाया गया है। गैर कोटा देशों को निर्यात के लिए सी०सी०एस० की अंकी दरों की घोषणा की गई है।

(3) सी०सी०एस० के मामले में निर्यातकों को निश्चितता प्रदान करने के उद्देश्य से सूती परिधानों को संविदा पंजीकरण योजना के अन्तर्गत लाया गया है।

(4) परिधान विनिर्माण के लिए फैशन डिजाइन के क्षेत्रों में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए दिल्ली में एक फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का निर्णय किया गया है।

(5) परिधान के लिए शुल्क वापसी दरों को बढ़ाया गया है।

(6) लदान-पूर्व ऋण के दिनों की संख्या को 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है।

(7) 1985-88 के लिए आयात-निर्यात नीति के परिशिष्ट 17 के द्वारा आयात पात्रताओं और आर०इ०पी० लाइसेंसों को उदार बनाया गया है।

(8) 1985-86 के लिए आयात-निर्यात नीति में परिशिष्ट 19 के अन्तर्गत अग्रिम लाइसेंसिंग योजना और परिशिष्ट 21 के अन्तर्गत कच्चे माल-वस्त्रों की बहुत सी मदों के आयात की

अनुमति दी गई है।

(9) विनिर्माता निर्यातकों के लिए आयात-निर्यात पास-बुक योजना भी आरम्भ की गई है।

(10) नये उत्पादकों और नए बाजारों के लिए अतिरिक्त सहायता दी जाती है।

(11) शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों और युक्त व्यापार दोनों की योजनाओं के अंतर्गत अन्य बहुत सी रियायतों के साथ-साथ पूंजी माल और कच्चे माल के उदार आयात के लिए सुविधाएं दी जाती हैं।

(12) सरकार बाजार अध्ययन, क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों, अन्तर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने जैसे संवर्धनात्मक गतिविधियों को प्रायोजित करने और उन्हें वित्त प्रदान करने के लिए उदार सहायता देती रही है।

आयात निर्यात प्रक्रिया का सरलीकरण

198. श्री राजकुमार राय
श्री लक्ष्मण मलिक } : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शीघ्र ही आयात और निर्यात की प्रक्रिया को सरल बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक कार्रवाई की जायेगी; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) सरकार ने वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल की स्थापना की है जो आयात-निर्यात प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर विचार कर रहा है। दल अभी भी आयात-निर्यात प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर रहा है और अभी उसे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। रिपोर्ट पर कार्यवाही तभी होगी जब उसे सरकार को पेश कर दिया जाएगा।

विस्कोज स्टेपल तन्तु पर सीमा-शुल्क की दर अधिक होने के कारण लघु इकाइयों का बन्द होना

199. श्री राम भगत पासवान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्कोज स्टेपल तंतु पर सीमा-शुल्क की दर अधिक होने के कारण हजारों लघु इकाइयां बन्द हो रही हैं और दूसरी ओर बड़े व्यापारिक घराने लाभान्वित हो रहे हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्या इन लघु इकाइयों को पुन: चालू करने के लिए विस्कोज स्टेपल तन्तु को तत्काल खुले लाइसेंस प्रणाली के अन्तर्गत लाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) विस्कोस स्टेपल तन्तु की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों को मद्देनजर रखते हुए विस्कोस स्टेपल तन्तु के स्वदेशी उत्पादनकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए मूल्यानुसार 60% जमा 5 रु० प्रति किलोग्राम का मौजूदा आयात शुल्क लगाया जाना आवश्यक समझा गया है। विस्कोस स्टेपल तन्तु का आयात पहले से ही निर्बाध सामान्य लाइसेंस के तहत किया जाता है बशर्ते कि इकरारनामे का रजिस्ट्रेशन कपड़ा आयुक्त के पास किया हुआ हो।

महाराष्ट्र में स्व०रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण

00. **श्री एस० जी० घोलप** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकतर राष्ट्रीयकृत बैंक स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत केवल शहरी क्षेत्रों में ही ऋण देते हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे अनुदेश जारी करने का है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को ऋण मिल सके; और

(ग) उपर्युक्त योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों मे पृथक-पृथक कितनी राशि के ऋण दिये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय वर्ष 1983-84 में शुरू की गई शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार देने की योजना से है। यह योजना 1981 की जनगणना के अनुसार दस लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों को छोड़कर, सभी क्षेत्रों में लागू की गई है और इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना को लागू करने के लिए अलग से अनुदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

(ग) वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछे गये ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती है। अलबत्ता, महाराष्ट्र राज्य में वाणिज्यिक बैंकों ने कुल मिलाकर वर्ष 1983-84, 1984 85 और 1985-86 में क्रमश: 24579, 18667 और 13848 मामलों में 40.24 करोड़ रुपये, 34.04 करोड़ रुपये और 26.31 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किए।

[हिन्दी]

पटसन उद्योग का राष्ट्रीयकरण

201. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह
श्रीमती गीता मुखर्जी
श्री वी० तुलसीराम } : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटसन उद्योग के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल के उद्योग और वाणिज्य मंत्रियों के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने उन्हें एक ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) पटसन उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने में सरकार को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(ख) 27-6-86 को प्रस्तुत किए गये ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ यह मांग की गई कि सरकार को जूट उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए, कच्चे जूट की एकाधिकार खरीद शुरू करनी चाहिए, सभी पटसन निर्यातों का मार्गीकरण करना चाहिए और उपजकर्ताओं के लिए जूट की लाभकारी कीमत सुनिश्चित करनी चाहिए।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

जूट उद्योग के आधुनिकीकरण से जूट उद्योग की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसकी बजाय सरकार जूट उद्योग की समस्याओं के विभिन्न पहलुओं में से प्रत्येक पर कार्यवाही करने के लिए विभिन्न उपाय करती रही है। किए गये उपायों में शामिल हैं :

(1) वर्तमान संघीय बजट एच०डी०पी०ई०/पीपी टेपों पर उत्पादन शुल्क लगाना तथा ग्रेनुल्स पर आयात शुल्क की मामूली सी वृद्धि।

(2) पैकेजिंग उर्वरकों आदि की बजाय और अधिक जूट बैगों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अन्य विभागों को राजी करना तथा सीमेंट उद्योग द्वारा शत-प्रतिशत नए बैगों के उपयोग को अनिवार्य करना।

(3) जूट माल के निर्यात के लिए अधिक नकद मुआवजा सहायता देना।

(4) कच्चे जूट की एक वफर भंडारण योजना शुरू करना जिससे कि मिलों को समुचित कीमतों पर जूट की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

(5) 50:50 हानि वहन आधार पर एस० टी०सी० जूट उद्योग सार्थ संघ बनाकर कालीन अस्तर कपड़े के निर्यात में मदद देने के लिए एस०टी०सी० का सहयोग लेना।

(6) आर० एण्ड डी० प्रयासों और निर्यात संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए एक नई जूट विनिर्माण विकास परिषद् गठित करना।

(7) कृषि लागत तथा कीमत आयोग (सी०सी०पी०) की सिफारिशों के आधार पर तथा उपजकर्ताओं के हित की रक्षा करने के लिए विद्यमान कीमत समर्थन कार्यवाही के अन्तर्गत कच्चे जूट की न्यूनतम कानूनी कीमत की घोषणा।

रबड़ बागानों की स्थापना

202. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रबड़ बोर्ड द्वारा किन राज्यों में रबड़ के बागान लगाने का कार्य आरम्भ किया जा रहा है;

(ख) देश में रबड़ की कितनी आवश्यकता है; और

(ग) उक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) परम्परागत रबड़ उपजकर्ता राज्यों जैसे केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में नये रोपण/पुनर्रोपण की गतिविधि जारी रखने के अलावा गैर-परम्परागत क्षेत्रों जैसे त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, गोआ, महाराष्ट्र और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में रबड़ के नये रोपण का कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

(ख) और (ग) देश में 1986-87 के दौरान रबड़ की मांग लगभग 2,54,000 मे० टन आंकी गई है। इसमें से लगभग 2,15,000 मे० टन देश में उत्पादित रबड़ के माध्यम से और शेष आयातों से पूरा होने की संभावना है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार द्वारा रक्षित विद्युत एककों को मंजूरी दिया जाना

203. **श्री ओ० एस० बसवराजू**
श्री एच० एन० नन्जे गौडा } : क्या वित्त मंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य के कई संसद सदस्यों ने केन्द्रीय सरकार पर प्रस्तावित रक्षित विद्युत एककों को शीघ्र मंजूरी दिये जाने की आवश्यकता के बारे में जोर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वित्त मंत्रालय ने अपनी मंजूरी दे दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इस मामले में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की आशा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) हमें इस विषय पर एक संसद सदस्य से पत्र प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग) बंगलौर में 120 मेगावाट गैस/डीजल विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए कर्नाटक राज्य विद्युत बोर्ड के प्रस्ताव पर, तरल ईंधन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

"पाक रेंजर्स ट्रेनिंग टेररिस्ट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

204. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 जून, 1986 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "पाक एजेंट्स ट्रेनिंग टेरेरिस्ट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां। लेकिन पाकिस्तान ने इसे मानने से इन्कार कर दिया है।

(ख) और (ग) सिख आतंकवादियों और उग्रवादियों को पाकिस्तान सहायता दे रहा है इसके बारे में प्रमाण विभिन्न अवसरों पर मौखिक तथा लिखित रूप में पाकिस्तान की सरकार को दिये गए हैं। सरकार उन सभी घटनाओं पर बराबर निगाह रखती है जिनका देश की अखंडता और सुरक्षा से सम्बन्ध हो।

भारतीय संयुक्त उद्यमों द्वारा उठाया गया घाटा

205. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश में स्थित भारतीय संयुक्त उद्यमों के कार्य निष्पादन जिसमें उनका संचालन, रुग्णता और जो बन्द हो गई हैं शामिल है के सम्बन्ध में अब तक इकाई-वार कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कार्यरत इकाइयों के कार्यकरण को सुधारू बनाने के लिए उन्हें क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने संयुक्त उद्यमों को बन्द किया गया है और प्रत्येक मामले में देश को विदेशी मुद्रा सहित कितना घाटा हुआ है; और

(घ) यदि उपर्युक्त (क) का उत्तर नहीं में है, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी हां।

(ख) जहां कहीं भी कमियां देखी गई, वे उपचारात्मक उपायों के लिए भारतीय संवर्धकों को बता दी गई हैं।

(ग) विवरण संलग्न है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1983-84 से 1985-86 के दौरान बन्द हुए संयुक्त उद्यम
(भारतीय संवर्धकों द्वारा सप्लाई की गई सूचना के आधार पर)

(टिप्पणी : इस सूची में ऐसे संयुक्त उद्यम भी शामिल हैं जिनमें भारतीय संवर्धकों ने अपने शेयरों को बेच दिया है लेकिन संयुक्त उद्यम अन्यथा एक स्थानीय कम्पनी के रूप में व्यवसाय के रूप में हो सकते हैं)।

आय				हानियां			
क्रमांक	संयुक्त उद्यम का नाम	देश	राशि	क्रमांक	संयुक्त उद्यम का नाम	देश	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	त्रिवेन्दिया इन्क०	सं०रा०अमरीका	7.08 लाख अमरीकी डालर (85 लाख रु०)	1.	मैं० सायरीकल गुला	मलेशिया	39.90 लाख मलेशियाई डालर (199.5 लाख रु०)
2.	मैं०गेलोर्ड रेस्टोरेन्ट्स (मिडलेन्ड्स) लि०नार्थपटम	ब्रिटिश	1047 ब्रिटिश पौण्ड (15705रु०)	2.	मैं० इंडिया मलेशिया बेहजद।	मलेशिया	30.60 लाख मलेशियाई डालर (147 लाख रु०)
3.	जनरल पैकेजिंग इंडस्ट्रीज	बोतस्वाना	(10.28लाख रु०)	3.	निचे इम्पोर्ट्स इन्क०	सं०रा०अमरीका	25,000 हजार अमरीकी डालर (2.11 लाख रु०
4.	गरवेयर ग्रेस सिंगापुर	सिंगापुर	(667लाख रु०)				
5.	एमबी मोहन एक्सपोर्ट्स	बंगलादेश	11लाख टका (50,000रु०)	4.	प्रेसिसन बेवको इंक०	सं०रा०अमरीका	78,000 हजार अमरीकी डालर (9.38 लाख रु०)

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	पी०टी०कमलटेक्स, जकार्ता	इंडोनेशिया	111.96लाख रु०	5.	रेमण्ड मौरिशस लि०,	मारीशस	13.00 लाख रु०
				6.	मिडल ईस्ट स्टील रोलिंग मिल्स (प्रा०) लि०	यू०ए०ई०	19.00 लाख रु०
				7.	लारसन एण्ड टुबरो प्रा०लि०	सिंगापुर	106 लाख रु०
				8.	किर्लोस्कर इन्डस्ट्रीज फिलीपिंस	फिलीपिंस	पेसो 5.60 लाख 7.61 लाख रु०
				9.	पी०टी०एलायड पेसिफिक डाई० केमी०इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	28.000 इंडोनेशियाई डालर 3.36 लाख रु०
				10.	गेलोर्ड (इण्डिया) रेस्टोरेन्ट न्यूयार्क।	सं०रा०अमरीका	5000 अमरीकी डालर (60,000 रु०)

मसालों के लिए दीर्घावधि समर्थन मूल्य नीति

206. **श्री के०कुन्जम्बु** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में प्रमुख मसालों के लिए दीर्घावधि समर्थन मूल्य नीति तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दक्षिणी राज्यों का दौरा करने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण

207. **श्री वी०एस०कृष्ण अय्यर** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान कितने विदेशी पर्यटकों ने देश का दौरा किया;

(ख) दक्षिण भारत का दौरा करने वाले विदेशी पर्यटकों की प्रतिशतता क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि दक्षिण भारत में आकर्षक पर्यटक स्थलों के बारे में देश-विदेश में पर्याप्त प्रचार न होने के कारण बहुत कम विदेशी पर्यटकों ने दक्षिण का दौरा किया है; और

(घ) यदि हां, तो देश का दौरा करने वाले सभी विदेशी पर्यटकों को दक्षिणी राज्यों की ओर आकर्षित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन मन्त्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) 1985-86 के दौरान भारत की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 875,575 थी, इनमें पाकिस्तान और बंगलादेश के राष्ट्रिक शामिल हैं।

(ख) और (ग) विदेशी पर्यटक सर्वेक्षण 1982-83 के अनुसार भारत की यात्रा करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों में से लगभग 28.7 प्रतिशत पर्यटकों ने कम से कम एक रात, दक्षिणी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों, जिनमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल तमिलनाडु और पांडिचेरी शामिल हैं, में बिताई।

(घ) केन्द्रीय सरकार के प्रचार और संवर्धनात्मक अभियानों में दक्षिण भारत स्थित पर्यटक अभिरुचि के स्थानों को पर्याप्त महत्व दिया जा रहा है।

शहरी क्षेत्रों में कमजोर वर्गों को ऋण

208. **श्री सुभाष यादव**
श्री धर्मपाल सिंह मलिक } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी निर्धनता का मुकाबला करने के लिए और शहरी क्षेत्रों में कमजोर वर्गों को बैंक ऋण प्रदान करने के लिए तथा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए और अधिक योजनाएं शुरू करने के लिए सरकार का कोई व्यापक योजना शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की विस्तृत रूपरेखा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि निर्धारित की गई है; और

(घ) इस योजना के कब तक शुरू किए जाने की सम्भावना है तथा इसके वित्तीय पहलू क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) महानगरीय/शहरी/अर्ध शहरी क्षेत्रों के शहरी गरीबों को स्व-रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार का एक नई योजना शुरू करने का विचार है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब वर्गों के लिए किसी नई योजना के शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इस समय देश में गरीबी हटाने के कई कार्यक्रम पहले ही चलाए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) शहरी गरीबों के लिए नई योजना का पूरा ब्यौरा तैयार किया जा रहा है और यह योजना जल्दी ही शुरू कर दी जाएगी।

इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तस्करों का पकड़ा जाना

209. श्रीमती प्रभावती गुप्त : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उसके चालू होने से अब तक सोने, हेरोइन आदि के साथ कितने तस्कर पकड़े गए हैं;

(ख) उनसे तस्करी का कितना और कितनी कीमत का माल बरामद हुआ है; और

(ग) हवाई अड्डों पर तस्करी रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) इन्दिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल-2 को दिनांक 1 मई, 1986 से चालू कर दिया गया था। मई और जून 1986 को अवधि के दौरान, हवाई अड्डे पर 52 व्यक्तियों को 78.844 किलोग्राम सोने और 1.7 करोड़ रुपये मूल्य के अन्य निषिद्ध माल की तस्करी के सिलसिले में पकड़ा गया था (इसमें गिरफ्तार किए गए 33 व्यक्ति भी शामिल हैं)।

(ग) हवाई अड्डों पर तस्करी-विरोधी अभियान को तेज कर दिया गया है। प्रत्येक शिफ्ट में, हवाई आसूचना अधिकारियों के एक अलग दस्ते की तैनाती की जाती है ताकि वे यात्रियों के आने जाने पर और उनके असबाबों के लाने ले जाने पर सावधानीपूर्वक निगरानी रख सकें। इसके अलावा

धातु-खोजी, एक्स-रे असबाब स्कैनर्स आदि जैसे तस्करी-रोधी उपकरणों का इस्तेमाल भी शरीर/असबाब में छिपाए गए निषिद्ध माल का पता लगाने के लिए किया जाता है।

मुखबिरों और सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में पुरस्कारों की योजना को भी उदार बना दिया गया है।

इसके अलावा, हवाई अड्डों पर तस्करी की प्रवृत्तियों और किए गए अभिग्रहणों की सतत समीक्षा की जाती रहती है ताकि यथापेक्षित उपचारी कार्रवाई की जा सके।

जो व्यक्ति तस्करी की गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं उनके खिलाफ विभागीय तौर पर और न्यायालयों में अभियोजन के जरिए सख्त कार्रवाई की जाती है। अन्तर्ग्रस्त माल जब्ती की और वैयक्तिक अर्थदण्ड लगाने के अलावा, समुचित मामलों में विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम के तहत निवारक नजरबन्दी का सहारा भी लिया जाता है।

कपास की एकाधिकार खरीद योजना का विस्तार

210. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कपास के सम्बन्ध में एकाधिकार खरीद योजना को 10 वर्ष तक बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से समर्थन मूल्य पर एक तिहाई कपास भंडार की खरीद के लिए अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस पर केन्द्रीय सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है और इस मामले में कब तक अंतिम निर्णय लिया जाना है।

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(ख) मामला सरकार के विचाराधीन है।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) मामला सरकार के विचाराधीन है।

विभिन्न देशों के साथ व्यापार की प्रवृत्ति

211. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1985-86 के दौरान आयात में कुल कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) उन देशों और वस्तुओं के नाम क्या हैं जिनके निर्यात मे वर्ष 1985-86 के दौरान औसत से अधिक गिरावट आई है; और

(ग) उन देशों तथा वस्तुओं के नाम क्या हैं जिनके आयात में औसत से कम वृद्धि हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) उपलब्ध अद्यतन अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-दिसम्बर, 1985 के दौरान भारत के 13,886.57 करोड़ रुपये के स्तर के आयात गत वर्ष की तत्संबंधी अवधि में हुए 11,746.14 करोड़ रुपये के आयातों की तुलना में 18.0% अधिक थे।

(ख) उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार भारत के समग्र निर्यातों में अप्रैल-दिसम्बर, 1985 के दौरान गत वर्ष की तत्संबंधी अवधि की तुलना में 6% की गिरावट आई। जिन प्रमुख देशों के संबंध में अप्रैल-दिसम्बर, 1985 के दौरान भारत से होने वाले निर्यात में 6 प्रतिशत अधिक कमी आई उनमें शामिल हैं, ब्रिटेन, सऊदी अरब, फ्रांस, सिंगापुर, नीदरलैंड, नेपाल, आस्ट्रेलिया, ईरान, श्रीलंका और कोरिया गणराज्य। जिन प्रमुख मदों के निर्यातों में अप्रैल-दिसम्बर, 1985 के दौरान 6% से अधिक गिरावट आई उनमें शामिल हैं, कच्चा तेल, चाय व मेट, सूती वस्त्र, रसायन व सम्बद्ध उत्पाद, धातु उत्पाद (लोहा तथा इस्पात को छोड़कर), विनिर्मित तम्बाकू और रद्दी तम्बाकू, खली, लोहा तथा इस्पात (उत्पाद सहित), रेशमी वस्त्र और फुटवियर।

(ग) जिन प्रमुख देशों के संबंध में अप्रैल-दिसम्बर, 1985 के दौरान भारत के आयातों में 18% से कम की वृद्धि हुई उनमें शामिल हैं, सोवियत संघ, जर्मन संघीय गणराज्य, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, ब्राजील, स्वीडन, युगोस्लाविया और न्यूजीलैंड। जिन प्रमुख मदों के भारतीय आयात में अप्रैल-दिसम्बर, 1985 के दौरान 18% से कम की वृद्धि हुई है उनमें शामिल हैं, पी० ओ० एल०, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, अलौह धातुएं, कागज, पेपर बोर्ड तथा उससे बने उत्पाद, औषधीय व भेषजीय उत्पाद, कच्चा रबड़ (सिंथेटिक व रिकलेम्ड सहित) तथा गैर-धात्विक खनिज व उनसे बने उत्पाद (मोती आदि को छोड़कर)।

दिल्ली में स्टेट बैंक आफ मैसूर की शाखा में डकैती

212. मोहम्मद महफूज अली खां
श्री अमर सिंह राठवा
श्री काली प्रसाद पांडेय
} : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में मई, 1986 के अन्तिम सप्ताह में हुई सबसे बड़ी बैंक डकैती में स्टेट बैंक आफ मैसूर से 10 लाख रुपये से भी ज्यादा की रकम लूटी गई और लुटेरों ने बैंक के दो चौकीदारों को मार डाला था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अभी तक कोई गिरफ्तारी की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) बैंक डकैती में मारे गए चौकीदारों के परिवारों को कितनी राशि का मुआवजा दिया गया है; यदि दिया गया है तो कितना;

(ङ) क्या सरकार ने बैंक डकैतियों को रोकने के लिए बैंकों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के संबंध में अभी तक किए गए उपायों की कोई आलोचनात्मक समीक्षा की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) स्टेट बैंक आफ मैसूर ने सूचित किया है कि उसकी नई दिल्ली स्थित कनाट प्लेस शाखा में दिनांक 27 मई, 1986 को डकैती हुई थी जिसमें दो चौकीदार मारे गए थे। लूटी गई नकदी कीमती सामान का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(क) नकदी		9,64,451.23 रुपये
(ख) विदेशी मुद्रा		52,039.70 रुपये
(ग) स्वर्ण आभूषण	लगभग	84,167.30 रुपये

(ग) स्टेट बैंक आफ मैसूर ने सूचित किया है कि पुलिस द्वारा अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है।

(घ) बैंक ने सूचित किया है कि चौकीदारों के परिवारों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।

(ङ) और (च) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अपनाए जा रहे सुरक्षा उपायों की समय-समय पर बारीकी से समीक्षा की जाती है और जहां कहीं सुधार की आवश्यकता महसूस की जाती है वहां बैंकों को उचित मार्गनिर्देश/निर्देश जारी किए जाते हैं।

काले धन को निकालने के लिए छापे

213. श्री ए० चार्ल्स
श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई
मावजि } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, मई और जून, 1986 में काले धन को निकलवाने के लिए बड़े व्यवसायिक घरानों और अधिकारियों पर अलग-अलग मारे गये छापों की संख्या कितनी है;

(ख) इन छापों के परिणामस्वरूप उपर्युक्त दो श्रेणियों के व्यक्तियों द्वारा कितनी राशि का कर-अपवंचन किया गया है;

(ग) प्रत्येक व्यक्ति से प्राप्त किए गए गैर-कानूनी दस्तावेज, चांदी, सोना, नकदी बैंक जमा आदि कितनी है; और

(घ) कर-अपवंचकों के विरुद्ध चलाये गये मुकदमों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है जिसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

सिगरेटों पर उत्पाद शुल्क

214. श्री एच० एम० पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिगरेटों पर मूल्यानुसार उत्पाद शुल्क लगाने के संबंध में सरकार के विचार का समर्थन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सिगरेट कम्पनियों से आस्थगित उत्पाद-शुल्क की वसूली के लिए कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो न्यायालय द्वारा फैसला किये जाने की तारीख से अब तक कितनी राशि वसूल की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) दिनांक 1 मई, 1986 को पारित किए गए अपने आदेश के द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार की इस धारणा का समर्थन किया है कि निर्धारित मूल्य का पता लगाए जाने के प्रयोजनार्थ प्रभावी दर पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क्य जिन्सों के शुल्क सहित मूल्य से घटा दिया जाना चाहिए, जबकि सिगरेट कम्पनियां यह मांग कर रही थी कि इस प्रयोजनार्थ टैरिफ दर पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की छूट दिए जाने की अनुमति दे दी जानी चाहिए थी।

(ख) जी, हां।

(ग) दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के बाद सम्बन्धित सिगरेट कम्पनियों से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की बकाया राशि के रूप में अब तक 73.49 करोड़ रुपये वसूल किए जा चुके हैं।

पर्यटन मन्त्री सलाहकार बोर्ड

215. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन और स्वदेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन सलाहकार बोर्ड द्वारा दिए गए सुझावों का ब्योरा क्या है; और

(ख) विदेशी पर्यटकों को भारत में आकर्षित करने और इस उद्योग को विकसित करने के लिए क्या अन्य उपाय किए जा रहे हैं ?

पर्यटन मन्त्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) पर्यटन सलाहकार बोर्ड की फरवरी, 1984 में आयोजित बैठक में अन्तर्राष्ट्रीय तथा स्वदेशी पर्यटन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित उपायों का सुझाव दिया गया था :

(i) चार्टर उड़ानें शुरू करना, (ii) स्टाप ओवर ट्रैफिक, (iii) सावकास तथा समुद्र तट यातायात को आकर्षित करने के उपाय और (iv) हवाई अड्डे पर तेजी से निकासी।

(ख) विदेशी पर्यटकों को भारत की ओर आकर्षित करने के लिए किए गए कुछ ठोस उपाय इस प्रकार हैं :—

(i) भारत को न केवल एक सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करना बल्कि इसे स्मारकों, समुद्रतटों, वन्य जीवों, पैदल भ्रमण तथा पर्वतारोहण, रिवर रेफ्टिंग और अन्य प्रकार के साहसिक पर्यटन सहित अवकाश तथा सावकाश पर्यटन के एक देश के रूप में प्रस्तुत करना।

(ii) भारत का सम्मेलन, सामगम और प्रदर्शनियां आयोजित करने के एक स्थान के रूप में जोरदार संवर्धन किया जा रहा है।

(iii) प्रिंट मिडिया में विज्ञापन के अलावा इलेक्ट्रानिक मिडिया का भी उपयोग किया जा रहा है।

(iv) यात्रा व्यवसाय पत्रिका के साथ-साथ, सामान्य प्रकाशनों, दूरदर्शन, रेडियो, आदि के जरिए "हार्ड सैल" विज्ञापन किया जा रहा है।

(v) अंग्रेजी तथा सभी प्रमुख विदेशी भाषाओं में आकर्षक साहित्य, फिल्मों, श्रव्य-दृश्यों

आदि का निर्माण किया जा रहा है जिनमें भारत को एक अवकाश विहार-स्थल के रूप में प्रतिबिम्बित किया गया है।

(vi) विदेशी यात्रा अभिकर्ताओं तथा यात्रा प्रचालकों को हमारे विदेश स्थित कार्यालयों द्वारा भारत यात्राओं का प्रचार करने के लिए साहित्य का निर्माण कराने के वास्ते वित्तीय सहायता दी जाती है।

(vii) भारत विदेशों में विभिन्न यात्रा मेलों, प्रदर्शनियों, आदि में भाग लेता है जिनके लिए पर्यटन विभाग अधिकतम कवरेज प्राप्त करने के लिए एयरइंडिया, भारत पर्यटन विकास निगम, इंडियन एयरलाइंस और भारतीय यात्रा व्यवसाय के साथ संयुक्त रूप से कार्य करता है।

(viii) यू० एस० ए० में हाल ही में सम्पन्न "भारत महोत्सवों" का लाभ उठाने के लिए एक अभियान प्रारम्भ किया गया है।

(ix) भारत का विदेशी यात्रा व्यवसाय सर्किल में संवर्धन करने के लिए भारत तथा विदेशों में उच्च स्तरीय संवर्धनात्मक सेमिनारों का आयोजन किया जा रहा है।

(x) विभाग का आतिथ्य अधिकाधिक मीडिया व्यक्तियों और यात्रा अभिकर्ताओं तथा यात्रा प्रचालकों तक विस्तारित किया जा रहा है।

(xi) इंडिया आन दी हाउस जैसी नई स्कीमें प्रारम्भ की गई हैं।

[हिन्दी]

शीरे की तस्करी

216. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में भारी पैमाने पर शीरे की तस्करी हो रही है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में इस प्रकार की तस्करी के आरोप में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है; और

(ग) इस तस्करी पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार को प्राप्त हुई रिपोर्टों और किए गए अभिगृहणों से यह पता नहीं चलता है कि शीरे की देश में/देश से बाहर तस्करी की जा रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

रामनगर, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कपड़ा निगम का शो-रूम खोलने के लिए अभ्यावेदन

217. **श्री हरीश रावत** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामनगर, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कपड़ा निगम का एक शो-रूम खोलने के लिए लोक प्रतिनिधियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) शो-रूम खोलने के सम्बन्ध में विचार मांग का मूल्यांकन करने व गत वर्ष खोले गए दो शो-रूमों के निष्पादन की समीक्षा करने के बाद ही किया जाएगा। तथापि, इस समय, उत्तर प्रदेश में 1986-87 के दौरान कोई शो-रूम खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

जापान को समुद्री उत्पादों का निर्यात

218. **श्री आर० एस० माने** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष के दौरान जापान को किये गये समुद्री उत्पादों के निर्यात की वास्तविक मात्रा में कमी हुई है;

(ख) क्या झींगा मछली (श्रिम्प) पकड़ने में हुई कमी के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया जा रहा है; और

(ग) मत्स्य उद्योग की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार 1985-86 के दौरान जापान को निर्यात किए गए समुद्री उत्पादों की मात्रा में मामूली सी गिरावट आई है जो कि 40,327 मे० टन के हुए जबकि 1984-85 में ये

41.536 मे० टन के हुए थे।

(स्रोत: समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोचीन)

(ख) कृषि मन्त्रालय ने, जो कि उत्पादन के पहलुओं से संबंधित है, श्रिम्प पकड़ने में कमी के कारणों का पता लगाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

(ग) समुद्री उत्पाद निर्यात उद्योग की सहायता के लिए उठाये गये कुछ कदमों में शामिल हैं (1) उद्योग के आधुनिकीकरण और आई० क्यू० एफ० श्रिम्पों जैसी मूल्यवर्धित मदों के उत्पादन जैसी अनेक योजनाओं के लिए सहायता अनुदान देना और (2) चुनिन्दा समुद्री उत्पादों के निर्यात पर नकद मुआवजा सहायता देना।

गुजरात में राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा कपड़ा मिलों का अधिग्रहण

219. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1986 में कुछ कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है अथवा गुजरात सरकार या गुजरात राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा उन्हें अधिगृहीत कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या कारण है;

(ग) गुजरात में कितनी कपड़ा मिलें अब भी बन्द पड़ी हैं;

(घ) उन्हें फिर से चालू करने अथवा उनका राष्ट्रीयकरण करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं;

(ङ) क्या इस सम्बन्ध में गुजरात के विभिन्न संगठनों द्वारा कुछ मांगें की गई हैं तथा केन्द्रीय सरकार को गुजरात सरकार और मिल कर्मचारियों के विभिन्न मजदूर संघों से ज्ञापन, प्रस्ताव और पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) गुजरात राज्य सरकार ने गुजरात राज्य में चार रुग्ण वस्त्र मिलों का राष्ट्रीयकरण किया है। अध्यादेश 30 जून, 1986 को जारी किया गया था। ये मिल हैं : प्रिय लक्ष्मी मिल, बड़ौदा, शुभ लक्ष्मी मिल, काम्बे, कांति काटन मिल, सुरेन्द्रनगर और न्यू जहांगीर वकील मिल, भावनगर। राष्ट्रीयकरण रुग्ण उपक्रमों में सतत उत्पादन तथा रोजगार बनाये रखने के उद्देश्यों से किया गया है।

(ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार 30-6-1986 को गुजरात में 16 वस्त्र मिलें बन्द पड़ी थीं।

(घ) जून, 1985 की नई वस्त्र नीति में इस बात की व्यवस्था है कि जहां किसी एकक की न्यायोचित समयावधि में अर्थक्षम बनने की सम्भावना न हो वहां उसे बन्द करने के सिवाय और कोई विकल्प न होगा बशर्ते कि श्रमिकों के हितों की रक्षा हो। ऐसे रुग्ण एककों का सरकार द्वारा अधिग्रहण करना अथवा उनका राष्ट्रीयकरण करना रुग्णता की समस्याओं का समाधान करना नहीं है तथा सरकार सामान्यतया ऐसे मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। नई वस्त्र नीति में की गई व्यवस्था के अनुसार एक नोडीय अभिकरण स्थापित किया गया है जोकि सम्भाव्य तौर पर अर्थक्षम पाए जाने वाले वस्त्र एककों के सम्बन्ध में पुनर्वास पैकेज तैयार करेगा तथा उनका प्रबन्ध करेगा।

(ङ) जी, हां।

(च) रुग्ण मिलों के राष्ट्रीयकरण/अधिग्रहण के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए।

ब्रिटेन के साथ प्रत्यर्पण संधि

220. डा० डी० एन० रेड्डी
श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति
श्री काली प्रसाद पांडेय } : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रेट ब्रिटेन के साथ संधि करने में कोई प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) भारत और यू० के० के बीच प्रत्यर्पण व्यवस्था पर जनवरी, 1986 में दोनों देशों के विधि विशेषज्ञों के मध्य नई दिल्ली में विस्तार से चर्चा हुई थी। उस समय भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने ब्रिटिश प्रतिनिधि मण्डल को दोनों देशों के बीच व्यापक प्रत्यर्पण संधि का एक मसौदा दिया था।

ब्रिटिश सरकार ने इस सम्बन्ध में एक बार फिर बातचीत करने की इच्छा व्यक्त की है।

राजेन्द्र सिंह सेठिया के मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच

221. श्री विजय कुमार मिश्र : क्या वित्त श्री राजेन्द्र सेठिया द्वारा की गई धोखाधड़ी की जांच-पड़ताल के बारे में 9 अगस्त, 198 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2829 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, लंदन के अधिकारियों के विरुद्ध अदालत में लम्बित पड़े मामले पूरे कर लिए गए हैं;

(ख) क्या राजेन्द्र सेठिया की धोखाधड़ी में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच-पड़ताल पूरी हो चुकी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या अदालत ने श्री सेठिया को दोषी ठहराया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सेंट्रल बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि नवम्बर, 1984 में लंदन पुलिस के पास की गई आपराधिक शिकायत के सम्बन्ध में अभी जांच चल रही है तथा सम्बन्धित कर्मचारियों पर अभी मुकदमा चलाया जाना है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचित किया है कि श्री राजेन्द्र सेठिया और पंजाब नेशनल बैंक, लंदन के तत्कालीन महाप्रबन्धक श्री अमरजीत सिंह द्वारा दिसम्बर 1983 में पंजाब नेशनल बैंक, लंदन के खिलाफ षड़यन्त्र और धोखाधडी के आरोप की जांच का काम मई, 1985 में पूरा हो गया था और इस समय यह मामला दिल्ली की अदालत में लंबित है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने आगे चलकर यह भी बताया है कि श्री राजेन्द्र सिंह सेठिया के खिलाफ राजकुमार डूंगर (जिसका कोई अस्तित्व नही) के रूप में प्रतिरूपण तथा क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, कलकत्ता को धोखा देने और राजकुमार डूंगर के कल्पित नाम से पासपोर्ट प्राप्त करने के आरोप की जांच का काम अप्रैल, 1985 तक पूरा हो गया था। यह मामला भी कलकत्ता की अदालत में लम्बित है।

खनिज एवं धातु व्यापार निगम द्वारा विदेशी सहयोग से पारादीप पत्तन का विकास

222. श्री थम्पन थामस : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज एवं धातु व्यापार निगम ने पारादीप बंदरगाह का विकास करने के लिए दक्षिण कोरिया के ह्यून्डे निगम के साथ कोई करार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस करार की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि ह्यून्डे निगम द्वारा कुछ अतिरिक्त मांग किए जाने के कारण पारादीप पत्तन के विकास का कार्य रुक गया है; और

(घ) यदि हां, तो पारादीप पत्तन के विकास कार्य को निरन्तर बनाये रखने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) दक्षिण कोरिया की मैसर्स ह्यून्डे निगम ने खनिज एवं धातु व्यापार निगम

को पारादीप पत्तन को गहरा करने में सहायता देने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। मैसर्स ह्यून्दे निगम ने खनिज व व्यापार निगम से कोई अतिरिक्त मांगें नहीं की हैं।

पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा भारतीय मानक संस्थान के चिन्हित सामान की खरीद तथा इसका लघु उद्योगों पर प्रभाव

2 3. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्ति और निपटान महानिदेशालय को केवल भारतीय मानक संस्थान के चिन्हित सामान की ही खरीद करने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसका लघु उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां। जहां भी ऐसे सामान का प्रस्ताव आता है। यदि भारतीय मानक संस्थान का चिन्हित सामान उपलब्ध न हो तो वहां भारतीय मानक संस्थान की विशिष्टियों का सख्ती से अनुपालन करना आवश्यक होता है।

(ख) ऐसा इसलिए किया जाता है, ताकि विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान, निर्माण सम्बन्धी क्वालिटी, और प्रयोक्ता विभागों को क्वालिटी-उत्पाद की सप्लाई का सुनिश्चय किया जा सके।

(ग) इसका लघु उद्योगों पर पड़ने वाले प्रभाव को सही रूप में जानना अभी सम्भव नहीं होगा। तथापि, लघु उद्योग यूनिट, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय को भारतीय मानक संस्थान की विशिष्टियों के अनुसार सामान की सप्लाई करते रहे हैं, अतः उन्हें अपने सामान के लिए भारतीय मानक संस्थान से लाइसेंस प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इन यूनिटों के भिन्न-भिन्न स्थानों पर स्थित होने के कारण इन्हें शीघ्र उत्तर भेजने में भारतीय मानक संस्थान को कुछ कठिनाइयां हो सकती है।

सिख तीर्थ यात्रियों के लिए पाकिस्तान द्वारा बनाये गये नियम

224. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान में सिखों के तीर्थ स्थलों की सिख तीर्थ यात्रियों द्वारा यात्रा के सम्बन्ध में नये नियम बनाये हैं तथा भारतीय अधिकारियों को वीसा देना बन्द कर दिया है ?

विदेश मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : जी हां, पाकिस्तान सरकार अब सिख तीर्थयात्रियों के साथ भारत से सम्पर्क-अधिकारियों को पाकिस्तान आने की अनुमति नहीं दे रही है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की किस्त

225. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की कितनी किस्तों का भुगतान किया जाना है;

(ख) महंगाई भत्ते की ये किस्तें किस तारीख से देय हो गई हैं; और

(ग) महंगाई भत्ते की प्रत्येक किस्त के भुगतान से कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा ?

व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढवी) : (क) से (ग) वेतन आयोग ने महंगाई भत्ते की अदायगी के बारे में कुछ सिफारिशें की हैं, जिन पर विचार किया जा रहा है। वेतन आयोग की सिफारिशों पर लिए जाने वाले निर्णय को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय किस्तों पर विचार किया जाएगा।

महाराष्ट्र कपास निगम से कपास की खरीद

226. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कपास निगम द्वारा महाराष्ट्र कपास निगम से कपास की खरीद किये जाने के बारे में महाराष्ट्र सरकार से कोई निवेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अद्यतन स्थिति सहित सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) भारत सरकार को महाराष्ट्र सरकार से भारतीय रुई निगम द्वारा महाराष्ट्र राज्य सहकारी रुई उत्पादक संघ से रुई की 10 लाख गांठों की खरीद के सम्बन्ध में अनुरोध प्राप्त हुआ है। अनुरोध सरकार के विचाराधीन है।

भारतीय चाय का पश्चिम जर्मनी, ब्रिटेन और आयरलैंड में संवर्धन

227. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चाय शिष्ट मंडल ने भारतीय चाय के क्रेताओं को पुनः प्राप्त करने के लिए पश्चिम जर्मनी, ब्रिटेन और आयरलैंड का हाल ही में दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो शिष्टमंडल के सदस्यों के नाम क्या हैं और दौरे पर कितना धन व्यय किया गया; और

(ग) दौरे का क्या परिणाम निकला तथा इस वर्ष भारतीय चाय के निर्यात की कितनी सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) चाय बोर्ड के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल ने, जिसमें भारतीय चाय एसोसिएशन और दार्जिलिंग प्लांटर्स एसोसिएशन के सदस्य शामिल थे हाल ही में ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी और आयरलैंड का इस उद्देश्य से दौरा किया कि इन देशों में चाय व्यापारियों से भेंट की जाए और दार्जिलिंग चाय के लिए नया लोगो भी आरम्भ किया जाये ताकि दार्जिलिंग चाय के ब्राण्ड के दुरुपयोग को कम किया जा सके। चाय बोर्ड के अध्यक्ष के सम्बन्ध में दौरे का खर्च चाय बोर्ड द्वारा वहन किया गया और प्रतिनिधि मण्डल के अन्य सदस्यों के सम्बन्ध में खर्च को उनके अपने-अपने संगठनों ने वहन किया।

दौरे के परिणाम स्वरूप आमतौर पर यह अनुभव किया जाता है कि इन देशों को भारतीय चाय के निर्यातों के लिए अनुकूल वातावरण बना है।

राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा पश्चिम बंगाल के जिलों का विशेष अध्ययन

228. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा राज्य सरकार तथा वाणिज्यिक बैंकों के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल के कुछ प्रतिनिधि जिलों का विशेष अध्ययन कराने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह अध्ययन कब तक किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल राज्य की राज्य स्तरीय बैंकर समिति ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के एक प्रतिनिधि के संयोजकत्व में कुछ चुने हुए वाणिज्यिक बैंकों के प्रतिनिधियों और राज्य सरकार के प्रतिनिधि के साथ मिलकर एक कार्यकारी दल का गठन किया है जो राज्य के कृषि मौसम सम्बन्धी अंचलों को ध्यान में रखते हुए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेष योजनाओं का पता लगाएगा और उन्हें तैयार करेगा। कार्यकारी दल को सौंपे गए काम को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

जम्मू तथा कश्मीर राज्य में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

229. **श्री पी० नामग्याल** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू तथा काश्मीर राज्य के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या मुख्य कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है;

(ख) क्या यह सच है कि काश्मीर घाटी की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए हवाई और सड़क परिवहन किराये में रियायत देने की घोषणा की गई है;

(ग) यदि हां, तो कितनी रियायतें दी गई हैं;

(घ) लद्दाख जाने वाले पर्यटकों को इस प्रकार की किराया रियायतें न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार लद्दाख वाले पर्यटकों को भी इस प्रकार की रियायत देगी ?

पर्यटन मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) से (ङ) जम्मू और कश्मीर राज्य की तरफ पर्यटक यातायात का संवर्धन करने के लिए सरकार ने जो विशेष उपाय किए हैं वे सम्पूर्ण राज्य के लिए हैं जिनमें कश्मीर घाटी, जम्मू क्षेत्र और लद्दाख शामिल हैं। इन उपायों के अलावा इनमें रेलवे और इंडियन एयरलाइन्स की रियायतें, समाचार-पत्रों में पुनराश्वासन अभियान, दूरदर्शन के माध्यम से प्रचार तथा महत्वपूर्ण शहरों में कश्मीरी त्यौहारों का आयोजन करना शामिल हैं।

रेलवे ने वापसी यात्रा करने पर द्वितीय श्रेणी में 25%, प्रथम श्रेणी एवं वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 15% तथा वातानुकूलित पर 10% की रियायतें प्रदान की हैं। इंडियन एयर लाइन्स ने श्रीनगर की वापसी यात्रा करने पर मूल किराए में 30% की रियायत दी है। लद्दाख की यात्रा करने वाले पर्यटकों का प्रबन्ध करने के लिए इंडियन एयर लाइन्स ने मौसम के दौरान भीड़ को निपटाने के लिए अतिरिक्त सीटें प्रदान करने हेतु विशेष सेवाएं चलाई थीं। इंडियन एयर लाइन्स ने श्रीनगर के लिए रियायत दी है क्योंकि कश्मीर घाटी और लद्दाख दोनों ही गंतव्यों के पर्यटक यातायात के लिए यह एक विसर्जन स्थल हैं।

श्रीलंका को पाकिस्तानी हथियार

230. श्री वी० तुलसीराम
श्री वक्कम पुरुषोत्तमन } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान श्रीलंका को तमिलों के विरुद्ध प्रयोग में लाए जाने वाले हथियार सप्लाई कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने यह मामला पाकिस्तान और श्रीलंका सरकार के साथ उठाया है;

(ग) क्या श्रीलंका को पाकिस्तान द्वारा सप्लाई किए गए हथियार पाकिस्तान में बने हुए हैं

अथवा उनका अन्य देशों से आयात किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) पाकिस्तान ने श्रीलंका को छोटे हथियार, परिवहन तथा संचार के उपकरण सप्लाई किए हैं। इन चीजों के बारे में यह ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता कि कौन-सी चीज़ किस देश की बनी हुई है। बताया जाता है कि पाकिस्तान ने जो हथियार और उपकरण दिए हैं उनमें से कुछ तो पाकिस्तान में ही बने हैं जबकि कुछ दूसरी चीजें पाकिस्तान ने अन्य देशों से लेकर भी श्रीलंका को दी हैं।

[हिन्दी]

उत्पाद शुल्क की बकाया राशि

231. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1985-86 के अन्त में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की कितनी राशि की वसूली नहीं हो सकी;

(ख) इस राशि की वसूली न हो पाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में, कोई कानून बनाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की पुष्टिकृत मांगों के आधार पर दिनांक 31 मार्च, 1986 की स्थिति के अनुसार लगभग 630.82 करोड रुपये की राशि वसूल की जानी थी। इनमें से कई मांगें, न्यायालयों तथा स्थायित्व न्याय प्राधिकरणों द्वारा पारित किए गए स्थगन आदेशों के कारण बकाया पड़ी हुई थी।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की बकाया राशियों की वसूली, एक सतत् जारी रहने वाला कार्य है तथा बकाया राशियों की वसूली के प्रयोजनार्थ समय-समय पर आवश्यक समझे गए प्रशासनिक, कानूनी तथा अन्य उपाय किए जाते रहते हैं।

(ग) और (घ) इस सम्बन्ध में नया कानून बनाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है तथा मौजूदा उपबन्ध पर्याप्त समझे जाते हैं।

[अनुवाद]

मारिशस को ऋण/सहायता

232. श्री अय्यप्पु रेड्डी : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा मारिशस को कितनी मात्रा में ऋण और सहायता दी गई है; और

(ख) यह ऋण और सहायता सुविधाएं देने के क्या उद्देश्य हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) भारत ने अब तक मारीशस को 25 करोड़ रुपये का ऋण सरकार से सरकार के आधार पर दिया है और 15 करोड़ रुपये का एग्जिम बैंक से दिया है या देना स्वीकार किया है। हमने मारीशस को 10,000 टन गेहूं का आटा और 200 टन चने की दाल उपहार में दी है। हमने मारीशस की कोर्ट हाउस बिल्डिंग और कुछ अस्पतालों के निर्माण में भी योगदान दिया है। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत हम कुल 100 वार्षिक छात्रवृत्तियां/प्रशिक्षणवृत्तियां दे रहे हैं। भारत-मारीशस संयुक्त आयोग के अन्तर्गत जिसकी अब तक तीन बैठकें हुई हैं, जिन परियोजनाओं को भारतीय सहायता दी जा रही है वे कृषि और लघु उद्योग के क्षेत्र में हैं और उनमें मारिशियन स्टैंडर्ड्स ब्यूरो, खाद्य एवं वनस्पति संरक्षण, मौसम विज्ञानी सेवाओं का विकास, समाचार सम्पर्क की स्थापना, विद्यालयों और प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए वाद्य यंत्रों की आपूर्ति, पुस्तकों की आपूर्ति, दृश्य श्रव्य उपकरणों की आपूर्ति, टंकण मशीन और अन्य मदें शामिल हैं। हम विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को भी मारीशस भेजते हैं। हम अपने खर्च पर भारत में प्रत्येक वर्ष मारीशस के 20 हृदय रोगियों का इलाज करवाते हैं। इन क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों में भी विगत 10 वर्ष से भी अधिक अवधि से भारत अनुदान के आधार पर सहायता देता आया है। इस तरह मारीशस को सहायता देने वाले विकासशील देशों में भारत का स्थान पहला और कुल मिलाकर तीसरा स्थान है। हम मारीशस को यह सहायता दोनों देशों के बीच मौजूद पारम्परिक गहरे सम्बन्धों को और प्रगाढ़ करने के साथ-साथ विकासशील देशों के बीच सहयोग और मारीशस की स्वतन्त्रता और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने में सहायता की भावना से देते हैं।

गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना के लिए विश्व बैंक से ऋण

233. श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना के लिए ऋण देने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि का ऋण स्वीकृत हुआ है और राज्य को वास्तव में कितनी राशि प्रदान करने का वचन दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस पर विचार किया जा रहा है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ 10 मई, 1985 को सरदार सरोवर परियोजना के दोनों संघटकों अर्थात् सिंचाई और विद्युत के लिए 45.00 करोड़ डालर की कुल सहायता के वास्ते करारों पर हस्ताक्षर किये गये थे, अर्थात् :—

1. नर्मदा नदी विकास (गुजरात) सरदार सरोवर डैम तथा विद्युत परियोजना (ऋण संख्या 1552-आई०एन०/ऋण 2497-आई०एन०)

   अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ का ऋण 9.97 करोड़

   एस०डी०आर० का ऋण (जो 10 करोड़ अमेरिकी डालर के बराबर है)

   अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और
   विकास बैंक ऋण 20.00 करोड़ डालर

   जोड़ : 30.00 करोड़ डालर

2. नर्मदा नदी विकास (गुजरात) जल प्रदाय तथा जल निकासी परियोजना (ऋण संख्या 1553-आई०एन०)

   अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋण 14.95 करोड़ एस०डी०आर० (जो 15 करोड़ अमेरिकी डालर के बराबर है)

सरदार सरोवर डैम और विद्युत परियोजना में गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहभागी राज्य हैं और इसकी लागत को मिलजुल कर पूरा करेंगे, जबकि गुजरात जल प्रदाय तथा जल निकासी परियोजना की लागत गुजरात सरकार द्वारा वहन की जाएगी। जैसा कि राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही विदेशी सहायता प्राप्त अन्य परियोजनाओं के मामले में लागू होता है, भारत सरकार गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को तिमाही आधार पर अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जारी करेगी, जो प्रत्येक तिमाही में विश्व बैंक द्वारा संवितरित सहायता के 70 प्रतिशत के हिसाब से दी जाएगी। किसी तिमाही में प्रत्येक राज्य द्वारा किए गए खर्च के सम्बन्ध में बैंक द्वारा किए गए संवितरणों के आधार पर ही इस 70 प्रतिशत अतिरिक्त सहायता में से प्रत्येक राज्य के हिस्से के अनुपात का निर्धारण किया जाएगा।

मसाला बोर्ड का प्रस्तावित पुनर्गठन

234. कुमारी डी० के० तारा देवी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मसाला बोर्ड के गठन में परिवर्तन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान गठन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या पुनर्गठित बोर्ड में मसाला उत्पादकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (घ) मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अन्तर्गत मसाला बोर्ड का गठन किया जा रहा है। अधिनियम में उपजकर्ताओं के पर्याप्त प्रतिनिधित्व की पहले ही व्यवस्था है।

काले धन का पता लगाने के उपाय

235. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोक वित्त और नीति संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1983-84 में अनुमानित काला धन 36787 करोड़ रुपये था जिसमें तस्करी के कामों में लगा काला धन शामिल नहीं था;

(ख) यदि हां, तो काले धन का पता लगाने और अर्थव्यवस्था पर इसके मुद्रा स्फीति जन्य प्रभाव को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इन कदमों का क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान ने "भारत में काले धन के पहलू" नामक अपनी रिपोर्ट की सारण सं० XIII. 2.7 में 1983-84 के दौरान कुल काले धन की उत्पत्ति का 31,584 करोड़ रुपये से 36,786 करोड़ रुपये के बीच कर अनुमान लगाया गया है।

(ख) और (ग) काले धन की उत्पत्ति और उसकी वृद्धि पर काबू पाने के लिए समय-समय पर सभी सम्भव उपाय अर्थात् विधायी, प्रशासनिक और संस्थागत उपाय किये जा रहे हैं। दीर्घकालीन वित्तीय नीति संसद के दोनों सदनों के पटलों पर रखी जा चुकी है। सरकार की उदार वित्तीय नीतियों के परिणामस्वरूप पिछले वित्तीय वर्ष में राजस्व की अपेक्षाकृत अधिक वसूली हुई थी। तथापि, संक्षिप्ततः कर-निर्धारण योजना को उदार बनाना, प्रत्यक्ष करों में कर की दरों में कमी लाना और

"क्षमादान योजना" इस नीति का केवल एक अंग है। दूसरे अंग के रूप में बाकी के मामलों में व्यापक छानबीन करना और तलाशियां लेना और अभिग्रहण करना है ताकि करदाताओं के मन में ऐसा कोई संदेह न रहे कि वे अपनी आय की विवरणी में कुछ भी घोषित करके बच जाएंगे। प्रवर्तन तन्त्र को मजबूत किया जा रहा है और तलाशियों और मुकदमों की संख्या में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है।

कोवलम भारत पर्यटन विकास निगम को त्रिवेन्द्रम में इण्डियन एयर लाइन्स/ एयर इण्डिया द्वारा उठाये गये खाने से हुई वार्षिक आय

236. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास किये हैं कि इण्डियन एयर लाइन्स और एयर इण्डिया की उड़ानों में खानपान सेवाओं का काम ऐसे स्थानों पर, जहां भारत पर्यटन विकास निगम के होटल उड़ानों के लिए भोजन उठाने की स्थिति में हैं, वहां पर विमानों के लिए खान-पान सेवाओं का भार भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों को सौंपा जाए; और

(ख) कोवलम भारत पर्यटन विकास निगम को त्रिवेन्द्रम में इण्डियन एयरलाइन्स/एयर इण्डिया द्वारा उठाए गए भोजन से गत तीन वर्षों में औसतन कितनी वार्षिक आय हुई है ?

पर्यटन मन्त्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) इस मामले में इण्डियन एयरलाइन्स अथवा एयर इण्डिया के मैनेजमेंट द्वारा सम्बन्धित हवाई अड्डों पर फ्लाइट किचन्स की अवस्थिति और अन्य सम्बन्धित केटरर्स के आकार पर निर्णय लिए जाते हैं। भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित फ्लाइट किचन्स को प्राथमिकता दी जाती है।

(ख) सूचना इस प्रकार है :—

वर्ष	वार्षिक आय (लाख रु० में)
1983-84 (नवम्बर, 83 से मार्च 84)	2.03*
1984-85	9.04
1985-86 (अनन्तिम)	19.06

*इण्डियन एयरलाइन्स ने नवम्बर, 1983 से भोजन उठाना शुरू किया।

अनिवासी भारतीयों का पूंजी निवेश

237 डा० दत्ता सामन्त : क्या वित्त यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985-86 में अनिवासी भारतीयों का पूंजी निवेश कितना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : वित्त वर्ष 1985-86 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनिवासी भारतीयों द्वारा किया गया निवेश इस प्रकार है : –

		(करोड़ रुपये)
(i)	प्रत्यक्ष निवेश (दिये गए अनुमोदन)	296.50
(ii)	पोर्टफोलियो निवेश	6.67
(iii)	कम्पनी निक्षेप	9.64
(iv)	बैंक निक्षेप (एन०आई०ई०/ एफ०सी०एन०आर० निक्षेपों में वृद्धि)	1804.19

बड़ी इलायची का उत्पादन

238. श्रीमती डी० के० भंडारी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़ी इलायची का उत्पादन करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य में बड़ी इलायची का औसत उत्पादन कितना हुआ है; और

(ग) सातवीं योजना के लिए क्या उत्पादन लक्ष्य रखा गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त): (क) बड़ी इलायची का उत्पादन सिक्किम राज्य और पश्चिम बंगाल के उप-हिमालयायी क्षेत्र तक सीमित हैं।

(ख) छठी योजना अवधि के दौरान बड़ी इलायची का उत्पादन निम्नोक्त प्रकार रहा है :—

वर्ष	सिक्किम	पश्चिम बंगाल	योग
1980-81	3250 मे०टन	750 मे०टन	4000 मे०टन
1981-82	3250 मे०टन	750 मे०टन	4000 मे०टन
1982-83	2500 मे०टन	500 मे०टन	3000 मे०टन
1983-84	1720 मे०टन	380 मे०टन	2100 मे०टन
1984-85	2900 मे०टन	400 मे०टन	3300 मे०टन

(ग) विकासात्मक समर्थन से ऐसी आशा है कि सातवीं योजना के अन्त तक उत्पादन 400 मे०टन प्रतिवर्ष पर स्थिर हो जाएगा।

गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों का विलयन करके बैंकिंग प्रणाली का पुनर्गठन

239. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में बैंकिंग प्रणाली का पुनर्गठन करने और सरकारी क्षेत्र के वर्तमान 28 बैंकों का 10 अखिल भारतीय बैंकों के साथ विलयन करने का है ताकि बैंकिंग कार्यों को सुचारू बनाया जा सके और देश भर में बैंकिंग सुविधाओं का समान रूप से विस्तार किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो यह कब किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और देश में बैंकिंग सम्बन्धी कार्यों को व्यवस्थित करने और समान आधार पर बैंकों की शाखाओं का विस्तार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अथवा सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक नीति तैयार की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सामने रखे सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बैंकों के ढांचे, नीतियों और प्रक्रियाओं की उपयुक्तता की भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार द्वारा निरन्तर समीक्षा की जाती है। इस सम्बन्ध में बैंकों के विलय/समामेलन सहित प्राप्त सुझावों की जांच की जाती है और गुण-दोषों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं।

इस समय सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विलय/समामेलन का कोई विशिष्ट प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विकेन्द्रीयकरण की प्रक्रिया, क्षेत्रीय स्तर पर शक्तियों के अधिक प्रत्यायोजन तथा उन्नत प्रबंध सूचना प्रणाली (एम०आई०एस०) के माध्यम से निगरानी और नियन्त्रण का बेहतर स्तर प्राप्त करने के लिए बैंकों के आन्तरिक संगठन का पुनर्गठन करने से बैंकों की कार्यकुशलता बढ़ाने में निश्चय ही सहायता मिलेगी।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शाखा विस्तार की अनुमति नीति के अनुरूप किसी क्षेत्र विशेष की वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर दी जाती है। इस नीति का उद्देश्य मुख्यतः बैंकों की कम शाखाओं वाले क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का बढ़ाना और स्थानिक दूरियों को कम करना है।

ब्रिटेन के विदेश सचिव से भेंट

240. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने लन्दन के अपने पिछले दौरे के दौरान ब्रिटेन के विदेश सचिव सर ज्योफे होवे से भेंट की थी;

(ख) उक्त भेंट के दौरान किन-किन विषयों पर विचार विमर्श किया गया; और

(ग) इस सम्बन्ध में ब्रिटेन के विदेश सचिव की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विदेश मन्त्री अपनी यात्रा के दौरान कुछ देर के लिए लन्दन में रुके थे और इस अवसर का लाभ उठाकर उन्होंने ब्रिटिश विदेश मन्त्री से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय हित के मामलों पर विचार-विमर्श किया गया था।

स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के प्रावधनों में छूट देने का प्रस्ताव

241. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के परिचालन का मूल्यांकन करने तथा आयात को सारणीबद्ध करने और स्वर्ण बैंक की स्थापना जैसे मसलों की जांच करने के लिए गठित दो समितियों की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इन दोनों समितियों के निष्कर्ष क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशियों द्वारा निवेश के लिए भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा भारत कोष बनाया जाना

242. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट विदेशियों द्वारा निवेश के लिए एक योजना, अर्थात् भारत कोष आरम्भ करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ग) निवेशकों को क्या-क्या सुविधाएं मिलने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय यूनिट ट्रस्ट

की विशेष यूनिट योजना में निवेश करने के लिए भारत सरकार ने मैसर्स गेरिल लिंच और भारतीय यूनिट ट्रस्ट के द्वारा "भारत निधि" नामक एक समान निधि की स्थापना किए जाने की अनुमति दे दी है। "भारत निधि" प्रारम्भ में विदेशी संस्थात्मक निवेशकों, अन्य विदेशी निवेशकों और अनिवासी भारतीयों से 6 करोड़ पौंड तक की पूंजी जुटायेगी। इस राशि का, इसे जुटाये जाने के लिए किए गए खर्च को निकालकर, निधि द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा शुरू की जाने वाली विशेष यूनिट योजना में निविष्ट किया जायेगा। भारतीय यूनिट ट्रस्ट इस निधि की निवल प्राप्तियों का निवेश एक निश्चित अवधि में प्राइमरी और सैकेण्डरी मार्केट के सामान्य शेयरों और उपक्रम पूंजी आदि में करेगा। विशेष यूनिट योजना का प्रबन्ध केवल भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा।

सिक्कों का उत्पादन

243. **श्री मुरलीधर माने** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान सिक्कों का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या सिक्कों का उत्पादन मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त था;

(ग) यदि नहीं, तो इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा आगे क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार देश में मौजूदा टकसालों को आधुनिक बनाने पर विचार कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सिक्कों का निर्माण नीचे दर्शाया गया है :

वर्ष	निर्माण करोड़ प्रदद सिक्कों में
1983-84	106.3
1984-85	135.6
1985-86	222.3
	जोड़ 464.2

(ख) जी नहीं।

(ग) सिक्कों की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।

(1) विद्यमान टकसालों में काम के घंटे बढ़ाकर, कामगारों के लिए प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ करके और पुरानी सिक्का निर्माण प्रेसों को बदलकर नई सिक्का निर्माण प्रेस स्थापित करके उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है।

(2) 1-4-1985 से अब तक 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के 200 करोड़ अदद और इस वर्ष 200 करोड़ अदद और सिक्कों का आयात करके घरेलू उत्पादन को समर्थन प्रदान करना; और

(3) प्रत्येक वर्ष 200 करोड़ अदद सिक्कों की क्षमता वाली एक टक्साल नोएडा, उत्तर प्रदेश में स्थापित करना; यह टक्साल 1988 तक काम करना शुरू कर देगी।

(घ) जी हां।

भारतीय कपास निगम द्वारा कपास की खरीद

244. **श्री शरद दिघे :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कपास निगम द्वारा चालू वर्ष के दौरान अब तक बाजार से कपास की कितनी गांठें खरीदी गई हैं और इसकी तुलना में निगम द्वारा पिछले वर्ष इसी अवधि में कितनी गांठें खरीदी गई थीं;

(ख) इन दो अवधियों में निर्यात सहित इसकी कितनी बिक्री हुई;

(ग) चालू कपास वर्ष के अंत में कितनी हानि होने की संभावना है;

(घ) क्या यह सच है कि चालू कपास मौसम के दौरान राष्ट्रीय कपड़ा निगम नियंत्रणाधीन मिलों ने भारतीय कपास निगम जैसी सरकारी एजेन्सियों की अपेक्षा गैर सरकारी व्यापारियों से कपास खरीदना अधिक पसन्द किया; और

(ङ) इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री (खुर्शीद आलम खां) : (क) चालू वर्ष के दौरान भारतीय रुई निगम ने अब तक 15.37 लाख गांठों की खरीद की जबकि गत वर्ष की उसी अवधि के दौरान 6.46 लाख गांठों की खरीद की गई थी।

(ख) चालू मौसम के दौरान निगम ने अब तक 12.09 लाख गांठों (निर्यातों सहित) की बिक्री की जबकि गत वर्ष की तत्सम्बन्धी अवधि के दौरान 5.38 लाख गांठों की बिक्री की गई थी।

(ग) चालू रुई वर्ष के अन्त तक होने वाली सम्भावित हानि का अनुमान 80.00 करोड़ रु० लगाया गया है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) भारतीय रुई निगम घरेलू बिक्रियों तथा साथ ही निर्यातों को बढ़ाने के प्रयास कर रहा है।

डाकुओं से मुकाबला करने में मारे गये बैंक कर्मचारियों के परिवारों को मुआवजा

245. श्री शरद दिघे
श्री एस० जी० घोलप } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी बैंक कर्मचारी के डाकुओं से मुकाबला करने में मारे जाने पर उसके किसी निकट सम्बन्धी को दिये जाने वाले मुआवजे के सम्बन्ध में आपके मंत्रालय द्वारा कोई दिशा-निर्देश अथवा कोई अन्य सहायता आदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 13 जून, 1986 को यूनियन बैंक आफ इंडिया, माडल कालोनी ब्रांच, पुणे में डाकुओं द्वारा मारे गये बैंक चपरासी के संबंधी और एक अन्य बैंक कर्मचारी तथा हाथापाई में घायल दो अन्य व्यक्तियों को कितनी राशि का मुआवजा दिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) बैंक कर्मचारियों, आम जनता तथा पुलिस को लूटपाट/डकैतियों का मुकाबला करने के लिए प्रेरित करने के वास्ते सरकार ने इस प्रकार की लूटपाट/डकैतियों का मुकाबला करने वाले व्यक्तियों को पुरस्कृत करने की योजना को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। इस सम्बन्ध में जारी किए गए मार्ग-निर्देश निम्नप्रकार हैं :—

(क) डाकुओं का मुकाबला करते हुए घायल हो जाने के कारण किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की सूरत में :

(1) मृत कर्मचारी के परिवार को एक लाख रुपये का मुआवजा;

(2) सम्बद्ध बैंक मृत कर्मचारी के बच्चों के स्नातक स्तर तक की शिक्षा के व्यय का भार उठाएगा; और

(3) मृत कर्मचारी के परिवार के एक सदस्य को तत्काल नौकरी दी जाएगी। यदि परिवार का कोई सदस्य तत्काल नौकरी नहीं कर सकता तो यह अधिकारी तब तक स्थगित रखा जाएगा जब तक सब से बड़ा बच्चा स्नातक स्तर की शिक्षा पूरी नहीं कर लेता।

(ख) उन बैंक कर्मचारियों के मामले में जो डाकुओं को पकड़ लेते हैं या ऐसा करने में घायल हो जाते हैं :

(I) 30 हजार रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा; और

(II) उन घायल कर्मचारियों को अपनी बारी से पहले पदोन्नति दी जाएगी, जो अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति की पात्रता के लिए न्यूनतम शर्तें पूरी करते हों।

जो कर्मचारी पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करते उन्हें वर्तमान वेतनमान में स्थाई तौर पर तीन अग्रिम वेतनवृद्धियां इनाम के रूप में दी जायेंगी।

(ग) चोट के इलाज का, जिसमें, अस्पताल का खर्चा भी शामिल है, सारा व्यय।

(घ) जनता या पुलिस बल के किसी भी व्यक्ति को, जो डकैती के प्रयास को विफल करने के लिए डाकुओं को पकड़ता है या ऐसा करने के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है या वह घायल हो जाता है, तो उस सूरत मे सम्बद्ध बैंक द्वारा ऊपर बताये गये इनाम दिए जाएंगे और डाक्टरी के खर्च की भरपाई की जाएगी।

(ङ) उस अधीनस्थ कर्मचारी की विधवा को एक लाख रुपये की रकम दे दी गई है जिसे डाकुओं ने मार दिया था तथा 3 अन्य कर्मचारियों को पचास-पचास हजार रुपये दिये गये हैं जिन्हें हाथापाई में चोटें आई थीं।

दक्षिण एशियाई राष्ट्रों के पहले शिखर सम्मेलन के पश्चात् चुने गये नौ क्षेत्रों में हुई प्रगति

246. श्री शरद दिघे : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सात दक्षिण एशियाई, राष्ट्रों के प्रथम सम्मेलन के पश्चात चुने गये नौ क्षेत्रों में क्या प्रगति हुई है;

(ख) प्रगति की धीमी गति के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या नवम्बर, 1986 में होने वाले सार्क के दूसरे सम्मेलन की तैयारियों का कार्य संतोष जनक है ?

विदेश मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) प्रथम दक्षिण एशिया शिखर सम्मेलन के बाद से सहयोग के नयशुदा नौ क्षेत्रों में कई विचार-गोष्ठियां, कार्यशालाएं तथा विशेषज्ञ

दलों की बैठकें हो चुकी हैं। "विकास में नारी का योगदान" (वुमन एण्ड डेवलपमेंट) विषय पर शिलांग में 6 से 8 मई 1986 तक एक मंत्रिस्तरीय बैठक हुई थी। इस बैठक में इस विषय पर एक तकनीकी समिति की स्थापना का प्रस्ताव किया गया और उक्त समिति के लिए एक कार्यक्रम सुझाया गया। एक अन्य मंत्रिस्तरीय बैठक इस्लामाबाद में अप्रैल, 1986 में भी हुई थी जिसके अन्त में एक घोषणा जारी की गई थी जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक मसलों पर "सार्क" देशों की समान स्थिति का उल्लेख है। आतंकवाद पर काबू पाने के लिए सहयोग से सम्बन्धित एक अध्ययन दल की बैठक पिछले महीने ढाका में हुई। इस दल ने इस क्षेत्र में सहयोग के लिए बहुत सी सिफारिशें कीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) द्वितीय सार्क शिखर सम्मेलन के आयोजन के सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्य संतोषजनक ढंग से चल रहा है।

राष्ट्र मंडल के महासचिव की प्रधान मंत्री के साथ बैठक और आगामी राष्ट्रमंडल देशों के लघु शिखर सम्मेलन में चर्चा के विषय

247. **श्री शरद दिघे** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 25 जून, 1986 को प्रधान मंत्री से भेंट के दौरान राष्ट्रमंडल के महासचिव डा० रामफल ने किन किन विषयों पर चर्चा की; और

(ख) इस वर्ष अगस्त में लंदन में होने वाले राष्ट्र मंडल देशों के लघुशिखर सम्मेलन में किन-किन विषयों को लाये जाने की सम्भावना है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) प्रधान मंत्री के साथ अपनी मुलाकात के दौरान राष्ट्रमंडल के महासचिव ने विख्यात व्यक्ति दल (एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप) की रिपोर्ट पर और उस पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई पर चर्चा की। इस दल की नियुक्ति दक्षिणी अफ्रीका पर राष्ट्रमण्डल समझौते के अन्तर्गत हुई थी जो अक्तूबर, 1985 में नसाऊ शिखर-सम्मेलन में स्वीकार किया गया था।

(ख) लन्दन में राष्ट्रमण्डल के आगामी लघु शिखर सम्मेलन में विख्यात व्यक्ति दल की रिपोर्ट और दक्षिणी अफ्रीका की अभी हाल की घटनाओं के संदर्भ में दक्षिणी अफ्रीका राष्ट्रमण्डलीय समझौते में निहित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति पर विचार किया जाएगा।

चौथे वेतन आयोग की रिपोर्ट

218. श्री इन्द्रजीत गुप्त
श्री विजय कुमार यादव
श्री सी० जंगा रेड्डी
श्री मानिक रेड्डी
डा० जी० विजय रामाराव
श्री एम० रघुमा रेड्डी
डा० ए० के० पटेल
श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी
माई भावणि
श्री थम्पन थामस
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया
श्री पी० आर० कुमार मंगलम
श्री ई० अय्यपू रेड्डी
श्री शांताराम नायक
श्री हाफीज मुहम्मद सिद्दकी

: क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चौथे वेतन आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो आयोग ने क्या मुख्य सिफारिशें की हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार किया है और इसको कब तक लागू किया जाएगा ?

व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) जी, हां। रिपोर्ट का पहला भाग सरकार को प्राप्त हो गया है।

(ख) रिपोर्ट के अध्याय 33 में आयोग की मुख्य सिफारिशों का सार दिया हुआ है। वेतन आयोग की रिपोर्ट की छपी हुई प्रतियां अलग से सभा पटल पर रखी जा रही हैं।

(ग) वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार करने और उन पर कार्यवाही करने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त वेतन आयोग की सिफारिशों की जांच करने और उन पर कार्यवाही करने के लिए वित्त मंत्रालय में अपर सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यान्वयन एकक का गठन किया गया है। इसी प्रयोजन के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में भी एक एकक का गठन किया गया है। सरकार को आशा है कि वेतन आयोग की सिफारिशों पर शीघ्रता से निर्णय लिए जाएंगे।

भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ को निर्यात बढ़ाने की अल्पकालीन निर्यात योजना

249. श्री आनन्द सिंह
श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल
श्री मोहन भाई पटेल } : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ ने आगामी दो-तीन वर्षों में लगभग 2000 करोड़ रुपये तक निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार को एक अल्पकालीन निर्यात योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) फिक्की द्वारा पता लगाए गए क्षेत्र हैं : (1) हाथ के औजार, (2) मशीनी औजार, (3) वाणिज्यिक वाहन, (4) ट्रांसमिशन लाइन टावर, (5) कम्प्यूटर साफ्टवेयर, (6) आटो-मोटिव टायर, (7) साधित खाद्य, (8) चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद, (9) सिले सिलाए परिधान। इस योजना पर फिक्की के प्रेसीडेन्ट से विचार विमर्श हुआ था। ये क्षेत्र/उत्पाद पहले ही पता लगाए गये अभियान क्षेत्रों में शामिल कर लिए गये हैं। उनके निर्यातों को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय पहले ही किए गये हैं। फैडरेशन को विशिष्ट प्रस्ताव और विस्तृत योजनाएं, यदि कोई हों, प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

बैंकों को देय राशियों की शीघ्रता से वसूली हेतु विधान बनाना

250. श्री आनन्द सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बैंकों को देय राशियों की शीघ्रता से वसूली हेतु बैंकों की सहायता करने के लिए कानून बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो यह विधान कब तक लाये जाने की संभावना है; और

(ग) किन परिस्थितियों के कारण ऐसा विधान बनाने की आवश्यकता महसूस की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की बकाया रकमों की तेजी से वसूली करने के लिए एक विशेष वसूली विधान बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इस मामले से सम्बन्धित सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

"यू० एस० नेवल डेस्ट्रायसं एराइव्ड इन कोलम्बो"
शीर्षक समाचार

251. श्री आनन्द सिंह : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 जून, 1986 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि दो अमरीकी नौसेना ध्वंसक 475 अमरीकी नौसेना कार्मिकों के साथ कोलम्बो पत्तन पर पहुंच गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो श्रीलंका में जातीय तमिलों की समस्या का राजनैतिक हल ढूंढ़ने के लिए भारत के प्रयासों को ध्यान में रखते हुए, उसके सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और इस उप-महाद्वीप में शांति बने रहने सम्बन्धी संभावनायें क्या हैं ?

विदेश मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) हिन्दुस्तान टाइम्स के 26 जून, 1986 के अंक में दो अमरीकी नौसैनिक जहाजों के 24 से 27 जून के बीच कोलम्बो जाने की जो खबर छपी थी वह सरकार ने देखी है।

(ख) हिन्द महासागर के क्षेत्र में बड़ी शक्तियों की नौसैनिक उपस्थिति से सरकार चिन्तित है। हमारी सीमा के बिल्कुल निकट विदेशी "रक्षा उपस्थिति" पर प्रधान मंत्री ने संसद में अपनी चिन्ता व्यक्त की है। श्रीलंका के संकट में बाह्य हस्तक्षेप पर भी हमने चिन्ता व्यक्त की है क्योंकि इससे इस क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा ही और बातचीत द्वारा इस समस्या के राजनैतिक समाधान की दिशा में प्रगति में बाधा आएगी।

राज्य व्यापार निगम/खनिज तथा धातु व्यापार निगम के कर्मचारियों
को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति

252. श्री आनन्द सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम के कर्मचारियों को वर्ष 1983-84, 1984-85, 1 85-86 के दौरान तथा 1986-87 में अब तक चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि चिकित्सा अधिकारियों और औषध विक्रेताओं के साथ मिली भगत से कर्मचारी श्रृंगार प्रसाधनों, नहाने धोने के प्रसाधनों डिटर्जेंट्स और डाक्टरी इलाज अथवा बीमारी से असंबद्ध मदों की खरीद करके भारी राशि प्राप्त करते हैं; और

(ग) इन बेईमान तत्वों द्वारा सरकारी निधि से धन प्राप्त करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) 1983-84 से आगे राज्य व्यापार

निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम के कर्मचारियों पर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में किया गया कुल खर्च निम्नोक्त प्रकार है :--

(लाख रु० में)

	राज्य व्यापार निगम	खनिज तथा धातु व्यापार निगम
1983-84	67.04	69.04
1984-85	66.25	90.22
1985-86	74.41	115.94
1986-87	15.77	आंकड़े अभी तक परिकलित नहीं किए गए हैं

खर्च में औषधि विक्रेताओं और डाक्टरों के बिलों का सीधा निपटारा तथा अस्पताल में भर्ती होने और क्लिनिकल परीक्षणों के लिए कर्मचारियों की प्रतिपूर्ति शामिल है।

(ख) खनिज तथा धातु व्यापार के ध्यान में दुरुपयोग का सिद्ध किया हुआ कोई मामला नहीं आया है। राज्य व्यापार निगम के मामले में, एक कर्मचारी द्वारा चिकित्सा सुविधाओं के दुरुपयोग का एक मामला हाल ही में प्रकाश में आया और उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ की गई है।

(ग) अपने कर्मचारियों पर चिकित्सा व्यय को नियंत्रित रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि चिकित्सा सुविधाओं का दुरुपयोग न हो, राज्य व्यापार निगम तथा खनिज तथा धातु व्यापार निगम दोनों ने पर्याप्त कदम उठाए हैं। योजना पर खर्च की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और जहां किसी एक विशेष कर्मचारी पर चिकित्सा खर्च लगातार वृद्धि की ओर पाया जाता है वहां उचित कार्यवाही की जाती है जिसमें चिकित्सा सुविधाओं को स्थगित करना शामिल है। जहां समीक्षा करने के परिणामस्वरूप प्राधिकृत चिकित्सकों को अनियमितताओं में अन्तर्ग्रस्त पाया जाता है तो समय-समय पर उन्हें पेनल से निकाल देने की कार्यवाही भी की जाती है।

सातवीं योजना के दौरान आंध्र प्रदेश में पर्यटन को प्रोत्साहन देने सम्बन्धी योजना

253. **श्री सी० माधव रेड्डी**
श्री भट्टम श्रीराममूर्ति } : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के दौरान आन्ध्र प्रदेश में पर्यटन के विकास और उसे प्रोत्साहन देने के लिए कोई संदेशी योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख) योजना आयोग ने आन्ध्र प्रदेश में पर्यटन का विकास करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य पर्यटन सेक्टर के अंतर्गत 220.00 लाख रु० अनुमोदित किए हैं। इस योजना में पर्यटक साहित्य का निर्माण, पर्यटक महत्व के मेले और त्यौहारों का आयोजन, बौध केन्द्रों का विकास, समुद्रतट पर्यटन, आवास सुविधाओं की व्यवस्था और अन्य पर्यटक आधार संरचनात्मक सुविधाएं शामिल हैं।

(ग) और (घ) राज्य सरकार के अनुरोध पर, 1985-86 के दौरान केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने निम्नलिखित परियोजनाएं अनुमोदित की हैं :—

(लाख रुपए में)

	स्कीम का नाम	स्वीकृत राशि	दी गई राशि
1.	हुसैनसागर, हैदराबाद, रामप्पा और पाखल झीलों के लिए नौकाएं	5.30	4.75
2.	लिपाक्षी में आवास सहित मार्गस्थ सुविधाएं	16.08	4.00
3.	नागार्जुनसागर में आवास सहित अल्पाहार-गृह का निर्माण	23.70	5.00
4.	रामप्पा में अतिरिक्त आवास	20.81	5.00
5	पाखल में अतिरिक्त आवास	2.33	1.00
6.	ऋषिकोंडा में छः डबल और छः सिंगल बैडरूम वाली कुटीरों का निर्माण	20.80	5.00

गुंटूर, आन्ध्र प्रदेश में आग लगने से रुई के भण्डारों का नष्ट होना

254. श्री सी० माधव रेड्डी
श्री भट्टम श्रीराममूर्ति } : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 10 जून, 1986 को आन्ध्र प्रदेश के गुंटूर नगर के निकट पुट्टडिगुंटा में एक बड़ी आग लगने से करोड़ों रुपए की सम्पत्ति के अलावा भारतीय कपास निगम तथा दो गैर-सरकारी कम्पनियों के रुई के बड़े भंडार जल कर नष्ट हो गए; और

(ख) यदि हां, तो आग लगने के क्या कारण हैं तथा रुई और सम्पत्ति के नुकसान का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) 10 जून, 1986 को मै० शेषाद्रि काटन जिनिंग तथा प्रेसिंग फैक्टरी पुट्टडीगुन्टा में आग लगी थी। इस फैक्टरी को भारतीय रुई निगम (सी०सी०आई) ने अपने स्टाक की प्रोसेसिंग तथा रुई के भण्डारण के लिए किराये पर लिया था। लगभग 77.5 लाख रु० के सी०सी०आई० के बीमाकृत स्टाक के अतिरिक्त, प्राइवेट पार्टियों की जिसमें फैक्टरी का मालिक भी शामिल है, लगभग 1 करोड़ रु० मूल्य की सम्पत्ति तथा माल नष्ट होने की सूचना मिली है। आग के कारण की जांच की जा रही है।

उड़ीसा में झींगा मछली पालन के संवर्धन के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सहायता

225. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक झींगा मछली पालन के संवर्धन के लिए उड़ीसा राज्य को सहायता दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय स्टेट बैंक की कितनी शाखाएं इस समय झींगा मछली पालन के संवर्धन के लिए ऋण दे रही है; और

(ग) 1985-86 तथा 1986-87 में उपर्युक्त उद्देश्य के लिए कितने किसानों को तथ कितनी राशि के ऋण दिए गए ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा समुद्री मत्स्य उत्पाद का निर्यात

256 **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण समुद्री मत्स्य उत्पाद का एकमात्र निर्यातक है; और

(ख) यदि हां, तो समुद्री उत्पाद विकास प्राधिकरण ने गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितने समुद्री मत्स्य उत्पाद का निर्यात किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का गठन निर्यातों के विशेष संदर्भ में समुद्री उत्पाद उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। वह समुद्री मत्स्य उत्पादों का सीधे निर्यात नहीं करता।

समुद्री उत्पादों के निर्यात से आमदनी

257. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 में समुद्री उत्पादों के निर्यात से कुल कितनी आमदनी हुई;

(ख) क्या सरकार ने समुद्री उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए कई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1986-87 में समुद्री उत्पादों के निर्यात की क्या संभावनाएं हैं; और

(घ) यदि कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, तो वह क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) 1985-86 में 398 करोड़ रु०।

(स्रोत : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) (अनन्तिम आंकड़े)

(ख) जी हां।

(ग) हालांकि आसार काफी अच्छे प्रतीत होते हैं, यह मुख्य रूप से पश्चिमी तट पर श्रिम्पों की आवक पर निर्भर करेंगे।

(घ) 1986-87 के लिए समुद्री उत्पादों का निर्यात लक्ष्य 428 करोड़ रु० है।

बैंककारी उद्योग को कुप्रभावित करने वाली अनेक बुराइयों सम्बन्धी जानकारी देने का अभियान

258. श्री विजय कुमार यादव
श्रीमती गीता मुखर्जी
श्री सोडे रमैया } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने सभी संबंधित लोगों को बैंककारी उद्योग को कुप्रभावित करने वाली अनेक बुराइयों के बारे में जानकारी देने के लिए एक राष्ट्र-व्यापी अभियान आरम्भ किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त संघ ने इस समस्या के समाधान के लिए एक 15-सूत्री नीति तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) समझा जाता है कि संघ ने एक पुस्तिका परिचालित की है, जिसमें निम्नलिखित जैसे प्रस्ताव हैं :

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को तेज करना।

(ii) बैंकों में व्यावसायीकरण बढ़ाना।

(iii) कंपनियों को आवश्यकता पर आधारित ऋण देना।

(iv) औद्योगिक एककों को रोगी बनाने के जिम्मेदार उद्योगपतियों को संस्थागत ऋण देने से इन्कार करना।

सरकार ऐसे प्रस्तावों का स्वागत करती है जो बैंकिंग उद्योग और पद्धति को सुधारने में सहायक हों।

भारतीय बैंकों की विदेशों में स्थित शाखाओं के कार्यक्रम पर निगरानी रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग निगम की स्थापना

259. श्री विजय कुमार यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का भारतीय बैंकों की विदेशों में स्थित शाखाओं के कार्यकरण पर निगरानी रखने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग निगम स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का भारतीय बैंकों की विदेशों में स्थित शाखाओं के कार्यकरण की जांच के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार का भारतीय बैंकों की विदेशों में स्थित शाखाओं के कार्यकरण पर निगरानी रखने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग निगम स्थापित करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की विदेशी शाखाओं के काम की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निरंतर समीक्षा की जाती है और उसमें सुधार लाने के वास्ते समय-समय पर आवश्यकतानुसार उचित उपाय किए जाते हैं।

[हिन्दी]

गोपालगंज जिला (बिहार) में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में भ्रष्टाचार

260. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो अथवा अन्य अभिकरणों द्वारा बिहार के गोपालगंज जिले में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की किन-किन तथा कितनी शाखाओं के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जांच की जा रही है;

(ख) यह जांच कार्य किन-किन तारीखों को आरम्भ हुआ;

(ग) जांच कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है और इन शाखाओं के कितने अधिकारी दोषी पाए गए हैं और दण्डित किये गए हैं; और

(घ) कितने मामलों में जांच कार्य आगामी अक्तूबर मास तक पूरा हो जाएगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा गोपालगंज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की 7 शाखाओं अर्थात् बथना-कुटी, बथुआ बाजार सेमरा, राजापट्टी, करवथी, गोपालगंज और सासामूसा से संबंधित शिकायतों की जांच की गई थी।

(ख) यह जांच जुलाई, 1985 और मार्च, 1986 के बीच की गई थी।

(ग) सेण्ट्रल बैंक आफ इंडिया, बम्बई स्थित केन्द्रीय कार्यालय द्वारा इन रिपोर्टों की जांच की जा रही है। सेण्ट्रल बैंक आफ इंडिया ने यह भी सूचित किया है कि उसने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रबं-

धकों से सेमरा शाखा के प्रबन्धक तथा तदर्थ प्रभारी और राजापट्टी शाखा के प्रबन्धक को निलम्बित करने के लिए कहा है।

(घ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नियमित अध्यक्ष ने कार्यभार सम्भाल लिया है। निलम्बित कर्मचारियों तथा अन्य दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध जांच कार्रवाई शुरू की जाएगी तथा उसे शीघ्र पूरा किया जाएगा।

विदेशों को गए भारतीय नागरिकों का गायब होना

261. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 मई, 1986 के जनसत्ता में "नौ नागरिक विदेश में कहां खो गए" शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वीसा की अवधि समाप्त होने पर इन भारतीयों के वापस न लौटने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उनकी शिनाख्त करके उन्हें वापस भेज दिया गया है; और

(घ) 1984-85 और 1985-86 में खोये भारतीय नागरिकों की देश-वार संख्या क्या है और इस बारे में सरकार द्वारा अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां.

(ख) से (घ) जैसा कि संदर्भगत समाचार में कहा गया है, "लापता" बताए जाने वालों में से अधिकांश लोग तो ऐसे हैं जो सम्भवत: अपनी वीसा की अवधि समाप्त होने के बाद भी वहां रहते रहे हैं और विदेश में बने रहने की गर्ज से उन्होंने अपने नाम पते वगैरह बदल लिये हैं। ऐसे मामलों में लोगों का पता लगा पाना हमेशा मुमकिन नहीं होता हालांकि अखबार में जिन नामों का उल्लेख किया गया है उनके बारे में सम्बद्ध मिशनों से यह कहा गया है कि स्थानीय सरकार के जरिये वे इनकी जांच-पड़ताल करें। वैसे जब कभी किसी लापता व्यक्ति के बारे में उसके रिश्तेदार अथवा अन्य लोग खासतौर से बताते हैं तो भारतीय मिशन उनका पता लगाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं और अगर जरूरी हो तो उन्हें देश वापस भेजने की भी कोशिश करते हैं। जहां तक ऐसे लोगों की संख्या का सवाल है जो लापता बताए जाते हैं या जो अपने सम्बन्धियों से सम्पर्क नहीं रखते, उनके बारे में सूचना सम्बद्ध विदेशी सरकारों के पास सम्भवत: कभी सुलभ नहीं होती।

[अनुवाद]

उत्पादन तथा सीमाशुल्क रियायतें

262. **डा० वी० वेंकटेश**
श्री बाला साहब विखे पाटिल } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने हाल ही में कुछ उत्पादन तथा सीमाशुल्क रियायतों की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो उद्योग-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन रियायतों से कितने राजस्व का घाटा हुआ है;

(घ) इस घाटे को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(ङ) इन रियायतों के कारण निर्मित वस्तुओं की कीमतों में कहां तक कमी होने की संभावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) लोक सभा के पिछले सत्र से लेकर अब तक, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में छूट दिए जाने के बारे में जारी की गई अधिसूचनाएं, राजस्व प्रभाव के बारे में स्थिति दर्शाते हुए व्याख्यात्मक ज्ञापन अलग से सदन पटल पर रखे जा रहे हैं।

(घ) राजस्व में होने वाली किसी संभाव्य कमी को अच्छे कर प्रबन्ध द्वारा पूरा करने का प्रस्ताव है।

(ङ) निर्मित माल के मूल्यों में अनुवर्ती कमी को निर्धारित कर पाना सम्भव नहीं है जो बाजार के विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करते हैं।

कर्नाटक की निर्यात योग्य वस्तुएं

263. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक की निर्यात सम्भावनाओं की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो उस राज्य से निर्यात की जा सकने योग्य वस्तुओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनसे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) 1985 के दौरान भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली ने कर्नाटक का निर्यात संभाव्यता सर्वेक्षण किया।

(ख) संस्थान के सर्वेक्षण से 64 निर्यात उत्पादों का पता लगा है जिन्हें पांच प्रमुख शीर्षों में बांटा जा सकता है; अर्थात्

(I) कृषि तथा सम्बद्ध उत्पाद।

(II) वस्त्र।

(III) हस्तशिल्प की वस्तुएं।

(IV) रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद, तथा

(V) इंजीनियरी उत्पाद।

(ग) आई०आई०एफ०टी० के अध्ययन से अनुमान लगाया गया कि 1984-85 के दौरान सर्वेक्षण उत्पादों के निर्यात से लगभग 262 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा की आय हुई। सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा की आय के राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में यूनिट ट्रस्ट और पारस्परिक निधियों (म्यूचुअल फण्ड्स) की स्थापना

264. श्री मोहन भाई पटेल
श्री चिन्तामणि जेना } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल महासंघ ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उद्योगों की अपनी बचत को बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में यूनिट ट्रस्ट और पारस्परिक निधियां (म्यूचुअल फण्ड्स) स्थापित करने का सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और देश के ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण के सम्बन्ध में यह प्रस्ताव कितना सहायक है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) निजी क्षेत्र में यूनिट ट्रस्टों की स्थापना के लिए सरकार को वाणिज्य मण्डलों सहित विभिन्न क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं।

(ग) सरकार ने छोटे निवेशकों को निवेश का एक माध्यम उपलब्ध करने के प्रयोजन से

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के सहायक संस्थान के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र में एक नई सांझी निधि की स्थापना करने का निर्णय किया है।

केरल में कपड़ा मिलों की क्षमता का विस्तार

265. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नई कपड़ा नीति के अन्तर्गत ऐसी अक्षम यूनिटों को सक्षम बनाने के लिए, जो अपर्याप्त तकलियों के कारण अक्षम हैं वर्तमान मिलों को क्षमता बढ़ाने की अनुमति देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) केरल की उन कपड़ा यूनिटों के नाम क्या हैं जिन्होंने क्षमता बढ़ाने की अनुमति मांगी है; और

(घ) उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी नहीं, स्थान सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार कतिपय पिछड़े क्षेत्रों में स्थित मिलों को छोड़कर।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मैं० कथाई काटन मिल्स लि०, अलवाई।

(घ) आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया गया है। आवेदनकर्ता इस निर्णय के विरुद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं जिस पर गुणावगुण आधार पर विचार होगा।

केरल में 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सहयोग न दिया जाना

266. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सहयोग न देने के बारे में राज्य से कोई विशिष्ट शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) दिसम्बर, 1984 के

अन्त तक के अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, केरल राज्य के नए 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 5,79,990 उधार खातों के अन्तर्गत 20417.26 लाख रुपए की राशि बकाया थी जिससे यह पता चलता है कि बैंक 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पूरा सहयोग दे रहे हैं। अलग-अलग व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतें सामान्यतया ऋण मंजूर न करने, ऋणों के संवितरण में विलम्ब होने, देय राशियों को माफ करने, वापसी अदायगी के कार्यक्रम का फिर से निर्धारण करने से सम्बन्धित होती हैं। व्यक्तियों से प्राप्त ऐसे अभ्यावेदन सम्बन्धित अधिकारियों को उचित कार्रवाई के लिए भेज दिए जाते हैं। अलग-अलग व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा तथा उन पर की गई कार्रवाई का रिकार्ड नहीं रखा जाता।

आयकर आयुक्तों का सम्मेलन

267. **श्री के० वी० शंकर गौडा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में दिनांक 3 से 5 जून, 1986 को आयकर आयुक्तों का तीन दिन का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसमें किन विषयों पर चर्चा की गई और सम्मेलन में लिए गए प्रमुख निर्णय क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) आयुक्तों के सम्मेलन में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई थी :—

(क) कार्मिक प्रशासन के कुछ पहलू

(ख) आयकर विभाग में कल्याणकारी उपाय

(ग) कर-निर्धारण पूरा किया जाना
(संक्षिप्ततः कर-निर्धारण योजना)

(घ) तलाशी, अभिग्रहण और संवीक्षा के मामलों में कर-निर्धारण

(ङ) मांग की वसूली और उगाही

(च) आयकर विभाग में कम्प्यूटरीकरण

(छ) रिकार्ड प्रबन्ध — कुछ महत्वपूर्ण पहलू

(ज) प्राप्ति और आन्तरिक लेखा-परीक्षा

(घ) आयकर विभाग में प्रशिक्षण-समस्याएं और अवसर।

आयकर आयुक्तों के सम्मेलन, 1986 की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

(क) आयकर विभाग के सतर्कता तन्त्र को सुदृढ़ बनाना।

(ख) विभाग में कल्याणकारी उपायों में सुधार लाना

(ग) संक्षिप्ततः कर-निर्धारणों और तलाशी एवं अभिग्रहण के मामलों का शीघ्र निपटान

(घ) कम्प्यूटरीकरण की प्रगति का पता लगाना

(ङ) आयकर सम्बन्धी रिकार्डों का बेहतर प्रबन्ध

(च) विभाग के लेखा-परीक्षा पक्ष को सुदृढ़ बनाना

(छ) विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशालिता को बढ़ाना और प्रशिक्षित अधिकारियों की बाद में उपयुक्त तैनाती करना।

कपड़ा बनाने वाली मशीनों का निर्माण करने वाली उद्योग को रियायतें

268. **श्री के० वी० शंकर गौडा**
श्री जगन्नाथ पटनायक } : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार कपड़ा बनाने वाली मशीनों का निर्माण करने वाले उद्योग को शुल्क में राहत और आयात शुल्क में कटौती के रूप में और रियायतें देने के सम्बन्ध में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कपड़ा मशीनों को कुछ विशिष्ट मदों पर दी गई 25 प्रतिशत राहत के अतिरिक्त है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी और रियायतें देने के बारे में विचार किया जा रहा है और इन रियायतों से कपड़ा मशीन उद्योग को किस सीमा तक मदद मिलेगी ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम और स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम की पुनः जांच

269. श्री के० वी० शंकर गौडा
श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल
डा० बी० एल० शंकेश
डा० दत्ता सामन्त } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की अनावश्यक प्रक्रियागत उलझनों को दूर करने और इस अधिनियम को अधिक औचित्यपूर्ण बनाने और अपवंचन को रोकने के लिए इसकी कमियों को दूर करने हेतु विदेशी मुद्रा अधिनियम की पुनः जांच करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम का पुनरीक्षण करने के सम्बन्ध में भी अंतिम निर्णय ले लिया है और यदि हां, तो इस अधिनियम में क्या परिवर्तन करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में संशोधन किए जाने से संबंधित प्रस्तावों की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

(ग) सरकार ने मई, 1986 में दो कार्यकारी दल नियुक्त किए हैं—एक दल स्वर्ण नियन्त्रण नीति के सभी पहलुओं पर विचार करेगा; तथा दूसरा दल स्वर्ण नियन्त्रण तंत्र आदि की समीक्षा करेगा। इन कार्यकारी दलों द्वारा अपनी रिपोर्टें सरकार को प्रस्तुत किए जाने के पश्चात ही स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम की समीक्षा करने का प्रश्न उत्पन्न होगा।

"मोडवेट" योजना का व्यापार संतुलन पर प्रभाव

270. **श्री के० वी० शंकर गौडा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "मोडवेट" योजना जो कि मौजूदा प्रपत्र ऋण योजना का विस्तारित रूप है, से निर्यात बढ़ाकर और आयात पर प्रोत्साहन घटाकर व्यापार संतुलन में सुधार लाने में सहायता मिली है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना को लागू किये जाने के बाद से इस वर्ष व्यापार संतुलन में किस हद तक सुधार हुआ है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) संशोधित मूल्य वर्धित कर योजना दिनांक 1-3-1986 से लागू है। इसका उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना है, परन्तु व्यापार का सन्तुलन, निर्यातों के अतिरिक्त अन्य पहलुओं पर भी निर्भर करता है और मोडवेट का

इस पर कोई सीधा प्रभाव नहीं हो सकता है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विदेशी रियायती सहायता

271. श्री अमर राय प्रधान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राष्ट्रों अपने मुख्य दाता राष्ट्रों और सहायता देने वाली एजेंसियों को अपनी रियायती सहायता बढ़ाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दाता राष्ट्रों और सहायता देने वाली एजेंसियों की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारत को विकास कार्यों के लिए सहायता देने वाली सरकारों और संस्थाओं के संघ की 16-17 जून, 1986 को पेरिस में एक बैठक हुई थी। भारतीय शिष्ट मण्डल ने रियायती सहायता के स्तर को बढ़ाने के लिए पुरजोर दलील दी थी। संघ के देशों ने भारत के आर्थिक निष्पादन की कोटि और प्रबन्ध व्यवस्था की प्रशंसा की थी हमारे दृष्टिकोण से परिणाम काफी अनुकूल रहे। सहायता के वचनों की कुल रकम 4.5 अरब संयुक्त राज्य अमरीकी डालर सूचित की गई जबकि इसके मुकाबले पिछले वर्ष 3.9 अरब संयुक्त राज्य अमरीकी डालर की सहायता दी गई थी।

हथकरघा उद्योग को लाभ पहुंचाने के लिए वस्त्र नीति में परिवर्तन

272. श्री अमर राय प्रधान
श्री बनवारी लाल पुरोहित } : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हथकरघा उद्योग को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कपड़ा नीति में कोई परिवर्तन करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जून, 1985 की वस्त्र नीति में बताया गया है कि हथकरघा क्षेत्र की अनोखी भूमिका

को बनाए रखा जाएगा तथा इस क्षेत्र की वृद्धि तथा विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें हथकरघा बुनकरों के लाभ के लिए, लिये जाने वाले कई कदमों का भी उल्लेख है, जैसे करघों के आधुनिकीकरण पर अधिक बल, यार्न तथा अन्य कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास, मिश्रित तथा ब्लैंडिड फैब्रिक्स के उत्पादन को प्रोत्साहन, "हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985" को सख्ती से लागू करना, बुनकरों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए कल्याण योजनाएं तथा इस प्रकार की अन्य योजनाएं। अतः जहां तक हथकरघा उद्योग को लाभों के प्रावधान का संबंध है, वस्त्र नीति को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है।

केन्द्र सरकार का राज्यों को ऋण

273. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उन्हें ऋण देने के संबंध में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्हें केन्द्र सरकार ने चालू वर्ष के दौरान ऋण दिये हैं ?

व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) राज्यों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, बजट में पहले से जो व्यवस्था की जा चुकी है इसके अतिरिक्त राज्यों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई ऋण दिए जाने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सातवीं योजना के दौरान चाय का उत्पादन और विपणन

274. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चाय का उत्पादन बढ़ाने और इसके विपणन के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ख) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) चाय का उत्पादन बढ़ाने के लिए जिन उपायों की व्यवस्था की गई है उनमें शामिल हैं—अल्पावधि उपाय जैसे अन्तर्निविष्ट साधनों का अनुकूलतम उपयोग, मध्यावधि उपाय जैसे सिंचाई तथा जल निकासी, चाय झाड़ियों की भराई तथा नवीकरण और दीर्घावधि उपाय जैसे विस्तार रोपण तथा पुनर्रोपण। ऐसा अनुमान है कि इन कदमों के परिणामस्वरूप घरेलू तथा निर्यात बाज़ारों के लिए चाय की पर्याप्त मात्राएं उपलब्ध होंगी। 1985 के दौरान चाय का उत्पादन 657 मि० कि० ग्रा० हुआ था। जनवरी-मई, 1986 के

दौरान लगभग 132.3 मिलियन कि० ग्रा० उत्पादन होने का अनुमान है।

पाकिस्तान द्वारा कुमारी भुट्टो के अभियान के लिए भारत द्वारा धन देने के बारे में प्रचार

276. **श्री राम धन** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार द्वारा किए जा रहे इस प्रचार के विरुद्ध कि भारत कुमारी बेनजीर भुट्टो को पाकिस्तान में अभियान के लिए धन दे रहा है पाकिस्तान सरकार के साथ कोई विरोध प्रकट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री तथा वाणिज्य मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) भारत सरकार ने जनरल जिया के आधारहीन आरोपों पर नाराजगी और खेद व्यक्त किया है।

भूतपूर्व राजाओं के विरुद्ध बकाया कर राशि

277. **श्री राम धन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकतर भूतपूर्व राजाओं के विरुद्ध आय कर सम्पत्ति कर और सम्पदा शुल्क बकाया के रूप में भारी राशियां सरकार को देय हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन भूतपूर्व राजाओं के विरुद्ध एक लाख रुपये से अधिक की राशि बकाया है; और

(ग) बकाया राशि की वसूली के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भूतपूर्व भारतीय रियासतों के कुछ तत्कालीन शासकों पर आय-कर, धन-कर और सम्पदा शुल्क की बकाया हैं। उन भूतपूर्व राजाओं के नाम जिनके खिलाफ एक लाख से अधिक रकम बकाया है और उनसे बकाया की वसूली के लिए जो कार्यवाही की जा रही है उसके ब्यौरे इकट्ठे किये जा रहे हैं और यथा सम्भव सीमा तक प्रस्तुत कर दिये जाएंगे।

अपीलीय व्यापार न्यायाधिकरण

278. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अपीलीय व्यापार न्यायाधिकरण स्थापित करने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) मामलों का और शीघ्रता से निपटारा करने के प्रयोजनार्थ, संविधान के अनुच्छेद 323-ख के तहत एक उच्चाधिकार प्राप्त सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपीलीय) न्यायाधिकरण स्थापित किये जाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) विधि मन्त्रालय के परामर्श से विस्तृत प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं।

पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए त्रिवेन्द्रम समुद्र तट का विकास

279. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए त्रिवेन्द्रम समुद्र तट का विकास करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मन्त्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग त्रिवेन्द्रम के निकट कोवलम समुद्र तट विहार-स्थल पर भारत पर्यटन विकास निगम के जरिये 128 कमरों वाले 5 स्टार होटल का संचालन कर रहा है। अधिकाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भारत पर्यटन विकास निगम का एक समुद्र तट सेवा केन्द्र और योग व मालिश केन्द्र भी है। राज्य सरकार भी वहां एक होटल चला रही है।

विभिन्न जीवन रक्षा उपाय और अधिकाधिक जल क्रीड़ा सुविधाएं प्रारम्भ करने के लिए राज्य सरकार की समुद्र तटों का संवर्धन और रख-रखाव करने की भी योजनाएं हैं। त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डा विदेशों से आने वाले पर्यटक चार्टर हवाई जहाजों के लिए खुला घोषित कर दिया गया है और कोवलम समुद्र तट उन समुद्र तटों में से एक है जिन्हें सातवीं योजना के दौरान संकेन्द्रित विकास के लिए अभिनिर्धारित किया गया है।

मलयेशिया में भारतीय श्रमिकों से दुर्व्यवहार

280. **श्री कमल नाथ**
श्री मानिक रेड्डी
श्री एम० रघुमा रेड्डी } : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "हिन्दुस्तान टाइम्स" दिनांक 24 जून, 1986 में प्रकाशित इस समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट हुआ है, जिसमें कहा गया है कि मलयेशिया में भारतीयों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में कोई जानकारी है; और

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां। इस रिपोर्ट में मलेशियन इण्डियन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा बागान क्षेत्र में काम करने वाले भारतीय मूल के कामगारों की तथाकथित दुर्दशा के बारे में व्यक्त चिन्ता का उल्लेख किया गया है।

(ख) और (ग) भारत का हाई कमीशन, कुआलालम्पुर, से इस संबंध में एक रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है। उनकी रिपोर्ट मिल जाने के बाद सरकार इस बात पर विचार करेगी कि आगे क्या कार्रवाई की जानी चाहिए।

लंदन में भारत के प्रवासियों के साथ बातचीत

281. श्री कमल नाथ : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंदन में भारत के प्रवासियों की एक बैठक में उन्होंने कहा है कि पंजाब और श्रीलंका की घटनाओं से स्पष्ट है कि कुछ बाहरी शक्तियां भारत में अस्थिरता पैदा करने पर तुली हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस स्थिति पर काबू पाने के लिए क्या जवाबी उपाय कर रही है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) 21-6-1986 को विदेश मन्त्री जब लंदन होकर आगे जा रहे थे तब उन्होंने लंदन में भारतीय समुदाय के कुछ प्रतिनिधियों से मुलाकात की। मन्त्री महोदय ने भारत की मौजूदा गतिविधियों की सामान्य रूप से चर्चा की और अपनी विदेश नीति की मोटी-मोटी बातें भी बताईं।

इस संदर्भ में पंजाब समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए और श्रीलंका में जातीय समस्या का भारत पर जो प्रभाव पड़ा है उसका जिक्र करते हुए मंत्री महोदय ने इस बात का सांकेतिक उल्लेख किया था कि इनसे कतिपय बाहरी ताकतों का ताल्लुक है जो इन दोनों समस्याओं को भड़काने की कोशिश में हैं।

(ख) सरकार इस स्थिति पर निकट से निगाह रखे हुए है और आवश्यकता अनुसार समुचित कदम उठायेगी।

"कनेडियन फण्ड्स फार पंजाब टेररिस्ट्स" शीर्षक समाचार

282. श्री कमलनाथ
श्री पी० एम० सईद
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही
श्री सुमोध यादव
श्री धर्मपाल सिंह मलिक
श्री मट्टम श्रीराम मूर्ति
: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 जून, 1986 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "कनेडियन फंड फार पंजाब टेररिस्ट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया है कि रायल कनेडियन माउंटिड पोलिस द्वारा कनाडा में बब्बर खालसा की गतिविधियों के बारे में टेप किये गये कथित वार्तालाप से पता चला है कि भारत में सिख उग्रवादियों को कनाडा से वित्तीय और अन्य सहायता प्राप्त हो रही है;

(ख) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या मामले को कनाडा की सरकार के साथ उठाया गया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) इस मामले में उठाये गये/उठाये जाने वाले अन्य कदम क्या हैं ?

विदेश मन्त्री तथा वाणिज्य मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां।

(ख) भारत के खिलाफ आतंकवादी हिंसा के अन्तर्राष्ट्रीय आयाम से सरकार अत्यधिक चिंतित है तथा उसके प्रतिकार के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए कृतसंकल्प है।

(ग) सरकार ने विभिन्न अवसरों पर कनाडा की सरकार के साथ कनाडा स्थित सिख उग्रवादियों की गतिविधियों का मसला उठाया है। कनाडा की सरकार ने कहा है कि वह उग्रवादियों का पता लगाने तथा उन्हें कानून के हवाले करने के लिए कृतसंकल्प है। कनाडा की सरकार ने कनाडा में उग्रवादी गतिविधियों को रोकने के लिए बहुत से ठोस उपाय किए हैं।

(घ) भारत के विरुद्ध उग्रवादी गतिविधियों के प्रति सरकार सतर्क है तथा वह इस समस्या का सामना करने के लिए कनाडा की सरकार के साथ घनिष्ठ और कारगर सहयोग कर रही है।

अमरीका में भारतीय राजनयिक सूत्रों से एयर इण्डिया के जम्बो जेट विमान में बम रखने संबंधी षड्यन्त्र का समाचार

283. श्री पी० एम० सईद
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही
श्री जगन्नाथ पटनायक
प्रो० मधु दण्डवते } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका में भारतीय राजनयिक सूत्रों से केनेडी हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाले एयर इण्डिया जम्बो जेट विमान में बम रखने सम्बन्धी षड्यन्त्र का कोई समाचार प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में गिरफ्तार किये गये भारतीयों को देश लाने के लिए कदम उठाने हेतु अमरीकी सरकार के साथ बात की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं ?

विदेश मन्त्री तथा वाणिज्य मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) न्यूयार्क से उड़ान भरने वाले एयर इंडिया के बोइंग 747 विमान को उड़ाने की सिख उग्रवादियों की साजिश की सूचना, कनाडा और संयुक्त राज्य अमरीका में स्थित भारतीय राजनयिक मिशनों द्वारा सरकार को दी गई थी।

(ख) कनाडा की पुलिस और सुरक्षा प्राधिकारियों ने अमरीका के फेडरल ब्यूरो आफ इनवेस्टिगेशन के सहयोग से, 31 मई, 1986 को एयर इंडिया के एक विमान को उड़ाने की "बब्बर खालसा" के सिख उग्रवादियों की साजिश को नाकाम कर दिया। मांट्रियाल में 30 मई, 1986 को पांच व्यक्तियों यानी गुरचरण सिंह बनवैत, कश्मीर सिंह ढिलों, संतोख सिंह खेला, चतर सिंह सैनी और परमिंदर सिंह आनन्द को गिरफ्तार कर लिया गया। इन पांच अभियुक्तों में से, तीन को रिहा कर दिया गया क्योंकि अभियोजन पक्ष ने अपर्याप्त साक्ष्य के आधार पर उनके खिलाफ आरोप वापस ले लिये थे। उम्मीद है कि संतोख सिंह खेला और कश्मीर सिंह ढिलों के खिलाफ मुकदमा सुनवाई के लिए सितम्बर, 1986 में पेश होगा।

(ग) जी नहीं। अभियुक्त कनाडा में हैं, अमरीका में नहीं।

(घ) इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

महाराष्ट्र में रुई की ओटाई और सम्पीडन (जिनिंग और प्रेसिंग) फैक्ट्री में आग लगना

285. श्रीमती वसवराजेश्वरी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोरशी तहसील (महाराष्ट्र) में लेहागांव स्थित एक ओटाई और सम्पीडन (जिनिंग और प्रेसिंग) फैक्ट्री में फरवरी 1986 में आग लगने के कारण लगभग 20 लाख रुपये मूल्य की रुई और बिनौले नष्ट हो गये थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1986 के प्रारम्भ में कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और देश के अन्य भागों में भी इसी प्रकार आग लगने से रुई नष्ट होने की दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ग) 1-1-1986 से 30-6-1986 तक अग्नि दुर्घटनाओं के कारण रुई उत्पादकों और भारतीय रुई निगम को कुल कितनी हानि हुई है;

(घ) क्या इन अग्नि दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की गई है;

(ङ) यदि हां, तो उस जांच का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां। लेहागांव स्थित जवाहर जिनिंग एण्ड प्रोसेसिंग फैक्ट्री में 17-2-1986 को आग लग जाने की दुर्घटना में 16.31 लाख रु० मूल्य की कपास तथा त्रिपाल अन्तर्ग्रस्त थी।

(ख) जी हां। जनवरी, 1986 से अब तक कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में भारतीय रुई निगम के रुई भण्डारों में आग लगने के 19 मामले हुए हैं।

(ग) रुई उपजकर्ताओं की हानि की सीमा का पता नहीं है। 1-1-1986 से 30-6-1986 तक आग दुर्घटनाओं में भारतीय रुई निगम के अन्तर्ग्रस्त भण्डारों का मूल्य 8.88 करोड़ रु० है, जिसके लिए भारतीय रुई निगम ने बीमा कम्पनियों के यहां दावे किए हैं।

(घ) और (ङ) कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में आग की दुर्घटनाओं की जांच करने के लिए भारतीय रुई निगम के निदेशक (वित्त) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार आग लगने के मुख्य कारण बिजली का शार्ट सर्किट होना और गांठों का रगड़ खाना आदि थे। कुछ मामलों की जांच के लिए पुलिस को भी सौंपा गया है।

(च) उपरोक्त समिति ने आग की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कई अल्पावधि और दीर्घावधि उपायों की भी सिफारिश की है। निगम के शाखा अधिकारियों को जिनिंग तथा प्रेसिंग फैक्ट्रियों, बाजार समितियों और जिला अधिकारियों के सहयोग तथा समन्वय से इन उपायों को क्रियान्वित करने के निदेश दिए गए हैं। सम्बन्धित जिला कलक्टरों को जिनिंग तथा प्रेसिंग फैक्ट्रियों में आग बुझाने के प्रबंधों में सुधार करने और जिले में आग बुझाने की सामान्य सुविधाओं में सुधार करने का अनुरोध किया गया है।

महंगाई भत्ते पर आयकर से छूट

286. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते पर आयकर के भुगतान से छूट देने के संबंध में कोई अंतिम निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बैंकिंग उद्योग के कार्यकरण में सुधार

287. डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 जून, 1986 के "सर्चलाइट" में "एक्शन प्लान सूनटूइम्प्रूव बैंकिंग" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का देश में बैंकिंग उद्योग के कार्यकरण में सुधार लाने हेतु कोई कार्य योजना कार्यान्वित करने का विचार है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) बैंकिंग से संबंधित समस्याओं का प्रत्यक्ष जायजा लेने के लिए और क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए सिफारिशें करने के वास्ते भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा करने वाले तीन उच्च शक्ति प्राप्त दल भेजे थे। इन दलों की रिपोर्टों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालकों के साथ अलग-अलग बातचीत करने के बाद सेवाओं और परिचालनों की क्वालिटी में चहुमुंखी सुधार लाने और बैंकों की अर्थक्षमता बढ़ाने के लिए "कार्रवाई आयोजनाएं" तैयार करने के वास्ते कहा है। बैंकों से, यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि कार्रवाई आयोजनाओं के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए उचित तंत्र होना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इस प्रयोजन के लिए एक विशेष दल गठित किया है।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निगरानी सेल

288. डा० गौरी शंकर राजहंस
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद } : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु हाल ही में एक उच्च स्तरीय निगरानी सेल स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस निगरानी सेल के उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं;

(ग) यह निगरानी सेल विभिन्न पर्यटन स्थलों पर उपलब्ध सुविधाओं का मूल्यांकन किस प्रकार करेगा; और

(घ) इन योजनाओं के परिणामस्वरूप पर्यटकों की संख्या में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

पर्यटन मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) से (घ) पर्यटन मंत्रालय स्कीमों का समय से पूरा होना सुनिश्चित करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार/पर्यटन विभाग/राज्य सरकारों और निष्पादन अभिकरणों के साथ विभिन्न स्तरों पर बैठकों का निरन्तर आयोजन करके स्कीमों की प्रगति को लगातार मानिटर करता है। स्कीमों को इस तरह मानिटर करना पहले से चली आ रही एक प्रक्रिया है जिससे केन्द्रीय सरकार को पर्यटक महत्व के स्थानों पर आधार-संरचना की ताजी अपेक्षाओं का मूल्यांकन करने में सहायता मिलती है। यह आशा की जाती है कि बेहतर आधार-संरचना की उपलब्धता से भारत का एक बेहतर गंतव्य के रूप में संवर्धन करने में सहायता मिलेगी जो कि पर्यटक आगमनों में वृद्धि से प्रतिबिम्बित होगा।

[हिन्दी]

बैंक डकैतियों में बैंक कर्मचारियों का शामिल होना

289. श्री कमला प्रसाद रावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान सरकार की जानकारी में बैंक डकैती के ऐसे मामले आए हैं जिनमें लूटे गए बैंकों के अधिकारी भी शामिल थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन मामलों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सेन्ट्रल बैंक आफ

इण्डिया को छोड़कर जिसने सूचित किया है कि उसकी पटना स्थित बुध मार्ग शाखा में डकैती के संबंध में एक स्थानापन्न मुख्य रोकड़िया और एक सहायक रोकड़िया को पुलिस द्वारा दिनांक 13 मार्च, 1986 को न्यायिक हिरासत में रखा गया था, सरकारी क्षेत्र के किसी भी बैंक ने चालू वर्ष के दौरान किसी बैंक अधिकारी के डकैतियों में अन्तर्ग्रस्त होने की सूचना नहीं दी है।

अनधिकृत विद्युत चालित हथकरघों को नियमित करना

290. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में हजारों अनाधिकृत विद्युत चालित हथकरघे चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी राज्यवार संख्या क्या है तथा इन्हें नियमित न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने अब इन सभी विद्युत चालित हथकरघों को नियमित करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके लिए क्या मापदण्ड अपनाया जायेगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(ख) चूंकि ये अनधिकृत बिजली करघे हैं इसलिए कोई राज्यवार ब्यौरे नहीं बताए जा सकते। हालांकि सरकार ने अनधिकृत बिजली करघों के विनियमन के लिए आवेदन मांगे थे परन्तु ऐसे सभी बिजली करघों के मालिकों ने समय पर आवेदन नहीं दिये थे और बिजली करघे वैध परमिटों के बिना स्थापित किए गए होंगे।

(ग) और (घ) वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 1986, 11-4-1986 से प्रभावी हुआ। इस आदेश के अन्तर्गत बिना वैध परमिटों वाले विद्यमान बिजली करघों का पंजीकरण राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा अधिसूचित पंजीकरण प्राधिकारियों द्वारा आदेश के भाग-III के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

श्रीलंका के शरणार्थी

291. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीलंका में हुए उपद्रवों के कारण वहां से अब तक कितने शरणार्थी भारत आये हैं;

(ख) उन शरणार्थियों के भरण-पोषण पर सरकार द्वारा अब तक कितना खर्च किया गया है;

(ग) क्या उन्हें श्रीलंका वापिस भेजने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) श्रीलंका के जो शरणार्थी 8 जुलाई, 1986 तक भारत पहुंचे हैं, उनकी कुल संख्या 1,27,151 है।

(ख) 1983-84 और 1984-85 के दौरान श्रीलंका के शरणार्थियों की सहायता पर क्रमशः 68.50 लाख रुपये तथा 143.18 लाख रुपये खर्च किए गए थे। इस संबंध में शरणार्थियों की सहायता पर ही केवल कितना खर्च किया गया था इस बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि मार्च, 1985 से पहले इस बात का अलग लेखा जोखा नहीं रखा गया था। 985-86 में जब शरणार्थियों की सहायता पर खर्च सम्बन्धी अलग लेखा जोखा रखा गया तो तमिलनाडु सरकार द्वारा हमें दी गई सूचना के अनुसार दिसम्बर, 1985 तक इस सहायता तथा संरक्षण पर 4.23 करोड़ रुपये खर्च हुए। तमिलनाडु सरकार से कहा गया है कि वह हमें शरणार्थियों पर खर्च की गई राशि के बारे में अद्यतन आंकड़े उपलब्ध कराएं।

(ग) और (घ) भारत सरकार श्रीलंका में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होने का स्वागत करेगी जिनसे शरणार्थी सुरक्षा और सम्मान के साथ अपने घरों को वापस जा सकें। लेकिन इससे पहले कि शरणार्थी वापस जा सकें श्रीलंका के भीतर ही शांति, सामान्यता तथा स्थिरता की स्थिति उत्पन्न करनी होगी। सरकार ने श्रीलंका के प्राधिकारियों पर इस बात की आवश्यकता पर जोर दिया है कि वे उस देश में ऐसी आवश्यक स्थिति शीघ्र उत्पन्न करें ताकि शरणार्थी सम्मान और सुरक्षा के साथ अपने घरों को वापस जा सकें।

[हिन्दी]

स्वदेशी पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना

292. श्री मूल चन्द डागा : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 जून, 1986 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "न्यू प्लान टू प्रमोट डोमेस्टिक टूरिज्म" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो स्वदेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है; और

(ग) सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है जिसके परिणामस्वरूप भारत पर्यटन विकास निगम को वर्ष 1985 के दौरान 25 लाख रुपए का लाभ हुआ और इस वर्ष 405 लाख रुपए का लाभ होने की सम्भावना है ?

पर्यटन मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) जी, हां।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान सरकार स्वदेशी पर्यटन का विकास और संवर्धन करने पर अत्यधिक बल दे रही है। चूंकि इस उद्देश्य के लिए पहली आवश्यकता मितव्ययी आवास की व्यवस्था करना है, सरकार ने सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में चुनिन्दा पर्यटक केन्द्रों पर यात्री निवासों का निर्माण करना प्रारंभ किया है। सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान इस उद्देश्य के लिए 600 लाख रुपए का परिव्यय है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से पहले ही 23 प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं जिनमें से 10 को अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है। उन तीर्थ यात्रियों के लिए जिनकी स्वदेशी पर्यटन में प्रतिशतता अधिक होती है निम्न दर (टैरिफ) आवास का निर्माण करने के लिए सरकार ने भारतीय यात्री आवास विकास समिति नामक एक पंजीकृत संस्था की स्थापना की है। इस समिति का देश भर में महत्वपूर्ण तीर्थ केन्द्रों पर 50 यात्रिकाएं (धर्मशाला किस्म का आवास) निर्माण करने का प्रस्ताव है। केन्द्रीय सरकार समिति को निर्माण की लागत का 50% देती है जबकि भूमि संबंधित राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। स्वदेशी पर्यटन के संवर्धन के लिए अन्य प्रस्तावों में युवाओं के लिए विशेष तौर पर एक-मुश्त यात्रा का संवर्धन करना तथा महत्वपूर्ण सड़कों के साथ-साथ मार्गस्थ सुविधाओं की व्यवस्था करना शामिल है। लोगों में स्वदेशी पर्यटन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में 52 लाख रुपए की लागत से एक विशेष प्रचार अभियान प्रारम्भ किया गया था।

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा अपनी लाभप्रदता में सुधार लाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनमें ये शामिल हैं :—

(1) भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों को कई विदेशी शृंखलाओं के साथ शामिल करने के लिए आरक्षण करार करना ताकि विदेशी पर्यटकों द्वारा इनका सतत प्रयोग किया जा सके।

(2) स्थानीय कम्पनियों, यात्रा अभिकर्ताओं, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, आदि को अतिरिक्त छूट देना।

(3) स्वदेशी ग्राहकों के लिए सस्ती एक-मुश्त यात्राएं प्रारंभ करना।

(4) ट्रेवल ट्रेड फोरम्स में भागीदारी के जरिये विदेशी मार्किट में भारत पर्यटन विकास निगम की सम्पत्तियों का संवर्धन करना।

(5) उत्पाद में सुधार, आदि

(6) मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों के जरिए कर्मियों की व्यावसायिक दक्षता में सुधार लाना जिसके लिए अलग से एक विभाग खोला गया है।

[अनुवाद]

काफी बोर्ड का कार्यकरण और इसका पुनर्गठन

293. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या काफी बोर्ड का पुनर्गठन किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) इसका पुनर्गठन कब किया जाना था; और

(ग) इसके पुनर्गठन में हुए विलम्ब के क्या कारण हैं और इसका पुनर्गठन कब तक करने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) काफी बोर्ड का पुनर्गठन 22 अगस्त, 1984 को किया गया था और उसका कार्यकाल 21 अगस्त, 1987 तक है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

महाराष्ट्र में नागपुर में टाटा की एम्प्रेस मिल को अपने हाथ में ले लेना

294. श्री बनवारी लाल पुरोहित
डा० दत्ता सामन्त } : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने महाराष्ट्र में नागपुर में टाटा की एम्प्रेस मिल को अपने हाथ में लेने के संबंध में प्रधान मंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(ख) जैसी कि नई वस्त्र नीति में व्यवस्था की गई है, रुग्ण इकाइयों के सरकार द्वारा हाथ में लिये जाने या उनका राष्ट्रीयकरण किए जाने से रुग्णता की समस्या का समाधान नहीं मिलता और सरकार सामान्यतः ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। यदि राज्य सरकार का उपक्रम का राष्ट्रीयकरण करने का विचार है तो वे ऐसा करने के लिए सक्षम हैं।

मिशन प्रमुखों के पद का दर्जा बढ़ाना/घटाना

295. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 31 मार्च, 1986 तक मिशन प्रमुखों के पद भारतीय विदेश सेवा के विभिन्न ग्रेडों के पदों की स्थिति क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसे किन पदों को पदोन्नत अथवा पदावनत किया गया है;

(ग) इस पदोन्नयन/पदावनयन के क्या कारण हैं; और

(घ) 31 मार्च, 1986 तक गैर भारतीय विदेश सेवा के व्यक्तियों द्वारा मिशन प्रमुखों के कितने पद भरे गए हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। इन पदों का दर्जा इस तरह बढ़ाया/घटाया नहीं जाता है। प्रत्येक मिशन प्रमुख भारतीय विदेश सेवा के एक विशिष्ट वर्ग का होता है तथा जब वह अपने नये पद पर जाता है तो उसका यह वर्ग कायम रहता है। यह हो सकता है कि 31-3-1986 को जिस ग्रेड पर पद भरा गया था, उसका दर्जा उसके कार्यात्मक स्वरूप, जिसमें पद विशेष के लिए अधिकारी विशेष की उपयुक्तता भी शामिल है, के कारण वह नहीं रहा हो, जो पहले था।

(घ) ग्यारह

विवरण

31-3-86 की स्थिति के अनुसार भारतीय विदेश सेवा के विभिन्न ग्रेडों में मिशन प्रमुख के पद

ग्रेड I

1. राजदूत, ब्रुसल्स
2. भारत का स्थायी प्रतिनिधि, न्यूयार्क
3. राजदूत, बीजिंग
4. राजदूत, बोन
5. राजदूत, बुआनोस आयरेस
6. राजदूत, वाशिंगटन

7. राजदूत, बर्न

8. राजदूत, इस्लामाबाद

9. राजदूत, वियाना

10. भारत का स्थायी प्रतिनिधि, जेनेवा

11. राजदूत, काहिरा

12. भारत का हाई कमिशनर, ओटावा

13. राजदूत, मास्को

14. राजदूत, पेरिस

15. भारत का हाई कमिशनर, लंदन

16. राजदूत, ब्रासिलिया

17. भारत का हाई कमिशनर, वलिंगटन

18. राजदूत, मेक्सिको सिटी

ग्रेड II

1. राजदूत, दमिश्क

2. राजदूत, सोफिया

3. राजदूत, रंगून

4. राजदूत, हेग

5. राजदूत, तेहरान

6. राजदूत, टोक्यो

7. राजदूत, काठमांडू

8. राजदूत, ट्यूनिस

9. भारत का हाई कमिशनर, ढाका

10. राजदूत, मेड्रिड

11. राजदूत, लिस्बन

12. भारत का हाई कमिशनर, पोर्ट आफ स्पेन

13. राजदूत, प्राग

14. राजदूत, कुवैत

15. राजदूत, बैंकाक

16. भारत का हाई कमिशनर, हरारे

17. राजदूत, कोपन हेगन

18. भारत का हाई कमिशनर, कोलम्बो

19. राजदूत, वारसा

20. राजदूत, बेलग्रेड

21. राजदूत, हनोई

22. राजदूत, रियाद

23. भारत का हाई कमिशनर, माले

ग्रेड III

1. राजदूत, मापुटो

2. राजदूत, ओसलो

3. राजदूत, बुचारेस्ट

4. राजदूत, बकोटा

5. राजदूत, रोम

6. राजदूत, वियन्टायन

7. राजदूत, एथेन्स

8. राजदूत, काबुल
9. राजदूत, सेंतियागो
10. हाई कमिशनर, नारोबी
11. राजदूत, स्टाक होम
12. राजदूत, हवाना
13. कमिशनर, हांग कांग
14. राजदूत, अंकारा
15. हाई कमिशनर, लुसाका
16. राजदूत, बगदाद
17. हाई कमिशनर, कैनबरा
18. राजदूत, आदिसअबाबा
19. हाई कमिशनर, दारेस्लाम
20. राजदूत, बर्लिन
21. राजदूत, डेब्लिन
22. राजदूत, आबिदजान
23. राजदूत, प्योंगयेंग
24. राजदूत, अदन
25. हाई कमिशनर, कम्पाला
26. राजदूत, जकार्ता
27. राजदूत, साना
28. स्थायी प्रतिनिधि, यूनेस्को, पेरिस
29. राजदूत, मनीला
30. हाई कमीशनर, कुआलालम्पुर

31. राजदूत, कराकस

32. राजदूत, चिपू

33. राजदूत, हेलसिंकी

34. राजदूत, सिओल

35. राजदूत आबूधाबी

36. राजदूत, सीमा

37. राजदूत, त्रिपोली

38. राजदूत, अमन

39. राजदूत, कोनाक्री

40. हाई कमिशनर, पोर्ट लुई

41. हाई कमिशनर, जार्ज-टाऊन

42. राजदूत, अंटानानेरिवो

43. हाई कमिशनर, सूवा

44. राजदूत खार्तुम

45. राजदूत, बहरीन

46. राजदूत, किनशासा

47. हाई कमिशनर, लीलोंगवे

48. राजदूत, पनामा

49. राजदूत, अस्वीर्यस

50. राजदूत, दोहा

ग्रेड IV

1. हाई कमिशनर, निकोसिया

2. राजदूत, नोगादिशु

3. हाई कमिशनर, अंकरा
4. हाई कमिशनर, किंगस्टन
5. राजदूत, पारामारिबो
6. राजदूत, मसकट

पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित पदों का दर्जा बढ़ाया/घटाया गया है।

पद, जिसका दर्जा बढ़ाया गया है		पद, जिसका दर्जा घटाया गया है	
1.	बुआनोस आयरेस	1.	टोक्यो
2.	ब्रासीलिया	2.	काठमांडू
3.	इस्लामाबाद	3.	दमिश्क
4.	जेनेवा (भारत का स्थायी मिशन)	4.	कैनबरा
5.	मेक्सिको सिटी	5.	रोम
6.	वियाना	6.	जकार्ता
7.	काहिरा	7.	अंकारा
8.	वेलिंगटन	8.	एथेंस
9.	ओटावा	9.	खार्तुम
10.	सिंगापुर	10.	निकोसिया
11.	हनोई	11.	किंगस्टन
12.	ढाका		
13.	वारसा		
14.	हरारे		
15.	कोपेन हेगन		
16.	तेहरान		
17.	ट्यूनिस		
18.	माले		
19.	मोर्ट आफ स्पेन		
20.	बर्लिन		
21.	पनामा		
22.	कोनेक्री		
23.	पोर्ट लुई		
24.	अदन		
25.	आविदजेन		
26.	बहरीन		

बिहार में लीड बैंकों और गैर-लीड बैंकों की शाखाएं

296. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1986 तक बिहार के प्रत्येक जिले में लीड बैंकों और प्रत्येक गैर-लीड बैंकों की शाखाओं की संख्या कितनी है;

(ख) इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से बिहार के प्रत्येक जिले में कितनी अतिरिक्त शाखाएं खोलने की आवश्यकता है;

(ग) क्या जिलों में नई शाखाएं खोलने का कार्य लीड बैंकों को सौंपा जाएगा अथवा सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को सौंपा जायेगा;

(घ) क्या सरकार ने प्रत्येक जिले में गैर-लीड बैंकों की बहुलता की समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो प्रत्येक जिले में कार्यरत बैंकों की संख्या कम करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) अप्रैल, 1985 से मार्च, 1990 की पांच वर्षों की शाखा लाइसेंसिंग नीति में शाखाएं खोलने के बारे में ऐसी परिकल्पना की गई है जिससे प्रत्येक खण्ड की ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों की 17,000 की औसत जनसंख्या के पीछे एक बैंक कार्यालय खोलने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके और स्थानिक दूरियों को समाप्त किया जा सके ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक गांव से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी के अन्दर-अन्दर एक बैंक शाखा है। उपर्युक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिहार के प्रत्येक जिले में खोली जाने वाली अपेक्षित शाखाओं की अंतिम संख्या अभी नहीं आंकी गई है। अलबत्ता, जनसंख्या मापदण्ड के आधार पर, जो मानदण्डों में एक है, बिहार के विभिन्न जिलों में 447 अतिरिक्त शाखा कार्यालय खोले जाने हैं।

(ग) चालू शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत पता लगाए गए केन्द्रों के आवंटन के मामले में उस क्षेत्र में कार्य कर रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्राथमिकता दी जाएगी। अन्य क्षेत्रों में आबंटन अग्रणी बैंक तथा अन्य वाणिज्यिक बैंकों के सामान्यतया जिले में उनके वर्तमान प्रतिनिधित्व तथा शाखाओं की संख्या के अनुसार साम्यिक आधार पर किया जाएगा।

(घ) और (ङ) कुछ चुने हुए जिलों में शाखा विस्तार की समीक्षा करते समय सरकार को कुछ जिलों में वाणिज्यिक बैंकों की इक्का-दुक्का शाखाओं की जानकारी मिली है। भारतीय रिजर्व बैंक से इस मामले की जांच करने के लिए कहा गया है ताकि इस प्रकार की विसंगति को दूर किया जा सके और शाखा विस्तार को युक्तियुक्त बनाया जा सके।

वर्ष 1985-86 के दौरान मादक द्रव्यों की जब्ती

297. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान सीमाशुल्क अधिकारियों, द्वारा जब्त विभिन्न किस्म के मादक द्रव्यों की कुल मात्रा और मूल्य क्या है;

(ख) बेचे गए मादक द्रव्य की मात्रा कितनी है; और

(ग) इससे सरकार ने कितनी धनराशि अर्जित की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) देश मे तस्कर आयात और तस्कर निर्यात करने का प्रयास करते समय वर्ष 1985 और 1986 (30-6-86 तक) के दौरान अभिगृहीत किए गए नारकोटिक औषध-द्रव्यों के ब्यौरे निम्नोक्त हैं :—

औषध द्रव्य का नाम	मामलों की संख्या	अभिगृहीत की गई मात्रा किलो ग्राम में
(1)	(2)	(3)
	1985	
अफीम	54	1187.028
गांजा	152	53559.045
चरस	93	7494.177
मार्फीन	45	115.020
हेरोइन	63	599.701
कोकीन	—	—
	1986 (30-6-1986 तक)	
	अनन्तिम	
अफीम	13	253.115
गांजा	55	18006.350

1	2	3
चरस	28	9667.595
मार्फीन	13	14.230
हेरोइन	21	1004.298
कोकीन	1	0.200

अभिगृहीत किए गए नारकोटिक औषध-द्रव्यों का ठीक-ठीक मूल्य बता पाना सम्भव नहीं है क्योंकि इनका गैर-कानूनी बाजार मूल्य एक स्थान से दूसरे स्थान, समय, औषध द्रव्य की शुद्धता, स्थानीय मांग और सप्लाई की स्थिति, मूल स्थान आदि पर निर्भर करता है और इनके कारण इसमें अन्तर आ जाता है।

(ख) और (ग) हालांकि गैर-कानूनी धंधे से अभिगृहीत की गई अफीम और मार्फीन के, सरकारी अफीम और एल्कालायड वर्कशाप, गाजीपुर में संसाधन/पुनः संसाधन के लिए जैसा भी मामला हो भेजी जानी अपेक्षित होती है जबकि अन्य नारकोटिक औषध-द्रव्यों को सामान्यतः नष्ट कर दिया जाता है। कारखाने में संसाधित निषिद्ध अफीम और मार्फीन से उत्पादित औषध द्रव्यों की बिक्री से हुई आय का अलग से कोई लेखा-जोखा नहीं रखा जाता है और इससे इसलिए सूचना उपलब्ध नहीं है।

बिहार में भारतीय पटसन निगम द्वारा पटसन की खरीद का कार्यक्रम

298. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन निगम ने आगामी पटसन मौसम के लिए अपने खरीद कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो बिहार के लिए इस कार्यक्रम के लक्ष्यों की मुख्य बातें क्या हैं और खरीद केन्द्र कहां-कहां स्थित हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) भारतीय पटसन निगम (जे०सी०आई०) ने 1986-87 पटसन मौसम के लिए अनन्तिम तौर पर अपनी कार्यचालन योजना बना ली है। पहले की तरह, जे०सी०आई० सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम कानूनी कीमत पर आफर कच्चे पटसन का उस सभी मात्रा की, जो उसे आफर की जाएगी, खरीदारी जारी रखेगा। बिहार में अपनी खरीदारियों के संबंध में जे०सी०आई० अपना प्रयास जारी रखेगा जिससे कि चुनिन्दा हाटों एवं ग्रामीण स्थानों में खरीदारी में तेजी लाकर कीमत समर्थन कार्यचालन का लाभ यथा सम्भव अधिक से अधिक संख्या में उपजकर्ताओं को पहुंचे।

बैंक अधिकारियों के कार्यालयों तथा घरों पर छापे

299. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई और जून, 1986 के दौरान भारतीय स्टेट बैंक और कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों के उच्च प्राधिकारियों के कार्यालयों तथा घरों पर छापे मारे गये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बैंक कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी और चोरी के मामलों में वृद्धि

300. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब से सरकार ने ऋण शिविरों का आयोजन किया है तभी से राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी और चोरी के मामले में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और ऋण शिविर चालू होने के समय से कितने कर्मचारी अन्तर्ग्रस्त पाए गए हैं; और

(ग) इस अवधि के दौरान कितने कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया, कितने कर्मचारियों पर अभियोग चलाया गया और कितने कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम

301. **डा० चंद्रशेखर त्रिपाठी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई ऐसा ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम के निरसन करने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस अधिनियम के कब तक निरस्त किए जाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम को निरस्त किए जाने के संबंध में सरकार को समय-समय पर विभिन्न वर्गों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार ने अभी हाल ही में दो कार्यकारी दलों का गठन किया है पहला, स्वर्ण नियन्त्रण नीति के सभी पहलुओं पर विचार करेगा; तथा दूसरा, स्वर्ण नियन्त्रण तन्त्र आदि की कार्य-प्रणाली की समीक्षा करेगा। इन दो कार्यकारी दलों की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात ही स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम को निरस्त किए जाने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश में चाय बोर्ड का एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलना

302. श्री हरीश रावत : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में चाय के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितनी राशि खर्च किये जाने की सम्भावना है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का राज्य में चाय बोर्ड का एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) चाय बोर्ड अपनी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत चाय का उत्पादन बढ़ाने के लिए ऋण तथा उपदान देता है। सातवीं योजना के लिए 40 करोड़ रु० का परिव्यय है। यदि पूरे भारत के चाय उपजकर्ता, जिनमें उत्तर प्रदेश चाय उपजकर्ता भी शामिल हैं, पात्रता का मानदण्ड पूरा करते हैं तो वे ऐसी योजनाओं से लाभ उठा सकते हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) उत्तर प्रदेश में 1973-74 में बेरिनाग में चाय बोर्ड का एक उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय प्लान्टरों की तरफ से रुचि न लिए जाने की वजह से 1977-78 में बंद कर देना पड़ा। इस समय उत्तर प्रदेश में चाय के अन्तर्गत लगभग 1800 हैक्टेयर क्षेत्र टी है। अतिरिक्त भूमि की उपलब्धता से संबंधित समस्याओं की भी सूचना मिली है।

[अनुवाद]

श्रिम्प पकड़ने में कमी होना

303. **श्री आर० एस० माने :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रिम्प हमारे समुद्री निर्यात का मुख्य अंग है;

(ख) पिछले वर्ष बताई गई श्रिम्प पकड़ने की कमी की जांच करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या विदेशों में हमारे सुस्थापित समुद्री बाजारों पर इस कमी का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) इस उद्योग को स्थायी बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले वर्ष बताई गई श्रिम्प पकड़ने में कमी की जांच करने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं खारे पानी में श्रिम्प की खेती का संवर्धन तथा प्राउन उत्पत्ति शालाओं की स्थापना।

(ग) पिछले वर्ष बताई गई श्रिम्प आवक में मामूली-सी कमी से निकट भविष्य में विदेशों में हमारे सुस्थापित बाजारों पर कोई विशेष प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

(घ) समुद्री उत्पाद निर्यात उद्योग की सहायता करने के लिए उठाए गए कुछ कदमों में शक्ति है (i) उद्योग के आधुनिकीकरण और आई० क्यू० एफ० श्रिम्प जैसी मूल्य वर्धित मदों के उत्पादन जैसी अनेक योजनाओं के लिए सहायता अनुदान देना और (ii) चुनिन्दा समुद्री उत्पादों के निर्यात पर नकद मुआवजा सहायता देना।

पासपोर्ट कार्यालय में कदाचार

304. **श्री आर० एस० माने :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को समूचे देश में पासपोर्ट कार्यालयों में व्याप्त कदाचार के बारे में जानकारी है;

(ख) क्या अधिक कार्यकुशलता निश्चित करने के लिए पासपोर्ट कार्यालयों की आवर्ती तथा आकस्मिक जांच की गई है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष प्रत्येक पासपोर्ट कार्यालय की, की गई जांच की निर्धारित

संख्या क्या है; और

(घ) क्या इन कार्यालयों की कार्यप्रणाली में कार्यकुशलता लाने के लिए वर्ष 1986 में कोई नए उपाय किए गए हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) सरकार को समय-समय पर पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा दी जा रही सेवाओं के बारे में अलग-अलग शिकायतें तो मिली हैं लेकिन उसे ऐसी किन्हीं रिपोर्टों की जानकारी नहीं है जिनमें यह कहा गया हो कि देशभर के सभी पासपोर्ट कार्यालयों में काम ठीक तरह से नहीं हो रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) गत तीन वर्षों में नीचे लिखे निरीक्षण किए गए थे :—

(1) 1983 में 5 यानी अहमदाबाद (2), कलकत्ता (1), चंडीगढ़ (1), जालंधर (1)

(2) 1984 में 8 यानी कलकत्ता (1), भोपाल (1), चंडीगढ़ (1), जालंधर (1), लखनऊ (1), बरेली (1), हैदराबाद (1), विजयवाड़ा (1)

(3) 1985 में 18 यानी बम्बई (2), कोचीन (2), कलकत्ता (1), त्रिवेन्द्रम (1), लखनऊ (2), बरेली (3), चंडीगढ़ (1), बंगलौर (1), हैदराबाद (1), मद्रास (1), पटना (1), जयपुर (1) और अहमदाबाद (1)

(4) 1986 में 8 यानी
(जून, 1986 तक) जालंधर (2), चंडीगढ़ (2), भोपाल (1), बंगलौर (1), बरेली (1) और दिल्ली (1)

(घ) (1) भारत में सात पासपोर्ट कार्यालयों में इलैक्ट्रोनिक कैश रजिस्टर शुरू किए गए हैं। अन्य पासपोर्ट कार्यालयों में भी इसी प्रकार के रजिस्टर शुरू किए जा रहे हैं।

(2) पासपोर्ट कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। प्रथम चरण में दिल्ली, बम्बई, मद्रास तथा कोचीन स्थित कार्यालय शामिल हैं।

(3) जनता की शिकायतों को सुनने के लिए पासपोर्ट कार्यालयों तथा मंत्रालय में शिकायत अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

(4) यह सुनिश्चित करने के लिए कि पासपोर्ट कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों

और कर्मचारियों में निहित स्वार्थ न पनपे उनकी निश्चित अवधि के बाद अदला-बदली/स्थानांतरण किया जाता है।

बैंक आफ इंडिया द्वारा कारमाइकल रोड, बम्बई स्थित बहुमूल्य सम्पत्ति की बिक्री

305. **श्री विजय कुमार मिश्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक आफ इन्डिया के अधिकारियों को कारमाइकल रोड, बम्बई की बहुमूल्य सम्पत्ति को इसके बाजार मूल्य की चौथाई कीमत पर बेचने की अनुमति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सम्पत्ति की इस बिक्री पर आपत्ति की थी;

(घ) क्या यह सम्पत्ति बम्बई को किसी गैर-सरकारी पार्टी द्वारा गिरवी रखी गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि उसे अपने एक ग्राहक से बम्बई में कारमाइकल रोड पर स्थित एक फ्लैट की बिक्री के लिए, जो बैंक के पास बंधक था, अनुरोध प्राप्त हुआ था। बैंक के अनुसार, विभिन्न कानूनी कमियों पर विचार करने के बाद जिनसे बंधन और बैंक का दावा ग्रस्त था, बैंक ने ग्राहक के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। इसके अतिरिक्त, बैंक के अनुसार, फ्लैट का क्रेता उक्त फ्लैट को सभी विल्लंगमों और निर्योग्यताओं (एन्कम्ब्रेंसेज एण्ड डिसएबिलिटीज) सहित "जैसा है जहां है" के आधार पर खरीदने के लिए राजी हो गया था। बिक्री से प्राप्त सारी रकम ग्राहक द्वारा बैंक को देय रकम के एक भाग को चुकाने के लिए बैंक में जमा करवा दी गई थी। इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति लेने की जरूरत नहीं थी, फिर भी, दो प्राइवेट पार्टियों के बीच सम्पत्ति के लेन-देन में कीमत को कम करने की किसी सम्भावना की ओर आगे जांच की जा रही है।

ब्रह्मपुर में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की मांग

306. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1986 में उड़ीसा राज्य के बैंक अधिकारी संघ ने एक आन्दोलन चलाया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं;

(ग) क्या ब्रह्मपुर में बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) भारतीय बैंक संघ (आई०बी०ए०) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उड़ीसा स्टेट बैंक अधिकारी संघ ने जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल-I में कर्मचारियों की पदोन्नति, 1981 के बैच के सभी रोकड़ अधिकारियों का रूपांतरण; कुछ अधिकारियों को अपने मूल राज्य में वापस जाने के अवसरों, संघ के कुछ पदाधिकारियों के स्थानान्तरण, गंजम जिले में ब्रह्मपुर में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने आदि जैसी विभिन्न मांगों के समर्थन में 7 से 23 मई, 1986 तक रिले भूख हड़ताल की थी। आई०बी०ए० ने आगे सूचित किया है कि बैंक ब्रह्मपुर में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।

विदेश यात्रा योजना के अन्तर्गत दी गई विदेशी मुद्रा की राशि

307. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीयों के विदेश जाने के लिए विदेश यात्रा योजना नियमों के अन्तर्गत वर्ष 1983, 1984 और 1985 में अलग-अलग कितनी विदेशी मुद्रा दी गई है; और

(ख) विदेश यात्रा योजना नीति से वर्ष 1983, 1984 और 1985 में कितने लोगों को लाभ मिला है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा शीतल पेय के रुग्ण एककों को पुनरुज्जीवित करना

308. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित शीतल पेय एककों में विद्यमान रुग्णता के बारे में जानकारी है;

(ख) क्या इन एककों को पुनरुज्जीवित करने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि इस मामले को पहले ही भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की जानकारी में लाया गया है; और

(घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने उन एककों को सहायता देने तथा पुनरुज्जीवित करने हेतु तब से क्या कदम उठाए हैं जिनका इसने विभिन्न राज्य वित्त निगमों के मार्फत पुनः वित्त पोषण किया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित शीतल पेय एककों में रुग्णता के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा जून, 1986 में पुनर्वित्त मामलों के सम्बन्ध में किए गए एक तुरन्त अध्ययन से यह पता चला कि उड़ीसा, केरल, राजस्थान और तमिलनाडु के राज्यों में ऐसे कुछ रोगी एकक हैं।

(घ) रुग्ण शीतल पेय एकक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा चलाई जा रही पुनरुद्धार पुनर्वित्त योजना के अन्तर्गत पुनरुज्जीवन के लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने पात्र संस्थाओं को शीतल पेय एककों का वित्त पोषण करते समय विपणन सम्बन्धी पहलुओं की जांच करने की भी सलाह दी है।

विदेश यात्रा योजना में परिवर्तन

309. श्री सोमनाथ रथ : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेश यात्रा योजना जो पहले दो वर्ष में एक बार सुलभ थी, को तीन वर्ष में एक बार सुलभ करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या सरकार को इस परिवर्तन के कारण विदेशों में वास्तव में जाने वाले पर्यटकों को हो रही दिक्कतों की जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का वास्तव में विदेश जाने वाले पर्यटकों की सहायता कर इस योजना को उदार बनाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) यह निर्णय विदेशी मुद्रा की बचत करने के लिए लिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

निकारागुआ का संयुक्त राज्य अमेरिका पर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करने हेतु दबाव डालने के लिए गुट-निरपेक्ष आंदोलन के समर्थन का अनुरोध

311. श्रीमती गीता मुखर्जी
श्री बृज मोहन महन्ती
श्री ई० अय्यप्पू रेड्डी } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकारागुआ में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के इस निर्णय कि निकारागुआ की विद्रोही

सेनाओं को वाशिंगटन की सेना की सहायता अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, का अमेरिका से अनुपालन करने के अपने प्रयास में गुटनिरपेक्ष आंदोलन से मदद मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं और उस पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) निकारागुआ ने गुट-निरपेक्ष आंदोलन से विशिष्ट रूप से अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के हाल के निर्णय के संदर्भ में समर्थन देने के लिए नहीं कहा है। लेकिन गुट-निरपेक्ष देशों ने मध्य अमरीका में सभी बाहरी हस्तक्षेप का निरन्तर विरोध किया है जिसमें निकारागुआ में भाड़े के सैनिकों को अमरीकी सहायता भी शामिल है। मध्य अमरीका की हाल की घटना पर विचार करने के लिए 30 जून, 1986 को न्यूयार्क में आयोजित गुट-निरपेक्ष देशों के समन्वय ब्यूरो की जो बैठक हुई थी उसमें भी इस दृष्टिकोण की पुनः पुष्टि की गई थी।

अप्रत्यक्ष करों की स्वैच्छिक प्रकटन योजना

312. श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अप्रत्यक्ष करों के लिए स्वैच्छिक प्रकटन योजना आरम्भ करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) इस मामले के संबंध में सरकार के निर्णय की घोषणा शीघ्र ही कर दी जाएगी।

पश्चिमी यूरोप को भारतीय चाय के निर्यात में गिरावट

313. श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1985-86 के दौरान पश्चिमी यूरोप को भारतीय चाय के निर्यात में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसका निर्यात बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) भारत से पश्चिम यूरोपीय देशों को होने वाले चाय के निर्यातों में मुख्यतः इनमें से कुछ देशों द्वारा कुल मिलाकर कम खरीदारी किये जाने की वजह से 1984-85 की तुलना में 1985- 6 के दौरान गिरावट आई है। तथापि, निर्यातों का मूल्य पिछले वर्षों की तुलना में ठीक है। ऐसा समझा जाता है कि भारतीय चाय प्रतिनिधि मंडल की ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी तथा आयरलैंड की हाल की यात्रा से इन देशों को होने वाले भारतीय

चाय के निर्यातों पर लाभकारी प्रभाव पड़ सकता है।

निर्यात बढ़ाने के लिए किए गये उपायों में शामिल है : ब्रांड संवर्धन के लिए सहायता तथा मूल्य वर्धित चाय पर नकद मुआवजा सहायता। चाय बोर्ड विदेश स्थित अपने कार्यालयों के माध्यम से संवर्धन अभियान भी चलाता है।

दक्षिण कोरिया द्वारा लौह अयस्क का आयात

314. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दक्षिण कोरिया द्वारा वर्ष-वार भारत से कुल कितनी मात्रा में लौह अयस्क का आयात किया गया;

(ख) क्या सरकार ने दक्षिण कोरिया को लौह अयस्क के निर्यात में वृद्धि करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) दक्षिण कोरिया द्वारा भारत से पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार आयात किए गए लौह अयस्क की कुल मात्रा निम्नोक्त प्रकार है :

(मात्रा मिलियन मे० टन)

वर्ष	मात्रा
1983-84	2.880
1984-85	3.245
1985-85	2.856

(ख) और (ग) जी हां। निम्नोक्त उपाय किए गए हैं :

(i) एम० एम० टी० सी० दक्षिण कोरिया को लौह अयस्क की कीमतों में छूट देता रहा है क्योंकि बड़े आकार वाले जलयानों का संचालन करने में पारादीप पत्तन की असमर्थता की वजह से खरीदार के लिए भाड़ा सम्बन्धी नुकसान रहा है।

(ii) 55,000 डी० डब्ल्यू० टी० के विद्यमान स्तर से 170,000 डी० डब्ल्यू० टी० तक के बड़े आकार वाले जलयानों को ठहराने के लिए पारादीप पत्तन को गहरा करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे दक्षिण कोरिया को होने वाले एम०एम०टी०सी० के निर्यातों के काफी बढ़ने की आशा है।

(iii) एम० एम० टी० सी० दक्षिण कोरिया को निर्यात बढ़ाने के लिए उस देश को होने वाले लौह अयस्क के निर्यात के लिए दीर्घावधि संविदा पर बात चीत कर रहा है।

कर्नाटक में नए जिले बनाने का प्रस्ताव

315. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में कुछ नए जिले बनाने के लिए केन्द्र की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इन प्रस्तावों की जांच करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

हेरोइन का पकड़ा जाना

316. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा 1-5-1986 के पश्चात् (अब तक) देश में हेरोइन पकड़े जाने के कुछ मामले हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यवार मामलों की कुल संख्या प्रत्येक मामले में कितनी हेरोइन पकड़ी गई और उसका स्थानीय बाजार में तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में क्या मूल्य है; और

(ग) देश के भीतर तथा देश के बाहर हेरोइन की तस्करी कम करने के लिए क्या उपाय किये

गये हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) राजस्व गुप्तचर्या निदेशालय के अधिकारियों ने 1-5-1986 से 16-7-1986 तक की अवधि के दौरान नार्कोटिक औषध-द्रव्यों के तीन अभिग्रहण किए हैं। अभिग्रहणों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(1) दिनांक 10-5-1986 को (कुण्डली में) दिल्ली-हरियाणा सीमा के निकट अमृतसर से आ रहे एक ट्रक से 10 किलो ग्राम हेरोइन पकड़ी गई थी। अनुवर्ती कार्रवाई में, 1408, मुखर्जी नगर, दिल्ली, स्थित आवासीय परिसर से 34 किलो ग्राम हेरोइन पकड़ी गई थी।

(2) दिनांक 11-6-1986 को, सहार हवाई अड्डा, बम्बई, महाराष्ट्र में जाम्बियन एयरवेज की फ्लाइट नं० क्यू० जैड-081 के कर्मीदल के एक सदस्य की तलाशी लिये जाने पर 7 किलोग्राम ब्राउन पाउडर पकड़ा गया था जिसके बारे में हेरोइन होने का संदेह किया गया था। अनुवर्ती कार्रवाई में, बीर-खान स्ट्रीट, बम्बई-3, महाराष्ट्र, की बस्ती के एक आवासीय परिसर से 3 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई थी और उसे पकड़ लिया गया था।

(3) दिनांक 11-7-1986 को, सहार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बम्बई महाराष्ट्र में दो नाइजीरियाई राष्ट्रिकों के पास से हेरोइन होने के संदेह में 11 किलोग्राम ब्राउन पाउडर बरामद किया गया था।

पकड़े गये औषध-द्रव्यों का ठीक-ठीक मूल्य नहीं बताया जा सकता है क्योंकि भारत तथा विदेशों में औषध-द्रव्य के अवैध बाजार-मूल्य में काफी अंतर होता है जो पकड़ने के समय और स्थान, औषध-द्रव्यों की शुद्धता उनकी स्थानीय मांग और आपूर्ति की स्थिति, आदि पर बहुत कुछ निर्भर करता है।

(ग) सामान्य रूप से तस्करी के खिलाफ तस्करी-रोधी अभियान तेज कर दिया गया है। तस्करी और अभिग्रहणों की प्रवृत्तियों की बार-बार समीक्षा की जाती रहती है ताकि केन्द्रीय तथा राज्य-सरकार के संबंधित अभिकरणों के साथ घनिष्ठ तालमेल करके समुचित कार्रवाई की जा सके। नार्कोटिक औषध-द्रव्यों के अभिग्रहणों के मामलों की भली-भांति जांच-पड़ताल की जाती है और "स्वापक औषध-द्रव्य और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985" के तहत कार्रवाई की जाती है। समुचित मामलों में, ग्रस्त व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अधीन नजरबन्द भी किया जाता है।

नार्कोटिक नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना की गई है ताकि केन्द्रीय तथा विभिन्न राज्य सरकारों की कार्रवाई को समन्वित किया जा सके सभी अन्तर्राष्ट्रीय प्रातोकालों, भारत द्वारा अनुसमर्थित अभिसमयों के अधीन अवैध व्यापार के खिलाफ प्रति उपायों के बारे में दायित्वों को कार्यान्वित किया जा

सके। विदेशों में तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में संबंधित प्राधिकारियों को सहायता दी जा सके और स्वास्थ्य तथा औषध-द्रव्य के दुरुपयोग से सम्बन्धित मामलों के बारे में स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय, समाज कल्याण मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों अथवा संगठनों द्वारा की गई कार्रवाई को समन्वित किया जा सके। नार्कोटिक औषध-द्रव्यों और मनोत्तेजक पदार्थों के गैर-कानूनी धंधे को और उसकी बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने के लिए, सीमा शुल्क/केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय में अलग-से नार्कोटिक कक्ष बना दिये गये हैं।

भारत जापान व्यापार

317. **श्री वी० तुलसी राम** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और जापान इंजीनियरिंग इलैक्ट्रानिकी रसायन आदि के क्षेत्र में व्यापार संवर्धन तथा संयुक्त उद्यम के सम्बन्ध में किसी कार्यक्रम पर सहमत हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो करारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) आयात और निर्यात की प्रस्तावित मदों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस करार से भारत कितना लाभान्वित होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) टोकियो में 19 से 21 जून 1986 तक हुए भारत-जापान व्यापार वार्ताओं के पांचवें दौर में विभिन्न क्षेत्रों में, जिनमें इंजीनियरी, इलेक्ट्रोनिक, रसायन शामिल हैं, भारत तथा जापान के बीच निर्यात अभिमुख संयुक्त उद्यमों में जापानी सहायता प्राप्त करने की सम्भावनाओं पर विचार किया गया।

(घ) इससे भारत जापान तथा तीसरे देशों को विनिर्मित मदों के रूप में निर्यातों का विविधीकरण कर सकेगा।

छोटे नोटों को सिक्कों में बदलना

31. **श्री गुरुदास कामत** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटे नोटों को सिक्कों में बदलने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या 500 रुपये का नोट चालू करने सम्बन्धी निर्णय पर तेजी से विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस निर्णय के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) एक रुपए और 2 रुपए के निम्न मूल्य वर्ग के नोट तीव्र गति से परिचालित होते हैं और अपेक्षतया उनकी जीवनावधि कम होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि इन मूल्यवर्ग के नोटों को सिक्कों में परिवर्तित किया जाए। तथापि इन नोटों के प्रति जनता की लगातार अभिरुचि को दृष्टिगत रखते हुए थोड़े से समय में इन नोटों का सिक्कों में पूर्णरूप से प्रतिस्थापन्न करना वांछनीय नहीं होगा। इसलिए न केवल सिक्कों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए बल्कि एक रुपए और दो रुपए के नोटों के मुद्रण में भी वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) प्रस्तावित 500 रुपए के नोट का डिजाइन तैयार करने से संबंधित कार्य प्रगति पर है।

(घ) अर्थव्यवस्था का विकास होने और उसके परिणामस्वरूप करेंसी नोटों की आवश्यकता में वृद्धि होने के कारण, 100/- रुपए के नोटों की मांग में भी वृद्धि हो रही है। इस परिप्रेक्ष्य में, 500/- रुपये मूल्यवर्ग के नोट को प्रचलित करना आवश्यक समझा गया है।

सिक्कों की कमी

319. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सिक्कों की कमी पर अब काबू पा लिया गया है;

(ख) कमी को दूर करने के लिए सिक्कों के आयात पर अब तक कितनी राशि व्यय की गयी है;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में सिक्कों की कमी दूर करने के लिए और अधिक सिक्के भेजने हेतु आग्रह किया है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी मात्रा में सिक्कों की मांग की गयी तथा कितनी मात्रा की सप्लाई की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) टकसालों में हुए उत्पादन में वृद्धि तथा आयात द्वारा उसमें सहूलियत मिलने से सिक्कों की उपलब्धता की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। आयात के साथ-साथ, वर्ष 1986-87 के लिए उत्पादन के अधिक लक्ष्य को देखते हुए स्थिति में और सुधार होगा।

(ख) 200 करोड़ अदद सिक्कों के आयात पर लगभग 64.96 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च हुई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ के साथ द्विपक्षीय व्यापार

320. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापारिक सम्बन्धों में सुधार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ के साथ आयात-निर्यात की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी हां। एशिया देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धों में व्यापार अन्तर के प्रतिकूल शेष में कमी के रूप में सुधार हुआ है।

(ख) अप्रैल-दिसम्बर, 1985 की अवधि के लिए संबंधित एशियान देशों के साथ आयात-निर्यात की वर्तमान स्थिति अनन्तिम रूप से निम्नोक्त प्रकार है :—

(करोड़ रु० में)

	अप्रैल-दिसम्बर, 1985	
	निर्यात	आयात
इंडोनेशिया	10.60	27.15
मलेशिया	94.14	322.93
फिलिपीन्स	4.47	8.02
सिंगापुर	90.30	271.24
थाइलैंड	20.68	64.54
ब्रूनी	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	योग 220.19	693.88

सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं, बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्षों द्वारा अर्जित धन और सम्पत्ति के बारे में मूल्यांकन

321. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के उद्देश्य से वित्त संस्थाओं, बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों के वर्तमान और भूतपूर्व अध्यक्षों के वास्तविक धन और सम्पत्ति का मूल्यांकन करने के लिए कोई कदम उठाए गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त मूल्यांकन के क्या परिणाम निकले; और

(ग) उनमें से कितने सेवानिवृत्ति के साथ विदेशों में जाकर बस गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) धन-कर अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत कर निर्धारिती द्वारा दाखिल की गई धन की विवरणी और अधिनियम के विशेष उपबंधों के आधार पर "शुद्ध आय" का कर-निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार किए गये कर निर्धारण भ्रष्टाचार उन्मूलन को मद्देनजर रखते हुए, वास्तविक धन और सम्पत्ति के कर-निर्धारण नहीं होते हैं।

(ग) सरकार बैंकों/आवधिक ऋणदाता संस्थाओं के मुख्य कार्यकारियों के सेवा निवृत्त हो जाने के पश्चात् उनके बसने के स्थानों का रिकार्ड नहीं रखती है।

गुजरात में राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा रुग्ण और असक्षम मिलों का अधिग्रहण

322. श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में अब तक कितनी कपड़ा मिल बन्द हो चुकी हैं और उनके नाम क्या हैं;

(ख) गुजरात में राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा बड़ोदा की अधिगृहीत कपड़ा मिलों के नाम क्या हैं;

(ग) उन रुग्ण कपड़ा मिलों के नाम क्या हैं जो असक्षम यूनिटें हैं और अब भी बन्द पड़ी हैं;

(घ) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा बड़ोदा की पी० जी० टैक्सटाइल मिल्स और श्री यमुना मिल्स का अधिग्रहण किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इन रुग्ण और असक्षम यूनिटों को सक्षम बनाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) विवरण I संलग्न है जिसमें गुजरात में 30- -86 को बन्द पड़ी मिलों की संख्या तथा नाम दर्शाए गये हैं।

(ख) विवरण-II संलग्न है जिसमें एन०टी०सी० लि० के एक सहायक निगम एन०डी०सी० (गुजरात) लि०, अहमदाबाद के अधीन वस्त्र मिलों के नाम दर्शाए गए हैं।

(ग) गुजरात में बन्द पड़ी वस्त्र मिलों के नाम, जिन्हें नोडीय अभिकरण द्वारा अलाभकर समझा गया है नीचे दिए गए हैं : —

(1) नवज्योत मिल्स लि० कड़ी।

(2) महाराणा मिल्स प्रा० लि० पोरबन्दर।

(3) कमर्शियल अहमदाबाद मिल्स क० लि०, अहमदाबाद।

(4) कैलाश मिल्स प्रा० अम्बरगांव।

(5) श्री माण्डवी स्पिनिंग मिल्स, माण्डवी, कच्छ।

(घ) जी नहीं।

(ङ) ऐसे वस्त्र एककों के सम्बन्ध में, जिन्हें संभाव्यत: रूप में अर्थक्षम पाया जाएगा, पुनर्स्थापना पैकेज तैयार करने तथा उसका प्रबन्ध करने के लिए जैसी कि नई वस्त्र नीति में व्यवस्था है, एक नोडीय अभिकरण स्थापित किया गया है। सरकार ने भी वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए टैक्सटाइल आधुनिकीकरण कोष स्थापित करने का विनिश्चय किया है। इस कोष का संचालन आई०डी०बी०आई० करेगा।

विवरण-I

क्रमांक	मिलों का नाम
1	2
1.	दि फाइन निटिंग कं० लि०, अहमदाबाद।
2.	गुजरात स्पि० मिल्स, अहमदाबाद।
3.	कैलाश मिल्स प्रा० लि० अम्बरगांव।
4.	श्री माण्डवी स्पि० मिल्स, माण्डवी, कच्छ।
5.	मानकचौक एण्ड अहमदाबाद मैन्यु० कं० लि० अहमदाबाद।
6.	बालकिया मिल्स कं० लि०, अहमदाबाद।
7.	मारसदन स्पि० एण्ड वीवि० कं० लि० अहमदाबाद।
8.	मोनोग्राम मिल्स कं० लि० अहमदाबाद।
9.	तरुन कमर्शियल मिल्स लि०, अहमदाबाद।

1	2
10.	अहमदाबाद काटन मैन्यु० कं० लि० नं० 1 (बागिच मिल्स) अहमदाबाद।
11.	अहमदाबाद काटन मैन्यू० कं० लि० नं० 2 (किमभाई मैन्यु०) अहमदाबाद।
12.	सरनपुर काटन मिल्स लि० नं० 2 अहमदाबाद।
13.	अभय मिल्स लि०, अहमदाबाद।
14.	मंजुश्री टैक्सटाइल्स, अहमदाबाद।
15.	श्री बंसीधर स्टि० एण्ड वीवि० मिल्स लि०, अहमदाबाद।
16.	कमर्शियल अहमदाबाद मिल कं० लि०, अहमदाबाद।
17.	महाराणा मिल्स प्रा० लि०।
18.	नवज्योत मिल्स लि०, कंडी।
19.	गायकवाड़ मिल्स लि०, अहमदाबाद।

विवरण-II

क्रमांक	गुजरात में अधिग्रहण किया गया/एन० टी० सी० द्वारा प्रबन्धित
1.	अहमदाबाद जूपीटर टैक्सटाइल्स।
2.	अहमदाबाद न्यू टैक्सटाइल्स।
3.	हिमाद्रि टैक्सटाइल मिल्स।
4.	जहांगीर टैक्सटाइल मिल्स।
5.	न्यू मानकचौक टैक्सटाइल मिल्स।
6.	राजनगर टैक्सटाइल मिल्स नं० 1
7.	राजनगर टैक्सटाइल मिल्स नं० 2
8.	महालक्ष्मी टैक्सटाइल मिल्स।
9.	पैटलैड टैक्सटाइल मिल्स।
10.	राजकोट टैक्सटाइल मिल्स।
11.	हिरामगांव टैक्सटाइल्स।
12.	फाइन नीटिंग कं० अहमदाबाद।

कर्नाटक में हम्पी के जीर्णोद्धार का प्रस्ताव

322. **कुमारी डी० के० तारा देवी** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कर्नाटक में "हम्पी के जीर्णोद्धार" के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) क्या इसके निर्णय और इसे एक अच्छा पर्यटन केन्द्र बनाने के लिए सुविधायें देने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है ?

पर्यटन मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) से (ग) प्राचीन विजय नगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी का अपेक्षित सुविधाओं सहित एक पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास करने के लिए सरकार के पास योजनाएं हैं। राज्य सरकार 28.41 लाख रुपयों की कुल लागत से आवास सुविधाओं और सभा भवन की व्यवस्था हेतु परियोजना को कार्यान्वित कर रही है।

(घ) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गये प्रस्ताव के आधार पर, केन्द्रीय पर्यटन विभाग हम्पी में एक रेस्तरां कम्पलैक्स का निर्माण करने हेतु जुलाई, 1983 में 15.59 लाख रुपये मंजूर किए हैं और राज्य सरकार परियोजना को कार्यान्वित कर रही है।

बंगलौर स्थित अशोक होटल को बन्द करने का प्रस्ताव

324. **कुमारी डी० के० तारा देवी** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर स्थित भारत पर्यटन विकास निगम के अशोक होटल को बन्द करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) गत पांच वर्षों की अवधि के दौरान इसका वित्तीय कार्य-निष्पादन कैसा रहा है ?

पर्यटन मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) जी, नहीं।

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान होटल का कार्य-निष्पादन इस प्रकार रहा :

वर्ष	अधिभोग	(+) निवल लाभ/हानि (—) (लाख रु० में)
1981-82	69	(+) 4.21
1982-83	50	(—) 47.64
1983-84	50	(—) 5.49
1984-85	36	(—) 59.84
1985-86 (अनन्तिम)	46	(—) 52.88

रेलवे बजट को सामान्य बजट के साथ मिलाने सम्बन्धी प्रस्ताव

325. कुमारी डी० के० तारा देवी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेलवे और सामान्य बजटों को पृथक-पृथक करने की वर्तमान प्रणाली को समाप्त करने और दोनों बजटों को मिला कर एक बजट करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की रूप रेखा क्या है और इस संबंध में निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ?

व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढवी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

इलायची और इलायची तेल का निर्यात

326. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के लिये इलायची और इलायची तेल के निर्यात हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे;

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का निर्यात किया गया;

(ग) कौन-कौन से देशों में इसका प्रमुख्यत: निर्यात बाजार है;

(घ) केरल राज्य में इलायची और इलायची तेल के कितने प्रतिशत का उत्पादन होता है; और

(ङ) वर्ष 1986-87 के लिए उपर्युक्त के निर्यात का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है और 1 अप्रैल, 1986 से 30 जून, 1986 तक के दौरान इलायची की कितनी मात्रा और कितने मूल्य के इलायची का निर्यात किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) 1985-86 के लिए इलायची तेल के लिए अलग से कोई निर्यात लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

(ख) 1985-86 के दौरान 852 कि०ग्रा० इलायची तेल का निर्यात किया गया जिसका मूल्य 24.00 लाख रु० था।

(ग) इलायची के लिए मुख्य बाजार कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सोवियत संघ तथा जापान हैं।

(घ) देश के इलायची उत्पादन का 71% केरल में होता है। इसके थोड़े से भाग को इलायची तेल के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है।

(ङ) 1986-87 के दौरान इलायची के निर्यात का लक्ष्य मोटे तौर पर 3200 मे० टन निर्धारित किया गया है जिसका मूल्य 55.00 करोड़ रु० होगा जबकि इलायची तेल के लिए कोई निर्यात लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

निर्यात आंकड़े केवल मई, 1986 तक के उपलब्ध हैं। अप्रैल-मई, 1986 के दौरान इलायची तथा इलायची तेल के निर्यातों का अनुमान क्रमश: 6.23 करोड़ रु० मूल्य के 462 मे० टन तथा 2.74 लाख रु० मूल्य के 100 कि०ग्रा० लगाया गया है।

ग्रामीण बैंक कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को बढ़ाने पर विचार

327. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण बैंकों को सम्बन्धित मूल राष्ट्रीयकृत बैंक में विलय करने का कोई विचार है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के वेतन और अन्य परिलब्धियों को बढ़ाकर राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के बराबर करने का कोई विचार है; और

(ग) केरल में कार्यरत ग्रामीण बैंकों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक के अन्तर्गत कितनी शाखायें हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान इन बैंकों की लाभ और हानियों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों अधिनियम 1976 की धारा 17 (1) के अनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य परिलब्धियां सम्बन्धित राज्य सरकार के समकक्ष कर्मचारियों के बराबर रखे गए हैं।

(ग) केरल में कार्यरत ग्रामीण बैंकों के नाम तथा प्रत्येक बैंक की शाखाओं की संख्या और गत तीन वर्षों के दौरान इन बैंकों के लाभ हानि का ब्योरा निम्नानुसार है :—

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	(दिसम्बर को)		
	1983	1984	1985
	(क) शाखाओं की संख्या		
1. साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक	123	134	144
2. नार्थ मालाबार ग्रामीण बैंक	107	113	118
	(लाख रुपए)		
	(ख) लाभ (+) हानि (—)		
1. साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक	(+) 13.22	(+) 9.50	(+) 17.79
2. नार्थ मालाबार ग्रामीण बैंक	(+) 12.86	(—) 10.27	(—) 15.23

खुंजेरेब दर्रे को खोलने के बारे में भारत की आपत्ति

328. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और चीन के बीच खुंजेरेब दर्रे को खोलने के बारे में सरकारी तौर पर आपत्ति की है; और

(ख) भारत की आपत्ति पर चीन की क्या प्रतिक्रिया थी ?

विदेश मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां।

(ख) चीन की सरकार ने हमारे विरोध को यह कह कर अस्वीकार कर दिया है कि खुंजेरेब

दर्रे को खोलने का मामला चीन और पाकिस्तान के बीच का है और काश्मीर के स्वामित्व के सवाल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है।

केरल के हथकरघा बुनकरों के लिए वर्कशेड कम-हाउसिंग स्कीम के लिए आवंटन

329. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान हथकरघा बुनकरों के लिए "वर्कशेड-कम-हाउसिंग स्कीम" के लिए केरल राज्य को कितना आवंटन किया गया है; और

(ख) केरल में उक्त योजना से कितने कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) हथकरघा बुनकरों के लिए वर्कशेड-सह-हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत निधियों का कोई राज्य-वार आवंटन नहीं किया जाता है। राज्य सरकारों को निधियां उनसे प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर रिलीज की जाती हैं। तदनुसार, 1986-87 के दौरान केरल को योजना के अन्तर्गत निधियों की रिलीज पर राज्य सरकार से विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जाएगा।

पौंड, मार्क, येन और रुबल की तुलना में रुपये का मूल्य

330. **श्री ई० अय्यप्पू रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1986 में इंग्लैंड के पौंड, पश्चिम जर्मनी के मार्क, जापान के येन और रूस के रुबल की तुलना में रुपये का मूल्य बढ़ा है;

(ख) क्या अमरीका के डालर और सिंगापुर के डालर की तुलना में इसका साथ ही साथ अवमूल्यन हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के अवमूल्यन के कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) मई, 1986 के दौरान पौंड स्टर्लिंग और ड्यूश मार्क की तुलना में भारतीय रुपए के मूल्य में वृद्धि हुई है लेकिन जापानी येन, अमेरिकी डालर और सिंगापुर डालर की तुलना में उसका अवमूल्यन हुआ है। व्यापारिक लेन-देन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित रुपया-रुबल दर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ग) रुपए की विनिमय दर का निर्धारण मुद्राओं की डाली के मूल्य के संदर्भ में किया जाता है। रुपए और अन्य विभिन्न मुद्राओं के बीच की विनिमय दरें बढ़ती-घटती रहती हैं और ऐसा अन्तर्रा-

ष्ट्रीय विदेशी मुद्रा बाजारों में इन मुद्राओं के मूल्य में होने वाली घट-बढ़ के कारण होता है।

जी० एस० पटेल समिति की रिपोर्ट

331. डा० चिन्ता मोहन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईक्विटी कानून में परिवर्तन करने सम्बन्धी जी० एस० पटेल समिति ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और प्रत्येक मुद्दे पर क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है; और

(ग) पटेल समिति की रिपोर्ट सभा पटल पर कब तक रखी जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) श्री जी० एस० पटेल की अध्यक्षता में स्टाक एक्सचेंजों से सम्बन्धित उच्चाधिकार-प्राप्त समिति की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है। तथापि, समिति के विचारणीय विषयों में सामान्य शेयरों से सम्बन्धित विधि में संशोधन का विषय शामिल नहीं था। समिति ने स्टाक एक्सचेंजों के कार्यकरण के सम्बन्ध में बहुत सी सिफारिशें की है, जिनमें से मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

(1) हामीदारी कमीशन, दलाली और प्रबन्धक दलालों के पारिश्रमिक की दरों को युक्तिसंगत बनाना;

(2) जनता से प्रतिभूतियों के लिए न्यूनतम 1000 रुपये की राशि (दस दस रुपये वाले 100 शेयरों अथवा 100 रुपये वाले 10 शेयर/ऋणपत्र) के लिए आवेदन मंगवाना तथा 10-10 रुपये वाले 100 शेयरों अथवा 100-100 रुपये वाले 10 शेयरों/ऋणपत्रों का न्यूनतम आबंटन करना;

(3) प्रतिभूतियों में अंशदान के लिए सार्वजनिक प्रस्ताव के न्यूनतम दिनों की संख्या को तीन दिन से घटा कर दो दिन करना;

(4) किसी कम्पनी को स्टाक एक्सचेंज की सूची में दर्ज कराने की पात्रता के लिए प्रदत्त सामान्य शेयरपूंजी की न्यूनतम आवश्यकता को 20 लाख रुपये के पिछले स्तर से बढ़ा कर 50 लाख रुपये करना;

(5) स्टाक एक्सचेंज के सदस्यों और उनके ग्राहकों के लिए आचार संहिता बनाना;

(6) स्टाक एक्सचेंजों में ग्राहक संरक्षण निधि का सृजन;

(7) स्टाक एक्सचेंजों के सदस्यों के लिए बीमा कवच प्रदान करना;

(8) स्टाक एक्सचेंजों के संगठन के लिए एक समान माडल अपनाना;

(9) स्टाक एक्सचेंजों के शासी निकायों को व्यापक आधार प्रदान करना;

(10) प्रतिभूति उद्योग परिषद नामक एक शीर्षस्थ निकाय की स्थापना;

(11) स्टाक एक्सचेंजों की सदस्यता बढ़ाना।

इनमें से बहुत सी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं। उन निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए स्टाक एक्सचेंजों को उपयुक्त निदेश जारी कर दिए गए हैं जिनसे वे सम्बन्धित हैं।

(ग) इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के सभा पटलों पर यथाशीघ्र रखने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में क्षेत्रीय प्रबंधक/वरिष्ठ प्रबन्धक के वेतनमान

332. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक वर्ष 1983 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के क्षेत्रीय प्रबंधक/वरिष्ठ प्रबंधक के वेतनमानों पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एरिया प्रबंधकों/वरिष्ठ प्रबंधकों के पद बनाने के लिए पहले ही अनुमति दे दी है। इन प्रबंधकों को वेतन मानों को अन्तिम रूप दिये जाने तक, प्रति मास 75/- रुपए का विशेष वेतन लेने की अनुमति दी गई है।

गैर-सरकारी क्षेत्र को विदेशी ऋण

333. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी एककों द्वारा विदेशी ऋण प्राप्त करने के मामले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह मामला सरकार के विचाराधीन है कि गैर-सरकारी क्षेत्र को विदेशी ऋण प्राप्त

करने की अनुमति न दी जाए क्योंकि इससे देश के ऋण सेवा अनुपात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) 1985-86 में सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को कुल 884.21 करोड़ रुपए के विदेशी वाणिज्यिक ऋण स्वीकृत किए गए। लेकिन गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को दी गई ऐसी स्वीकृतियों की राशि 318.42 करोड़ रुपए थी। इसमें से पूर्तिकर्ता ऋणों (सप्लायर्ज क्रेडिट) की राशि 17.91 करोड़ रुपए, क्रेता ऋणों (बायर्ज क्रेडिट) की राशि 87.29 करोड़ रुपए और यूरो-करेंसी ऋणों की राशि 213.22 करोड़ रुपए की थी।

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को मुख्यत: अनुमोदित परियोजनाओं/योजनाओं के लिए पूंजीगत वस्तुओं और सेवाओं के आयात के लिए विदेशों से वाणिज्यिक ऋण जुटाने की अनुमति चयनात्मक आधार पर दी जाती है। ऐसे ऋण लेने की अनुमति, अन्य बातों के साथ-साथ, परियोजना की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताओं, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्रोतों से रियायती धनराशि की उपलब्धता को हिसाब में लेने के बाद और ऋण-परिशोधन सम्बन्ध देनदारी को विवेकसम्मत सीमाओं में रखने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए दी जाती है।

दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध

334. डा० बी० एल० शैलेश
डा० डी० एन० रेड्डी
श्री जगन्नाथ पटनायक } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने के बारे में राष्ट्र मंडल देशों की इस समय क्या अवधारणा है;

(ख) क्या ब्रिटेन दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाने के बारे में राष्ट्र मंडल की प्राय: सर्वसम्मति के अभी भी विरुद्ध है;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत ने इस मामले में ब्रिटिश सरकार को राष्ट्रमंडल के अन्य देशों की विचारधारा से मिलकर चलने के लिए सहमत करने हेतु ब्रिटिश सरकार के साथ मामले को पुन: उठाया है; और

(घ) भारत के प्रयासों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) अक्तूबर, 1985 में नयाऊ में पारित दक्षिण अफ्रीका संबंधी राष्ट्रमंडल समझौते में; अन्य बातों के अलावा, यह बात कही गयी थी कि इस समझौते में निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि में हुई प्रगति की समीक्षा की जाए। तदनुसार राष्ट्रमंडल देशों का एक लघु शिखरसम्मेलन 3 से 5 अगस्त, 1986 तक लंदन में आयोजित

होगा जिसमें प्रगति का जायजा लिया जाएगा और यदि आवश्यक हुआ तो इसमें दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध उन उपायों के अतिरिक्त अन्य उपायों पर विचार किया जाएगा जिन पर नसाऊ में सहमति हो चुकी है। उम्मीद है कि आस्ट्रेलिया, बहामास, कनाडा, भारत, यूनाइटेड किंगडम, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के नेता इसमें भाग लेंगे।

(ख) से (घ) ब्रिटेन की प्रधान मन्त्री की हाल की घोषणाओं से इस बात की पुष्टि हो गई है कि ब्रिटेन की सरकार की नीति दक्षिण-अफ्रीका के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाने के खिलाफ है। लंदन में होने वाले आगामी लघु शिखर सम्मेलन में भारत और अन्य राष्ट्रमंडल देशों को इस मामले पर विचार-विमर्श करने का और ब्रिटेन की प्रधान मन्त्री के साथ प्रतिबन्ध के प्रश्न को उठाने के लिए और अवसर मिलेंगे।

राष्ट्रमंडल देशों की मिनी-शिखरवार्ता

335. श्री वी० तुलसी राम : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाए जाने संबंधी प्रश्न को लेकर राष्ट्रमंडल देशों की निकट भविष्य में मिनी-शिखरवार्ता आयोजित की जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो शिखरवार्ता कहां आयोजित की जाएगी;

(ग) इसमें कितने देश भाग लेंगे; और

(घ) दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने के प्रश्न के अतिरिक्त कार्यसूची में अन्य मदें क्या हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) लंदन।

(ग) आस्ट्रेलिया, बहामास, कनाडा, भारत, यू० के०, जाम्बिया और जिम्बाब्वे।

(घ) कार्य सूची में और कोई विषय नहीं है।

केरल के पठानथिट्टा जिले में पर्यटक केन्द्रों का विकास

336. श्री के० कुन्जम्मू : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना अवधि के दौरान केरल के पठानथिट्टा जिले में पर्यटक केन्द्रों का विकास करने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख) सातवीं योजनावधि के दौरान केरल सरकार से पठानथिट्टा जिले में पर्यटक केन्द्रों का विकास करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चुने हुए क्षेत्रों के सम्बन्ध में आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव

337. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुट-निरपेक्ष देश दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दण्डात्मक आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने के प्रश्न पर एकमत हैं;

(ख) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कुछ गुट-निरपेक्ष देशों ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कुछ चुने हुए क्षेत्रों के सम्बन्ध में आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव किया है; और

(ग) यदि हां, तो सुरक्षा परिषद में गुट-निरपेक्ष देशों द्वारा अपनाई गई वास्तविक स्थिति क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) गुट-निरटेक्ष देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय सात के अन्तर्गत सुरक्षा परिषद से दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध व्यापक अधिदेशात्मक प्रतिबन्ध लगाने की बार-बार मांग की है।

(ख) और (ग) इस वर्ष मई और जून में क्रमश: कुछ अंग्रेजी राज्यों पर दक्षिण अफ्रीकी आक्रमणों और अंगोला में छापे के बाद गुट-निरपेक्ष देशों ने सुरक्षा परिषद में दो प्रस्ताव प्रस्तुत किए जिनमें संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय सात के अन्तर्गत कुछ चुने हुए प्रतिबन्ध लगाने की मांग की गई है। दोनों प्रस्तावों पर संयुक्त राज्य अमरीका और यूनाइटेड किंगडम ने वीटो के अधिकार का प्रयोग किया।

सहकारी ऋण के लिए सावधि ऋण प्रदान करने सम्बन्धी समिति का गठन

338. श्री बालासाहेब विखे पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी ऋण संबंधी स्थायी समिति के रूप में सहकारी ऋण के जरिये सावधि ऋण प्रदान करने संबंधी एक समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके संगठनात्मक ढांचे समिति के विचारार्थ विषय, इसके द्वारा निर्वहन किये जाने वाले कृत्यों/कर्त्तव्यों आदि और उसके कार्य क्षेत्र और उद्देश्यों सहित तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा इसका गठन किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस समिति के गठन से पूर्व इसके कृत्यों/कर्त्तव्यों आदि का निर्वहन निकाय द्वारा किया जा रहा था ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सहकारी समितियों के जरिए ऋण प्रदान करने सम्बन्धी समिति का गठन सहकारी समितियों द्वारा सावधि ऋण दिए जाने के बारे में नीति विषयक मुद्दों पर विचार करने के लिए किया गया था। चूंकि अल्पावधि ऋण ढांचे सम्बन्धी नीति के मुद्दे इस समिति के कार्यक्षेत्र से बाहर थे, इसलिए समिति का "सहकारी ऋण सम्बन्धी स्थायी समिति" के रूप में पुनर्गठन किया गया है। इस समिति में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष तथा बैंक के प्रबन्ध निदेशक और भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, ग्रामीण विकास मन्त्रालय, राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक महासंघ, राष्ट्रीय भूमि विकास बैंक संघ का एक-एक प्रतिनिधि, राज्य सहकारी बैंकों और राज्य भूमि विकास बैंकों के दो-दो प्रतिनिधि और सहकारी समितियों के तीन रजिस्ट्रार शामिल होंगे। राष्ट्रीय बैंक में संस्थागत विकास विभाग के मुख्य महाप्रबन्धक समिति के सदस्य सचिव होंगे। समिति के विचारणीय विषय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सहकारी समितियों द्वारा दीर्घावधि ऋणों से संबंधित नीति के मुद्दों पर सहकारी समितियों के जरिए ऋण प्रदान करने वाली समिति द्वारा विचार किया गया था। अल्पावधि सहकारी ऋणों के ढांचे से सम्बद्ध नीति विषयक मुद्दों पर विचार करने के लिए अलग से सलाहकार समिति नहीं थी।

विवरण

सहकारी ऋण सम्बन्धी स्थायी समिति के विचारणीय विषय
समिति के विचारणीय नियम निम्नानुसार है

सहकारी ऋण ढांचे से सम्बन्धित मामलों के बारे में सलाह देना जिनमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं :—

1. सहकारी ऋण ढांचे से सम्बद्ध संगठनात्मक, वित्तीय और परिचलनात्मक मामलों की समीक्षा ताकि इस ढांचे को क्षेत्रीय विषमताओं और कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को दिए जाने वाले ऋणों के प्रवाह को ध्यान में रखते हुए, ऋण प्रदान करने का एक अधिक कारगर माध्यम बनाया जा सके।

2. कृषि तथा कृषि भिन्न प्रयोजनों के लिए सहकारी समितियों को दी जाने वाली पुनर्वित्त सुविधाओं से संबंधित मुद्दों की समीक्षा।

3. सहकारी ऋण ढांचे के संबंध में राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि के परिचालनों की समीक्षा।

4. राज्य भूमि विकास बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले डिबेंचरों के निर्गम के विशेष संदर्भ में सहकारी ऋण समितियों द्वारा जुटाए जाने वाले साधनों से सम्बन्धित मुद्दों की समीक्षा।

5. बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के उपबंधों, जहां तक उनका संबंध राज्य तथा केन्द्रीय सहकारी बैंकों से है, को लागू करने में राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की भूमिका की समीक्षा।

6. सहकारी ऋण संस्थाओं, भारत सरकार, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी यूनियन आदि के बीच प्रभावी समन्वय बनाये रखने के उपायों के लिए सुझाव देना।

7. समिति को समय-समय पर सौंपे जाने वाले अन्य कोई मुद्दे।

12.00 मध्याह्न

स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री माधव रेड्डी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री माधव रेड्डी का नाम पुकारा है। आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : कुछ केन्द्रीय मन्त्रियों द्वारा बिना सोचे-समझे बोलने के कारण केन्द्र राज्य संबंधों के खराब होने के बारे में हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है। यह बहुत गम्भीर मामला है और इस पर यहां चर्चा की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उस पर पूरी तरह विचार किया है। अगर आप आकर मुझे बता सकें कि किन नियमों-विनियमों के अन्तर्गत मैं उसकी अनुमति दे सकता हूं तो मैं अनुमति दे दूंगा। लेकिन मैं तो कुछ पता नहीं लगा सका।

(व्यवधान)

श्री सी० माधव रेड्डी : अगर स्थगन प्रस्ताव सम्भव नहीं हो···

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : किसी न किसी रूप में इस पर चर्चा की जानी चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके नेता से बात कर रहा हूं।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : मैं चुप रहूंगा। आप अपना विनिर्णय दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके नेता से बात कर रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप सबसे बात करूं तो मैं ऐसा नहीं कर सकता।

श्री सी० माधव रेड्डी : मैंने एक नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपके प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव या जो कुछ है—पर विचार किया है और मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप मेरे पास आइये और मुझे बताइये क्योंकि मुझे ऐसे किसी नियम का पता नहीं चला जिसके अन्तर्गत मैं उस पर अनुमति दे सकूं क्योंकि यह संसद से बाहर का मामला है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे किसी ऐसे नियम का नहीं पता जिसके अन्तर्गत मैं ऐसा कर सकूं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : हम आपको बताने के लिए तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मैंने पूरी कोशिश की है। आप उनके और वह भी आपके खिलाफ कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। किन्तु इस सदन में अगर कुछ भी कहा गया है तो मैंने उस पर विचार किया है और उसकी अनुमति दी है।

(व्यवधान)

श्री आनन्द गजपति राजू (बोबिली) : केन्द्र राज्य संघों की चर्चा यहां की जा सकती है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : श्री माधव रेड्डी द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में आपके द्वारा की गई टिप्पणी को दृष्टि में रखते हुए क्या मैं आपसे एक अनुरोध कर सकता हूं? एक समस्या के अनेक पहलू होते हैं। वस्तुतः जो प्रश्न हमने उठाया है वह आधारभूत प्रश्न है। मैंने व्यक्तिगत मामलों पर विचार नहीं किया है। मैंने एक आधारभूत प्रश्न यह उठाया है कि राज्यों में जाने वाले कुछ केन्द्रीय मन्त्री प्रजातांत्रिक मापदंडों का पालन नहीं करते हैं और संविधान की मूल भावना का अतिक्रमण करते हैं। (व्यवधान) कृपया हमें पूरी बात कह लेने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे तसल्ली नहीं हुई।

प्रो० मधु दन्डवते : हमारी बात सुनने के बाद आप अपना विनिर्णय दे सकते हैं। आप हमारी *बात क्यों नहीं सुनते ?*

अध्यक्ष महोदय : मैं लाचार हूं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दन्डवते : हमारी बात सुनने में आपको क्या परेशानी है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी चर्चा की अनुमति नहीं दे रहा।

प्रो० मधु दन्डवते : इससे पहले कि आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचे हमें अपना दृष्टिकोण बना लेने दीजिए। (व्यवधान) विधि और न्याय मंत्री जब कर्नाटक गए थे तो···

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए आपको बहुत मौका मिलेगा क्योंकि वह विधेयक लाया जा रहा है।

प्रो० मधु दन्डवते : वह कुछ और है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बिलकुल भी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)**

प्रो० मधु दन्डवते : आप इस तरह इसे कार्यवाही-वृत्तांत में से निकाल नहीं सकते।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत से निकालने का कोई सवाल नहीं है। मैं आपको अनुमति

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

नहीं दी है।

(व्यवधान)**

प्रो० मधु दन्डवते : इसमें क्या असंसदीय है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

प्रो० मधु दंडवते : आप एकदम से कार्यवाही-वृत्तांत में से निकालने का आदेश नहीं दे सकते। कृपया बताइए कि हमारे तर्क में क्या गलत बात है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नामंजूर।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे किसी ऐसे नियम का पता नहीं चला जिसके अन्तर्गत मैं अनुमति दे सकता हूं।

श्री आनन्द गजपति राजू : इसे नियम में स्थान दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप आइए और मेरी सहायता कीजिए।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप चिल्ला क्यों रहे हैं ?

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : क्या मैं स्थगन प्रस्ताव के शब्द आपके ध्यान में लाऊं ? मैंने कहा था "केन्द्रीय मंत्री की विफलता....."

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नामंजूर किया जाता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने दंडवते जी को अनुमति नहीं दी है।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो० मधु दन्डवते : क्या आप कुछ कार्यवाही वृत्तांत में से निकाल सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ निकाल नहीं रहा हूं। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

प्रो० मधु दन्डवते : कार्यवाही वृत्तांत में निकालने की आपकी शक्तियां सीमित हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर मैं कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत से नहीं निकालता। मैं कार्यवाही वृत्तांत से कुछ भी नहीं निकालता।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयक्ष : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

प्रो० मधु दन्डवते : नियमों के अनुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकालने की आपकी शक्तियां सीमित हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

प्रो० मधु दन्डवते : आप एकदम से कार्यवाही वृत्तांत से निकालने के आदेश नहीं दे सकते।

अध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तांत से कुछ नहीं निकालता। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : में नहीं दे सकता। मैं आपको अनुमति नहीं देता हूं।

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको क्या तकलीफ है साहब ? आप क्यों गड़बड़ कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

श्री एन० वी० एन० सोमू (मद्रास उत्तर) : मैं कह रहा हूं कि तमिलनाडु में असामान्य स्थिति है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शांति-शांति। सदन में व्यवस्था बनाए रखिए। बैठ जाइए। माननीय सदस्यों कृपया बैठ जाइए। मुझे कुछ कह लेने दीजिए। मैं बोल रहा हूं। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री एन० वी० एन० सोमू : मैं किसी और समस्या पर बोलना चाहता हूं।

प्रो० मधु दन्डवते : अपने मामले में हमें तर्क करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यहां तर्क का सवाल नहीं है।

प्रो० मधु दन्डवते : बहुत से उदाहरण हैं जहां एक स्थगन प्रस्ताव.....

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं इसका ध्यान रख सकता हूं। माननीय सदस्यों, मेरा आपसे एक निवेदन है। कृपया बैठ जाइए।

मैं आप सबके साथ मिल चुका हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरा कहना है कि मैं आप सबके साथ चर्चा कर चुका हूं और जिन विषयों पर यहां चर्चा की जानी है उनसे मैं पूरी तरह, व्यवहारिक तौर पर, 99% सहमत हूं। जैसा कि मैं इस सदन में कह चुका हूं और हमेशा कहता आया हूं, नियमों के अन्तर्गत मैं जो कुछ कर सकता हूं मैं हमेशा करूंगा। मैं किसी विषय पर रोक नहीं लगाऊंगा। आपने जो भी विषय दिए हैं.....

(व्यवधान)**

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान मत डालिए।

प्रो० मधु दन्डवते : हम व्यवधान नहीं डालते। जब हम बोलते तो आप भी व्यवधान मत डाला करिए।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि, महोदय आपको फायदा उठाने का हक है। मेरा कहना है कि आपने जो भी विषय दिए हैं हमने उन सब पर एक-एक करके चर्चा करने का निर्णय ले चुके हैं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हमने यह विषय भी दिया है।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैंने कहा है कि "इसके अलावा" क्योंकि मुझे कोई ऐसा नियम नहीं मिला जिसके अन्तर्गत मैं इसकी अनुमति दे सकता। आप आकर मुझे बता सकते हैं, और मैं आपके बताए अनुसार करूंगा। अन्यथा मैं अनुमति नहीं दूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : यह निजी मामला नहीं है। यह एक सार्वजनिक मामला है।

अध्यक्ष महोदय : यह भी निजी नहीं है। यह आपका है, मेरा नहीं। इस विषय पर मैं किसी चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा। यह अन्तिम निर्णय है।

प्रो० मधु दंडवते : सार्वजनिक मामलों पर सार्वजनिक तौर पर चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमति नहीं दी है। मैं टस से मस नहीं होऊंगा।

प्रो० मधु दंडवते : हम इस पर चर्चा कैसे कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं मालूम। आपको मुझे बताना होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी हां, श्री कुमार मंगलम···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर मुझे बताया जाएगा तो मैं अनुमति दूंगा। अगर मुझे संभव लगा तो मैं अनुमति दूंगा, अन्यथा नहीं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। नामंजूर। जी हां, कुमारमंगलम जी, आपको क्या कहना है ?

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री पी० आर० कुमार मंगलम (सलेम) : कपड़ा कामगार पिछले पचास दिनों से परेशानी में हैं। वे 28 मई से हड़ताल पर हैं।

(व्यवधान)**

कृपया वित्त मन्त्री से हस्तक्षेप करने के लिए कहिए···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम आज इस विषय को ले ही चुके हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना विनिर्णय दे चुका हूं। उस विषय पर अनुमति नहीं है। बशर्ते कि आप आकर मुझे बताइए। अगर मुझे लगा कि ऐसा सम्भव है तो मैं अनुमति दे दूंगा। अभी तो नहीं। अब पत्र रखे जाएंगे। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह।

[इस समय श्री सी० माधव रेड्डी और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए]

श्री एन० वी० एन० सोमू : तमिलनाडु में असामान्य स्थिति है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आइए मैं आपकी बात सुनूंगा आपको अनुमति दूंगा। सोम जी, यह राज्य का विषय है। यहां नहीं, अनुमति नहीं है।

श्री एन० वी० एन० सोमू**

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमू को अनुमति नहीं है।

श्री एन० वी० एन० सोमू : मैं बाहर जा रहा हूं।

[तत्पश्चात् श्री एन० वी० एन० सोमू सभा-भवन से बाहर चले गए]

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

12.11 म०प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग का प्रतिवेदन—भाग-I (अंग्रेजी संस्करण)

वित्त मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग के प्रतिवेदन भाग-I का एक प्रति (अंग्रेजी संस्करण)।

(2) चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग के प्रतिवेदन—भाग-I का हिन्दी संस्करण एक साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल० टी०—2734/86]

जांच आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1986 के अन्तर्गत अधिसूचना

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : मैं जांच आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1986 की धारा 2 को उप-धारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का०आ० 260 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 15 मई, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें न्यायमूर्ति एम०पी० ठक्कर द्वारा सरकार को 9 नवम्बर, 1985 तथा 27 फरवरी, 1986 को प्रस्तुत किये गए प्रतिवेदनों को सभा पटल पर न रखे जाने के कारण दिये गये हैं, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—2735/86]

जांच आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1986

संसदीय कार्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के अन्तर्गत 14 मई, 1986 को प्रख्यापित जांच आयोग (संशोधन) अध्यादेश 1986 (1986 का संख्या 6) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—2736/86]

दूसरे प्रेस आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : मैं दूसरे प्रेस आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०---2737/86]

इलायची अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : मैं इलायची अधिनियम 1965 की धारा 33 की उपधारा (3) के अन्तर्गत इलायची (संशोधन) नियम, 1986 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 31 मई, 1986 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 211 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०--2738/86]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, दिल्ली बिक्री कर अधिनियम, आयकर अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम और सरकारी बचत पत्र अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (तेरहवां संशोधन) नियम, 1986 जो 8 मई, 1986 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 737 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (चौदहवां संशोधन) नियम, 1986 जो 15 मई, 1986 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 770 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—2739/86]

(2) दिल्ली बिक्री कर अधिनियम, 1975 की धारा 72 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) दिल्ली बिक्री कर (तीसरा संशोधन) नियम, 1986, जो 28 अप्रैल, 1986 को दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4 (38)/84-वित (सा०) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दिल्ली बिक्री कर (चौथा संशोधन) नियम, 1986, जो 15 मई, 1986 को दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4(38)/84 वित्त (सा०) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—2740/86]

(3) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का० आ० 2229, जो 14 जून, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत 'हमदर्द दवाखाना (वक्फ), को कर-निर्धारण वर्ष 1984-85 से 1987-88 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(दो) का० आ० 2230, जो 14 जून 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत 'मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन, मद्रास' को कर-निर्धारण वर्ष 1984-85 से 1986-87 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तीन) का० आ० 2231, जो 14 जून, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत 'विवेकानन्द रॉक मैमोरियल एण्ड विवेकानन्द केन्द्र, मद्रास' को कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 से 1988-89 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चार) का० आ० 2232, जो 14 जून, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत 'सोसाइटी फार प्रोमोशन आफ वेस्ट लेण्ड्स डवलपमेन्ट' को कर-निर्धारण वर्ष 1983-84 से 1986-87 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे मे है।

(पांच) का० आ० 2233, जो 14 जून, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत 'असम राइफल्स समूह बीमा योजना, को कर-निर्धारण वर्ष 1982-83 से 1986-87 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

[श्री जनार्दन पुजारी]

(छः) का०आ० 2234, जो 14 जून, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 2 अप्रैल, 1985 की अधिसूचना संख्या का०आ० 6182 में कतिपय संशोधन किया गया है।

(सात) का०आ० 2235, जो 14 जून, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत 'दि कॉवएजी जहांगीर चैरिटेबल ट्रस्ट, बम्बई' को कर-निर्धारण वर्ष 1984-85 से 1986-87 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(आठ) का०आ० 2236, जो 14 जून, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत 'दि थियोसोफिकल सोसाइटी, अडयार, मद्रास' को कर-निर्धारण वर्ष 1987-88 से 1989-90 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(नौ) का०आ० 2237, जो 14 जून, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत 'जर्मन लेपरोसी रिलीफ ऐसोसिएशन रिहेबिलिटेशन फण्ड' को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(दस) का०आ० 2238, जो 14 जून, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत 'गुजरात मुख्य मन्त्री सहायता कोष' को कर-निर्धारण वर्ष 1984-85 से 1986-87 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(ग्यारह) का० आ० 2239, जो 14 जून, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत 'रेल परिवहन संस्थान' को कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 से 1988-89 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बारह) का० आ० 2240, जो 14 जून, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत अंध प्रौढ़ प्रशिक्षण केन्द्र (न्यास)" को कर-निर्धारण वर्ष 1983-84 से 1986-87 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तेरह) का० आ० 2242, जो 14 जून, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित

हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत 'चुरहट बाल कल्याण सोसाइटी' को कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 से 1988-89 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौदह) का० आ० 2243, जो 14 जून, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत 'दि मुचेरजी नौरोजी बानाजी इण्डस्ट्रियल होम फॉर दि ब्लाइण्ड, बंबई' को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में हैं।

(पन्द्रह) का० आ० 2244, जो 14 जून, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत सर्वेन्ट्स आफ इण्डिया सोसाइटी, पुणे' को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सोलह) का० आ० 2245, जो 14 जून, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत 'अमलगेमेटिड तमिलनाडु शेयर्स आफ पोस्ट बार सर्विसिज रिकंस्ट्रक्शन एण्ड रिहेबिलिटेशन आफ एक्स-सर्विसमैन फण्ड" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सत्रह) का० आ० 2246, जो 14 जून, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत 'राजाराम मोहन राय लाइब्रेरी फाउण्डेशन, कलकत्ता' को कर-निर्धारण वर्ष 1984-85 से 1987-88 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(अठारह) का० आ० 2247, जो 14 जून, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत 'तमिलनाडु एक्स-सर्विसिज पर्सोनल बेनेवेलेन्ट फण्ड, मद्रास' को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उन्नीस) का० आ० 2248, जो 14 जून, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत 'हेल्पेज इण्डिया' को कर-निर्धारण वर्ष 1984-85 से 1987-88

[श्री जनार्दन पुजारी]

तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—2741/86]

(4) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 728 (अ), जो 1 मई, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 22 सितम्बर, 1981 की अधिसूचना संख्या 208/81-सी० शु०, 17 मार्च, 1985 की अधिसूचना संख्या 80/85-सी० शु०, 19 अप्रैल, 1985 की अधिसूचना संख्या 133/85-सी० शु० और 1 मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 162/86-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है।

(दो) सा० का० नि० 732 (अ), जो 5 मई, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 8 अगस्त, 1977 की अधिसूचना संख्या 172-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि इलैक्ट्रीकल मशीनरी की कतिपय किस्मों के हिस्से पुर्जों को सम्मिलित किया जा सके, जो मूल्यानुसार 60% शुल्क की रियायती दर के लिए पात्र हैं ताकि भूतपूर्व सीमाशुल्क टैरिफ के तहत ऐसे हिस्से पुर्जों पर शुल्क ढांचे को बनाये रखा जा सके।

(तीन) सा० का० नि० 739 (अ) जो 8 मई, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो आस्ट्रिया के शिलंगों, बेल्जियम के फ्रैंकों और स्विटजरलैंड के फ्रैंकों को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को उपयुक्त मुद्राओं में बदलने की पुनरीक्षित दरों के बारे में है।

(चार) सा० का० नि० 765 (अ), जो 15 मई, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 16 अगस्त, 1985 की अधिसूचना संख्या 262-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि फाल्टा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में एककों को पुराने पूंजी मालों को कम से कम 3 वर्षों के लिए इस्तेमाल में रहे हों, उक्त क्षेत्र के बाहर देश के टैरिफ क्षेत्र में बेचने की अनुमति दी जा सके।

(पांच) सा० का० नि० 766 (अ), जो 15 मई, 1986 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिनके द्वारा 16 अगस्त, 1985 की अधिसूचना संख्या 263-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि मद्रास निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में एककों को पुराने पूंजीगत माल को, जो कम से कम 3 वर्षों के लिए इस्तेमाल में रहा हो, उक्त क्षेत्र के बाहर देश के टैरिफ क्षेत्र में बेचने की अनुमति दी जा सके।

(छः) सा० का० नि० 767 (अ), जो 15 मई, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिनके द्वारा 21 नवम्बर, 1985 की अधिसूचना संख्या 339-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि नौएडा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में एककों को पुराने पूंजीगत माल को, जो कम से कम 3 वर्षों के लिए इस्तेमाल में रहा हो, उक्त क्षेत्र के बाहर देश के टैरिफ क्षेत्र में बेचने की अनुमति दी जा सके।

(सात) सा० का० नि० 768 (अ), जो 15 मई, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा 9 फरवरी, 1981 की अधिसूचना संख्या 13-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है।

(आठ) सा० का० नि० 793 (अ) जो 21 मई, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो ड्यूच मार्कों और ड्यूच गिल्डरों को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को इन देशों की मुद्राओं में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दरों के बारे में है।

(नौ) सा० का० नि० 809 (अ), जो 27 मई, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 30 नवम्बर, 1979 की अधिसूचना संख्या 227-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि सांताक्रुज इलेक्ट्रानिक निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में एककों को पुराने पूंजीगत माल को, जो कम से कम 3 वर्षों के लिए इस्तेमाल में रहा हो, उक्त क्षेत्र के बाहर देश के टैरिफ क्षेत्र में बेचने की अनुमति दी जा सके।

(दस) सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वापसी (संशोधन) नियम, 1986, जो 31 मई, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 822 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) सा० का० नि० 823 (अ), जो 31 मई, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसका आशय प्रतिभूदायगी की दर के नियतन के प्रयोजनार्थ निर्यात माल के विनिर्माण में प्रयुक्त

[श्री जनार्दन पुजारी]

"आयातित सामग्री समझे जाने वाले" माल की सूची का विस्तार करना है।

(बारह) सा० का० नि० 829 (अ) और 830 (अ), जो 3 जून, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो कोल तार पिच को मूल सीमा शुल्क के उतने भाग से जो मूल्यानुसार 15 प्रतिशत से अधिक हो तो उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त और उपसंगी सीमा शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(तेरह) सा० का० नि० 838 (अ), जो 10 जून, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 9 फरवरी, 1981 की अधिसूचना संख्या 13-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि भारत के बाहर निर्यात के लिए माल के उत्पादन या पैकिंग के संबंध में, 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पैकिंग सामग्री का शुल्क मुक्त आयात करने के लिए उन्हें अनुमति दी जा सके।

(चौदह) सा० का० नि० 843 (अ), जो 11 जून, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 16 अप्रैल, 1986 की अधिसूचना संख्या 129-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि वार्षिक आधार पर फालतू पुर्जों को शुल्क से छूट का लाभ दिया जा सके।

(पन्द्रह) सा० का० नि० 853(अ) और 854(अ), जो 13 जून, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट माल को, जब कोचीन (केरल राज्य) स्थित को चीन निर्यात प्रसंस्करण जोन के भीतर निर्यात के लिए माल के निर्माण के संबंध में इस्तेमाल किए जाने के प्रयोजन के लिए उसका भारत में आयात, किया जाता है, उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण मूल, अतिरिक्त और उपसंगी सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(सोलह) सा० का० नि० 875 (अ), जो 17 जून, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 17 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 136/86-सी०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि मुद्रण स्याही पर मूल सीमाशुल्क की आंशिक छूट को वापस लिया जा सके।

(सत्रह) सा० का० नि० 876 (अ), जो 17 जून, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 11 अप्रैल, 1986 की अधिसूचना संख्या 242/86-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि मूल और अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट दिए जाने के प्रयोजनार्थ "फिन्स और ट्यूबों" को भी सम्मिलित किया जा सके।

(अठारह) सा० का० नि० 877 (अ) और 878 (अ), जो 17 जून, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो सौर ऊर्जा उपस्करों के विनिर्माण के लिए आयात किए गए वैक्यूम ट्यूब सौर संग्राहक, संघनीकार के सौर संग्राहक और स्टिलिंग इंजन को उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण मूल, अतिरिक्त और उपसंगी सीमाशुल्क से छूट देने के बारे में है।

(उन्नीस) सा० का० नि० 881 (अ), जो 18 जून, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 21 अप्रैल, 1984 की अधिसूचना संख्या 111/84-सी०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि प्रयुक्ताकार्क लकड़ी और कार्क अपशिष्ट को, क्रिकेट तथा हाकी की गेंदों के निर्माण के लिए आंशिक सीमाशुल्क छूट का लाभ दिया जा सके।

(बीस) सा० का० नि० 886 (अ), जो 18 जून, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, डेनमार्क के क्रोनरों को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को उपर्युक्त मुद्राओं में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दरों के बारे में है।

(इक्कीस) सा०का०नि० 887(अ), जो 19 जून, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 2 अगस्त, 1976 की अधिसूचना संख्या 207-सी०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि तस्करी निवारण कार्यों के लिए अपेक्षित गश्ती यानों के विनिर्माण के लिए आयात की गई मशीनों, उपकरणों, यंत्रों, उपस्करों को भी शुल्क छूट का लाभ दिया जा सके।

(बाईस) सा०का०नि० 896(अ), जो 23 जून, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 2 अगस्त, 1976 की अधिसूचना संख्या 204-सी०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि संबंधित प्रशासनिक विभाग का नाम सही ढंग से लिखा जा सके।

[श्री जनार्दन पुजारी]

(तेईस) सा०का०नि० 905(अ), जो 25 जून, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो कतिपय विनिर्देशनों वाली स्टेनलेस स्टील स्ट्रिपों को जब उनका आयात विद्युत तापन अवयवों के लिए ट्यूबों के विनिर्माण के लिए किया जाता है, मूल सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट देने के बारे में है जो मूल्यानुसार 60 प्रतिशत से अधिक है।

(चौबीस) सा०का०नि० 911(अ), जो 27 जून, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 1 जुलाई, 1979 की अधिसूचना संख्या 2-सी०शु०, 1 जुलाई, 1985 की अधिसूचना संख्या 210/85-सी०शु० और 17 अप्रैल, 1986 की अधिसूचना संख्या 255/86-सी०शु० की वैधता की अवधि को 30 सितम्बर, 1986 तक बढ़ाया गया है।

(पच्चीस) सा०का०नि० 912(अ), जो 27 जून, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 3 जुलाई, 1985 की अधिसूचना संख्या 216/85 सी०शु० की विधि मान्यता की अवधि 30 जून, 1987 तक बढ़ाई गई है।

(छब्बीस) सा०का०नि० 913(अ), जो 27 जून, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा कतिपय विदेशी मुद्राओं भारतीय मुद्रा में या भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में बदलने की विनिमय की दरें संशोधित की गई थीं।

(सत्ताईस) सा०का०नि० 922(अ), जो 30 जून, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 1 जुलाई, 1985 की अधिसूचना सं० 213/85 सी०शु० की विधि मान्यता अवधि 30 जून, 1987 तक बढ़ाई गई है।

(अट्ठाईस) सा०का०नि० 923(अ), जो 30 जून, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिसमें 1 जुलाई, 1985 की अधिसूचना सा०का०नि० 537(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(उन्तीस) सा०का०नि० 924(अ), जो 30 जून, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 19 अगस्त, 1980 की अधिसूचना सं० 166 सी०शु० विधि मान्यता की अवधि बढ़ाई गई है।

(तीस) सा०का०नि० 932, जो 4 जुलाई, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित

हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 17 अप्रैल, 1980 की अधिसूचना संख्या 77-सी०शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि कांडला निर्बाध व्यापार जोन के बाहर प्रदर्शन और प्रचार के प्रयोजनों के लिए उक्त जोन के एककों द्वारा निर्मित माल के नमूनों की निकासी की जाती है तो उस दशा में स्वदेशी टैरिफ क्षेत्र को निकसित किए जाने वाले अनुज्ञेय उत्पादन की 25 प्रतिशत की समग्र सीमा के भीतर समुचित शुल्क की अदायगी पर निकासी की अनुमति प्रदान की जा सके।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी०—2742/86]

(5) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी) :—

(एक) सा०का०नि० 725(अ), जो 29 अप्रैल, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 1 मार्च, 1986 की अधिसूचना सं० 175/86-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि फ्रेंच कॉफी को सामान्य लघु उद्योग छूट स्कीम के अन्तर्गत शामिल किया जा सके।

(दो) सा०का०नि० 733(अ), जो 5 मई, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा उनके द्वारा सोया टैक्सचर्ड प्रोटीन और सोया दूध को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(तीन) सा०का०नि० 734(अ), जो 5 मई, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा उत्पाद शुल्क का भुगतान करके खनिज तेलों से बनाये गये विशेष तेलों को तथा मूल्य 12 प्रतिशत उत्पाद शुल्क से छूट देने के प्रभावी दर निर्धारित की गई है।

(चार) सा०का०नि० 736(अ), जो 7 मई, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो मोहेयर टॉप और मोहेयर यार्न को उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(पांच) सा०का०नि० 744(अ), जो 11 मई, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 4 जुलाई, 1978 की अधिसूचना सं० 159/78-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की अनुसूची के उक्त शीर्ष सं० 5401.90 के अधीन एच०डी०पी०ई० वेस्ट का उचित वर्गीकरण दर्शाया जा सके।

[श्री जनार्दन पुजारी]

(छः) सा०का०नि० 760(अ), जो 14 मई, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 की अनुसूची में उप शीर्ष सं० 0902.13 के तहत आने वाली थैलियों वाली चाय को उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(सात) सा०का०नि० 771(अ), जो 16 मई, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की अनुसूची के अध्याय 28 अथवा 38 के अन्तर्गत आने वाली संपीडित वायु को उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(आठ) सा०का०नि० 772(अ), जो 16 मई, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 28 फरवरी, 1982 की अधिसूचना स० 63/82-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि पट्टियों अथवा रोलों में गोंद लगे अथवा आसंजक कागज की कतिपय किस्मों के कागज को उत्पाद शुल्क से दी गई छूट को उस अधिसूचना के क्षेत्राधिकार से अलग किया जा सके जिसके द्वारा कागज की कतिपय किस्मों को उत्पाद शुल्क से सम्पूर्ण छूट दी गई थी।

(नौ) सा०का०नि० 773(अ), जो 16 मई, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो पट्टियों अथवा रोलों में गोंद लगे अथवा आसंजक कागज को मूल्यानुसार 15 प्रतिशत से अधिक उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(दस) सा०का०नि० 774(अ), जो 16 मई, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन तथा जिनके द्वारा 10 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 44/86-के०उ०शु० में विनिर्दिष्ट कागज और गत्ते की कतिपय किस्मों पर शुल्क को 10 प्रतिशत जमा 1430 रुपये प्रति मीटरी टन से बढ़ाकर 10 प्रतिशत जमा 1550 रुपये प्रति मीटरी टन किया गया है।

(ग्यारह) सा०का०नि० 842(अ), जो 11 जून, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो यन्त्रीकृत संयंत्रों में निर्मित मिट्टी की ईंटों (आग से पकाई गई मिट्टी की ईंटों से भिन्न) को उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(बारह) सा०का०नि० 919(अ), जो 27 जून, 1986 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 1 मार्च, 1984 की अधिसूचना संख्या 75/840-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०--2743/86]

(6) सरकारी बचत प्रमाण पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) डाक घर बचत पत्र (संशोधन) नियम, 1986, जो 20 मई, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 782(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय बचत पत्र (पहला निर्गम) (संशोधन) नियम, 1986, जो 20 मई, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 783(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) राष्ट्रीय बचत-पत्र (चौथा निर्गम) (संशोधन) नियम, 1986, जो 20 मई, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 784(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) राष्ट्रीय बचत-पत्र (पांचवां निर्गम) (संशोधन) नियम, 1986, जो 20 मई, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 785 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) राष्ट्रीय वार्षिक बचत-पत्र (संशोधन) नियम, 1986, जो 20 मई, 1986 के भारत के राजपत्र में सा०का०नि० 786(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छः) राष्ट्रीय बचत-पत्र (छठा निर्गम) (दूसरा संशोधन) नियम, 1986, जो 20 मई, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 788(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) राष्ट्रीय बचत-पत्र (सातवां निर्गम) (तीसरा संशोधन) नियम, 1986, जो 20 मई, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 789(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) सामाजिक सुरक्षा पत्र (संशोधन) नियम, 1986, जो 20 मई, 1986 के

[श्री जनार्दन पुजारी]

राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 790(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०—2744/86]

(7) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1973 की धारा 15 की उपधारा (तीन) के अंतर्गत डाक घर बचत बैंक सामान्य (संशोधन) नियम, 1986 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 20 मई, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 787(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०—2745/86]

(8) लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1986 की धारा 12 के अंतर्गत लोक भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 1986 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 23 जून, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 895(अ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०—2746/86]

12.13 म०प०

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव : श्रीमन् 7 मई, 1986 को सभा को सूचित करने के पश्चात् पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित चार विधेयकों को सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक, 1986

(2) वित्त विधेयक, 1986

(3) चाय (संशोधन) विधेयक, 1986

(4) आयकर (संशोधन) विधेयक, 1986

2. मैं, 7 मई, 1986 को सभा को सूचित करने के पश्चात् पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित पांच विधेयकों की राज्य

सभा के महासचिव द्वारा सम्यक रूप से अधिप्रमाणित प्रतियां भी सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) विधेयक, 1986

(2) कोयला खान श्रम कल्याण निधि (निरसन) विधेयक, 1986

(3) वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 1986

(4) पर्यावरण (संरक्षण) विधेयक, 1986

(5) स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक, 1986

———— —

[अनुवाद]

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (वडागरा) : मैं मद संख्या 7 (तेरह) जो कि चुरहाट बाल कल्याण सोसाइटी को छूट दिये जाने के बारे में है, के सभा-पटल पर रखे जाने पर आपत्ति करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सांविधिक कर्त्तव्य है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। जब इस पर चर्चा करेंगे, तब आप आपत्ति कर सकते हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : स्पष्टतः, सांविधिक कर्त्तव्य का पालन नहीं किया गया है। यही मेरी आपत्ति है··· (व्यवधान)। यह एक नाममात्र की सोसाइटी है। इससे राज्य के राजस्व की हानि हुई है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सांविधिक कर्त्तव्य है। मैं इसकी मनाही नहीं कर सकता।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : यहां वास्तव में सांविधिक कर्त्तव्यों का पालन नहीं किया गया है। आप केवल उसी सोसाइटी को छूट दे सकते हैं, जोकि इन कर्त्तव्यों का पालन करती है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर चर्चा की मांग कर सकते हैं। लेकिन इससे भी इसे दूर रखे जाने पर रोक नहीं लगाई जा सकती। मैं असहाय हूं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : आपके पूर्ववर्ती अध्यक्षों ने इस प्रकार की आपत्ति को वैध ठहराया था।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसमें कोई सहायता नहीं कर सकता। आप इस पर चर्चा की मांग कर सकते हैं।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : मंत्री महोदय को राष्ट्रकुल खेलों के बारे में हमारे खर्चे को

[श्री पुरेना कुरूप]

स्पष्ट करना चाहिए और बताना चाहिए कि क्या हम इन खेलों का बहिष्कार कर रहे हैं। हमने इस विषय पर एक स्थगन-प्रस्ताव की सूची दी है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वह कर रहे हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : वह क्या कर रहे हैं ? मिनिस्टर भी यहां बैठे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह विचाराधीन है।

[हिन्दी]

वह तो वहां जाकर हरारे में बात करेंगे।

[अनुवाद]

स्थगन का प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

कैसी उल्टी बातें करते रहते हैं।

[अनुवाद]

आप पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं। इस पर स्थगन प्रस्ताव कैसे रखा जा सकता है।

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : तमिल का दुभाषिया नहीं है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बताया है और लिखकर भी दिया है।

[अनुवाद]

श्री पी० कुलनदईवेलू : पिछले दो दिनों से उसकी नियुक्ति नहीं की गई है।

अध्यक्ष महोदय : मैं तमिल दुभाषिया पैदा तो नहीं कर सकता। मुझे ढूंढना पड़ेगा और मैं इस बारे में पूरी कोशिश कर रहा हूं।

श्री पी० कुलनदईवेलू : क्यों नहीं ? आपके पास अधिकारिक तंत्र है; आप नियुक्त कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं कोई जादूगर नहीं हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप ही किसी का नाम बता दें।

श्री पी० कुलनदईवेलू : ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, हो जायेगा।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, अकाल राहत का काम राजस्थान में बन्द हो गया है। भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को पर्याप्त सहायता नहीं दी है। इसी कारणवश 10 लाख मजदूरों की बजाय 2 लाख मजदूरों को ही रोजगार मिल पाया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कोई नई बात नहीं है।

डा० दत्ता सामन्त (बम्बई-दक्षिण-मध्य) : श्रीमन्, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। बेलगांव और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों के 15 लाख मराठी-भाषी लोगों पर कन्नड़ जबरदस्ती थोपी जा रही है। पहली कक्षा से ही मराठी-भाषी लोगों पर कन्नड़ थोपी जा रही है···

···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है। मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना, वे जो कुछ भी बोल रहे हैं, उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए। पहले मेरी अनुमति ली जाए।

डा० दत्ता सामन्त : मैंने अनुमति मांगी है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। श्री दत्ता सामन्त···

व्यवधान)**

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

12.17 म० प०

भारतीय क्षेत्र में चीन द्वारा हाल ही में किए गए अतिक्रमण के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

विदेश मन्त्री तथा वाणिज्य मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : अरुणाचल प्रदेश में तवांग जिले के समदोरोंग चू घाटी क्षेत्र में चीनी घुसपैठ की जानकारी माननीय सदस्यों को अब तक अवश्य मिल गई होगी। जून, 1986 के मध्य में यह जानकारी मिली कि करीब 40 चीनी कार्मिक जिनमें से कुछ वर्दी में थे, समदोरोंग चू घाटी के क्षेत्र में करीब 2-3 किलोमीटर की सीधी दूरी तक अन्दर घुस आये हैं जहां हमारे चरवाहे बिना किसी हस्तक्षेप के शान्तिपूर्वक आते-जाते रहे थे। इस घुसपैठ की पक्की जांच कर लेने के बाद 26 जून, 1986 को हमने चीनी सरकार से कड़ा विरोध प्रकट किया। हमने इस बात पर जोर दिया कि समदोरोंग चू घाटी का क्षेत्र स्पष्टत: मैक मोहन रेखा के दक्षिण में है और पूरी तरह भारतीय प्रदेश के अन्दर है। 8 जुलाई, 1986 को प्राप्त चीन के इस जवाब को हमने अस्वीकार किया कि यह एक विवादग्रस्त क्षेत्र है और मैक मोहन रेखा से उनकी ओर है। जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है इस क्षेत्र में मैक मोहन रेखा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा है। चीनी पक्ष ने कहा है कि इस मामले पर बीजिंग में अधिकारी स्तर की वार्ता के आगामी सातवें दौर में "गहराई से विचार-विमर्श किया जा सकता है।" हमारा इरादा ऐसा करने का है।

2. चीनी पक्ष के साथ अधिकारी स्तर की अपनी वार्ता में, जो 1981 में शुरू हुई थी, दोनों पक्षों ने इस सिद्धान्त को स्वीकार किया है कि सीमा पर शान्ति और स्थिरता बनाई रखी जानी चाहिए और अगर कोई समस्या पैदा होती है तो उसे मित्रतापूर्ण परामर्श के द्वारा सुलझाया जाना चाहिए। चूंकि दोनों पक्षों ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया है, इसलिए जहां तक हमारा सवाल है, हमने इस प्रकार की समस्याओं को हमेशा ही बातचीत के माध्यम से सुलझाने की कोशिश की है। इसलिए यह देखकर हमें आश्चर्य होता है कि चीनी तरह हमारे प्रदेश में क्यों घुस आए। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि हम स्थिति पर निकट निगाह रख रहे हैं। इस मामले पर माननीय सदस्यों की चिंता की ओर से भी हम सजग हैं और जब कभी जरूरत होगी हम माननीय सदस्यों का विश्वास हासिल करेंगे।

3. अधिकारी स्तर की वार्ता का सातवां दौर बीजिंग में 21 जुलाई, 1986 से शुरू होने वाला है। हमारे प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश सचिव करेंगे जो बीजिंग में कार्यवाहक प्रधान मंत्री वान ली से तथा विदेश मंत्री वू जिक्येन से भी मुलाकात करेंगे। इन नेताओं के साथ अपनी मुलाकात

में विदेश सचिव समदोरोंग चू क्षेत्र में घुसपैठ के इस मसले को भी उठाएंगे।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : चर्चा अवश्य होनी चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। सभा को इस बारे में पूर्ण जानकारी दी जानी चाहिए और इस पर चर्चा की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हम करने जा रहे हैं। हमने पहले ही इस पर फैसला ले लिया है। हम इस पर चर्चा करेंगे।

श्री थम्पन थामस (मवेलिकरा) : इस विषय पर चर्चा अवश्य होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर किसी-न-किसी रूप में चर्चा करेंगे।

12.20 म० प०

गोवा में पणजी के निकट मांडोवी नदी पर पुल के ढह जाने के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

जल-भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : अध्यक्ष महोदय, दुःखी मन से मैं सभा के माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि मांडोवी नदी के पुल पर बने दो स्पैन (मेहराब)···(व्यवधान)

श्री शांताराम नायक (पणजी) : श्रीमन्, मांडोवी नदी पर बने इस पुल का नाम पंडित जवाहर लाल नेहरू के नाम पर रखा गया। अतः, इसे सही कहना चाहिए। यह नेहरू पुल है।

श्री राजेश पायलट : मैं भारी मन से सदन के माननीय सदस्यों को खेद के साथ सूचित करता हूं। कि पणजी, गोवा के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 17 पर 5-7-1986 को प्रातः लगभग 8.20 पर मांडोवी नदी पर बने पुल के दो स्पैन ध्वस्त हो गए। जैसा कि गोवा, दमन और दीव सरकार ने सूचित किया, इस दुर्घटना के फलस्वरूप दुर्भाग्य से दो जानें गई और एक व्यक्ति घायल हुआ। एक व्यक्ति के लापता होने की भी खबर है। घायल व्यक्ति की बाद में अस्पताल में मृत्यु हो गई। यह हमारे देश में कैंटोलीवर किस्म का बना पहला पुल था और यह 1970 में यातायात के लिए खोला गया था।

यह पुल समुद्र के निकट स्थित है। जब सितम्बर, 1985 में गोवा सरकार द्वारा सुपरस्ट्रक्चर के कुछ भागों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना दी गई थी, तब उसमें क्षरण देखा गया था। पुल का उपयोग

[श्री राजेश पायलट]

करने वाले सभी वाहनों पर 20 टन भार की सीमा और 25 कि० मी० की गति-सीमा निर्धारित की गई थी। वस्तुतः गोवा सरकार ने पहली अक्टूबर, 1985 को भारत सरकार के अनुरोध पर दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने, उपचारी उपाय सुझाने और यह सलाह देने कि क्या अंतिम उपचारी उपायों के क्रियान्वित होने तक पुल में आगे क्षरण की दर को न्यूनतम करना संभव है, एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति गठित की थी। समिति ने यह पाया कि क्षरण के कारण सुपरस्ट्रक्चर के अनेक प्रिस्ट्रेसिंग कैबलों में प्रिट्रेस समाप्त हो गया है और उन्होंने ब्यौरेवार परीक्षण और अन्वेषण के आधार पर विभिन्न प्रकार के उपायों की जांच की थी। सरकार ने उनकी अंतरिम सिफारिश के आधार पर मई, 1986 में जिन तीन स्पैनों को सबसे अधिक क्षतिग्रस्त बताया गया था, प्रायोगिक आधार पर उनकी मरम्मत करने के लिए 29.5 लाख रुपए के अनुमान को मंजूरी दी।

गोवा सरकार ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304-क के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी है। उन्होंने न्यायिक जांच करने की भी घोषणा की है। मंत्रालय ने मौजूदा पुल को फिर से बनाने की संभावनाओं की जांच करने के लिए विशेषज्ञों का एक निकाय गठित किया है।

हमें यातायात रुक जाने के कारण सफर करने वाली जनता को हो रही असुविधा की पूरी जानकारी है और फेरी-सेवा शुरू कर दी गई है जिसमें जनता की कठिनाइयों को कम करने के लिए आगे और भी सुधार करने का प्रस्ताव है। गोवा सरकार पंटून पुल निर्मित करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए सेना प्राधिकारियों से सम्पर्क बनाए हुए है। यद्यपि यातायात को पोंडा के रास्ते मोड़ दिया गया है जिससे लगभग 45 कि० मी० की दूरी बढ़ गई है, फिर भी हम नए पुल के निर्मित होने तक बदले मार्ग को यातायात-योग्य-दशा में बनाए रखना चाहते हैं।

मैं सदन को यह सूचित करता हूं कि मौजूदा पुल से होकर गुजरने वाले यातायात की बढ़ती हुई मात्रा की दृष्टि से मंत्रालय ने सातवीं योजना में नए पुल के निर्माण के लिए प्रावधान किया था और इसके सर्वेक्षण और अन्वेषण के लिए 31-3-1986 को एक अनुमान की मंजूरी दी गई। पुल के ध्वस्त होने को दृष्टि में रखते हुए शीघ्र ही नए पुल के निर्माण के लिए आपातकालीन उपाय किए जा रहे हैं।

श्री शांताराम नायक : इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए क्योंकि हमारी सभी सार्वजनिक परियोजनायें गुणवत्ता पर नियंत्रण न होने के कारण और घोर लापरवाही करने वालों को गिरफ्तार न करने के कारण खतरे में है। किसी को भी अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है ?

12.23 म० प०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

दिल्ली में कपड़ा मिल मजदूरों की लगातार हड़ताल से उत्पन्न स्थिति

[अनुवाद]

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : मैं श्रम मन्त्री महोदय का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :—

"दिल्ली में 28 मई, 1986 से कपड़ा मिल मजदूरों की लगातार हड़ताल से उत्पन्न स्थिति और इसमें अन्तर्ग्रस्त मामलों को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : छह ट्रेड यूनियनों की संघर्ष समिति ने 16 फरवरी, 1986 को दिल्ली की पांच कपड़ा मिलों यानी दिल्ली क्लाथ मिल्स, स्वतंत्र भारत मिल्स, डी० सी० एम० सिल्क मिल्स, बिरला टेक्सटाइल मिल्स और अजुधिया टेक्सटाइल मिल्स के प्रबन्ध तंत्रों को एक 11 सूत्री मांग-पत्र का नोटिस दिया। इन मांगों में अन्य मांगों के साथ-साथ, मजदूरी में संशोधन होने तक प्रतिमाह 100/-रु० की अन्तरिम सहायता, शत प्रतिशत दर पर मंहगाई भत्ता का निष्प्रभावीकरण, मकान किराया भत्ता, बदली, नैमित्तिक और अस्थाई कर्मकारों को नियमित करना, 1979 के बाद बर्खास्त किए गए/निलम्बित किए गए सभी कर्मकारों को पुनः नौकरी पर बहाल करना और 1979 के बाद जिन कर्मकारों के खिलाफ पुलिस मामले दर्ज किए गए, उनको वापस लेने की मांगें शामिल थी। हालांकि संघर्ष समिति ने दावों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया था, फिर भी इस मामले को दिल्ली प्रशासन द्वारा संराधन के लिए लिया गया और संराधन अधिकारियों और दिल्ली प्रशासन के श्रम आयुक्त द्वारा कपड़ा मिलों के प्रबन्धकों और श्रमिक यूनियनों के साथ अनेक कार्यवाहियां की गई हैं। ये संराधन प्रयास विफल रहे। इसलिए, इन दोनों पक्षकारों के साथ समझौता करने के लिए तरीके ढूंढने के वास्ते पहले कार्यकारी पार्षद (स्वास्थ्य) ने, जो श्रम विभाग का कार्य देख रहे हैं, और उसके बाद दिल्ली के उप-राज्यपाल ने कई बैठकें की। इन विचार विमर्शों के दौरान, ये प्रबन्धतंत्र अन्तरिम सहायता की मांग पर विचार करने के लिए सहमत हो गये बशर्ते कि कर्मकार इसे उत्पादकता से जोड़ने के लिए राजी हों। यह यूनियनों को स्वीकार्य न था और समझौता न हो सका। इन परिस्थितियों में दिल्ली प्रशासन ने विशिष्ट व औद्योगिक विवादास्पद प्रकार की मांगों को न्याय-निर्णयन के लिए औद्योगिक अधिकरण, दिल्ली को 25-4-1986 को निर्दिष्ट कर दिया। इन मांगों में अन्तरिम सहायता, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता देन, कारोबार कम करने और बदली, नैमित्तिक और अस्थाई कर्मकारों को नियमित करने की मांगें शामिल थी।

उक्त संघर्ष समिति ने इन प्रबन्धतंत्रों को 12-5-1986 को हड़ताल का नोटिस दिया जिसमें उन्होंने 28-5-86 से हड़ताल करने का इरादा जाहिर किया था। दिल्ली के उप राज्यपाल ने स्वयं

[श्री पी० ए० संगमा]

मध्यस्थता की और इस विवाद को तय करने और हड़ताल टालने के प्रयास से कई बैठकें बुलाई। लेकिन पारस्परिक तौर पर स्वीकार्य समझौता न हो सका और लगभग 20,000 कपड़ा श्रमिक 28-5-1986 से अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर चले गए।

संघर्ष समिति के सदस्य समय-समय पर मुझसे मिले और उन्होंने इस मामले में मेरी मध्यस्थता के लिए अनुरोध किया। तदनुसार, मैंने इन पक्षकारों की 19 जून, 1986 को बैठक बुलाई ताकि इन प्रबन्धतंत्रों और यूनियनों के बीच उनके मतभेदों को दूर करने और इस मामले को आपस में तय करने की कोशिश की जा सके। दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस बैठक में भाग लिया। प्रबन्धतंत्रों और यूनियनों के बीच निरन्तर चले आ रहे मतभेद अन्तरिम सहायता देने और इसे उत्पादकता से जोड़ने और कर्मकारों के विरुद्ध अनुशासनात्मक मामलों को वापस लेने के बारे में है। मैंने दोनों पक्षकारों से गतिरोध दूर करने और आपस में स्वीकार्य समाधान शीघ्र निकालने के वास्ते प्रयास करते रहने के लिए अपील की। ये पक्षकार मेरे इस सुझाव से सहमत हो गये कि बात-चीत फिर शुरू की जाए। मैं सदन को यह जानकारी देता हूं कि दिल्ली प्रशासन के श्रम आयुक्त और मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) ने 19-6-1986 से 16-7-1986 तक प्रबन्धतंत्रों और यूनियनों के साथ संयुक्त रूप से और अलग-अलग कई बार विचार विमर्श किया, जिसमें पक्षकारों द्वारा रखे गए प्रस्तावों पर और मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) द्वारा सुझाए गए समझौता सूत्रों पर विचार किया गया। यद्यपि इन विचार-विमर्शों के फलस्वरूप ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों पक्षकारों की ओर से नरम रुख अपनाया जा रहा है, लेकिन मतभेद जारी है और अभी तक कोई समझौता नहीं हो सका है। तथापि समझौता कराने के लिए, दिल्ली प्रशासन को सहायता देने के वास्ते, मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) की ओर से मध्यस्थता करने के प्रयास जारी है।

12.27 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : डिप्टी स्पीकर साहब, दिल्ली शहर में जो पांच टैक्सटाइल मिलें हैं, उनमें से तीन डी० सी० एम० ग्रुप की हैं, एक बिरला की है और एक भारत सरकार की है। इन पांच मिलों में काम करने वाले मजदूर लगभग 25 हजार थे। अब 20 हजार तक उनकी कमी की गई है। इसका क्या कारण है। इससे काम का बोझा मजदूरों पर बढ़ गया है। पहले एक आदमी जो 8 लूम चलाता था, उस एक आदमी को 16 लूम चलाने पड़ रहे हैं। इस प्रकार 25 हजार से लेकर 20 हजार तक उन्हें कम किया है और इस प्रकार से पांच मिलों में काम चलता आ रहा है। इन पांच मिलों का एक इतिहास है। एक ही बार स्ट्राइक होती है और एक ही बार एग्रीमेंट होता है। 1979 में नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन का जो मिल है, उस मिल का एग्रीमेंट हुआ और 16 अगस्त, 1979 को जो अन्य मिलें है, अन्य डी० सी० एम० और बिरला ग्रुप की मिलें हैं, उनके एग्रीमेंट भी अपनी-अपनी

यूनियनों से हुए। यह एग्रीमेंट पांच साल तक चलता रहा। पांच साल के बाद अपने आप इस एग्रीमेंट को करना चाहिए था मैनेजमेंट को मगर एग्रीमेंट न आने के कोई इमकानात न होने के कारण यह चार्टर आफ डिमान्ड्स दिये हैं और स्ट्राइक का नोटिस दिया है। चार्टर आफ डिमान्ड्स देने के बाद सरकार ने कोशिश की जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि इनमें से कुछ डिमान्ड्स को इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के तहत कमिश्नर को सौंपा गया है। मैं मंत्री जी से एक सवाल करना चाहता हूं कि कितने डिस्प्यूट्स आपने इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के तहत एक्जीक्यूशन के लिए भेजे हुए हैं 10 साल में या 20 साल में या 15 साल के अन्दर और उनका क्या कोई फैसला हुआ है। क्यों आपने इसको भेजा है और इतनी जल्दी भेजने की क्या जरूरत थी। इसका मतलब यह है कि सरकार मजदूरों की समस्या को हल नहीं करना चाहती। मैं यह बताना चाहता हूं कि उनका काम बहुत बढ़ गया है। यह ठीक है कि उनको इन्टेरिम रिलीफ देने के बारे में आप मानने के लिए तैयार हैं मगर साथ ही साथ उसको प्रोडक्शन से लिंक किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि एक आदमी 8 लूम्स की बजाए 16 लूम्स कैसे चला सकता है। इसका मतलब है कि दो आदमी का काम एक आदमी करेगा। अब दो आदमी का काम एक आदमी करेगा तो उसे तंख्वाह एक आदमी की मिलेगी, यह कौन सा उसूल है? उनकी तसल्ली के लिए आपने सौ रुपये का इन्टेरिम रिलीफ दे दिया। आपका प्राईस इंडेक्स बढ़ रहा है। आपको प्राईस इंडेक्स के माफिक जाना पड़ेगा। आपने अपने दो पेज के स्टेटमेंट में बता दिया कि सौ रुपये माह का इन्टेरिम रिलीफ वर्कर्स को दे दिया।

मैं जानना चाहता हूं कि आपको स्ट्राइक नोटिस मिलने के बाद आपने क्या फैसला किया? आपका जो चीफ कमिश्नर आफ लेबर है, जो दिल्ली सरकार का है, उसने एन० टी० सी० मेनेजमेंट और दो मजदूर संघों ने मिलकर एक फार्मूला आपको भेजा। वह 4-7-86 को भेजा गया। इसका फैसला आपने नहीं किया। आपका एन० टी० सी० एक एग्रीमेंट करता है। एन० टी० सी० सरकार का है। चीफ लेबर कमिश्नर और एन० टी० सी० लेबर यूनियनों के साथ बैठकर मैनेजमेंट कोई फार्मूला तैयार करता है और वह फार्मूला आपको भेजा जाता है, 4-7-86 को आपको भेजा जाता है उसपर आपने अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या सरकार की या टेक्सटाइल कारपोरेशन वालों की यह ड्यूटी नहीं है कि वे इसको एक्सेप्ट करे और दूसरी मिलों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करें? जो आपका चीफ लेबर कमिश्नर, नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन एक फार्मूला तैयार करते हैं जिसको मिल वर्कर एक्सेप्ट करते हैं, उसको वर्कर ने कुबूल किया है, कारपोरेशन ने कुबूल किया है, मगर केन्द्र सरकार उसको पूरा नहीं करती। आप उसपर फैसला क्यों नहीं करते?

देखिये इसको 63 दिन हो गये। स्ट्राइक को 63 दिन हो गये और इन 63 दिनों में 1.5 करोड़ रुपये की एक्साईज ड्यूटी का लोस हुआ। इतने मेनडेज का लोस हुआ। साथ ही साथ 63 करोड़ रुपये का प्रोडक्शन में लोस हुआ। लेबरर्स की जो वेजिज थीं उनमें तीन करोड़ रुपये का लोस हुआ। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप इसमें मदद कर सकते थे लेकिन आप मदद नहीं कर रहे हैं। यह सही बात नहीं है। जो फार्मूला आपके सामने आ चुका है, उस फार्मूले को एक्सेप्ट करने में आप क्यों हिचकिचा रहे हैं। एन० टी० सी० केन्द्र सरकार का कारपोरेशन है, उसने एक फैसला किया है, उसपर आप कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? सरकार इसपर फैसला लेने से क्यों पीछे हट रही है। यह मैं

[श्री सी० जंगा रेड्डी]

आपसे जानना चाहता हूं।

साथ ही साथ मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि टेक्सटाइल मिलों में, अहमदाबाद, बम्बई, दिल्ली जितने भी बड़े-बड़े शहरों में टेक्सटाइल मिलें हैं उन मिलों की जमीनों की कीमतें बढ़ रही हैं, और बहुत बढ़ रही हैं, इसलिए उन मिलों की यह पालिसी बन गयी है कि मिलों की जमीनें बेच कर पैसा जुटाया जाए। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सदन के हमारे माननीय मित्र ललित माकन जी जो स्वर्गवासी हो गये, उनका बयान इस सदन में है, डी० सी० एम० मिल पर कालिंग अटेंशन मोशन जो वे इस सदन में 2 मई को लाये थे, उसमें है। उस कालिंग अटेंशन पर बोलते हुए हमारे अब्दुल गफूर साहब ने कहा था जो मैं आपके सामने पढ़ कर सुनाता हूं।

[अनुवाद]

निर्माण और आवास मंत्री, श्री अब्दुल गफूर ने कहा :—

"कि यह अजीब बात है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार का महत्वपूर्ण निर्णय निर्माण और आवास मंत्रालय को विश्वास में लिए बगैर ही ले लिया गया।"

उन्हें इसमें कुछ गड़बड़ लगती है।

[हिन्दी]

डी० डी० ए० ने जो परमीशन दी है, दिल्ली शहर की एक टेक्सटाइल मिल को दी है, वह डी० सी०एम० की तीन मिलों में से एक मिल है, जो रोड पर है और सिटी के अन्दर है, उसकी लगभग 63 एकड़ जमीन है, उस 63 एकड़ जमीन को बेचने के लिए अनुमति दी गई है। उस अनुमति के बारे में हमारे अब्दुल गफूर साहब ने इस सदन के सामने स्टेटमेंट दिया। डी० डी० ए० पर आरोप लगाया गया। डी० डी० ए० के ऊपर केन्द्र सरकार ने आरोप लगाया, उसके साथ-साथ उन्होंने कमीशन भी नियुक्त किया। उस कमीशन में कोई प्रदीप नामक अंडर सेक्रेट्री को चेयरमैन बना दिया है। क्या यह कमीशन उचित है। इस जमीन की वैल्यू 800 करोड़ रुपया है, डी० डी० ए० ने जो अनुमति दी है और इसके लिए जो कमीशन बनाया गया है, उसकी रिपोर्ट क्या है, जो कमीशन बैठा है उसके बारे में इसमें कुछ नहीं है। यह सिर्फ आंसू पोंछने वाली बात है। मिल के बारे में जो कमेटी बैठाई है, उसका क्या हुआ। तीन बार मिल वालों ने मिल को शिफ्ट करने के लिए पैसा लिया, सरकार से जमीन ली, बाड़ा हिन्दू राव मिल जो रोड पर है, इसको शिफ्ट करने के लिए उन्होंने 63 एकड़ को बेचने के लिए जो घपला किया, उसके बारे में जांच रिपोर्ट बताइए। इसके साथ-साथ मैं पूछना चाहता हूं कि 63 एकड़ की मिल को दूसरी जगह ले जाकर रीहैब्नीटेशन के लिए सरकार ने 1950 में 100 एकड़ जमीन दी जहां क्लाथ मिल लगानी चाहिए थी, वहां नहीं लगाई गई और केमीकल इंडस्ट्री लगाई। इसके साथ-साथ 1970 में इस मिल को शिफ्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश में भी 100 एकड़ जमीन दी गई और इसका क्या कारण है कि उन्होंने 400 लूम बनाकर अलग मिल बनाई।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपने पहले ही समय खत्म कर दिया है। कृपया समाप्त करें। श्रीमती गीता मुखर्जी आप बोलें।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : इन सब चीजों का क्या कारण है। जिस वक्त डी० डी० ए० ने परमीशन दी···।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप इतना लम्बा भाषण नहीं दे सकते हैं। कृपया समाप्त करें। आगे श्रीमती गीता मुखर्जी।

श्री सी० जंगा रेड्डी : मैं लम्बा भाषण नहीं दे रहा हूं। यह 20,000 श्रमिकों का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी स्पष्टीकरण आप चाहते हैं उसके लिए आप प्रश्न पूछें।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है, हजारों लोगों का सवाल है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, श्री अब्दुल गफूर जी ने जो स्टेटमेंट दिया, उसकी जांच रिपोर्ट दीजिए। दूसरी बात यह जो इसमें एग्जामिनेशन में बताया है— सब्जेक्ट टू दी कंडीशन आफ दी सट्रल गवर्नमेंट क्लीयरेंस, जिस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लीयरेंस 15-4-85 को रिजेक्ट कर दी तो क्यों अभी तक कैंसिल नहीं किया गया। डी० डी० ए० ने जो डी० सी० एम० वालों को 63 एकड़ जमीन बेचने का डी० ओ० इशू किया उसको अब तक कैंसिल क्यों नहीं किया? इसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद लेफ्टीनेंट गवर्नर साहब ने बता दिया कि हमने जो परमीशन दी है, वी विल कंसीडर दी केस। एक तरफ मामला हाईकोर्ट में चल रहा है और एक तरफ 20 हजार मजदूर सड़कों पर हैं और भूखे मर रहे हैं। आपको देखकर आश्चर्य होगा कि न कोर्ट है, न सरकार है, न डी० डी० ए० है और न कोई है, 63 एकड़ में जो मिल है उस मिल को खत्म कर दिया गया। (व्यवधान)

आज भी पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया गया है रेजीडेंशियल अपार्टमेंट्स बनाने जा रहे हैं, यह आज के पेपर में है।···(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आगे, श्रीमती गीता मुखर्जी। कुछ भी रिकार्ड में नहीं जायेगा। बस मैं

यही कहना चाहता हूं। श्रीमती गीता मुखर्जी।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उनको बोलने के लिए पहले ही कह चुका हूं। जो कुछ उन्होंने कहा है, कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : सभा का समय बर्बाद मत कीजिए। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती गीता मुखर्जी। श्री जंगा रेड्डी आप बेकार में सारा समय बर्बाद कर रहे हैं अब श्रीमती गीता मुखर्जी बोलेंगी।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ा है और माननीय श्रम मन्त्री महोदय को हड़ताल के बारे में बोलते हुए भी सुना है। 20,000 श्रमिकों द्वारा 60 दिनों से की जा रही इतनी बड़ी हड़ताल पर मन्त्री महोदय द्वारा एक लिपिक की तरह दी गई जानकारी को पढ़कर और सुनकर मुझे वास्तव में खेद हुआ है। मैं समझती थी कि श्रम मन्त्री कम से कम इन 20,000 श्रमिकों के लिए कुछ चिन्ता व्यक्त करेंगे।

जो कुछ भी हो इस लिखित व्याख्या में, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में मुझे स्पष्टीकरण चाहिए और मैं एक के बाद एक स्पष्टीकरण पूछती चली जाऊंगी और ज्यादा समय नहीं लूंगी। यह आपसे मेरी विनती है।

उपाध्यक्ष महोदय : पांच मिनट।

श्रीमती गीता मुखर्जी : आपको पूरा समय देना होगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे इस हड़ताल से जुड़े हैं। इन श्रमिकों के लिए अन्तरिम राहत जो वे चाहते हैं ध्यान रखें कि यह किसी दल से या एक व्यक्ति की बात नहीं है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से लेकर भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय साम्यवादी मजदूर संघ और भारतीय मजदूर संघ तक सभी की राजनैतिक रायें इसमें अन्तर्ग्रस्त हैं। यह सब क्यों है ? यहां सवाल यह है कि अन्य शहरों में पिछले समझौते के समाप्त होने के बाद पिछली अन्तरिम सहायता दी गई। यह बम्बई में दी गई, कानपुर में दी गई परन्तु दिल्ली में ये मिलें बिरला और डी०सी०एम० द्वारा चलाई जा रही हैं और दुर्भाग्यवश उनमें से एक राष्ट्रीय कपड़ा निगम की इकाई है। यह एक सर्वसम्मत कानून लगता है कि यह अन्तरिम सहायता तब तक नहीं दी जा सकती है जब तक कि यह उत्पादकता से सम्बन्धित न हो। यह एक विवादास्पद प्रश्न

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

है। क्या उत्पादकता केवल श्रमिकों पर ही निर्भर करती है ? क्या आप मुझे बता सकते हैं यही कारण है कि श्रमिक इसे पूर्णतया उत्पादकता के अनुपात में नहीं बना सकते हैं। यह श्रमिक संघ आन्दोलन का एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो यहां पूछा जा रहा है परन्तु यह इस सत्र में पुनःदोहराया गया है।

मैं यह बात उठाना चाहूंगी और साथ ही माननीय मन्त्री महोदय से यह भी पूछना चाहूंगी कि क्या यह सच है कि दिल्ली में इस सांविधिक उद्योग में कार्य करने वालों की संख्या 5000 तक घट गई है तथा 79 समझौतों की शुरुआत से यह आज 25,000 से घट कर 20,000 रह गई है ? श्रमिकों की संख्या में 5000 की कमी हुई है। परन्तु क्या यह सच है कि उत्पादन की कीमत, कीमत उसी अवधि में बहुत बढ़ी है, उदाहरण के लिए डी०सी०एम० के मामले में 59% की वृद्धि हुई है जहां श्रम कानूनों का दुरुपयोग किया गया है परन्तु साथ ही श्रमिकों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए कहा जाता है। यदि ऐसी बात है तो उन्हें उनको उसका अब भुगतान करना चाहिए। इसमें आगा-पीछा करने का सवाल ही नहीं है। यह अन्तरिम सहायता तुलनात्मक रूप में श्रमिकों की संख्या के आधार पर दी जानी चाहिए। परन्तु मालिकों के दबाव में आकर सरकार ने इन बातों के आधार पर न्याय निर्णय कराने पर सहमत हो गई है।

अतः, मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या ये बातें सच हैं और क्या उत्पादकता की बात को वास्तविक रूप में लाने से कोई हल निकलता है। मैं राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिल की विशेष भूमिका के बारे में जानना चाहूंगी क्योंकि अन्ततः राष्ट्रीय कपड़ा निगम मिल यही कहेगी कि यह आगे इसे नहीं दे सकती है। क्यों नहीं आप अच्छी शर्तें प्रदान करते हैं ?

राष्ट्रीय कपड़ा निगम मिल के उत्पादकता के सवाल के सम्बन्ध में, 53 मिलों में यह पहले माना जा चुका है कि इनमें श्रमिकों की कुछ सहभागिता होनी चाहिए और वे परिषदें जो अन्य क्षेत्रों में शुरू की गई हैं तथा दिल्ली की कपड़ा मिलों में नहीं है, को शुरू करने के लिए पूरी शक्ति से व्यापक कदम उठाने चाहिए ताकि वे उत्पादकता से स्वयं ही निपट सकें। श्रमिकों द्वारा उत्पादकता बढ़ाने की कई सम्भावनाएं हैं। इस पर चर्चा की गई है और अच्छे परिणाम निकले हैं। ये सब राष्ट्रीय कपड़ा निगम मिल में नहीं हुआ है। यदि आप वास्तव में राष्ट्रीय कपड़ा निगम मिल की उत्पादकता के बारे में चिन्तित हैं तो क्या मैं पूछ सकती हूं कि दिल्ली की राष्ट्रीय कपड़ा निगम मिल ने अपना कपड़ा संसाधन संयंत्र होते हुए भी जो बेकार पड़ा है, कैसे एक अन्य मिल मालिक को जिसका अपना संसाधन संयंत्र था, उसे कपड़ा ठेका दिया है। क्या उत्पादकता बढ़ाने का यही तरीका है ? यही श्रमिकों को दोष दिया जाता है तो प्रबन्ध मण्डल क्या कर रहा है ? यहां दिल्ली में जैसा कि स्पष्ट है श्रमिकों की संख्या घट गई है और उत्पादकता बढ़ी है। निस्संदेह मालिकों का प्रबन्ध ही दोषी है।

जहां तक सरकार के न्याय-निर्णय की बात है माननीय श्रम मन्त्री महोदय ने बहुत सी बातें की हैं। परन्तु जैसा मैं समझती हूं इससे न केवल उनका मन्त्रालय जुड़ा है परन्तु वित्त मन्त्रालय भी सम्बन्धित है इससे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का मन्त्रालय जुड़ा हुआ है क्योंकि सरकारी उद्यम कार्यालय सरकारी उद्यमों के राज्य मन्त्री के अधीन है और इससे पुनः यह भी उद्योग मन्त्रालय का विषय है। जो मैं जानना चाहूंगी वह यह कि क्या आप कोई बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं ताकि ये तीन

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

मन्त्री और संयुक्त कार्यवाही समिति के नेता और अन्य इस हड़ताल के मसले को हल करने के लिए बात करें; ताकि वह बड़ी हड़ताल शांतिपूर्वक समाप्त हो सके और मजदूरों के हितों की रक्षा की जा सके। उन्होंने बहुत से फार्मूले दिए हैं और मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहती। मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या आप कोई ऐसी पहल करने जा रहे हैं। यदि हां तो कब तक ? पहले ही 53 दिन बीत चुके हैं और यह कुछ करने के लिए उचित समय है।

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान जी, वास्तव में वस्त्र उद्योग हमारे देश में सबसे पुराना उद्योग है। सारे देश में लगभग 13 लाख व्यक्ति इस उद्योग में लगे हुए हैं। दुर्भाग्य से यह चाहे दिल्ली, मद्रास, बम्बई, कानपुर या अहमदाबाद में हो, वस्त्र उद्योग के श्रमिक बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

उन्हें मिल मालिकों द्वारा कुचला गया है। उन्हें यहां भी कुचला जा रहा है। मैं नहीं जानता कि सरकार मालिकों के प्रति नर्मी क्यों दिखा रही है। अन्ततः एक छोटा सा अनुरोध है। वे वेतन वृद्धि चाहते हैं क्योंकि बाजार में कीमतें बढ़ गई हैं। वे अन्तरिम सहायता के लिए कह रहे हैं। वे मकान किराया भत्ता बढ़ाने के लिए कह रहे हैं वे कर्मचारियों की पेंशन अथवा उनकी सेवाओं को नियमित करने और पुलिस मामलों को वापस लेने के लिए कह रहे हैं। ये सभी छोटी-छोटी समस्याएं हैं। सौ रुपये की अन्तरिम सहायता के लिए आप इसे उत्पादकता से जोड़ रहे हैं।

हम सरकारी कर्मचारियों का वेतन भी बढ़ाने जा रहे हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने जा रहे हैं। क्या हम इसे उत्पादकता से जोड़ते हैं। वास्तव में जैसा कि मेरे दोस्त ने कहा है उत्पादन बढ़ा है। वास्तव में उत्पादन बढ़ रहा है। उसे उत्पादकता के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। वे कोई शरारत कर रहे हैं। इसके पीछे कोई नाटक है।

वास्तव में मिल मालिक इन भूमियों को बेचना चाहते हैं और कोई बड़ा होटल या बड़ा उद्योग लगाना चाहते हैं और इससे पैसा कमाना चाहते हैं। सरकार को इस मुद्दे को लेना चाहिए। सरकार को सार्वजनिक कार्यों के लिए इस जमीन का अधिग्रहण कर लेना चाहिए। उन्हें शहर के बाहरी क्षेत्रों में जमीन का आवंटन किया जाना चाहिए। तभी आप उनके लिए मकान बनाने हेतु भूमि प्राप्त कर सकते हैं। कर्मचारी भी अपने मकान बना सकते हैं। वे सभी समस्याओं को हल कर सकते हैं। परन्तु वे यह नहीं कर सकते क्योंकि वे कपड़ा उद्योग से किसी अन्य उद्योग में जाना चाहते हैं। इस विविधीकरण में सरकार का बड़ा हाथ है। इस जमीन को बेचने से उन्हें सैकड़ों करोड़ रुपया मिल रहा है। उनकी ओर से कुछ बिचौलिये कार्य कर रहे हैं। माननीय मन्त्री ने बहुत अस्पष्ट वक्तव्य दिया है। इसमें कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। डी०डी०ए० को न्याय-निर्णय के लिए जाने की क्या जल्दी थी ? वे कब इस समस्या को हल करने जा रहे हैं ? क्या वे तुरन्त इसे हल कर सकते हैं ? पहले ही 53 दिन बीत चुके हैं और आप चुपचाप बैठे हैं। क्या मजदूरों के हितों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य नहीं है ? मुझे हैरानी है कि सरकार किस लिए है। आप चुपचाप बैठे हैं जबकि मजदूर बाहर मर रहे हैं। आप

मालिकों और बड़े भू-स्वामियों का समर्थन कर रहे हैं आयुक्त को नियुक्त करने के स्थान पर आप इसे व्यक्तिगत रूप से क्यों नहीं लेते ? श्रम मन्त्री इसे व्यक्तिगत रूप से क्यों नहीं लेते। यदि आपकी वास्तव में श्रमिक वर्ग में रुचि है तो आप विभिन्न श्रम संगठनों के नेताओं की बैठक बुलाइये। केवल तभी कोई समाधान निकल सकेगा। यदि आपकी रुचि होती तो आप ऐसा कर देते। आप केवल विलम्बकारी तरीके अपना रहे हैं। इस प्रकार मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस मुद्दे को व्यक्तिगत रूप से लें और सभी श्रमिक संगठनों के नेताओं की एक बैठक बुलायें और इस प्रकार इस समस्या को हल करें। ये छोटी समस्याएं हैं वेतन वृद्धि को उत्पादन वृद्धि से मत जोड़िए। ऐसा नहीं हो सकता उत्पादन में वृद्धि केवल श्रमिक वर्ग पर ही निर्भर नहीं करती। यह विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कारणों पर भी निर्भर करती है।

मैं आपसे इस मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर लेने का अनुरोध करता हूं। मैं यह भी दोहराता हूं कि आप सारी जमीन का अधिग्रहण कर लीजिए चाहे वह बम्बई में हो या किसी अन्य जगह और इसके बदले में शहर के बाहर सरकारी जमीन निर्धारित कर दीजिए। मुआवजे से प्राप्त राशि से वे मिल और मजदूरों के लिए मकान बना सकते हैं मैं यह भी सुझाव देना चाहूंगा कि निजी कपड़ा मिलों के पुनर्गठन के लिए कुछ उपाय किए जाने चाहिए या सरकार सभी निजी कपड़ा मिलों का अधिग्रहण कर सकती है।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का सरकार ने उत्तर दिया है, उसको पढ़ने से ऐसा लगा कि यह सरकार मजदूर विरोधी रवैया अपना रही है। कपड़ा उद्योग हमारे देश के उद्योगों में सबसे पहला उद्योग है जहां पर करीब 13 लाख मजदूर काम करते हैं और सरकार ने जो उत्तर दिया है उससे ऐसा लगता है कि सरकार को इस बात की चिन्ता नहीं है कि यहां राजधानी में कपड़ा मिल के बीस हजार मजदूर हड़ताल पर हैं, उनकी हड़ताल को समाप्त कराने की ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है और उन मजदूरों को तरह-तरह के जाल में फंसा दिया है और यह कहते हैं कि हमने बातचीत की है। लेकिन सहमति नहीं हुई। इससे ऐसा महसूस होता है कि यह सरकार जो अपने को मजदूर पक्षीय कहती है, यह बिल्कुल झूठा दावा करती है। इसी के कारण आज बीस हजार मजदूर भटक रहे हैं। इन मजदूरों को आज अन्तरिम सहायता भी नहीं मिल रही है जो कि सब जगह मिलती है। मजदूर इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, मजदूरों को इस बुरी हालत में नहीं रखा जाना चाहिए। यह सभी जानते हैं कि अगर आज मजदूर से समझौता कर लिया तो जो उत्पादन में कमी हो रही है, वह नहीं होगी और इस प्रकार से जो राष्ट्रीय क्षति कम हो रही है, वह नहीं होगी। आज इन मजदूरों की हड़ताल के कारण हमारी अर्थ-व्यवस्था कमजोर हो रही है। इन सारी चीजों को जानकर भी इसको सरकार उलझाए हुए है। कई जगहों पर ऐसी चीज देखी गई है, जैसे हमारे यहां गया काटन मिल है, वह सरकार के अधीन है, लेकिन वहां के प्रबन्धक सामान को बेचने के लिए तैयार हैं, जबकि वह सामान जर्मनी का है, काम के लायक है। इनके यहां चाहे प्राइवेट में हो या सरकारी में हो तो वहां भी सरकार यही काम कर रही है जो बड़े-बड़े पूंजीपति वर्ग करते हैं। आज पूंजीपति वर्ग का अगर सवाल उठाया जाये कि मिल में नुकसान है, घाटा है तो सरकार उसको

[श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह]

अपनी तरफ पैसा देकर, या इनकम टैक्स में छूट देकर घाटे को पूरा करना चाहती है।

आज मिल के जो मजदूर हड़ताल पर जा रहे हैं, उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर मिल वाले जमीन बेचना चाहते हैं, उसकी जगह अगर क्वार्टर बनाकर मजदूरों को सहूलियत दी जाए मजदूर ज्यादा से ज्यादा उस मिल में उत्पादन दे सकते हैं और उत्पादन कर सकते हैं जिससे कि हमारी राष्ट्रीय आय बहुत ही मजबूत हो सकती है। मैं सरकार से यही कहूंगा कि जो यहां पर मौजूदा हालत है, यहां सभी कहते हैं कि हम मजदूरों के हितैषी हैं तो सबसे पहला काम यह करके दिखलावें, जिससे हम समझ सकें कि मजदूरों की हड़ताल समाप्त हो सकेगी और आगे की कार्यवाही हो सकेगी।

श्री सुभाष यादव (खारगौन) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले कई दिनों से दिल्ली की कपड़ा मिलों के 20 हजार मजदूर हड़ताल पर चले गये। यह खुशी की बात है कि सरकार की ओर से और उप-राज्यपाल की ओर से इस मामले को सुलझाने के प्रयास किये गये, लेकिन उसके बावजूद भी लगता है कि मैनेजमेंट की ओर से कुछ नहीं हो रहा है। यह दुर्भाग्य की स्थिति है कि दिल्ली जैसे क्षेत्र में मैनेजमेंट बहुत विलम्ब कर रहा है।

दिल्ली में मजदूरों की समस्याओं के समाधान के लिए हमारे स्वर्गीय सदस्य नेता श्री ललित माकन ने बहुत कुछ प्रयास किये औरबहुत लंबे समय तक उन्होंने संघर्ष किया और दिल्ली के मजदूरों की समस्याओं के लिए उन्होंने कई बार लड़ाई लड़ी। अब यह स्थिति बन चुकी है कि हमको और सरकार को इसे बहुत गम्भीरता से लेने की आवश्यकता है। जो मांगें उनकी तरफ से की जा रही हैं, वह जायज मांगें हैं और देश के अन्य भागों में वह मांगें पूरी हो चुकी हैं। यह खुशी की बात है, जैसा मुझे कुछ समय पहले बताया गया कि कल वित्त मन्त्री के साथ एक बैठक इस मामले में हुई है, उसमें कांग्रेस के सांसद श्री कुमारमंगलम ने चर्चा की है। दिल्ली प्रदेश के जो सांसद हैं, उन्होंने भी बहुत जोरदार शब्दों में इसको उठाने की कोशिश की है। वित्त मन्त्री जी ने कहा है कि निकट भविष्य में जल्दी ही अन्य विभागों के मन्त्रियों की बैठक बुलाकर इस समस्या के समाधान के लिए तेजी से काम करेंगे। मैं इस अवसर पर बहुत लम्बी चौडी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना ही कहना चाहता हूं कि मजदूरों की बात जायज है और जितनी मांगें उन्होंने रखी हैं, वह बहुत छोटी-छोटी मांगें हैं, उनको पूरा करने के लिए सरकार को बहुत गम्भीरता से इस मामले में सोचना चाहिए। यह उनके जीवन मरण का प्रश्न है। अगर हम इसका तुलनात्मक अध्ययन करें और देखें कि बम्बई में टैक्सटाइल मजदूरों को क्या मिलता है और दिल्ली में क्या मिल रहा है तो यह बात सामने आती है कि अन्य देश के भागों के अनुपात में दिल्ली के मजदूरों को बहुत कम मिल रहा है।

इससे बड़ी विडम्बना क्या हो सकती है कि जो मिल एन०टी०सी० द्वारा चलाई जा रही है, वह भी इस बात को मानने में विलम्ब कर रही है। मैं कहना चाहता हूं कि वित्त मन्त्री जी इसको गम्भीरता से लें। सरकार ने अब इसमें जो प्रयास किया है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। अब वित्त मंत्री जी ने इस काम को अपने हाथ में लेकर कल से जो इस पर चर्चा की शुरूआत हुई है वह ठीक किया है। उन्होंने इस देश के बड़े-बड़े पूंजीपतियों को सही रास्ते पर चलने के लिए बाध्य किया है तो कोई कारण

नहीं है कि उनके चिन्तन के बाद जो बड़े-बड़े पूंजीपति अब मजदूरों के हक को मारने की कोशिश कर रहे हैं, वह जल्दी ही उनको काबू कर पाएंगे।

1.00 म०प०

[अनुवाद]

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस सम्मानित सदन में वाद-विवाद के लिए इस मुद्दे को उठाया है। दिल्ली के कपड़ा मिलों में जारी हड़ताल से माननीय सदस्यों की चिंता से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं। मैं इस आरोप का खंडन करता हूं कि हम इससे चिन्तित नहीं हैं और हम इस मामले को गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं—(व्यवधान) क्या आप मेरी बात सुनेंगे ? मैंने शान्तिपूर्वक आपकी बात सुनी है। आप सभी श्रमिक संघों के नेता हैं और आप औद्योगिक विवाद अधिनियम को जानते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत वस्त्र उद्योग के लिए उचित सरकार राज्य सरकार है। और इस मुकदमें में उचित सरकार दिल्ली प्रशासन है। यह कानून है। यह मामला दिल्ली प्रशासन द्वारा हल किया जाना है। दिल्ली प्रशासन ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है। यह मामला न्याय-निर्णय के लिए भेजा गया था। ग्यारह मांगों में से छः मांगों को न्याय-निर्णय के लिए भेजा गया। इसके बाद मजदूरों ने हड़ताल के लिए नोटिस दे दिया। उस समय उपराज्यपाल महोदय ने स्वयं हस्तक्षेप किया और हड़ताल को टालने की कोशिश की। यह प्रयत्न वे कर चुके हैं। इसके बाद श्रमिक मुझ से मिले यद्यपि मामला दिल्ली प्रशासन का है न कि केन्द्रीय सरकार का फिर भी मैंने व्यक्तिगत रूप से पहल की और सभी दलों की बैठक बुलाने की पहल की। आजतक हम उनसे विवाद करने में 90 घंटे लगा चुके हैं। कभी-कभी हमने बिना सोए रातें बिताई हैं और उपराज्यपाल महोदय भी यह सब कर रहे हैं। मुझे अपनी भूमिका—केन्द्रीय सरकार की भूमिका स्पष्ट कर देनी चाहिए। हमारी भूमिका दिल्ली प्रशासन को समझौते पर पहुंचने में सहायता करने तक ही सीमित है। वैधानिक स्थिति यह है। परन्तु इन सब बातों के बावजूद (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप कानून को क्यों नहीं बदल सकते ?

श्री पी० ए० संगमा : आप औद्योगिक कानून के विशेषज्ञ हैं। आपको मेरी स्थिति अच्छी तरह समझनी चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया करके कोई व्यवधान न हो। आप सुनने के लिए तैयार न हों तो मैं सदन को स्थगित कर दूंगा।

श्री पी० ए० संगमा : हमने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है। परन्तु यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे सभी प्रयत्नों के बावजूद हम किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाये हैं। परन्तु जैसा मैंने मुख्य वक्तव्य में कहा है कि दोनों पक्षों का रुख अन्तरिम सहायता के बारे में अब नरम पड़ गया है। आरम्भ में मजदूरों ने 100 रुपये की मांग की थी। हमारे कई वार्ताओं के बाद वे कम करने के लिए मान गए हैं। यह बहुत अच्छा है कि श्रमिक 70 रुपये प्रति माह तक नीचे आ गये हैं। यह रुख नरम

[श्री पी० ए० संगमा]

होने की बात है। ऐसा नहीं है कि हमारे प्रयत्न सफल नहीं हुए हैं···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं माननीय सदस्यों से अपनी सीट पर बैठने का अनुरोध कर सकता हूं ? क्या आप उत्तर सुनने के लिए तैयार हैं या नहीं ? मैं आपको इस प्रकार बोलने की अनुमति नहीं दे सकता।

···(व्यवधान)

डा० दत्ता सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य) : ऐसा इसलिए है क्योंकि न्याय निर्णय में पांच वर्ष या इससे अधिक समय लगेगा···(व्यवधान)

श्री पी० ए० संगमा : इस तथ्य के बावजूद कि मामला न्याय-निर्णय के लिए भेजा गया है। हमने कार्यवाही की है। (व्यवधान)

श्री दत्ता सामन्त : अगले पांच वर्ष में 1991 आ जायेगा। आप कितना समय ले रहे हैं ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप उनके भाषण में व्यवधान डालेंगे तो किसी भी बात को रिकार्ड नहीं किया जायेगा। आपका नाम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलने वाले सदस्यों की सूची में नहीं है। इस प्रकार आप इस पर नहीं बोल सकते। मैं दूसरों को उनसे प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा। यह ध्यानाकर्षण है। आप बोल नहीं सकते। (व्यवधान)

श्री पी० ए० संगमा : मैं सदन को यह विश्वास दिला सकता हूं कि हमारी श्रमिकों के साथ पूरी सहानुभूति है। हम समस्याओं को हल करना चाहते हैं। हमारे रुख का मालिकों की तरफ नरम होने का प्रश्न ही नहीं उठता। उनके पक्ष में जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। (व्यवधान)

डा० दत्ता सामन्त : एक प्रश्न है।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण की सूची में जिनके नाम हैं उनके अतिरिक्त मैं किसी अन्य सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)**

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय···

(व्यवधान)**

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, आप पहले ही बोल चुकी हैं। पहले उन्हें उत्तर देने दीजिए। प्रत्येक व्यक्ति बोलता जा रहा है। श्रीमती गीता मुखर्जी कृपया करके आप बैठ जाइये। कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री पी० ए० संगमा : कृपया बैठ जाइये। चूंकि मैडम ने विशेष रूप से पूछा है तो मैं पहले उनकी ही बात को स्पष्ट करूंगा। महोदया, आपने एक विशेष ढंग का प्रश्न किया है। उत्पादकता क्या केवल श्रमिकों पर आश्रित है। नहीं यह केवल कामगारों पर आश्रित हीं नहीं होती। यह अन्य बहुत से तथ्यों पर आधारित है। यह पहला तर्क है।

द्वितीय, आपने मुझसे एक प्रश्न पूछा है कि क्या दिल्ली की मिलों में रोजगार में गिरावट आयी है। हां, इसमें गिरावट आयी है। आपने 5000 की संख्या दी। मेरे पास इस समय कोई आंकड़े नहीं हैं। यह तथ्य है कि रोजगार के अवसरों में गिरावट हुई है, मैं आपसे सहमत हूं। दिये गये कारणों में हैं बिरला सूती मिल के बुनाई एककों का बन्द होना तथा उनका आधुनिकीकरण किया जाना यह भी सत्य हैं कि उत्पादन में वृद्धि हुई है लेकिन··· (व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : लेकिन क्यों ?

श्री पी० ए० संगमा : मैं आपको स्पष्टीकरण दे रहा हूं। रोजगार में गिरावट आयी है, उत्पादन बढ़ा है लेकिन मैं "लेकिन का शब्द का प्रयोग आपके हित में कर रहा हूं। मालिकों का तर्क होता है कि उन्हें लगातार क्षति हो रही है। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आप हमेशा कहते हैं···

(व्यवधान)**

डा० वत्ता सामन्त : महोदय,····· के धन का 50%·····

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : सामंत जी, आपको और भी बहुत से अवसर मिलेंगे। कृपया हस्तक्षेप न करें। कार्यवाही में सम्मिलित न किया जाये।

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक) : गवर्नमेंट की सिमपैथी वर्कर्स के साथ रही है और

**कार्यवाही-वृत्तान्त मे सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री जय प्रकाश अग्रवाल]

फैसले किए गये । मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है ।

(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं प्रदान कर सकता ।

श्री पी० ए० संगमा : मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि इस स्थिति से हम बहुत चिंतित हैं । प्रयास जारी है यदि आपने आज का समाचार पत्र देखा हो – कुछ सदस्यों ने वित्त मंत्री से बात की है—वित्त मंत्री स्वयं इस समस्या को निपटाने के लिए एक बैठक बुलाने को राजी हो गये हैं । मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि हम समझौते तक पहुंचने के लिए बेहतर प्रयास करूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होती है तथा 2.05 म०प० पर पुनः समवेत होगी ।

1.09 म०प०

लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.00 म०प० तक
के लिए स्थगित हुई ।

2.09 म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बजकर
9 मिनट पर पुनः समवेत हुई ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उपाध्यक्ष महोदय : अब मद संख्या 12—श्री एच०के०एल० भगत ।

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य एवं नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 21 जुलाई, 1986 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :—

(1) आज की कार्यसूची से बकाया किसी सरकारी मद पर विचार।

(2) जांच आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1986 का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा और जांच आयोग (संशोधन) विधेयक, 1986 पर विचार तथा पारित करना।

(3) संघ लोक सेवा आयोग के 35वें प्रतिवेदन पर चर्चा।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : निम्नलिखित मुद्दे अगले सप्ताह सरकारी कार्य-सूची में शामिल किये जायें।

पूर्वी समुद्री तट पर प० बंगाल में हल्दिया से लगाकर आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम तक मझोले बन्दरगाहों की एक लम्बी श्रंखला है। बंगाल की खाड़ी, हल्दिया, पारादीप, गोपालपुर तथा विशाखापत्तनम से होकर प० बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश के पृष्ठ प्रदेश से जुड़ी है।

पूर्वी तट की समुद्री लाइन अब बड़े-बड़े इस्पात संयंत्रों, सहायक उद्योगों तथा समृद्ध खनन पट्टियों तथा कोयला खानों की सेवा कर रही है। सेवा प्राप्त कर रहे बोकारो, टाटा राउरकेला तथा भिलाई है। कच्चा लोहा, कोयला अल्मीनियम तथा बाक्साइड के भण्डारों को ढोने के अतिरिक्त दूसरे कच्चे माल एवं निर्मित वस्तुओं की ढुलाई रेल द्वारा की जाती है। दूसरे रेल यातायात पर भारी बोझ पड़ता है। पर्यटक व्यापार में वृद्धि के लिए तथा कलकत्ता से विशाखापत्तनम तक बिछायी गई एकल रेलवे लाइन पर दबाव को खत्म करने के लिए मैं सुझाव देता हूं कि हल्दिया तथा विशाखापत्तनम से पारादीप तथा गोपालपुर से होकर तटीय स्टीमर सेवायें शुरू की जायें।

तटीय जल परिवहन उड़ीसा तथा अन्य राज्यों की औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ हो सकेगा।

[हिन्दी]

श्री के० एन० प्रधान (भोपाल) : उपाध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाये :

हाल ही में अमरीकी अदालत के भोपाल में 2-3 दिसम्बर, 1984 की मध्य रात्रि को हुई गैस

[श्री के० एन० प्रधान]

त्रासदी के मुआवजे के मुकदमे को भारत में ही चलाये जाने के निर्णय के बाद से बड़ी अनिश्चितता व्याप्त हो गई है। उक्त निर्णय के बाद भारत सरकार की ओर से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि अब आगे की कार्यवाही की क्या रूपरेखा रहेगी।

यह अनिश्चितता भोपाल के नागरिकों के लिए इसलिए भी बड़ी कष्टदायक है, क्योंकि एक ओर जो हानि हो चुकी है वह तो हो चुकी है लेकिन जो निरन्तर हानि हो रही है और जो भविष्य में होने वाली है, उसे रोक पाना कठिन हो रहा है। कमोवेश हर नागरिक के शरीर की प्रतिरोधात्मक शक्ति में कमी आई है।

गंभीरता का इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि घटना के बाद से भोपाल में हर मौत समय से पूर्व हुई है और वर्तमान पीढ़ी के हर व्यक्ति की मौत समय से पूर्व ही होगी। इसे आगे आने वाली पीढ़ियों को भी भोगना पड़ेगा। गैस के प्रभाव को पूरी तरह दूर करने की अभी भी कोई निश्चित चिकित्सा नहीं है।

ऐसी गंभीर स्थिति में यह जरूरी है कि मुआवजे का फैसला जल्दी हो और पर्यावरण सुधार तथा कम से कम 50 वर्ष तक पर्याप्त चिकित्सा का योजनाबद्ध प्रबन्ध किया जाये।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित मामला सम्मिलित किया जाए :

1. एडिनबर्ग राष्ट्रकुल खेलों में भारत के भाग न लेने के सम्बन्ध में निर्णय लेने में सरकार अभी भी झिझक रही है। यद्यपि कुछ अफ्रीकी राष्ट्र ऐसा निर्णय ले चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका की रंगभेदी सरकार के दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया तथा पड़ोसी देशों के लोगों पर आक्रामक अत्याचार करने तथा रंगभेदी दक्षिण अफ्रीकी शासन पर प्रतिबंध लगाने में ब्रिटिश सरकार की मनाही को पृष्ठभूमि में भारत को इन कथित खेलों में भाग न लेने का कदम उठाना चाहिए। यह कदम द० अफ्रीका की रंगभेद के विरुद्ध द० अफ्रीका, नामीबिया तथा अन्य अफ्रीकी राष्ट्रों की जनता के साथ एकता प्रकट करने के समान होगा।

2. कलकत्ता हाईकोर्ट की पीयरलैस कम्पनी पर दिए गये इस निर्णय का जो उसने गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनीज (आर० बी० आई०) अनुदेशों जिसमें 1981 में संशोधन किया गया के नियम 19 के अन्तर्गत यह कम्पनी तथा इसके कर्मचारियों की कार्यशैली को प्रभावित करेगा तथा इसे बुरी तरह प्रभावित कर रुग्ण बनायेगा। ऐसी परिस्थितियों में सरकार को कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए और इसके विशाल संचित राशि का राष्ट्र के लिए उपयोग करेगा और संपूर्ण नाश से बचाएगा।

श्री शांताराम नायक (पणजी) : मेरी प्रार्थना है निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित किए जाए :—

यद्यपि चतुर्थ वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के एक बड़े भाग को राहत प्रदान की है तथापि कई मुद्दो के बारे में आयोग की अनुशंसाओं को सरकारी कर्मचारियों के एक खास वर्ग से समर्थन नहीं मिला है। चूंकि यह स्वस्थ परम्परा नहीं है कि वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे पर बार-बार विचार करे अत: यह वांछनीय है कि चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों पर इस सदन में विस्तार पूर्वक चर्चा हो।

[हिन्दी]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : उपाध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए :—

हत्या, लूट, डकैतियों आदि की हिंसक घटनाएं तो आज सारे देश में ही बड़े पैमाने पर हो रही हैं किंतु पंजाब में इन घटनाओं के घटित होने का तरीका इस प्रकार हो रहा है कि इनका असर देश को विभाजन की ओर ले जा रहा है। पंजाब प्रशासन ने बड़े ही कारगर तरीके से इस समस्या को हल करने की कोशिश की है। अप्रैल से जून तक केवल जालंधर रेंज में 502 आतंकवादियों को जेलों में डाला जा चुका है। पंजाब के मुख्य मंत्री द्वारा पंजाब सरकार के माध्यम से इस सम्बन्ध में की गई प्रभावी कार्यवाही की प्रशंसा स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी की थी। इतनी बड़ी संख्या में आतंकवादियों को पकड़ लेने के बाद भी पंजाब में हिंसक घटनाओं का तांता बन्द नहीं हुआ है। पंजाब प्रशासन घटनाएं करने वालों को तो पकड़ पा रही है किन्तु इन घटनाओं को कराने वाले तत्व उसकी पकड़ से बाहर हैं। पिछले मार्च में पंजाब के कांग्रेसी नेताओं ने आंतरिक सुरक्षा मंत्री को बतलाया था कि इन घटनाओं के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। उस समय के हरियाणा के तत्कालीन मुख्य मंत्री ने 30 मार्च को कहा था कि पाकिस्तान में इन आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। 30 मार्च को गुप्तचर विभाग ने 29 पाकिस्तान द्वारा ट्रेन्ड आतंकवादियों के हरियाणा में प्रवेश करने पर प्रशासन को सजग रहने का संकेत किया था। 29 अप्रैल को खालिस्तान की घोषणा करने से पहले पाकिस्तान अम्बेसी का इन आतंकवादियों से मिलना सारे देश को मालूम है। अभी पंजाब में पकड़े गए 200 लोगों ने बतलाया कि पाकिस्तान की जेलों में जिसका मुख्य केन्द्र फैसलाबाद जेल है, उसमें लोगों को ट्रेन्ड किया जाता है ताकि वे देश में तोड़फोड़ करें। इन हालात को देखते हुए भी इस सम्बन्ध में ठोस कार्यवाही अभी तक नजर नहीं आ रही है। अत: मेरा आग्रह है कि इस विषय में पाकिस्तान से साथ-साफ बात की जाए जिससे वह इस प्रकार के कार्य भविष्य में न करें। अत: मेरा निवेदन है कि आगामी सप्ताह की कार्यसूची में इस संदर्भ में विस्तार से सदन में चर्चा की जाए।

[अनुवाद]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक) : मैं प्रार्थना करता हूं कि निम्न बातों को अगले हफ्ते की कार्यसूची में शामिल किया जाए :—

[श्री जय प्रकाश अग्रवाल]

(1) अभी हाल में, जब मैं बद्रीनाथ धाम गया तो मैंने देखा कि वहां आवश्यक सुविधाओं का पूर्ण अभाव है। वहां यात्रियों के ठहरने की कोई संगठित व्यवस्था नहीं है। खान-पान की भी उचित व्यवस्था नहीं है। उस क्षेत्र में पर्याप्त विद्युत के अभाव के अलावा, वहां पेट्रोल भी उपलब्ध नहीं था। यह खेद का विषय है कि ऐसे प्रसिद्ध स्थानों पर जहां लाखों लोग जाते हों, वहां इस प्रकार आवश्यक सुविधाओं का अभाव हो। मैं अनुरोध करूंगा कि पर्यटन मंत्री लघु होटलों के निर्माण के सम्बन्ध में शीघ्र सोचें तथा साथ ही पेट्रोल आदि अन्य सुविधाओं का प्रबन्ध करें। मैं इस विषय पर चर्चा करना चाहूंगा।

(2) यह दुःख का विषय है कि राजधानी में चिकित्सा सुविधाओं की बढ़ती हुई अपर्याप्तता को देखते हुए प्राइवेट नर्सिंग होम छोटी-छोटी बीमारियों तक के लिए बहुत अधिक पैसे वसूल रहे हैं। कहना अनावश्यक होगा कि मजबूरी या आपात स्थिति में व्यक्ति को इन नर्सिंग गृहों में जाना ही पड़ेगा। ये नर्सिंग होम उन चिकित्सकों द्वारा चलाये जाते हैं जिनका शिक्षण एवं प्रशिक्षण सार्वजनिक लागत पर हुआ है और जो जनता के अन्य साधनों का दोहन कर रहे हैं। यह स्थिति वास्तव में चिन्ता का कारण है। मैं सरकार से तुरन्त इस मामले की जांच करने तथा इन नर्सिंग गृहों पर कुछ नियंत्रण लगाने के लिए सरकार से प्रार्थना करूंगा।

मैं सदन में इस विषय पर भी चर्चा करना चाहूंगा।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : अहमदाबाद कुछ वर्षों से निकृष्ट कोटि के मानवीय पतन का परिदृश्य बनता जा रहा है। विषय चाहे जो भी हो, कुछ लोग ऐसे हैं जो बातचीत और समझ-बूझ में विश्वास नहीं रखते और वे विध्वंसक कार्यवाहियों वाला मार्ग अपनाते हैं। आरक्षण के मुद्दे के बारे में यह मनोवृत्ति इसी प्रकार थी जैसाकि आज सम्प्रदायिक उपद्रवों में देखा जा रहा है जिसमें सैकड़ों लोग मारे गये हैं और बहुत से घायल हुए हैं। इस गुण्डागीरी का शर्मनाक पहलू यह है कि गरीबतम् व्यक्ति को कड़क ग्रीष्म के दिन दुर्व्यवस्थाग्रस्त शरणार्थी शिविरों में गुजारने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि वह समय आ गया है जब राष्ट्र को विध्वंसकारियों, सम्प्रदायिक तथा असामाजिक तत्वों को दृढ़ संकल्प से सामना करना होगा तथा जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता तथा इसके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए हमें एकाग्रता के साथ संकल्प लेना चाहिए। बहुत से ऐसे अवसर आये जब हमें शर्म से अपने सिर लटकाने पड़े जब हमारे कुछ पृथ्वी पुत्रों ने विभाजनकारी, आतंकवादी तथा अराष्ट्रीय गतिविधियों में भाग लेने का मार्ग चुना। संसद एक स्वर से घोषित करे कि भारतीय संविधान की गरिमा किसी भी कीमत पर बनाई रखी जाएगी तथा सरकार से अनुरोध करें कि राष्ट्र-विरोधी-निकृष्टतम के सभी रूपों को कठोरतापूर्वक गतिविधियों को समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री मनकू राम सोढी (बस्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषय को कृपया अगले

सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए।

देश के आदिवासी पिछड़े क्षेत्रों में जिस योजना के लिए आदिवासियों की गांव-जमीन ली जाती है और उन्हें मुआवजा देकर उनके स्थान से हटा दिया जाता है, अब उन्हें उसी योजना मद से पुन: व्यवस्थापन हेतु राशि शामिल की जाए। देखा गया है कि जिन्हें मुआवजा देकर गांव-मकान-खेती से अलग किया गया है उनका स्थायी जीवन लम्बे समय के बाद भी व्यवस्थित नहीं हो पाता। जहां आदिवासी बसे हैं, दुर्भाग्य से उसी जगह खनिज, सिंचाई, बांध और अन्य कारखानों का निर्माण-स्थान भी निश्चित होता है। उन्हें इस योजना में रोजगार देने की बात की जाती है पर उनको बाद में अनदेखा कर दिया जाता है।

अत: शासन से अनुरोध है कि अब भविष्य में जहां आदिवासी बसे हैं, वैसी जगहों में यदि खनिज, सिंचाई और अन्य कारखाने के लिए जमीन ली जाती है तो उन्हें बसाने के लिए उसी योजना द्वारा अन्य जगहों में पहले की भांति मकान-खेती तैयार कर बसाया जाये तब योजना का निर्माण-कार्य आरम्भ हो जिससे आदिवासियों को योजना के प्रति कोई दुर्भावना पैदा नहीं होगी और उस योजना में अपने आपको सहभागी के रूप में महसूस करेंगे।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया निम्नलिखित वक्तव्य को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल किया जाये।

रांची (बिहार) मानसिक आरोग्य-शाला में रोगियों की आंखें निकालने के घिनौने कारोबार की पोल खुली है। 3 जुलाई के दिन आरोग्यशाला के ब्लाक क्रमांक 5 के वार्ड क्रमांक 6 के कमरा नं 2 में, सिंहभूम जिला अन्तर्गत निमड़ी थाना के भांगा गांव निवासी 25 वर्षीय आदिवासी युवक सुबोध की दोनों आंखें नृशंसतापूर्वक निकाल कर सौदागरी का जघन्य व्यापार किया जा रहा है। सरकार से अनुरोध है कि इस तरह जघन्य व्यापार जो चार वर्षों से चल रहा है, उस पर जांच बैठाकर दोषी को मृत्युदण्ड की सजा दिलायी जाए।

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : श्रीमान, कृपया निम्नलिखित मद को अगले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल किया जाये :—

कई कारणों से यह आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार को अपने साधनों से वाराणसी तथा मोकामेह की तरह का एक रेल एवं सड़क पुल भागलपुर में गंगा पर बनाया जाये। इसी दौरान, परियोजना की लागत प्रतिदिन बढ़ती जा रही है—1983 में यह 48 करोड़ रुपये थी और अब यह 60 करोड़ रुपये है। राज्य सरकार के साधनों की कमी का पता इस तथ्य से चलता है कि सातवीं योजना के पांच वर्ष के लम्बे समय में राज्य सरकार ने परियोजना के निर्माण के लिए लगभग 2 करोड़ रुपये आबंटित किए। यह धनराशि उप मार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए भी पर्याप्त नहीं है। क्योंकि परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है इसलिए केन्द्रीय सरकार को इसमें अधिक रुचि लेनी चाहिए।

भागलपुर के प्रस्तावित पुल के सामरिक महत्व को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि देश के

[डा० गौरी शंकर राजहंस]

पूर्वी क्षेत्र में बिहार और बंगाल में मोकमेह तथा फरक्का के बीच में गंगा पर कोई भी पुल नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से अगर कोई भी विपत्ति आती है तो गंगा पर बने हुए पटना तथा मोकमेह पुल इस स्थिति से निपटने में सक्षम नहीं होंगे। रेलवे को उस आवृति खर्च की बचत हो जायेगी जो बराड़ी और महारेवतपुर घाट के बीच नौका सेवाओं पर किया जा रहा है। भागलपुर से थाना बीलपुर जंक्शन तक एक रेल सेवा असम जाने वाले यात्रियों, बिहार के सुदूर दक्षिण-पूर्वी हिस्से और पश्चिमी बंगाल के पड़ौस के जिलों के यात्रियों के काफी कीमती समय को बचायेगी।

गंगा बिहार में 980 किलोमीटर की लम्बाई तक बहती है और इस पर बक्सर, पटना और मोकमेह में सिर्फ तीन पुल हैं। भागलपुर में चौथे पुल की मांग पूर्णतया उचित है, विशेषकर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पास के उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा पर कई पुल हैं। इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि जितना जल्दी हो सके भागलपुर में गंगा पुल का निर्माण कार्य केन्द्र को अपने हाथ में लेना चाहिए और केन्द्रीय साधनों से इसके लिए धन जुटाना चाहिए।

श्री एच० के० एल० भगत : ठीक है, मैंने माननीय सदस्यों की इन बातों को सुन लिया है और मैं निश्चित तौर पर इनको कार्य मंत्रणा समिति के ध्यान में लाऊंगा।

2.28 म० प०

समिति के लिए निर्वाचन

प्राक्कलन समिति

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) में, अपेक्षित रीति से नियम 254 के उप-नियम (3) के अन्तर्गत इस सभा के सदस्य, श्रीमती शीला दीक्षित और श्रीमती कृष्णा साही की राज्य मन्त्रियों के रूप में नियुक्ति से प्राक्कलन समिति के सदस्य न रह जाने पर इनके स्थान पर प्राक्कलन समिति की शेष अवधि के लिए उक्त समिति के सदस्यों, के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुने।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) में, अपेक्षित रीति से नियम 254 के उप-नियम (3) के अन्तर्गत इस सभा के सदस्य, श्रीमती शीला दीक्षित और श्रीमती कृष्णा साही की राज्य मंत्रियों के रूप में नियुक्ति से

प्राक्कलन समिति के सदस्य न रह जाने पर इनके स्थान पर प्राक्कलन समिति की शेष अवधि के लिए उक्त समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

2.29 मं० प०

जांच आयोग (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : श्री बूटा सिंह की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि जांच आयोग अधिनियम 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि जांच आयोग अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान, यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है···(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : प्रो मधु दंडवते ने जाने कितने प्रस्ताव पेश किये हैं। और हमने उनका पुरःस्थापना के समय कभी विरोध नहीं किया है। आज भी वह एक प्रस्ताव पेश करने जा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि उन्होंने पुरःस्थापना के समय विरोध करने का सिद्धान्त क्यों अपनाया हुआ है। मैं उनके अधिकार के बारे में आपत्ति नहीं करता हूं। वह ऐसा कर सकते हैं। किन्तु हम प्रतिदिन उनका पुरःस्थापना प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : अगर वे मेरी बात सुनें तो जिस विधेयक वे वह प्रस्तुत कर रहे हैं उसे अपने आप वापिस ले लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान, मैं जांच आयोग अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले इस विधेयक का जोरदार विरोध करता हूं। सही कहा जाये तो यह विधेयक इस खतरनाक

---

*दिनांक 18-7-86 को भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित।

[प्रो० मधु दंडवते]

अध्यादेश का स्थान लेगा। जिसके द्वारा इस सरकार को विभिन्न जांच आयोगों की गई रिपोर्टों को लोक सभा के समक्ष प्रस्तुत न करने का अधिकार दिया गया है। मेरे पास इस तरह के कई पूर्वोदाहरण हैं। यह सरकार अध्यादेश जारी करती रही है—और निस्संदेह फिर संविधान और जांच आयोग अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुसार उनको विधेयकों में प्रतिस्थापित करती रही है। किन्तु मेरा मुद्दा यह है कि क्योंकि यह विधेयक अध्यादेश से पनपा है और जिस ढंग से उस अध्यादेश को जारी किया गया था और जिस ढंग से इस विधेयक को प्रस्तुत किया जा रहा है, मैं उस कार्यविधि की चर्चा अवश्य करूंगा क्योंकि संसद के लोकतांत्रिक कार्यचालन में कार्यविधि तथा प्रक्रिया की पवित्रता उतने ही महत्वपूर्ण है जितने की विषय की खूबियां। इस विधेयक की खूबियों व कार्यविधि तथा इसकी संवैधानिक उपयुक्तता के आधार पर भी मैं इस विधेयक का विरोध करना चाहता हूं।

मेरे पास एक पुस्तक है—'राष्ट्रपति के अध्यादेश'। यह जनता पार्टी का प्रकाशन नहीं है। यह लोक सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित की गई है और आप पायेंगे कि इस पुस्तक में अध्यादेश प्रख्यापित करने संबंधी कई पूर्वोदाहरण दिये गये हैं। इसमें प्रथम लोक सभा से लेकर वर्तमान लोक सभा तक जिसकी अध्यक्षता श्री बलराम जाखड़ कर रहे हैं, विनिर्णयों के रूप में महत्वपूर्ण पूर्वोदाहरण दिये गए हैं। में विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को तथा सदन को सिर्फ पुन: स्मरण कराना चाहता हूं। अध्यादेश पर प्रथम विनिर्णय तत्कालीन अध्यक्ष श्री जी० वी० मावलंकर द्वारा 22 फरवरी, 1952 को दिया गया था। मैं स्वयं अध्यादेशों को जारी करने के पक्ष में नहीं हूं। सिर्फ अत्यन्त जरूरी मामलों में अध्यादेश जारी किये जाने चाहिएं। तत्पश्चात दुबारा 17 जुलाई, 1954 को उन्होंने प्रधान मंत्री को एक कड़ा पत्र लिखा।

ये वो दिन थे जब अध्यक्ष प्रधान मंत्री को आड़े हाथों लिया करता था। और उन्होंने एक बड़ा कड़ा पत्र लिखा :—

> "प्रथम लोक सभा होने के नाते हमारे ऊपर परम्पराएं स्थापित करने का दायित्व है। यह सरकार में वर्तमान कार्यकर्ताओं का प्रश्न नहीं है किन्तु पूर्वोदाहरण का प्रश्न है; और यदि अध्यादेश जारी करने की इस प्रक्रिया को सिर्फ जरूरी और अति आवश्यक मामलों तक परंपरा द्वारा सीमित नहीं किया गया तो इसका परिणाम यह हो सकता है कि भविष्य में सरकार अध्यादेश जारी करती रहेगी और लोक सभा के पास अध्यादेशों पर सिर्फ मोहर लगाने के सिवाय कोई विकल्प नहीं होगा।"

बड़े कड़े शब्दों में उन्होंने यह पत्र लिखा था।

16 नवम्बर, 1971 को तत्कालीन···

श्री एच० के० एल० भगत : हमारे योग्य मित्र प्रो० मधु दंडवते विधेयक की पुर:स्थापना की स्थिति में हैं। इस अवस्था में विधेयक के पुर:स्थापना का विरोध वैधानिक तथा संवैधानिक

आधारों पर किया जा सकता है जबकि वह अध्यादेश जारी करने की उपयुक्तता के विरुद्ध तर्क पेश कर रहे हैं।

आप जानते हैं कि मैं सभी लोगों में किस प्रकार भेद कम कर रहा हूं और यह भी जानते हैं कि यह ठीक है। जब विधेयक पर नियमित बहस होगी तो वह यह मुद्दा उठा कहते हैं— कि अध्यादेश क्यों जारी किया गया इत्यादि।

मैंने सभा पटल पर अध्यादेश रखा। उस समय कोई भी आपत्ति नहीं उठाई गई। और अब हम विधेयक को पुरःस्थापित करने की अवस्था में हैं। वह सांविधानिक या वैधानिक आधारों पर विरोध कर सकते हैं। वह इस ढंग से पुरःस्थापना का विरोध क्यों करते हैं? जब विधेयक पुरःस्थापित होगा और बहस शुरू होगी, तब माननीय मंत्री कह सकते हैं···

प्रो० मधु दंडवते : आपके विनिर्णय देने से पहले, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? (व्यवधान) मैं उस माननीय सदस्य को सहायता देने के लिए नहीं कह रहा हूं।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं उनको किसी भी तरह रोकना नहीं चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह उनका सुझाव है। बस, बहुत हो गया।

प्रो० मधु दंडवते : यह निष्क्रियता के लिए सिर्फ सुझाव है। संयोगवश, उनके व्यवस्था के प्रश्न के सम्बन्ध में मैं यह कह सकता हूं कि मैं ऐसे अतिरिक्त दस्तावेज, विभिन्न मामले पेश करने के लिए तैयार हूं जिन पर विधेयक की पुरःस्थापना के समय बहस हुई।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बहुत संक्षिप्त वक्तव्य दीजिए।

प्रो० मधु दंडवते : मैं एक संक्षिप्त वक्तव्य दूंगा किन्तु संक्षिप्तता कुछ लम्बी होगी। अन्यथा, मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आपकी विचारधारा है।

प्रो० मधु दंडवते : मैं तो एक सरसरी चर्चा कर रहा हूं।

फिर 13 नवम्बर, 1973 को श्री डिल्लों जो अब यहां मंत्री हैं, अध्यक्ष ने उनको शायद यह स्मरण हो। मैं आपको पुनः स्मरण करा देता हूं। मैं ठीक हूं या गलत लेकिन उन्होंने एक कड़ी टिप्पणी की थी। मैं इससे आगे विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं।

फिर 17 नवम्बर, 1980 को हमारे अध्यक्ष द्वारा, जिस कुर्सी पर आप विद्यमान हैं, एक टिप्पणी की गई थी। वर्तमान अध्यक्ष डा० बलराम जाखड़ ने 17 नवम्बर को कहा था : —

"गत वर्षों में मेरे प्रतिष्ठित पूर्वाधिकारियों ने इन मामलों के विषय में समय-समय पर

[प्रो० मधुदंडवते]

टिप्पणियां की हैं। उन्होंने संसद के सत्र की पूर्व संध्या पर अध्यादेश जारी करने की स्वीकृति नहीं दी थी। मैं उनसे सहमत हूं।"

ये विभिन्न टिप्पणियां हैं। अत: यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस सभा में पीठासीन अधिकारियों की इन टिप्पणियों का आशय स्पष्टतया इस बात के पक्ष में था कि अन्धाधुन्ध अध्यादेश जारी नहीं किये जाने चाहिए और मैं देख रहा हूं कि उस परम्परा का सरासर उल्लंघन किया जा रहा है। यह भी एक प्रक्रिया है। अध्यादेश जारी करने के लिए कुछ संवैधानिक उपबन्ध भी हैं। उन उपबन्धों की भावना का उल्लंघन किया जा रहा है। (व्यवधान) माननीय विद्वान सदस्य ने मेरी पहली टिप्पणी पर ध्यान नहीं दिया था। मैंने कहा है कि इस विधेयक की उत्पत्ति अध्यादेश से हुई है। कभी-कभी बेटे के बारे में बात करते हुए मां का भी जिक्र करना पड़ता है। यही कारण है कि मैं अध्यादेश का जिक्र कर रहा हूं। अत: जहां तक संवैधानिक उपबन्धों की भावना का संबंध है, उसका पूर्णतया उल्लंघन किया जा रहा है। महोदय, यदि आपके पास संविधान पुस्तिका की एक प्रति है तो कृपा करके संविधान के अनुच्छेद 123 (1) को देखिए। मैं उद्धृत करता हूं :

123 (1) "उस समय को छोड़कर जबकि संसद के दोनों सदन सत्र में हैं यदि किसी समय राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिए उसे बांधित करने वाली परिस्थितियां वर्तमान हैं तो वह ऐसे अध्यादेशों का प्रख्यापन कर सकेगा जो उसे परिस्थितियों से अपेक्षित प्रतीत हों।"

अब कृपया अनुच्छेद 123 (2) (क) की ओर ध्यान दीजिए जिसमें कहा गया है :

"(क) संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा तथा संसद के पुन: समवेत होने से छह सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्तन में न रहेगा।"

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : महोदय, आपत्ति क्या है ?

प्रो० मधु दंडवते : श्री पनिका, आपके लिए टेलीफोन आया है, कृपया जाइये और उसे सुनिये। (व्यवधान)

बहुत स्पष्ट संवैधानिक उपबन्ध हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहें।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, उनकी बगल में भूतपूर्व उपाध्यक्ष महोदय बैठे हुए हैं। वह उन्हें बता सकते हैं। महोदय, मैं उन्हें क्यों बताऊं ?

महोदय, कृपा करके संवैधानिक उपबन्धों पर गौर कीजिये। लोक सभा का सत्रावसान 12

मई, 1986 को हो गया था। मैं इसका विवरण रख रहा हूं क्योंकि यह भविष्य में मार्गदर्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस सभा के भूतपूर्व महासचिव श्री श्यामलाल शकधर ने यह कहा है :—

"एक विधेयक राज्य सभा के सामने लाया जा सकता था और अध्यादेश जारी करने की अनुमति ली जा सकती थी क्योंकि लोक सभा का सत्र नहीं चल रहा था।"

महोदय, कई देशों में ऐसे अवसर आये हैं, उन्होंने इस विशेष प्रक्रिया का अनुसरण किया है और इस विषय में भी इसका अनुसरण किया जा सकता था। इस विषय पर आते हुए, मैं जानता हूं कि इस विधेयक विशेष की भूमिका क्या है। अब मैं ठक्कर आयोग का जिक्र करना चाहूंगा। ठक्कर आयोग ने अपनी पहली अन्तरिम रिपोर्ट 19 नवम्बर, 1985 को दी थी। रिपोर्ट देने के बाद 19 मई, 1986 को छह महीने हो गये। जैसाकि संवैधानिक प्रावधान है यानि, अनुच्छेद 123(2) (क), छह महीने पूरे होने से पहले, यह रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जानी चाहिए थी। अब, क्या हुआ ? महोदय, लोक सभा 8 मई, 1986 को स्थगित हो गई थी। राज्य सभा 13 मई, 1986 को स्थगित हुई थी। रिपोर्ट को 8 मई, 1986 से पहले ही सभा पटल पर रखा जाना चाहिए था। महोदय, यह अच्छी तरह जानते हुए कि 19 मई, 1986 को छह महीने की अवधि पूरी होने जा रही है—और उस समय सभा का सत्र नहीं चल रहा होगा— उनको 8 मई, 1986 से पहले इन रिपोर्टों को पटल पर रखने के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए थी। परन्तु ऐसा करने की बजाय 15 मई, 1986 को यह अध्यादेश जारी किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इन सभी बातों की चर्चा उस समय क्यों न करें जब हम विधेयक पर बहस करें ? आप बहुत विस्तार में जा रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, क्या आप सोचते हैं कि सभा में प्रक्रिया सम्बन्धी मामलों पर चर्चा करना समय की बरबादी है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस तरह नहीं, परन्तु क्योंकि···

(व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : हम उनकी बाद नहीं सुनना चाहते। **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दंडवते : यह आपकी मर्जी पर नहीं है कि आप मुझे सुने या नहीं। यदि आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते तो आप सभा से उठकर बाहर जा सकते हैं। महोदय, मैं किसी की आशा का पाबन्द नहीं हूं, मैं किसी सदस्य की धौंस नहीं सहना चाहता। (व्यवधान) मैं किसी भी सदस्य से यह नहीं सुनना चाहता कि "मैं आपको नहीं सुनना चाहता।" यदि आप में सुनने की क्षमता नहीं है, तो आप सभा से बाहर जा सकते हैं और यह स्वतंत्रता आपको मिली हुई है। महोदय, ऐसी बात कोई नहीं कह सकता है। **(व्यवधान)**

[प्रो० मधु दंडवते]

महोदय, आप इन सदस्य महोदय को नियन्त्रण में रखिए। एक सदस्य मुझे यह कहने का दुःसाहस रखता है कि "मैं आपको नहीं सुनना चाहता।" मुझे सुनने के लिए उन्हें किसने बाध्य किया है? (व्यवधान) महोदय, अब मैं सभा की अवमानना पर आता हूं। (व्यवधान) यानि इस सभा की अवमानना जिसमें आप बैठे हैं। सौभाग्यवश विधेयक यहां मेरे पास है और यदि आप विधेयक को खोलें तो आप पायेंगे कि धारा 34 में, स्पष्ट रूप से कहा गया है कि··· (व्यवधान)

श्री टी० बशीर (चिरायिकिल) : महोदय, क्या विधेयक पर सभा में चर्चा करने की अनुमति है?

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय बोलने की प्रतीक्षा में हैं। हां, आपका व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न क्या है?

श्री बृजमोहन महन्ती : मेरा व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न यह है।

मैं सभा का ध्यान प्रक्रिया नियमों के नियम 72 की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें यह कहा गया है कि :

> "···परन्तु जब प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाए कि वह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सभा की विधायिनी क्षमता से परे है, तो अध्यक्ष, उस पर पूर्ण चर्चा की अनुज्ञा दे सकेगा।"

जहां तक मैंने दण्डवते जी को सुना है, मेरा निवेदन यह है कि उन्होंने कहीं भी यह दावा नहीं किया है कि यह विधेयक इस सभा के अधिकार क्षेत्र से परे है। अतः मेरा निवेदन यह है कि पहले तो चर्चा की आज्ञा नहीं दी जानी चाहिए। वह इस बात की ओर ध्यान दिला सकते हैं, बेशक जिसके लिए वे खड़े हुए हैं और मैं तथा कई सदस्य उनसे यह सुनकर सभी चिन्तित हैं, परन्तु मैं उनसे निवेदन करता हूं वे कई बातों को बीच में न लायें और सभा को भ्रम में न डालें। उन्हें यह कहने दीजिए कि क्या वह इस बात का दावा करते हैं कि यह इस सभा के क्षेत्राधिकार से परे है। यदि ऐसा है तब उन्हें ऐसे बोलने दीजिये। केवल तभी पूर्ण चर्चा की अनुमति दी जाएगी। अन्यथा वह संवैधानिक अनुपयुक्तता की ओर ध्यान दिला सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यही कारण है कि मैंने उनको संक्षेप में कहने के लिए कहा है।

श्री राजकुमार राय (घोसी) : महोदय, क्या संसदीय कार्य मन्त्री ने इसकी व्याख्या नहीं की है? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मन्त्री महोदय पहले ही वही बात कह चुके हैं। मैंने भी कहा कि वह संक्षेप में कहें। इस पर इतनी अधिक बहस करने की आवश्यकता नहीं है। प्रो० दण्डवते कृपा करके अपना भाषण समाप्त कीजिए।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं समाप्त करने ही जा रहा था, परन्तु आपके व्यवधानों के कारण मेरा भाषण लम्बा होता जा रहा है।

श्री एच० के० एल० भगत : महोदय, हम उन्हें आदरपूर्वक सुन रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : मैं पहले ही भाषण समाप्त कर रहा हूं। थोड़ा धैर्य रखिए। आप शून्य-काल के दौरान हमें नहीं सुनते। अब जब हम नोटिस देते हैं तब भी आप हमें नहीं सुनते।

श्री एच० के० एल० भगत : हम केवल आपको सुनते ही नहीं, परन्तु हम आपको आदर-पूर्वक और ध्यानपूर्वक भी सुनते हैं। मैंने केवल विरोध की अवस्था में विरोध की गुंजाइश की ओर ध्यान दिलाया है और सभी लोगों के बारे में, आप अधिक जानते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, आप इसे अच्छी तरह जानते हैं। यही कारण है कि मैं प्रक्रिया के अनुरूप चल रहा हूं।

प्रत्येक बात में, जो मैंने कही है, मैंने पूर्वोदाहरणों, संवैधानिकता, उल्लंघन और केवल सभा की अवमानना की बात की है। मैंने इसके गुण-दोषों का जिक्र नहीं किया है और मैं उनका जिक्र करने भी नहीं जा रहा हूं।

श्री राजकुमार राय : परन्तु इन सभी बातों का यहां कोई औचित्य नहीं है। ये सभी असंगत बातें हैं।

प्रो० मधु दंडवते : औचित्य जानने के लिए मुझे अब बहुत देर हो चुकी है। महोदय, आप पिछले सात साल का पूरा वाद-विवाद देखिए। संवैधानिक मुद्दों पर लोग घण्टों बहस करते रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री टी० वशीर : हमें बहुत खेद है कि हमें इन सब बातों में कोई आनन्द नहीं आ रहा है।

श्री राजकुमार राय : यह बड़े खेद का विषय है कि प्रो० दण्डवते जैसे लोग ऐसा कहते हैं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, क्या मुझे बोलने की अनुमति है? मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। मुझे आशा है कि मुझे भाषण समाप्त करने की अनुमति है।

[प्रो० मधु दंडवते]

जहां तक जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उप धारा (4) का सम्बन्ध है, इसमें कहा गया है :

"समुचित सरकार जांच आयोग के प्रतिवेदन को यदि कोई हो तो, लोक सभा अथवा राज्यों की विधान सभा, जैसी भी स्थिति हो, वे समक्ष रखवायेगी, आदि आदि।"

अतः ये उपबन्ध हैं। (व्यवधान) वे इतनी जोर से चिल्ला रहे हैं कि मैं अपनी आवाज भी नहीं सुन सकता। यह परेशानी है। आपको छोड़कर, मेरी आवाज मुझे भी सुनाई नहीं दे रही है। क्या आप सुन सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : हां, मैं आपको सुन रहा हूं।

प्रो० मधु दंडवते : मुझे अपनी आवाज सुनने में ही कठिनाई हो रही है। इसलिए मुझे अपना भाषण समाप्त कर देना चाहिए। जहां तक इन उपबन्धों का सम्बन्ध है सभा की पूरी तरह से अवमानना की गई है। इसके बाद वे क्या करते हैं यह एक अलग बात होगी। परन्तु जहां तक संवैधानिक उपबंधों का सम्बन्ध है, परम्पराओं का सम्बन्ध है, सभा की परम्पराओं का सम्बन्ध है और इसके साथ-साथ अध्यक्ष द्वारा दिए गए विभिन्न विनिर्णयों का सम्बन्ध है, सभी का पूर्णरूपेण उल्लंघन किया गया है और जो मैं महसूस करता हूं वह यह है कि विधेयक के जरिये जो करना है वह यह है : (1) यह संसद की शक्तियों को सीमित करता है, (2) यह जानकारी देने के अधिकार को समाप्त करता है जो इस संसद का अन्तर्निहित अधिकार है। यह संवैधानिक उपबन्धों का उल्लंघन करता है और इस सभा की अवमानना करता है। ऐसे उपबन्धों को लाना मूल विधेयक की भावना के विरुद्ध है। और इसलिए इस प्रारम्भिक अवस्था में विधेयक की विषय वस्तु और गुण-दोष की ओर ध्यान दिये बिना, केवल प्रक्रिया आधार पर, संसद की शक्ति के आधार पर, संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने के पूर्णतया विरुद्ध हूं। मुझे आशा है कि सत्ता पक्ष के लोगों में सद्बुद्धि आयेगी और इस समय विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति नहीं मांगेंगे।

डा० चिन्ता मोहन (तिरुपति) : उपाध्यक्ष महोदय, जांच आयोग (संशोधन) विधेयक प्रजातंत्र की निन्दा, प्रजातंत्र की हत्या और संसदीय प्रजातंत्र के मुंह पर तमाचे के सिवाय कुछ भी नहीं है। यही बात सभा से बाहर लोग सोच रहे हैं।

यदि उनका प्रजातन्त्र में थोड़ा-सा भी विश्वास है तो अध्यादेश बिल्कुल भी जारी नहीं किया जाना चाहिए था। विधेयक को पुरःस्थापित करने से पहले एक वक्तव्य में मन्त्री महोदय ने कहा है कि देश की प्रभुसत्ता बनाये रखने के लिए, देश की एकता बनाये रखने के लिए और अन्य देशों के साथ मैत्री सम्बन्ध बनाये रखने के लिए, वे विधेयक को सभा के सामने लाये हैं। परन्तु लोगों का यह विचार है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। हमने ठक्कर आयोग का गठन प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद किया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 19 नवम्बर, 1985 को दी थी। लोकसभा में विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए 6 महीने का समय बहुत था परन्तु सरकार ने विधेयक को पुरःस्थापित करने की कोई परवाह नहीं की। इसके अलावा हम बजट सत्र के दौरान $2\frac{1}{2}$ महीने यहां

बैठे थे। उन्होंने न तो प्रमुख विपक्षी नेताओं की राय ली और न ही उन्होंने विधेयक को सभा में पुरःस्थापित किया। इससे यह प्रतीत होता है कि भारत सरकार का प्रजातन्त्र में कोई विश्वास नहीं है

हाल ही में प्रधान मन्त्री महोदय ने एक वक्तव्य में कहा है कि वह प्रजातन्त्र को मजबूत बनाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रजातन्त्र को मजबूत करने का यह तरीका है ? लोग यह महसूस कर रहे हैं कि भारत सरकार प्रजातन्त्र को मजबूत नहीं कर रही है। इन्दिरा जी की हत्या हो चुकी थी और प्रधान मन्त्री महोदय की हत्या पर हम सबको दुःख हुआ। हम इसका भेद जानना चाहते थे। हम जानना चाहते थे कि हत्या किस प्रकार हुई थी। क्या हत्या उस समय हुई थी जब वह निर्धारित साक्षात्कार में हिस्सा ले रही थीं या क्या उनके निर्धारित साक्षात्कार में कोई परिवर्तन किया गया था जब उनकी हत्या हुई थी, क्या इसमें किन्हीं प्रमुख कांग्रेसी नेताओं का हाथ था, हम ये सभी बातें जानना चाहते थे।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी (हावड़ा) : नियमों के दायरे से बाहर जाकर हम वाद-विवाद की अनुमति दे रहे हैं। मधु जी ने बहुत मामलों की ओर इशारा किया है। वह एक भाषण भी देने जा रहे हैं (व्यवधान)

डा० चिन्ता मोहन : मैं बोल रहा हूं। मैं यहां अपना कर्त्तव्य पूरा कर रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम प्रमुख विपक्षी नेताओं से तो सलाह लेनी चाहिए थी परन्तु इस मामले पर उनकी राय नहीं ली गई। (व्यवधान)

इस समय मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से यह मांग करता हूं कि कम से कम इस विधेयक को रद्द कर दिया जाना चाहिए और इस विधेयक को कतई पुरःस्थापित नहीं किया जाना चाहिए !

मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती गीता मुखर्जी मैं इस विषय पर और बहस नहीं चाहता हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : ठीक है। मैं हमेशा संक्षेप में बोलती हूं। मुझे विश्वास है आप इस बात को स्वीकार करेंगे। अगर आप स्वीकार नहीं करते तो मैं बोलना बन्द कर दूंगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे आशा है आप संक्षेप में बोलेंगी।

श्रीमती गीता मुखर्जी : पहले से ही पूर्व वक्ता माननीय श्री मधु दंडवते द्वारा कुछ कार्य प्रणाली से सम्बन्धित मामलों को प्रतिपादित किया जा चुका है। निस्सन्देह, मैं उनको नहीं दोहराऊंगी। किन्तु मैं एक बात पर जोर देना चाहती हूं। यह विधेयक उस अध्यादेश का वास्तव में सिर्फ एक उत्तराधिकारी ही नहीं है किन्तु असलियत में इसकी संवैधानिक वैधता भी नहीं है यह परम्परा में भी नहीं है। यह विधेयक फिर से उस अध्यादेश की हमारे से पिछली तारीख से स्वीकृति चाहता है,

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

जिसकी उपयुक्तता को हम चुनौती दे रहे हैं। इस प्रकार, कार्यविधि के अनुसार भी, इस अध्यादेश और इस विधेयक की पिछली तारीख से स्वीकृति देना गलत है। मैं यही कहना चाहती हूं। सबसे पहले, जिसकी चर्चा की जा रही है वह तथ्यात्मक है, और वह है संसद की सर्वोच्चता जो लोगों की सर्वोच्चता से आती है और यह जनता द्वारा चुनी गयी विधान सभा के माध्यम से आती है। इसीलिए संसद सर्वोच्च है। संसद के लिए भी रिपोर्ट को रोकना, वास्तव में संसद की सर्वोच्चता को नकारना है क्योंकि अधिनियम को जाने बगैर आप कार्य नहीं कर सकते। (व्यवधान)

यह विशेष विधेयक संसद की सर्वोच्चता को छीनता है।

इस आधार पर, मैं पुरःस्थापित किये जाने के समय ही विधेयक का विरोध करती हूं और मुझे आशा है कि वे इसे रद्द कर देंगे।

प्रो० मधु दंडवते : वे इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि वह संक्षेप में बोली हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : यह अध्यादेश और यह विधेयक स्पष्ट रूप से अलोकतान्त्रिक और देश के हितों के लिए हानिकर हैं। इससे पहले, प्रो० मधु दंडवते ने कहा था कि यह संसद से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार छीनता है। यह राज्य को गलत सूचना के लिए उत्साहित करता है। मैं इस समय स्पष्ट रूप से यह पूछता हूं कि ठक्कर आयोग की रिपोर्ट को सदन में क्यों नहीं रखा गया जबकि पिछली बार इसका सत्र में था। मैं यह कहना चाहता हूं और लोगों के दिमाग में इसके लिए काफी असमंजस है। जब श्रीमती गांधी का कत्ल किया गया था तब हमने कहा था कि इसके पीछे साम्राज्यवादी षड्यन्त्र है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस मामले को क्यों ले रहे हैं ? नहीं, आप इसे मत लीजिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हमने ऐसा कहा है। किन्तु यहां ऐसे लोग हैं जिन्होंने श्री सतवंत सिंह के मुकद्दमे के दौरान कुछ और ही कहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इन मामलों में न जायें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : संसद के अधिकार क्या हैं ? असली बात को जानने का संसद का अधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर यहां कोई प्रक्रिया से सम्बन्धित बात है तो आप उस पर आपत्ति कर सकते हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : किन्तु यह अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक है, संसद की सर्वोच्चता के विरुद्ध, अपरिपक्व और गलत विवेचित है। मैं इसकी परिपक्वता के बारे में आपको बताऊंगा। मैं नहीं

जानता कि यह विधेयक लाने के लिए सरकार को किसने सुझाव दिया। मैं पूर्णतया इसका विरोध करता हूं। मैं तो आशा नहीं करता कि इसका कुछ अच्छा परिणाम होगा।

श्री मानिक सान्याल (जलपाईगुड़ी) : मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित किए जाने का विरोध करता हूं।

श्री अजित कुमार साहा (विष्णुपुर) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं जिसे पुरःस्थापित किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप विरोध करना चाहते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : संसद पर एक बार फिर आघात किया जा रहा है। इसको नजरअन्दाज किया जा रहा है। सरकार अध्यादेश जारी कर सकती है; यह संविधान में लिखा गया है। किन्तु किन हालात में ? जब सदन सत्र में नहीं हो और जब अध्यादेश जारी करना अत्यावश्यक हो जाता है तब सरकार तथा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं।

इस विशिष्ट मामले में किस वजह से इस अध्यादेश को जारी करना जरूरी समझा गया ? इस अध्यादेश को राज्य सभा के सिर्फ एक दिन बाद तथा लोक सभा स्थगित किये जाने के कुछ दिन बाद (राज्य सभा का तो सत्रावसान भी नहीं किया गया था) संसद को सूचना प्राप्त करने के अन्तर्निहित अधिकार से वंचित करने के लिए जारी किया गया था। इसलिए सरकार एक विधेयक क्यों नहीं लाती है ? सरकार का इरादा क्या है ?

ठक्कर आयोग ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट 19 नवम्बर को प्रस्तुत कर दी थी। किन्तु बजट सत्र के दौरान सरकार द्वारा इस रिपोर्ट को सदन में नहीं रखा गया। रंगराजन मिश्र आयोग का गठन दिल्ली में हिंसा होने के 10 मास बाद किया गया था। वे संसद के अधिकारों को क्यों छीन रहे हैं। कार्य करने का क्या यह कोई ढंग है ? वे इस प्रकार से संसदीय लोकतन्त्र के साथ व्यवहार कर रहे हैं। श्रीमान जी, इस प्रकार, यह विधेयक अलोकतान्त्रिक और निश्चित तौर पर असंवैधानिक है क्योंकि संविधान ने संसद को जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दे रखा है। इस विधेयक के साथ आप संसद के अन्तर्निहित अधिकार को छीन रहे हैं। इसीलिए यह असंवैधानिक है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह इसलिए स्पष्टीकरण दे रहे हैं क्योंकि आपने जानना चाहा था।

श्री बसुदेव आचार्य : इसलिए मैं इस विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करता हूं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : उनमें से अन्य कुछ सदस्य भी विरोध करना चाहते हैं, उनको भी इसके

[प्रो० मधु दंडवते]

लिए अवसर दिया जाये।

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) : मैं इस विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध इसलिए करता हूं क्योंकि यह असंवैधानिक है और सरकार वास्तविकता को संसद से छिपाने की कोशिश कर रही है। यह संसदीय लोकतन्त्र की हत्या करने का प्रयत्न कर रही है। इसलिए, मैं इस विधेयक के पुरःस्थापन का कड़ा विरोध करता हूं।

श्री सुरेश कुरूप खड़े हुए—

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन (अलप्पी) : केरल में श्री नयनार मन्त्रीमण्डल के दौरान कितने अध्यादेश जारी किये गये थे ?

श्री वसुदेव आचार्य : आप केरल में जायें··· (व्यवधान)

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : मैं इस विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करता हूं। संसद को जांच रिपोर्टों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाने हेतु 1971 में जांच आयोग अधिनियम में संशोधन किया गया था।

जांच आयोगों का गठन तब किया जाता है जब जनता में या तो उन प्रशासनिक कार्यों या उन परिणामों के संबंध में जो लोगों को उत्तेजित करते हैं विश्वास का संकट हो। इस प्रकार, यह स्वाभाविक है कि उन जांच रिपोर्टों के परिणामों के बारे में जनता को जानकारी हासिल हो और यह विधेयक जांच रिपोर्टों और इनके परिणामों को केवल एक पूर्ण ढोंग बनाता है। यह विधेयक संसद को इसके तथ्यों को जानने के अधिकार से वंचित करता है। जिस ढंग से इस अध्यादेश को जारी किया गया वह संसद की पीठ में छुरा घोंपने के समान था। यह तथ्य है कि यह अध्यादेश राज्य सभा के स्थगित होने के एक दिन बाद जारी किया गया था जिससे यह पता चलता है कि यह सरकार हमारे देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं और इस महान सदन के साथ किस तरह का व्यवहार करती है। सभी सबूत इस तथ्य की तरफ इशारा करते हैं कि ठक्कर आयोग की रिपोर्ट के कारण ही तुरन्त यह अध्यादेश लाया गया और यही हाल रंगनाथ मिश्र आयोग का होगा। एक आयोग को स्थापित करने का फायदा क्या है अगर इसकी रिपोर्ट जनता से छिपाई जाती है। इन आयोगों का गठन इसलिए किया जाता है ताकि जनता घटनाओं के बारे में विस्तार से जान सके। अगर प्रत्येक उस रिपोर्ट को गुप्त रखा जाये जो सरकार को परेशान करने वाली हो तो यह लोकतांत्रिक संस्थाओं का एक मजाक है। यह विधेयक तो निश्चित रूप से इसी उद्देश्य के लिए है और इस कारण मैं इस विधेयक का सख्त विरोध करता हूं।

3.00 म०प०

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान, माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये वक्तव्यों को मैंने बड़े ध्यान से सुना है, और मैं सोचता हूं कि, मुझे सिर्फ उस आपत्ति का जवाब देने की आवश्यकता है जो संवैधानिक या कानूनी आधारों पर निर्भर हो।

प्रो० मधु दंडवते ने कानूनी अदालत में प्रत्येक उपलब्ध आधार का उपयोग किया है। वह कहते हैं कि यह संविधान का उल्लंघन करता है। निस्सन्देह, वह यह जिक्र नहीं करेंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन होता है। वह कहते हैं कि यह कानून का उल्लंघन करता है। यद्यपि वह किसी अधिनियम के किसी उपबन्ध का नाम नहीं लेंगे। वह कहते हैं कि यह कार्यविधि का उल्लंघन करता है···

श्री थम्पन थामस (मवेलिकरा) : आप संसद के मूलभूत स्वरूप को बदलते हैं। आपको उसके लिए जवाब देना होगा।

श्री पी० चिदम्बरम : इसका जवाब मैं दे रहा हूं।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने अनुच्छेद 123 (1) (2) का जिक्र किया है। अच्छा होगा पहले आप इसका उत्तर दें।

श्री पी० चिदम्बरम : जब अनुच्छेद 123 के तहत एक अध्यादेश लागू किया जाता है और जब तक हम उसकी समाप्ति नहीं चाहते तो हमें उस अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए एक अधिनियम लाना पड़ता है। कृपया अनुच्छेद 123 (2) (क) को देखिए :

> "इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो संसद के अधिनियम का होता है, किन्तु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश—
>
> (क) संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा तथा संसद के पुनः समवेत होने से छः सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्तन में न रहेगा···"

जब सरकार एक अध्यादेश लागू करती है तो यह एक वैधानिक निश्चय है। हम निश्चय करते हैं कि हम इसे संविधि-संग्रह में चाहते हैं। अध्यादेश को संसद के सामने रखना पड़ता है। अगर हम इसे एक अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित नहीं करते हैं तो अध्यादेश 6 सप्ताह की समाप्ति पर रद्द हो जायेगा।

इसलिए, यदि सरकार इसको संविधि-संग्रह में लाना चाहती है; और अगर संसद सरकार के निर्णय को स्वीकृति दे देती है और इसको संविधि-संग्रह में लाना चाहती है तो मैं इस अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए एक विधेयक लाने के लिए बाध्य हूं। इस प्रकार, मेरे द्वारा एक विधेयक

[श्री पी० चिदम्बरम]

लाना और उसे इस अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रस्तुत करना अनुच्छेद 123 (2) (क) का उल्लंघन नहीं है। यह अनुच्छेद 123 के अनुसार ही है। इस प्रकार, अनुच्छेद 123 (2) (क) का उल्लंघन नहीं किया गया है। अगर माननीय सदस्य किसी और अनुच्छेद का जिक्र करते हैं तो मैं उसका उत्तर दूंगा किन्तु अनुच्छेद 123 (2) (क) का उल्लंघन नहीं हुआ है। उस तरफ प्रतिष्ठित वकील बैठे हुए हैं और प्रो० दंडवते, तो मुझे पक्का विश्वास है, कानून सहित कई विषयों के प्राध्यापक हैं। हम अनुच्छेद 123 (2) (क) का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि यदि एक बार अध्यादेश जारी कर दिया जाता है तो विधेयक को नहीं लाना चाहिए क्योंकि यह तो संवैधानिक दायित्व है। जो कुछ मैं कह रहा हूं वह यह है कि इसको संसद के दोनों सदनों के सामने रखा जाना चाहिए। मैं कह रहा था कि एक सदन को पहले ही स्थगित कर दिया गया है और दूसरे का सत्रावसान नहीं किया गया है।

श्री पी० चिदम्बरम : वह एक संवैधानिक दायित्व नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : इसीलिए, श्री शकधर ने स्वयं सुझाव दिया था और वह संवैधानिक कानून व प्रक्रियाओं के एक विशेषज्ञ हैं। उन्होंने कहा है कि इसको दूसरे सदन में रखा जा सकता है और स्वीकृति ली जा सकती थी, क्योंकि दूसरा सदन सत्र में नहीं था इसलिए वे इस प्रकार का अध्यादेश लाना चाहते हैं। यह संविधान का भाव है।

श्री थम्पन थामस : संविधि की प्रवंचना करना इसका स्वाभाविक रूप से उल्लंघन करना है। आप सविधि की प्रवंचना कर रहे हैं और इसे संसद के समक्ष नहीं रख रहे हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं सिर्फ प्रथम आपत्ति का उत्तर दे रहा हूं। मुद्दा यह है कि क्या मैंने संविधान के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया है। इसके विपरीत, अनुच्छेद 123(2)(क) के अधीन हम इस विधेयक को लाने के लिए बाध्य हैं। अगर हम संविधि-संग्रह में इसको नहीं चाहते हैं, तो निस्सन्देह हम इस अध्यादेश को व्यपगत होने देना चाहेंगे। अगर सरकार इसको संविधि-संग्रह में चाहती है तो हमें एक विधेयक प्रस्तुत करना होगा।

अब, माननीय सदस्य यह कहते हैं कि अनुच्छेद 123 (1) का जिक्र करना चाहते हैं। कृपया अनुच्छेद 123(1) देखें। यह इस प्रकार है :—

> "123(1) उस समय को छोड़कर जबकि संसद के दोनों सदन सत्र में हैं यदि किसी समय राष्ट्रपति का समाधान हो जाए कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिए उसे बाध्य करने वाली परिस्थितियां वर्तमान हैं तो वह ऐसे अध्यादेशों का प्रख्यापन कर सकेगा जो उसे परिस्थितियों से अपेक्षित प्रतीत हों। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति सिर्फ एक ही हालत में सीमित होती है, अर्थात, जब संसद के दोनों सदन सत्र में होते हैं। और अब यानि

14 मई, 1986 को जब हमने इस अध्यादेश को जारी किया, तो संसद के दोनों सदन स्थगित किये जा चुके थे।"

लोक सभा 8 मई, 1986 को और राज्य सभा 14 मई, 1986 को स्थगित की गई थी और यह अध्यादेश 14 मई, 1986 को प्रख्यापित किया गया था।

एक माननीय सदस्य : परन्तु इसका सत्रावसान नहीं किया गया था।

श्री पी० चिदम्बरम : इसमें कहा गया है कि "उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन चल रहा हो" जिसका अभिप्राय है कि सदन का सत्रावसान हो परन्तु इसका अर्थ यह है कि सदन को स्थगित कर दिया है। यह मेरा स्पष्टीकरण नहीं है। ऐसा संविधान में लिखा है। मुझे एक प्राधिकारी बताइये जो यह कहता है कि इसका सत्रावसान किया गया है। इस प्रकार हमें अध्यादेश जारी करने की हमारे पास शक्ति है। अनुच्छेद 123(1) की सीमा लागू नहीं हुई और अब हम अनुच्छेद 123(1) के अन्तर्गत अध्यादेश के स्थान पर विधेयक लाने के लिए बाध्य हैं कुछ मैं कह रहा हूं वह यह है कि मैं विधेयक प्रस्तुत करने हेतु सदन की अनुमति के लिए पूछ रहा हूं और जब मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूं और जब उस पर विचार किया जाए और उसे पारित किया जाए तो गुण-दोषों की सभी आपत्तियों को उठाया जा सकता है।

मेरा नम्र निवेदन है और मैं माननीय सदस्यों से यह देखने के लिए स्थिति पर दोबारा विचार करने की अपील करूंगा कि हमने संविधान के किसी उपबन्ध का उल्लंघन तो नहीं किया है। मेरे विद्वान मित्र ने कहा है कि हमने संविधान का उल्लंघन किया है यद्यपि उन्होंने यह उल्लेख नहीं किया है कि हमने कौन से नियम को तोड़ा है। अब यहां क्या हुआ है ? सन 1952 में जांच आयोग बनाया गया था। 1952 से 1971 तक 19 वर्षों में इस देश में बहुत से जांच आयोग अधिनियम बनाया गया था और उसमें धारा 3 व उपधारा 4 नहीं थी और आयोग की विज्ञप्ति की संसद के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं था।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : इसके बावजूद यदि आप रिकार्ड की जांच करते हैं तो आपको पता लगेगा कि उन्हें सभा पटल पर रखा गया था क्योंकि यह लोकतांत्रिक था।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, मैं केवल तथ्यों का विवरण दे रहा हूं। मेरे माननीय मित्र यह नहीं कह सकते कि मैं जो वास्तविक बात कह रहा हूं वह गलत है। रिपोर्ट को संसद के समक्ष प्रस्तुत करना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : मैं आपको यह बताऊंगा कि ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान नहीं है। परंतु क्योंकि उनका व्यवहार लोकतांत्रिक है इसलिए उन्हें किसी लिखित संविधान की आवश्यकता नहीं पड़ी। इस प्रकार एक लोकतांत्रिक देश में सम्भवतया लिखित संविधान जरूरी नहीं है। यहां जिस प्रकार वे व्यवहार कर रहे हैं, जिस प्रकार वे आपातकालीन स्थिति ला रहे हैं उसमें यह बहुत जरूरी है कि हमारे यहां प्रावधान होने चाहिए।

एक माननीय सदस्य : जो पाठ उन्हें मिला था, उस पाठ को वे बिल्कुल भूल चुके हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : वर्ष 1971 के अधिनियम 79 के द्वारा धारा 3 और उपधारा 4 को जोड़ा गया जिसके अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करने के छः महीने के अन्दर ही रिपोर्ट को की गई कार्यवाही सम्बन्धी रिपोर्ट सहित संसद के सदनों के समक्ष, या विधान सभा, जैसी भी स्थिति हो रखा जाए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री जी के बोलने में व्यवधान मत डालिए। आप उन्हें उठाये गये मुद्दों का उत्तर नहीं देने दे रहे हैं। कृपा करके उनकी बात सुनिये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय ने धैर्यपूर्वक आपकी बात सुनी। कृपया करके अब उनकी बात सुनिये। जब तक आप धैर्यपूर्वक उनकी बात नहीं सुनते वे उत्तर नहीं दे सकते। यह कोई तरीका नहीं है (व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : 19 वर्षों तक धारा 3 और उपधारा 4 नहीं थी और वर्ष 1971 में संविधि-संग्रह में धारा 3 व उपधारा 4 को रखा गया। वर्ष 1971 के बाद अब 1986 तक हमने जांच आयोग अधिनियम का कार्य देख लिया है और इसीलिए सरकार का धारा 3 उपधारा (5) और उपधारा (6) को लागू करने का प्रस्ताव है। माननीय सदस्यों को और विशेष रूप से प्रो० मधु दंडवते को अत्यन्त सम्मान के साथ मैं कहता हूं कि उन्होंने उपधारा (5) व उपधारा (6) के उपबन्ध बिल्कुल नहीं पढ़े हैं और यदि उन्होंने इसे ध्यानपूर्वक पढ़ा होता तो वह यह शिकायत नहीं करते कि संसद के अधिकारों को छीना जा रहा है।

अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम यह कह रहे हैं कि यदि सरकार चार स्वतन्त्र आधारों पर सन्तुष्ट है कि रिपोर्ट या उसके किसी भाग को संसद के समक्ष रखना सार्वजनिक हित में नहीं है तो यह इस सम्बन्ध में एक अधिसूचना जारी कर सकती है परन्तु···यह आवश्यक है·· कि अधिसूचना को संसद के सामने प्रस्तुत किया जाये और संसद अधिसूचना को अनुमोदित कर सकती है, उसमें सुधार कर सकती है या उसे अस्वीकार कर सकती है। यह कार्यपालिका का निर्णय नहीं है हम फिर कानून बनाने के लिए आ जाएंगे चाहे रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत किया जाए अथवा नहीं। इस सदन की शक्ति अब भी सर्वोच्च है। यह सदन अब भी कह सकता है; "कि नहीं यह रिपोर्ट सदन के सभा पटल पर रखी जायेगी।" यह सदन अब भी कह सकता है "इस रिपोर्ट को अथवा रिपोर्ट के जिस किसी भाग को सरकार सदन के समक्ष प्रस्तुत करना नहीं चाहती उसे सदन के सामने पेश किया जाए।" और यही कारण है कि आज सुबह ठक्कर आयोग से सम्बन्धित अधिसूचना को भी सदन के सभा पटल पर रखा गया है।

अत्यन्त सम्मान के साथ मैं कहता हूं कि सरकार संसद के अधिकारों को नहीं रोक रही हैं, सरकार संसद के सूचना के अधिकारों का हनन नहीं कर रही है। संसद के अधिकारों को रोकने का

कोई कार्यपालिका का आदेश नहीं है। इसके विपरीत कार्यपालिका और साथ ही सरकार भी यह बात संसद के विवेक पर छोड़ देती है कि क्या इस रिपोर्ट को सदन के सभा पटल पर रखा जाए अथवा नहीं। यदि संसद यह कहती है कि इस अधिसूचना को फेंक दिया जाए या सम्पूर्ण रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाए तो रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रकार धारा 3, उपधारा (5) और उपधारा (6) को एक कार्यपालिका निर्णय, जो संसद के सूचना के अधिकार को छीनता है या रोकता है ऐसा समझना बिल्कुल गलत है। इसके विपरीत कार्यपालिका संसद के कार्य क्षेत्र के अधीन यह निवेदन करती है कि क्या रिपोर्ट के एक भाग को अथवा सम्पूर्ण रिपोर्ट को ही संसद के समक्ष पेश किया जाए।

प्रो० मधु दंडवते : संसद की शक्तियों को दबाने के लिए यह सरकार संसद में अपने बहुमत का दुरुपयोग कर रही है ·· (व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : यह बहुत विचित्र तर्क है··· (व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, किसी बात को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

श्री पी० चिदम्बरम : यदि इस देश के लोगों ने हमारे दल को संसद में 80 प्रतिशत स्थानों पर चुना है, तो हम बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं और यह लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है··· (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : क्या वास्तविकता नहीं है कि आपने संसद में बहुमत का प्रयोग आपातकाल को जारी रखने और देश में नागरिक स्वतन्त्रताओं को नष्ट करने के लिए किया? हमें सीधा उत्तर दीजिए।

श्री राजकुमार राय : क्या यह एक प्रासंगिक तर्क है? क्या उन्हें इस प्रकार तर्क करने की अनुमति दी जा सकती है?

प्रो० मधु दण्डवते : उदाहरण के लिए मूल अधिकारों का निर्णय बहुमत द्वारा नहीं होता। कल, वे बहुमत के कारण संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री राजकुमार राय : यह विचित्र बात है कि प्रो० मधु दण्डवते जैसे व्यक्ति इस तरह असंगत बात करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया कोई व्यवधान न डाले।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, सदन की कोई अवमानना नहीं है। इसके विपरीत संसद का अधिवेशन बुलाने के तुरन्त बाद सरकार संसद के सामने आई है, सरकार ने अध्यादेश को संसद के सामने

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री पी० चिदम्बरम]

प्रस्तुत कर दिया है। सरकार अध्यादेश का स्थान लेने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत कर रही है। सरकार ने इस सदन के समक्ष एक अधिसूचना भी रखी है और संसद सदैव वाद-विवाद व बातचीत कर सकता है कि (1) क्या यह विधेयक कानून बनेगा। (2) धारा 3 उपधारा 4 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना को जब लागू किया जायेगा तो क्या वह इस विशेष आयोग पर लागू होगा।

महोदय, क्या मैं दिल्ली उच्च न्यायालय के हाल ही के एक निर्णय का एक भाग पढ़ सकता हूं।

"उपधारा 6 में यह व्यवस्था है कि उपधारा 5 के अन्तर्गत जारी प्रत्येक ऐसी अधिसूचना को लोक सभा के समक्ष या विधान सभा के समक्ष, जैसी भी स्थिति हो, उपधारा में उल्लिखित समय के अन्दर प्रस्तुत किया जायेगा। उचित सरकार द्वारा अधिसूचना के जारी होने से लेकर 15 दिन के अन्दर ही एक प्रस्ताव प्रस्तुत करके लोक सभा या विधान सभा की स्वीकृति लेनी पड़ती है।"

मैं तो इसी बात पर जोर देना चाहता था।

अन्तत एक प्रस्ताव द्वारा यह निणय लेना लोकसभा या विधान सभा, जैसी भी स्थिति हो, पर निर्भर करता है कि क्या वह अधिसूचना का अनुमोदन करती है अन्यथा यह अधिसूचना में सुधार करने का निदश दे सकती है अथवा इसे बिल्कुल अप्रभावशाली बना सकती है।"

दूसरे शब्दों में रिपोर्ट को लोक सभा के सामने रखा जाए या राज्य विधान सभा के सामने, वह मामला है जिसका फैसला लोक सभा को या राज्य विधान सभा द्वारा किया जाना जैसी भी स्थिति हो, निर्णय करना है और अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 5 के अन्तर्गत उचित सरकार का निर्णय अन्तिम नहीं है। इस प्रकार ऐसा हो सकता है कि उपधारा 5 के अन्तर्गत उचित सरकार एक अधिसूचना जारी करती है और लोक सभा या विधान सभा जैसी भी स्थिति हो, उससे एक भिन्न निर्णय ले सकती हैं और उचित सरकार को लोक सभा या विधान सभा के समक्ष जांच आयोग द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण रिपोर्ट या उसके किसी भाग को सभा पटल पर प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकती है। क्या इससे अधिक स्पष्ट और कुछ हो सकता है? हम संसद के सामने आए हैं हम अध्यादेश प्रस्तुत कर रहे हैं, हम विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं। हम अधिसूचना जारी कर रहे हैं और हम संसद की शक्तियों का आदर करते हैं। कार्य पालिका, संसद की बुद्धिमता के समक्ष इसे प्रस्तुत कर रही है और फिर भी माननीय सदस्य कहते हैं कि संसद को कम किया जा रहा है, संसद के अधिकारों को कम किया जा रहा है और यह कार्यपालिका का निर्णय है। अत्यन्त सम्मान के साथ मैं कहता हूं कि माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई आपत्तियों में कोई दम नहीं है। अब मैं फिर विधेयक पेश करने हेतु सदन की अनुमति के लिए अनुरोध करता हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"जांच आयोग अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.17 म०प०

जांच आयोग (संशोधन) अध्यादेश 1986 के बारे में विवरण

[अनुवाद]

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : मैं जांच आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1986 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

3.18 म० प०

औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय अब हम 2 मई, 1986 को श्री जनार्दन पुजारी द्वारा पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे :

"कि औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

विधेयक पर हम पहले ही निर्धारित समय से 23 मिनट अधिक ले चुके हैं। इसलिए माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे इस विषय पर संक्षिप्त भाषण दें। अब श्री दास मुंशी।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का कार्यक्षेत्र काफी व्यापक है। यह विधेयक बहुत ही नेक इरादे के साथ लाया गया है। इसके द्वारा बड़े औद्योगिक नगरों और कस्बों में औद्योगिक गतिविधियों में तेजी लाने का प्रस्ताव किया गया है। उन औद्योगिक नगरों

[श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी]

अथवा औद्योगिक पूंजी निवेश केन्द्रों को वित्तीय सहायता देने का भी प्रस्ताव है जिन्हें अभी तक सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा कोई सहायता नहीं दी गई है। मैं मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस संशोधन विधेयक के अन्तर्गत चेयरमैन तथा प्रबन्ध निर्देशक को पूर्वकालिक बनाकर बहुत व्यापक अधिकार दिये जा रहे हैं। लेकिन यह बड़े दुःख की बात है कि भारत में अधिकांश मामलों में सरकारी उपक्रम ब्यूरो अथवा सरकार द्वारा इन पदों पर या तो सेवा निवृत्त व्यक्ति नियुक्त किये जाते हैं जिन्हें अनुभव नहीं होता या जिन्हें देश की वित्तीय नीतियों के बारे में और सामान्य औद्योगिक विकास के बारे में ज्ञान नहीं होता। ये लोग औद्योगिक विकास के मामले में बिल्कुल रुचि नहीं लेते हैं। फलस्वरूप क्या होता है ? यदि आप निदेशक बोर्डों की कार्यवाही सारांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें तो यह मालूम होगा कि अधिकांश मामलों में अनुवर्ती उपाय और कार्य ठीक से नहीं होते। वे इस ढंग से किये जाते हैं कि औद्योगिक विकास नहीं हो पाता। इसलिए मैं माननीय मंत्री से कहना चाहूंगा कि हमारे प्रधान मन्त्री की इच्छा है कि हमारी वित्तपोषी संस्थाएं योग्य हों और अगर इस देश को 21वीं सदी में लाना है। उनका फलोत्पादक कार्य होना आवश्यक है। यह संस्था और इस प्रकार की अन्य संस्थाएं जैसे आई०आर०बी०आई० और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम सक्रिय भूमिका निभा रही है। किसी को दोषी ठहराये बिना, मैं एक बार फिर मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह ऐसी नियुक्तियां करने से पहले यह पता लगा लें कि वह व्यक्ति इस काम के प्रति समर्पित है अथवा नहीं। ऐसा होता है कि किसी अधिकारी को एक बैंक से निकाल कर दूसरे बैंक पर थोप दिया जाता है।

मैं एक विशेष मामले के बारे में जानता हूं। एक व्यक्ति आई०आर०बी०आई० के चैयरमैन थे। चाहे उसने अच्छा काम किया हो या बुरा, उसे बैंक आफ इण्डिया का चैयरमैन बना दिया गया। यदि कोई व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में विफल हो जाता है तो उसे किसी दूसरी संस्था में प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त कर दिया जाता है। उससे न केवल सरकार की बदनामी होती है बल्कि देश पिछड़ जाता है। अतः ऐसी चीजें दुबारा नहीं होनी चाहिए।

इस संशोधन विधेयक के कार्यक्षेत्र के अन्दर रहते हुए मैं कुछ और सुझाव देना चाहूंगा : विधेयक में कुछ ऐसी बातों का उल्लेख है जो देश में पहले देखने में नहीं आई थीं। एक औद्योगिक क्षेत्र में तकनीकी, वित्तीय सहायता, अस्पताल और दूसरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी। यदि इन बातों को श्रमिकों को ठीक से समझा दिया जाये तो वे सरकार के इस इरादे की अवश्य प्रशंसा करेंगे।

लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आप इन सब बातों को कैसे करने जा रहे हैं ? आप योजना कैसे बना रहे हैं ? आप इसे राष्ट्रीय स्तर पर नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास इतनी निधि नहीं है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि औद्योगिक क्षेत्र अथवा औद्योगिक नगरों में सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र औद्योगिक इकाइयों और मध्यम औद्योगिक इकाइयों को वरीयता दें। राज्य औद्योगिक इकाइयां भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को सभी सुविधाएं दें।

पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में मैं केवल यह कहना चाहता हूं। मैं पक्षपात की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन यह सच है कि औद्योगिक वित्त निगम का जहां तक पूंजी निवेश आदि का सम्बन्ध है पश्चिम

बंगाल के प्रति रवैया ठीक नहीं रहा है। जिन इकाइयों की वह मानीटेरिंग करती है उनमें समन्वय का अभाव है। मैं फिर कहता हूं मैं अधिकारियों को दोष नहीं देता।

मैं ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जो उद्योगों से भरा है। मैंने कुछ मामलों को लिया है। मैंने देखा है कि औद्योगिक वित्त निगम इन इकाइयों को धन देता है। लेकिन इनके प्रबन्धक एक परिवार के बाद दूसरे परिवार का पेट भरते रहे और जब वे उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, वे दिवालियेपन की हालत में होते हैं और श्रमिक हड़ताल पर होते हैं। वह सभी आरोप श्रमिक पर या प्रबंध व्यवस्था पर लगाते हैं। आज इस संस्था में कठिनाई यह है कि प्रमुख बैंक और इस संस्था के बीच कोई समझबूझ नहीं है। अगर भारतीय औद्योगिक वित्त निगम किसी मामले की सिफारिश या किसी योजना को स्वीकृति देता है तो इसके बैंक वाले अर्थात् यूनियन या बैंक आफ इण्डिया यूको बैंक या स्टेट बैंक के लोग इसे स्वीकृति देने या न देने का अपने अधिकार दिखाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के झगड़े आपको सहायता नहीं कर रहे हैं। आजकल इस प्रकार के झगड़े जोर पकड़ रहे हैं।

लोक वित्तीय संस्थाओं के इस प्रकार के व्यवहार के मैं कई उदाहरण दे सकता हूं। अगर वे एक इकाई के साथ सहानुभूति दिखाना चाहते हैं तो बैंक के अफसर महसूस करते हैं कि इसे रोकना उनका कर्तव्य है। मैं नामों का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि कलकत्ता में अगर यूनियन बैंक आफ इण्डिया एक इकाई का नाम लेने की कोशिश करता है इस तथ्य के बावजूद कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम या आई०आर०बी०आई० उसकी सहायता करना चाहता है, वह इकाई वर्षों या महीनों तक नुकसान उठाती रहेगी और मंत्री जी को हजारों ज्ञापन संसद सदस्यों और विधायकों द्वारा भेजे जाते हैं। मंत्री जी उन लोगों को टीका टिप्पणी के लिए उन्हें फिर लिखते हैं, अर्थात उन लोगों को जो मामलों को बिगाड़ रहे हैं। ये लोग जल्दी से इस आशय का एक नोट तैयार करते हैं कि हमारे प्रतिवेदनों पर विचार नहीं किया जा सकता और मन्त्री जी उसी के अनुसार हमें उत्तर दे देते हैं।

क्या हम बेवकूफ हैं। हम लोगों के प्रतिनिधि हैं। जब हम मामलों को लेते हैं तो मन्त्री महोदय आपको कोई हक नहीं है कि आप उन्हें उन्हीं लोगों को निर्दिष्ट करें जिनके विरुद्ध हमने शिकायत की है। आप ऐसा कर रहे हैं।

अगर मैं आई०आर०बी०आई० के विरुद्ध शिकायत करता हूं तो आप मेरी शिकायत उन्हीं को भेजते हैं। अगर मैं गुप्त नोट के साथ यू०टी०आई० के चैयरमैन के विरुद्ध शिकायत भेजता हूं, तो आप मेरी शिकायत यू०बी०आई० के चैयरमैन के पास भेज देते हैं। तब मेरी शिकायत का क्या अर्थ है? आपके मन्त्री इस प्रकार कार्य करते हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आपके मन्त्री कैसी कार्यवाही कर रहे हैं। वित्तीय संस्थाओं के क्रियाकलापों को बढ़ाने और औद्योगिक क्षेत्र में लोगों तथा श्रमिकों की सहायता करने का यह रास्ता ठीक नहीं है।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के बारे में मैंने ज्यादा नहीं कहा है। हम यहां हमेशा भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात करते हैं परन्तु यदि इन संस्थाओं के अध्यक्षों और प्रबन्ध निर्देशकों की सम्पत्ति

[श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी]

और सम्पदा के मूल्यांकन के लिए आप कार्यक्रम बनाये तो आपको पता चलेगा कि इनमें से अनेकों ने विदेशों में अपनी सम्पत्ति खड़ी कर ली हैं।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के समग्र संसाधनों द्वारा, किसी को लाभ पहुंचा कर और सारी औद्योगिक प्रगति को तहस-नहस करके वे लाभ उठा रहे हैं। जब हम उनकी शिकायत करते हैं तो वे सोचते हैं कि हम राजनीतिज्ञ आज जीतकर आये हैं कल हार जायेंगे और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इस प्रकार की बातों का हम सामना कर रहे हैं। आप उन्हें अधिकार दे रहे हैं; आप यह प्रबन्ध कर रहे हैं। मैं पूर्णतः आपके साथ हूं। मैं आपकी मंशा की सराहना करता हूं। लेकिन इन सब बातों का प्रबन्ध कौन करेगा ?

कलकत्ता में, विपक्षी सदस्य मेरे से सहमत होंगे—एक ऐसे सज्जन हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र की बारह इकाइयों की देखरेख कर रहा है। उसने स्वयं मुझे बताया है कि वह नहीं जानता कि दूसरी इकाइयों में उसके कौन से व्यक्ति हैं। वह 12 इकाइयों के चैयरमैन इसलिए हैं कि उनके कुछ व्यक्ति मंत्रालय में हैं जिनके निहित स्वार्थ हैं। मैं भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को दोष नहीं दे रहा हूं। मैं इन बातों का उदाहरण केवल इसलिए दे रहा हूं कि वे उन लोगों के साथ किस प्रकार हेराफेरी कर रहे हैं।

अब आपने उन्हें अस्पताल खोलने के अधिकार दे दिये हैं। श्री संगमा यहां बैठे हैं। यह देखना उनका कार्य है कि प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र में एक अस्पताल हो लेकिन यह देखने में वह रुचि नहीं दिखा रहे हैं कि श्रमिकों को दवाइयां मिल रही हैं या नहीं। तब उस अस्पताल का क्या लाभ है ? औद्योगिक क्षेत्र में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को फिर अधिकार दिये जा रहे हैं, वे अस्पताल व दूसरी सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। यह एक निरंकुश अधिकार है। वे मोदी को संतुष्ट कर सकते हैं, वे अपने व्यक्तियों को संतुष्ट कर सकते हैं लेकिन वे यह कैसे करेंगे आपके संशोधन में यह नहीं बताया गया है। इस संशोधन को पास करने के बाद, आप स्पष्ट मार्गदर्शन करें ताकि उन्हें यह पता चल सके कि वे अपने अधिकारों का किस प्रकार प्रयोग करेंगे।

आप कहते हैं कि वे वित्तीय और तकनीकी सहायता देंगे। वित्तीय अधिकार क्यों नहीं ? अगर भारतीय औद्योगिक वित्त निगम एक इकाई से हिस्सा लेता है तो उन्हें अधिकार क्यों नहीं दिये जाते ताकि उस इकाई में वे अपने तकनीकी व्यक्ति लगा सके और नियमित रूप से देख सकें कि धन का सही उपयोग किया जा रहा है। लेकिन आप ऐसा नहीं करते। बैंक उन्हें मशीनरी और धन देते हैं और वे धन ले लेते हैं और एक दिन फैक्टरी बंद कर दी जाती है। उस समय आप कहते हैं कि यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इस प्रकार कई इकाइयों में जनता का करोड़ों का धन बर्बाद हो गया है। कृपया इस प्रक्रिया को सुधारिये। अब समय आ गया है जब दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी दलों को मिलकर सरकारी वित्तीय संस्थाओं के प्रबन्ध को ठीक करना चाहिए। ये संस्थाएं अपने गलत तरीकों से देश का सर्वनाश कर रही हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि मन्त्री जी मेरी बातों को सही परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। धन्यवाद।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी (कूरनूल) : उपाध्यक्ष महोदय, औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक का उद्देश्य 1948 के मूल अधिनियम के क्षेत्र का विस्तार करना है। 1948 के अधिनियम का उद्देश्य एक अच्छी और स्वस्थ आर्थिक नीति निर्धारित करना था जिससे भारत में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले।

अब समय आ गया है जब हमें औद्योगिक वित्तीय सहायता के प्रश्न पर पुन: विचार करना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, वह अब सोमवार को बोल सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम सोमवार को यह चर्चा जारी रखेंगे।

अब हम गैर सरकारी विधान कार्य लेंगे।

3.30 म० प०

विधेयक

(एक) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(नये अनुच्छेद 174-क का अन्त:स्थापन)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

*दिनांक 18-7-1986 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित।

(दो) कनिष्ठ कलाकार (नियोजन का विनियमन) विधेयक*

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि चलचित्र उद्योग में कनिष्ठ कलाकारों का नियोजन विनियमित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चलचित्र उद्योग में कनिष्ठ कलाकारों का नियोजन विनियमित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : मुझे इस पर आपत्ति है । यह कनिष्ठ कलाकारों के लिए ही क्यों है ?

प्रो० मधु दण्डवते : क्योंकि कनिष्ठ कलाकार उपलब्ध नहीं हैं । आप नहीं जानते ।

(तीन) बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 और बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 और बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

---

*दिनांक 18-7-1986 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो० मधु दंडवते : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री के० वी० शंकरगौडा। अनुपस्थित।

(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(नये अनुच्छेद 30 क का अन्तःस्थापन, आदि)

[अनुवाद]

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

(पांच) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(नये अनुच्छेद 31 का अन्तःस्थापन)

[अनुवाद]

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

---

*दिनांक 18-7-1986 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित।

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री घोलप। अनुपस्थित

(छः) औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक*
(धारा 10 में संशोधन आदि)

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर-मध्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री शरद दिघे : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

(सात) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक*
(अनुसूची में संशोधन)

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर-मध्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित

---

*दिनांक 18-7-1986 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री शरद दिघे : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

(आठ) मोटर-यान (संशोधन) विधेयक*
(धारा 2 में संशोधन आदि)

[अनुवाद]

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति (विशाखापत्तनम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मोटर-यान अधिनियम, 1939 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मोटर-यान अधिनियम, 1939 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

(नौ) केन्द्रीय विक्रय कर (निरसन) विधेयक*

[अनुवाद]

श्री बालासाहेब विखे पाटिल (कोपरगांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 का निरसन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

---

*दिनांक 18-7-1986 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 का निरसन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बालासाहेब विखे पाटिल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

(दस) धान कुट्टन उद्योग (विनियमन) संशोधन विधेयक*
(धारा 3 में संशोधन, आदि)

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव (मछलीपतनम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि धान-कुट्टन उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि धान-कुट्टन उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री के० एस० राव : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव—उपस्थित नहीं हैं।

(ग्यारह) बेरोजगारी उन्मूलन विधेयक*

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलुबेरिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश से बेरोजगारी का उन्मूलन

---

*दिनांक 18-7-1986 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

करने तथा कार्यक्रमियों का उपयोग राष्ट्र-निर्माण-कार्यों, विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में करने की योजना के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि देश से बेरोजगारी का उन्मूलन करने तथा कार्यक्रमियों का उपयोग राष्ट्र-निर्माण-कार्यों, विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में करने की योजना के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री हन्नान मोल्लाह : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अनिल बसु—उपस्थित नहीं हैं।

3.36 म० प०

श्री अजित कुमार साहा का

बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) संशोधन विधेयक

(धारा 2 में संशोधन आदि) [—जारी]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : 4 अप्रैल, 1986 को श्री अजित कुमार साहा द्वारा प्रस्तुत बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर आगे विचार करने से पहले मैं सभा को याद दिलाना चाहूंगा कि इस विधेयक पर 5 घंटे और 20 मिनट का समय पहले ही लिया जा चुका है अर्थात् इस विधेयक के लिए निश्चित किया गया समय समाप्त हो चुका है। सभा को अब निर्णय करना है कि समय को बढ़ाया जाये अथवा नहीं।

क्या सभा इस विधेयक का समय एक घंटा बढ़ाने के लिए सहमत है ?

कुछ माननीय सदस्य : हां।

उपाध्यक्ष महोदय : समय एक घंटा बढ़ाया जाता है।

श्री हरीश रावत।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, बीड़ी उद्योग हमारे देश का एक प्रमुख उद्योग है, जिस पर हमारे देश के कम से कम दस लाख लोग काम पर लगे हुए हैं। मैं समझता हूं कि कई प्रान्त ऐसे हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश इत्यादि, जहां की इकोनोमी में बीड़ी उद्योग का बहुत बड़ा कंट्री-ब्यूशन है, एक बहुत बड़ा योगदान है। हजारों परिवार अपनी रोजी-रोटी इससे कमा रहे हैं, लेकिन जिस हालात में बीड़ी वर्कर्स को काम करना पड़ता है और जिस प्रकार की सुविधा उनको इस उद्योग में उपलब्ध है,

3.37 म० प०

[श्री एन० वेंकट रत्नम पीठासीन हुए]

उसको देखने से उनकी दयनीय दशा पर किसी को भी तरस आ सकता है। कुछ कानून केन्द्र ने और सम्बन्धित राज्य सरकारों ने बनाए हैं, वे कानून इतने नाकाफी हैं, उनकी आड़ में जो ठेकेदार हैं, जो कि वास्तव में उस उद्योग को चलाने वाले हैं, वे लोग उसका काफी फायदा उठा लेते हैं। उनके एजेन्ट्स लोगों को काम के लिए मुकर्रिर करते हैं और जब कभी कम्पैसेशन देने की बात आती है, जिम्मेवारी लेने की बात आती है, जो उस समय जो उद्योग का मालिक होता है, जो मुनाफे का मालिक होता है, वह यह कह कर बच जाता है कि इनको हमने एम्प्लाय नहीं किया है। इसलिए कोई न कोई इस प्रकार का कानून बनाना चाहिए, जो फायदे का जिम्मेदार है, जिनको फायदा मिलता है, लाभ उठाता है, उसको नियन्त्रित किया जा सके। उसको इस बात के लिए बाध्य किया जा सके कि यदि कभी मजदूर को उसका हक देने की बात आती है या उसके साथ कोई घटना घट जाती है, जिसमें कम्पैसेशन देने की बात आती है, तो वह मुकर न सके, बच न सके। मैं समझता हूं कि वर्तमान कानून में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है।

हमने एक यह भी कानून बनाया है कि किसी उद्योग में छोटे बच्चों को काम पर नहीं लिया जाएगा, लेकिन बीड़ी उद्योग में अधिकांशतः महिलाएं काम करती हैं या बच्चे काम करते हैं। यह सैक्शन ऐसा है, जिनका सबसे ज्यादा हमारे समाज में शोषण होता है। महिलाओं की तो काफी दुर्दशा है और इससे भी ज्यादा दुर्दशा चाइल्ड लेबर की है। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि राज्य सरकार के साथ इस मसले पर विचार किया जाना चाहिए, ताकि जो चाइल्ड लेबर है, उसका शोषण न हो सके। जहां इस तरह के बच्चे काम में लगे हुए हैं, उनको कम से कम वेतन ठीक मिले, उनके काम के घण्टे ठीक से नियन्त्रित हो सके। महिलाएं जहां पर काम करती हैं, उनके विषय में जरूर

कानून बनाया जाना चाहिए यदि कई ऐसी स्थिति पैदा होती है तो उनके स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके। उनको उचित वेतन दिया जाना चाहिए। इस उद्योग में लगे हुए लोगों के हितों को देखकर, उनकी व्यापकता को देखकर जब तक आप विचार नहीं करेंगे, तब तक समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। हमारे दोस्त साहा साहब जो बिल लाए हैं, हो सकता है कि इस बिल में कुछ तकनीकी त्रुटियां हों और उन तकनीकी त्रुटियों के आधार पर इस बिल को इस रूप में स्वीकार करना सम्भव न हो मगर इसके माध्यम से माननीय सदस्यों ने जो इस सदन में भावनाएं व्यक्त की हैं और जिन कमियों को हम समझते हैं दूर किया जाना चाहिए, उन पर किसी तरीके से नियन्त्रण प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, इस पर माननीय मन्त्री जी विचार करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं।

[अनुवाद]

*श्री सी० सम्बु (बापतला) : अध्यक्ष महोदय, हमें आजादी प्राप्त हुए 38 वर्ष हो गये हैं लेकिन इन 38 सालों के बाद भी यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बीड़ी उद्योग में कार्यरत लाखों श्रमिकों के कल्याण के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। आज भी ये असंगठित हैं। ये असंगठित क्षेत्र में आते हैं। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि सरकार ने इन असहाय बीड़ी श्रमिकों को संगठित करने तथा उनके साथ न्याय करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। उन्हें न तो संगठित करने का कोई प्रयास किया गया है और न उन्हें वह सुविधा, जो संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को प्रदान की जा रही है, प्राप्त है। मैं माननीय श्रम मन्त्री जी से इन श्रमिकों को संगठित करने हेतु कदम उठाने के लिए अनुरोध करूंगा। श्रीमान इस समय इस उद्योग में कम से कम 50 से 60 लाख श्रमिक कार्यरत हैं ये श्रमिक सारे देश में फैले हुए हैं। अब समय आ गया जब कि सरकार इन 50 से 60 लाख श्रमिकों को संगठित करने के लिए कदम उठाये तथा उनके उद्धार के लिए कुछ करे। ये बड़ी दयनीय जिन्दगी बिता रहे हैं। चूंकि ये असंगठित हैं, ठेकेदारों द्वारा इनका बेरहमी से शोषण हो रहा है। बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं, जो औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वालों के लाभ के लिए बनी हैं, इन लोगों पर इस कारण लागू नहीं हो रही है क्योंकि वे असंगठित हैं। अतएव उन्हें संगठित करना आवश्यक है। यह प्राथमिक आवश्यकता है जिसे सरकार उनकी भलाई के लिए करे। सरकार को उन्हें औद्योगिक प्रतिष्ठानों को श्रमिकों के समतुल्य मान्यता प्रदान करनी चाहिए तथा उन पर लागू सभी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। माननीय मन्त्री जी से यही मेरा विनम्र निवेदन है।

श्रीमान जी, इन बीड़ी श्रमिकों को न तो चिकित्सा और न ही शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मिलों और कारखानों में कार्य करने वाले श्रमिक इन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह बीड़ी उद्योग में कार्यरत श्रमिकों को चिकित्सा तथा शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराएं। इन दो क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों के बीच असमानता खत्म करनी होगी। मैं आशा करता हूं कि केन्द्र सरकार बीड़ी श्रमिकों को ये सुविधायें मुहैया करने के लिए शीघ्र कदम उठायेगी।

*मूलतः तेलुगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री सी० सम्बु]

श्रीमान जी, सरकार उपकर के माध्यम से करोड़ों रुपया एकत्र कर रही है। कोई नहीं जानता कि उपकर के माध्यम से कितना रुपया एकत्र किया गया तथा कितना रुपया वास्तव में कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किया गया। यद्यपि इन लोगों के कल्याण के लिए धन एकत्र किया जा रहा है लेकिन इन श्रमिकों के जीवन-स्तर को सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस सम्मानित सदन को उपकर द्वारा एकत्र की गई धनराशि तथा कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च की गई वास्तविक धनराशि के बारे में बतायें।

श्रीमान जी, बीड़ी श्रमिकों में अधिकांश लोग गांव के होते हैं। वास्तव में बीड़ी उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यदि सरकार वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे लोगों के जीवन स्तर को उठाने की इच्छुक है तो उसे बीड़ी श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कोई ठोस कार्य करना पड़ेगा। सभी कल्याणकारी योजनाएं बीड़ी श्रमिकों को प्रदान करनी होगी तभी हम उनके जीवन स्तर में कुछ सुधार कर सकेंगे। यह कहना अनावश्यक होगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी अपने आप सुधार हो जायेगा।

श्रीमान जी आंध्र प्रदेश देश में एक ऐसा राज्य है जहां तम्बाकू बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। बीड़ी तथा सिगार उद्योग पर लाखों लोग आश्रित हैं तथा वे तम्बाकू पर आधारित उद्योगों पर अपनी जीविका कमा रहे हैं। राज्य में लाखों बेकार लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश में तम्बाकू पर आधारित और अधिक उद्योग लगाने के लिए मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा। इससे राज्य में बेकारी की समस्या को हल करने में मदद मिलेगी। श्रीमान जी, इस उद्योग में सारे देश में लगभग 50 से 60 लाख लोग लगे हैं। उन्हें संगठित करना पड़ेगा। उन्हें पहचान-पत्र प्रदान किए जायें। उनके कल्याण के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू करनी होंगी।

श्रीमान जी, इस उद्योग में बाल श्रम की समस्या व्याप्त है। न केवल बच्चे बल्कि स्त्रियां तथा बूढ़े भी इस उद्योग में अधिकाधिक संख्या में लगे हुए हैं। सरकार देश से बाल-श्रम की समस्या खत्म करना चाहती है। अतः इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे इस उद्योग में लगे लाखों बच्चों की चिन्ता करनी होगी। यदि इस उद्योग में लगे बच्चों की उचित देखभाल की जाए तो भी देश से बाल श्रम को खत्म करने के अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। श्रीमान जी बीड़ी श्रमिक पूरी तरह से बिचौलियों की दया पर निर्भर हैं। उन्हें न्यूनतम मजदूरी तक नहीं मिल रही है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह देखें कि इन श्रमिकों को वह न्यूनतम मजदूरी मिल सके जो अन्य उद्योगों के श्रमिकों को प्राप्त हो रही है। श्रीमान जी चिराला में एक आई०टी०सी० कारखाना है। आधुनिक मशीनें मंगाई गई हैं तथा बहुत से श्रमिकों को अभी हाल में इस कारखाने से निकाल दिया गया है। आधुनिकीकरण के कारण लगभग 7 से 8 हजार श्रमिक बेकार हो गये हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह प्रबन्धकों के साथ यह मामला उठायें और देखें कि इन निकाले गए श्रमिकों को बहाल किया जाए या कम से कम उन्हें कोई वैकल्पिक रोजगार प्रदान किया जाए।

श्रीमान जी मैं 50 लाख बीड़ी मजदूरों की ओर से एक बार फिर माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह उन्हें संगठित क्षेत्र में लाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं तथा वे समस्त सुविधाएं जो दूसरे उद्योगों के श्रमिकों को प्राप्त हैं, प्रदान करें।

मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मुझे बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

श्री निरयानन्द मिश्र (बोलनगीर) : हम सब जानते हैं कि हमारे देश में तीस लाख से अधिक मजदूर—बीड़ी मजदूर असंगठित क्षेत्र में आते हैं जिनका शोषण हो रहा है। मजूरी जो उन्हें दी जाती है असामान्य रूप से कम है--निर्धारित दर से भी बहुत कम है। बड़ी संख्या में बच्चे तथा औरतें इस उद्योग में कार्यरत हैं। उन्हें पुरुषों की अपेक्षा बहुत कम मजदूरी मिलती है। यद्यपि न्यूनतम मजदूरी उपलब्ध कराने का प्रावधान है लेकिन उन्हें निर्धारित न्यूनतम मजदूरी अब भी नहीं प्राप्त हो रही है। राज्य सरकारें बीड़ी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित कराने में ध्यान नहीं दे रही हैं तथा ये बीड़ी श्रमिक पूरी तरह उपेक्षित हैं।

बीड़ी मजदूरों का एक बड़ा हिस्सा—लगभग 30 लाख—दयनीय दशा में जीवन यापन कर रहे हैं। उन्हें वह लाभ, सुविधायें नहीं प्राप्त होती जो संगठित श्रमिकों को प्रदान की जाती हैं। न्यूनतम सुविधाएं जैसे उनके बच्चों की शिक्षा तथा उपचार इत्यादि उन्हें प्राप्त नहीं हैं। यद्यपि बीड़ी मजदूरों के हित चिन्तन के लिए श्रम कानून है, इनको बड़ी लापरवाही से लागू किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप बीड़ी मजदूर उपेक्षित हैं तथा उन सुविधाओं और लाभों का लाभ नहीं उठा पाते जो उनके लिए हैं। यदि श्रमिक जनसंख्या के एक बड़े भाग को, जिसकी आर्थिक दशा दयनीय है, सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत लाया जाए तो हम बीड़ी मजदूरों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं; उन्हें न्यूनतम मजदूरी का आश्वासन दिया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के समस्त लाभ, जो संगठित श्रमिक प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें भी प्रदान किये जा सकते हैं यदि वे सहकारी ढंग से संगठित हैं। अतः यह मेरा निवेदन है तथा सरकार से अनुरोध है कि इन बीड़ी मजदूरों को संगठित क्षेत्र में लाने की सम्भावना खोजें जिससे इन लोगों पर हो रहे शोषण को समाप्त किया जा सके।

इन बीड़ी मजदूरों में अनेक टी०बी० से ग्रस्त हैं। सरकारी अस्पताल, औषधालय, तथा स्वास्थ्य केन्द्र टी०बी० रोगियों के लिए आवश्यक विशेष उपचार प्रदान नहीं करते। बीड़ी श्रमिक, जब उन्हें बीमारी होती है, को सरकारी अस्पतालों में उपचार सम्बन्धी सुविधाएं नहीं प्राप्त होती। मैं समझता हूं कि बीड़ी श्रमिकों को औपचारिक सुविधायें प्रदान करना सरकार का नैतिक दायित्व है विशेषकर उस समय जब उन्हें टी०बी० जैसी बीमारी हो जिसमें विशेष सावधानी-उपचार तथा देखभाल की जरूरत होती है।

राज्य कर्मचारी बीमा अस्पताल तथा चिकित्सा एकक उन क्षेत्रों में स्थापित किये जाएं जहां बीड़ी मजदूरों की संख्या अधिक है और जहां बीड़ी बनाने वाले कारखाने बड़ी संख्या में हैं। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि उन क्षेत्रों का पता लगाने के लिए सम्पूर्ण राष्ट्र में सर्वेक्षण कराया जाए जहां बीड़ी उद्योग में काम करने वालों की बहुतायत है। आवश्यक राज्य कर्मचारी बीमा चिकित्सा एकक वहां

[श्री नित्यानन्द मिश्र]

स्थापित किए जाएं। इससे बीड़ी श्रमिकों को बड़ी मदद मिलेगी तथा इससे उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त हो जाएगी जिनकी उन्हें जरूरत है।

हम केन्दू की पत्तियों का निर्यात बंगला देश, पाकिस्तान तथा दक्षिण पूर्व एशिया में कुछ देशों को कर रहे हैं। इन केन्दू की पत्तियों का निर्यात करने की बजाय यदि हम इनको उत्तम गुण वाली बीड़ी बनाएं तथा उनका निर्यात करें तो हम इन लोगों को और अधिक रोजगार प्रदान कर सकेंगे, क्योंकि यह उद्योग श्रमाधारित है। श्रमिक आबादी के एक बड़े भाग को यह रोजगार प्रदान करने में समर्थ है। अत: केन्दू की पत्तियों से अच्छी बीड़ियां बनाना तथा उनके निर्यात की सम्भावना को सरकार खोज सकती है। केन्दू की पत्तियां कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। वहां सिचाई सुविधा या कृषि के विकास की ज्यादा गुंजाइश नहीं है। उस क्षेत्र में जहां केन्दू की पत्तियां उगाई जाती हैं, रोजगार के ज्यादा अवसर नहीं हैं। कभी-कभी ये क्षेत्र सूखे से ग्रस्त हो जाते हैं जहां लोगों को तमाम कठिनाइयां तथा सूखे की स्थिति बार-बार आने के कारण मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। हमारे प्रधान मंत्री ने हमारे राज्य के दो जिलों फूलबनी तथा कालाहांडी का दौरा किया है जहां केन्दू की पत्तियां उगाई जाती हैं। वहां लोग भीषण आर्थिक तंगी तथा सूखे की समस्या का सामना कर रहे थे। ये पहाड़ी इलाके हैं जहां कृषि विकास की आंधक गुंजाइश नहीं है।

रोजगार के अवसर बहुत सीमित हैं। यदि सरकार उन क्षेत्रों में, जो श्रम और रोजगार प्रधान है, बीड़ी बनाने वाली यूनिटें स्थापित करे तो इस क्षेत्र के लोगों की कठिनाइयों का एक सीमा तक निवारण किया जा सकता है तथा इस उद्योग को कुटीर उद्योग माना जाना चाहिए, और सरकार का ध्यान इस उद्योग की ओर खींचा जाना चाहिए क्योंकि ये बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दे रहे हैं ठीक उसी तरह जैसे कि हथकरघा उद्योग को पर्याप्त महत्व दिया गया है जिसमें बड़ी संख्या में बुनकरों को रोजगार मिलता है तथा इनमें पर्याप्त धनराशि लगाई गई है। बीड़ी निर्माण करने वाले उद्योगों को कुटीर उद्योग समझा जाना चाहिए तथा रोजगार प्रदान करने में इसकी क्षमता का दोहन किया जाना चाहिए और कहीं यदि इसे सहकारी क्षेत्र में संगठित किया जा सके, तो लोगों को लाभ होगा। ग्रामीण लोगों को बड़ा लाभ होगा। बीड़ी का ग्रामों में ही विशेषतया प्रयोग होता है। गांवों में रहने वाले लोग बीड़ी पीते हैं और बीड़ी मजदूर ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहते हैं। अत: बीड़ी बनाने वाले एकक शहरी या अर्धशहरी क्षेत्रों में लगाये जायें। बीड़ी ग्रामीण उपभोग की चीज है और चूंकि सरकार भी ग्रामीण क्षेत्रों को रोजगार के अवसर प्रदान करना चाहती है, अत: यह आवश्यक है कि सरकार इस क्षेत्र की ओर पर्याप्त ध्यान दे और अधिक ध्यान देकर, अधिक साधन प्रदान कर तथा उन्हें सहकारी आधार पर संगठित कर इस उद्योग की उन्नति का प्रयास करे जिससे बीड़ी मजदूरों का आर्थिक शोषण खत्म हो सके।

इन सुझावों के साथ मैं आशा करता हूं बीड़ी-मजदूरों को महत्व प्रदान किया जाएगा और सरकार उनकी तरफ पर्याप्त ध्यान देगी। धन्यवाद !

*श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव (अमलापुरम) : अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे दिल से बीड़ी तथा सिगार श्रमिक (रोजगार की शर्तें) संशोधन विधेयक 1985 का समर्थन करता हूं। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं, क्योंकि यह इस उद्योगों में लोग लगे श्रमिकों के लाभ के लिए है।

श्रीमान जी, बिचौलिये गरीब बीड़ी मजदूरों का खून चूस रहे हैं। बिचौलियों द्वारा उनका बेरहमी से शोषण किया जा रहा है। बेचारे श्रमिक आजतक संगठित श्रमिक नहीं हैं। सारे भारत में लगभग 50 से 60 लाख मजदूर हैं जिनकी आजीविका का साधन बीड़ी बनाना है। यह ताज्जुब की बात है कि यद्यपि उनकी संख्या बहुत अधिक है उनको संगठित करने का अब तक कोई प्रयास नहीं किया गया है। उनको सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत संगठित करने का समय आ गया है तथा सरकार को देखना चाहिए कि वे सारे लाभ, जो सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों को प्रदान किए जा रहे हैं, इन श्रमिकों को भी प्राप्त हों।

श्रीमान जी, बीड़ी उद्योग एक जोखिम पूर्ण उद्योग है। इस उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों को विभिन्न प्रकार के रोग होने की संभावना रहती है। इसलिए इन मजदूरों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की शीघ्र आवश्यकता है। कृपया यह भी ध्यान में रखा जाये कि इस उद्योग में कार्यरत श्रमिकों में जनजाति के लोगों की संख्या अधिक है और बिचौलिए इन जनजातीय लोगों का बहुत अधिक शोषण कर रहे हैं। शोषण की एक सीमा होती है। बिचौलिए जनजाति के लोगों को उनके काम की उनको मजदूरी नहीं देते। यहां तक उनकी भूमि भी बिचौलियों द्वारा छीनी जा रही है। देश में सभी स्थानों पर जनजातीय लोगों की यही व्यथा है। इस शोषण को किसी भी प्रकार आगे न चलने दिया जाए। इस बात की आवश्यकता है कि कर्मकारों को संगठित किया जाए जिससे शोषण का अंत हो। अन्य विभिन्न कल्याण योजनाएं जो दूसरे उद्योगों में इन कर्मकारों की हालत को सुधारने के लिए लागू की जा रही हैं, वे अब इन कर्मकारों पर भी लागू होनी चाहिए। मैं फिर एक बार दोहराता हूं कि उनके शोषण का एक मुख्य कारण यह है कि उनका सम्बन्ध एक असंगठित क्षेत्र से है। इन्हें संगठित करने में तथा सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत लाने में और अधिक समय नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। महोदय, सरकारी कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन मिलता है। सार्वजनिक तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में एक न्यूनतम मजदूरी मिलती है। किंतु इन गरीब तथा असहाय बीड़ी कर्मकारों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती है। इनकी कोई नियमित आय नहीं है। सरकार को इन बीड़ी श्रमिकों को अन्य उद्योगों में उनके बराबर के कर्मकारों के समान मजदूरी उपलब्ध करानी चाहिए। यह आश्चर्यकी बात है कि बीड़ी कर्मकारों को इस समय भी बन्धुआ मजदूर माना जाता है। ठेकेदार अथवा बिचौलिया जो भी रकम उनके कड़े परिश्रम के बदले उन्हें देता है वह उन्हें स्वीकार करनी पड़ती है। उनमें शक्तिशाली बिचौलिये के विरुद्ध आवाज उठाने की शक्ति नहीं है। इस प्रकार यह स्थिति समाप्त होनी चाहिए और सरकार को उनके शोषण को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि मन्त्री बीड़ी कर्मकारों की हालत सुधारने के लिए कदम उठाएंगे।

*मूलतः तेलुगु में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव]

महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है।

4.00 म०प०

*श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : सभापति महोदय, श्री अजित कुमार साहा द्वारा लाए गए विधेयक का मुख्य उद्देश्य बीड़ी कर्मकारों के शोषण को समाप्त करना तथा उनके हितों की रक्षा करना है। सभा के समक्ष प्रस्तुत किए गये इस विधेयक में अन्तर्निहित उच्च भावनाओं का मैं स्वागत करती हूं। एक ऐसा ही विधेयक वर्ष 1966 में पारित किया गया था। किंतु उस विधेयक में बहुत सी कमियां थीं। अत: यह कार्मिकों के हितों की रक्षा नहीं कर सकता है। इन कमियों के कारण मुख्य नियोक्ता अपनी जिम्मेवारियों को छुपाते हैं और कार्मिकों को सभी सुविधाओं से वंचित करने के लिए न्यायालय का सहारा लेते हैं। कार्मिकों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती थी। नियोक्ता (मालिक) अस्वीकार कर देते हैं कि वे कार्मिक उसके नीचे काम करते थे।

सभापति महोदय, औसत 130 करोड़ बीड़ी प्रतिदिन तैयार की जाती हैं। हमारे देश में बीड़ी उद्योग में लगभग 40 लाख श्रमिक काम करते हैं। इस उद्योग को प्रति वर्ष 3.5 लाख टन बीड़ी पत्तों तथा 8 0 हजार टन तम्बाकू की आवश्यकता होती है।

इस व्यवसाय में दो चरणों में मजदूर काम में लगाए जाते हैं। पहले चरण में वे केन्दू पत्ते तोड़ते हैं, फिर दूसरे चरण में वे इन पत्तों में तम्बाकू भरकर इन्हें लपेट कर बीड़ी बनाते हैं। दुर्भाग्य से अभी तक इस उद्योग में लगे कार्मिकों की सही संख्या का अनुमान नहीं लगाया गया है। यदि हम पत्तों के काटने तथा इनके लपेटने तक एक सही सर्वेक्षण करें तो हम पाएंगे कि इनकी संख्या 40 लाख की अनुमानित संख्या से अधिक है। ये कर्मकार बहुत गरीब हैं और मूलत: अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के हैं और इनमें से बहुत सी महिलाएं भी हैं। वे असंगठित हैं। अत: ये संगठित क्षेत्र में नियुक्त मजदूरों को दी जाने वाली सुविधा से वंचित रहते हैं। एक सर्वेक्षण से पता चला है कि बीड़ी उद्योग में नियुक्त कर्मकारों की कुल संख्या का 22% महिलाएं हैं और कुल संख्या का एक प्रतिशत बाल श्रमिक हैं। वे किसी अन्य तरीके से अपनी आजीविका नहीं कमा सकते हैं अत: इस उद्योग में काम करने के सिवा उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं है। वर्तमान कानून ऐसे नहीं हैं जिन से बीड़ी कर्मकारों को न्याय उपलब्ध हो। बीड़ी कर्मकारों की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक समिति स्थापित की गई थी। समिति ने यह विचार व्यक्त किया है कि "कर्मकारों की दशा बहुत दयनीय है। वे अत्यन्त कठिनाई में अपने दिन काट रहे हैं। उनकी नौकरी की पर्याप्त सुरक्षा नहीं है। उन्हें साल भर नौकरी नहीं मिलती है। बाल श्रमिकों के समेत अधिकतर कर्मकार टी०बी० जैसे किसी घातक रोग से पीड़ित हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि श्रम कानून इन

*मूलत: उड़िया में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

श्रमिकों को न्यूनतम सुरक्षा के साथ आजीविका कमाने की सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं।" यदि सदस्य एक व्यापक विधेयक लाए होते तो स्त्री-पुरुष कर्मकारों के हितों की सुरक्षा की जा सकती थी और शोषण का अन्त हो जाता। मेरे विचार में एक ऐसा व्यापक विधेयक लाने की आवश्यकता है जिससे बीड़ी श्रमिकों का कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। ऐसे विधेयक द्वारा न्यूनतम मजदूरी देने की तथा इन श्रमिकों के बच्चों सहित परिवार के सदस्यों को उचित चिकित्सा सहायता दिए जाने की गारंटी दी जानी चाहिए। और साथ ही विधेयक में बाल श्रमिकों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए एक स्पष्ट उपबन्ध होना चाहिए। कार्मिकों के कल्याण के सम्बन्ध में बोलते हुए मुझे माननीय श्रम मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य याद आता है। उन्होंने कहा था कि बाल श्रमिकों के कल्याण के लिए वह एक व्यापक विधेयक ला रहे हैं। चूंकि इस उद्योग में बहुत अधिक संख्या में बाल श्रमिक लगे हुए हैं मुझे विश्वास है कि प्रस्तावित कानून में निस्संदेह बीड़ी उद्योग में नियुक्त बाल श्रमिकों का भी ध्यान रखा जाएगा। मैं माननीय मन्त्री जी के इस वक्तव्य का स्वागत करती हूं कि प्रस्तावित कानून निस्संदेह बीड़ी उद्योग में नियुक्त बाल श्रमिकों के हितों की बहुत हद तक सुरक्षा करेगा। इस संदर्भ में मैं मन्त्री जी से निवेदन करती हूं कि एक व्यापक कानून लाने से पूर्व वे सारे देश में बीड़ी कर्मकारों की स्थिति का व्यापक सर्वेक्षण करायें। मैं यह इसलिए कह रही हूं क्योंकि दूसरे सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि श्रमिकों का अधिकतर शोषण ठेकेदारों द्वारा किया जाता है। इनका काम का समय निर्धारित नहीं किया गया है। वे 10 से 12 घंटे काम करते हैं। रात के समय उनसे लालटेन के धीमे प्रकाश में काम करवाया जाता है। जब परिवार का मुखिया बीमार पड़ जाता है तो अन्य सदस्य उसे धन के अभाव के कारण उचित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने में असफल होते हैं। कठिनाई से वह अपने परिवार को चला सकते हैं। कहा जाता है कि बीड़ी श्रमिकों के लिए एक कल्याण कोष है जिसमें 16 लाख रुपये ऐसे हैं जिनका उपयोग नहीं किया गया है। मैं मन्त्री जी को सुझाव देती हूं कि बीड़ी उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण के लिए वे प्रत्येक राज्य हेतु एक विशेष योजना तैयार करें। प्रत्येक राज्य को इन 16 लाख में से कुछ धन आबंटित किया जाना चाहिए। वह राशि केवल बीड़ी कर्मकारों के कल्याण पर ही खर्च होनी चाहिए।

महोदय, जैसा आप जानते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में जहां बीड़ी श्रमिक मुख्यत: रहते हैं पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है। वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत इन कर्मकारों के लिए अस्पताल स्थापित करने की व्यवस्था है। किंतु वास्तव में इन अस्पतालों की संख्या बहुत कम है। मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करता हूं कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत इन कर्मकारों के लिए अस्पताल खोले जाने चाहिए। हम देखते हैं कि देश में इन बीड़ी कर्मकारों के लिए केवल एक बिस्तर का अस्पताल है। सामान्य अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में बिस्तर आरक्षित होने चाहिए। वर्तमान नियमों के अन्तर्गत कर्मकारों की शल्य-चिकित्सा और एक्स-रे नि:शुल्क होने चाहिए। किन्तु वास्तव में उन्हें यह सुविधाएं नहीं मिलती हैं। मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करती हूं कि वह यह देखें कि ये सभी चिकित्सा सुविधाएं बीड़ी कर्मकारों को नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएं।

महोदय, चूना-पत्थर तथा "डोलोमाइट" श्रमिकों के लिए एक कल्याण योजना है। इसी प्रकार की कल्याण योजनाएं बीड़ी कर्मकारों के लिए आरम्भ की जानी चाहिएं। मैं माननीय मंत्री से यह निवेदन करती हूं कि कुष्ठ राहत योजना आरम्भ की जाए। उनके लिए अधिक चलते-फिरते औषधालय

[श्रीमती जयन्ती पटनायक]

चलाए जाएं।

कठिनाई यह है कि बीड़ी कर्मकार असंगठित क्षेत्र में हैं। अत: इन कर्मकारों को आवास सुविधाएं नहीं मिलती हैं। जिस कॉलोनी अथवा बस्ती में यह रहते हैं वहां जल-आपूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं है। वह तंग क्षेत्रों में अस्वस्थकर परिस्थितियों में रहते हैं। वास्तव में इन कर्मकारों के रहने की इकाइयां रहने योग्य नहीं हैं। जिन परिस्थितियों में ये जीवन यापन कर रहे हैं उसे देखकर दया पैदा होती है। इस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री को सुझाव देती हूं कि वह "अपना मकान बनाओ" योजना को प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करें। दुर्भाग्य से यह योजना प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित नहीं की जाती है। उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत सरकार तथा मुख्य नियोक्ता बीड़ी कर्मकारों को अपना मकान बनाने के लिए आवश्यक धन उपलब्ध करायें। इस उद्देश्य के लिए जो ऋण वे बैंकों से लेते हैं उस में से कुछ आर्थिक सहायता कर्मकारों दी जानी चाहिए। बीड़ी कर्मकारों के बच्चों को पढ़ाई जारी रखने में सहायता के तौर पर वजीफा तथा पोषण जैसी अन्य सुविधाएं दी जानी चाहिए।

सभापति महोदय, बीड़ी उद्योग को कुटीर उद्योग माना जाए। सरकार द्वारा घरेलू कुटीर उद्योग को दी जाने वाली वित्तीय सहायता बीड़ी उद्योग को भी दी जानी चाहिए।

महोदय, बीड़ी कर्मकार कल्याण कोष, 1978 के नियम 40 (2) के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत नगर पालिका तथा जिला बोर्ड को आदेश दिए गए थे कि वे एक रजिस्टर रखें जिसमें वे बीड़ी उद्योग का नाम इसके स्वामी का नाम, उसके द्वारा नियुक्त किए गए कर्मकारों की संख्या लिखें। इस स्वायत्तशासी निकायों द्वारा कल्याण कोष को जारी किए गए प्रमाणपत्र के आधार पर बीड़ी कर्मकारों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। किंतु इन नियमों को सभी स्थानों पर सख्ती से लागू नहीं किया जाता है अत: बीड़ी कर्मकार संकट में हैं।

सभापति महोदय, कपड़ा तथा हथकरघा कर्मकारों की अपनी सहकारी समितियां हैं। उन्हें इन समितियों से बहुत लाभ मिलता है। बीड़ी कर्मकारों को भी सहकारिता क्षेत्र में लाया जाना चाहिए। कुछ स्थानों पर ऐसी समितियां बनाने के प्रयास किए गए हैं किंतु इस सहकारिता आन्दोलन की अभी जड़ें मजबूत नहीं हुई हैं। इन कर्मकारों के लिए सहकारी समितियां बनाने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिएं और उन्हें इन संगठनों द्वारा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 1982 में पाणिकर समिति ने कहा था कि लगभग 5 लाख कर्मकारों को सहकारिता के अन्तर्गत लाया जा सकता है। मैं आशा करता हूं कि सरकार प्रतिवेदन की जांच करेगी और इन बीड़ी कर्मकारों की सहायता के लिए सभी संभव कदम उठाएगी।

अन्त में मैं बीड़ी उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए कुछ कहना चाहूंगी। सभी उद्योगों का आधुनिकीकरण हो रहा है। बीड़ी उद्योग एक छोटा उद्योग है और यदि हम इस उद्योग का आधुनिकीकरण करें तो हमें इसके लिए अधिक खर्च नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इस उद्योग के कार्यान्वयन में बहुत कम लागत आएगी। जब हम लगभग सभी उद्योगों के लिए आधुनिकीकरण कार्यक्रम चला रहे हैं तो हम

बीड़ी उद्योग का आधुनिकीकरण क्यों नहीं कर सकते ? आधुनिकीकृत बीड़ी उद्योग से शायद कृषि और कपड़ा उद्योग के बाद जनता को सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध होगा।

महोदय, मैं फिर एक बार माननीय मंत्री जी से बीड़ी कर्मकारों के कल्याण के लिए एक व्यापक विधेयक लाने का अनुरोध करती हूं। इसके साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस संशोधनकारी विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। पहले ही हम इस मुद्दे पर पांच घंटे से अधिक समय तक विचार-विमर्श कर चुके हैं।

मैं इस विधेयक को पेश करने वाले, श्री साहा को धन्यवाद देता हूं। इस विधेयक से इस सभा को पूरे देश के लाखों बीड़ी कर्मकारों की दु:खद स्थिति पर चर्चा करने का अवसर मिला है।

महोदय, इस विधेयक के प्रशंसनीय लक्ष्य का समर्थन करते हुए मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करता हूं कि वह बीड़ी कर्मकारों की दु:खद स्थिति को समझें और सदन के सामने एक व्यापक विधेयक लाएं। हमारे देश में प्रगतिशील श्रम नियमों का अभाव नहीं है किंतु जिस बात का अभाव है वह है इन नियमों का कार्यान्वयन। बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 पहले से ही है, और इस समय हम इस अधिनियम के संशोधन पर चर्चा कर रहे हैं। वर्ष 1966 के इस अधिनियम के उपबन्ध विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न राज्यों में उचित रूप में लागू नहीं हो रहे हैं, अत: जो भला सामान्यत: बीड़ी कर्मकारों को मिलने चाहिएं उन्हें नहीं मिल रहे हैं। इसके विपरीत कुछ राज्यों में इनकी हालत और भी बिगड़ रही है। यह प्राथमिक उद्योग है और वास्तव में इसे कुटीर उद्योग कहा जा सकता है जिसमें एक परिवार के माता, पिता और बच्चे बीड़ी बनाने के काम में लगे होते हैं और पूरे परिवार को 10 या 12 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी दी जाती है। कई राज्यों में इस छोटे उद्योग में कोई न्यूनतम मजदूरी नियत नहीं की गई है। प्रति बीड़ी के अनुसार उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है अर्थात 100 बीड़ियों का निर्माण करने के लिए उन्हें अल्प राशि मिलती है और इस तरह से एक मजदूर मुश्किल से एक दिन में 5 या 6 रुपए प्राप्त करता है। इन दिनों एक मजदूर के लिए इस अल्प मजदूरी से अपने परिवार को चलाना बहुत कठिन होता है। फिर, इस उद्योग में एक मजदूर के पास काम करने का कोई नियत समय नहीं है, अर्थात सात या आठ घंटे जैसाकि अन्य उद्योगों में होता है। बीड़ी कार्य में लगे मजदूर को 12 घंटे या इससे अधिक समय तक काम करना होता है जिसके लिए उन्हें 10 या 12 रुपए की अल्प राशि मिलती है। उनमें बीमारियां होने की संभावना होती है। हम सभी जानते हैं कि तम्बाकू को केन्दू के पत्तों या बीड़ी के पत्तों पर रखा जाता है और वे उसे उसमें लपेटते हैं। अत: हर समय वे तम्बाकू को सूंघते हैं या इसे सांस द्वारा अन्दर लेते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकर है। इससे इन्हें छाती की बीमारी और क्षय, दमा आदि जैसी अन्य बीमारियां हो जाती हैं। अत: हमें इनके मामलों पर सहानुभूति के साथ, मानवीय दृष्टिकोण के साथ विचार करना चाहिए और यह देखने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए कि उनके कार्य करने की दशा में सुधार हो तथा उन्हें उचित मजदूरी मिले।

[श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही]

दूसरी बात यह है कि उनके नियोजकों द्वारा उनका शोषण किया जाता है। मैं इस सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि कुछ राज्यों में अन्य बातों के साथ केन्दू पत्ता मजदूरों के शोषण को रोकने के लिए केन्दू पत्ता व्यवसाय के राष्ट्रीयकृत किया गया है। इसी तरह सरकार 'बीड़ी' बनाने वाले व्यवसाय का भी राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं कर सकती ? यदि इसका अभी राष्ट्रीयकरण करना सम्भव नहीं है तो कम से कम इसे सहकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत लाया जा सकता है महोदय, मैं इस सम्बन्ध में यह बताना चाहता हूं कि कमजोर और गरीब लोगों के लिए गरीबी मिटाओं योजनाएं है। 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत बहुत सी योजनाएं हैं। इन लोगों को 20 सूत्री कार्यक्रमों का गरीबी मिटाओ कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाने के लिए कुछ ईमानदारी और इच्छा चाहिए ताकि इन्हें बैंक ऋण आदि सहायता दी जा सके। यदि इन्हें ये सुविधाएं दी जाएं और केन्दू पत्तों की व्यवस्था की जाए तो वे बीड़ी बना सकते है और सहकारी दुकानों के माध्यम से उन्हें बेच सकते हैं और उनके वर्तमान नियोजकों के शोषण से उन्हें बचाया जा सकेगा। यदि इन गरीब और असहाय लोगों को प्रोत्साहन दिया जाता है तथा उन्हें सहकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत लाया जाता है जैसा कि कपड़ा क्षेत्र के मामले में किया गया है कुछ कुटीर उद्योगों में, हथकरघा क्षेत्र आदि में किया गया है तो उनके जीवन स्तर में निश्चितरूप में सुधार आएगा। सरकार को बीड़ी मजदूरों के लिए उसी प्रकार से एक समान न्यूनतम मजदूरी नियत करनी चाहिए जैसी कि अन्य मजदूरों के मामले में है। कुछ समय पहले प्रधानमन्त्री जी को एक ज्ञापन दिया गया था और त्रिपक्षीय बैठक में उस ज्ञापन पर चर्चा तथा उसकी पूरी जांच की गई थी। परन्तु यह उस समय कुछ कारणों से व्यावहारिक नहीं पाया गया था। निस्संदेह क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी को निर्धारित करने पर समझौता हुआ था। मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है। क्या वह क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है या नहीं और यदि हां, तो क्या विभिन्न राज्यों में उसका पालन किया जा रहा है। जहां तक मेरी जानकारी है, विभिन्न राज्यों में कोई न्यूनतम मजदूरी नहीं दी गई है।

मजदूरों को केन्दू पत्ते और तम्बाकू दी जाती है, वे इनको अपने घरों में ले जाते हैं, वे बीड़ी तैयार करते हैं, वे गंदी जगह पर अपने घरों या अपनी फैक्ट्री में बीड़ी बनाते हैं। ठेकेदार या मुंशी द्वारा शरारत किए जाने के कारण कभी-कभी बीड़ियों की कमी के कारण उन्हें दण्ड भी दिया जाता है। जिसके परिणामस्वरूप ये गरीब लोग कठिनाई उठाते हैं। अतः इन लोगों के कार्य करने की दशाओं का व्यापक अध्ययन किया जाना चाहिए और बीड़ी तथा सिगार कर्मकार अधिनियम, 1966 में व्याप्त सभी कमियों को समुचित रूप में दूर किया जाना चाहिए।

ये सभी मजदूर गरीबी रेखा से नीचे हैं। वे जीविका स्तर से नीचे हैं। वे सभी लोग गरीबी में सड़ रहे है अस्वच्छ स्थिति में बहुत मेहनत करते है। इसलिए उन्हें सभी प्रकार की बीमारियां होती हैं। उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कुछ व्यवस्था की गई है परन्तु ये पर्याप्त नहीं हैं। बीड़ी मजदूरों के लिए औषधालयों की व्यवस्था को विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया जाना चाहिए। ई०एस०आई० अस्पतालों की केन्द्रीय स्थानों पर स्थापना की जानी चाहिए जहां की बीड़ी मजदूर अधिकाधिक संख्या में रहते हों।

इन मजदूरों के बच्चे, जिन्हें सामान्य रूप से स्कूलों में होना चाहिए, गरीबी के कारण बीड़ी

लपेटने के कार्य में लगे हुए हैं। अतः उनके लाभ के लिए बहुत सी योजनाएं हैं और हमें यह देखना तथा सुनिश्चित करना चाहिए कि ये बच्चे उचित शिक्षा प्राप्त करें तथा उनकी उपेक्षा न की जाए। यदि उन्हें उचित शिक्षा मिलती है तो वे विश्व को जान पाएंगे तथा अन्ततः इससे उनकी स्थिति में सुधार आएगा और काफी हद तक विभिन्न समस्याओं का भी समाधान करेगा।

इसके बाद इन लोगों के लिए पीने के पानी की समस्या है। बीड़ी निर्माताओं, बीड़ी व्यापारियों द्वारा कुछ जिम्मेदारियों को पूरा किया जाना चाहिए परन्तु वे उनको पूरा नहीं कर रहे हैं। वे मुंशी और ठेकेदारों के नाम पर अपनी जिम्मेदारियों से जी चुराते हैं। इसलिए ध्यानपूर्वक इनका अध्ययन किया जाना चाहिए। और उन लोगों को दयनीय परिस्थितियों से बचाने तथा उनकी स्थिति को सुधारने के लिए सरकार को एक व्यापक विधेयक लाना चाहिए।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं। आजकल विभिन्न गरीबी मिटाओ कार्यक्रमों के अन्तर्गत, जिन्हें इन लोगों, दलित लोगों के लाभ के लिए लागू किया जा रहा है, गरीब लोगों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए बहुत से अवसर खुले हुए हैं। हम इन लोगों को 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत क्यों नहीं लाते हैं। हमें इन लोगों को सहकारी संस्थाओं के अधीन भी लाना चाहिए। ये बीड़ी मजदूर सहकारी संस्थाएं बना सकते हैं और तम्बाकू, केन्दू पत्ता, आदि की सप्लाई करने जैसी सुविधाएं उन्हें देकरके बीड़ी निर्माण का कार्य उन्हें सौपा जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री काली प्रसाद पांडेय (गोपालगंज) : सभापति महोदय, जो संशोधन विधेयक हमारे मित्र श्री साहा जी ने प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

4.24 म०प०

[श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए]

इसी सदन में जब श्री संगमा साहब एक शिशु संशोधन विधेयक लाये थे तो उस समय सारे मजदूरों की भावना को अनेकों माननीय सदस्यों ने इस सदन में रखा था। सवाल यह है कि बीड़ी उद्योग में लगे मजदूरों के मासूम बच्चे दो रोटी के लिए मोहताज होकर बीड़ी उद्योग में लगते हैं। अभी हमारे साथी ने अपनी बात चर्चा के दौरान कही कि बीड़ी उद्योग की एक ऐसी ज्वलन्त परिभाषा मानस पटल पर छाती है कि जो मासूम बच्चा कभी देश का भविष्य हो सकता है, वह इसमें आकर अनेकों बीमारियों से त्रस्त हो जाता है। ऐसी आपने कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहीं की है कि जो मासूम बच्चा सिर्फ दो रोटियों के लिए बीड़ी उद्योग में लगता है, उसके कल्याण के बारे में भी सोचा जाए। ऐसी सुनिश्चित व्यवस्था न होने की वजह से वह जवानी में काफी बीमारियों का शिकार बन जाता है।

आज बीड़ी उद्योग में लगे बाल मजदूरों और औरतों का भविष्य बहुत ही अंधकारमय है। आपने उनके लिए आज तक कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहीं की है। इसके लिए मेरा एक सुझाव यह है

[श्री काली प्रसाद पांडेय]

कि जहां पर भी बीड़ी उद्योग में मजदूर लगे हों, उनके कल्याण के लिए श्रम न्यायालय की व्यवस्था की जाये ताकि वह वहां पर अपने अधिकारों की मांग कर सकें। ऐसी व्यवस्था होने से उनके अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे और कम खर्च में न्याय भी पा सकेंगे।

आज हर बाल मजदूर दो रोटी पाने के लिए ही बीड़ी उद्योग में लगता है। लेकिन बीड़ी के मसाले से अनेकों बीमारियों का शिकार हो जाता है। अतः उनकी चिकित्सा की भी व्यवस्था करना आवश्यक है।

हिन्दुस्तान के इस आजाद मुल्क में इन बाल मजदूरों की ऐसी हालत देखकर बहुत पीड़ा होती है। जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ था तो हमने सोचा था कि अगर बाल मजदूर या औरतें मजदूरी करेंगी तो उन्हें न्याय अवश्य मिलेगा। लेकिन ऐसा न होते देख कर बहुत दुख होता है।

आज बिहार में बीड़ी उद्योग में लगे मजदूरों की हालत यह है कि वह एक बन्धुआ मजदूरों की तरह से काम करते हैं। आज वहां मासूम बच्चों को इस शर्त पर काम पर लगाया जाता है कि अगर तुम इतने बीड़ी के पत्ते तोड़ कर लाओगे और इतनी बीड़ी बनाओगे तभी तुम्हें काम पर लगाया जाएगा। राज्य सरकार ने कभी भी इन बीड़ी मजदूरों की हालत जानने की कोशिश नहीं की।

बहुत से राज्यों में न्यूनतम मजदूरी लागू है। लेकिन अगर आप इसका सर्वेक्षण करवायें तो आपको यह मालूम होगा कि यह व्यवस्था केवल कागज के पन्नों तक ही सीमित है।

हमारे साथी श्री साहा जी प्राइवेट बिल के माध्यम से जो संशोधन विधेयक लाए हैं। वह एक स्वागत योग्य है। अगर आप निश्चित रूप से चाहते हैं कि मजदूरों का हित हो तो इस बारे में जल्द ही एक व्यापक बिल लाया जाए और उस पर विस्तृत चर्चा करने का मौका मिले। ऐसा करने से ही इन बीड़ी उद्योग में लगे मजदूरों का भला हो सकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, साहा जी ने जो बीड़ी और सिगार वर्कर्स अमेंडमेंड बिल रखा है, हालांकि इसके फंक्ट्स समर्थन करने लायक हैं, मगर व्यापक बिल नहीं लाया गया है इसलिए समर्थन नहीं किया जा सकता।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री व्यास, मुझे बताया गया है कि आपने इस विषय पर पहले ही अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं। मुझे खेद है कि आप भाषण जारी नहीं रख सकते हैं। अब मन्त्री जी उत्तर देंगे।

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : महोदय, मैं श्री साहा जी का आभारी हूं जो इस गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक को इस कारण से लाए हैं कि इससे पूरे देश के बीड़ी मजदूरों की समस्या पर चर्चा करने के लिए सदन को अवसर दिया है। मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने बहुत सी समस्याएं बताई हैं और मैं सदन को आश्वासन दे सकता हूं और माननीय सदस्यों द्वारा बताए गए सभी मुद्दों को नोट कर लिया गया है और हम देखेंगे कि उनके बारे में क्या किया जा सकता है।

पूरे देश में लगभग 32.75 लाख बीड़ी मजदूर हैं जो मुख्य रूप से 12 राज्यों में फैले हुए हैं। यह सच है कि बीड़ी मजदूर असंगठित क्षेत्र में हैं। इसलिए इन बीड़ी मजदूरों को कुछ राहत देने के लिए भारत सरकार ने 1966 में बीड़ी और सिगार कर्मकार (रोजगार और सेवा शर्तें) विधेयक नामक कानून बनाया था जिसमें उनके कार्य में सुधार तथा इससे संबंधित उपायों को करने की व्यवस्था है। परन्तु राज्य सरकारों द्वारा इस अधिनियम को कार्यान्वित किया जाना है और ऐसी बहुत सी शिकायतें थीं कि इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित या प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा रहा था। इस सदन में भी पिछली लोक सभा में कई माननीय सदस्यों ने बीड़ी मजदूरों की समस्याओं के बारे में चर्चा की थी और इसलिए भारत सरकार ने 1987 में अर्थात् उस वर्ष 21 जनवरी को एक त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन किया था जिसमें इन बीड़ी मजदूरों की समस्याओं पर विचार किया गया था। इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के कार्यान्वयन पर नजर रखने के इस त्रिपक्षीय समिति ने एक स्थायी समिति को गठित करने का निर्णय किया। और स्थायी समिति ने कई बैठकें—2 फरवरी, 1982, 2 दिसम्बर, 1982, 27 सितम्बर, 1984 और अन्तिम बैठक इस वर्ष 3 जनवरी को की। इस स्थायी समिति की एक यह सिफारिश थी कि मौजूदा कानून में कुछ कमियां हैं और इसलिए इन कमियों को दूर करने के लिए कुछ संशोधन लाए जाने चाहिए। हमने उन प्रस्तावों की जांच की है और हमें श्रम मन्त्रालय में इस बात से आश्वस्त है कि इस अधिनियम में एक संशोधन होना चाहिए। हम इस विधेयक में संशोधनों के लिए एक प्रस्ताव लायेंगे।

ऐसे विभिन्न मामले है जिन पर हमें संशोधनों की आवश्यकता है, उदाहरण के लिए हमें 'कर्मचारी' की परिभाषा का विस्तार करना होगा, ताकि गादामों और अन्य जगहों पर काम करने वाले लोगों को भी इसमें शामिल किया जा सके। हमें निरीक्षकों की शक्तियों को बढाना होगा। हमें केन्द्रीय सरकार के निरीक्षकों की सहायता लेनी होगी और इस लिए हमें राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को निरीक्षक के रूप में अधिसूचित करने की शक्ति प्रदान करनी होगी। ये मजदूर छुट्टी के हकदार नहीं हैं। कानूनी रूप से भी वे 15 अगस्त और 26 जनवरी की छुट्टियों के भी हकदार नहीं हैं जो कि राष्ट्रीय छुट्टियां होती हैं। इन सभी बातों की जांच करनी होगी और हम इसकी जांच कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि यदि इस सत्र के दौरान नहीं तो संसद के अगले सत्र में हम इस अधिनियम में संशोधन ला सकेंगे।

बीड़ी मजदूरों की स्थिति को समझने के लिए यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि काम परिवारों द्वारा घरों में किया जाता है। इसलिए कभी-कभी नियोक्ता और कर्मचारी के बीच सम्बन्ध स्थापित करना मुश्किल हो जाता है। मैंने नियोक्ताओं की एक बैठक बुलाई थी और उसमें उन्होंने स्वयं स्वीकार

[श्री पी० ए० संगमा]

किया कि उन्हें नहीं मालूम कि नियोक्ता कौन हैं। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी कठिनाई होती है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पता लगाया जाए कि कौन बीडी मजदूर है और उसके बाद उनका नियोक्ता के साथ सम्बन्ध स्थापित किया जाना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए जब जनवरी में मैंने पदभार सम्भाला तो मैंने अपने कल्याण आयुक्तों को निर्देश दिया और राज्य सरकारों और मजदूर संघ के नेताओं से अनुरोध किया कि वे बीड़ी मजदूरों का पता लगाने में हमारी सहायता करें। मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी है कि 32.75 लाख बीड़ी मजदूरों में से पिछले माह के अन्त तक हम 20 लाख मजदूरों का पता लगाने में सफल हो गए हैं और उन्हें पहचान पत्र जारी कर दिए गए हैं।

इससे बीड़ी मजदूरों की सहायता करने में मदद मिलेगी। कानून के अन्य उपबन्ध उन पर लागू नहीं होते, क्योंकि उनका पता ही नहीं है। इसलिए मैं पहचान पत्रों और पता लगाने तथा सम्बन्ध स्थापित करने पर जोर दे रहा हूं।

अब अधिनियम के अन्तर्गत बीड़ी मजदूर कल्याण निधि भी है और हम कल्याण कार्य करने का प्रयास करते हैं। मैं उनका विस्तार से वर्णन नहीं करूंगा। हम उन्हें चिकित्सा सुविधाएं देते हैं। इस समय देश भर में 113 स्थायी एवं चलते-फिरते औषधालय हैं। इनमें से नौ आन्ध्र प्रदेश में, ग्यारह बिहार में, पांच गुजरात में, पन्द्रह कर्नाटक में, सात केरल में, ग्यारह मध्य प्रदेश में, छः महाराष्ट्र में, ग्यारह उड़ीसा में, दस राजस्थान में, नौ तमिलनाडु में और आठ उत्तर प्रदेश में और नौ पश्चिम बंगाल में हैं। कर्नाटक में 10 बिस्तर वाला एक अस्पताल और पश्चिम बंगाल में एक 'चेस्ट क्लिनिक' भी है। मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी है कि समूचे देश में 18 और स्थायी एवं चलते फिरते औषधालयों की स्थापना की जाएगी। इसके लिए स्वीकृति पत्र जारी किया जा चुका है और इनमें से एक औषधालय असम में, एक कर्नाटक में, पांच मध्य प्रदेश में, सात महाराष्ट्र में, दो उड़ीसा में एक तमिलनाडु में और एक पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जाएगा।

डा० चिन्ता मोहन (तिरुपति) : और आन्ध्र प्रदेश में ?

श्री पी० ए० संगमा : आन्ध्र प्रदेश में इस समय मेरे पास जो सूची है, उसमें इसका उल्लेख नहीं है। (व्यवधान) आन्ध्र प्रदेश में पहले से ही नौ हैं। आप अपने सुझाव दे सकते हैं। मैं हमेशा उनकी जांच कर सकता हूं। पर, मेरे विचार से आमतौर पर राज्य सरकार और कल्याण आयुक्त प्रस्तावों को रखते हैं और हम तदनुसार कार्यवाही करते हैं। पर इसकी स्वीकृति तो उन्होंने 1985-86 में दी है। हमें अभी मंजूरी देनी है।

डा० चिन्ता मोहन : और केरल में ? (व्यवधान)

श्री पी० ए० संगमा : निस्सन्देह यह मैं कर सकता हूं। केरल में पहले ही सात हैं। मैं इस बारे में बता ही चुका हूं। कुछ कार्यों का मैं विस्तार से उल्लेख करना नहीं चाहता। उदाहरण के लिए,

हम बीड़ी मजदूरों के बच्चों की भी देखभाल करते हैं। हम उन्हें चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी प्रयास करते हैं।

श्री बाला साहेब विखे पाटिल (कोपरगांव) : ऐसा कुछ नहीं है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 15,000 मजदूर हैं और बच्चों की कोई देखभाल नहीं की जाती।

श्री० पी० ए० संगमा : कौन सी जगह ?

श्री बाला साहेब विखे पाटिल : अहमद नगर और नासिक जिलों में। बच्चों को कुछ नहीं मिलता। यहां तक कि वहां औषधालय सुविधाएं भी नहीं हैं।

श्री पी० ए० संगमा : ठीक है, मैं यह दावा नहीं करता कि ये औषधालय और अस्पताल ठीक से काम कर रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा कि वे वहां हैं। मैं यह प्रमाणित नहीं करूंगा कि वे अच्छी तरह चल रहे हैं, क्योंकि मैंने वहां जाकर नहीं देखा है। सब सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे हैं। हम तो उन्हें केवल पैसा देते हैं। उन्हें चलाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हम तो उन्हें केवल पैसा देते हैं।

डा० चिन्ता मोहन : आपको जिम्मेवारी स्वीकार करनी चाहिए।

श्री पी० ए० संगमा : हैदराबाद में हमने बहुत कुछ नहीं किया होगा। जहां तक शिक्षा सुविधाओं का सम्बन्ध है, फाइल में दी गई जानकारी के अनुसार, 1984- 5 में 51.5 लाख रुपये खर्च किए गए। बीड़ी कामगारों के बच्चों को वजीफे देने पर ही हमने 51.5 लाख रुपये खर्च किए। 1985-86 में 16.7 लाख रुपये खर्च किए गए। (व्यवधान)

श्री बाला साहेब विखे पाटिल : कृपया उनकी दोबारा जांच करिए। आपको पता चलेगा कि ऐसा कुछ नहीं है।

श्री पी० ए० संगमा : मैं निश्चिय ही उन स्थानों का दौरा करूंगा। मैंने पश्चिम बंगाल का दौरा किया है मैंने कर्नाटक के श्रम मन्त्री के साथ कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों का भी दौरा किया है। मैं महाराष्ट्र नहीं जा सका। आप जानते हैं कि मैं वहां कितने महीने रहा हूं। तो मैं इन राज्यों का दौरा कर चुका हूं। मैं यह जरूर करूंगा और यथा सम्भव अधिक स्थानों पर जाने की कोशिश करूंगा। ये कुछ मुद्दे हैं जिनका मैं उल्लेख करना चाहता हूं और मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह इस विधेयक को वापिस ले लें, क्योंकि मैंने खुद कहा है कि हम स्वयं विधेयक में एक व्यापक संशोधन ला रहे हैं।

श्री अजित कुमार साहा (विष्णुपुर) : नये व्यापक विधेयक के बारे में क्या विचार है ?

श्री पी० ए० संगमा : नया विधेयक नहीं ? मैं मौजूदा अधिनियम में संशोधन ला रहा हूं।

*श्री अजित कुमार साहा (विष्णुपुर) : सभापति महोदय, माननीय मन्त्री ने अभी-अभी कहा है कि संसद के आगामी शरद सत्र में वह इस सम्बन्ध में एक व्यापक संशोधन विधेयक लाएंगे। इसको मद्देनजर रखकर मैं अपना विधेयक वापिस ले रहा हूं। मैं सदन के दोनों पक्षों के उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरे विधेयक को समर्थन दिया है। जिस उद्देश्य से मैंने बीड़ी और सिगार कर्मकार नियोजन की शर्तें संशोधन विधेयक को इस सदन के समक्ष पेश किया था वह काफी हद तक पूरा हो गया है, क्योंकि इस विधेयक पर बोलने वाले सभी माननीय सदयों ने यह बात स्वीकार की है कि हमारे देश के 40 लाख बीड़ी कामगार और उनके परिवार बहुत दयनीय स्थिति में गुजर-बसर कर रहे हैं। यहां तक कि उनके नाम तक वास्तविक नियोक्ता के यहां पंजीकृत नहीं होते। व्यावहारिक तौर पर सभी माननीय सदस्यों ने इस बात को स्वीकार किया है। मुझे माननीय सदस्य के इस कथन से खुशी है कि वह समस्याओं पर विचार कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने 20 लाख कामगारों को पहचान पत्र जारी कर दिए हैं। आशा है कि शेष बीड़ी मजदूरों को भी यथा सम्भव शीघ्र पहचान पत्र जारी कर दिए जाएंगे। जिन हालात और माहौल में उन्हें काम करना पड़ता है उससे वे दमा, राजयक्ष्मा आदि जैसे भयानक रोगों के आसानी से शिकार हो जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इनके इलाज के लिए कुछ अस्पताल और औषधालय खुले हुए हैं, पर उनकी संख्या काफी नहीं है। देश में असंख्य बीड़ी मजदूरों के इलाज तथा उपयुक्त चिकित्सीय देखभाल के लिए ऐसे और अस्पताल और औषधालय खोले जाने चाहिए। संगठित क्षेत्र में औद्योगिक कामगारों को रोजगार सुरक्षा, उपदान, भविष्य निधि, न्यूनतम मजदूरी, अवकाश, आदि के जो लाभ और सुविधाएं मिलती हैं वे बीड़ी कामगारों को भी मिलनी चाहिए। माननीय मन्त्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि इन गरीब कामगारों को 26 जनवरी अर्थात् गणतन्त्र दिवस पर भी एक दिन की छुट्टी नहीं मिलती। उन्हें भी ये लाभ उपलब्ध कराने के लिए यथासम्भव शीघ्र उपयुक्त उपाय किए जाने चाहिए। इन मसलों पर मजदूर संघ के नेताओं के साथ विस्तार से विचार-विमर्श हुआ है। आशा है कि सरकार उनके द्वारा दिए गए सुझावों और इस सदन के दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों को स्वीकार करेगी और उन्हें उस व्यापक संशोधन विधेयक में शामिल किया जाएगा जिसे संसद के इस शरदकालीन सत्र में लाने का आश्वासन माननीय मन्त्री ने दिया है।

महोदय, इस आशा के साथ मैं अपना विधेयक वापिस लेता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने के लिए अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

*मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अजित कुमार साहा : मैं विधेयक वापस लेता हूं।

सभापति महोदय : अब हम अगली मद को लेते हैं।

4.43 म० प०

उत्पादकों तथा कर्मकारों की सहकारी समितियों के लिए कृषि पर आधारित आरक्षित उद्योग विधेयक

[अनुवाद]

श्री बाला साहेब विखे पाटिल (कोपरगांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि उत्पादकों तथा कर्मकारों की सहकारी समितियों के लिए कृषि पर आधारित उद्योगों के आरक्षण हेतु उपबन्ध करने तथा ऐसी सहकारी समितियों को कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना करने के प्रयोजनार्थ वित्तीय सहायता देने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[हिन्दी]

आपने मुझे मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। हम सब लोग किसानों के लिए काफी बहस करते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चिंतित रहते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों के खेतिहर मजदूरों के लिए चाहे वे हरिजन हों या आदिवासी हों, छोटे या मध्यम किसान हों, उनके लिए काफी योजनाएं चलाते हैं लेकिन 35 साल का हमारा अनुभव यह रहा है कि इसमें हम काफी कामयाब नहीं हुए। हमारा कृषि उत्पादन तो बढ़ गया है लेकिन जो छोटे और अति छोटे किसान हैं उनका कितना उत्पादन बढ़ा है। हमारे यहां जो सूखी खेती होती है, उसमें कितना उत्पादन बढ़ा है और जहां पर पानी है वहां पर कितना उत्पादन बढ़ा है। जब हम इसके आंकड़ों को देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि अभी हमें काफी काम करना बाकी है।

मैं समझता हूं कि यह सारा काम सरकार के करने से ही नहीं होगा! जवाहरलाल जी कहते थे—पीपुल्स पार्टिसिपेशन इज ए मस्ट इन द प्लानिंग प्रोसेस एण्ड इम्पलीमेन्टेशन।

श्रीमान् मैं कहना चाहूंगा कि यह जो प्लानिंग प्रोसेस होता है, उसके जो अमल का काम होता है उसमें पीपुल्स पार्टिसिपेशन कम होता है। हम सहकारी आन्दोलन के माध्यम से छोटे-छोटे किसानों,

[श्री बाला साहिब विखे पाटिल]

शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को साथ लेकर आगे जा सकते हैं। अभी भी हमारे देश के 70 प्रतिशत लोग कृषि के ऊपर निर्भर करते हैं। हमारे यहां जो सिंचित भूमि है उसकी एक मर्यादा है। आजकल हम देखते हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीण लोग शहरों में जाते हैं और वहां फुटपाथ पर सोते हैं। उनमें अधिकतर हरिजन और आदिवासी होते हैं। तेलंगाना, महाराष्ट्र और राजस्थान के लोग बड़े-बड़े शहरों में जाते हैं। वहां उनको कोई सुविधा नहीं मिलती है।

हमारा जो एम० जी० पी० है उसमें मोर देन 55 परसेंट एग्रीकल्चर से आता है। एग्रीकल्चर में डेयरी, पोलट्री, हार्टिकल्चर भी आ जाते है। यह जो मैं बिल लाया हूं यह कोई लम्बा चौड़ा बिल नहीं है। हमारे देश में अलग-अलग राज्यों में अलग कोआप्रेटिव आन्दोलन है। महाराष्ट्र में अलग है, गुजरात में अलग है, हरियाणा में अलग है, पंजाब में अलग है, यू० पी० और बिहार में अलग-अलग है। यू० पी० के लोग तो सहकारी समिति को 'स्वाहा' समिति बोलते है। वे लोग सहकारी आन्दोलन में विश्वास नहीं करते। गुजरात और महाराष्ट्र में जो सहकारी आन्दोलन है उनमें खेती करने वाले खुद मेम्बर हैं। खुद ही वे व्यवस्था करते हैं। लेकिन देश में कई जगह मैंने देखा है कि ब्योरोक्रेट लोग, कलेक्टर, कमिश्नर सहकारी समितियों में टोप पर काम करते हैं और वे लोग सहकारी समितियों के चुनाव तक नहीं होने देते। उन सहकारी समितियों में हमेशा नोमिनेशन होता है। आंध्र और कर्नाटक में शुगर फैक्ट्रियों को मैंने देखा है। किसान गन्ना बोने वाला है लेकिन उसका चीनी मिल से कोई सम्बन्ध नहीं है। वह मेम्बर तो है लेकिन मिल को चलाने में, मार्किटिंग करने में उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। एडवायजरी कमेटी बन जाती है लेकिन कोई एम० एल० ए० या राजनीति चलाने वाले लोग उसमें आ जाते हैं। इसी के कारण सहकारी आंदोलन को नुकसान पहुंच रहा है।

हमारी जो मार्किटिंग फेडरेशन है इसके बारे में काफी बातें हो चुकी हैं। इसमें मैं जाना नहीं चाहूंगा। यह जो फूड कैनिंग होता है, फूड प्रोसेसिंग होता है, चाय का होता है, काफी का होता है, ये सभी हम सहकारी आन्दोलन के माध्यम से चलाना चाहते हैं। अभी हमारे महाराष्ट्र और गुजरात में यह चल रहा है।

किसान उत्पादन करने वाला भी है और उपभोक्ता भी है। किसान और मजदूर तभी आगे आयेगा जबकि वह कोआप्रेटिव्ज बनायेगा। इसी से अच्छा काम चलेगा। हमारे देश के अन्दर अभी भी पुरानी नीति चल रही है। शुगर इंडस्ट्रीज तो गांवों में लगती है लेकिन उनके दफ्तर शहरों में होते हैं। फूड कैनिंग इण्डस्ट्री भी शहरों में लग रही हैं।

अभी एक चीनी पैदा हुई है। वह गेहूं और मक्का से पैदा की जाती है। उसमें चीनी नहीं है, ग्लूकोज है। उसको पैदा करने वाला भी किसान है। लेकिन उसकी कोई कोआप्रेटिव सोसायटी न होने से किसान का कोई योगदान नहीं मिल रहा है। कोई बड़ा उद्योगपति आएगा, मैं टेक्सटाइल इण्डस्ट्री का उदाहरण देना चाहूंगा, टेक्सटाइल यूनिट में किसान को पूरा दाम नहीं मिलता, मजदूर को पूरी मजदूरी नहीं मिलती और उपभोक्ता का शोषण होता है, तीनों क्लासेस का एक्सप्लाइटेशन होता है।

इसलिए मेरा यह आग्रह है और मैंने इसके लिए कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट भी दिया है कि कोआपरेटिव सेक्टर को रिकगनाइज करने की आवश्यकता है। सरकार कोआपरेटिव आंदोलन को मान्यता देती है, लेकिन जब कानून बनता है, कोई सर्कुलर निकलता है, कोई नोटीफिकेशन होता है तो पब्लिक अंडरटेकिंग; प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के अन्दर कोआपरेटिव सेक्टर को भी डाल देते हैं। संविधान में प्रावधान है, इसलिए मेरा निवेदन यह है कि इसको बिल्कुल अलग ढंग से एक नीति तैयार करके नया महत्व देने की जरूरत है। इसका यह परिणाम होगा जैसे महाराष्ट्र में कई स्पिनिंग मिल्स चल रही हैं, ये गांवों में हैं और वहां पर शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराती हैं, हैल्थ सर्विस उपलब्ध कराती हैं, उनके बच्चों की देखभाल करती हैं। शहरों में पब्लिक सेक्टर स्कूल खुलवाते हैं लेकिन वे हाईस्कूल और कालेज किसके लिए बनाते हैं, जो उनके यहां काम करने वाले सेवक हैं। सेंट्रल स्कूल सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने वाले लोगों के बच्चों के लिए हैं। कोआपरेटिव सोसायटीज वाले जो मकान बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, सर्विस उपलब्ध कराते हैं वह सबके लिए होती हैं, देहात में रहने वाले लोगों के लिए होती हैं चाहे वे उसके मेम्बर हों या न हों। अगर आप रूरल इण्डिया का एक नया हिन्दुस्तान बनाना चाहते हैं, महात्मा गांधी के स्वप्न को साकार करना चाहते हैं, गांवों में सैल्फ सेफिशेंसी लाना चाहते हैं, हिन्दुस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो गांवों को आगे बढ़ाना जरूरी है। मैं गांवों में रहता हूं और वहां पर हमने सैल्फ सेफिशेंसी लाने की कोशिश की है। यह काम सहकारी आंदोलन के माध्यम से हो सकता है, निजी उद्योग के माध्यम से नहीं हो सकता। निजी उद्योग में आई० एफ० सी० का बंटवारा देखिए, 64 परसेंट प्राइवेट सेक्टर, 24 परसेंट जाइंट सेक्टर, 13 परसेंट पब्लिक अंडरटेकिंग्स और 13 परसेंट कोआपरेटिव सेक्टर, यानी बिल्कुल कम से कम हिस्सा सहकारी आंदोलन के लिए दिया है। आप कहेंगे कि सरकारी आंदोलन वाले आगे नहीं आते, एन०सी० डी०सी० जो 1963 में बनाई गई, अभी तक उसने बंटवारा किया है, पैसा दिया है 8 0 करोड़ और सातवीं पंचवर्षीय योजना में 750 करोड़ रुपए धनराशि दी है। इसके अंतर्गत डेरी भी है, पोल्ट्री भी है, वेजीटेबल प्रोसेसिंग प्लांट भी हैं, आइल प्रासेसिंग प्लांट भी हैं, सोयाबीन प्लांटेशन भी है, अगर आप नई टेक्नालाजी गांवों में पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए यह राशि बहुत कम । क्या आप किसान को प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं, मजदूर को प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं, उसकी इकानमी को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, गरीब का उद्धार करना चाहते हैं, उसकी आर्थिक उन्नति करना चाहते हैं तो गरीब को साधन भी उपलब्ध कराने होंगे। क्या ये लोग भीख मांगेंगे या चपरासी या किसी और ने जो दे दिया वह ले लेंगे।

बीस सूत्री प्रोग्राम है, उसका भी एक तिहाई हिस्सा ऋण लेते समय करप्शन में चला जाता है, दो तिहाई मार्केटिंग में जाता है, इस तरह से लोगों का शोषण होता है। हमने मिक्स्ड इकानमी को अपनाया है, निजी व्यापार भी रहेगा, सरकारी भी रहेगा, लेकिन सरकारी व्यापार के साथ-साथ हमको सहकारी आंदोलन को भी बढ़ावा देना होगा, सिर्फ निजी व्यापार से काम नहीं चलेगा। कोआपरेटिव सेक्टर में सभी धर्म और वर्ग के लोग काम करते हैं, इससे नेशनल इंटेग्रिटी को भी बढ़ावा मिलता है। आज कितनी स्पिनिंग मिल्स हैं, मैं ज्यादा आंकड़े देकर आपका समय नहीं लूंगा। करीब 700 राइस मिल चल रही हैं कोआपरेटिव सेक्टर में, 80 दाल मिलें, आइल सीड की 115 प्रोसेसिंग यूनिट चल

[श्री बाला साहिब विखे पाटिल]

रही हैं, 200 स्पिनिंग मिल्स, चीनी मिलें 216 से अधिक, क्राप प्रोसेसिंग प्लांट्स 88, फूड एण्ड वेजीटेबल्स प्रोसेसिंग प्लांट 40 चल रहे हैं। कपास पैदा करने वालों को उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। क्यों न उसको पावरलूम और टैक्नोलाजी की मदद दी जाए और यह कह दिया जाए कि कपड़ा तैयार करके मार्किट में फैडरेशन के हिसाब से दे दो। इसके लिए गवर्नमेंट की भी पोलिटिकल विल चाहिए। सिर्फ बात करने से या भाषण देने से गरीबी जाने वाली नहीं है। शहरों के स्लम एरिया में जो झोंपड़-पट्टी है, वहां पर गरीब ज्यादा हैं। वैसे ही ज्यादा गरीब गांवों में भी हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि एम० पी० चुनकर आना गरीब की बात नहीं है। गरीब अपना मुंह खोलते हैं लेकिन उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। मैं उनको मुखी कहता हूं क्योंकि अगर वे कुछ भी बोलें तो उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। तीस लाख हैन्डलूम और आठ लाख डोमेस्टिक हैन्डलूम हैं। अगर किसान को हम ट्रेनिंग देंगे तो वह क्यों नहीं ज्यादा से ज्यादा आगे जा सकता है। अभी हमको 1990 तक तीस मिलियन स्वीटनिंग एजेन्ट लगाना है यानी 27 प्रतिशत के करीब। जेगरी और खाण्डसारी सहकारी आन्दोलन के माध्यम से क्यों नहीं हो सकता। मेरे कहने का मतलब यह है कि एन० सी० डी० सी० के पास देख लीजिए कि कितनी एप्लीकेशन्स पेंडिंग हैं। महाराष्ट्र की तीस एप्लीकेशन्स स्पीनिंग मिल्स की पड़ी हुई हैं, कहते हैं पैसा नहीं है। चीनी मिल और डेयरी की एप्लीकेशन्स पड़ी हुई हैं, कहते हैं पैसा नहीं हैं। मैं थोड़ा हिम्मत के साथ कहना चाहूंगा कि खाली बीस सूत्री कार्यक्रम से गांवों का विकास नहीं होगा और न गांवों के गरीबों का भला होगा और न देश को आगे ले जा सकेंगे। सैल्फ एम्पलायमेंट भी करना होगा। एक मिसाल भी देना चाहूंगा। एक चीनी मिल चल रही है उसमें बीस लाख छोटे-मोटे किसान और दूसरे लोग मैम्बर हैं। लैण्ड सीलिंग की बात सभी करते हैं लेकिन अरबन सीलिंग की बात कोई नहीं करता। अरबन सीलिंग में बिल्डर को कंसेशन दे देते हैं। यह कहा जाता है कि शहरों में आवास नहीं है, इसलिए मकान चाहिए। यह देखकर जरूर दुख होता है कि लैण्ड सीलिंग को हम मानते हैं, लैण्ड रिफार्म पर अमल होना भी हम जानते हैं लेकिन उसके साथ-साथ अरबन सीलिंग के बारे में भी हमें सोचना चाहिए, उसको भूलना नहीं चाहिए। अभी तक किसान के चीनी मिल के अन्दर चार सौ करोड़ इकट्ठे हुए हैं और पन्द्रह सौ करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। साढ़े तीन लाख चीनी मिल में मजदूर हैं। कोआपरेटिव मिल की बात नहीं कर रहा हूं, निजी चीनी मिल की बात नहीं कर रहा हूं। स्पीनिंग मिल में तीन लाख से ज्यादा काम करते हैं। दो-ढाई सौ करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। एन० सी० डी० सी० के काम से मैं संतुष्ट हूं। आई० एफ० सी० के बारे में हमारे मित्र ने जिक्र किया कि वह क्या करेंगे, यह सोचना चाहिए कि कोआपरेटिव को वेटेज दो या ना दो। स्माल स्केल इन्डस्ट्री की बात की जाती है। इसमें शहर में और गांवों में लाखों लोग लगे हुए हैं। कोआपरेटिव के अन्दर एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग का यूनिट लगाने के लिए लिमिट बढ़ानी चाहिए। उसकी कम से कम एक करोड़ की सीमा होनी चाहिए। तीस लाख या पचास लाख से कुछ नहीं बनता है। जो टैक्नोलाजी इम्पोर्ट करना चाहते हैं, वह बड़ी कास्टली है। यह हम मानते हैं कि इण्डस्ट्री में मार्डनाइजेशन होना चाहिए। वाटर पोल्यूशन की बात मिसाल के तौर पर कहना चाहूंगा। डिस्टीलरी के लिए डेढ़ करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है जबकि वाटर पोल्यूशन के लिए साढ़े पांच करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। इन्डस्ट्री की इन्वेस्टमेंट

कम और एनवायरनमेंटल वाटर पोल्यूशन के लिए सबसे ज्यादा। जब केपीटल इन्टेन्सिव मार्डन टैक्नोलाजी देहात में ले जाना चाहते हैं तो उसकी सीमा बढ़ानी चाहिए। हम लोग क्लास स्ट्रगल नहीं करना चाहते। अमीर और गरीब में अन्तर बढ़ रहा है। पहले मिडिल क्लास था, अब हायर मिडिल क्लास हो गया है। जब हायर मिडिल क्लास है तो हमारी आर्थिक नीति का परिणाम क्या हो रहा है। माननीय मंत्री जी तो पंजाब के जाने-माने किसान को भी अच्छी तरह से समझते हैं। किसान और जो खेती करने वाला मजदूर है, वह आरगेनाइज्ड नहीं है। जब सहकारिता आन्दोलन के साथ जुट जायेंगे तो दोनों ही वर्ग एक साथ काम करेंगे। मेरे ख्याल से हिन्दुस्तान में दूसरा रास्ता और नहीं हो सकता।

5.00 म० प०

एक्सपोर्ट के मामले में आप देखें उसमें जो कुछ एक्सपोर्ट होता है उसका कुछ न कुछ हिस्सा वापिस मिलता है या विदेशी मुद्रा मिलती है, लेकिन सहकारी उद्योग वालों को कुछ नहीं मिलता है। यह कैनालाइजिंग है, डी-कैनालाइजिंग आइटम नहीं है यह कहकर बहाना बना देते हैं। इस कारण सरकार की नीति कितनी भी अच्छी क्यों न हो, मंत्री जी या राज्य मंत्री जी कितनी भी हमसे हमदर्दी रखें, हमारे लिए कितने भी कष्ट उठायें, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं होता। इसलिए आप जब तक अफसरों के साथ बैठकर इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक कोई हल नहीं निकलेगा। आप स्पिनिंग मिल के बारे में देखें, लोग चिल्लाते हैं, आप करप्शन के खिलाफ हैं इसलिए आप इसमें अपनी नीति को थोड़ा कठोर बनायें तो सहकारिता में से खाने वाले लोग हट जायेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो एग्रो प्रोसेस इंडस्ट्रीज है यह बिल्कुल सहकारिता के लिए रिजर्व होनी चाहिए और इसमें निजी उद्योग के लिए कुछ नहीं होना चाहिए, इस पर बेन लगाना चाहिए। किसान और मजदूर साथ होंगे तो यह सहकारिता ठीक ढंग से काम कर पायेगी। इससे हिन्दुस्तान के देहात की परिभाषा बदल जायेगी, हिन्दुस्तान का नक्शा बदल जायेगा, हमारे गांव का बच्चा गांव में ही अच्छा आदमी बनेगा उसे शहरों में आने की और नेताओं को नमस्ते आदि करने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए आप हमें मेहरबानी करके एन० सी० डी० सी० का हवाला, रूल का हवाला या आंकड़े न दीजिए। हमारा अनुभव ही हमारे आंकड़े हैं इसको ध्यान में रखें। आप कैसे आगे बढ़ने वाले हैं हमें यह बतायें। इसके साथ ही मैं यह बिल रखता हूं और आग्रह करता हूं कि आप इसे स्वीकार करें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि उत्पादकों तथा कर्मकारों की सहकारी समितियों के लिये कृषि पर आधारित उद्योगों के आरक्षण हेतु उपबन्ध करने तथा ऐसी सहकारी समितियों को कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना करने के प्रयोजनार्थ वित्तीय सहायता देने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री डागा, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : हां, मैं बोलना भी चाहता हूं।

सभापति महोदय : आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद में मैं आपका नाम पुकारूंगा।

श्री मूल चन्द डागा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पर 21 नवम्बर, 1986 तक राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाये।" (1)

सभापति महोदय : अब, श्री शान्ताराम नायक।

श्री शांताराम नायक (पणजी) : श्री बालासाहेब विखे पाटिल द्वारा प्रस्तुत किए गए इस विधेयक से हम सभी को चिन्तन करने का अवसर मिलेगा।

हमारी अर्थव्यवस्था स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से ही मूलत: दो भागों में बंट गई है—गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र और जैसे समय बीतता गया, सहकारी क्षेत्र महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा। इस स्थिति में यह आवश्यक है कि हम इन क्षेत्रों के लिए अनुपात के अनुसार विशिष्ट कार्य निर्धारित करें। हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जहां हम दोनों क्षेत्रों को समान महत्त्व देते हैं, वहां इसके साथ ही सहकारी क्षेत्र भी भूमिका निभाता है। यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि जब से तीसरा क्षेत्र बन गया है तब तो हमें एक अनुपात निर्धारित करना है। यद्यपि हमने अभी गैरसरकारी तथा सरकारी क्षेत्र में अनुपात निर्धारित नहीं किया है, यह उचित समय है कि हम इन तीनों क्षेत्रों के लिए अनुपात निर्धारित करें, ताकि हम अपनी अर्थव्यवस्था में विचार करके एक सुनिश्चित ढंग से विशिष्ट क्षेत्रों को विशिष्ट कार्य दे दें।

भारत की मुख्यत: कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारी कृषि कृषकों के हाथ में है। विचौलिये भी हैं जो हमारी कृषकों द्वारा उत्पादित उपज में से अपना लाभ कमाते हैं। चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, इस देश के पालन-पोषण करने में ग्रामीण जनता ही एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, धीरे-धीरे कृषकों को भी उद्योगों में भूमिका निभानी चाहिए। यदि वे किसी कृषि उपज का उत्पादन करते हैं, तो फिर अन्तिम उत्पाद की समाप्ति तक, इन्हीं कृषकों को जो पहले चीजों का उत्पादन करते हैं, अन्तिम उत्पाद में भी कोई काम मिलना चाहिए। और यदि ऐसा करना है, तब तो ऐसा विधेयक भी किसी काम का होगा। हम अपने गैर-सरकारी उद्योगों अथवा बड़े उद्योगों से नहीं कह सकते हैं कि वे सभी कृषि उत्पादों का उत्पादन करें क्योंकि ऐसा करने से सारा लाभ कुछ ही लोगों के हाथों में चला जाएगा। इसके विपरीत यदि हमारे कृषकों को उनके प्रथम उत्पाद के आधार पर अन्तिम उत्पाद तैयार करने का अवसर दिया जाए, तब तो हमारी अर्थव्यवस्था में ये कृषक ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

दूसरे, हमारे संविधान में, एक संशोधन द्वारा हमने अपने देश की भूमिका पर बल देते हुए कहा है कि देश एक समाजवादी देश है। इस दिशा में भी हमारे कृषकों की भूमिका सामने आती है। खाद्य संसाधन इकाइयां, मछलियों को डिब्बों में भरने की इकाइयां, तिलहन संसाधन इकाइयां, उत्पादकों की कताई मिलें और बुनकर कताई मिलें—ऐसी सभी चीजें अब सहकारी संस्थाओं के लिए आरक्षित रखी जाएं ताकि हमारे कृषक आकर इस क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण कार्य करें।

हमारे सामने आज बेरोजगारी की समस्या है। मेरा विचार है कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर आधारित उद्योग स्थापित किए जाते हैं, तब तो हम काफी हद तक बेरोजगारी की समस्या समाप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार जनता का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में आना, जिसे हम विभिन्न कारणों से इस समय रोक नहीं सके हैं, रोका जा सकता है। मेरा विचार है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं यदि ये उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं और ये कृषि पर आधारित हों।

तीसरे, जैसाकि प्रस्तावक ने स्वयं सुझाव दिया है, स्कूल तथा तकनीकी शिक्षा जैसी विभिन्न सुविधाएं जो हमारे उद्योगपति उपलब्ध कराते हैं, केवल विशिष्ट वर्ग के लिए उपलब्ध की जाती हैं। यदि इन उद्योगों में सहकारी आन्दोलन आरम्भ होता है और यदि ग्रामीण क्षेत्रों में ये स्कूल तथा अन्य सुविधाएं उत्तरोत्तर बढ़ रही हैं, तो कृषकों के पुत्रों तथा पुत्रियों को लाभ प्राप्त होगा। अतः केवल कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना ही नहीं किंतु सभी सहायक चीजों की व्यवस्था करनी होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में समूचा वातावरण तैयार करना अधिक महत्वपूर्ण है।

जहां तक मेरे क्षेत्र, गोआ का सम्बन्ध है, वहां मत्स्य उत्पाद भी हैं, और मैं यह बात स्वीकार करूंगा और यह कहना चाहूंगा कि व्यावहारिक दृष्टि से गोआ में अभी तक कोई सहकारिता आन्दोलन नहीं है: यदि है भी, तो यह अभी आरम्भिक चरण में है, इसमें अभी कोई प्रगति नहीं हुई है अतः उन उत्पादों, विशेषकर इस प्रकार के समुद्री उत्पाद तथा उद्योग को ध्यान में रखते हुए यदि गोआ जैसे क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियां स्थापित की जायें, और यदि इन उद्योगों की स्थापना में सरकार पहल करे, तो यह बहुत ही सहायक होगा विशेषकर हमारे मत्स्य उत्पाद तथा अन्य खाद्य उत्पाद आजकल बहुत बढ़ रहे हैं। वर्ष 1950-51 में हमें 5.34 लाख टन समुद्री उत्पाद हुआ, 2.18 लाख टन स्थलीय उत्पाद हुआ इस प्रकार कुल मिलाकर 7.52 लाख टन उत्पाद हुआ। इस समय अब, 1984-85 में समुद्री उत्पाद 17.77 लाख टन है, स्थलीय उत्पाद 10.82 लाख टन और कुल उत्पादन 28.59 लाख टन। इसमें चौगुनी वृद्धि हुई है। इन परिस्थितियों में विभिन्न क्षेत्रों में हम इन कृषि पर आधारित उद्योगों पर विचार कर सकते हैं।

महोदय, अन्त में इस विधेयक को पढ़ते हुए यद्यपि इस विधेयक के प्रस्तावक, श्री पाटिल ने एक अच्छा विचार व्यक्त किया है फिर भी उन्होंने विस्तार में नहीं कहा है। वास्तव में इस विधेयक में पर्याप्त उपबन्ध नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर यदि विधेयक इस प्रकार बनाया जाना है तो इसमें अन्य प्रकार का तन्त्र भी शामिल होना चाहिए। इस विशेष विधेयक में नियम बनाने की कोई व्यवस्था नहीं है। फिर उद्योगों की कोई अनुसूची नहीं है। इस विधेयक में कृषि पर आधारित उद्योगों को नहीं

[श्री शान्ता राम नायक]

बनाया गया है। यदि इस विधेयक में एक अनुसूची दी गई होती तो यह बेहतर होता, और हम इसके लक्ष्यों को अच्छी प्रकार से समझ जाते। प्रक्रिया-सम्बन्धी इस पहलू को छोड़कर, मैं समझता हूं कि यह एक अच्छा विधेयक है, और, सरकार, विशेषकर हमारे नए श्रम मन्त्री को इस विधेयक पर विचार करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति जी, मैं इस बिल को बराबर समझ नहीं पाया और मुझे शायद वे समझाने की कोशिश कर रहे थे जिन्होंने इस बिल को पाइलट किया। वे कह रहे थे कि ह्यूमन रिसोर्सेस एण्ड रा-मेटीरियल्स रूरल एरियाज में प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किए गए हैं। हिन्दुस्तान में दो तरह के लोग हैं—एक तो रूरल रिच और दूसरे रूरल पूअर। गांवों में पांच परसेंट लोगों के पास सबसे ज्यादा जमीन है और शेष के पास नहीं के बराबर है। आप आज भी यह मानते हैं कि हमारा लैण्ड रिफार्म ठीक नहीं हुआ। मैंने एक स्टेटमेंट भी देखी है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि हमारी जमीन का बंटवारा ठीक नहीं हुआ है। जो बड़े-बड़े मालदार लोग हैं, जो बड़े-बड़े काश्तकार हैं, उन्होंने इस जमीन को दबा रखा है। ये ऐसे लोग हैं जो शहर में आकर दुकानें खोलते हैं और गांवों में जमीन को दबा रखा है और जिन्होंने इण्डस्ट्रीज भी बना ली हैं और अब कोआपरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मोटे-मोटे और बड़े-बड़े लोग इन सारी चीजों के मालिक बन जाना चाहते हैं जिनका शरीर भी वजनी है और वे इन चीजों के मालिक बनकर बैठ जाना चाहते हैं और बजाय जनता की सेवा करने के खुद अपनी सेवा करनी शुरू कर देते हैं और मोटे हो जाते हैं। मुझे यह समझ में नहीं आता कि यह प्रॉसीजर एण्ड वर्कर्स कोआपरेटिव का क्या है।

हिन्दुस्तान में कितनी गरीबी है, यह मैं नहीं कहता जो लोग महाराष्ट्र से आते हैं उनको पूछिए, उनसे पूछिए कि गरीब लोगों की क्या हालत है। आज देश में 77 प्रतिशत काश्तकार ऐसे हैं जिनके पास तीन एकड़ जमीन भी नहीं है और कई जगह ऐसी हैं जहां पर दो एकड़ सिंचित भूमि भी काश्तकारों के पास नहीं हैं।

मुझ से पहले बोलने वाले वक्ता ने भी कहा था कि यह एग्रोबेस्ड इंडस्ट्रीज के सम्बन्ध में आप क्या बिल लाए हैं, यह वे नहीं समझ पाए, न मैं समझ पा रहा हूं कि आप इसके जरिए क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, यह स्पष्ट नहीं हो रहा है। गांधी जी ने जो सिद्धान्त बनाया था कि अगर गांव को आप स्वाभिमानी और स्वावलम्बी बनाना चाहते हैं, तो गांव वाले स्वयं अपने लिए प्रोग्राम बनाएं और खुद काम करें। आज भी अगर वे करते हैं, तो उन्हें मना नहीं है। अगर वे सारी इंडस्ट्रीज गांव में ले जाना चाहते हैं और डवलप करना चाहते हैं, उन्हें कोई नहीं रोकता। लेकिन इन कोआपरेटिव्स में ज्यादा पैसा लगाने की अब जरूरत नहीं है। आज स्थिति यह है कि हिन्दुस्तान की 170 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि ये कोआपरेटिव वाले हड़प गए।

श्री गिरधारी लाल व्यास : तो क्या हुआ, यह दो सौ करोड़ रुपए से तो कम है।

श्री मूलचन्द डागा : यह बात भी मैं मानता हूं, लेकिन इसका फायदा किसको मिलता है। इसका फायदा मोटे-मोटे लोगों को मिलता है। इसलिए अगर आप इस बिल को लाना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट इस पर निर्णय ले कि वही एग्रोबेस्ड इंडस्ट्रीज चलाई जाएंगी जिनसे गांव वाले स्वावलम्बी बनेंगे। मेरा इसमें कहना है कि जिन लोगों के पास जमीन है और जो स्वयं अपने हाथ से उसको जोतते और बोते हैं वही उसके मालिक होंगे और कोई नहीं। आज आप देखिए, चौधरी साहब पार्लियामेंट आ गए, वकालत कर रहे हैं, मकान बना हुआ है, जमीन इनकी गांव में है, उसको कोई और जोतता है, फसल का पसा ये लेते हैं और लाखों रुपए कमाते हैं, तो ये कास्तकार नहीं कहलाएंगे। कास्तकार वही कहलाएगा जो जमीन पर स्वयं काम करेगा। इसी प्रकार से जो मजदूर धूप, वर्षा और सर्दी में स्वयं काम करेगा, वही मजदूर कहलाएगा। उसको मालिक बनाया जाए। यह नहीं होना चाहिए कि मैं रहूं तो दिल्ली में, बड़ी-बड़ी पोश कॉलोनियों में और मैं कास्तकार कहलाऊं। और काश्तकार बन गये। हरेक आदमी काश्तकार है, यहां बैठे हुए बड़े-बड़े लोग काश्तकार हैं, मैं भी काश्तकार हूं। उनकी जमीन की आमदनी आती है और खेती कोई और मजदूर करता है। मैंने इसमें अमेंडमेंट नहीं दिया था, लेकिन जो काश्तकार अपनी जमीन को खुद बोता है, और जिसकी खेती की जमीन हो, जो वहां काम करता हो, वह उसका मेम्बर बनें और उसमें 25 परसैंट शिड्यूल्ड कास्ट के लोग हों जोकि उसके मेम्बर बने वह उसका संचालन करें। लेकिन यह को-आपरेटिव सोसाइटी किस की बनेगी जो मालदार लोग हैं और मोटे-मोटे काश्तकार हैं, वह अपनी सोसाइटी बनायेंगे और छोटों का नाम लेंगे। यह जो बिल माननीय सदस्य लाए हैं, इन्होंने यह नहीं कहा कि खेती कौन करेगा और कौन मेम्बर बनेगा।

आज हिन्दुस्तान में जो बड़ी बात हो रही है, सबसे पहले कांग्रेस ने एक आवाज उठाई थी और उसी से जमीन का बंटवारा हुआ होगा। मैं नहीं कहता कि अर्बन सीलिंग लागू करके गलती की, लेकिन आज भी बड़े-बड़े जमींदारों के पास पुराने लोगों के पास हजारों, सैंकड़ों बीघा जमीन है और उन्होंने अपने आपको कानून के शिकंजे से बचा रखा है। कानून मकड़ी का जाल है जिसमें बड़े लोग नहीं फंसते, वह अपने को बचा लेते हैं। ये लोग ऐसे काश्तकार हैं जो कभी सूरज की गर्मी नहीं देखते और न कभी कड़ाके की सर्दी में काम करते हैं। मैंने पहले डैफीनीशन में कहा है---

[अनुवाद]

जो लोग वास्तव में भूमि पर खेती करते हैं, वास्तव में काम कर रहे हैं—उन्हें कृषि पर लगाया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

आप एग्रीकल्चर यूनियन बनने देंगे ? ऐसी खबर आई है कि अभी भी गरीबों को ऊपर आने की हिम्मत नहीं हो रही है, उनमें साहस नहीं है। उनका शोषण हो रहा है। जो गरीब लोग हैं, उनको गांधी जी की नीति के अनुसार, अगर आप एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्री चाहते हैं तो नई टेक्नोलाजी इम्फा-

[श्री मूलचन्द डागा]

स्ट्रक्चर जो उन्हें चाहिए वह दें। अभी अगर आप को-आपरेटिव सोसाइटी की बात करेंगे तो बड़े-बड़े लोग मिलकर बना बैठेंगे।

इस बिल को जिस भावना से लाया गया है, बहुत मेहनत की होगी उन्होंने, लेकिन अगर मेहरबानी करके वह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में चले जाते, ढिल्लों साहब को मदद लेते तो उनसे पता लग जाता कि किस प्रकार काश्तकारों की और गरीबों की रक्षा करनी चाहिए।

मैं इस बिल का इसलिए विरोध करूंगा कि जब तक आप यह नहीं कहेंगे कि खेती करने वाला किसान जो खुद खेती करता है, जिसके पास जमीन कम है वही इसको चलाने वाला होगा और खेतिहर मजदूर ही काम करेगा। पहला सिद्धान्त यह होगा और उसमें कम-से-कम 25 परसैंट शिड्यूल्ड कास्ट के लोग होंगे। इस तरह की कोपरेटिव बनने के बाद ही वह एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्री होगी। ऐसा नहीं कि शुगर मिल चला दी और बड़े-बड़े सेठ उसमें बनकर बैठ गये। मैं चाहता हूं कि गरीब लोग जमीन के मालिक बनें, उनको आप मालिक बनाइये। यह बिल क्या चाहता है? दोज हू कल्टीवेट, गरीब दो एकड़ जमीन की सिंचाई नहीं कर पाता। आपने बांध बनाये, नदियों का पानी रोक दिया, इससे भगवान ने एक और मेहरबानी उन पर कर दी कि वह पानी धनवान के घर में डाल दिया और उससे गरीबों को महरूम कर दिया।

आज इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का फायदा कौन उठा रहे हैं? जो बड़े-बड़े काश्तकार हैं वही इसका फायदा उठा रहे हैं। आज बिजली गरीब किसान और छोटे किसान को नहीं मिलती है। जो भी कोई कानून बनता है, उसका फायदा भी धनवानों को ही होता है। ···(व्यवधान)···

आपने काश्तकार की क्या डेफीनीशन दी है? जो दूसरों से मजदूरी कराएगा वह भी फार्मर है।···(व्यवधान)···मैं अपनी भावना कह रहा हूं। इस बिल में कई खामियां हैं। इस कारण आप एक व्यापक बिल लाइए और वह बिल लाने के बाद ही कहिए कि वास्तव में वह जमीन गरीबों की जमीन होगी। जब गरीब किसान ऊंचा उठेगा और उसके हाथ में अपनी इंडस्ट्री होगी तभी देश ऊपर उठ सकेगा।

[अनुवाद]

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नालगोंडा) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं, यद्यपि इस विधेयक का उद्देश्य बहुत अच्छा है। भारत मूलतः एक कृषि देश है, जहां लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। हम बहुत सी चीजों का उत्पादन करते हैं किंतु कृषि उपज के लिए कोई समुचित उद्योग नहीं हैं। कृषि उपकरणों के लिए उद्योग नहीं हैं। इस बात का भी ध्यान रखना है। मैं देखता हूं कि विधेयक में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है वे हैं "कृषक तथा कर्मकार"। मेरी समझ में नहीं आता कि "कर्मकार" का अर्थ क्या है। क्या इसका अर्थ उन लोगों से है जो खेतों में काम

करते हैं ? इस बात को स्पष्ट रूप से बताया जाए। इसकी स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए।

महोदय, आजकल यह रिवाज बन गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आपको कृषक कहलाना चाहता है। एक उद्योगपति जिसके पास करोड़ों रुपये हैं, आयकर से बचने के लिए किसान बनता है। छोटे तथा सीमान्त किसान भी हैं जो अंशतः कृषि तथा अन्य चीजों पर निर्भर करते हैं। अतः माननीय मन्त्री पहले इस बात की परिभाषा दें कि कौन कृषक है और कौन खेत कर्मकार है।

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : आप कृपया इसकी परिभाषा इस विधेयक के प्रस्तावक से पूछिए।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : हां, मन्त्री और प्रस्तावक। पहले हमें किसान की परिभाषा देनी है। कृषक वह है जो स्वयं खेती करता है और केवल कृषि पर निर्भर करता है।

अब फार्म श्रमिक के सम्बन्ध में कहता हूं। केवल ऐसे कर्मकारों को फार्म श्रमिक कहा जाए जो खेत में 8-9 महीने काम करता है। वास्तव में इन दिनों फार्म श्रमिकों को ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं। उन्हें न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है।

महोदय, मेरे विचार में हमारे देश में प्रत्येक राज्य में कृषि पर आधारित उद्योग स्थापित करना बहुत आवश्यक है। हम बहुत से फलों तथा सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं। जब फसल पूरी होती है तो मूल्यों में कमी आ जाती है जबकि कम फसल वाले मौसम में मूल्य बढ़ जाते हैं। हम सब्जियों तथा फलों तथा कृषि उत्पादों के सभी उप-उत्पादों के भण्डारण के लिए कृषि पर आधारित उद्योग स्थापित कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हमें उन उद्योगों का स्वागत करना है। मैं इस विधेयक के प्रस्तावक तथा सरकार से निवेदन करता हूं कि कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना अत्यन्त महत्वपूर्ण है, और यह कार्य केवल ग्रामीण क्षेत्रों में आरम्भ किया जाना चाहिए जहां ऐसी फसलों का उत्पादन होता हो और हम बहुत से राज्यों में चीनी उद्योग स्थापित कर रहे हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि चीनी उद्योग उन क्षेत्रों में लगाए गए हैं जहां गन्ने का उत्पादन ही वहीं होता। इस तरह की असमानता हर कीमत पर दूर की जानी चाहिए। केन्द्र सरकार को इस सम्बन्ध में राज्यों को स्पष्ट निदेश देने चाहिए कि जिन क्षेत्रों में ऐसी फसलें उगाई जाती हैं, केवल उन्हीं राज्यों में वे उद्योग स्थापित किए जाने चाहिए, जहां कृषि सम्बन्धी कच्चा माल उपलब्ध होता है। केवल इतना ही नहीं, यह कानून भी पारित किया जाना चाहिए कि एक क्षेत्र विशेष में वही फसलें उगाई जाएं जो देश के लिए व्यवहार्य हों आवश्यक हों। वहां कोई दूसरी फसल नहीं उगाई जानी चाहिए। देश की आवश्यकतानुसार विभिन्न क्षेत्रों में खेती का समान तरीका अपनाया जाना चाहिए। हम देश की आवश्यकतानुसार कृषि उत्पादों का उत्पादन करना चाहिए और ऐसी वस्तुओं के आयात से बचना चाहिए। हमें एक ऐसा विधान या भूमि सम्बन्धी कानून बनाना चाहिए जिसके अनुसार कृषकों पर यह पाबन्दी लगाई जाए कि किसी क्षेत्र विशेष में उगाई जाने वाली फसल के अलावा कोई अन्य फसल न उगाए। उदाहरण के लिए, तिलहन एक क्षेत्र विशेष में उगाए जाते हैं। किसानों को उस क्षेत्र में कोई दूसरी फसल उगाने की अनुमति नहीं है। कृषि सम्बन्धी जलवायु तथा अन्य कारणों को ध्यान में रखकर

[श्री एम० रघुमा रेड्डी]

ही किसी फसल विशेष को किसी क्षेत्र विशेष में उगाया जाना चाहिए।

महोदय, आजकल हमारे देश में 'कन्सैन्ट्रेट' से निर्मित पेय जलों को पीने का फैशन हो गया है। यदि किसान विभिन्न किस्मों के फल प्रचुर मात्रा में उगाएं तो उनका रस निकाला जा सकता है और इन पेय जलों की जगह फलों के रस को इस्तेमाल किया जा सकता है। कोका कोला और अन्य पेय जलों की बजाय लोग फलों के रस पीना अधिक पसन्द करेंगे। इससे उनका स्वास्थ्य भी सुधरेगा।

महोदय, किसानों की आवश्यकतानुसार हम उनके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले औजारों का निर्माण नहीं कर रहे हैं। निर्धन किसानों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले औजारों में सुधार लाने के लिए कई अनुसंधान केन्द्र खोले गए हैं और अनुसंधान कार्य चल रहा है। औजारों से अभिप्राय केवल ट्रैक्टरों और पावर-टिलर्स से ही नहीं है अपितु इसमें खेती के काम आने वाले औजार भी शामिल हैं। गरीब किसानों के फायदे के लिए बढ़िया सस्ते किस्म के औजार तैयार किए जाने चाहिए। इन औजारों के निर्माण के लिए कृषि पर आधारित उद्योग स्थापित किए जाने चाहिए। मैं इस विधेयक के प्रस्तुतकर्त्ता से पुनः अनुरोध करता हूं कि वह किसानों, कृषि समुदाय और खेतिहर श्रमिकों की ओर ध्यान दें। उन्हें पर्याप्त रोजगार नहीं मिलता और जिन दिनों खेती नहीं होती वे बेरोजगार रहते हैं। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर आधारित उद्योग और अन्य लघु उद्योग स्थापित किए जाएं तो उन किसानों को उस समय भी रोजगार मिल सकता है जिन दिनों खेती नहीं होती ताकि वे अपनी जीविका कमा सके। इस तरह हम किसानों को अन्य क्षेत्रों में जाने से भी रोक सकते हैं।

महोदय, यद्यपि मैं विधेयक के कुछ खंडों का विरोध करता हूं, साथ ही मैं इस विधेयक का स्वागत भी करता हूं बशर्ते कि मेरे सुझावों को माना जाए और इस विधेयक में जोड़ा जाए।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, इस बिल की भावना बहुत अच्छी है और इन भावनाओं की मैं ताईद करता हूं। यह जो इसमें कहा गया है :

[अनुवाद]

उत्पादकों तथा कर्मकारों की सहकारी समितियों के लिए कृषि पर आधारित आरक्षित उद्योग विधेयक, 1986

[हिन्दी]

इसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि हम जो भी प्रोड्यूस करते हैं ऐसा सामान जिसके जरिए से हम इण्डस्ट्रीज लगा सकते हैं उस प्रकार की तमाम चीजों की इण्डस्ट्रीज रूरल एरियाज में

तैयार की जानी चाहिए। उससे प्रोड्यूसर को भी लाभ होगा और जो मजदूर उसमें काम करेंगे उनको भी लाभ पहुंचेगा। लेकिन कई प्रकार की बातें इसमें अभी डागा जी ने उठाई हैं उनके सम्बन्ध में मैं खास तौर से कहना चाहता हूं कि जो प्रोड्यूसर की डेफनीशन दी गई है :

[अनुवाद]

"(क) उत्पादक से अभिप्राय किसान से है जो खेती करता है और कच्चे माल का उत्पादन करता है; तथा..."

[हिन्दी]

इसका मतलब है जैसा कि उन्होंने कहा है इसमें बड़े फार्मर और प्रोड्यूसर भी आ जाते हैं परन्तु हमारे पाटिल साहब की जो भावना है वह बड़े काश्तकार से नहीं है। उन्होंने कहा है :

[अनुवाद]

"किसान से अभिप्राय है वह व्यक्ति जो खेती करके कच्चे माल का उत्पादन करता है।"

[हिन्दी]

मगर इसमें एक लफ्ज छूट गया है :

[अनुवाद]

"वह किसान जो अपने हाथ से खेती करता है और कच्चे माल का उत्पादन करता है।"

[हिन्दी]

अगर इसको भी इसमें जोड़ दिया जाये तो हमारे डागा साहब की भावनायें भी पूरी हो जायेंगी। इसलिए मैं समझता हूं इन शब्दों को निश्चित रूप से इसमें जोड़ा जाना चाहिए।

[अनुवाद]

"श्रमिक से अभिप्राय है वह व्यक्ति जो किसानों की कृषि योग्य भूमि पर काम करता है।"

[हिन्दी]

इन दो प्रकार के लोगों की को-आपरेटिव बनाई जाए और उसके जरिए से तमाम एग्रीकेस्ड

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

आर्टिकल्स की इण्डस्ट्री स्थापित किया जाए तो निश्चित तरीके से बहुत सारी चीजें, जिनका जिक्र आपने आब्जैक्ट और रीजन्स में किया है, का बहुत बड़ा फायदा लोगों को होगा और रॉ-मैटिरियल जो वे प्रोड्यूस करते हैं, उसका यूटिलाइजेशन प्रापर्ली हो पाएगा। दूसरे मजदूरों का जो एक्सप्लायटेशन हो रहा है उस एक्सप्लायटेशन से मजदूर लोग बचेंगे। उनको को-आपरेटिव से ज्यादा आमदनी होगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बन सकेगी। इस व्यवस्था को निश्चित तरीके से बनाया जाना चाहिए, ताकि रूरल एरियाज का ज्यादा से ज्यादा डवेलपमेंट हो सके और वहां के लोगों की आर्थिक हालत सुधर सके।

आप बीस सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से हजारों लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं, अगर यह व्यवस्था कर ली जाती है, तो निश्चित तरीके से उसमें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। यदि उनको ये तमाम सुविधायें उपलब्ध हो जाएं तो वे अच्छे इन्सान की तरह से अपनी जिंदगी बसर कर सकेंगे। इसलिए इस व्यवस्था को निश्चित तरीके से किया जाना चाहिए। आपने जिस तरह से स्माल स्केल सैक्टर में कुछ चीजें रिजर्व की हैं, उसी प्रकार से इस बिल के जरिए से, जो एग्रोबेस्ड आर्टिकल्स हैं, उनको वर्कर्स और प्रोड्यूसर्स की को आपरेटिव के लिए रिजर्व कर दीजिए, ताकि उसके जरिए से रूरल एरियाज के तमाम लोगों को आर्थिक लाभ मिल सके और वे ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करके सैल्फ-सफिशियेंट के रास्ते पर तेजी के साथ आगे बढ़ सकें। इस प्रकार की व्यवस्था निश्चित तरीके से आपको करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ-साथ टैक्नीकल नो-हाउ और अन्य प्रकार की सुविधाएं भी बहुत बड़े पैमाने पर डिस्ट्रिक्ट लैवल पर आपको देनी पड़ेंगी। यदि इन व्यवस्थाओं को आप कर देंगे, तो निश्चित तरीके से आप इस व्यवस्था को अच्छी तरीके से चला पाएंगे।

माननीय सदस्य, श्री डागा जी ने गन्ने का जिक्र किया है। इसका काफी उत्पादन महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में होता है। लेकिन यह उद्योग भी बड़े-बड़े काश्तकारों के हाथ में है। हालांकि उन्होंने कोआपरेटिव्ज बनाई हुई है, लेकिन वे कोआपरेटिव्ज भी बड़े-बड़े काश्तकारों की हैं। इस प्रकार एक अलग लॉबी तैयार हो गई है और उस लॉबी के जरिए से अपना फायदा उठाने के लिए वे व्यवस्था करते हैं। यह भावना कहीं अन्य क्षेत्रों में भी प्रचलित न हो जाए, इसका बड़ा डर रहता है। मैं चाहता हूं कि इसका लाभ बड़े-बड़े प्रोड्यूसर्स न उठाएं, इसलिए इस व्यवस्था को निश्चित तरीके से व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। यदि यह व्यवस्था करेंगे तो निश्चित तरीके से बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को फायदा होगा और उनको आप रोजी-रोटी दे सकेंगे। इसके साथ ही आप उनकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बना सकेंगे।

लैंड रिफार्म्स की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आजकल हमारे प्रधान मन्त्री जी भी कह रहे हैं कि लैंड रिफार्म्स नितांत आवश्यक है। इस बात से जो बड़े-बड़े काश्तकारों की लॉबी है, उनको इस बात से पसीना आने लग गया है। प्रधान मन्त्री जी जब यह चाहते हैं कि लैंड रिफार्म्स हो और उसको हम मजबूती के साथ लागू करें तो निश्चित तरीके से इसका लाभ उनको मिलेगा। ये लोग कभी भी

इस व्यवस्था को माकूल बनाने में सहयोग नहीं देते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के सदस्य हों, हमारी पार्टी के हों या विरोधी पार्टी के सदस्य हों, जो बड़े-बड़े काश्तकार हैं, वे सब इस चीज के खिलाफ हैं। वे इस बात के कभी भी पक्ष में नहीं हैं कि लैंड रिफार्म्स ठीक प्रकार से इम्पलीमेंट हो सके। इसके इम्पलीमेंटेशन न होने में इनका हाथ है। आज भी यदि कुछ राज्यों में लैंड सीलिंग को लागू किया है, तो लैंड सीलिंग से बचने के लिए इन लोगों ने किस तरीके से कायदे-कानून को तोड़ करके लाभ उठाया है। मैं चाहता हूं कि जो बड़े-बड़े काश्तकार हैं, जिनके पास पांच-छः एकड़ से भी ज्यादा जमीनें हैं, उनसे निश्चित तरीके से जमीन को लिया जाना चाहिए और लेकर के गरीबों को बांटनी चाहिए, तब जाकर स्थिति में सुधार हो सकेगा। मगर काम बहुत कठिन है हालांकि हमारे प्रधान मन्त्री जी का मजबूत इरादा है कि वे लैंड रिफार्म्स को ठीक प्रकार से इम्पलीमेंट कराएंगे और उसकी व्यवस्था सारे देश में ठीक प्रकार से कराएंगे, मगर जहां-जहां पर भी इस प्रकार की लोबीज हैं बड़े काश्तकारों की, वे निश्चित रूप से उनके रास्ते में रोड़े बनकर काम करेंगी। पहले भी उन्होंने ऐसा किया है। जब-जब भी लैंड सीलिंग की बात आई है चाहे वह अर्बन लैंड सीलिंग की बात हो और चाहे रूरल लैंड सीलिंग की बात हो, इन लोगों ने सदैव इसका विरोध किया है और अन्दर ही अन्दर इस बात की कोशिश की है कि किसी तरीके से यह इम्पलीमेंट न हो सके और कहीं इम्पलीमेंट होने की बात होती है, तो वहां पर ब्यौरोक्रेसी में भी कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो लैंड सीलिंग में कोई न कोई लेकूना रखकर इस प्रकार की लोबीज को लाभ दिलाने का काम करते हैं। इसलिए इस बात को रोकने के लिए आपको हर कदम पर सतर्क रहकर काम करना पड़ेगा, तब जाकर यह व्यवस्था मजबूत बन पाएगी। इसलिए इस चीज की व्यवस्था निश्चित तरीके से की जानी चाहिए। इसी तरीके से जितने भी रा-मैटीरियल्स जो गांवों में पैदा होते हैं, चाहे वह मक्का हो, चाहे वह आलू हो, टिमाटर हो, सेव हो, दूसरे फ्रूट्स वगैरह हों, गन्ना हो, काजू हो, आयल प्रोड्यूसिंग आइटम हों, कोटन हो और दूसरी जितनी भी चीजें हैं, इन सारी आर्टीकिल्स पर आधारित रूरल वेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो वेस्ड इंडस्ट्री स्थापित की जानी चाहिए और इनके जरिये से हम गांवों के लोगों का भला कर सकते हैं और गांवों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं और गांवों के लोगों को इन्डस्ट्रिलाइज करके उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था निश्चित तरीके से आवश्यक है और ऐसी व्यवस्था को अपनाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसी तरीके से इन चीजों को लाने के लिए कोआपरेटिव्ज बनाने की आवश्यकता है और जो लोग खुद अपने पैरों पर खड़े होकर काम करते हैं उनके लिए लोन्स और अन्य प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था निश्चित तरीके से की जानी चाहिए। हमारे डागा जी को खतरा था कोआपरेटिव्ज से। उनका कहना था कि कोआपरेटिव्ज जो बनी हैं, उनमें 170 करोड़ रुपया लोग खा गए और कोआपरेटिव्ज से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यह तो 170 करोड़ रुपये की बात है। आपने स्वयं बताया है कि बड़े-बड़े जो इन्डस्ट्रियलिस्ट्स हैं, उन्होंने 4 हजार करोड़ रुपया इंडस्ट्रीज में फंसा रखा है और इतने पैसे का उन्होंने दुरुपयोग किया है। 170 करोड़ और 4 हजार करोड़ रुपये में कितना बड़ा अन्तर है। अगर 170 करोड़ रुपया कोआपरेटिव्ज में इस तरीके से निकल भी जाए और उसके बाद कोआपरेटिव सेक्टर पनपता है, तो निश्चित तरीके से करोड़ों लोगों को इससे लाभ मिलेगा और इससे उनका जीवन स्तर ऊपर उठेगा। इसलिए इस बात पर गम्भीरता से विचार कीजिए। थोड़े से पैसे के डूब जाने से इस बात को सोचने लग जाएं कि हमारा कोआपरेटिव सेक्टर

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, यह निश्चित रूप से बहुत बड़ा सेटबेक हमारी इस व्यवस्था पर होगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए इतने बड़े पैमाने पर वर्कर्स की, प्रोड्यूसर्स की, जो स्वयं काश्त करते हैं और जो अपने हाथ से काम करते हैं, एग्रो-बेस्ड जितनी भी आर्टीकिल्स हैं उन पर आधारित गांव-गांव में, कस्बों में, तहसीलों में और जिलों में इस प्रकार की इंडस्ट्रीज स्थापित की जानी चाहिए और बहुत बड़े पैमाने पर इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। चाहे इसमें कितना ही पैसा खर्च हो, यह जो प्रोग्राम है, इसके जरिए से जो लोगों का अपलिफ्टमेंट आप करना चाहते हैं, लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना चाहते हैं, उसमें यह प्रोग्राम बहुत मददगार होगा। पाटिल साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने एक बहुत अच्छा आइडिया यहां पर रखा है और इस व्यवस्था को बहुत बड़े पैमाने पर लागू करने की आवश्यकता है। एक प्लान्ड वे में तहसील के लेविल पर, जिला लेविल पर और ब्लोक के लेविल पर इसको स्थापित किया जाए ताकि इसके जरिये से हजारों गरीब लोगों को जो अनएम्पलायड हैं, हम एम्पलायमेंट दे सकें और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकें। यही बात मुझे कहनी थी और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री आई० रामा राव (कासरगौड) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। यद्यपि, यह विधेयक इतना व्यापक नहीं है, तथापि मैं इस विधेयक की भावना का···

[हिन्दी]

श्री सी० अंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : डागा जी का असर आप पर पड़ा है, इसलिए इसको आप काम्प्रहैंसिव नहीं बोले हैं। अगर सामने आकर बात करें, तो ठीक होगा।

[अनुवाद]

श्री आई० रामा राव : निश्चय ही डागा जी यहां उपस्थित हैं। उन्होंने सहकारी आंदोलन के बारे में बड़े जोश में भाषण दिया है। हम केवल ठंड लगने की वजह से ही नाक काट कर नहीं फेंक देते। नाक अपनी जगह ही रहती है। हम जुकाम को रोकने की दवा लेते हैं। अतः सहकारिता आन्दोलन भारतीय किसानों के लिए एक सही आंदोलन है। लेकिन कारण यही है कि इसे गलत ढंग से चलाया जाता है। यही कारण है कि हमें इस स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। मेरे राज्य में हम समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को बड़े जमींदार, सीमांत कृषक, लघु कृषक और खेतिहर कृषकों को निदेशक मंडल में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। निदेशक मंडल में प्रत्येक वर्ग के लोगों को निश्चित संख्या में रखा जाता है ताकि इसका संचालन केवल निहित स्वार्थ वाले लोग ही न कर सकें। यहां तक कि निदेशक मंडल में हरिजनों और गिरिजनों को भी शामिल किया गया है।

दिल्ली आने पर मैंने लोगों के पास पान के बीड़े देखे। मैं सुपारी उत्पादक हूं। मेरे राज्य में

इसकी लागत बहुत कम है लेकिन यहां पहुंचने पर एक छोटे टिन की कीमत 20 रुपये हो जाती है। सुपारी उत्पादकों का आज तक शोषण होता रहा है। लेकिन जब से कर्नाटक और केरल राज्य सरकारों ने किसानों का दुःख समझ कर सहकारिता के क्षेत्र में 'कैम्पको' नाम से एक संस्था बनाई है, वे किसानों को उनकी फसल की अच्छी कीमत देने में सफल हुए हैं। 'कैम्पको' ने अब थोड़ी और प्रगति की है और वह एक चॉकलेट उद्योग स्थापित करने जा रहे हैं जो समूचे भारत में एक प्रमुख उद्योग होगा। सुपारी के पौधों के बीच कोका का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है।

सहकारिता आंदोलन में कई अच्छी बातें हैं। जैसा कि अभी आंध्र प्रदेश से हमारे मित्र ने कहा, हमारे यहां मौसम के फल और सब्जियां प्रचुर मात्रा में उगाई जाती हैं। इन सब्जियों को केवल बड़े भाण्डारगृहों में ही सुरक्षित रखा जा सकता है और यह काम सहकारी क्षेत्र कर सकता है। अन्यथा किसानों को उन्हें बड़ी कम मूल्य पर बेचना पड़ेगा। हमारे यहां बढ़िया फल और शहद आदि होते हैं और आजकल डिब्बाबन्द वस्तुएं इस्तेमाल में लाई जाती हैं। हम कृषि पर आधारित कई उद्योग, जैसे डिब्बाबन्द पदार्थ उद्योग, लगा सकते हैं। आजकल जब हम अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाते हैं तो हमें आम नहीं मिलते। लेकिन दिल्ली में आम मिल रहे हैं। कृषि पर आधारित उद्योगों को सहकारी परिवहन प्रणाली शुरू करनी चाहिए जिससे वे हर मौसम में फल और सब्जियां एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं।

केरल और कर्नाटक में नारियल काफी मात्रा में उगाये जाते हैं। कर्नाटक सरकार दिल्ली में नारियल भेजने पर विचार कर रही है। इसी तरह सहकारिता आंदोलन में विभिन्न किस्मों के नारियल और फलों को देश के विभिन्न भागों में भेजने पर विचार किया जा सकता है।

मैं तो कहूंगा कि ग्लूकोज की जगह नारियल पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे खून में चढ़ाया जा सकता है। यह एक अच्छी और बिना मिलावट की चीज है। सहकारिता आंदोलन द्वारा पूरे देश में इसकी सप्लाई की जा सकती है। यह काम कृषि और खेतिहर मजदूर शुरू कर सकते हैं। अब समय आ गया है कि हम सहकारी खेती शुरू करें।

मैं पुनः केरल पर आता हूं। मजदूरों को 30 से 40 रुपये तक देने पड़ते हैं। वास्तव में भू-स्वामी अपनी भूमि देने में खुशी ही महसूस करेंगे क्योंकि सहकारी खेती समिति से उन्हें काफी लाभ मिलेगा और मजदूर भी उसमें श्रम करके अपना योगदान दे सकते हैं। इस तरह सहयोग के आधार पर सभी को अधिक लाभांश मिलेगा। कृषि पर आधारित उद्योगों के नाम से कई उपयोगी संस्थाएं खोली जा सकती हैं। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं कि विधेयक में और संशोधन किया जाए और इस बात पर ध्यान दिया जाए कि इस तरह के विभिन्न विधान बनाए जाएं जिससे कृषकों और मजदूरों को लाभ मिले। मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का मौका दिया।

[हिन्दी]

श्री रामप्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : सभापति महोदय, जिस मंशा और नियत से हमारे साथी श्री पाटिल ये बिल लाए हैं, उसका मैं तहेदिल से समर्थन करता हूं। यह बात सही है कि 75 प्रतिशत किसान और खेतीहर मजदूर गांवों में रहते हैं और उनका मुख्य धंधा खेती और कृषि-मजदूरी है। श्री पाटिल ने इस बिल के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित कराया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि देश में जो किसान और खेतीहर मजदूर हैं उनको शहरों में आने से रोकना है। इसके लिए उनके रहन-सहन में परिवर्तन लाना है। आज 37 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं, यदि उनको ऊपर उठाना है तो निश्चित तौर पर कृषि पर आधारित उद्योग-धंधों को कोआपरेटिव सेक्टर में लाना होगा। मैं तो कहता हूं कि कृषि ही नहीं फारेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री को भी जो कि ट्राइबल एरिया में, हरिजन क्षेत्रों में ज्यादा होते हैं, वहां लगाई जानी चाहिए। यही नहीं पशुओं पर आधारित इंडस्ट्री भी गांवों में लगनी चाहिए, जैसे भेड़ों से ऊन बनाने का काम है, ये सारे के सारे उद्योग अगर गांवों में चले जाएं तो निश्चित रूप से क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा और गांधीजी का जो स्वप्न था गांवों को संपन्न बनाने का गांवों में—इंडस्ट्री लगाने का, वह साकार होगा। इसके लिए 48 परसेंट एग्रीकल्चर बेस्ड जो इंडस्ट्री हैं उनको गांवों में लगाना होगा। 5 परसेंट इंडस्ट्रियलिस्ट 75 प्रतिशत लोगों द्वारा पैदा किए गए रा-मटीरियल से लाभ अर्जित करते हैं, यह चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, ज्वाइंट सेक्टर में हो, पब्लिक सेक्टर में हो या कोआपरेटिव सेक्टर में हो, इसका कोई मायना नहीं है जब तक ये ग्रामीण क्षेत्रों में न हों। इनमें 90 प्रतिशत पब्लिक एक्सचेकर लगा हुआ है तो कोई कारण नहीं है कि सिर्फ 5 प्रतिशत लोग ही उसका लाभ उठाएं, 95 प्रतिशत लोगों को उसका लाभ न मिले। कोई कारण नहीं है कि किसान और खेतीहर मजदूर को उसका हिस्सा न पहुंचे। इसलिए मैं तहेदिल से इसका समर्थन करता हूं। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि ये बिल सरकार लाए और एक कम्प्रीहेंसिव बिल लाए जिसमें सारी चीजों का समावेश हो। हमारे साथी ने एक संकेत, एक नीति, एक विचार दिया है, उस विचार को विस्तृत रूप से कृषि मंत्री जी अपने अनुभव के आधार पर क्रांतिकारी परिवर्तन करने के लिए बिल के रूप में सदन में लाएं जिससे गांव का जीवन, रूरल एरियाज का जीवन जो तमाम प्रयासों के बावजूद शहरों के बराबर नहीं आ सका है, उसमें हम सफल हो सकें।

यह बात सही है कि संविधान में समता का कानून है, सबको समान अधिकार हैं, समान अवसर हैं लेकिन उस समानता को प्राप्त करने के लिए साधन समान नहीं होंगे तब तक इसका कोई महत्व नहीं है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में, ट्राइबल एरियाज में, बाढ़ग्रस्त, सूखाग्रस्त, डेजर्ट एरियाज में गरीबी मिटानी है, सही मायनों में देश में नई शिक्षा नीति का प्रसार करना है तो निश्चित-रूप से इकनामिक परिवर्तन करना आवश्यक है। उसके बगैर यह संभव नहीं हो सकता। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि यह सदन यह निर्णय ले कि जो भी कृषि पर आधारित, फारेस्ट बेस्ड, पशुओं पर आधारित उद्योग हैं, उनको रूरल सेक्टर में दें। सहकारी सेक्टर कहें या रूरल सेक्टर कहें। यह बात सही है कि रूरल सेक्टर में कुछ राज्यों में महाराष्ट्र और गुजरात में इसमें अच्छा काम हुआ है। लेकिन कुछ राज्यों में नहीं हुआ है उनमें हम कुशलता ला सकते हैं। जो इसमें दलाली करने वाले लोग हैं उनको

हटा सकते हैं। यह सरकार का काम है। हम सहकारिता में इस तरह कार्य करें कि जो बड़े-बड़े पूंजीपति लोग हैं उनको दूर कर सकें। हमारे प्रधान मंत्री जी इस पर चिन्तित हैं, उन्होंने विरोधी दलों से इस बारे में सहयोग भी मांगा है कि सब लोग इस विषय पर मिलकर काम करें। बिहार में जमीन से सम्बन्धित जो घटनायें हो रही हैं उसको दूर किया जा सके। हमने पहले भी कहा था कि जमीन का मसला तय कर देना चाहिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन है वह सीलिंग में लोगों को बांटी गई, लेकिन उसका कब्जा वाजिब लोगों को नहीं मिल पा रहा है। वह इसलिए नहीं मिल पा रहा है, हम चाहे इधर के बैठने वाले हों, चाहे उधर के बैठने वाले हों, हम उसका सख्ती से पालन नहीं कर रहे हैं, जिन को हमने जमीन दी है उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत सी जमीनों का लगान हरिजन दे रहा है, लेकिन उसका कब्जा बड़े-बड़े लोगों के पास है। अगर हरिजन की जमीन बीच में आ जाती है तो उसको बैल नहीं चलाने दिया जाता, हल नहीं चलाने दिया जाता, उसके खेत में पानी नहीं देने देते। इसलिए जमीन और कृषि से सम्बन्धित एक व्यापक कानून होना चाहिए कि अगर बीच में उसकी जमीन आ जाती है तो उसको सिंचाई के लिए पानी के लिए नाला बनाकर देना चाहिए। अगर यह कानून बन जाये तो निश्चित रूप से नक्शा बदला जा सकता है। जो स्वप्न बापूजी ने देखा था कि हमारे गांव सम्पन्न बनें, आत्मनिर्भर बनें वह पूरा हो सकता है।

इसलिए मैं चाहता हूं हमारे साथी ने जो बिल यहां पेश किया है, हमारे साथी डागा जी कह रहे थे, उन्होंने इसको देखा नहीं, इसमें साफ लिखा है।

[अनुवाद]

'उत्पादक से अभिप्राय किसान से है जो खेती करता है।

[हिन्दी]'

जो खेती करता है और लेबर करता है दोनों साथ हैं, यह साफ लिखा है। आज आवश्यकता इस बात की है माननीय कृषि मंत्री जी जो काफी अनुभवी हैं, जिनमें हमारा विश्वास है, सहकारिता क्षेत्र में ऐसा बिल लाएं और प्रावधान करें, अगर इस सत्र में नहीं ला सकते तो आगामी बजट सत्र में एक बिल लाएं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसको वापिस लें यही मैं सरकार से मांग करता हूं।

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। डागा जी ने इसमें नहीं देखा, इसमें वर्कर के लिए बहुत अच्छा दिया है। डागा जी ने इस बिल का विरोध क्यों किया मुझे यह पता नहीं चला। प्रोड्यूसर और वर्कर दोनों की इसमें डेफिनीशन दी है। जो फील्ड में काम करता है वह भी सहकारिता का सदस्य बन सकता है। को-आपरेटिव सैक्टर और ग्रामीण क्षेत्र में खेती-बाड़ी का काम करने वाले जो लोग हैं उनकी रक्षा के लिए यह बिल लाया गया है। आप कभी देखें, जब हम सेंट्रल हाल में बैठकर टोमाटो कैचप मंगायें तो उसका 8 रुपया लगता है, जबकि 100 ग्राम भी उसमें टमाटर नहीं होता, ऐसे ही यदि हमको वह टोमाटो

[श्री सी० जंगा रेड्डी]

और थोड़ा सा बटर लगाकर देता है उसका कितना पैसा होता है 30 पैसे का भी बटर नहीं होता और 10 पैसे का भी टमाटर नहीं होता, कुल 50 पैसा भी नहीं लगता जबकि वह हमसे 150 पैसे चार्ज करता है इसका क्या कारण है इसका यही कारण है कि इंडस्ट्रीयलिस्ट प्रोड्यूसर को लूट रहा है। अगर दिल्ली में मुझे मकान मिल जाए तो मैं सौ एकड़ देने के लिए तैयार हूं। दिल्ली, हैदराबाद, वारांगल में घर बनाने के लिए जमीन हो तो उनका चार लाख रुपया मिलता है। अरबन प्रापर्टी बढ़ने का कारण यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामों की व्यवस्था बिल्कुल अस्त-व्यस्त है। किसान को जो रेम्युनिरेटिव प्राइस मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। सेन्ट्रल हाल में जब हम आलू की चिप्स मंगाते हैं तो उसमें पचास ग्राम भी आलू नहीं होता है जबकि उसका दो रुपया चार्ज कर लिया जाता है। तीस रुपये मन आलू मिलता है। आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितना चिप्स बनता होगा। इसी प्रकार आम का जूस आप ले लीजिए। चार आने का आम भी एक गिलास में नहीं होता जबकि उसका तीन रुपया ले लिया जाता है। इसी प्रकार एयर इण्डिया वाले उसका पांच रुपया चार्ज करते हैं। इसी तरह से मौसमी का जूस छह रुपये में मिलता है। आप हिसाब लगा सकते हैं कि किसान को एक रुपया भी उसका नहीं मिलता। आप देख सकते हैं कि किसान और वर्कर का शोषण हो रहा है। जमीन कितने लोगों के पास हैं। हमारे यहां आन्ध्रा में पांच एकड़ से ज्यादा जमीन वाले नहीं हैं, हो सकता है दस-पन्द्रह लोग होंगे। बेनामी ट्रांजेक्शन और बेनामी शेयर खरीदे जाते हैं क्योंकि हमारे देश में काला धन बहुत है। किसान अगर बेनामी रुपया लगाता है तो दिखाई दे जाता है और कहा जाता है कि इसको जल्दी से पकड़ो। जिन लोगों के पास स्वीस बैंक में या अन्य बैंक में पैसा है, उनको कोई नहीं पकड़ता और न ही वह पैसा किसी को नजर आता है। भूमि सुधार की बात भी बहुत की जाती है। अरबन सीलिंग एक्ट को ग्यारह साल हो गए हैं। कितना सीलिंग किया और कितना बंटवारा किया। हमें यह मालूम है कि इस एक्ट के आने के बाद जितनी इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, उसको हटाने के लिए कोई तैयार नहीं है।·· ···(व्यवधान) हमारे यहां वारांगल में तो रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प फीस की भी जरूरत नहीं है, तो कौन नहीं उसका फायदा उठाएगा। इसका मतलब है शहर वाले गांव वालों को लूट रहे हैं। मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि अगर किसान के पास हजारों बीघा जमीन है तो वह खुदकशी करने के बराबर ही है।·····(व्यवधान) अगर किसी लड़की से पूछा जाए कि शादी के लिए किस वर को प्रसन्द करेगी तो उसकी सबसे पहली पसन्द होगी कोई आई०ए०एस० आफिसर, कोई आई०पी०एस०आफिसर, उसके बाद सरकारी उच्चाधिकारी, उसके बाद सब-इंसपैक्टर, उसके बाद कान्सटेबल, फिर चपरासी और लास्ट में भूमि रखने वाला आता है। क्योंकि इस देश में भूमि रखने वाला पापी है। कहीं और हो या न हो परन्तु हमारे देश में जिसके पास भूमि है, उसके पास खाने को कुछ नहीं होता। हमारे यहां एक शेअर है, जिसे मैं तेलगु में हो आपके सामने रखना चाहता हूं।

బూములు దున్నే వానికి భుక్తి కరవాయె।

అమ్ముకా తిను వాని కుమ్ములే తిరిగె।

इसका मतलब यही है कि जो भूमि जोतता है, उसके पास खाने की कमी है। परन्तु जो उस पैदावार को बाजार में बेचता है उसके सींगे बढ़ जाते हैं, वह धनवान हो जाता है। वह बड़ा आदमी हो जाता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आजकल जमीन पर पैदावार करने वाला बहुत परेशान है और उसके लिए कृषि पर आधारित वस्तुओं को रिजर्व करने के लिए, जैसा इस बिल में प्रावधान है, वह व्यवस्था होनी चाहिए। उसका कारण यह भी है कि जब हम किसान से कोई तरकारी लाते हैं तो उसे मुश्किल से एक रुपया किलो देते हैं और वही तरकारी दिल्ली की मार्केट में आकर दस रुपये किलो के भाव से बेची जाती है। इसलिए सरकारी तौर पर इस बिल को लाना चाहिए था और इसे इम्पलीमैंट करने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार को तो किसान की भूमि नजर आती है। लेकिन उसे इस देश के किसान को बचाने के लिए, उसकी रक्षा और उन्नति के लिए काम करना चाहिए। यदि किसान रहेगा तो गांव रहेगा, यदि गांव रहेंगे तो देश रहेगा। यदि हमारे खेतों में पैदावार कम होगी तो जैसे आजकल हम शक्कर विदेशों से मंगा रहे हैं, उसी तरह अन्य पदार्थ भी बाहर से मंगायेंगे और हमें हर क्षेत्र में विदेशों पर निर्भर रहना होगा। इसलिए सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि किसान को रैम्यूनरेटिव प्राइस मिल सके और उसके उत्पादन को को-आपरेटिव सैक्टर के लिए रिजर्व्ड कर देना चाहिए।

— — ——

कार्य मंत्रणा समिति

चौबीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का 24वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : सभा अब सोमवार, 21 जुलाई, 1986 को 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.02 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 21 जुलाई, 1986/30 आषाढ़, 1908 (शक) के ग्यारह बजे म०पू० तक के लिये स्थगित हुई।

———

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग, सीलमपुर, दिल्ली-110053

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

शुक्रवार, 18 जुलाई, 1986/27 आषाढ़, 1908 (शक)

विषय सूची, पृष्ठ (iv), पंक्ति 9 से, "श्री अजित कुमार साहा" लोप कीजिये और पंक्ति 6 के ऊपर विधेयक के नाम के ऊपर "श्री अजित कुमार साहा का" अंत: स्थापित कीजिये।

पृष्ठ 79, पंक्ति 17, "श्री के0कुन्जाम्बु" के स्थान पर "श्री के0कुन्जम्बु" पढ़िये। और नीचे से पंक्ति 5 में "यदि हाँ" से पहले "(ग)" पढ़िये।

पृष्ठ 89, पंक्ति 9, "मल चन्द डागा" के स्थान पर "मूल चन्द डागा" पढ़िये।

पृष्ठ 122, पंक्ति 8, "श्री धामपाल सिंह मलिक" के स्थान पर "श्री धर्मपाल सिंह मलिक" पढ़िये।

पृष्ठ 237, पंक्ति 5, अ0प्र0संख्या "2 3" के स्थान पर "223" पढ़िये।

पृष्ठ 254, पंक्ति 16, "श्री हाफीज मुहम्मद सिद्दकी" के स्थान पर "श्री हाफिज मुहम्मद सिद्दीक" पढ़िये।

पृष्ठ 304, नीचे से पंक्ति 6, अ0प्र0संख्या "31" के स्थान पर "318" पढ़िये।

पृष्ठ 310, पंक्ति 2, अ0प्र0संख्या "322" के स्थान पर "323" पढ़िये।

पृष्ठ 325, पंक्ति 7, "अध्यक्ष महोदयक्ष" के स्थान पर "अध्यक्ष महोदय" पढ़िये।

पृष्ठ 369, पादटिप्पण में "18·7·86 को" के स्थान पर "18·7·86 के" पढ़िये।